कतिपय

(Opinions of scholars)

1. J P. Vyas, *M. A B T, P E S. Professor, Prantiya Shikshan Mahavidyalaya,* **Jabalpur.**

The book deals with almost all the varied aspect of Teaching Hindi. Infact while principles of language learning remain more or less the same, whether it be a mother-tongue or a foreign language, difference tend to creep in, in the details of actual class-room procedures. The author has pointedly drawn
this vital aspect. The ch
provoking a Hindi teacher
has placed before him all
teacher to capitalise on the
hypothesis for further experimentation in Teaching Hindi in the new national content.

2. Dr. Kailash Nath Bhatnagar, *formerly Head of the Sanskrit*

ok of such
f this type
e old ones
n put in a

3. गणेश प्रसाद सिंह, हिन्दी प्रोफेसर, गवर्नमेण्ट सेण्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टिट्यूट, इलाहाबाद :—

पुस्तक उपयोगी है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि विभिन्न स्तर के छात्राध्यापक इस का प्रयोग अवश्य ही करेंगे।

4 Dr. I. C. Khanna ...

primarily designed.

5 पं० गौरीशंकर, एम० ए०, बी० लिट् (आक्सन) पी० ई० एस० (रिटायर्ड)

श्री रघुनाथ सफाया जी ने इस प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी भाषा शिक्षण पद्धति सारगम्य तथा तुलनात्मक रीति से प्रतिपादन करने का प्रशंसनीय प्रयास किया है जो अध्यापक वर्ग के लिए एक ही जगह बहुत से भाषा-शिक्षा-सिद्धान्तों का एक समीकरण के रूप में सहायक सिद्ध होगा। 36 प्रकरणों में हिन्दी शिक्षण विधि के प्राय समस्त सिद्धान्तों का समावेश किया गया है। हिन्दी जनता तथा अध्यापक वृन्द सफाया जी के आभारी हैं कि उन्होंने प्रशिक्षण परीक्षोपयोगी पुस्तक लिख कर हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि की है।

पंचम संस्करण की भूमिका

हिन्दी-शिक्षण-विधि का पंचम संस्करण और [illegible] संस्करण भी दो साल के अन्तर्गत समाप्त हो गया, अतः मुझे इसका परिवर्द्धित और संशोधित संस्करण निकालने की प्रेरणा मिली। अध्यापकों, प्रशिक्षण-छात्रों और शिक्षाचार्यों ने इस पुस्तक का जितना सम्मान किया, मुझे उतनी आशा नहीं थी। देश के लगभग सभी विश्व-विद्यालयों में इस का विशेष स्वागत हुआ, और प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुशंसित हुई। मैं उन सभी अध्यापकों, विद्वानों और अन्य पाठकों का आभारी हूं, जिन्होंने इस का स्वागत करके मुझे पंचम परिवर्द्धित संस्करण प्रस्तुत करने की ओर प्रोत्साहित किया।

तृतीय संस्करण में नवीन अध्याय जोड़े गए थे, और प्रत्येक अध्याय के अन्त में अभ्यासात्मक प्रश्न और सहायक पुस्तकों की सूची दी गई थी। अन्त में पारिभाषिक शब्दावली और बृहत्-सूची भी दी गई थी।

चतुर्थ संस्करण में कुछ नवीन सामग्री उपस्थित की गई थी ताकि पुस्तक सामयिक (up-to-date) है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों का विशेष ध्यान रखा गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित पारिभाषिक शब्दावली का ही अनुसरण किया गया।

वर्तमान पंचम संस्करण में निम्न प्रकार का संशोधन किया गया है—

1. समस्त पुस्तक की पाठ्य-सामग्री को अध्यायों के अतिरिक्त अनुभागों में विभक्त किया गया है। कुल अनुभाग 200 हैं। अध्यायों के अन्त में दिए गए अभ्यासात्मक प्रश्नों के आगे तत्सम्बन्धी अनुभागों की ओर संकेत किया गया है ताकि छात्र को प्रश्न का उत्तर ढूंढने में सहायता मिले।

2. प्रत्येक अध्याय में कुछ नवीन सामयिक सामग्री जोड़ी गई है। ताकि भाषा-शिक्षण की कोई भी समस्या ऐसी न रहे जिस पर प्रकाश न डाला गया हो।

3. कई नये अध्याय जोड़े गए हैं, जैसे अध्याय 33 'इतर भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण की समस्याएँ'। रचना के अध्याय में रचना के अभ्यासों के नमूने दिए गए हैं। देवनागरी लिपि के अध्याय में लिपि का इतिहास और केन्द्रीय सरकार द्वारा लिपि का सुधार भी व्याख्यात है। पाठ-योजना के नये नमूने दिए गए हैं।

4. यत्र-तत्र जहां नई सामग्री जोड़ी गई है, वहां कुछ नई पुस्तकों का हवाला दिया गया है। आवश्यक स्थलों पर नई तालिकाएं भी जोड़ी गई हैं।

पुस्तक का कलेवर पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है। चतुर्थ संस्करण में 412 पृष्ठ थे, परन्तु वर्तमान संस्करण 430 पृष्ठों से भी बढ़ गया है। पुस्तक अ—

पंचम संस्करण की भूमिका

हिन्दी-शिक्षण विधि का पंचम संस्करण [illegible] दो साल के अन्तर्गत समाप्त हो गया, अतः मुझे इसका परिवर्द्धित और संशोधित संस्करण निकालने की प्रेरणा मिली। अध्यापकों, प्रशिक्षण-छात्रों और शिक्षाचार्यों ने इस पुस्तक का जितना सम्मान किया, मुझे उतनी आशा नहीं थी। देश के लगभग सभी विश्व-विद्यालयों में इस का विशेष स्वागत हुआ, और प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुशंसित हुई। मैं उन सभी अध्यापकों, विद्वानों और अन्य पाठकों का आभारी हूं, जिन्होंने इस का स्वागत करके मुझे पंचम परिवर्द्धित संस्करण प्रस्तुत करने की ओर प्रोत्साहित किया।

तृतीय संस्करण में नवीन अध्याय जोड़े गए थे, और प्रत्येक अध्याय के अन्त में अभ्यासात्मक प्रश्न और सहायक पुस्तकों की सूची दी गई थी। अन्त में पारिभाषिक शब्दावली और बृहत्-सूची भी दी गई थी।

चतुर्थ संस्करण में कुछ नवीन सामग्री उपस्थित की गई थी ताकि पुस्तक सामयिक (up-to-date) है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों का विशेष ध्यान रखा गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित पारिभाषिक शब्दावली का ही अनुसरण किया गया।

वर्तमान पंचम संस्करण में निम्न प्रकार का संशोधन किया गया है—

1. समस्त पुस्तक की पाठ्य-सामग्री को अध्यायों के अतिरिक्त अनुभागों में विभक्त किया गया है। कुल अनुभाग 200 हैं। अध्यायों के अन्त में दिए गए अभ्यासात्मक प्रश्नों के आगे तत्सम्बन्धी अनुभागों की ओर संकेत किया गया है ताकि छात्र को प्रश्न का उत्तर ढूंढने में सहायता मिले।

2. प्रत्येक अध्याय में कुछ नवीन सामयिक सामग्री जोड़ी गई है। ताकि भाषा-शिक्षण की कोई भी समस्या ऐसी न रहे जिस पर प्रकाश न डाला गया हो।

3. कई नये अध्याय जोड़े गए हैं, जैसे अध्याय 33 'इतर भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण की समस्याएं'। रचना के अध्याय में रचना के अभ्यासों के नमूने दिए गए हैं। देवनागरी लिपि के अध्याय में लिपि का इतिहास और केन्द्रीय सरकार द्वारा लिपि का सुधार भी व्याख्यात है। पाठ-योजना के नये नमूने दिए गए हैं।

4. यत्र-तत्र जहां नई सामग्री जोड़ी गई है, वहां कुछ नई पुस्तकों का हवाला दिया गया है। आवश्यक स्थलों पर नई तालिकाएं भी जोड़ी गई हैं।

पुस्तक का कलेवर पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है। चतुर्थ संस्करण में 412 पृष्ठ थे, परन्तु वर्तमान संस्करण 430 पृष्ठों से भी बढ़ गया है। पुस्तक [illegible]

विषय तालिका

पहला खण्डन
(साध्य तथा सिद्धान्त)

अध्याय 1. भाषा शिक्षण, महत्व तथा उद्देश्य

अध्याय 2. हिन्दी शिक्षण, महत्व तथा उद्देश्य

अध्याय 3. हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और विकास

अध्याय 4. शिक्षा का माध्यम

अध्याय 5. भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार

अध्याय 14. वाचन की शिक्षा

अध्याय 15. देवनागरी लिपि

अध्याय 16. लिपि की शिक्षा

अध्याय 17 अक्षर-विन्यास की शिक्षा

अध्याय 18. गद्य पाठ की शिक्षा

अध्याय 19. कविता का स्वरूप

अध्याय 20 कविता की शिक्षा के अंग

ध्वनि समूहो से। व्यापक रूप मे विचार-विनिमय के इन सभी साधनों को भाषा कहते हैं, परन्तु साधारणतया भाषा का इतना विस्तृत अर्थ नही। उपर्युक्त साधनो मे से ध्वनिसमूहो को छोड कर शेष सभी साधन पशुओ, बहरो, गूगो तथा असभ्य जातियो अथवा आदिवासियो मे ही प्रयुक्त होते हैं। सभ्य जातियों मे बोली जाने वाली ध्वनियो से और इन ध्वनियो के प्रतिनिधि लिपि-अक्षरो से काम लिया जाता है। भाषा प्रधानतया इन्ही ध्वनि समूहो को कहते है, जिनकी सहायता से मानव अपने भाव-विचार को प्रकट करता है। पतजलि मुनि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिसमे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दो द्वारा अपने विचारो को प्रकट करते हैं।[1]

एक भाषा वैज्ञानिक स्वीट महोदय के अनुसार भाषा ध्वनियो द्वारा मानव के भावो की अभिव्यक्ति है।[2]

एक और भाषा वैज्ञानिक इस परिभाषा का थोड़ा सा परिष्कार करके भाषा की परिभाषा निम्न रीति से देते है।

'भाषा मानव मस्तिष्क और हृदय की वेरी बनती हुई ध्वनिरूप मे या लिपिरूप मे विचारों और भावो की अभिव्यक्ति है।[3]

निश्चय ही भाषा का ध्वनिरूप प्रधान है और लिपि-रूप गौण परन्तु व्यवहार की दृष्टि से देखा गया है कि आजकल के वैज्ञानिक तथा सभ्य जगत मे ध्वनिरूप उतना प्रधान नही, जितना कि लिपि रूप। ध्वनिरूप तब तक आता है जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करते है, भाषण देते है, पढ़ाते हैं, किसी सभा मे अपने विचार प्रकट करते है, प्रश्न पूछते है या प्रश्नो का उत्तर देते है और प्रतिदिन के छोटे-मोटे कामो मे एक दूसरे के साथ बोलते है।

परन्तु कार्यालयो मे, दूर-दूर के व्यापारियो के साथ व्यापार करने मे, शिक्षा देने मे और न्यायालय मे भाषा के लिपिरूप की आवश्यकता है। ध्वनिरूप तभी काम आ सकता है जब बोलने वाला और सुनने वाला आमने सामने हो। परन्तु जब हम अपने विचारो को उनके सामने प्रकट करना चाहते है, जो हम से बहुत दूर हो या अलग-अलग स्थानो पर बैठे हों, तो ध्वनिरूप काम नही आ सकता। वहा हमे अपने विचार [illegible] होते। एक लेखक अपने विचार लिखता है, पुस्तक रूप मे प्रकाशित करता है, सब व्यक्ति उनके विचारो को पढते है। इस प्रकार विचार-विनिमय का काम [illegible] से सुगम बन गया है।

1 "व्यक्तां वर्णात्मिकां [illegible]" (महाभाष्य १/१/८८)

2 Language [illegible] expression of thought by speech sound—Sweet

3 [illegible] [illegible] [illegible] tten expression of thought emo- [illegible] [illegible] made of the intellect and

§ 2. भाषा के आधार

ऊपर कहा गया है कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का व्यापार है। लेकिन यह विचार कहाँ पैदा होते हैं? यह विचार मन में पैदा होते हैं। हमारे मन में सोचने की शक्ति न होती तो भाषा का नाम भी न होता। एक पशु बहुत कम सोच सकता है, इसलिए वह भाषा-हीन है। इन विचारों को हम व्यक्त कैसे करते हैं? हम बोलते हैं। बोलने में हमारे मुख के अंग काम आते हैं। यदि हमारी जबान में बोलने की शक्ति न होती तब भी हम भाषा का प्रयोग न कर सकते। इस प्रकार भाषा के लिए कई आवश्यक साधन हैं, जिनके बिना भाषा का अस्तित्व असंभव है। इन साधनों को हम 'आधार' कहते हैं।

भाषा के दो आधार हैं -1. मानसिक आधार और 2. भौतिक आधार।

1. मानसिक आधार मानसिक आधार में दो बातें आ जाती हैं। प्रथम वे विचार जो मन में उत्पन्न होते हैं, और जिनके बिना भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं। द्वितीय वह मानसिक क्रिया जिसके द्वारा हम सोचते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। विचार भाषा की आत्मा है। ध्वनियाँ विचारों को व्यक्त करने के लिए केवल माध्यम हैं।

2 भौतिक आधार—ध्वनियाँ भाषा का भौतिक आधार हैं। सुनने वाले और बोलने वाले के कान और मुख भी भौतिक आधार हैं। इसके अतिरिक्त भाषा के लिखने वाले हाथ भी भौतिक आधार हैं। भाषा की शिक्षा के लिए इन दोनों प्रकार के आधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

§ 3. भाषा की प्रकृति—

(क) भाषा अर्जित सम्पत्ति है—भाषा पैतृक सम्पत्ति नहीं। शिशु अपने माता-पिता से या वातावरण से ही भाषा सीखता है। यदि उसे अनुकूल वातावरण न मिले वह गूंगा ही रहेगा। वह जिस भाषा के वातावरण में रहेगा वैसी ही भाषा अर्जित करेगा। अर्जन करने का साधन उस का समाज है।

(ख) भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है—नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से अनुकरण द्वारा ही भाषा सीखती है। शिशु अपने माता-पिता से और बालक माता पिता, अपने बड़ों, मित्रों तथा शिक्षक से उनकी वाणी का अनुकरण करके भाषा सीखता है। मातृ-भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी अनुकरण द्वारा ही सीखी जाती हैं।

(ग)—भाषा परिवर्तन शील है—अनुकरण में कुछ न कुछ कमी [illegible] है और इस प्र[illegible] से भाषा परिवर्तित रूप धारण करती [illegible]: बाह्य प्रभाव [illegible] शब्द भी समाविष्ट हो जाते हैं. [illegible] वातावरण भी [illegible]. जिस कारण से इसका की [illegible] न यह [illegible] बदली ही चली जाती है।

होता है, जिस प्रकार शिशु की भाषा का विकास। किसी जाति की भाषा भी शिशु की भाषा की भांति प्रारम्भिक टूटे फूटे शब्दों में आरम्भ होकर, कालान्तर में धीरे धीरे वृद्धि पाकर, नई संस्कारी प्राप्त करके विकसित हो जाती है। इसका अर्जन ज्ञान की अपेक्षा बहुत मंद गति से होता है।

§ 4 भाषा के विविध रूप--

भाषा के विविध रूपों की विशेषताएं और तदनुसार उन की पृथक् पृथक् शिक्षण-विधियां शिक्षक को जाननी पड़ती है। जिस प्रकार की भाषा हो, उसी के अनुसार उस के पढ़ाने के उद्देश्य होंगे। मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा राष्ट्र-भाषा, विदेशी भाषा राज-भाषा आदि के पढ़ाने में एक दूसरे से विभिन्न हैं। अतः भाषा के भिन्न रूप की व्याख्या की जाती है

1 मूल भाषा—यह प्राचीन भाषा है, जो कालान्तर में भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाववश विभिन्न शाखाओं में बट गई और जिस ने आधुनिक भाषाओं के किसी वर्ग को जन्म दिया। इस प्रकार मूल-भाषा किसी भाषा-परिवार की आदि जन्मदात्री होती है। उत्तरी भारत की आर्य भाषाओं की मूल-भाषा प्राचीन संस्कृत है।

2 मातृ-भाषा—किसी वर्ग समुदाय, समाज या प्रांत की बोली जाने वाली भाषा उसके सदस्यों की मातृ भाषा है। बच्चा जन्म लेकर अपनी माता से उसी भाषा को ग्रहण करता है। आगे चल कर घर के भीतर और बाहर, मित्रों में, विद्यालय में और निकटवर्ती समाज में वह इसी भाषा का प्रयोग करता है। माता के समान मातृ-भाषा भी वन्दनीय है। मातृ-भाषा की शिक्षा परमावश्यक है। अधिकतम शिक्षा और ज्ञान मातृ-भाषा द्वारा ही सुलभ और सुगम हो सकता है।

3 प्रादेशिक भाषा – यह किसी प्रदेश की, बृहत् वर्ग विशेष की, जो उस प्रदेश में रहता है, साधारणतया बोली जाने वाली भाषा है।

दूसरे शब्दों में यह उस प्रदेश की मातृ-भाषा है। परन्तु कभी ऐसा भी होता है कि किसी विशाल प्रदेश में एक छोटे समाज की मातृ-भाषा इस प्रादेशिक भाषा से भिन्न होती है। पंजाब की प्रादेशिक भाषा पंजाबी है, परन्तु कांगड़ा में रहने वालों की मातृ-भाषा प्रादेशिक भाषा पंजाबी से भिन्न है। मध्यप्रदेश की प्रादेशिक भाषा हिन्दी है, परन्तु वहां पर बहुत से लोगों की मातृ-भाषा मराठी है। जहां किसी प्रदेश की समस्त जनता की मातृ-भाषा वही प्रादेशिक भाषा है, वहां शिक्षक को कठिनाई नहीं। परन्तु जहां मातृ-भाषा प्रादेशिक भाषा से भिन्न होती है, वहां शिक्षक को सावधानी से काम करना पड़ता है और दोनों भाषाओं को काम में लाना पड़ता है।

4. बोली—एक सीमित क्षेत्र की उपभाषा को कहते हैं, जिसके बोलने वालों

का उच्चारण एक सा हो तथा जिसमे शब्द समूह आदि समान हो। पंजाबी एक भाषा है, परन्तु जम्मू मे बोली जाने वाली उपभाषा 'डोगरी' भाषा नही वरन् वह पंजाबी का ही रूप है। अतः वह 'बोली' कही जायगी। बोली भाषा का एक रूप है। ब्रज हिन्दी की एक बोली है। इस प्रकार एक भाषा के अन्तर्गत विभिन्न बोलियां आ जाती हैं, परन्तु उन बोलियों मे विशेष अन्तर नही होता। बोली भाषा का वह रूप है जिसका आगे विभाजन नही होता।

5. आदर्श भाषा - कभी एक भाषा-क्षेत्र मे जिसमे कई बोलियां हो, कोई एक बोली आदर्श मान ली जाती है और वह पूरे क्षेत्र के उच्च वर्ग के लोगो की भाषा हो जाती है। राजकीय कामों मे और शिक्षालयो मे उसी का प्रयोग होता है। हिन्दी के अन्तर्गत विभिन्न बोलियां आती हैं, परन्तु आदर्श रूप मे उनका प्रतिनिधित्व खड़ी बोली ही करती है। आदर्श भाषा का उच्चारण, व्याकरण और शब्दावली निश्चित हो कर वह प्रयोग मे लाई जाती है। शिक्षक इसी बोली को आदर्श मान कर शिक्षा देता है, और तत्काल अपनी बोली या विद्यार्थियों की बोली को (जो आदर्श बोली से भिन्न हो सकती है) गौण स्थान देता है। आदर्श बोली अन्य सभी बोलियों पर अपना प्रभाव डालती है।

6. राष्ट्र भाषा—जैसे आदर्श बोली विभिन्न बोलियों मे प्रमुख होती है, इसी प्रकार राष्ट्र-भाषा देश की विभिन्न भाषाओं मे प्रधान होती है। यह अपने क्षेत्र की मातृ-भाषा या प्रादेशिक भाषा तो होती ही है, परन्तु राजकीय कामों मे तथा सार्वजनिक कामों मे समस्त देश मे प्रयुक्त होने के कारण सारे देश की राष्ट्र-भाषा बन जाती है। आज हिन्दी को भारत वर्ष मे यही गौरव प्राप्त है। वह अपने परिवार के अहिन्दी प्रान्तों (राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल आदि) तथा अन्य भाषा परिवार के प्रान्तों (मद्रास) आदि मे भी व्यवहार मे लाई जाती है।

7. अन्तर्राष्ट्रीय भाषा—विभिन्न देशों राष्ट्रों और जातियों मे राजकीय कामो, व्यापार, सचार आदि मे प्रयुक्त होने वाली सर्वसाधारण भाषा, किसी एक देश की राष्ट्र-भाषा भी हो कर बहुत से देशों की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। आजकल अंग्रेजी को यह स्थान प्राप्त है। इसकी शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए, विदेशो से ज्ञानोपलब्धि के लिए, तथा विदेशों मे सम्पर्क रखने के लिए, दी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की शिक्षा इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टि मे रख कर दी जाती है।

8. सांस्कृतिक भाषा—यह भाषा किसी जाति की सभ्यता और संस्कृति, ज्ञान और कला, आचार तथा विचार का प्रतिनिधित्व करती है। उस जाति या देश का समस्त ज्ञान भण्डार ऐसी एक प्राचीन सांस्कृतिक भाषा मे होता है। भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है, और यूरोप की लैटिन और ग्रीक। अपनी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास चिरसंचित ज्ञान और जातीय गरिमा से परिचय प्राप्त करने के लिए इसकी शिक्षा

शिक्षा प्रारम्भ की जाती है। हमारे देश में संस्कृत भाषा का यद्यपि व्यावहारिक प्रयोग नहीं परन्तु फिर भी इसका सांस्कृतिक महत्व अद्वितीय है।

§ 5 भाषा का महत्त्व—

मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में भाषा का इतना हाथ है कि भाषा की कहानी को सभ्यता की कहानी कहा जाता है।[1]

मानव का बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक विकास इस बात पर निर्भर है कि वह भाषा और इसके साहित्य का प्रयोग विकास के साधन के रूप में किस हद तक करता है। शिक्षा के क्षेत्र में भाषा व्यक्तित्व के विकास में अत्यन्त सहायक है। दैनिक कार्यकलाप में भी भाषा व्यावहारिक योग्यता प्रदान करती है। भाषा ज्ञान प्रदान करती है, आलौकिक आनंद का स्रोत बनती है और रचनात्मक भाव-प्रकाशन के लिए अवसर समुपस्थित करती है।

मानव व्यक्तित्व की शक्तिशालीनता भाषा के प्रभावोत्पादक प्रयोग पर ही निर्भर है।[2] यदि शिक्षा से तात्पर्य है जीवन के लिए तैयारी, तो भाषा उसके लिए एक प्रमुख साधन है। शिक्षा के माध्यम के रूप में यह ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक विषय के क्षेत्र में प्रवेश करती है। यही कारण है कि औपचारिक शिक्षा का एक प्रमुख भाग साधन के रूप में 'भाषा' का ज्ञान प्रदान माना गया है। महात्मा गांधी ने मातृ-भाषा की महत्ता के संबंध में ठीक कहा है— "मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृ-भाषा उतनी ही जरूरी है जितना कि बच्चे के भौतिक विकास के लिए मां का दूध। शिशु प्रथम पाठ अपनी मां से ही पढ़ता है, इसलिए उसके बौद्धिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृ-भाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा थोपना मैं मातृ-भूमि के विरुद्ध पाप समझता हूँ।"

जैसा ऊपर कहा गया है, भाषा के विभिन्न रूप हैं। परन्तु इन सभी रूपों में से मातृ-भाषा मानव के व्यक्तित्व पर सब से अधिक प्रभाव डालती है। प्रभाव और शिक्षा की दृष्टि से भाषाओं के कोटिक्रम निम्न है—मातृ-भाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्र भाषा, सांस्कृतिक भाषा, अन्तर्राष्ट्रीय भाषा या वैदेशिक भाषा। नीचे दिए हुए चित्र से यह कोटिक्रम स्पष्ट है।

संक्षेप में भाषा की निम्न विशेषताएं है जिनके कारण आधुनिक जगत में इसको विशेष महत्व प्राप्त है।

---

1. "The story of Language is the story of civilization"—Mario A pei, "the story of Language" p 188.

2 "The dynamism of human personality has much to do with effective use of language".

——*Joshua Whatmough—"Language a Modern Synthesis", p 87.*

(क) भाषा मानव का विचार-विनिमय का सर्वोत्कृष्ट साधन है।

(ख) भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है।

(ग) भाषा द्वारा किसी जाति या समाज का ज्ञान सुरक्षित रहता है।

(घ) भाषा राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व का प्रतीक है।

नीचे इन सभी विशेषताओं की व्याख्या की जाती है।

(क) भाषा मानव का विचार-विनिमय का सर्वोत्कृष्ट साधन है भाषा के अभाव में मानव पशु से ऊँचा नहीं। समाज का समस्त कार्य भाषा द्वारा होता है। मानव समाज के प्रत्येक व्यवहार में जैसे गृहस्थ में सामाजिक कार्यों में, व्यापार में, व्यवसायों में पत्र व्यवहार तथा राजशासन में भाषा की परमावश्यकता है। यदि भाषा न होती तो यह संसार मूक-संसार या अंध-संसार बन जाता। प्राचीनकाल में भाषा से मौखिक रूप से ही काम चल जाता था, परन्तु आजकल की जटिल सभ्यता में साक्षरता के बिना जीवनयापन असम्भव सा हो गया है। भाषा के मौखिक रूप के ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति गूंगा या जंगली कहलायेगा। मातृ-भाषा बोलने वाले निरक्षर व्यक्ति के सामने भी विकट समस्याएं आती हैं जब वह न पत्र लिख-पढ़ सकता है, न तार भेज सकता है, न मनी आर्डर भेज सकता है, न रसीद लिख सकता है, न साइनबोर्ड पढ़ सकता है और न हस्ताक्षर कर सकता है।[1]

---

1. इदमंधतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्,
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते। —काव्यादर्श 1, 4।
'यह समस्त संसार अंधकार में लिपटा रहता, यदि शब्दों की ज्योति से दीप्त न होता।' इसी लिए बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा। —'वाग्वै सम्राट् परमं ब्रह्म।'

(ख) भाषा ज्ञानप्राप्ति का प्रमुख साधन —शिशु हो या प्रौढ़, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रमुख साधन भाषा है। शिशु अपने साधारण भावों का प्रकाशन संकेतों से, हँसने से या रोने से करता है, परन्तु कालांतर में शब्दों का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। बालक और प्रौढ़ भी नई बातों को जानने के लिए, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। सारी शिक्षा भाषा द्वारा ही होती है। प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक बैलार्ड (Ballard) भाषा और ज्ञान से अन्योन्याश्रित समझते हैं। विचारों का विकास भाषा पर निर्भर है और भाषा का विकास ज्ञान की वृद्धि पर। उनके शब्दों में,"विचार और भाषा सन्निकट रूप से संबद्ध हैं। वे साथ ही घटते तथा बढ़ते हैं और हम एक बिना दूसरे का विकास नहीं कर सकते। अत: मातृभाषा जिसमें बालक सोचता और कल्पना करता है शिक्षा का प्रमुख अंग और मानव संस्कृति का उत्कृष्ट साधन बनती है।" इसके फलस्वरूप मातृभाषा के शिक्षण के द्वारा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो जाता है। भाषा द्वारा नए विचार अर्जित किए जाते हैं और उन से बौद्धिक विकास संभव है। इसी प्रकार भाषा द्वारा भावनाओं का विकास होता है। साहित्य की अनुपम कृतियों के पढ़ने से हृदय में स्थित स्थाई भाव जागरित होते हैं, और उनका रसपरिपाक हो जाता है। इसी प्रकार श्रेष्ठ रचनाओं से पढ़ कर सच्चरित्र, नागरिकता आदि समाजानुकूल गुणों का विकास होता है।

(ग) भाषा द्वारा किसी जाति या समाज का ज्ञान सुरक्षित रहता है आधुनिक जगत का क्या, प्राचीन जगत से लेकर आज तक का समस्त ज्ञान भण्डार भाषा के लिपिबद्ध रूप में अर्थात् पुस्तकीय रूप में ही उपलब्ध है। पुरानी पीढ़ियां नष्ट हुई परन्तु उनके सभी विचार हमारे पास उपस्थित हैं। अन्य देशवासी हम से दूर हैं, परन्तु उनके विचार, उनका दिया हुआ ज्ञान पुस्तक रूप में हमारे पास मौजूद है। भाषा और साहित्य के विशाल भवन के निर्माण में प्रत्येक मानव ने एक ईंट-पत्थर अवश्य अपना योगदान दिया है।[1] भाषा का इतिहास, सभ्यता का इतिहास है।[2] भाषा न होती तो ऋग्वेद की रचना न होती और उस काल का तथा आर्य जाति का ज्ञान हमें तनिक भी न होता। पशु के समान हम इतिहास-शून्य होते। व्यक्तिगत रूप में हो या सामूहिक रूप में, हमारा परम्परागत ज्ञान भाषा द्वारा पुस्तकों में लिपिबद्ध होकर सुरक्षित में चला आता है। हमारी सभ्यता और हमारे गुण-गौरव में गायत्री की उत्पत्ति भाषा के सर्वाधिक आदान प्रदान से ही संभव हो सकती है। भाषा के अज्ञान के कारण ही हम भारतीय अपनी सभ्यता से अनभिज्ञ हैं। भाषा के अनिवार्य ज्ञान के अभाव में ही हम अपने हृदय की भावनाएँ प्रकट करने में उतने ही असमर्थ हैं जितने नन्हे पशु।

1. 'Language is the city to the building of which every human being brought a stone'—Emerson.

2. 'Story of language is the story of Civilization'.—Merio A. Pei.

(घ) भाषा राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व का प्रतीक है—सामाजिक प्राणी के नाते मानव अपने विचारों का आदान-प्रदान समाज के दूसरे सदस्यों के साथ करने पर बाध्य है। समाज के प्रत्येक वर्ग में कोई न कोई भाषा विचार-विनिमय का साधन बनती है। यह भाषा ही समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बांधती है। किसी जन समुदाय को पृथक रूप देने में भाषा का इतना हाथ है कि बहुधा उसका नामकरण भी भाषा के नाम पर ही किया जाता है, जैसे पंजाबी, गुजराती, बंगाली। एक समाज का पृथक रूप देने में समान भूभाग, समान इतिहास, समान धर्म, समान सभ्यता और समान शासन का उतना हाथ नहीं जितना समान भाषा का। हिन्दू हो या मुसलमान, आर्य जाति का हो या मंगोल जाति का, शिक्षित हो या अशिक्षित, यदि भाषा काश्मीरी बोलता होतो उसे काश्मीरी कहेंगे। इस प्रकार एक सामाजिक वर्ग का निर्माण अधिकांश भाषा के आधार पर होता है। भारत में राज्य पुनर्गठन भी प्रातीय भाषाओं के आधार पर ही हुआ। संसार के जिस-जिस भू-भाग में एक पृथक् भाषा का प्रयोग है, उसके निवासियों का एक अलग जातीय चरित्र है। किसी एक देश में कई प्रांतों को मिलाने वाली कोई एक राष्ट्र भाषा होती है, जो प्रान्तीय सीमा को लांघकर राष्ट्रीय एकता का द्योतक बनती है और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती है। ऐसी राष्ट्रीय भाषा समस्त राष्ट्र के जातीय गुणों मान्यताओं, विश्वासों, और चारित्रिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्र भाषा के अभाव में देश की एकता असंभव है। एक 'राष्ट्र, एक भाषा' का सिद्धान्त राष्ट्रीय बंधुता और एकता पर ही आधारित है। जिस देश में प्रान्तीय भाषा के अतिरिक्त एक राष्ट्र भाषा होती है। उसके निवासियों का परस्पर घनिष्ट संबंध रह सकता है जिसके फलस्वरूप देश की आर्थिक, व्यापारिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक आध्यात्मिक उन्नति द्रुतगति से होती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरीका और सोवियत रूस इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं। अमेरीका में विभिन्न भाषा-भाषी थे जैसे फ्रांसीसी, स्पेनी, जर्मन, पुर्तगाली, इटालवी और अंग्रेज। परन्तु स्वतन्त्रता के अग्रदूत जार्ज वाशिंगटन ने राष्ट्रीय एकता के प्रतिष्ठापन के लिए अंग्रेजी भाषा को राष्ट्र भाषा घोषित किया। आज अंग्रेजी भाषा अमेरीका की जीवन-दायिनी है और समस्त वाणिज्य, उद्योग, शिक्षा और प्रशासन की भाषा है। भारत में भी अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी विदेशी भाषा होने पर भी एकता का द्योतक रही। कांग्रेस का स्वतन्त्रता का आन्दोलन का सारा कार्यक्रम अंग्रेजी में होता रहा। आज भी अंग्रेजी प्रशासन की भाषा है। परन्तु शीघ्र ही सम्पूर्ण रूप में इसका स्थान हिन्दी ले रही है। अंग्रेजी केवल शिक्षित जनता में ही विचार-विनिमय का साधन बनी। परन्तु हिन्दी उच्च से लेकर नीच वर्ग तक सभी देशवासियों की समान भाषा है। भावात्मक एकता (emotional integration) पैदा करने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। राष्ट्र की सामुदायिकता, संगठन और व्यवस्था राष्ट्र-भाषा के बिना असंभव है। प्रान्तीय भेद-भाव, संकुचित प्रांतीयता, संकीर्ण दृष्टिकोण, हार्दिक संकुलहीनता,

निजभाषा मोह और अन्य भाषा के विरोध की भावना को मिटाने के लिए राष्ट्र भाषा की शिक्षा अनिवार्य है।

जिस प्रकार राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुता का प्रतीक है। अन्तर्जातीय सद्भावना और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना तभी पैदा हो सकती है जब हम अन्य देशों की भाषा और तत्सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन करें अपने दृष्टिकोण को विशाल बनाएं, और साथ ही ऐसी विदेशी भाषा द्वारा अन्य देशवासियों के साथ सौहार्द्र सम्बन्ध स्थापित करें जिससे फलस्वरूप हम उनके साहित्य संस्कृति सभ्यता और सामाजिक गठबन्धन को समझ सकें। सबसे अधिक तनाव एक दूसरे को न समझने से पैदा हो सकता है। भाषा विभिन्न राष्ट्रों को एक दूसरे को समझने में सहायक है। जहां राष्ट्र भाषा विभिन्न प्रांतों को एक सूत्र में बांधती है, वहां अन्तर्राष्ट्रीय भाषा विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण कर सकती है। कामनवेल्थ के सभी राष्ट्रों में जो एकता है वह अंग्रेजी भाषा के कारण है। इस प्रकार व्यापक रूप में भाषा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एकता का द्योतक है। इस दृष्टि से भाषा समस्त संसार को आलोकित करती है।§

§ 6 भाषा शिक्षण के उद्देश्य—

भाषा की महत्ता जानने से भाषा शिक्षण की आवश्यकता का ज्ञान हो जाता है। इसके साथ ही शिक्षक को उन सभी उद्देश्यों के विषय में भी पूर्ण परिचित हो जाना चाहिए, जिनके लिए वह भाषा पढ़ाना चाहता है। तभी वह एक सफल शिक्षक हो सकता है। वे उद्देश्य भिन्न हैं —

1 व्यावहारिक योग्यता (Practical Efficiency) प्राप्त करना—भाषा सीखने का परम उद्देश्य है समाज के प्रत्येक व्यवहार में अपने विचारों के आदान-प्रदान में भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना। भाषा के सहारे, कोई व्यक्ति अपने मन की बात दूसरे को कह सकता है, अपना सुख दुख दूसरे व्यक्ति को सुना सकता है, और दूसरों की बातें स्वयं समझ सकता है। दूसरे शब्दों में वह अपने भीतर (क) आत्माभिव्यक्ति की शक्ति पैदा करता है और उसका उपयोग कर सकता है, तथा (ख) दूसरों के विचारों को ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न करता है।

आत्माभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है—(i) बोलने में और (ii) अपने विचारों को लिखने में।

दूसरों के विचारों को ग्रहण की शक्ति भी दो प्रकार से होती है—

---

§ महो अर्णः सरस्वती, प्रचेतयति केतुना।
धियो विश्वा विराजति॥ —ऋग्वेद १-३-१२

करके साहित्यकार या कलाकार बनना समाज की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। ललित कलाओं की प्राप्ति भी भाषा पर अवलंबित है।

§ 7 भाषा पढ़ाई क्यों जाए–

बालक अपने माता-पिता से भी अनुकरण द्वारा भाषा सीख सकता है, तो विद्यालय में भाषा सिखाने की क्या आवश्यकता है?

(१) जो भाषा घर पर बोली जाती है, वह साधारण बोल चाल की भाषा होती है, वह साहित्यिक भाषा नहीं होती। उच्च ज्ञान के लिए साहित्यिक भाषा के ज्ञान की आवश्यकता है जिसके सिखाने के लिए विशेष प्रबन्ध विद्यालय में ही हो सकता है।

(२) घर पर भाषा बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। अत लिखित भाषा को समझने के लिए तथा ऐसी भाषा में अपने विचार लिखकर प्रकट करने के लिए विद्यालय में विशेष शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है।

(३) घरेलू भाषा, शुद्ध, परिमार्जित, व्याकरण-सम्मत, मुहावरेदार, माधुर्यपूर्ण, ओजपूर्ण और विभिन्न शैलियों से सुसज्जित नहीं होती। अत ऐसी भाषा की योग्यता प्राप्त करने के लिए विशेष शिक्षण की आवश्यकता है। भाषा का स्तर ऊंचा करने के लिए और उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए भी सुव्यवस्थित शिक्षण की आवश्यकता है।

(४) विद्यालय जीवन में जितने भी विषय (गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगो आदि) सिखाए जाते हैं, उनका माध्यम मातृ-भाषा होती है। उन विषयों को भली-भा समझने के लिए मातृ-भाषा की विशेष शिक्षा आवश्यक है।

अभ्यासात्मक प्रश्न

१ भाषा की उचित परिभाषा देते हुए, उसकी विशेषताओं का सोदाहर वर्णन कीजिए। [अनुभाग § 1, 2 और :

२ भाषा शिक्षण की क्या आवश्यकता है? इसके विभिन्न उद्देश्यों की व्याख् कीजिए। [अनुभाग § 5 और 6

३ भाषा के विविध रूप कौन-कौन से है? भारत के विभिन्न राज्यों (प्र प्रदेशों) में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, सांस्कृतिक भाषा और अन्तर्राष्ट्रीय भाषा तथ बोलियों की एक सूची तैयार कीजिए। [अनुभाग § 4

4. प्रकृति के विद्यालय में तीन वर्ष के बालक को भाषा का ज्ञान स्वत सि हो जाता है। फिर मातृभाषा की शिक्षा स्कूलों में क्यों दी जाए? [अनुभाग § 7]

सहायक पुस्तकें

1. बाबू राम सक्सेना — सामान्य भाषा विज्ञान
2. भोला नाथ तिवारी — भाषा विज्ञान
3. मंगल देव शास्त्री — भाषा विज्ञान
4. श्याम सुन्दर दास — भाषा विज्ञान
5. **Leonard Bloomfied** — *Language*
6. **Lewsis M. M.** — *Language in School, ... guage in the Class-ro...*
7. **Karl Vossler** — *The Spirit of Languag... lization*
8. **Joshua What mough** — *Language a Modern S...*
9. **Mario A, Pei** — 1. *The Story of Lan...* 2. *Language for Ev...*
10. **Otto Jesperson** — 1. *Language.* 2. *Mankind Nation ... vidual form a ... point of view.*
11. **Edward Sapir,** — *Language.*
12. **J. B. Csroll** — *The Study of La...*
13. **Ballard** — *Mother Tongue.*

2. द्राविड़ भाषा परिवार—इसके अन्तर्गत तमिल, तेलगु कन्नड़ और मलयालम 4—भाषाएँ आ जाती हैं। मद्रास राज्य में तमिल आंध्र मे तेलुगु, केरल तथा पश्चिमी तट पर मलयालम और वर्तमान मैसूर राज्य मे कन्नड़ बोली जाती है। ये सभी भाषाएँ उस प्राचीन द्रविड भाषा से निकली है, जो आर्यों के उत्तरी भारत में बसने से पहले यहां के मूल-निवासी द्रविड़ों की भाषा थी। उत्तरी भारत मे भी द्राविड भाषाओं की कतिपय अवशेष विद्यमान है, जैसे मध्य प्रदेश मे गोंडी।

3. आस्ट्री भाषा परिवार— आस्ट्री परिवार मे सथाली, मुण्डा, मुण्डारी, खासी और ऐसी ही बोलियां हैं जिनको छोटा नागपुर और मध्यप्रदेश के जगलों के आदिवासी बोलते हैं। इनका सम्बन्ध भारत की अन्य भाषाओं के साथ न होकर एशिया के दक्षिण-पूर्वीय द्वीपो की भाषाओं के साथ है।

4. तिब्बत चीनी परिवार—भारत की उत्तरी सीमा पर नेपाल, आसाम और लुशाई पहाड़ियों के आस-पास तथा मनीपुर में जो भाषाएँ बोली जाती हैं, उनका सम्बन्ध तिब्बती और चीनी भाषाओं के साथ है। वास्तव में ये भाषाएँ नहीं बोलिया हैं, जिनकी सख्या ११६ है। ये केवल थोड़े से आदिवासियो की बोलिया हैं।

इन चारो भाषा परिवारों मे आर्य और द्राविड परिवार प्रधान है। शेष दो परिवारो की भाषाए बोलने वालों की सख्या २% जनसख्या से भी कम है। ७३% भारतवासी आर्य भाषाए बोलते हैं और २५% द्राविड भाषाए। चौदह करोड़ भारतवासियो की मातृ-भाषा हिन्दी है। नौ करोड और जन उसका व्यावहारिक प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर 23 करोड जनता हिन्दी से परिचित है और उसका व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। उत्तरी भारत मे यह प्रत्येक स्थान मे समझी जाती है। उत्तरी भारत की शेष भाषाएं आर्य भाषा परिवार की होने के कारण हिन्दी के बहुत ही निकट हैं। बहुत से प्रदेशों मे जैसे पजाब, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश और बम्बई मे लोग दो भाषाएं बोलते है, एक मातृभाषा और दूसरी हिन्दी। इस प्रकार उत्तरी भारत मे हिन्दी प्रमुख बन गई है। परन्तु दक्षिणी भारत में जहा की द्राविड भाषाए आर्य भाषा से भिन्न होकर हिन्दी के निकट नहीं हैं, हिन्दी का प्रयोग न्यून है। किन्तु कालान्तर मे हिन्दी के प्रसार कार्य के फलस्वरूप यहा पर भी हिन्दी मातृ-भाषा के अतिरिक्त दूसरी व्यावहारिक भाषा बन जाएगी। जहा उत्तरी भारत की भाषाए बोलने वाले २३ करोड़ लोग उनको अपना रहे हैं, वहां देश की एकता के लिए शेष भारतवासियो को भी हिन्दी सीखनी पड़ेगी। भारत मे अनेक प्रादेशिक भाषाओं के होते हुए राष्ट्र भाषा की अत्यन्त आवश्यकता है जो समस्त देश को, सभी देशवासियो को एक सूत्र मे बाध ले। इस कार्य के लिए हिन्दी ही समर्थ है। जनसंख्या की दृष्टि से यही प्रधान है। फलत. हिन्दी शिक्षा का प्रसार भारत के कोने-कोने में होना चाहिए। कहीं पर मातृ-भाषा के रूप में

पर राष्ट्र-भाषा के रूप मे।[1]

§ 10 ससार की भाषाओं में हिन्दी का स्थान—

हिन्दी भारतीय भाषाओं मे ही प्रधान नहीं। ससार की भाषाओं मे इसकी प्रतिष्ठा ऊँची हैं। कुल मिलाकर ससार की १०६ भाषाएं हैं। जनसख्या की दृष्टि से सब से अधिक बोली जाने वाली भाषाओं मे हिन्दी को तीसरा दर्जा प्राप्त है।[2] सर्व प्रथम चीनी भाषा आ जाती है, जिसके बोलने वाले ४५ करोड से भी अधिक हैं, द्वितीय अग्रेजी भाषा है, जिसका प्रयोग २५ करोड व्यक्तियों में होता है और उसके उपरान्त हिन्दी का नाम आता है जो १४ करोड भारतवासियों की मातृ-भाषा है और जिसे

1 १९६१ की जनगणना के अनुसार प्रादेशिक भाषाओं की तुलना निम्न है :-

भाषा	बोलने वालो की सख्या	समस्त भारतीय जनसख्या प्रतिशत
१ हिन्दी	१३,३४,३५,०००	३०·४
२ तेलगू	३,७६,६८,०००	८ ६
३ बगला	३,३८,८६,०००	७ ७
४ मराठी	३,३२,८७,०००	७ ६
५ तमिल	३,०५,६३,०००	७ ०
६. उर्दू	२,३३,२३,०००	५ ३
७ गुजराती	२,०३,०५,०००	४ ६
८ कनड	१,७४,१६,०००	४·०
९ मलयालम	१,७०,१६,०००	३·९
१०. उडिया	१,५७,१६,०००	३·६
११ पजाबी	१,०६,५१,०००	२ ५
१२ आसामी	६८,०३,०००	१·६
१३ कश्मीरी	१९,५६,०००	० ४
१४ सस्कृत	३०००	०
१५ अन्य उपभाषाएँ	५,६६,०३,०००	१२ ८
जोड	४३,८६,३७,०००	१००

2. चीनी—४५ करोड अग्रेजी—25 करोड
हिन्दी—१४ करोड रूसी—१४ करोड
स्पेनी—११ करोड जर्मन—१० करोड

६ करोड़ और भारतवासी परिचित हैं। स्वाधीनता के उपरान्त भारत समाज के स्वतन्त्र राष्ट्रों में तथा राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर चुका है। भारतीय राष्ट्र भाषा हिन्दी का प्रयोग भी रूस, अमेरिका, योरोप के राज्यों, चीन आदि प्रमुख देशों में बढ़ रहा है। विदेशी साहित्य का अनुवाद हिन्दी में हो रहा है, हिन्दी साहित्य का अनुवाद विदेशी भाषाओं में हो रहा है। हिन्दी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और रूस के विभिन्न विश्वविद्यालयों में किया जा रहा। सोवियत रूस की माध्यमिक शालाओं में भी हिन्दी की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध है। तुलसी साहित्य, प्रेमचन्द साहित्य और हिन्दी के प्रमुख ग्रन्थों का रूसी अनुवाद भी हो चुका है। भारतवासियों के साथ निकटतम सम्पर्क स्थापित करने के लिए विदेशियों का यह कदम प्रशंसनीय है। राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक और साहित्यिक दृष्टि से विचार करने पर हिन्दी अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने की अधिकारिणी है।

§ 11. हिन्दी के तीन रूप—

मातृ-भाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्र भाषा

संक्षेप में हिन्दी भाषा की स्थिति निम्न है

१. मातृ भाषा के रूप में—यू० पी०, मध्यप्रदेश, और हरियाना पूर्वी पंजाब में हिन्दी मातृ-भाषा है। इन प्रदेशों में प्रारम्भिक श्रेणियों में प्रविष्ट होने वाला बालक हिन्दी से पहले ही परिचित होता है। शिक्षक वहां बोल-चाल की भाषा सिखाने की अपेक्षा लिपिज्ञान से ही भाषा शिक्षण आरम्भ करता है। 1961 के भारतीय भाषायी सर्वेक्षण के अनुसार हिन्दी 14 करोड़ अथवा 30 प्रतिशत जनता की मातृ-भाषा है।

2. प्रादेशिक भाषा के रूप में—कई स्थानों या प्रान्तों में हिन्दी मातृ-भाषा न होकर प्रादेशिक भाषा है। पंजाब में पंजाबी और हिन्दी, दोनों भाषाएँ, प्रादेशिक भाषाएँ घोषित हो चुकी हैं परन्तु पंजाबी बोलने वालों के लिए यह भाषा उतनी सुगम नहीं जितनी उनकी मातृ-भाषा पंजाबी है। मध्यप्रदेश में मराठी बोलने वालों को भी यही कठिनाई है। जिस विद्यालय में पंजाबी बोलने वाले भी हों और हिन्दी बोलने वाले भी, वहां शिक्षक हिन्दी का समान स्तर नहीं रखता। क्योंकि दोनों की पढ़ाई के अलग उद्देश्य और अलग स्तर होंगे। इसी प्रकार राजस्थान में भी हिन्दी ही प्रादेशिक भाषा है। वर्तमान बम्बई राज्य में मराठी और गुजराती दो प्रादेशिक भाषाएँ हैं परन्तु विद्यालयों में पांचवी श्रेणी से हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती है। बिहार की प्रादेशिक भाषा वैसे तो बिहारी है, परन्तु वहाँ भी हिन्दी [illegible]

(3) मातृ-भाषा और भावात्मक विकास—प्रत्येक बालक अपने माता पिता, भाई-बहिन और सगी-सबन्धियों के संसर्ग द्वारा अपनी मातृ-भाषा के साथ भावात्मक सबन्ध जोड़ता है। भाषा-साम्य एक वर्ग है सदस्यों को बाल्य जीवन के अतिरिक्त युवावस्था में भी परस्पर सगठित करने में आवश्यक भाग लेता है। हृदय के अन्तस्तल में माता मातृ-भाषा और मातृ-भूमि के प्रति चिरथाई अनुराग रहता है।[1] एक ऐसे वातावरण में जहाँ बालक अपनी मातृ-भाषा का स्वच्छन्द रूप में प्रयोग करता है, वहा वह अपने आप को सुखी पाता है और वह दूसरों के साहचर्य से आनन्द लाभ उठाता है।

मातृ-भाषा में लोक-गीत और काव्य साहित्य के रूप में सुख-दुःख, आशा-निराशा, हर्ष विषाद, भय-क्रोध, रोचकता-अरोचकता आदि जन-जीवन के रागात्मक पहलू का चित्रण मिलता है, जिसके रसास्वादन से पाठक को अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है।

(4) मातृ-भाषा और सामाजिक विकास— प्रत्येक बालक एक सामाजिक वातावरण में जन्म लेता है। मातृभाषा उस वातावरण का एक प्रमुख भाग और साधन है। इस प्रकार भाषा की शिक्षा उस समूची प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण भाग है जिसके द्वारा वह सामाजिक और सास्कृतिक वातावरण के प्रभाव को आत्मसात् कर लेता है। यह बालक के प्राथमिक मक्लपना या परिष्कार करती है, समाज के आदर्शों के अनुसार आदतों के विकास में सहायक बनती है और साथ ही उसे समाज का योग्य सदस्य बनने में सहायता प्रदान करती है। अपने सामाजिक क्षेत्र में उस से यह आशा की जाती है कि वह बोलने-चालने सोचने-समझने और दूसरों के साथ व्यवहार करने में समुचित ढग अपनाये। इस कारण से एक शिक्षित व्यक्ति ही जो बोलने, पढने और लिखने अभ्यस्त हो, समाज में उचित स्थान प्राप्त कर सकता है। निरक्षरता न केवल निरक्षर व्यक्ति के लिए अभिशाप है, जनतन्त्रात्मक समाज के लिए भी व्याधि है जिस में प्रत्येक प्रौढ सामाजिक को अपने अधिकार और कर्त्तव्य समझना आवश्यक है प्राथमिक सामाजिक विकास घर पर ही सम्पन्न होता है, और तदुपरात स्कूल में। घर से निकल कर स्कूल जाने पर बालक को जो बेचैनी होती है उसको दूर करने के लिए कोई न कोई साधन चाहिए। स्कूल के वातावरण के साथ रम जाने में जो कठिनाई होती है उस को दूर करने का प्रथम साधन मातृ-भाषा है जो घर और स्कूल दोनों में समान है। स्कूल के वातावरण में मातृभाषा से भिन्न भाषा का एकमात्र प्रयोग बालक के लिए अशान्ति और चिन्ता का कारण बन जाता है। मातृभाषा द्वारा ही घर के वातावरण से स्कूल के

[1] जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे
निज भाषा उन्नति है सब उन्नति की मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल॥

बृहद् वातावरण में सुगम समाजिक सम्भव है। आगे चल कर स्कूल के सामाजिक वातावर में प्रवेश करने में भी यही काम आती है।

(5) मातृभाषा और शैक्षणिक विकास – प्राय घर और स्कूल में दी जाने वा शिक्षा के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है। ऐसे माध्यम के रूप में स्थान मातृभाषा ही ले सकती है यह अन्य भाषा नहीं ले सकती। क्यूं कि सभी विषय मा भाषा के द्वारा ही सुगम रीति से पढ़ाये जा सकते है, मातृ भाषा के ज्ञान में किसी प्रकार की कमी विभिन्न विषयों की शिक्षा में रुकावट पैदा करती है। विभिन्न विषयों समझने के लिए एक निश्चित विस्तार की शब्दावली ग्रहण-शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति चाहिए, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने, पाठ्य-विषय को समझने, विचारों को अभिव्यक्त करने तथा व्यवस्थित करने के लिए मातृभाषा का समुचित ज्ञान चाहिए। नहीं त बौद्धिक और शैक्षणिक विकास में त्रुटियां रहेंगी।

कविता पाठ भावनाओं के विकास में सहायक है। बोलचाल की शिष्ठता, मधुरत और प्रभाव पर ध्यान देना आवश्यक है। मनोविनोद के लिए मातृभाषा में लिखी ग कथा कहानियां नाटक आदि पर्याप्त है। रचनात्मक कार्य के लिए भाषा-रचना एक उत्तम माध्यम है। इसी प्रकार उत्सुकता की तृप्ति के लिए बाल साहित्य और किशोर साहित्य महत्वपूर्ण है।

(६) दैनिक व्यवहार– भाषा या मातृभाषा के ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति असभ्य, जगली और पशु कहलाएगा। घर के भीतर या बाहर, बाजार में, यात्रा में, सभाओं में एवं बृहद् समाज में भाषा के प्रयोग के बिना व्यवहार असम्भव है। मानव सामाजिक प्राणी है। सामाजिक कार्यों में विचारों के आदान-प्रदान की आवश्यकता है। भाषा के प्रयोग के बिना विचारों का आदान-प्रदान असम्भव है। आजकल के जटिल जीवन में मातृ-भाषा का मौखिक प्रयोग ही पर्याप्त नहीं। साक्षरता के बिना गुजारा नहीं हो सकता। एक निरक्षर व्यक्ति न पत्र व्यवहार कर सकता है, न समाचार पत्र पढ़ सकता है, न विद्या ग्रहण कर सकता है और न ही सामाजिक कार्यों में भाग ले सकता है।[1]

(७) ज्ञानोपार्जन का साधन– मातृ-भाषा घर में, विद्यालय में, अपने गांव या नगर में ज्ञानोपार्जन का प्रमुख साधन है। शिशु ही नहीं प्रौढ़ भी भाषा के द्वारा ही

---

1. भाषायैव [illegible] लोकयात्रा प्रवर्तते, (वाक्यपदीय ११३—४)।
[illegible] में भी कहा गया है "वाचं सर्वान् कामान् दुहे" (१।३।२),
अर्थात् भाषा ही [illegible] की पूर्ति करती है।
[illegible]
[illegible] —महाभाष्य

अपने निकटतम वातावरण सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करता है । कालांतर में प्रौढ़ शिक्षित देश विदेश की वार्ताएं पढ़ कर, इतिहास, भूगोल समाज शास्त्र, विज्ञान, साहित्य आदि विषयों के सम्बन्ध में पुस्तकें पढ़कर मातृ-भाषा को ज्ञानोपार्जन का प्रथम माध्यम बना लेता है। विद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षाओं में गणित, दैनिक विज्ञान, समाज शिक्षा आदि सभी विषय मातृ-भाषा द्वारा ही पढ़ाए जाते हैं ।

(ङ) सांस्कृतिक महत्ता—मातृ-भाषा और उसका साहित्य अपनी जातीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है, उसका संरक्षण करता है और साथ ही जाति के सदस्यों के संगठन का साधन बन जाता है। मातृ-भाषा सामाजिक सदस्यों के लिए परस्पर मिलाने वाली शृंखला है। एक ही भाषा बोलने वालों के बीच प्रेम, साहचर्य, सद्भावना, सहानुभूति और सहकारिता उत्पन्न करने के लिए मातृ-भाषा उत्तरदायी है। मातृ-भाषा में लिखा हुआ साहित्य अपने समाज का दर्पण है। समाज की मान्यताएं, रीति-रिवाज, आदर्श, कला आदि को समझने के लिए मातृ-भाषा के साहित्य का अध्ययन अपेक्षित है। वास्तव में मातृ भाषा ही साहित्य और कला की प्रगति का आधार है। सभी प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि कौलरिज ने कहा है—'मातृ-भाषा हृदय के स्पंदन की भाषा है।[1] यदि कोई जाति जीवित रह सकती है, तो उस जाति की भाषा के साहित्य द्वारा ।

§ 13. (च) अन्य भाषा तथा राष्ट्र भाषा के रूप में

भारत के जिन प्रदेशों में हिन्दी मातृ-भाषा नहीं है, वहां पर हिन्दी राष्ट्र भाषा होने के नाते इतर भाषा (Second Language) के रूप में पढ़ाई जायेगी। भारत की चौदह प्रादेशिक भाषाओं में हिन्दी एक है।[2] परन्तु हमारे संविधान के अनुसार यह समस्त भारत की राजकीय भाषा या राष्ट्र भाषा घोषित हो चुकी है। भारतीय गणराज्य के प्रशासन कार्य में यह भाषा केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकार के बीच सचारण में प्रयुक्त होगी, साहित्य भाषा, जनसंख्या आदि कितने ही दृष्टिकोणों से हिन्दी ही इस गौरवान्वित पद की अधिकारिणी है। संक्षेप में राष्ट्र-भाषा के नाते हिन्दी की महत्ता निम्न है :—

---

1. Mother tongue is the language of the pulasting heart of man" .Coleridge

2 प्रादेशिक भाषाएं निम्न हैं आसामी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी उड़िया, पंजाबी, [illegible] और उर्दू ।
भारतीय संविधान, आठवीं अनुसूची ।

सा सर्वविद्या शिल्पानां कलानां चोपबन्धनी ।
तद्वशादभिनिष्पन्नं सर्वं वस्तु विभज्यते ॥

(१) प्रशासनिक महत्ता — हिन्दी राजकीय प्रशासन का माध्यम बनती जा रही है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे क्रमशः हिन्दी ले रही है और हिन्दी का प्रसार भी तीव्र गति से सारे राजकीय कार्यों में अंग्रेजी का स्थान ले रहा है।

(२) राजनैतिक महत्ता — राष्ट्र भाषा होने के नाते हिन्दी भारत की सभी राजनैतिक इकाइयों (अथवा राज्यों) के एकीकरण के लिए एक आवश्यक सूत्र है। इस प्रकार भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने वाली हिन्दी भाषा के बिना भारत की राजनैतिक और सामाजिक एकता स्थिर नहीं रह सकती। भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, धर्म, जाति, खानपान आदि की विभिन्नता होने पर भी भारत के प्रत्येक प्रान्त को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए और एकीकरण करने के लिए अंग्रेजी न तो काम दिया नहीं कार्य करने की क्षमता हिन्दी भाषा ही रखती है। इस से भावात्मक एकता (Emotional Integration) का सशक्त साधन राष्ट्र भाषा हिन्दी है। अब प्रत्येक भारतवासी के लिए मातृ भाषा के अतिरिक्त हिन्दी का व्यावहारिक प्रयोग अपेक्षित है। अपने प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों में हिन्दी ही काम आ सकती है, अपनी मातृभाषा नहीं। बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी आदि हिन्दी के द्वारा ही एक दूसरे के साथ मेल जोल रख सकते हैं। भाषाओं की विविधता में प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता की सीमाओं को तोड़ने के लिए एक सामान्य भाषा अपेक्षित है। 'एक राष्ट्र-एक भाषा' का सिद्धान्त सर्वमान्य है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हिन्दी ही हमारा प्रतिनिधित्व कर सकती है।

(३) सांस्कृतिक महत्ता — हिन्दी हमारी सांस्कृतिक भाषा है। हमारी सांस्कृतिक भाषा संस्कृत से जन्मी होने के कारण यह भारतीय साहित्य और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। हिन्दी साहित्य भारतीय संस्कृति का दर्पण है। हमारा दर्शन, आदर्श, विचार-धाराएं, मान्यताएं, भावनाएं, रीति-रिवाज, धार्मिकता, आध्यात्मिकता—संक्षेप में भारतीय संस्कृति का सब कुछ हिन्दी साहित्य में प्रतिबिंबित है। मीरा, सूर तुलसी, प्रसाद, महादेवी आदि हमारे जातीय धर्म के चितेरे हैं। अपनी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि हम संस्कृत साहित्य का अध्ययन न कर सकें तो हिन्दी साहित्य का अध्ययन नितांत आवश्यक होगा।

(४) व्यावसायिक महत्ता—राष्ट्र-भाषा होने के नाते हिन्दी कितने ही नये व्यवसायों के लिए अवसर प्रदान करती है। हिन्दी भाषा में सम्पादन, पत्रकारिता, अनुवाद अनुसंधान, अध्यापन, आशुलिपिकला (Stenography) आदि कितने ही नए व्यवसायों का दिन-प्रति दिन प्रसार हो रहा है। राजकीय नौकरियों के लिए भी हिन्दी वालों के लिए अधिक सुअवसर है।

(५) भाषा विषयक महत्ता—मातृ-भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का ज्ञान

रखने वाली की अन्तर्निहित भाषा-शक्तियों के विकास में वृद्धि होती है। अपनी भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा के ज्ञान से भाषा सीखने की शक्ति में, भाषा के रूप और संगठन के समझने में, भाषा के शुद्ध व्यवहार में, आत्माभिव्यक्ति में, बोलने और लिखने के अभ्यास में सहायता मिलती है। किसी सीमा तक एक भाषा के प्रशिक्षण का स्थानान्तरण (Transfer of training) दूसरी भाषा में हो जाता है। दूसरी भाषा के ज्ञान से अपनी भाषा के ज्ञान में भी स्थिरता और दृढ़ता आ जाती है। भाषाओं के आदान-प्रदान से भाव-प्रकाशन के नए ढंगों का ज्ञान हो जाता है। अपनी मातृ-भाषा के प्रयोग में हिन्दी भाषा से बहुत कुछ सीखना होगा। सीखना होगा—नया वाक्य विन्यास, नई शब्दावली, नए मुहावरे और सूक्तियां, नई शैलियां, शब्दों के नए रूप और नए भाव।[1]

(६) साहित्यिक महत्ता—मातृ-भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का अध्ययन विशेषतः हिन्दी साहित्य के लिए किया जा सकता है। मातृ-भाषा के साहित्य के अध्ययन से जो आनन्द प्राप्त होता है वह सीमित ही है। दूसरी भाषा के साहित्य के अध्ययन से आनन्द का क्षेत्र दुगना बन जाता है। दूसरी भाषा के साहित्य के अनुवाद के बदले मूल पढ़ने का सुअवसर प्राप्त होता है और साहित्यिक ज्ञान की वृद्धि हो जाती है।

मातृ-भाषा और राष्ट्र भाषा के अतिरिक्त विदेशी भाषा के रूप में भी हिन्दी अपनी महत्ता रखती है। भारत से बाहर के देशों के लिए हिन्दी एक विदेशी भाषा है। भारतवासियों के साथ निकटतम सम्पर्क रखने के लिए भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए, भारत की यात्रा करने के लिए, भारतीय साहित्य में आनन्द प्राप्त करने के लिए तथा अनेक राजनीतिक और सामाजिक कारणों से विदेश-वासियों को हिन्दी भाषा का विदेशी भाषा के रूप में (As a foreign language) अध्ययन करना होगा। बहुत से विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था चालू हो चुकी है।

---

(१) व्यवहारिक योग्यता पैदा करना—

इसके भी दो पहलू हैं—(क) ग्रहण (reception) और अभिव्यक्ति (expression)।

1 The study of the language other than the mother tongue requires the learner to compare and to discriminate, thus training the analytic and reflective faculties. ... It gives him a new insight into the possible resources of expression cultivate precision of thought and expression ..... -20th Century Modern Language Teaching.

हिन्दी की शिक्षा के उद्देश्य

§ 14 (क) मातृ भाषा के रूप में

भाषा शिक्षण के उद्देश्य पीछे वर्णित है। मातृ भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के वे ही उद्देश्य है। अर्थात् हिन्दी पढाते हुए शिक्षक का यह प्रयत्न होना है कि शिक्षार्थी दूसरों के विचारों को सुनने और पढ़ने के द्वारा ग्रहण करने की, तथा अपने विचारों को बोलने और लिखने द्वारा व्यक्त करने की शक्ति पैदा करे और इस प्रकार व्यवहारिक योग्यता प्राप्त करे। इतना ही नहीं, शिक्षार्थी अपने विचारों को प्रकट करने लिए प्रभावोत्पादक भाषा शैली का अवलम्बन करे। इस प्रकार उसकी अभिव्यक्ति की शक्ति (power of expression) की वृद्धि हो।

संक्षेप में मातृभाषा की शिक्षा के निम्न उद्देश्य (objectives) हैं :—

(क) भाषा-सम्बन्धी ग्रहण-शक्ति में निम्न योग्यताएँ या शिक्षानुभव (learning experiences) सम्मिलित हैं :—

(i) मौखिक भाषा को सुनने और समझने की योग्यता।

(ii) लिखित भाषा को पढने और अर्थबोध करने की योग्यता।

(iii) सामान्य गति के साथ अर्थ सहित मौन वाचन करने की योग्यता।

(iv) नई शब्दावली ग्रहण करने की योग्यता।

(ख) भाषा सम्बन्धी अभिव्यक्ति शक्ति में निम्न योग्यताएँ शामिल है :—

(i) सरल, स्पष्ट और शुद्ध शब्दों तथा शुद्ध उच्चारण के साथ में प्रवाह-पूर्ण रीति से भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता।

(ii) अनुभव की हुई बातों और ग्रहण किए हुए विचारों को दूसरे के सामने प्रभावोत्पादक शैली में अभिव्यक्त करने की योग्यता।

(iii) दूसरों के साथ वार्तालाप करने की योग्यता और उनके सामने भाषण देने की योग्यता।

(iv) अपने सामान्य विचारों को लिखित भाषा में सुलेख के साथ व्यक्त करने की योग्यता।

(v) दैनिक व्यवहार में लिखित भाषा के प्रयोग करने की योग्यता, जैसे तार लिखना, मनीआर्डर भेजना पत्र-व्यवहार करना, प्रार्थना पत्र लिखना, रसीद लिखना, आय व्यय का हिसाब लिखना आदि।

2. ज्ञानार्जन की योग्यता पैदा करना—

इस में निम्न योग्यताएँ शामिल हैं :—

(i) ज्ञान, विज्ञान तथा साहित्य की पुस्तकें पढ़कर नये विचार ग्रहण करने की योग्यता।

(ii) मनन और तर्क-वितर्क करने की योग्यता।

(iii) पाठ्य सामग्री की नीर-क्षीर विवेक के साथ आलोचना करने की क्षमता।

(iv) प्रकरण पुस्तकों का उपयोग करने की योग्यता।

3. साहित्य से मनो विनोद प्राप्त करने की योग्यता पैदा करना। अर्थात् अवकाश के समय का सदुपयोग करने के निमित्त स्वाध्याय करने की योग्यता पैदा करना।

4. सौंदर्यानुभूति (Aesthetic experience) प्राप्त करने की योग्यता पैदा करना—

इस में निम्न योग्यताएँ शामिल हैं-

(i) काव्य सौंदर्य से प्रभावित होकर कविता के प्रति रुचि।

(ii) कवि की अनुभूतियों को ग्रहण करने की शक्ति।

(iii) काव्यानन्द का रसास्वादन करने की योग्यता।

(iv) काव्य के सौंदर्य को परखने की योग्यता।

(v) सात्विक भावनाओं और रागात्मक प्रवृत्तियों का उद्बोधन और मनोभावों का परिष्कार।

5. रचनात्मक अभिव्यञ्जन की योग्यता पैदा करना—

इस के अन्तर्गत भी भिन्न बातें आती हैं —

(i) अपने मौलिक विचारों और भावनाओं को कलात्मक ढंग से मौखिक या लिखित भाषा में व्यक्त करना।

(ii) कविता, कहानी नाटक, उपन्यास, निबन्ध आदि की रचना करना।

(iii) लेख, समाचार, संस्मरण, रिपोर्ट, विवरण, अनुवाद का सम्पादन करना।

(iv) ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों की रचना करना।

प्रधानतया भाषा-शिक्षण के तीन अंग हैं—

1. बोल चाल (सुनना और बोलना)।

2. वाचन (पढ़ना और समझना)।

3. रचना (लिखने और लिखित भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करना)।

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसार भाषा शिक्षण के विभिन्न अंग हैं। ग्रहण (reception) के अन्तर्गत श्रवण और वाचन आ जाते हैं। अभिव्यक्ति में बोल-चाल उच्चारण, लिपि और सामान्य रचना सम्मिलित हैं। सामान्य रचना के लिए शुद्ध अक्षर विन्यास और व्याकरण का ज्ञान अपेक्षित है। ज्ञानार्जन के लिए स्वाध्याय और द्रुतपाठ की आवश्यकता है। मनोविनोद के लिए भी स्वाध्याय चाहिए। सौंदर्यानुभूति के लिए कविता पाठ की आवश्यकता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति रचना के निरंतर अभ्यास से बढ़ती है। इस प्रकार पांच प्रधान उद्देश्यों के अनुसार भाषा के [illegible] साथ के पृष्ठ पर दी हुई तालिका द्वारा स्पष्ट किए जाते।

अगले अध्यायों में भाषा के इन सभी अंगों की व्याख्या की जायगी। इनमें श्रवण बोल-चाल में ही सम्मिलित है।

सरल रचना को रचना की प्रारम्भिक अवस्था समझना चाहिए। इस प्रकार कुल मिलाकर भाषा के 9 प्रमुख अंग हैं—

बोल-चाल, उच्चारण, वाचन, लिपि, अक्षर विन्यास, रचना, व्याकरण, कविता और द्रुतपाठ।

जूनियर बेसिक की विभिन्न कक्षाओं के लिए पंजाब शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम

पहली श्रेणी

मौखिक अभिव्यक्ति :—(क) अपने अनुभव के विषय तथा स्कूल घर अड़ोस पड़ोस के क्रिया कलाप के सम्बन्ध में बातचीत करने की योग्यता।

(ख) किसी चित्र को देखना और उसके विषय में कुछ कहना।

(ग) छोटी छोटी कहानियां कहना।

(घ) बच्चों के काम धन्धे के सम्बन्ध में कहानियों या झांकियों का अभिनय करना।

(ङ) अकेले या इकट्ठे मिल कर साथ पढ़ना, लोरियों के गीत गाना या सरल कविताएँ सुनाना, या साधारण जनता के रोचक गाने गाना।

पढ़ना :—सरल संक्षिप्त वाक्यों का पढ़ना जिनका सम्बन्ध स्कूल के जीवन से हो यथा सिर, बाल, माथा, दूध, खीर, हलवा, कोट, फराक, मारना, छोड़ना, गिरना, इत्यादि।

लिखना :—श्यामपट पर पहले पढ़े हुए शब्दों और वाक्यों को कापी पर उतारना शब्दों की बनावट और उसकी रचना पर प्रारम्भ से ही ध्यान देना। जो कुछ लिखना सुलेख लिखना।

दूसरी श्रेणी

मौखिक विवरण शक्ति और अधिक विकसित की जाए। बालकों में इतनी योग्यता आ जानी चाहिए कि इस सहज रूप से स्पष्टता और पूर्णतया अपने स्कूल, घर और अड़ोस पड़ोस के अनुभवों में आने वाली वस्तुओं और पदार्थों तथा योगों और घटनाओं का वर्णन कर सकें।

पढ़ना :—शब्द भण्डार की वृद्धि। कुछ नये शब्दों यथा कृपण, अवगुण, सिगनल, रसोई, खिलौना, सफाई, सुन्दर घोंसला इत्यादि का ज्ञान।

पाठ्य पुस्तक तथा एक या दो उसी योग्यता और उसी शब्द भण्डार वाली सरल पुस्तकें स्वतन्त्र रूप में समझते हुए और शुद्ध रूप से आनन्द लेते हुए ऊँचा पढ़ना।

मौन रूप से पढ़ने में अभ्यास कराना जिससे पढ़ने में उत्तरोत्तर क्रमानुसार बुद्धिपूर्वक तीव्रता और समझने की योग्यता आ सके।

लिखना :—बच्चों में इतनी योग्यता आ जानी चाहिए कि वे कुछ छोटे-छोटे और सरल वाक्य अपने काम धन्धों के सम्बन्ध में लिख सकें। वर्ष के अन्त में उन्हें दैनिक श्रुत लिखने की योग्यता आ जानी चाहिए। पहले पढ़े हुए अवतरणों को देखकर कापी में उतारना या श्रुत लेख द्वारा लिखना। लेखन कार्य में शब्दों की शुद्ध रचना पर ध्यान देना।

तीसरी श्रेणी

पढ़ना:—(क) शब्द भण्डार में वृद्धि।

(ख) सरल पुस्तक पढ़ना।

(ग) स्पष्ट शुद्ध उच्चारण और अभिव्यक्ति का ध्यान रखते हुए ज़ोर से ऊंची आवाज़ में पढ़ना।

(घ) मौन पढ़ना (समझते हुए और अधिक तीव्रता से)।

(ङ) मौखिक पढ़ना और अभिनय करना, कविताएं याद करना।

आत्माभिव्यक्ति—

1. मौखिक—दूसरे विद्यार्थियों से श्रेणी के काम धन्धे प्रस्तुत करते समय स्वतन्त्र रूप से बात करना और उत्तर देना। कहानियां कथाएं, तथा सरल पहेलियां कहना।

2. लिखना :—

(क) सरल प्रश्नों का उत्तर देना।

(ख) श्रेणी के काम धन्धों से सम्बन्धित विषयों का संक्षिप्त वर्णन।

(ग) दैनिक रोज़नामचा रखना।

(घ) सरल चिट्ठियां और प्रार्थना पत्र।

(ङ) छोटे छोटे अनुच्छेदों को श्रुत लेख द्वारा लिखना।

चौथी श्रेणी

पढ़ना—(क) स्कूल कार्य से सम्बन्धित पुस्तकें पढ़ना।

(ख) बालोपयोगी समाचार पत्र पढ़ना।

(ग) सर्व साधारण पुस्तकें और कहानियों की पुस्तकें पढ़ना।

(घ) कम से कम चार कविताएं याद करना।

आत्माभिव्यक्ति :—

(क) मौखिक :—

(1) वर्ग रूप में वाद विवाद।

2 किये गये कार्य का मौखिक वर्णन।

3. स्कूल समाज और श्रेणी में दिए हुए विषयों पर संक्षिप्त वक्तृताएं करना।

लिखना :—बच्चों में इतनी योग्यता आ जानी चाहिए कि वे कुछ छोटे-छोटे अं रल वाक्य अपने काम धन्धों के सम्बन्ध में लिख सकें। वर्ष के अन्त में उन्हें दैनि त लिखने की योग्यता आ जानी चाहिए। पहले पढ़े हुए अवतरणों को देखकर काफी तारना या श्रुत लेख द्वारा लिखना। लेखन कार्य में शब्दों की शुद्ध रचना पर ध्य ना।

तीसरी श्रेणी

पढ़ना:—(क) शब्द भण्डार में वृद्धि।

(ख) सरल पुस्तक पढ़ना।

(ग) स्पष्ट शुद्ध उच्चारण और अभिव्यक्ति का ध्यान रखते हुए ज़ोर से ऊ आवाज में पढ़ना।

(घ) मौन पढ़ना (समझते हुए और अधिक तीव्रता से)।

(ङ) मौखिक पढ़ना और अभिनय करना, कविताएं याद करना।

आत्माभिव्यक्ति—

1 मौखिक—दूसरे विद्यार्थियों से श्रेणी के काम धन्धे प्रस्तुत करते सम स्वतन्त्र रूप से बात करना और उत्तर देना। कहानियां बताना, तथा सरल पहेलि कहना।

2. लिखना —

(क) सरल प्रश्नों का उत्तर देना।

(ख) श्रेणी के काम धन्धों से सम्बन्धित विषयों का संक्षिप्त वर्णन।

(ग) दैनिक रोज़नामचा रखना।

(घ) सरल चिट्ठियां और प्रार्थना पत्र।

(ङ) छोटे छोटे अनुच्छेदों को श्रुत लेख द्वारा लिखना।

चौथी श्रेणी

पढ़ना—(क) स्कूल कार्य से सम्बन्धित पुस्तकें पढ़ना।

(ख) बालोपयोगी समाचार पत्र पढ़ना।

(ग) सर्व साधारण पुस्तकें और कहानियों की पुस्तकें पढ़ना।

(घ) कम से कम चार कविताएं याद करना।

आत्माभिव्यक्ति :—

(क) मौखिक :—

(1) वर्ग रूप में वाद विवाद।

2 किये गये कार्य का मौखिक वर्णन।

3. स्कूल समाज और श्रेणी में लिए हुए विशेष विषय पर संक्षिप्त वक्तृताएं करना।

(ख) लिखना—1 स्कूल के काम काज का संक्षिप्त वर्णन।
2 सरल चिट्ठियाँ और प्रार्थना-पत्र लिखना।
3 दैनिक रोजनामचा और मासिक कार्यक्रम का ब्योरा रखना।
4 साप्ताहिक बैठकों के लिए उचित विषयों पर लिखना।
5 श्रुत लेख।

पाँचवीं श्रेणी

पढ़ाई—1 स्कूल के पुस्तकालय में अध्यापक की अध्यक्षता में सर्व-साधारण पढ़ना।

2 बालोपयोगी पत्रिकाएं तथा हितकारी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत साहित्य पढ़ना।

3 अध्यापक बालकों को अभिव्यंजना द्वारा सरल गद्य पद्यात्मक साहित्यक अनुच्छेद पढ़ कर सुनायेगा।

4 कोष, विषय सूची और अनुक्रमणिका का उपयोग।

5. मौन पाठ में उचित तीव्रगति प्राप्त की जाय।

अभिव्यक्ति —

(क) मौखिक—1 सम्पूर्ण किये काम का मौखिक विवरण प्रस्तुत किया जाय।

2. प्रारम्भ करने वाले काम का मौखिक विवरण करना।

3 प्रतिवर्ष कम से कम मातृ-भाषा में एक नाटक का अभिनय प्रस्तुत करना।

(ख) लिखित—1 श्रेणी और स्कूल सम्बन्धी काम का विवरण लिखना और नये काम प्रस्ताव लिख कर करना।

2 सामान्य व्यावहारिक पत्र तथा निमंत्रण पत्र लिखना।

3 दी हुई बातों को क्रम-पूर्वक लिखना।

4 दिन की खबरों का सारांश बनाना।

5 श्रेणी के साप्ताहिक पत्र या अन्य पत्रिका के लिए लिखना।

व्याकरण—1 सरल वाक्यों की बनावट का ज्ञान।

2. शब्दों के मुख्य भेदों का ज्ञान।

3 लिंग और वचन।

4 कारक।

उद्देश्य	भाषा का अंग
1. व्यवहारिक योग्यता	
(क) ग्रहण	1. श्रवण
	2. वाचन
(ख) अभिव्यक्ति	3. बोल-चाल
	4. उच्चारण
	5. लिपि
	6. अक्षर विन्यास
	7. व्याकरण
	8. सरल रचना
2. ज्ञानार्जन	9. द्रुतपाठ, स्वाध्याय या अतिरिक्त पाठ (extra-reading)
3. मनोविनोद	"
4. सौंदर्यानुभूति	10. कविता पाठ
5. रचनात्मक अभिव्यक्ति	11. रचना

भाषा के प्रत्येक अंग को पढ़ाने के लिए दो प्रकार के उद्देश्य हैं—सामान्य उद्देश्य और प्रत्येक सामान्य उद्देश्य के सम्बन्ध में विशेष उद्देश्य। इनका विवरण प्रत्येक अध्याय में अपने अपने स्थान पर दिया जाएगा। प्रत्येक उद्देश्य के अन्तर्गत कई योग्यताएँ या शिक्षानुभव (learning experiences) आ जाते हैं, जिन को सामने रखकर भाषा-शिक्षण की प्रक्रिया तथा शिक्षण विधियां निश्चित की जाती हैं। शिक्षण विधियों को कार्य रूप देने अथवा समुचित ढंग से पढ़ाने के बाद जांच (evaluation) की बारी आती है। शिक्षा-शास्त्रियों का आधुनिकतम विचार यह है कि उद्देश्य (objectives) शिक्षानुभव (learning experiences) और जांच (evaluation) शिक्षा के त्रिकोण की तीन भुजाएँ हैं।

प्रारम्भिक कक्षाओं, माध्यमिक कक्षाओं और उच्च कक्षाओं में भाषा-शिक्षण के उद्देश्य समान होंगे, केवल स्तर (Standard) भिन्न होगा। उदाहरणार्थ प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए जिस पुस्तकालय की कल्पना की जाएगी उस में केवल बालोपयोगी साहित्य होगा, प्रौढ़-साहित्य नहीं। प्रारम्भिक कक्षाओं में बाल गीतों का रसास्वादन किया जाएगा, साहित्य गीतों का नहीं। पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य-क्रम नीचे दिया जाता है।

§ 15 त्रिभाषा सूत्र और हिन्दी

हिन्दी को पाठ्यक्रम में क्या स्थान दिया गया है, इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय परामर्शदाता समिति (Central Advisory Board of Education) की सिफारिश उल्लेखनीय है। समिति ने जो फार्मूला पेश किया है उसको त्रिभाषा-सूत्र (Three language Formula) कहते हैं, क्योंकि उसमें तीन भाषाओं की शिक्षा अनिवार्य की गई है।

प्रथम भाषा—(i) मातृ-भाषा अथवा (ii) प्रादेशिक भाषा अथवा (iii) मातृ-भाषा तथा प्रादेशिक भाषा का संयुक्त पाठ्यक्रम अथवा (iv) सांस्कृतिक भाषा (classical language) और मातृ-भाषा, प्रादेशिक या संयुक्त पाठ्यक्रम है।

द्वितीय भाषा—अंग्रेजी अथवा वर्तमान योरोपीय भाषा

तृतीय-भाषा—(i) अहिन्दी भाषी क्षेत्र के लिए हिन्दी और

(ii) हिन्दी प्रदेश के लिए कोई अन्य वर्तमान भारतीय भाषा।

उपरोक्त सूत्र के अनुसार हिन्दी की स्थिति निम्न है। हिन्दी-भाषी क्षेत्र में हिन्दी मातृ-भाषा के रूप में पढ़ाई जायगी। उत्तर-प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाना में हिन्दी प्रथम भाषा है। दूसरी भाषा अंग्रेजी। तीसरी भाषा के रूप में अन्य वर्तमान भारतीय भाषा होनी चाहिए। परन्तु इस सूत्र का उल्लंघन करके, उस प्रदेश में प्राय संस्कृत ही तृतीय भाषा के रूप में पढाई जा रही है। लेखक इस व्यवस्था से सहमत है, क्योंकि अन्य भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत की पढाई वर्जित नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्कृत हमारी सांस्कृतिक भाषा है समस्त भारतीय भाषाओं की जननी या पोषक है। अत हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का क्रम उपयुक्त है।

अहिन्दी भाषी क्षेत्र में, मातृ भाषा या प्रादेशिक भाषा प्रथम भाषा है, अंग्रेजी द्वितीय और हिन्दी तृतीय। इस प्रकार का त्रिभाषी-सूत्र सर्वमान्य है।

अभी हाल ही में भारतीय शिक्षा आयोग (Indian Education Commission) ने जून 1966 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए इस त्रिभाषी सूत्र में परिवर्तन की सिफारिश की है। इस में आयोग ने द्वितीय भाषा के रूप में अहिन्दी-भाषी क्षेत्र के लिए अंग्रेजी अथवा हिन्दी पढाने का सुझाव दिया है। मगर इस सुझाव में त्रुटि है। अंग्रेजी हिन्दी के लिए अवान्तर भाषा (alternate language) नहीं हो सकती। जो अंग्रेजी पढ़ेंगे, वे हिन्दी से अनभिज्ञ रहेंगे और जो हिन्दी पढ़ेंगे, वे अंग्रेजी से। परन्तु शिक्षा तथा व्यवसाय के लिए दोनों की आवश्यकता है। अत पहला सूत्र ही (किंचित परिवर्तन के साथ) समीचीन है।

§ 15 राष्ट्र भाषा के रूप में—

राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के निम्न उद्देश्य है :—

1. व्यवहारिक उद्देश्य—अहिन्दी-भाषी हिन्दी की शिक्षा पाकर हिन्दी का

व्यवहारिक प्रयोग कर सकें। वे हिन्दी-भाषियों की भाषा सुगमता से समझ सकें और स्वयं हिन्दी के माध्यम से उनके साथ विचार विनिमय कर सकें। लक्ष्य यह है कि हिन्दी का ऐसा देश-व्यापी प्रयोग हो कि केरल से कश्मीर तक, मनीपुर से अमृतसर या पोरबन्दर तक कोई भी व्यक्ति कहीं भी चला जाय उसे चलने फिरने बसने, व्यवहार करने तथा अन्य सामाजिक कार्यों में भाषा-सम्बन्धी कोई भी कठिनाई न हो। उसकी मातृभाषा कुछ भी हो, वह अन्य प्रान्तों में हिन्दी में काम चला सकें।

2 **राजकीय उद्देश्य** भारत की राजनीतिक और सामाजिक एकता का पोषण करने के लिए, स्थिर रखने के लिए तथा चिरस्थाई बनाने के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य है। हिन्दी सीख कर भारतवासी समस्त देश को एक समझें। हिन्दी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हिन्दी शिक्षण का यह प्रमुख उद्देश्य है कि देश की विभिन्न जातियों, धर्मावलम्बियों प्रान्तवासियों, समुदायों और वर्गों में एक भाषा द्वारा भावात्मक एकता राष्ट्र-प्रेम, राष्ट्रीय गौरव, सहकारिता, भ्रातृत्व और बन्धुत्व की वृद्धि हो जिस से समस्त राष्ट्र अधिक सुसंगठित बन जाए और साथ ही आन्तरिक भेद-भाव और संकीर्ण प्रान्तीयता का समूल नाश हो जाए।

3 **प्रशासनिक उद्देश्य**—हिन्दी शिक्षण का प्रशासनिक उद्देश्य यह है कि शिक्षित भारतवासी तथा सरकारी कर्मचारी हिन्दी के प्रयोग में इतने प्रवीण बन जाएं कि देश व्यापी समस्त प्रशासनिक और राजकीय काम अंग्रेजी के बदले हिन्दी के माध्यम से कर सकें। सचिवालय, न्यायालय डाक, रेलवे, सूचना-प्रसार तथा अन्य सभी राजकीय विभागों में हिन्दी का प्रयोग तभी हो सकता है जब कर्मचारी हिन्दी का ज्ञान रखते हों। पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों की ओर से कर्मचारियों के लिए हिन्दी सिखाने का प्रबन्ध होता रहा। वर्तमान कर्मचारियों के लिए इस दिशा में प्रयत्न श्लाघ्य है। परन्तु आने वाले कर्मचारियों की हिन्दी शिक्षा स्कूलों और कालिजों में ही हो सकती है। अतः विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों के लिए हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।

4. **व्यावसायिक उद्देश्य**—जैसा पहले कहा गया है ऐसे कितने ही व्यवसाय हैं जिनके लिए हिन्दी की शिक्षा आवश्यक है, जैसे सरकारी नौकरी सम्पादन, पत्रकारिता, शिक्षण, आशुलिपिकता (Stenography), अनुसंधान, अनुवाद लेखक-व्यवसायी आदि। हिन्दी के प्रचार और प्रसार के साथ राष्ट्रभाषा सम्बन्धी नये व्यवसायों का निर्माण होगा।

5. **साहित्यिक उद्देश्य**— देश में विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं का अपना-अपना साहित्य है, और ऐसे प्रत्येक साहित्य की अपनी विशेषताएँ हैं।

हिन्दी अन्य प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य से बहुत कुछ ग्रहण कर सकती है जिस से इसका साहित्य अधिक विशाल, समृद्धिशाली, और प्रौढ़ बन सकता है। अब तक भी

हिन्दी बंगला आदि कई भाषाओं के साहित्य की महानी रही है। इसी प्रकार अन्य भाषाएँ भी हिन्दी साहित्य से बहुत कुछ ग्रहण कर सकती हैं। भाषाओं के साहित्य के इस आदान प्रदान के द्वारा न केवल भारतीय भाषाएँ पुष्ट होंगी, समस्त भारतीय साहित्य भी इस प्रकार से ग्रहण करेगा और उन्नतिशील होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी अहिन्दी भाषी हिन्दी साहित्य का अध्ययन करें अथवा ज्ञान प्राप्त करें, अपने साहित्य को पुष्ट करें और भाषाविद हिन्दी साहित्य का निर्माण करके हिन्दी साहित्य की अधिक अभिवृद्धि में सहायक सिद्ध हों। इस समय भी कितने ही गुजराती, मराठी, दक्षिण भारती, बंगाली, पंजाबी और कश्मीरी लोग अपनी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी में रचनाएँ लिखते हैं। इस समय भी प्रत्येक प्रान्त की हिन्दी को नवीन देन है। परन्तु हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रसार के साथ हिन्दी सभी देशवासियों की साहित्यिक भाषा बनेगी, और हिन्दी साहित्य में केवल उत्तरप्रदेश वालों का ही एकाधिकार (Monopoly) नहीं रहेगा।

6. सांस्कृतिक उद्देश्य—हिन्दी भारतीय संस्कृति का दर्पण है, अतः हिन्दी के अध्ययन से हमारे छात्र भारतीय धर्म, संस्कृति, इतिहास, भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य से परिचित होंगे। प्रत्येक छात्र को संस्कृत साहित्य के अध्ययन की सुविधाएँ नहीं मिल सकतीं। परन्तु समस्त संस्कृत साहित्य हिन्दी में अनूदित हो रहा है। हिन्दी के माध्यम से प्राचीन भारतीय साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

7. भाषा विषयक उद्देश्य—जैसा पहले कहा गया है, विभिन्न भाषाओं के ज्ञान से बौद्धिक क्षितिज (Intellectual horizon) का विस्तार हो जाता है। दूसरी भाषा के ज्ञान से अपनी भाषा के ज्ञान में दृढ़ता आ जाती है, नई शैलियों का ज्ञान हो जाता है, नये वाक्य प्रयोग सीखे जाते हैं। अहिन्दी भाषी अपनी भाषा के अतिरिक्त जब हिन्दी का भी ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वह नई शब्दावली, नये मुहावरे और नये प्रयोग सीखेगा। वह दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकेगा।

भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश में प्रत्येक को द्विभाषी (Bilingual) बनना पड़ेगा। एक शिक्षित व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएं सीख लेगा उतना अच्छा है।

जब हिन्दी इतर भाषा तथा राष्ट्र-भाषा के रूप में पढ़ाई जाए, तो उसकी शिक्षा का स्तर उतना ऊँचा नहीं रहेगा जितना मातृ-भाषा की शिक्षा का। साधारणतया अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में हिन्दी शिक्षण का आरम्भ चौथी कक्षा में किया जाता है। अतः चौथी कक्षा की हिन्दी का स्तर पहली कक्षा की मातृ-भाषा के स्तर के बराबर होगा। आठवीं कक्षा की हिन्दी का स्तर पांचवीं की मातृ-भाषा के स्तर के समान होगा। उच्च माध्यमिक विद्यालयों (Higher Secondary Schools) में नहीं, दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा में हिन्दी का स्तर छठी, सातवीं और आठवीं की मातृ-भाषा के स्तर के समान होगा। इसका स्पष्टीकरण नीचे दी गई सारिणी से होगा।

कक्षाओं का नाम	कक्षाओं की संख्या	हिन्दी का स्तर मातृ-भाषा के रूप में	हिन्दी का स्तर इतर भाषा के रूप में
प्राइमरी या जूनियर बेसिक	1	1	
	2	2	
	3	3	
	4	4	1
	5	5	2
मिडल या सीनियर बेसिक	6	6	3
	7	7	4
	8	8	5
हायर सेकण्डरी या उच्च माध्यमिक	9	9	6
	10	10	7
	11	11	8

अभ्यासात्मक प्रश्न

1. 'एक राष्ट्र-एक भाषा' के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए हिन्दी की राष्ट्रीय महत्ता पर एक लेख लिखें। (§ 13)

2. हिन्दी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। स्कूलों में हिन्दी की वर्तमान स्थिति में उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक होती है? (§ 14)

3. मातृ-भाषा की शिक्षा पर विद्यार्थियों का मानसिक और बौद्धिक विकास निर्भर है। इस कथन की विवेचना कीजिए और स्कूलों में मातृ-भाषा की शिक्षा पर ध्यान न देने का बुरा परिणाम समझाइए। (§ 12)

4. भारत के अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी की स्थिति क्या है? वहाँ पर हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं और उसका स्तर कितना ऊँचा होगा? (§ 13, § 15)

5. वर्तमान भारतीय भाषाओं में हिन्दी का क्या स्थान है? राष्ट्र भाषा के पद पर यह कैसे आरूढ़ हुई? (§ 12)

6. हिन्दी शिक्षण के मातृ-भाषा के रूप में तथा राष्ट्र भाषा के रूप में विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। (§ 14, § 15)

सहायक पुस्तकें

1. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या — आर्य-भाषा और हिन्दी।
2. धीरेन्द्र वर्मा — हिन्दी भाषा का इतिहास।
3. A. R. Wadia — *Future of English in India*
4. W. S. Gray — *Teachin of Reading and Writing*
5. UNESCO — *Teaching of Modern Languag Ch 'Special Problems languages*
6. Maxim Newmark. — *20th century Modern Largu Teaching, Philosophical Libr New York Ch 'Values foreign language Study.'*
7. Vernon Mallinson — *Teaching a Modern Language*
8. Ministry of Education. New Delhi — *Hand book for Teachers of Ba Schools Pp 178, 291.*
9. ,, ,, ,, — *Secondary Education 'Com ssion Report Ch V. Study Languages*
10. ,, ,, ,, — *Report of the official Languo Commission' 1956.*
11. The Deptt. of Extersion Services, P S. M Jubblepur — *Report of the all India Semin on Teaching of Indi Languages*

३

हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और विकास

§ 16 भारत-योरपीय भाषा—

भाषा एक प्रकार की अर्जित सम्पत्ति है। प्रत्येक भाषा का सम्बन्ध उस भाषा को बोलने वाले समाज की प्राचीन भाषा के साथ अवश्य होता है। उस प्राचीन भाषा में कालानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा एक बहती हुई नदी के समान समय समय पर और स्थान-स्थान पर अपना रूप बदलती रहती है। हिन्दी भाषा का जो रूप हमारे सामने उपस्थित है, वह एक प्राचीन भाषा का, शताब्दियों और सहस्रों वर्षों बाद का आधुनिक रूप है। भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण उसमें कुछ पुराने तथ्य लुप्त हो जाते हैं और कुछ नये तथ्यों का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार हिन्दी के आधुनिक रूप में उस प्राचीन भाषा के कई तथ्य लुप्त हो गए हैं और काल अनुसार उसमें कुछ नये तथ्य आ गए हैं।

यह प्राचीन भाषा जिसके साथ हम हिन्दी भाषा का सम्बन्ध स्थापित करते हैं, भारत-यूरोपीय भाषा है। संसार की समस्त भाषाएं एक दर्जन के लगभग प्राचीन भाषा *परिवारों के साथ सम्बन्ध रखती हैं। उन भाषा परिवारों में भारत यूरोपीय भाषा*-परिवार प्रमुख स्थान रखता है। इस भाषा-परिवार से सम्बन्धित भाषाएं समस्त यूरोप, उत्तर-भारत, अफगानिस्तान, तथा ईरान में बोली जाती हैं। संस्कृत, पाली, पुरानी ईरानी, ग्रीक, लेटिन आदि प्राचीन भाषाएं इसी कुल की थीं। आजकल इस कुल में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रोमन, नई ईरानी, हिन्दी, मराठी, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाएं हैं।

भारत-यूरोपीय भाषा आर्य जाति की प्राचीन भाषा थी। यह भाषा उस समय प्रचलित थी जब आर्य जाति एक ही स्थान पर निवास करती थी। वह मूल निवास स्थान भारत था, या मध्य एशिया था, अथवा यूरोप था यह बात आज भी विवादस्पद है। अपने मूल निवास स्थान से आर्य जाति दूर-दूर तक फैल गई और इसकी भाषा स्थानीय भेदों के कारण विभिन्न शाखाओं में विभक्त हुई। इन दो शाखाओं के प्रधान वर्गों का नाम भाषा वैज्ञानिकों ने केन्टुम वर्ग और सतम वर्ग रखा है। केन्टुम वर्ग की भाषाएं यूरोप में फैल गईं और इन्हीं से वर्तमान अंग्रेजी, जर्मन, इटेलियन, फ्रेंच, यूनानी आदि यूरोपीय भाषाएं निकली हैं। सतम वर्ग की प्रधान भाषा भारत-ईरानी भाषा है। आर्यों की जो शाखा ईरान और भारत में बस गई, उसी भाषा को भारत-ईरानी

शौरसेनी प्राकृत था, पूर्वी का मागधी प्राकृत (अर्थात मगध या दक्षिण बिहार की भाषा), इन दोनों के बीच में अर्ध-मागधी (जो इनका मिश्रित रूप था) और चौथी दक्षिणी रूप महाराष्ट्री प्राकृत थी। प्राकृत भाषाओं का समय ५०० ई० तक है। इसके उपरान्त इन भाषाओं में भी इतने परिवर्तन आ चुके थे कि साहित्य में प्रयुक्त होने वाली नियमबद्ध प्राकृत और जनसाधारण की प्राकृत में पर्याप्त अन्तर दृष्टिगोचर होने लगा। जिसके फलस्वरूप इन बिगड़ी हुई प्राकृत बोलियों का नाम अपभ्रंश पड़ा। अपभ्रंश भाषाओं का काल ई० ५०० से ई० १००० तक है। प्रत्येक प्राकृत का एक अपभ्रंश रूप रहा।

§ 19. आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल—

इस काल में अर्थात् १००० ई० से वर्तमान समय तक भारत की वर्तमान आर्य भाषाओं का निर्माण हुआ। उत्तरी भारत की सभी भाषाओं की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषाओं से हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश से हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती पंजाबी और पहाड़ी भाषाओं का सम्बन्ध है। पूर्वी हिन्दी का सम्बन्ध अर्धमागधी अपभ्रंश के साथ है। बिहारी, बंगला, आसामी और उड़िया का सम्बन्ध मागधी अपभ्रंश से है और मराठी का महाराष्ट्री अपभ्रंश के साथ।

इस प्रकार हमारी हिन्दी भाषा का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिन्दी साहित्य का आरम्भ ग्यारहवीं शताब्दी से होता है इस भाषा का प्रारम्भिक रूप हम 'खुमान रासो' 'बीसलदेव रासो' और 'पृथ्वीराज रासो' नामक वीररसपूर्ण काव्य ग्रंथों में देखते हैं। आरम्भ काल से वर्तमान काल तक हिन्दी भाषा के रूप में अनेक परिवर्तन हुए तथा उसके कई भेद-उपभेद बने। हिन्दी के प्रमुख भेद हैं—पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी। पश्चिमी हिन्दी मध्यप्रदेश (अर्थात् दिल्ली, अम्बाला का जिला और उत्तर-प्रदेश का पश्चिमी भाग) की भाषा है मेरठ तथा दिल्ली के निकट बोली जाने वाली पश्चिमी हिन्दी के ही एकरूप खड़ी बोली से वर्तमान साहित्यिक उर्दू तथा हिन्दी की उत्पत्ति हुई। इसकी एक दूसरी बोली ब्रजभाषा मथुरा के आस पास बोली जाती है। इन दो बोलियों के अतिरिक्त पश्चिमी हिन्दी में बांगरू, कन्नौजी और बुन्देली बोलियां भी सम्मिलित हैं। हमारी राष्ट्रभाषा वर्तमान साहित्यिक खड़ी बोली का ही वर्तमान रूप है। पूर्वी हिन्दी में अवधी प्रमुख है, जो अवध में आस पास जनसाधारण की बोली है। २००० वर्षों के विकास में हिन्दी का जो रूप बना, वह इसकी जननी संस्कृत पाली से भिन्न बना। इस ने नया रूप धारण किया, नया व्याकरण ग्रहण कर लिया। संस्कृत संश्लेषणात्मक भाषा है, हिन्दी विश्लेषणात्मक है। संस्कृत में वर्णों के ५०० रूप हैं और हिन्दी में केवल ६४ रह गए हैं संस्कृत में दो स्वर पास-पास नहीं आते। प्राकृत में व्यंजन पास-पास नहीं आते। हिन्दी में भी दो स्वर पास-पास नहीं आते, और संधि नहीं होती। संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। हिन्दी ध्वनियों में भी कई परिवर्तन हुए हैं। संस्कृत के ऋ, ऌ, ष् ण् और श का उच्चारण हिन्दी में वैसा नहीं रहा। ऋ, ष्

तथा ऌ का प्रयोग नहीं रहा। श और ष का अन्तर भूल गए। ह्रस्व ए तथा ओ की ध्वनियाँ आ गईं। अन्तिम अ का उच्चारण लुप्तप्राय हुआ शब्द के बीच में भी अ का उच्चारण लुप्त हो गया जैसे चलता फिरता का उच्चारण 'चल्ता-फिर्ता' है 'चलअता-फिरअता' नहीं।

हिन्दी का भी अपना है। लिंग, वचन और कारक संस्कृत से भिन्न हैं। 'ने' और 'को' का प्रयोग जटिल है। हिन्दी में संस्कृत तत्सम शब्दावली के अतिरिक्त तद्भव, देशी और विदेशी शब्दों का प्रयोग है। अंग्रेजी के शब्दों की कमी नहीं। हिन्दी के वाक्य-गठन पर अंग्रेजी वाक्य गठन का भी प्रभाव पड़ा है अंग्रेजी के अनुवाद करने के कारण अंग्रेजी प्रकार के जटिल वाक्य हिन्दी में भी आ गए हैं।

§ 20. हिन्दी का शब्दार्थ –

हिन्दी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। फारसी में हिन्दी का शब्दार्थ हिन्द से सम्बन्ध रखने वाला है। हिन्द संस्कृत के 'सिंधु' का ईरानी रूप है। सिंधु शब्द का तात्पर्य सप्त सिंधु अर्थात् भारतीय आर्यों का प्राचीन देश (पंजाब) अथवा समस्त भारत है। हिन्दी शब्द मुसलमानों ने ईरान से आकर भारत की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त किया। दिल्ली पर अधिकार जमाने के उपरान्त मुसलमानों ने दिल्ली के आसपास की भाषा का नाम हिन्दी रखा, जो शब्द आज तक प्रचलित है। इस प्रकार व्रज अवधी और खड़ी बोली हिन्दी के अन्तर्गत आई। आजकल हिन्दी का जो रूप राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित है, वह खड़ी बोली का ही आधुनिक रूप है। व्रज और अवधि का साहित्य लुप्तप्राय सा हो गया है और वे केवल ग्रामीण बोलियाँ ही रह गई हैं। खड़ी बोली का आधुनिक रूप टकसाली हिन्दी का स्टैंडर्ड हिन्दी है।

§ 21 हिन्दी शब्द समूह –

यद्यपि हिन्दी भाषा की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से हुई है, फिर भी इसका शब्द समूह प्राचीन आर्य भाषाओं के अतिरिक्त और भी भाषाओं के प्रभाव से बना है। साधारण हिन्दी शब्द समूह तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।–

(क) भारतीय आर्य भाषाओं का समूह।

(ख) भारतीय आर्य भाषाओं से आए हुए शब्द।

(ग) विदेशी भाषाओं के शब्द।

(क) भारतीय आर्य भाषाओं के तत्सम और तद्भव शब्द हिन्दी में प्रचुरता से पाये जाते हैं। तत्सम का अभिप्राय संस्कृत के विशुद्ध शब्दों से है। जैसे 'भाषा', 'धर्म' शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं और ज्यों के त्यों हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं। तद्भव वे

§ देखिए : धीरेन्द्र वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहास : (हिन्दी की बोलियाँ)।

शब्द है, जो मध्यकालीन आर्य भाषाओं अर्थात् संस्कृत और प्राकृत से आए हुए हैं और परिवर्तित रूप में हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी का 'कान' शब्द संस्कृत के 'कर्ण' और प्राकृत के 'कण्ण' से निकला है। इसी प्रकार "कन्हैया" या 'कान्हा' कृष्ण से निकल कर तद्भव रूप में हिन्दी में प्रयुक्त होता है।

(ख) भारतीय अनार्य भाषाओं से आए हुए शब्द या तो दक्षिण की द्राविड बोलियों (तामिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम) से हिन्दी में घुस गए हैं, अथवा मुण्डा और कोल जाति की प्राचीन भाषाओं से निकले हैं।

(ग) विदेशी भाषाओं के शब्दों से तात्पर्य है :—

(१) फारसी, अरबी, तुर्की और रूसी भाषाओं से आए हुए शब्द जैसे, कैंची, चाकू, लाश, खिताब, बादशाह, फौज, मालिक आदि।

(२) अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाओं से आए हुए शब्द जैसे—स्कूल, बोतल, अंग्रेज रेडियो आदि। अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्दों की संख्या हिन्दी में कुछ कम नहीं।

इस प्रकार हिन्दी ने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से उत्पन्न होकर देसी और विदेशी शब्दों से सम्पन्न होकर आधुनिक विकसित रूप धारण किया है। अगले पृष्ठ निम्न दी गई तालिकाओं के द्वारा हिन्दी का उद्गम स्पष्ट होगा।

भारत यूरोपीय भाषा परिवार

- केन्टुम् वर्ग
  - केल्टिक
  - ट्यूटानिक
    - जर्मन
    - अंग्रेजी
  - लैटिन
    - इटाली
  - यूनानी
- शतम् वर्ग
  - भारत ईरानी
    - ईरानी
      - प्राचीन फारसी
        - आधुनिक फारसी
    - दर्द
    - भारतीय आर्य भाषा

[तालिका १—भारत-यूरोपीय भाषा परिवार]

मे विदेशी भाषा मे शिक्षा देना व्यर्थ है। विदेशी भाषा न तो ज्ञान-प्राप्ति का सरल साधन है और न ही अभिव्यक्ति का सीधा माध्यम। प्रायः बुद्धिमान् बालक भी विदेशी भाषा की कठिनाइयों के कारण शिक्षा मे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। एक विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा पढ़ना शक्ति का व्यर्थ नाश नहीं, तो और क्या है? एक विद्वान् की यह उक्ति कि अंग्रेजी भाषा उच्च वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारो की अभिव्यक्ति के साधन के रूप मे प्रतिष्ठित भाषा है, सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण है। उच्च विचारो के लिये हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत अंग्रेजी से अधिक श्रेष्ठ है और संस्कृत से उत्पन्न उत्तरी भारत की आधुनिक भाषाएं भी इस क्षेत्र मे कम उपयोगी नहीं। वैज्ञानिक उच्च बौद्धिक विषयो मे अंग्रेजी काम आये, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम ही बन जाये। इस विषय मे राजभाषा आयोग की निम्न उक्तियां पठनीय हैं —

'लेकिन किसी विदेशी भाषा के खास उद्देश्यों से कुछ विशिष्ट वर्गो द्वारा द्वितीय भाषा के रूप मे व्यवहार करने मे और उसके शिक्षा के या देश के दैनिक कार्यों को चलाने के लिए मुख्य या एक मात्र माध्यम के रूप प्रयोग करने मे बहुत अन्तर है।. ...

'इस लिए डेढ़ सौ वर्षों तक प्रशासन उच्च शिक्षा अदालतो और सामान्य सार्वजनिक जीवन मे अंग्रेजी भाषा के एक मात्र माध्यम रहने पर भी 6 करोड साक्षरो मे केवल 38 लाख लोग ही ऐसे निकले जिन्हे अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान है।' ...

'स्पष्ट है कि प्रारम्भिक शिक्षा के बाद बालक को यदि चौदह वर्ष की अवस्था तक द्वितीय भाषा के रूप मे अंग्रेजी पढाई जाय तो उसे अंग्रेजी भाषा का इतना ज्ञान न हो पायेगा कि वह उसे जीवन पर्यंत याद रखे, क्योंकि विदेशी भाषा सीखने मे एक तो यो ही कठिनाई होती है, दूसरे अंग्रेजी भाषा की विशिष्टताओं का भारतीय भाषाओ से दूर का भी नाता नहीं।'[1]

हमारी भारतीय भाषाओ की आधुनिक शोचनीय दशा का कारण यह है कि चिरकाल तक उनकी अपेक्षा की गई है। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का उत्तरदायित्व अब हम पर है।

विदेशी माध्यम भी इस बात का महान् कारण है कि भारतीय जनता का एक छोटा भाग केवल 15% शिक्षा की ओर आकृष्ट है। यदि शिक्षा का माध्यम एक भारतीय भाषा हो, तो विद्यालय अधिक लोगो को आकृष्ट कर सकते हैं। अतः विदेशी माध्यम हमारे शिक्षा प्रसार मे सब से बड़ा विघ्न है।

विदेशी माध्यम से प्रत्येक पीढ़ी की शक्ति का निरर्थक उपयोग होता है। जरा सोचिए और सोचिए कि अंग्रेजी भाषा के एक शब्द को सीखने के लिए भारतीय जनता के प्रत्येक पीढ़ी की कितनी शक्ति व्यय हो जाती है? एक करोड विद्यार्थियों मे प्रत्येक

---

1. देखिए राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन, पृष्ठ 28—29।

विद्यार्थी अंग्रेजी के [illegible] और [illegible] को सीखने लगता है और इस प्रकार अपनी शक्ति का [illegible] करता है। यह शक्ति हिन्दी भाषा के सीखने में लगाई जा सकती है। जिससे देश का [illegible] उत्थान होगा।

यदि सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाये तो अंग्रेजी भाषा हिन्दी संस्कृति का ही नाश कर सकती है, भारतीय संस्कृति का [illegible] नहीं। हमारे भारतीय [illegible], [illegible], दर्शन, परम्परागत विचार, [illegible] [illegible] आचार और भारतीय भाषा द्वारा ही विचार आ सकते हैं, और यह भी [illegible] है कि एक भारतीय भाषा को छोड़ कर विदेशी भाषा का [illegible] [illegible] विदेशी [illegible] से मुक्ति प्राप्त करके स्वतन्त्र [illegible] की ओर [illegible] है।

§ 21. प्रादेशिक भाषायें शिक्षा का माध्यम हों --

अंग्रेजी भाषा के विरोधियों में कुछ ने विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं (Regional Languages) को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं। उनकी दृष्टि यह है कि भारत के प्रत्येक प्रदेश (Region) में कोई न कोई भाषा बोली जाती है, जो उस प्रदेश के निवासियों की मातृ भाषा है। मातृ भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने से पठन-पाठन सुगम और सुबोध बनता है। इस मत की पुष्टि में कुछ तथ्य है, परन्तु अन्य कारणों से यह सुझाव भारत के लिए तथा शिक्षा के लिए अत्यन्त हानिकारक और विध्वंसक है। प्रादेशिक भाषाओं का स्थान केवल प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में होना चाहिए। मिडिल, हाई स्कूल तथा कालिज में राष्ट्र भाषा ही उपयुक्त माध्यम है। प्रादेशिक भाषाओं की स्थिति निम्न है

(१) प्रत्येक प्रान्त की अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा है। यदि प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, तो एक प्रान्त के विद्यार्थी, जो अपनी ही मातृ-भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तथा एक प्रान्त के अध्यापक जो अपनी ही मातृ-भाषा में पढ़ाने में समर्थ हैं, दूसरे प्रान्त में पठन पाठन का काम नहीं कर सकते। इस प्रकार शिक्षा का भी प्रान्तीय विभाजन होगा।

(२) प्रत्येक प्रान्त में प्रत्येक विषय के लिए पृथक् पृथक् साहित्य का निर्माण करना पड़ेगा। आजकल तो अंग्रेजी भाषा हिन्दी में ही सभी विषयों में उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें बनाने के लिए पर्याप्त साधन और धन नहीं, तो चौदह प्रादेशिक भाषाओं में विद्यार्थियों के लिए पठन-सामग्री तैयार करने के लिये कितना धन और समय चाहिये, यह विचारणीय विषय है।

(३) प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने पर हिन्दी क्षेत्र के विद्यार्थी हिन्दी के समुचित ज्ञान के कारण अन्य प्रदेशों के विद्यार्थियों से नौकरी आदि में बाजी लेंगे। दक्षिण भारत के विद्यार्थी हिन्दी भाषा से या तो अनभिज्ञ रहेंगे अथवा हिन्दी भाषा का न्यून ज्ञान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हिन्दी में पत्र-व्यवहार और शासन

कार्य करने में पूर्ण समर्थ होंगे। यह एक ऐसी विषमता होगी जिस को दूर करने का कोई उपाय नहीं होगा।

(४) प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण-महाविद्यालय (Training Colleg) खोलने में भी यही कठिनाई उपस्थित होगी कि उन में प्रादेशिक भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाने से एक प्रदेश के अध्यापकों को छोड़ कर अन्य प्रदेश के अध्यापक न अध्ययन कर सकेंगे और न ही नौकरी कर सकेंगे।

(५) अंग्रेजी के हटाने से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द (Technical terms प्रादेशिक भाषाओं में गढ़ने पड़ेंगे, जो सरल कार्य नहीं। राष्ट्रभाषा में पारिभाषिक शब्द बनाने का कार्य कभी भी सम्पादित नहीं हुआ, तो प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में ऐसा कार्य समाप्त करना कितना दुस्तर होगा।

(६) प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की पृष्ठ-भूमि में केवल साम्प्रदायिक प्रान्तीय भावना काम कर रही है। यही प्रान्तीय भावना देश को खण्ड खण्ड करने और भाषा प्रान्तों के रूप में विभक्त करने की मांग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। यह मांग निराधार और निर्मूल है। यदि सरकार प्रान्तीय भावना वाले सम्प्रदायों से दब कर उनकी मांग पूरा करने पर विवश हो जाए, तो निश्चय ही देश की एकता नष्ट हो जाएगी। तीन वर्ष हुए, केन्द्रीय सरकार के अधीन माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस समस्या को हल करने की कोशिश की, परन्तु खेद है आयोग ने भी प्रादेशिक भाषाओं पर बल दिया। इसके उपरान्त राज्य आयोग पुनर्गठन (State Reorganisation Commission) ने भी प्रादेशिक भाषाओं पर अधिक बल दिया। निश्चय ही इन आयोगों का निर्णय विषयीगत (Subjective) और एकांगी है। इस विषय में केन्द्रीय सरकार की ओर से एक सशक्त नीति का अभाव है। संविधान में अधिनियम ३४३ में हिन्दी के अंग्रेजी का स्थान लेने के लिए १५ वर्ष की अवधि निर्दिष्ट हुई है, परन्तु यह निश्चित नहीं किया गया है कि १५ वर्ष की अवधि के बाद अंग्रेजी अवश्य हटेगी। राज्यों को अपनी सीमाओं के भीतर प्रादेशिक भाषाओं के स्वच्छन्द प्रयोग की अनुमति दी गई है। इस से भी हिन्दी का पक्ष दुर्बल हो जाता है। रूस में भी १५० प्रादेशिक भाषाएं हैं, परन्तु राष्ट्रीय एकता के निमित्त केवल रूसी भाषा ही प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त की जाती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी पिछली शताब्दी में प्रादेशिक भाषाओं का झगड़ा मिटाया और अंग्रेजी को सर्वोच्च स्थान दिया गया।

§ 25. हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम हो—

अंग्रेजी का स्थान शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्र-भाषा हिन्दी ही ले सकती है। इस विरुद्ध कोई सार्थक आक्षेप नहीं हो सकता। परन्तु बहुत से विरोधियों ने हिन्दी के विरुद्ध निम्न आक्षेप प्रस्तुत किए हैं, जो वास्तव में सत्य पर अवलम्बित नहीं।

(क) पहला आक्षेप यह है कि हिन्दी भाषा में अंग्रेजी के समान भौतिक विज्ञान और सामाजिक विषयों के लिए पारिभाषिक शब्द नहीं हैं। इस विषय में यह कहा जा सकता है कि आज नहीं तो कल भारतीय पारिभाषिक शब्द कोष का निर्माण तो करना ही है। हिन्दी में यह काम सर्वप्रथम डा० रघुवीर ने मध्यप्रदेश की सरकार के अधीन कर डाला है। उनके आंग्ल भारतीय महाकोष में विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के प्रत्येक वैज्ञानिक विषय के पारिभाषिक शब्द हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने भी यह काम अपने हाथ में ले लिया है। केन्द्रीय सरकार ने भी ऐसी ही एक योजना आरम्भ की है और अब तक प्रशासन, व्यापार, समाजशास्त्र, गणित, डाक तार और कई वैज्ञानिक विषयों पर शब्दावलियों की सूचियाँ प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त नागरी प्रचारिणी सभा काशी को भी पारिभाषिक शब्द-कोष के निर्माण के लिए अनुदान मिला है। महाविद्यालय स्तर के सभी पारिभाषिक शब्द हिन्दी में प्रयुक्त हो रहे हैं और भी कई कोषकारों ने हिन्दी में अर्थशास्त्र शब्दकोष, वैज्ञानिक शब्दावली, सांख्यकी (Statistics) शब्दकोष, तर्कशास्त्र, शब्द-कोष, शासन शब्दकोष, समाचार-पत्र शब्दकोष, कृषि-शब्दावली, आदि कितने ही विविध पारिभाषिक शब्दकोषों का निर्माण किया है। ये पारिभाषिक शब्द संस्कृत भाषा से या तो मूल रूप में लिए गए हैं, अथवा धातुओं, उपसर्गों और प्रत्ययों के जोड़ से बनाए गये हैं। संस्कृत भाषा इतनी विस्तृत और व्यापक है कि किसी भी अर्थ को प्रकट करने के लिए इसके धातुओं आदि से नए शब्दों का निर्माण हो सकता है। संसार की प्राचीन और विकसित भाषा संस्कृत से पारिभाषिक शब्दों के लेने से हिन्दी का शब्दकोष भारतीय होगा, प्रान्तीय या प्रादेशिक नहीं।

(ख) दूसरा आक्षेप यह है कि विश्वविद्यालय के अध्यापक हिन्दी से अनभिज्ञ होने के कारण हिन्दी पढ़ाने में असमर्थ हैं। यह सच है कि अध्यापक इस कार्य के लिये तैयार नहीं। किन्तु इस कारण से हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। स्वाधीनता प्राप्ति से पहले हमारे कांग्रेस नेता प्रशासन के लिए कहाँ तैयार थे? क्या उन्होंने आड़े समय मन्त्रिपदों को नहीं संभाला? इसी प्रकार हमारे अध्यापक इच्छा रखते हुए और प्रयत्न करने पर कालान्तर में इस कार्य के लिये तैयार हो सकते हैं। यदि इच्छा प्रबल हो, तो पाँच साल के अन्दर एक अध्यापक हिन्दी सीख सकता है, और हाई स्कूल और महाविद्यालय की कक्षाओं को पढ़ाने में समर्थ हो सकता है, केवल उसमें आन्तरिक प्रेरणा चाहिए। आज की पीढ़ी के लिये इस दिशा में परिश्रम करना आवश्यक होगा, किन्तु आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर सुगमता होगी, शक्ति की बचत होगी और योग्यता में वृद्धि होगी। अतः प्रश्न हिन्दी भाषा में पढ़ाने के समर्थ होने का या असमर्थ होने का नहीं, वरन् अध्यापकों के हृदय में देश भक्ति के होने या न होने का है। यदि उनमें देश-भक्ति न भी हो, तो सरकार अनिवार्य रूप से हिन्दी पढ़ने का नियम लागू कर सकती है।

(ग) तीसरा आक्षेप यह है कि हिन्दी भाषा में उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। इसका उत्तरदायित्व प्रादेशिक सरकारों और केन्द्रीय सरकार पर है। सरकार का कर्तव्य है कि महाविद्यालयों, पुस्तकालयों और अध्यापकों के लिए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें, पत्रिकाएं, कोष, सहायक ग्रन्थ और अंग्रेज़ी से अनूदित पुस्तकें तैयार करने के लिए उचित व्यवस्था करे, तथा अनुसंधान, शोध अनुवादकार्य आदि के लिए विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता दे।

(घ) कई विद्वानों का आक्षेप है क्या हमें अनुवादकों के राष्ट्र का निर्माण करना है? ('Are we going to be a nation of translators?') इस उक्ति में भी बल नहीं। विदेशी भाषा को तोते की तरह रट लगाने की अपेक्षा अपनी भाषा में विदेशी भाषा का अनुवाद ही श्रेयस्कर है।

(ङ) हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के विरुद्ध एक और आक्षेप है कि अंग्रेज़ी के हटाने से शिक्षा का स्तर नीचे गिरेगा। यह भी भ्रांति ही है। शिक्षा के स्तर को उठाना या गिराना अध्यापकों पर निर्भर है, भाषा पर नहीं। क्या जापान, जर्मनी या इटली में शिक्षा का स्तर ऊँचा नहीं? वहां भी तो अंग्रेज़ी भाषा शिक्षा का माध्यम नहीं।

(च) कई विद्वानों का आक्षेप है कि संस्कृत के पण्डितों ने हिन्दी भाषा को संस्कृत गर्भित बना कर बोल चाल की भाषा से बहुत कठिन बनाया है। पारिभाषिक शब्द भी संस्कृत से खोज खोज कर लाकर इतने कठिन बनाए हैं कि उनको हृदयंगम करके प्रयुक्त करना टेढ़ी खीर है। अंग्रेज़ी के नित्य प्रति प्रयोग में आने वाले शब्द भी संस्कृत के कठिन शब्दों से बदलाए जा रहे हैं। उदाहरण के रूप में 'बाइसिकल' के लिए 'द्विचक्र', 'रेल' के लिए 'लोहपथ गामी', 'रेशमी टाई' के लिए 'रेशमी कंठलंगोट' कहना कठिन ही नहीं उपहासास्पद भी है। यह आक्षेप बहुत कुछ ठीक है। साधारण प्रयोग में आए हुए शब्दों का बदलना भाषा-सिद्धान्त के विरुद्ध है। रेल, गिलास, टेलीफोन, कोट आदि सहस्रों अंग्रेज़ी शब्द, ज़रूर, उस्ताद, किताब आदि सहस्रों अरबी-फारसी शब्द, जो दैनिक प्रयोग में आते हैं, भाषा में से निकाल देने में और उनके बदले संस्कृत के कठिन शब्द रखने से कोई लाभ नहीं। कोषकारों को चाहिए कि ऐसे शब्दों को छोड़कर, शेष आवश्यक विदेशी शब्दों का रूपांतर करें। इसी विचार को दृष्टि में रख कर केन्द्रीय सरकार ने डा० रघुवीर के कोष के होते हुए भी कोष-कार्य अपने हाथ में लिया है। आशा है शीघ्र ही हमारी पारिभाषिक शब्दावली सम्पूर्ण हो जाएगी। परन्तु एक भ्रांति को दूर करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रशासन, न्याय और ज्ञान विज्ञान के लिए जो भाषा प्रयोग में लाई जाएगी, वह उतनी ही सरल हो, जितनी प्रेमचन्द के उपन्यासों की। क्योंकि ऐसा प्रायः देखा गया है कि किसी देश में दो प्रकार की भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं—एक सरल सुबोध बोलचाल की भाषा, दूसरी ज्ञान-विज्ञान के

(क) पहला अक्षेप यह है कि हिन्दी भाषा में अंग्रेजी के समान भौतिक विज्ञान
सामाजिक विषयों के लिए पारिभाषिक शब्द नहीं हैं। इस विषय में यह कहा जा
ता है कि आज नहीं तो कल भारतीय पारिभाषिक शब्द कोष का निर्माण तो करना
है। हिन्दी में यह काम सर्वप्रथम डा० रघुवीर ने मध्यप्रदेश की सरकार के अधीन
र डाला है। उनके आगल भारतीय महाकोष में विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर
: प्रत्येक वैज्ञानिक विषय के पारिभाषिक शब्द है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने
भी यह काम अपने हाथ में ले लिया है। केन्द्रीय सरकार ने भी ऐसी ही एक योजना
आरम्भ की है और अब तक प्रशासन, न्याय, समाजशास्त्र, गणित, डाक तार और कई
वैज्ञानिक विषयों पर शब्दावलियों की सूचियाँ प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त
नागरी प्रचारिणी सभा काशी को भी पारिभाषिक शब्द-कोष के निर्माण के लिए अनुदा
मिला है। महाविद्यालय स्तर के सभी पारिभाषिक शब्द हिन्दी में प्रयुक्त हो रहे हैं औ
भी कई कोषकारों ने हिन्दी में अर्थशास्त्र शब्दकोष, वैज्ञानिक शब्दावली, सांख्य
(Statistics) शब्दकोष, तर्कशास्त्र, शब्द-कोष, शासन शब्दकोष, समाचार-
शब्दकोष, कृषि-शब्दावली, आदि कितने ही विविध पारिभाषिक शब्दकोषों का निर्
किया है। ये पारिभाषिक शब्द संस्कृत भाषा से या तो मूल रूप में लिए गए हैं, अ
धातुओं, उपसर्गों और प्रत्ययों के जोड़ से बनाए गये हैं। संस्कृत भाषा इतनी
और व्यापक है कि किसी भी अर्थ को प्रकट करने के लिए इसके धातुओं आदि से नए
शब्दों का निर्माण हो सकता है। संसार की प्राचीन और विख्यात भाषा संस्कृत
से पारिभाषिक शब्दों के लेने से हिन्दी का शब्दकोष भारतीय होगा, प्रान्तीय या
प्रादेशिक नहीं।

(ख) दूसरा आक्षेप यह है कि विश्वविद्यालय के अध्यापक हिन्दी से अनभिज्ञ
होने के कारण हिन्दी पढ़ाने में असमर्थ हैं। यह सच है कि अध्यापक इस कार्य के
लिये तैयार नहीं। किन्तु इस कारण से हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते।
स्वाधीनता प्राप्ति से पहले हमारे कांग्रेस नेता प्रशासन के लिए कहाँ तैयार थे?
क्या उन्होंने आते समय मन्त्रिपदों को नहीं संभाला? इसी प्रकार हमारे अध्यापक
इच्छा रखते हुए और प्रयत्न करने पर कालान्तर में इस कार्य के लिये तैयार हो सकते
हैं। यदि इच्छा प्रबल हो, तो पांच साल के अन्दर एक अध्यापक हिन्दी सीख सकता है,
है, और हाई स्कूल और महाविद्यालय की कक्षाओं को पढ़ाने में समर्थ हो सकता है।
केवल उनमें आन्तरिक प्रेरणा चाहिए। आज की पीढ़ी के लिये इस दिशा में परिश्रम
करना आवश्यक होगा, किन्तु आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर सुगमता होगी, शक्ति
की बचत होगी और योग्यता में वृद्धि होगी। अब प्रश्न हिन्दी भाषा में पढ़ाने के
समर्थ होने का या असमर्थ होने का नहीं, वरन् अध्यापकों के हृदय में देश भक्ति के होने
या न होने का है। यदि उनमें देश-भक्ति न भी हो, तो सरकार अनिवार्य रूप से हिन्दी
पढ़ाने का नियम लागू कर सकती है।

(१) वह मानसिक क्रिया जिसके द्वारा हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं।

(२) भाषा का अर्थ और विचार, जिस के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। शब्द जहा अपने भौतिक रूप 'ध्वनि' को प्रकट करता है, वहाँ अपनी आत्मा, 'अर्थ' को भी व्यक्त करता है§ शब्द सुनते ही हमारे मन मे विचार-प्रतिमाए (Images of Ideas) उत्पन्न होती हैं। यह विचार प्रतिमा अत्यन्त सूक्ष्म होती हैं।

भाषा-शिक्षण मे भौतिक और मानसिक आधार का महत्व —

भाषा शिक्षण मे भाषा के दोनो आधारों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। भौतिक आधार पर ध्यान देने से तात्पर्य है मुख अवयवो के ठीक प्रयोग शुद्ध-उच्चारण, शुद्ध अक्षर विन्यास और शुद्ध लिपि पर ध्यान देना। इसी प्रकार मानसिक आधार के सम्बन्ध मे यह देखना है कि बालक की मानसिक क्रिया कैसे होती है, वह कैसे सोचता है, उसमे अर्थ ग्रहण करने की शक्ति कैसे बढ़ती है और उसके मानसिक विकास के साथ-साथ उसकी भाषा का विकास कैसे होता है। बच्चा शैशवकाल से लेकर प्रौढ़काल तक जिस क्रम मे भाषा सीखता है उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

§ 28. भाषा और मानसिक विकास—

बच्चो के मानसिक विकास के साथ साथ भाषा के विकास का अध्ययन कई पाश्चात्य मनोवैज्ञानिको ने किया है। उन्होंने भाषा के निम्न पाँच अंगो पर ध्यान दिया है।

(१) शब्दावली, (२) अभिव्यक्ति, (३) वाक्य विन्यास, (४) वाचन और (५) लिपि।

(१) शब्दावली—शिशु प्रथम छ. माह तक बोलने की कोशिश नही करता। छ. माह की अवस्था मे वह बोलने लगता है। एक वर्ष की अवस्था मे एक दो वस्तुओ के नाम बोलता है। धीरे-धीरे वह नये-नये शब्दो को सीखता है और अपनी शब्दावली की वृद्धि निम्न क्रम से करता है—

---

§ आत्मरूप यथा जाने ज्ञेयरूप च दृश्यते।
अर्थरूप तथा शब्दे स्वरूप च प्रकाशते॥
— वाक्यपदीय, १,५०।

मन और वचन का परस्पर सम्बन्ध महत्वपूर्ण है। इसके बारे मे पढ़िए—
वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता
मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्।
—ऐतरेयोपनिषद्।

(i) प्रथम छ माह में वह शारीरिक कष्ट के अनुभव पर मौखिक ध्वनियां निकालता है। उसकी प्रारम्भिक ध्वनियां स्वर, पवर्ग (मम, पप जैसे द्वित्व वर्ण फ, व), क और ग होती है।

(ii) द्वितीय छ माह में वह मामा, बाबा, काका, दादा जैसे द्वित्व वर्ण बोलने लगता है।

(iii) दूसरे वर्ष में वह निकटतम वस्तुओं के नाम बोलने लगता है। शब्द संख्या लगभग ३० होती है उसके बहुत से शब्द जातियों को प्रकट करते हैं, व्यक्तियों को नहीं। जैसे सभी पक्षियों को कौआ, सभी पशुओं को गाय, सभी स्त्रियों को मम्मी, सभी बच्चों को काका कहना।

(iv) तीसरे वर्ष में ३०० के लगभग साधारण वस्तुओं के नाम सीखता है, जैसे आलू, कलम, जूती, दाल, रोटी।

(v) चौथे वर्ष में वह लगभग ८०० शब्द सीखता है, जिन में सर्वनाम, बहुवचन भूतकाल के शब्द, अंगों के नाम, दस तक गिनती सम्मिलित हैं।

(vi) पाँचवें वर्ष में वह सभी साधारण वस्तुओं, रंगों, पशुओं, आदि के अन्य नाम सीखता है। अब तक वह १५०० शब्द जानता है।

(vii) छठे वर्ष में उसकी शब्दावली ढाई हज़ार तक पहुँचती है, जिस में सभी साधारण संज्ञाएं, विशेषण, सर्वनाम, वर्तमान, भूत और भविष्य का प्रयोग, सिक्कों के नाम, दिनों के नाम सम्मिलित हैं।

(viii) छ वर्ष से लेकर नौ वर्ष तक उसकी शब्दावली २५००से ५००० तक पहुँचती है, जिस में लगभग ६० संज्ञाएं होती हैं और २० क्रियाएं। इस अवधि में शब्दावली की न्यून या अधिक वृद्धि विद्यालयी शिक्षा पर निर्भर है।

(ix) नौ वर्ष के उपरान्त ऐसे ही क्रम से शब्दावली की और वृद्धि होती है।

(२) वाक्यविन्यास—प्रारम्भ में बच्चा एक शब्द का वाक्य बोलता है जैसे 'रोटी' (अर्थात् माँ मुझे रोटी दे) ढाई वर्ष तक दो या तीन शब्दों का वाक्य बनता है। साढ़े तीन वर्ष का बालक चार शब्दों का पूरा वाक्य बोलता है। ५ वर्ष से ६ वर्ष तक ५ से ६ शब्दों के वाक्यों की रचना हो सकती है।

(३) अभिव्यक्ति—आरम्भ में ३ से वर्षपर्यन्त बच्चे की भाषा अस्पष्ट होती है। वह तोतली भाषा बोलता है। बहुधा उसकी बातें समझ में नहीं आतीं। ३ वर्ष से ६ वर्ष तक उसकी वाणी में स्पष्टता और शुद्धता आती है। ६ वर्ष तक वह अमूर्त वस्तुओं तथा अदृश्य घटनाओं का वर्णन कर सकता है। ६ वर्ष से आगे वह तर्क वितर्क में भाग ले सकता है।

(४) वाचन—वाचन के लिए ६ वर्ष की अवस्था उपयुक्त है। ६ वर्ष की अवस्था में वह वाचन की तैयारी करता है, जैसे चित्रों को रुचि के साथ देखता है और

भली भान्ति पहचानता है, छपे हुए अक्षरो को देखता है; कोई पत्रिका या पुस्तक हाथ मे लेता है मानो कि वह पढ़ने लगता है, चित्रशाली (Picture book) देखता है और कभी वैसे ही बुड़बुड़ाता है। 6 वर्ष की अवस्था मे पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। परन्तु छोटे अक्षरो के बदले समूचे अक्षर-वर्गों को पहचानता है। धीरे धीरे वह अर्थ सहित वाचन करने लगता है। 11 वर्ष की अवस्था मे वह स्वाध्याय कर सकता है।

(५) लिपि– छ. वर्ष की अवस्था मे पहले कापी या तख्ती पर लिखने के लिए बच्चे के स्नायु विकसित नही होते। अत: वह रेत पर उंगली फेर सकता है, कागज काट कर अक्षर बना सकता है, चाकू से रेखाए खीच सकता, बुर्श से चित्र बनाने का प्रयत्न कर सकता है। सरल रेखाओ के सीखने के बाद वह अक्षर लिखना सीखता है, तदुपरात वाक्य लिखना। प्रारम्भिक कक्षाओं मे अपनी रचना मे वह उतने शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता जितना बोल-चाल मे।

बच्चे के मानसिक विकास पर ध्यान देने से यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषा सीखने मे एक क्रम होता है, ज्यो-ज्यो बच्चे का मानसिक विकास होता है, उसकी भाषा सीखने की शक्ति बढ़ती जाती है। शिक्षक को मानसिक विकास का स्तर के साथ-साथ भाषा के स्तर का क्रम रखना चाहिए। जिस मानसिक अवस्था मे बालक गुजर रहा है, उसी के अनुसार उसकी भाषा का विकास होना चाहिए, न उस मे अधिक विकास का प्रयत्न करना चाहिए और न उससे कम विकास पर सन्तोष करना चाहिए।

भाषा के सीखने पर प्रभाव डालने वाले तत्व

सभी बच्चो की भाषा समान गति से विकसित होनी चाहिए। परन्तु प्राय ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई तत्व उनके भाषा-विकास पर अपने प्रभाव डालते है। वे तत्व निम्न हैं—

(१) शारीरिक विकास—शारीरिक विकास की गति तीव्र या मन्द होने का प्रभाव भाषा विकास पर भी पड़ता है। दुर्बल बालक अभिव्यक्ति में भी दुर्बल रहता है।

(२) मानसिक विकास –इसी प्रकार यदि किसी बच्चे का मानसिक विकास किसी अवधि मे रुक जाय या मन्द पड़ जाए, तो उसकी भाषा पर भी इसी के अनुरूप प्रभाव पड़ता है। जिन बच्चो की बुद्धि-उपलब्धि (Intelligence -Quotient) सामान्य से न्यून होती है, उनकी भाषा अभिव्यक्ति भी उसी के अनुरूप होती है। प्रखर बुद्धि वाले अधिक अभिव्यक्ति दर्शाते है।

(३) रुचि और भावनाएं—यदि बालको मे भाषा सीखने के प्रति रुचि न हो, तो उसका प्रभाव सीखने पर पड़ता है। मिली हुई भावनाओं या मनोभावों का प्रभाव अच्छा पड़ता है मानसिक द्वन्द्व के कारण बच्चे बहुधा हकले (Stammerers) बन जाते हैं।

(४) अभ्यास—अभ्यास की न्यूनता और अधिकता से मे क्रमश:

(६) भाषा सीखने में अभ्यास और रुचि सहायक हैं।

(७) भाषा सीखने की अयोग्यता (Linguistic incapacity)—

इस सिद्धान्त में कुछ भी सत्य नहीं। प्रत्येक व्यक्ति एक से अधिक भाषाएँ सीख सकता है।

(८) प्रारम्भिक-अवस्था में भाषा सीखने की योग्यता अधिक होती है। बाल्य-काल में सीखी हुई भाषा की छाप अमिट होती है।

(९) भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए।

(१०) बुद्धि, लिंग, रुचि आदि के प्रभाववश बच्चों में भाषा-विकास की गति एक समान नहीं होती। अतः उनकी व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए।

अभ्यासात्मक प्रश्न

१. अध्यापक को विद्यार्थियों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अनुसार भाषा-शिक्षण का कार्य-क्रम रखना चाहिए। इस कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए।

२. भाषा के मानसिक आधार से क्या तात्पर्य है? भाषा की शिक्षा में इस आधार से किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए।

३. भाषा और मानसिक विकास पर एक सारगर्भित लेख लिखें।

सहायक पुस्तकें

1. **A. F. Watte** — *Languages and Mental Development of Children. George C Harrap and Co. Ltd Bombay.*
2. **Maxim Newmark,** — *20th Century Modern Language teaching. New York. See Part V—Psychology of Langnage learning.*
3. **Otto Jesperson** — *Language, its nature, Development and origin*
4. **Gardener** — *Theory of Speech and Language.*
5. **Buhlar** — *Testing Children's Development from Birth to Schoclage.*
6. **Piaget** — *Language and thought of the Children.*
7. **Ballard** — *Language and Thought. (University of London press)*
8. **Eisonosen J** — *Speech Correction In the Schools Ch IV,*
9. **Valentine** — *Psychology of early Childhood.*

भी का वृद्धि हो जाती है।

(४) प्रशिक्षण का स्थानान्तरण (Transfer of Training)—एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा के सीखने में सहायक होता है। और भाषाओं की शिक्षा में बोलचाल तथा अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है। एक भाषा के व्याकरण के द्वारा, तुलनात्मक रीति से दूसरी भाषा का व्याकरण शीघ्र सीखा जा सकता है। अनुवाद और तुलना से विभिन्न भाषाओं की लोकोक्तियाँ मुहावरे, सूक्तियाँ आदि कंठस्थ हो जाती हैं।

(६) सामाजिक विकास समाज में अधिक सम्पर्क से भाषा का ज्ञान बढ़ जाता है, नये-नये विचार ग्रहण होते है और अभिव्यक्ति को अभ्यास का अवसर मिलता है। बोल चाल, सवाद, यात्रा, मेल जोल, भाषा शिक्षण में सहायक है। बाल-समाज में भी समाजिक कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

(७) लिंग- शिक्षा विचारकों ने प्रयोग और अनुसन्धान द्वारा इस बात की खोज की है कि लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा भाषा जल्दी सीखती है।

(८) व्यतिकरण (Interference) एक भाषा की शिक्षा कभी दूसरी भाषा की शिक्षा में कुछ रुकावट भी पैदा करती है। मातृ-भाषा के उच्चारण का दुष्प्रभाव दूसरी भाषा के उच्चारण पर पड़ता है। विभिन्न भाषाओं का शब्दक्रम और वाक्य विन्यास विभिन्न प्रकार का होता है, और सीखने वाला एक भाषा के प्रभाव से दूसरी भाषा के प्रयोग में अशुद्धियाँ करता है। अपनी भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा में प्रयोग करना सर्वसामान्य है अंग्रेजी बोलते समय हम कभी हिन्दी ढग के वाक्य बनाते हैं, और हिन्दी बोलते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं।

§ 29. भाषा सीखने के सम्बन्ध में कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य

(१) भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम है—सुनना—बोलना—पढ़ना—लिखना।

(२) भाषा का मानसिक आधार विचार है। विचार से ही वाक्य की उत्पत्ति होती है। भाषा की इकाई वाक्य है। हम वाक्यों में ही सोचते हैं, शब्दों में नहीं।[1] अतः भाषा सिखाने के लिए वाक्यों से आरम्भ करना चाहिए। पृथक् शब्दों से नहीं।

(३) एक भाषा के सीखने से दूसरी भाषा के सीखने में सहायता मिलती है। दूसरी भाषा सीखने के लिए मातृ-भाषा से पूरी सहायता लेनी चाहिए।

(४) शब्द और मुहावरे प्रसग के बिना याद नहीं रह सकते।

(५) भाषा सीखने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है अत. भाषा स्वाभाविक विधि से सिखाई जानी चाहिए।

---

1. "पद समूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्तौ" (न्यायसूत्र वात्सायनभाष्य २, १=५५)

(६) भाषा सीखने मे अभ्यास और रुचि सहायक हैं।

(७) भाषा सीखने की अयोग्यता (Linguistic incapacity)—

इस सिद्धान्त मे कुछ भी सत्य नही। प्रत्येक व्यक्ति एक से अधिक भाषाऐं सीख सकता है।

(८) प्रारम्भिक-अवस्था मे भाषा सीखने की योग्यता अधिक होती है। बाल्य-काल मे सीखी हुई भाषा की छाप अमिट होती है।

(९) भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए।

(१०) बुद्धि, लिंग, रुचि आदि के प्रभाववश बच्चो मे भाषा-विकास की गति एक समान नही होती। अत उनकी व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए।

अभ्यासात्मक प्रश्न

१. अध्यापक को विद्यार्थियों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अनुसार भाषा-शिक्षण का कार्य-क्रम रखना चाहिए। इस कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए।

२. भाषा के मानसिक आधार से क्या तात्पर्य है? भाषा की शिक्षा मे इस आधार से किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए।

३. भाषा और मानसिक विकास पर एक सारगर्भित लेख लिखें।

सहायक पुस्तकें

1. **A. F. Watte** — *Languages and Mental Developme of Children. George C Harrap an Co. Ltd Bombay*
2. **Maxim Newmark,** — *20th Century Modern Language tea ching. New York.* *See Part V—Psychology of Langnag learning.*
3. **Otto Jesperson** — *Language, its nature, Development on origin*
4. **Gardener** — *Theory of Speech and Language*
5. **Buhlar** — *Testing Children's Development fro Birth to Schoolage.*
6. **Piaget** — *Language and thought of the Childre*
7. **Ballard** — *Language and Thought.* *(University of London press)*
8. **Eisonosen J** — *Speech Correction in the Schools Ch. IV*
9. **Valentine** — *Psychology of early Child*

भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धाँत

§ 30. स्वाभाविक प्रवृत्ति—

आत्माभिव्यक्ति मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी आत्माभिव्यक्ति के निमित्त यह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा सीखने की प्रवृत्ति भी उसकी आन्तरिक प्रवृत्ति है। इसी आंतरिक प्रवृत्ति के अनुसार वह शैशवकाल में ही अपने अपने माता-पिता से प्रारम्भिक भाषा सीखता है और अपनी तोतली भाषा में अपने भावों को व्यक्त करता है। अनायास ही वह इस कला को सीखने लगता है। यदि यह स्वाभाविक प्रवृत्ति न होती, तो कदाचित् यह मानव संसार पशुजगत् के समान गूंगों का संसार ही होता। हम जिस वातावरण में जन्म पाते हैं, उस वातावरण में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों को अनायास ही हम ग्रहण करते हैं, और अनुकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा उन ध्वनियों को अपनी जबान से बोलने लगते हैं। अनजाने ही हम ध्वनियों का ग्रहण, अनुकरण और भाषण करते हैं।[1] प्रसिद्ध भाषा शास्त्री गेटनबी (E. V. Gatenby) के अनुसार भाषा सीखने में शिशु की प्रकृति अत्यन्त सहायक है। किंडरगार्टन कक्षा में जहाँ बीस बच्चे पढ़ते हों, वे प्रतिदिन एक शिक्षक के सम्मुख ३ घण्टे पढ़ते हुए १ वर्ष में एक नई भाषा सुविधापूर्वक सीख सकते हैं। मिडिल कक्षाओं में भी प्रतिदिन १ घण्टा पढ़ते हुए, तीन वर्ष में नई भाषा सुगमता से सीखी जा सकती है। मातृ भाषा के स्वाभाविक रीति से सीखने का यही रहस्य है। मातृ-भाषा ही क्यों, कोई अन्य भाषा भी हम इसी रीति से सीख सकते हैं और एक साथ दो या दो से अधिक भाषाएं भी सीखी जा सकती हैं। कोई बालक बंगाल में उत्पन्न होने के कारण वातावरण के प्रभाव-वश बंगाली सीखता है। उसकी माता मराठी बोलती है और पिता पंजाबी। वह बालक बंगाली, मराठी, और पंजाबी तीनों भाषाएं सीख सकता है। यदि विद्यालय में उसे हिन्दी और अंग्रेजी सिखाई जाए तो वह पांच भाषाएं जान सकता है। इस पुस्तक का लेखक भी 12 वर्ष की अवस्था में मातृ-भाषा (जो हिन्दी से भिन्न थी), हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी और किंचित् संस्कृत – पांच भाषाएं जानता था। तात्पर्य यह है कि प्रारम्भिक जीवन में मनुष्य बहुत ही भाषाएं सीख सकता है, केवल सीखने के लिए अनुकूल वाता-

---

1. तुलना कीजिए :—"यत्र ह्येव मनस्तद् वाक्। यत्र वै वाक् तन्मन। इत्येते द्वे योनी एक मिथुनम्"। (गोपथब्राह्मण १/१/३३

करण चाहिए।[2] प्रौढ अवस्था मे ऐसा कर पाना उतना सरल नही, परन्तु असम्भव भी नहीं। भारतीय विद्वान् देश-विदेश की कुल मिलाकर तीस भाषाएं जानते हैं। स्वर्गीय डा० रघुवीर ४० से ऊपर भाषाएं जानते थे। विद्वानो का मत है कि अन्य विज्ञान अ कलाओं की अपेक्षा विभिन्न भाषाओ को सीखना सरल है। विज्ञान और कला सीख के लिए विशेष शिक्षा-दीक्षा की आवश्यकता है, परन्तु भाषा अनजाने ही मानसप पर अंकित हो जाती है और अनुकरण करने मे प्रस्फुटित हो जाती है। पाश्चात्य भा वैज्ञानिक भाषा का विश्लेषण कैसे करते हैं, भारतीय स्फोटवाद के अनुसार भाषा उत्पत्ति कैसे होती है — इन गहरे दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारो मे जाने की ! आवश्यकता नही, परन्तु सक्षेप मे शिक्षक के पथ के प्रदर्शन के लिए भाषा की मा प्रवृत्ति के सम्बन्ध मे निम्न बातें बतलाई जा सकती हैं —

(i) प्रत्येक बालक मे भाषा सीखने और बोलने की सहज प्रवृत्ति पाई जाती

(ii) इस सहज प्रवृत्ति को काम मे लाने के लिए उचित वातावरण आवश्यकता है। माता-पिता, मित्र-बाधव, स्कूल तथा नगर-ग्राम भाषा सीखने के ि सहायक हैं। क्योकि ये ही ऐसा वातावरण उपस्थित करते हैं।

(iii) मातृ-भाषा सीखने मे देर नही लगती, परन्तु अन्य भाषाएँ भी उ वातावरण के उपस्थित होने पर मातृ-भाषा के समान प्रारम्भिक अवस्था मे सीखी सकती हैं।

(iv) कला और विज्ञान की अपेक्षा भाषा जल्दी सीखी जा सकती है।

इस कथन से यह अर्थ कभी नही लिया जा सकता कि भाषा के सीखने मे त भी प्रयास की आवश्यकता नही और न ही व्यवस्थित शिक्षण की कोई आवश्यकता इस विषय मे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि —

(i) मातृ भाषा घर पर स्वाभाविक रीति से जितनी सीखी जाती है वह आग जीवन मे व्यवहार मे लाने लिए पर्याप्त नही। भाषा का लिखित रूप तो बि प्रयास और अध्यवसाय के बिना सीखा नही जा सकता, साथ ही मौखिक रूप व्याकरणबद्ध, विभिन्न शैलियो से सुसज्जित और अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण-पर्याप्त त हो सकता है, जब उस की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त हो।

(ii) अन्य भाषा भी मातृ-भाषा के समान उचित वातावरण मे थोड़ी सी सी

---

2. 'कैनेडा के एक नाडी विशेषज्ञ विल्डर पेनफील्ड ने दर्शाया है १० वर्ष अवस्था तक बच्चो मे भाषाएं ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है। इस अवस्था त यदि बच्चे को बहुत सी भाषाएं सिखलाई जायें तो वह सभी भाषाएं सीख लेता है अ इन भाषाओ की छाप उसके मन पर अमिट रहेगी।'

[illegible]

(iii) [illegible]

[illegible] Principles) है जो किसी भी भाषा पर लागू हो सकते हैं। इन सामान्य सिद्धान्तों के अतिरिक्त भाषा के विभिन्न अंगों तथा विभिन्न परिस्थितियों के लिए विशेष सिद्धान्तों का [illegible]

भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त निम्न हैं —

(1) स्वाभाविक विधि (Natural Method)
(2) क्रियाशीलन और अभ्यास (Activity and Drill)
(3) मौखिक काम (Oral Work)
(4) अनुपात और क्रम (Proportion and Gradation)
(5) बहुमुखी प्रयास (Multiple-pronged attack)
(6) वैयक्तिक विभिन्नता (Individual Difference)
(7) रुचि या प्रेरणा (Motivation)
(8) शिक्षा सूत्र (Maxims)

§ 31. भाषा स्वाभाविक विधि से सिखाई जानी चाहिए—

बालक का भाषा सीखने का एक स्वाभाविक क्रम है, जिस क्रम से वह घर पर ही अपनी मातृ भाषा सीखता है। इस क्रम के अनुसार बोलना और समझना पहले, पढ़ना और लिखना बाद में आता है। बोलने में भी उच्चारण सीखने का स्थान पहले आता है। प्रारम्भिक कक्षाओं में उच्चारण पर अधिक बल देना चाहिए। यदि कहीं पर उच्चारण दोष रह गया तो बाद में उसे ठीक करना कठिन हो जाता है। जो आदतें बचपन में डाली जाती हैं वे अधिक दृढ़ होती हैं। अतः आरम्भ में ही उच्चारण की शुद्ध आदतों पर बल देने से सारी कठिनाई दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त बोलने में भी वाक्यों का [illegible] पहले आता है, शब्दों और पृथक् ध्वनियों का बाद में। यह बात रखनी [illegible] की इकाई वाक्य है न कि शब्द। वाक्य निरपेक्ष अकेले

शब्द की कोई अर्थ नहीं। हम वाक्यों में ही बोलते हैं और वाक्यों में ही सोचते हैं। वाक्य स्वाभाविक और सहजात हैं, परन्तु शब्द तो हमने बना लिए हैं। व्याकरण में लिखा होता है—'वाक्य शब्दों का समूह है', परन्तु वास्तव में ऐसा कहना चाहिए—'शब्द वाक्य का खण्ड है।' वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है। बालक का माँ से यह कहना 'रोटी' से तात्पर्य है 'मुझे रोटी दो'। बच्चा जब भाषा सीखता है, तो वह वाक्य से आरम्भ करता है, क्योंकि वाक्य में उसका पूर्ण भाव प्रकट होता है। इसी कारण से विद्यालयों में भी भाषा सिखाने के लिए वाक्य से शब्द की ओर जाना चाहिए। संक्षेप में शिक्षण की स्वाभाविक विधि में निम्न बातें आ जाती हैं—

(i) बोलना और समझना पहले, पढ़ना और लिखना बाद में।
(ii) उच्चारण पर प्रारम्भ में ही ध्यान देना चाहिए।
(iii) वाक्य से शब्द की ओर जाना चाहिए।

§ 32. क्रियाशीलन और अभ्यास का सिद्धान्त—

भाषा एक ऐसी कला है, जिस में सतत अभ्यास की आवश्यकता है। इस दृष्टि से भाषा एक कला है, विज्ञान नहीं, यद्यपि इसका एक वैज्ञानिक अंश भी है। इसका वैज्ञानिक अंश उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कलात्मक अंश। प्रत्येक कला और शिल्प में अभ्यास की आवश्यकता है। तैरने से प्रवीणता तभी आती है, जब स्वयं तैरने का अभ्यास किया जाए, इस विषय पर पुस्तकें पढ़ने से नहीं।[1]

संगीत का शास्त्रीय ज्ञान कुछ और है और प्रत्यक्ष अनुभवजन्य ज्ञान कुछ और! बाइसिकल की सवारी में सन्तुलन (balance) कैसे रखा जा सकता है, अभ्यास से ज्ञात हो जाता है, अध्ययन से नहीं। भाषा में भी अध्ययन की अपेक्षा अभ्यास की अधिक आवश्यकता है। निरन्तर अभ्यास से हमारे कान सुनने और सुनते हुए भाषा को समझने में, हमारी जबान निर्बाध गति से बोलने तथा विचारों को स्पष्ट रीति से व्यक्त करने में, हमारे हाथ लिखने में प्रवीण तथा प्रशिक्षित (trained) हो जाते हैं। भाषा प्रशिक्षण में अध्यापक गणित की भान्ति दो चार महत्वपूर्ण गुर (important formulae) नहीं बता सकता, जिनको समझने पर काम बन जाये। यहां निरन्तर अध्यवसाय, अभ्यास और ड्रिल (dirll) की आवश्यकता है। यदि अभ्यास टूट गया तो पुराना भूल गये। इस कारण से इतिहास, भूगोल आदि विषयों की अपेक्षा भाषा सीखने के लिए अत्यधिक समय, परिश्रम और अभ्यास की आवश्यकता है। जो भाषा में दुर्बल हो वह दो तीन महीनों में ही साल भर की कमी को पूरा नहीं कर सकता

---

1. "He who only gets the tip of his fingers dipped in the water three times in twenty weeks will never learn how to swim"—Otto J.

जैसा वह अन्य विषयों में घर पर अध्ययन करके, कर सकता है। कक्षा में भी केवल सुनने और चुपचाप पढ़ने से काम नहीं चलता बोलने की आदत डालने के लिए प्रश्नोत्तर प्रणाली को अपनाना पड़ता है, और लिखने की आदत डालने के लिए स्कूल में भी और घर पर भी रचना कार्य पर बल देना पड़ता है। व्याकरण का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान—सब निष्फल हो जाता है, यदि अभ्यास न हो। अन्य विषयों में भी काम द्वारा शिक्षा (learning by doing) की आवश्यकता होती है परन्तु भाषा में इस विधि की अन्य विषयों से अधिक आवश्यकता है। जहाँ अन्य विषयों में काम बिना भी काम चल सकता है, वहां भाषा में काम बिना काम नहीं चल सकता।

इस प्रकार क्रियाशीलता और अभ्यास भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है।

§ 31. बोल-चाल का सिद्धान्त—

पुरानी पाठन विधि में सब से बड़ा दोष है बोलचाल का अभाव। पाठ्यपुस्तक पढ़ानी हो, व्याकरण पढ़ाना हो, अथवा रचना सिखानी हो अध्यापक स्वयं बोलता जाता है और विद्यार्थी सुनते रहते हैं। परिणामतः विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बनते हैं और अध्यापक क्रियाशील वक्ता। विद्यार्थी को बोलने का कभी अवसर ही नहीं मिलता। किसी कठिन शब्द का अर्थ बताने, व्याकरण के नियमों को दुहराने, कोई कविता कण्ठस्थ करके सुनाने अथवा महीने में एक आध बार संवाद में भाग लेने के अतिरिक्त उसे बोलने का अवसर नहीं मिलता। विद्यार्थियों का बोलना कक्षा के अनुशासन के विरुद्ध समझा जाता है। पुरानी पद्धति के अध्यापक के मन में कक्षा में श्मशान की निस्तब्धता (silence of the grave) ही पूर्ण अनुशासन का प्रमाण है।

आजकल के भाषा शास्त्री भाषा सीखने के लिए तथा भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए बोलचाल पर अधिक बल देते हैं। कक्षा में भाषा सिखाते समय विद्यार्थी ही अधिक बोलें, अध्यापक कम। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए। पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलने से ही भाषा शीघ्र सीखी जा सकती है। अन्य भाषा हो या अपनी भाषा, बोलचाल भाषा शिक्षण में सबसे अधिक आवश्यक है। [illegible]

(1) [illegible]

1. [illegible]

§ 34. अनुपात और क्रम का सिद्धांत (Proportion and Gradation)—

अध्यापक भाषा सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक के एक दो पृष्ठ पढने व्याकरण के बताने और रचना के लिए काम देने के अतिरिक्त अपना कर्त्तव्य और कुछ भी नही समझता। परिणामतः भाषा के सभी अगो की शिक्षा अधूरी रहती है। पहले कहा जा चुका है कि भाषा सिखाने के केवल व्यावहारिक उद्देश्य के लिए भी बोलकर समझाने, लिख कर समझाने और सुनकर समझाने तथा पढ कर समझाने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षा के दो अग हैं .—ग्रहण (eception) और अभिव्यक्ति (expression)। दूसरो के विचारो को ग्रहण करने की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है।

(i) सुनने और (ii) पढने से।

इसी प्रकार अपने विचारो को प्रकट करने की प्रक्रिया भी दो प्रकार से होती है—

(i) बोलने से और (ii) पढने से।

संक्षेप मे विद्यार्थी के सामने भाषा सीखने के चार उद्देश्य हैं—

(i) दूसरो के मुख से सुनकर समझने की योग्यता प्राप्त करना।

(ii) स्वय बोलने की योग्यता प्राप्त करना।

(iii) पुस्तक आदि को पढ़ने और पढ़ कर समझने की योग्यता प्राप्त करना।

(iv) तथा अपने विचारो को व्यक्त करने के लिए लिखने की योग्यता प्राप्त करना।

भाषा के इन चार अगों मे उपयुक्त क्रम ही अपेक्षित है। अध्यापक को यही क्रम ध्यान मे रखना चाहिए। सिखाने के लिए क्रम यह है—प्रथम अध्याय का बोलना और विद्यार्थी का समझना, द्वितीय विद्यार्थी का अनुकरण करना और बोलने का अभ्यास करना, तृतीय विद्यार्थी का पुस्तक पढ़ना, शब्दावली आदि के ज्ञान की वृद्धि करना, व्याकरण सीखना, समझने की योग्यता प्राप्त करना और चतुर्थ रचना द्वारा अपने विचारों को शुद्ध भाषा मे प्रकट करना। जहाँ हिन्दी मातृ-भाषा नहीं, वहाँ प्रारम्भिक कक्षाओं मे निर्बाध विधि (d: ect m.thod) द्वारा, संवाद तथा प्रश्नोत्तर द्वारा समझने और बोलने पर बल देना चाहिए। पढना लिखना सुनने-बोलने के बाद आरम्भ करना चाहिए। साथ ही उच्च कक्षाओं मे पढ़ने, पढ़ने-लिखने का पूरा अभ्यास दिलाना चाहिए। जहाँ हिन्दी मातृभाषा है, वहाँ प्रारम्भिक कक्षाओं मे निर्बाध-विधि की कोई आवश्यकता नहीं। परन्तु उच्चारण की शुद्धता तथा अक्षर ज्ञान कराने के लिए विद्यार्थियों को बचपन से मग्न रखना चाहिए और यह प्रश्नोत्तर द्वारा हो सकता है। उच्च कक्षाओं में रचना में बालकों पर बल देना चाहिए और साथ ही पढ़ने में रुचि तथा अध्ययन पैदा करने के लिए पुस्तकालय की अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने के लिए देनी चाहिए, जिससे स्कूल में सीखी हुई शब्दावली आदि का ज्ञान अभ्यास के द्वारा पुष्ट हो जाय।

जैसा भी हो, अध्यापक को भाषा के सर्वांगीण (all round) विका[illegible] देना चाहिए। उच्चारण, शब्दावली, अक्षर विन्यास, व्याकरण सवाद वाचन[illegible] तत्वों पर अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुपात का ध्यान रखना चा[illegible] के सभी उद्देश्यों की ओर ध्यान रखते हुए, बालकों की मानसिक अवस्था, कक्[illegible] और अवसर की माँग को सामने रख कर अध्यापक भाषा के विविध अंगों [illegible] स्वयं स्थिर करके अपना कर्त्तव्य निभा सकता है।

बहुमुखी प्रयास (Multiple pronged attack)

इसमें तात्पर्य यह है कि भाषा का कोई भी अंग या पाठ पढ़ाने के लिए [illegible] से प्रयास करना चाहिए। एक कठिन वाक्य पढ़ाने में निम्न प्रक्रियाएं आवश्यक हैं[illegible]

(i) वाक्य का वाचन करना और कठिन शब्द के उच्चारण का अभ्यास क[illegible]

(ii) कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट पर लिखना, उसका वाक्य प्रयोग करान[illegible]

(iii) वाक्य का भाव स्पष्ट करना।

(iv) छोटी कक्षाओं में वाक्य कापी पर लिखाना, वाक्य प्रयोग भी लिख[illegible] और अक्षर विन्यास नोट करवाना।

(v) व्याकरण की बातें स्पष्ट कराना।

इस प्रकार एक ही विषय के सम्बन्ध में उच्चारण, वाचन, शब्दावली, व्याकरण[illegible] श्रुतलेख और रचना सिखाई जा सकती है।

§ 36. शिष्यों की वैयक्तिक विभिन्नता (Individual Differences) प[illegible] ध्यान देने का सिद्धान्त।

अध्यापक सभी बालकों को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकता। सारी कक्षा में सभी विद्यार्थी समान योग्यता नहीं रखते। इसके अतिरिक्त किसी विद्यार्थी की भाषा में अप[illegible] विशेष कठिनाइयाँ होती हैं। किसी की उच्चारण की कठिनाई होती है, किसी को अक्षर ज्ञान करने में अधिक देर लगती है, किसी की लिखावट सही होती है, किसी को बोलना नहीं आता, कोई मौन पाठ कर सकता है, परन्तु उच्च स्वर से [illegible]सके समय पाठ समझ नहीं सकता, किसी का ध्यान मौन पाठ करते समय स्थिर नहीं [illegible]ता, कोई व्याकरण की अशुद्धियाँ अधिक करता है और कोई रचना में दुर्बल होता [illegible]। अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी पर वैयक्तिक ध्यान देना चाहिए उनकी अशुद्धियाँ दूर [illegible] चाहिए, शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने में उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, और [illegible]ा में अधिकाधिक प्रवीणता प्राप्त करने में मार्ग निर्देश करना चाहिए, और [illegible]प पर और परीक्षा लेते रहना चाहिए और शिष्यों की [illegible] [illegible]ी चाहिए।

रुचि पैदा करने के लिए आगमन निगमन प्रणाली से काम लेना चाहिए और गद्यपाठ के साथ इसका सम्बन्ध जोड़ना चाहिए। नियमों की अपेक्षा प्रयोगात्मक व्याकरण (Applied Grammer) पर ही बल देना चाहिए।

(x) रचना कार्य में चित्र आदि का प्रयोग करना चाहिए, और संवाद नाटक, वादविवाद, कथा वर्णन आदि से उनकी अभिव्यक्ति कराना चाहिए। 'दीपावली पर एक निबन्ध घर से लिख कर लाओ' — ऐसा आदेश देने से विद्यार्थी रचना कार्य में तनिक भी रुचि नहीं रख सकते। इसके बदले उन विधियों को अपनाना चाहिए, जो आगे वर्णित हैं।

§ 37 सिद्धान्त सूत्र (Maxims of Teaching) —

उपर्युक्त सिद्धान्तों के अतिरिक्त हिन्दी शिक्षण के लिए क्रमबद्ध विधि के कुछ नियम भी हैं, जो अत्यन्त लाभदायक हैं।

(क) ज्ञात से अज्ञात की ओर (From known to unknown)— विद्यार्थियों के वर्तमान ज्ञान को आधार मान कर अध्यापक नवीन ज्ञान का परिचय करा सकता है। पूर्वज्ञान की सहायता से नवीन तथ्य समझा सकता है। वह ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं में तुलना करा सकता है। विद्यार्थी का ज्ञान अधूरा होता है, अतः एक कुशल अध्यापक पहले यह जान लेता है कि उनको प्रस्तुत विषय का कितना ज्ञान है और उसके पश्चात् ज्ञात वस्तुओं और विचारों द्वारा अज्ञात वस्तुओं और विचारों का परिचय देता है।

उदाहरण :—विद्यार्थियों ने कुत्ते की राम कहानी लिखी है। उसी ढंग पर वे आम की राम कहानी भी लिख सकते हैं।

(ख) सरल से जटिल की ओर (From Simple to Complex)— अध्यापक किसी कठिन विषय के बारे में मोटी मोटी बातें पहले बता सकता है और विस्तार की बातें बाद में। वह सब से पहले सरल प्रकरण ला सकता है और कठिन प्रकरण बाद में। सबसे पहले सरल भाव आने चाहिए और बाद में कठिन।

उदाहरण :—पुस्तक में से पहले सरल पाठ पढ़ाने चाहिए और बाद में कठिन। पहले सरल शब्दों को लेना चाहिए और बाद में कठिन।

(ग) मूर्त से अमूर्त की ओर (From Concrete to Abstract)— विद्यार्थी आरम्भ में अमूर्त भावों और विचारों को समझ नहीं सकता। उसके सामने मूर्तभाव और विचार अधिक सरल होते हैं। अध्यापक मूर्त और स्पष्ट उदाहरणों द्वारा अमूर्त बातों का ज्ञान करा सकता है।

उदाहरण :—व्याकरण के नियम अमूर्त हैं। स्पष्ट उदाहरणों को उपस्थित करके उन से नियम निकलवाने पर अमूर्त विचार साकार हो जाते हैं।

(घ) विशेष से सामान्य की ओर (From Particular to General)—बच्चों को सामान्य सिद्धान्त या नियम बता देने से पहले विशेष तथ्य और उदाहरण देने चाहिए। विद्यार्थी उन विशेष उदाहरणों से स्वयं नियम निकाल सकते हैं।

उदाहरण —दीर्घ सन्धि के दस विशेष उदाहरण उपस्थित होने पर व्याकरण का एक सामान्य नियम निकाला जा सकता है कि यदि अ आ, इ ई, उ ऊ, अथवा ऋ के परे सवर्ण स्वर हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ स्वर आ जाता है।

(ङ) आगमन से निगमन की ओर (Inductive to Deductive)—विद्यार्थी उदाहरणों के द्वारा एक व्यापक नियम निकाल सकता है। उदाहरणों से निरीक्षण द्वारा नियम निकालने की विधि को आगमन विधि कहते हैं। नियम निकालने के बाद इसकी पड़ताल हो सकती है, और इन को अन्य उदाहरणों में प्रयुक्त कर सकते हैं, इस विधि को निगमन विधि कहते हैं। व्याकरण पढ़ाने की यही शुद्ध और सरल विधि है।

अभ्यासात्मक प्रश्न

१. मातृ-भाषा हिन्दी की शिक्षा देते समय किन सामान्य सिद्धान्तों का ध्यान रखा जाना चाहिए?

२ यदि हिन्दी अन्य भाषा (Second Language) के रूप में पढ़ाई जाए तो भाषा शिक्षण के किन सिद्धान्तों या नियमों का पालन करना आवश्यक होगा?

३. भाषा शिक्षण में रुचि पैदा करने की क्या आवश्यकता है? रुचि पैदा करने के लिए किन उपायों को काम में लाया जा सकता है? (§ 36)

४. बालक के भाषा-ज्ञान तथा व्यक्तित्व विकास के लिए बोल-चाल सर्वप्रथम साधन है। इस कथन की विवेचना कीजिए। (§ 33) (पंजाब बी० टी० १९५८)

सहायक पुस्तकें

1. **Palmer, Harold E :**—(1) *Oral Method of Teaching Languages.*
   (2) *Principles of Language Study*
   (3) *Scientific Study of Teaching of Language.*
2. **West Michael :**— *Language in Education.*
3. **UNESCO .**— *Teaching of Modern Languages. Ch. 'Methodology of Language Teaching'.*
4. **Herrick & Jacobs :**— *The Language Arts (Prentice Hall)*
5. **Ballard :**— *Language and Thought*
6. **Tidyman & Butterfield**—*Teaching the Language Arts (Mc Grow Hill Series Chapter 20*
7. **Wiled Penfield** *Learning a second Language (Air Series, All India Radio) (The Publication Division)*
8. **M. M. Lewis** *Language in School, ch 2 'The Spoken Word'*

र्थियों पर अच्छा पड़े। उनके व्यक्तित्व में निम्न बातें सम्मिलित हैं।

(i) शारीरिक स्वास्थ्य, चाल-ढाल और स्फूर्ति।

(ii) मानसिक योग्यता, तीव्र-बुद्धि, अध्ययन की ओर रुचि, निरीक्षण-शक्ति, धैर्य और प्रसन्नता।

(iii) नैतिक बल, शिष्ट व्यवहार, शुद्ध आचरण, सच्चरित्र, विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति और प्रेम।

(२) शिक्षा तथा उपाधियाँ — विश्वविद्यालयी उपाधियाँ और विद्यालयी शिक्षा [illegible] नहीं। अध्यापकों को पाठान्तर क्रियाओं (Cocurricular activities) जैसे [illegible]टिंग, समाज-सेवा, ग्रामसुधार, साहित्य परिषद्, खेल-कूद, व्यायाम आदि का पूरा [illegible]भव होना चाहिए।

(३) पाठन-अनुभव .—अध्ययन का आधार अनुभव है। सफल अध्यापक वही [illegible]ता है जो तत्परता और जिज्ञासा से जग-जीवन तथा अध्यापन का अधिकाधिक [illegible]भव प्राप्त करता रहे।

(४) प्रशिक्षण :—किसी प्रशिक्षण विद्यालय में शिक्षा के सिद्धान्तों, और शिक्षा [illegible] प्रक्रिया का ज्ञान करना अध्यापक के लिए नितांत आवश्यक है। प्रत्येक व्यवसाय के [illegible]ए व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता है। अध्यापन के लिए उसकी दुगनी आवश्यकता [illegible] क्योंकि अध्यापक यन्त्रों या कागजों जैसे निर्जीव पदार्थों के साथ काम करने के [illegible]दले बालक जैसे सजीव व्यक्ति के साथ काम करता है। प्रशिक्षण के उपरान्त अध्यापक [illegible] अध्यापन का अभ्यास प्राप्त करना चाहिए।

(ख) विशेष गुण (जो हिन्दी शिक्षकों में विशेषकर होने चाहिएँ)

(५) हिन्दी भाषा पर अधिकार —हिन्दी शिक्षक तब तक सफल शिक्षक नहीं [illegible]न सकता जब तक वह स्वयं हिन्दी का पूरा ज्ञान नहीं रखता। उसका उच्चारण शुद्ध [illegible]होना चाहिए। उसकी वाणी में प्रवाह होना चाहिए। वह सफल वक्ता हो। उसे वाचन [illegible]में पूरा अभ्यास होना चाहिए। उसे हिन्दी व्याकरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बहुधा [illegible]हिन्दी शिक्षक व्याकरण से अनभिज्ञ होते हैं या व्याकरण की ओर उदासीन होते हैं [illegible]जिसके फलस्वरूप वे व्याकरण की शिक्षा छोड़ ही देते हैं। जब तक अध्यापक हिन्दी [illegible]व्याकरण का ज्ञान नहीं रखता वह न तो व्याकरण पढ़ा सकता है, न विद्यार्थियों की [illegible]व्याकरण की अशुद्धियों का संशोधन कर सकता है और न ही उनकी शुद्ध रचना में [illegible]सहायता दे सकता है। व्याकरण के ज्ञान के अतिरिक्त हिन्दी शिक्षक स्वयं एक अच्छा लेखक होना चाहिए, तभी वह शिष्यों को लेखक बना सकता है। अतः वह हिन्दी भाषा के बोलने, पढ़ने और लिखने में निपुण होना चाहिए।

(६) हिन्दी साहित्य का विस्तृत ज्ञान :—हिन्दी के कवियों, उपन्यासकारों, कहानीकारों, नाटककारों और अन्य प्रसिद्ध लेखकों की जीवनियों, प्रसिद्ध रचनाओं,

साहित्यिक विशेषताओं, शैलियों आदि से परिचित होना हिन्दी पढ़ाने की प्रथम आवश्यकता है। अध्यापक को हिन्दी साहित्य की प्रसिद्ध रचनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। हिन्दी साहित्य के इतिहास, कविता के विभिन्न-वाद, छन्द, अलंकार, आलोचना और भाषा-विज्ञान का ज्ञान, कोष आदि प्रकरण पुस्तकों का प्रयोग, पुस्तकालय का प्रयोग, हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का निरन्तर और नियमित अध्ययन, बाल-साहित्य और किशोर साहित्य का परिचय उसके लिए परमावश्यक है*।

---

*हिन्दी शिक्षक के निर्देश के लिए दिन प्रतिदिन काम आने वाली कुछ उपयोगी प्रकरण की पुस्तकों की सूची नीचे दी जाती है—

१. हिन्दी व्याकरण	कामताप्रसाद गुरु (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी)
२ अच्छी हिन्दी	रामचन्द्र वर्मा (साहित्य रत्न माला कार्यालय, बनारस)
३. भार्गव शब्दकोष (हिन्दी से अंग्रेजी)	आर० सी० पाठक
४ भार्गव शब्दकोष (हिन्दी से अंग्रेजी)	आर० सी० पाठक
५. नालंदा अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोष	न्यू इम्पीरियल बुक डिपो
६. बृहत् पर्यायवाची कोष	भोलानाथ तिवारी (किताब महल, इलाहाबाद)
७ शब्दों का जीवन	भोलानाथ तिवारी (किताब महल, इलाहाबाद)
८. हिन्दी साहित्य की अर्न्तकथाएं	भोलानाथ तिवारी (किताब महल, इलाहाबाद)
९ भाषा-विज्ञान	भोलानाथ तिवारी (किताब महल, इलाहाबाद)
१०. प्रबन्ध सागर	यज्ञदत्त शर्मा (आत्माराम एण्ड सन्ज)
११ आदर्श पत्र-लेखन	,,
१२. भाषण और	,,
१३ हिन्दी साहि	रामचन्द्र शुक्ल
१४ ाहि	सुधाकर पांडेय (मूल्य १।)

(पंजाब किताब घर, जालन्धर)
(पंजाब किताब घर, जालन्धर)
एस चांद एण्ड को, दिल्ली)

(७) साहित्यिक प्रवृत्ति (Literary taste).—रुचि और योग्यता एक ही सिक्के के दो पार्श्व हैं। जो जिस विषय में अधिक रुचि रखता है, उस विषय में वह अधिक योग्यता प्राप्त करता है। उसका तात्पर्य यह नहीं कि हिन्दी शिक्षक वही बन सकता है जो स्वयं कवि या साहित्यकार हो। प्रत्येक शिक्षक से ऐसी आशा नहीं रखी जा सकती। परन्तु शिक्षक वही हो सकता है जो हिन्दी साहित्य में अभिरुचि रखता हो। वही शिक्षक कविता के मर्म को पहचान सकता है, कहानी के मूल तत्व को ग्रहण कर सकता है, कवि के साथ भावतादात्म्य कर सकता है, और फलतः विद्यार्थियों को भी काव्य सौंदर्य परखने के योग्य बना सकता है। विद्यालय में बाल-सभा, कवि गोष्ठी, कवि दरबार, नाटक आदि साहित्यिक कार्यों में वही अध्यापक दिलचस्पी लेगा जिसे साहित्य के साथ रुचि और प्रेम हो। उससे आशा की जाती है कि वह बालकों के निकट साहित्य का निर्माण कर सके।

(८) भाषा-शिक्षा की विधियों का ज्ञान —शिक्षक कला के ज्ञान और अनुभव के अतिरिक्त हिन्दी शिक्षक को भाषा (विशेष कर हिन्दी) और भाषा-शिक्षण के सामान्य सिद्धान्तों और विधियों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। अपने अनुभव की वृद्धि करने में उसे सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपने नवीन अनुभवों के आधार पर अपने पाठन की योग्यता बढ़ानी चाहिए। जिज्ञासा वृत्ति के साथ उसे हिन्दी शिक्ष कला में नवीन बातों की खोज में तत्पर रहना चाहिए। हिन्दी शिक्षण कला के में अनुसंधान के अनेक छोटे बड़े विषय हैं जिन पर कार्य करने की शीघ्र आवश्यकता अनुसंधान के अध्याय में उनका विवरण दिया जाएगा। हिन्दी शिक्षक को ऐसे अनुस में संलग्न रहना चाहिए उसके अतिरिक्त हिन्दी शिक्षण के जितने भी साधन हैं, उन उपयोग करने में वह कुशल होना चाहिए।

(९) हिन्दी शिक्षक कर्तव्य—संक्षेप में हिन्दी शिक्षक के दायित्व तथा नियो निम्न कार्य सम्मिलित कर सकते हैं—

(i) पढ़ाने से पहले पाठ विषय को पूरी तरह से तैयार करना
(ii) कक्षा में पाठ्य सुचारू ढंग से पढ़ाना।
(iii) छात्रों में हिन्दी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, उनका उत्साह बढ़ाना। प्रेरित करना।

---

१८. हिन्दी कविता पाठन	रमनी कांत सूर
१९. कविता की शिक्षा	शिवनारायण श्री वास्तव
२०. समवाय	द्वारिक सिंह
२१. शब्द साधना	रामचन्द्र वर्मा

पाठ्यपुस्तकें भी उपयोगी नहीं। छात्रों के स्तर के अनुकूल तथा उपयोगी बनाने के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित हिन्दी पाठ्यपुस्तक समिति ने माध्यमिक कक्षाओं के लिए हिन्दी की पाठ्यपुस्तकें नवीन ढंग से तैयार की हैं। समूचे देश में इन्हीं पुस्तकों को लागू किया जाना चाहिए।[1]

2. हिन्दी अध्यापकों का प्रशिक्षण—अभी भी सुचारु ढंग से नहीं चल रहा।

3 छात्रों की बहुलता के कारण - अध्यापक प्रत्येक छात्र पर वैयक्तिक ध्यान नहीं दे सकता। न ही वह प्रत्येक छात्र की रचना का संशोधन कर सकता है।

4 दृष्ट श्रव्य उपकरणों का अभाव—श्यामपट के अतिरिक्त हिन्दी शिक्षक को और कोई उपकरण उपलब्ध नहीं।

5 अनुकूल वातावरण का अभाव अभी राष्ट्र भाषा हिन्दी की शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण नहीं। अंग्रेजी के शिक्षकों को अधिक श्रेय दिया जाता है। हिन्दी शिक्षकों का वेतन स्तर उन से निम्न है। भाषा-शिक्षक की उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है।

1. गद्य संकलन तथा पद्य संकलन —राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली 1964,

(२) हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति, सिफारिश या पक्षपात के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ठीक उपाधि शिक्षण-अनुभव, रुचि और योग्यता की परख के बाद ही हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए।

(३) वेतन में वृद्धि, और अन्य आर्थिक या सामाजिक सुविधाओं से हिन्दी शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, उसकी आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और वह अपने नियोग में अधिक रुचि दिखाएगा।

(४) परिचर्चा (Seminar), पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (Refresher Course), कार्य-शाला (Work-shop), शिक्षा यात्रा (Educational tour) आदि का प्रबन्ध भी हिन्दी शिक्षकों के लिए होना चाहिए।

(५) हिन्दी शिक्षकों के लिए पुस्तकालयी-सुविधाएं सुलभ होनी चाहिए। गांव के उन हिन्दी शिक्षकों की दशा सोचनीय है जो अपने गांव में साहित्यिक पुस्तकें तो क्या दैनिक पत्रिका भी प्राप्त नहीं कर सकते।

अभ्यासात्मक प्रश्न

१. एक आदर्श हिन्दी अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिएं? हिन्दी के वर्तमान अध्यापक, उनकी योग्यता, उपाधियां और प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित गुणों की व्याख्या कीजिए? (§ 39)

२. नीचे दिए हुए कथनों में सत्य और असत्य कथनों को पृथक् कीजिए।

(i) हिन्दी शिक्षक के लिए कवि या साहित्यकार होना आवश्यक

भाषा शिक्षण के विभिन्न साधन

§ 41

अब तक शिक्षकों का यह दृष्टिकोण रहा है कि शिक्षा का एक मात्र साधन स्कूल है। परन्तु वर्तमान नवीन शिक्षण-पद्धति के अनुसार शिक्षा के अनेक साधन हैं, स्कूल जिन में एक है। वास्तव में शिक्षा जीवन के लिए तैयारी ही नहीं, शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा समाज से प्राप्त की जाती है और स्कूल समाज का ही एक कृत्रिम लघुरूप है। स्कूल में भी कक्षालयी शिक्षा (Class Teaching) विद्यालयी शिक्षा का एक न्यून अंग है। आजकल शिक्षा के लिए कक्षा के भीतर और बाहर, विद्यालय के भीतर और बाहर अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की शिक्षा के लिए कक्षा में पाठ्य पुस्तक की शिक्षा देना केवल एक साधन है। भाषा की शिक्षा तभी सम्पूर्ण हो सकती है जब पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त पुस्तकालय बालसभा, कवि सम्मेलन आदि विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाए। नीचे इस बात की व्याख्या की जाती है कि भाषा शिक्षण में कौन कौन से साधन अपनाये जायें और उनका प्रयोग कैसे किया जाए।

(१) पाठ्य पुस्तकें— भाषा की शिक्षा में दो प्रकार की पाठ्य-पुस्तकों का प्रयोग हो सकता :—

(क) भाषा की पाठ्य पुस्तकें—जैसे गद्य की पाठ्य पुस्तक, पद्य की पाठ्य पुस्तक अथवा एक ऐसी पाठ्य पुस्तक जिस में गद्य और पद्य दोनों ही द्रुत-पाठ के लिए सहायक पुस्तक (Supplementary Reader), व्याकरण की पाठ्य-पुस्तक और उच्च कक्षा के लिए रचना तथा निबन्ध की पाठ्य-पुस्तक। इन पाठ्य-पुस्तकों में कौन कौन गुण होने चाहिए, और इनका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, अगले अध्याय में इसका वर्णन किया है।

(ख) अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें—जैसे भूगोल, इतिहास, सामाजिक शास्त्र, दैनिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें। स्मरण रहे कि सभी पुस्तकें मातृ-भाषा में लिखी होती हैं, और इनके सूक्ष्म अध्ययन से भाषा के अर्थ सहित वाचन में पर्याप्त अभ्यास हो जाता है। परन्तु खेद है कि भाषा के अध्यापक इन पुस्तकों से उदासीन हैं। अन्य विषयों के अध्यापक भी अपना ही विषय पढ़ाते हैं और अपना ही राग अलापते हैं और भाषा की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते सिकन्दर महान् की कहानी सुनाते या लिखते

छोटी कुर्सियों और कम ऊंची मेजें होनी चाहिएँ। विद्यार्थियों को विभिन्न पत्रिकाओं में अपने लेख भेजने मे प्रोत्साहित करना चाहिए। वे अपनी लिखी हु कविताएं, कहानियां, पहेलियां, चुटकले, व्यंगचित्र (कार्टून) आदि भेजें। भेजने पहले अध्यापक आवश्यकतानुसार संशोधन भी करें। वाचनालय में विभिन्न पत्रिकाओं (जैसे साप्ताहिक हिन्दुस्तान में बच्चों की फुलवाड़ी) में अपने तथा दूसरे सहपाठियों लेख तथा फोटो देख बच्चों को कितना हर्ष होता है उसकी हम कल्पना नहीं क सकते।

(४) समाचार पत्र—जब से समाचार पत्र सुलभ हो गए हैं, समाचार पत्रों वाचन एक सार्वभौम प्रातःकालीन क्रिया बनी है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति अपनी प्र जिज्ञासापूर्ण दृष्टि समाचार पत्रों के मोटे अक्षरों पर डालता है, निश्चय ही यह शिक्षा प्रद लाभकारी आदत है। विचारों का सकलन, संसार में नित्य प्रति घटने वा घटनाओं की जानकारी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की उ पड़ताल, मत-मतांतरों की आलोचना, राष्ट्रीय चेतना और जागरुकता के अतिरि समाचार पत्रों का सब से बड़ा लाभ यह है कि भाषा के ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि जाती है, नये शब्द सीखे जाते हैं, वाचन का अभ्यास हो जाता है, स्वास्थ्य की प्र बढ़ती है और अर्थबोध की क्षमता बढ़ती है। अतः स्कूल में छात्रों को समाचार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। छात्रों को बारी बारी आदेश देना चाहिए वि समाचार पत्र पढ़ कर मोटी मोटी खबरें समाचार-बोर्ड पर लिखें। समाचार पत्र पढ़ना एक कला है। छात्रों को समझाना चाहिए कि इतने वृहद समाचार पत्र में कौन- से स्तम्भ पढ़ने चाहिए और कौन से छोड़ने चाहिए। सम्पादकीय कहाँ पर हो विज्ञापन कहां पर और लेख कहां। कभी-कभी व्यापारिक विज्ञापनों पर भी केन्द्रित कराना चाहिए। इस विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, और कहां सफल होता है? आरम्भ होता है रोचक कहानी से और अन्त में होता है का प्रोपेगण्डा।

(५) विद्यालयी पत्रिकाएँ (School Magazines)।

विद्यार्थियों की रचना कार्य और आत्माभिव्यक्ति (Self Expression प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयी पत्रिकाओं का आयोजन करना चाहिए पत्रिकाओं में विद्यार्थियों के लेख प्रकाशित होंगे। ऐसी पत्रिकाएं निम्न प्रका होंगी :—

() कक्षा-पत्रिका—प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी (प्रारम्भिक कक्षाओं को छो अपनी कक्षा की एक पत्रिका निकाल सकते हैं, जिसमें उसी कक्षा के विद्यार्थियों (कविताएँ, कहानियां, निबन्ध, चुटकले, पहेलियां आदि) प्रकाशित होंगे। नहीं, कि पत्रिका मुद्रित हो। एक पाण्डुलिपि ही तैयार होकर बा-

सकती है। पत्रिका मासिक हो, त्रैमासिक हो या वार्षिक।

(ii) भित्ति पत्रिका (Wall Magazine)—कागज़ के टुकड़ों पर विद्यार्थियों की सुन्दर रचनाएं लिखी जा सकती हैं, और फिर दीवार पर उन तख्तों को प्रदर्शित किया जा सकता है। लेखों के साथ उचित चित्र भी होने चाहिएँ। इसके प्रकाशन का काम सारे विद्यालय की एक प्रकाशन समिति को सौंपना चाहिए।

(iii) स्कूल पत्रिका (School Magazine)—प्रत्येक हाई स्कूल की अपनी पत्रिका होनी चाहिए, जिसका मुद्रण और प्रकाशन का भी प्रबन्ध होना चाहिए। भाषा-शिक्षण यह एक उत्तम साधन है। अपने नाम को और अपने लेख को छपा हुआ देख कर बच्चों को असीम उल्लास प्राप्त होता है। इसलिए उनमें उत्तमोत्तम रचनाएं लिखकर भेजने की होड़ सी लगी रहती है। पत्रिका का सम्पादक एक योग्य विद्यार्थी होना चाहिए जो अध्यापक की सहायता से काम करे। ऐसी पत्रिकाओं को प्रकाशित करना विद्यार्थियों को योग्य लेखक बनाने के लिए तैयार करना है। इस कार्य को एक प्रोजेक्ट (Project के रूप में लेना चाहिए।

(६) डायरी या दैनिकी—विद्यार्थियों से डायरी लिखवाना एक नवीन विधि है। आत्म प्रकाशन प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम अपने सुख-दुख को बोल कर या लिखकर वर्णन करने में सन्तोष प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बालक अपने अनुभव बोलकर या लिख कर अभिव्यक्त करना चाहता है, वह अनुभव कितना ही तुच्छ क्यों न हो। विद्यालय में उसकी प्रवृत्ति को विकास मार्ग मिलना चाहिए। अतः तीसरी चौथी श्रेणी से लेकर ही डायरी लिखवानी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक कापी या डायरी हो। उस में वह निम्न प्रकार की बातें दिन-प्रति दिन लिखता रहे।

(i) औद्योगिक कार्य का वर्णन, अर्थात् आज उद्योग का कौन सा काम किया और कैसे किया।

(ii) विद्यालय की दैनिक क्रियाओं का वर्णन, जिन क्रियाओं में विद्यार्थी ने भाग लिया हो, आज वाद-विवाद में किस ने अच्छा भाषण दिया और उसने क्या कहा, होली का उत्सव कैसे मनाया, आज के फुटबाल मैच में कौनसी टीम जीती ...... इत्यादि।

(iii) अपने व्यक्तिगत अनुभव—कभी विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ व्यवहार में स्कूल में, बाजार में, घर में, दूर नगर में या ग्राम में, यात्रा में, उत्सव में अथवा किसी अवसर पर जो व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करे, जो विचार करता हो और मन में [illegible] का भी [illegible] करे, उनका उल्लेख भी डायरी में हो सकता है।

(iv) [illegible] की [illegible]—[illegible], [illegible] और भाषा साहित्य [illegible] के [illegible], [illegible] हुए [illegible], [illegible], सुन्दर कविता, [illegible]

कहानियां और तत्सम्बन्धी नये विचार टिप्पणियों के रूप में डायरी में दर्ज किए जा सकते हैं।

डायरी पद्धति अत्यन्त ही लाभकारी पद्धति है। अध्यापक को चाहिए कि वह कभी-कभी डायरियां देखे और ठीक ढंग से लिखने में सहायता दे।

(७) पत्र व्यवहार (Correspondence)—यों तो पत्र लिखने की शिक्षा रचना की घण्टी में दी जाती है। परन्तु यहां पर इस प्रकार के पत्र लिखने से तात्पर्य नहीं। यहां यह तात्पर्य है कि स्कूल के दैनिक कार्य-क्रम में कभी कभी ऐसे अवसर उत्पन्न करने चाहिए जब विद्यार्थियों को घरेलू, व्यापारिक या सरकारी पत्र लिखने पड़ें। विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें खरीदनी हैं, स्टेशनरी मंगानी है स्वास्थ्य अधिकारी से बी० सी० जी० टीका लगवाने के लिए प्रार्थना करनी है, उपज के विक्रय के लिए विज्ञापन देना है, गांव में आए हुए किसी महान नेता या विद्वान को निमन्त्रण पत्र भेजना है, उनके भाषण का आयोजन करके गांव वासियों को सूचना भेजनी है परीक्षा में सफल होने के उपरान्त अपने माता पिता को पत्र लिखना है, यात्रा से लौटने पर अपने मित्र को उसका वर्णन सुनाने के लिए चिट्ठी लिखनी है कभी तार भेजना है, कभी शोक-पत्र लिखना है, कभी इश्तहार प्रकाशित करना है कभी अभिनन्दन पत्र लिखना है, कभी कार्टून बनाना है, कभी दूसरे गांव की हाकी टीम को चुनौती भेजनी है .. आदि कितने ही अवसरों पर विद्यार्थी अपनी भाषा के ज्ञान को क्रियात्मक रूप देंगे।

(८) बाल-सभा—प्रति सप्ताह किसी घण्टी में बाल-सभा का आयोजन करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को अपनी कविताएं सुनाने लेख पढ़ने, कहानियां और चुटकले सुनाने, वाद-विवाद करने, भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने, पढ़ी हुई सहायक पुस्तकों का विवरण पढ़ने, अपने अनुभव सुनाने, अपनी डायरी के रोचक पन्ने पढ़ने और इस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति-शक्ति की वृद्धि करने का सुअवसर प्राप्त हो। जहां अन्य घण्टियों में भाषा शिक्षण का सैद्धान्तिक कार्य होता है, वहां उस घण्टे में वास्तविक प्रयोगात्मक कार्य होता है, जिसका मनोवैज्ञानिक, मनोरंजनात्मक और शैक्षणिक महत्त्व बहुत है।

(९) कवि सम्मेलन तथा कवि दरबार—कविता में रुचि बढ़ाने के और काव्य सौंदर्य परखने का ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है कवि सम्मेलन का आयोजन करना। कवि बाहर के हों तो अच्छा है, नहीं तो विद्यार्थी ही अपनी कविताएं सुना सकते हैं। कवि दरबार में दिवंगत कवियों का नाट्य विधि से सम्मेलन रचा जाता है। 'कविता में अभिरुचि बढ़ाने के साधन' के प्रकरण में इसकी व्याख्या की गई है।

(१०) प्रतियोगिता (Competition) :—किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिता जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता

निबन्ध प्रतियोगिता, विद्यार्थियों की आत्माभिव्यक्ति और भाषा के व्यावहारिक प्र
के लिए महत्त्वपूर्ण है। प्रतियोगिता के क्षेत्र अपने विद्यालय के अतिरिक्त, एक जि
या छोटा प्रदेश भी हो सकता है। इसके द्वारा भी विद्यार्थी अच्छे वक्ता और लेखक
सकते हैं। 12वें अध्याय में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है।

(११) संग्रह (Collection)—विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के लेखों
संग्रह करने में भी प्रोत्साहन देना चाहिये जैसे कहानी संग्रह, चुटकला संग्रह, कहाव
संग्रह, कवि-चित्र-संग्रह आदि।

(१२) दृश्य श्रव्य उपकरण (Audio-visual aids)—इस का वर्णन अ
पृथक् रूप में किया गया है।

(१३) *नाटक* - *नाटक विद्यालय का जीवित रूप है। उसके द्वारा विद्यार्थि*
की अपनी कामनाएँ और विचार मनोरम ढंग से प्रकाशित करने का सर्वश्रेष्ठ अवस
प्रदान होता है। बालकों और किशोरों के लिए नाट्य प्रदर्शन सर्वोत्तम विनोदात्मक औ
साहित्यिक व्यापार है।

उपार्जित ज्ञान को जीवित रूप देने के लिए नाटक खेलना पर्याप्त है। नाटकीय
दृश्य न केवल दर्शक बालक के लिए लाभदायक है, अपितु नाटकीय पात्र के लिए भी
शुद्ध उच्चारण सीखने, अभिनय सीखने, बोल-चाल में अभ्यास प्राप्त करने, सहकारिता
सीखने और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग में अभ्यास प्राप्त करने के लिए उत्तम अवसर
है। अत: प्रत्येक विद्यालय में वर्ष में कई बार नाटक खेले जाने चाहिएँ। इसकी व्यवस्था
अध्यापक कर सकता है। उस का काम है: सुन्दर सरल और शिक्षाप्रद नाटक चुनना,
विद्यार्थियों में से अच्छे पात्र चुनना, प्रत्येक पात्र को अपना अपना भाषण तथा संवाद
का अंश याद करने के लिए देना, पर्दों की ओर पात्रों के परिधान की व्यवस्था करना,
पात्रों से कई अभ्यास करवाना और उनकी जाँच तथा संशोधन करना, आदि।

निम्न प्रकार के नाटक खेले जाते हैं :—

(i) सम्पूर्ण नाटक, जिस में एक से अधिक अंश हों।
(ii) एकांकी नाटक, जिस में केवल एक अंश हो।
(iii) आत्म-भाषण (Soliloquy), जिस में केवल एक पात्र हो।
(iv) पुतली नाटक (Puppet play) जिसमें पात्रों के बदले कठपुतलियां काम करती हों।
(v) छाया नाटक (Shadow play), जिस में पात्र के बदले उसकी छाया दृश्यमान हो।
(vi) नृत्य नाटक, जिस में नृत्य की प्रधानता हो।
(vii) पेजंट (Peagent), जिस में दृश्य की प्रधानता हो, और कथोपकथन का अभाव हो।

(viii) मूक-नाटक (Pantomime), जिस मे अभिनय की प्रधानता हो, और कथोपकथन का अभाव हो।

(ix) अंग्रेज़ी मे इसके अतिरिक्त 'Tableau' और 'Histrionics' आदि अनेक प्रकार के नाटक खेले जाते हैं। रेडियो नाटक का अनुकरण भी किया जा सकता है।

अभ्यासात्मक प्रश्न

१. प्रचलित हिन्दी शिक्षण का एकमात्र साधन पाठ्य-पुस्तक है, जिस के कारण इसका नाम 'पुस्तकावलम्बी' (bookish) और 'एकांगी' (one-sided) पड़ा है। इस दोष को दूर करने के लिए पाठ्य पुस्तक को छोड कर किन किन अन्य साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए ?

२. बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे पाठ्य पुस्तको के स्थान की ओर एक आवश्यक प्रतिक्रिया हुई। शिक्षक को अध्यापन कार्य सौंपा गया, परन्तु उसके लिए पुस्तकें अधिकार वर्ग की वस्तु न होकर एक सहायक वस्तु ही रह गई। इस सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि यह भारतीय स्कूलों मे किस प्रकार लागू हो सकता है ?

३. शिक्षण मे समाचार पत्र तथा मैगज़ीन के क्या लाभ हैं ? दैनिक पत्रों की सहायता से आप किन-किन विषयो को पढा सकते है और कैसे ?

४ नाटक खेलने के साधन का हिन्दी शिक्षण मे या भाषा-शिक्षण मे क्या महत्त्व है ? इस साधन के प्रयोग के लिए आप कैसे व्यवस्था करेंगे ?

५. हिन्दी की शिक्षा मे निम्न कार्यों के विभिन्न लाभों की व्याख्या कीजिए —

(i) (क) वाद विवाद (ख) रचना (ग) पुस्तकालय (घ) लोकगीत और लोक गाथाएँ।

(ii) (क) पुस्तकालय, (ख) व्याकरण (ग) कहानी (घ) सवाद (ड) श्रुतलेख।

सहायक पुस्तकें

1. **T Raymont** — *Mcdern Education, its aims methods*
2 **Edger Dale** — *Audio Visual Methods in Te ing*
3. **Johan Adams** — *Modern Development in Educati Practice.*
4 **I. A A. M** — *Teaching of Modern Languages.*
5. **D C. Whimster** — *Teaching of English in Sc Ch II. (Macmillan Co)*
6 **Mckown & Roberts** — *Audit visual Aids to Instruc (McGraw Hill Company)*
7. **Wittich & Schuller** — *Audio visual Material (Harpe Brothers)*
8 **Tidyman & Butterfield** — *Teaching the Larguage Art Ch.*

पाठ्य पुस्तक

§ 42. महत्व—

भाषा-शिक्षण में पाठ्य-पुस्तक को बड़ा महत्व प्राप्त है। पाठ्य-पुस्तक भाषा के सभी अंगों के पढ़ाने का केन्द्र है। व्याकरण, रचना, उच्चारण, बोल-चाल आदि सिखाने के लिए पाठ्य-पुस्तक एक सर्वसाधारण साधन है अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की कार्य-सिद्धि की कुंजी है। परन्तु खेद है कि आजकल जो पाठ्य-पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं और जो सरकार द्वारा स्वीकृत हैं, वे विभिन्न दोषों के कारण भाषा-शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती। विद्यार्थियों के लिए जो पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई हैं, उनमें न विषयों का उपयुक्त चुनाव है, न उचित भाषा-शैली है, न क्रम है, न व्यावहारिकता और न उचित छपाई। परिणाम स्वरूप पाठ्य पुस्तकों की इस दयनीय दशा से हिन्दी शिक्षण को बड़ी हानि पहुँच रही है।

§ 43. हिन्दी पाठ्य पुस्तकों के प्रकार :—

(१) सूक्ष्म अध्ययन (intensive study) के लिए वाचन की पाठ्य-पुस्तक जिसमें गद्य और पद्य का समावेश हो।

(२) द्रुत पाठ (Rapid Reading) के लिए सहायक पुस्तक (supplementary reader)।

(३) हाई कक्षाओं के लिए कहानी, नाटक या कविता की पृथक् पाठ्य पुस्तकें।

(४) व्याकरण की पाठ्य पुस्तक (जिसका प्रयोग हाई कक्षाओं में होना चाहिए।

(५) रचना और व्याकरण के लिए वर्क-बुक्स (Work-books) का प्रयोग पुस्तकें, जिनका प्रयोग स्वतन्त्र अध्ययन और व्याकरण तथा रचना के अभ्यासों के लिए होता है। अंग्रेज़ी में इनका विशेष प्रयोग होता है, परन्तु हिन्दी में इनका प्रायः अभाव ही है।

इन सब प्रकार की पाठ्य पुस्तकों में वाचन की पाठ्य पुस्तक ही अधिक महत्व-पूर्ण है।

वाचन के लिए एक सफल हिन्दी पाठ्य पुस्तक में निम्न गुणों का होना आवश्यक है।

§ 44 पाठ्य पुस्तकों के आवश्यक गुण—

पाठ्य पुस्तकों के दो पहलू होते है—१ आंतरिक पहलू और २ बाह्य पह

१. आंतरिक पहलू मे निम्न गुण आ जाते है—(क) उचित विषय, (ख उपयुक्त भाषा-शैली (ग) पाठो का उचित क्रम और परिमाण।

२ बाह्य पहलू मे निम्न बातें समाविष्ट है --(घ) व्याख्या, टिप्पणी तथा, अभ्या और चित्र (ट) छपाई (कागज, कवर, टाइप आदि) प्रकाशन तथा सम्पादन। छपा आकार, चित्र आदि बाहिरी रूप के लिए अंग्रेजी का एक शब्द फार्मेट (format प्रचलित है। इस का चित्रण निम्न तालिका में दिया गया है।

§ 45. उचित विषय—

विषय की दृष्टि से सफल पाठ्य पुस्तक में निम्न बातें होनी चाहिए :—

(i) मानसिक अवस्था के अनुकूल— पाठ्य विषय विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था के अनुकूल होना चाहिए। प्रारम्भिक कक्षाओं में घर, बाजार, निकट वातावरण तथा प्रतिदिन व्यवहार में आने वाली बातों का ही समावेश होना चाहिए। उच्च कक्षाओं में ही साहित्यिक निबन्ध तथा रचनाओं को पढ़ाया जा सकता है।

प्राय: देखा गया है कि तीसरी श्रेणी की पाठ्य-पुस्तक में कबीर के दोहे रखे गये हैं और पांचवीं की पुस्तक में हितोपदेश की एक कहानी। ऐसी दशा में विषय विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था के अनुकूल नहीं रहता।

(ii) विषयों में विविधता—तात्पर्य यह है कि पुस्तक में सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के विविध विषयों से सम्बन्धित लेख, कहानियां, कविताएं, संवाद, [illegible] आदि होने चाहिएं। [illegible] में एक [illegible] श्रेणी की पाठ्य पुस्तक के विषय [illegible] [illegible] के बगीचे, घर, स्कूल या गांव का [illegible] [illegible] और [illegible] की कोई [illegible], साधारण

विज्ञान, महापुरुषों की जीवनी तथा प्राचीन भारत की कोई सांस्कृतिक या शिक्षाप्रद कहानी। विषयों की विविधता से जहाँ ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, वहा रोचकता उत्पन्न हो जाती है।

(iii) समवाय—विषयों का अन्य विषयों के साथ समवाय होना चाहिए। इतिहास भूगोल नागरिकता, साधारण विज्ञान तथा साहित्य की रोचकता वातों का पाठ्य पुस्तक में समावेश करने से पाठ्य पुस्तक की भी वृद्धि हो जाती है।

(iv) सम्बन्ध—विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के साथ सम्बन्ध होना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि लेखक इतिहास भूगोल की उन वार्ताओं को ऐसी कक्षा की पाठ्य-पुस्तक में लाते हैं, जिन को उस कक्षा के विद्यार्थी समझ नहीं सकते, क्योंकि उन के सम्बन्ध में अभी उनको कोई ज्ञान नहीं। उदाहरणतः—चौथी श्रेणी के विद्यार्थियों को साईबेरिया और उत्तरी ध्रुव सागर का कोई ज्ञान नहीं अत. वे 'एस्कीमो की कहानी' अच्छी प्रकार नहीं समझ सकते। इसी प्रकार छटी के विद्यार्थी इंगलैंड के इतिहास से अपरिचित हैं अत. 'किंग आर्थर', फलोरेंस 'नाईटिंगेल', 'जोन आव आर्क' जैसी कहानियों में आए हुए ऐतिहासिक प्रसंगों को नहीं समझ सकते। पाँचवी श्रेणी में आप यूनान के दार्शनिक 'सुकरात की कहानी', 'जगदीशचन्द्र बोस के अविष्कार 'कुतुबमीनार', 'झाँसी की रानी' जैसे पाठ सुगमता से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इन में आए हुए प्रसंग उच्च कक्षाओं के स्तर के ऐतिहासिक और भौगोलिक ज्ञान से सम्बन्धित हैं।

(v) रुचिकर और मनोरंजक—लेखक को विद्यार्थियों की रुचियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पाँचवी श्रेणी की पुस्तक में निम्न विषय थे जो विद्यार्थियों को बिल्कुल पसंद न थे—'कुत्ता', सफाई', 'गोविन्द रानडे', 'चुम्बक', 'मक्खी', 'जापान' इत्यादि। कभी विषय तो रोचक होते हैं, परन्तु उन का वर्णन अरोचक होता है। हाँ, अरोचक विषयों को भी वर्णन द्वारा रोचक बनाया जा सकता है।

(vi) पद्य का समावेश—सुन्दर और सरल गीतों तथा कविताओं से पाठ्यपुस्तक की रोचकता बढ़ती है। गीत ऐसे होने चाहिए जो कण्ठस्थ भी हो सकें। संगीत के बिना गीतों से भी कोई लाभ नहीं। उन कविताओं से भी कोई लाभ नहीं, जो गद्य से मिलती-जुलती हों। 'एक किसान और राजा' का लम्बा चौड़ा पद्यात्मक संवाद निरर्थक है। गीतों में भी विविधता होनी चाहिए। देश-भक्ति के गीत, प्रकृति सम्बन्धी गीत, कथात्मक गीत पुस्तक की सुन्दरता को बढ़ाते हैं। साधारण तुकबन्दियां ही पर्याप्त नहीं, विषय भी रोचक होने चाहिए।

(vii) उपदेश का परिहार—पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण के लिए है, उपदेशों के लिए नहीं। अत: कोरे उपदेशों का परिहार करना चाहिए। उपदेश देना उपदेशक का काम है, भाषा शिक्षक का नहीं। भाषा-शिक्षक केवल निर्देशन (Suggestion) दे सकता है यदि किसी कहानी से कोई शिक्षा (या सीख) मिलती हो तो।

पञ्चतन्त्र की कहानियों को दूसरी, तीसरी श्रेणियों की पुस्तकों में रखने में कोई आपत्ति नहीं परन्तु कहानियों के अन्त में यह लिखना 'बच्चो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, ठीक नहीं है। इस के बदले कहानी के अन्त में दिए हुए अभ्यासात्मक प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी रखना चाहिए, 'इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है ?' इस से विद्यार्थी को स्वयं सोचने-विचारने का अवसर मिलेगा।

(viii) कवियों और लेखकों के उचित लेखों का समावेश—कबीर से लेकर प्रसाद तक कितने ही कवि हुए हैं। परन्तु उनमें से किसी-किसी कवि की कोई-कोई रचना ही विद्यार्थियों को किसी-किसी कक्षा में पढ़ाई जा सकती है। कठिन, जटिल नीरस, प्रसगात्मक दार्शनिक तथा उच्च पद्यों के समावेश से कार्य-सिद्धि नहीं हो सकती।

उदाहरण (१) पाँचवी श्रेणी को कबीर का पद्य 'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' कैसे पढ़ाया जा सकता है ?

(२) छटी को तुलसी का 'राम-राज वर्णन' पढ़ाना जरा कठिन है।

(३) आठवी के लिए जायसी का 'राजा का जोगी होना' समझना कठिन है, क्योंकि विद्यार्थी अवधी भाषा से परिचित नहीं।

(४) दसवी को महादेवी वर्मा की 'मैं कौन भी हूँ' रागिनी भी हूँ' जैसी रहस्यवादी कविता नहीं पढ़ाई जा सकती। पाठ्यपुस्तक का सम्पादक इन पद्यों को क्यों रखता है ? सम्भवतः वह महत्वाकाँक्षी है अथवा सकलन करते समय उसके हाथ में किसी प्रसिद्ध कवि की जो भी कविता आती है उसे रख लेता है।

इसी प्रकार देखा गया है कि हिन्दी प्रसिद्ध गद्य लेखकों के गद्यात्मक कठिन लेख भी प्रमाद या महत्वकाँक्षा के कारण सकलित किए जाते हैं। अध्यापक आठवी श्रेणी को महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख 'साहित्य की महत्ता" नहीं समझा सकता।

सारांश यह है कि विद्यार्थियों को हिन्दी के महान् लेखकों का परिचय उनकी कठिन कृतियों द्वारा नहीं, *वरन् विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल* सरल कृतियों द्वारा करना चाहिए।[1]

अवैज्ञानिक तथा काल्पनिक विषयों का परिहार – जादूटोन, जिन-परियों की कहानियाँ, भूत-प्रेत आदि विषय, कितने भी रोचक हों परन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बच्चों के मन पर इतना गहरा प्रभाव डालते है कि बच्चे आगे भी इन पर विश्वास करने लगते हैं। यदि बच्चे का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना हो तो उसे सच्ची और वास्तविक कहानियाँ सुनानी चाहिए।

§ 46. उपयुक्त भाषा तथा शैली—

भाषा-शैली की दृष्टि से निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए।

---

[1]देखिये :— Maria Montessori—The Montessori Method

(i) पाठ्य पुस्तक की भाषा-शैली सरल से जटिल की ओर जानी चाहिए। प्रारम्भ मे सरल शब्द मुहावरे तथा वाक्य होने चाहिए, धीरे-धीरे ऊंची-ऊंची कक्षाओ में कठिन शब्द और लम्बे मिश्रित वाक्यो का प्रयोग करना चाहिए। किसी एक कक्षा की पाठ्यपुस्तक में भी इस नियम का पालन करना चाहिए और प्रारम्भिक पाठ अन्तिम पाठो से सरल रखने चाहिए।

(ii) तद्भव से तत्सम की ओर जाना चाहिए प्रारम्भिक कक्षाओ में संस्कृत के कठिन तत्सम शब्दों का परिहार करना चाहिए और दैनिक जीवन में काम आने वाले तथा बोले जाने वाले शब्दो का ही समावेश करना चाहिए। धीरे-धीरे उच्च कक्षाओ मे साहित्यिक तथा तत्सम शब्दो का प्रयोग करना चाहिए। 'किंकर्तव्य विमूढ', 'घृणित', 'अमृत सदृश', 'उत्तरोत्तर', 'विह्वल', 'महत्त्वपूर्ण आविष्कार', 'उपादेय', 'उद्विग्न', 'अम्बर'- ऐसे तत्सम शब्द है जो तीसरी श्रेणी मे पढ़ाए जाने के बदले मिडिल श्रेणी मे पढ़ाए जाने चाहिएं।

(iii) मुहावरे और उक्तियाँ भी प्रारम्भिक कक्षाओ मे घरेलू ही प्रयुक्त होनी चाहिएं। साहित्यिक उक्तियों का प्रयोग उच्च कक्षाओ मे ही होना चाहिए। बताइए, निम्न साहित्यिक उक्तियाँ छोटी कक्षाओ मे कहाँ तक उपयोगी है—

'वे कुसुम-हास-सुकुमार हैं', ऐसा ताण्डव नृत्य दिखा दूंगा', 'अधिकार च्युत-भ्रष्ट हो गया', 'चिन्ता-सागर मे डूबे हुए', 'प्रतिभा-सम्पन्न तथा सिद्धहस्त', 'जीवन का पल्लवित कुसुमित उद्यान'।

(iv) कठिन शब्दों का क्रमिक प्रयोग। प्राय देखा गया है कि पाठ्य पुस्तक के लेखक कठिन शब्दों को अव्यवस्थित रूप मे और किसी क्रम के बिना प्रयुक्त करते है। वे किसी निश्चित क्रम के अनुसार शब्दावली की सूची नहीं बनाते। शब्दावली की व्यवस्था निम्न प्रकार से की जानी चाहिए।

१. प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए आधारभूत शब्दावली (Basic Vocabulary) निश्चित करनी चाहिए। ऐसी शब्दावली मे निकटतम वातावरण के शब्द, साधारण प्रयोग मे लाए जाने वाले शब्द, तथा साधारण विचारो को सरल भाषा मे प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द ही समाविष्ट होने चाहिए। इस शब्दावली को उत्तरोत्तर कठिनाई की दृष्टि से विभिन्न कक्षाओ के लिए विभिन्न भागो मे विभक्त करना चाहिए। उच्च कक्षाओ के लिए भी शब्दावली निश्चित करनी चाहिए। शब्दावली का चुनाव करते समय उपयोगिता, विद्यार्थियो का मानसिक स्तर, उच्चारण और लिपि की कठिनाई आदि का ध्यान रखना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मन्त्रालय (Education Ministry) के हिन्दी विभाग ने १००० शब्दों की एक आधारभूत शब्दावली का तथा ५०० शब्दों की उस से भी संक्षिप्त आधारभूत शब्दावली का निर्माण किया है। विभिन्न राज्यों मे प्रारम्भिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों के

शब्दावली का (किंचित परिवर्तन के साथ) प्रयोग होना चाहिए । स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शब्दावली के किंचित परिवर्तन में कोई आपत्ति नहीं । इस कार्य की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक सराहनीय काम किया है । शिक्षा मन्त्रालय के हिन्दी अनुविभाग ने ऐसे शब्दों की सूचियाँ प्राप्त की हैं जो हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में सर्वमान्य हैं । स्थानीय शब्दों (Local words) का समावेश अवश्य होना चाहिए। ऐसे शब्दों का परिहार करना चाहिए, जो उन विचारों या वस्तुओं से सम्बन्ध रखते हों, जिन से विद्यार्थी अपरिचित हैं ।[1]

२. किसी कक्षा में जिस शब्दावली का परिचय कराना है उसको विभिन्न पाठों में विभक्त करना चाहिए । एक पाठ में दस के लगभग नए शब्द आने चाहिएँ ।

३. नए शब्दों को पाठ के आरम्भ में या पाठ के अन्त में मिलाना चाहिए । यदि हो सके तो नये शब्दों के अर्थ भी लिखने चाहिए ।

४ किसी एक पाठ में जो भी नया शब्द आता है, उसका प्रयोग उसी पाठ में तथा आगे के पाठों में बार-बार दिखाना चाहिए, उससे वह शब्द जल्दी भुलाया नहीं जा सकता । विद्यार्थियों में नये शब्दों को याद करते-करते पुराने शब्दों को भूलने की प्रवृत्ति पाई जाती है । एक कुशल सम्पादक पुराने शब्दों को बार-बार प्रयोग में लाता है और नये शब्दों से भी परिचय कराता है, किन्तु फिर भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि शब्दों का प्रयोग बनावटी है ।

(v) कथात्मक तथा संवाद शैली का अधिक प्रयोग—रोचकता और सरलता की दृष्टि से विभिन्न शैलियों में से कथात्मक और संवाद शैली विद्यार्थियों के अधिक अनुकूल है। 'नागरिक जीवन' जैसे विषय पर निबन्धात्मक शैली की अपेक्षा पिता पुत्र के परस्पर संवाद की शैली अधिक सुरुचि पूर्ण है । वर्णनात्मक शैली (Descriptive Style) भी उतनी रोचक नहीं बनती जितनी विवरणात्मक शैली (*Narrative Style*) । किसी पर्वत की घाटी का वर्णन रोचक हो सकता है, परन्तु उसमें 'अमरनाथ की यात्रा' या 'मसूरी की सैर' कथात्मक ढंग से अधिक रोचक बनती है, क्योंकि उसमें जीवन के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ।

(vi) अश्लीलता आदि दोषों का परिहार – किसी पाठ में कोई शब्द, अंश या उक्ति ऐसी न हो जिसकी व्याख्या करने में अश्लीलता की ध्वनि आ जाए । शृंगारिक भावनाओं के बदले भक्ति, वीर तथा वात्सल्य भावनाओं पर बल देना चाहिए ।

---

(1) 'Learning to read a foreign language' by Dr. Michael West.
देखिए—(i) 'History and Principles of Vocabulary Control' by Dr. H. Bongers.

§ 47. पाठों का क्रम तथा परिणाम—

(i) पाठों का क्रम ऋतु तथा समय के अनुकूल होना चाहिए।

(ii) सारा पद्य एक ही स्थान पर नहीं होना चाहिए। तीन-चार गद्यात्मक पाठों के अनन्तर एक कविता होनी चाहिए।

(iii) विभिन्न प्रकार के पाठ किसी क्रम में होने चाहिएँ। इसके बदले कि सभी कहानियाँ या सभी सवाद या सभी निबन्ध एक स्थान पर निरन्तर आ जाएं, कहानी, सवाद, कविता, निबन्ध, जीवनी आदि का एक वर्ग समाप्त करने के बाद, फिर कहानी सवाद आदि आरम्भ करने चाहिए। पाठों के रूपों के अतिरिक्त विषय का क्रम रखना चाहिए। ऐसा न हो कि प्रकृति सम्बन्धी सभी पाठ एक ही स्थान पर आ जाएं, अथवा सभी विदेशी वार्ताएं भी निरन्तर आ जाएं।

(iv) पाठ अधिक लम्बे नहीं होने चाहिए। यदि कोई कहानी लम्बी भी हो, उसको दो तीन भागों में बाटना चाहिए। लम्बे पाठों के विभाजन से पाठों की रुचि बनी रहती है। साधारणतया लम्बे पाठों का परिहार करना चाहिए। छोटी कक्षाओं के लिए तीन चार पृष्ठ से अधिक लम्बे पाठ नहीं रखने चाहिए। मिडिल कक्षाओं में आठ पृष्ठ से अधिक लम्बे पाठ अरुचिकर बन जाते हैं। उच्च कक्षाओं में भी किसी पाठ के अधिक से अधिक दस पृष्ठ हो सकते हैं। इसी प्रकार कविताएं भी छोटी ही होनी चाहिए। कविताओं का भाव सारी पुस्तक के चौथाई से अधिक नहीं होना चाहिए।

§ 48 व्याख्या, टिप्पणी तथा अभ्यास—

प्राय. देखा गया है कि पाठ्य पुस्तक के सम्पादक इसी पर सन्तोष करते हैं कि बीस पच्चीस लेखों का सकलन या सग्रह किया और उनको पुस्तक का रूप दे दिया, साथ ही आरम्भ में विषय सूची भी दे दी। सम्पादक का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है, प्रत्येक पाठ के अन्त में अभ्यासात्मक प्रश्न तथा टिप्पणियां देना। इस के अन्तर्गत निम्न बातें आ जाती हैं—

(i) किसी कवि या लेखक के मूल लेख के साथ उस कवि या लेखक का परिचय भी देना चाहिए। उस लेख का भावार्थ या साराश भी बनाना चाहिए। यदि उस कविता या लेख का कोई प्रसग हो, तो वह भी देना चाहिए, नहीं तो बेचारा अध्यापक प्रसंग ढूंढने के सकट में पड़ जाता है। सम्भवत अध्यापक ने जायसी का 'पद्मावत' नहीं पढ़ा है। वह 'राजा का जोगी होना' शीर्षक कविता का प्रसग नहीं बता सकता।

(ii) कठिन, अपरिचित तथा गूढ़ शब्दों का अर्थ तथा उनकी व्याख्या भी देनी चाहिए। नये शब्दों को टेढ़े रूप (italics) में लिखना चाहिए।

(iii) लेख में आए हुए अपरिचित नामों की व्याख्या भी देनी चाहिए। आप अध्यापक से यह आशा नहीं रख सकते कि वह ससार का [illegible] भूगोल जानता हो। लेख के मध्य में कभी ऐसे पौराणिक प्रसग आते [illegible] को भी

(iv) अक्षरों का साइज विद्यार्थी की अवस्था के अनुकूल होना चाहिए, प्रथम श्रेणी के लिए साइज 60 पौइंट होना चाहिए, दूसरी के लिए 36 से लेकर 20 पौइंट तक, तीसरी चौथी और पांचवीं के लिए 16 पौइंट, अन्य कक्षाओं में 12 पौइंट।

(v) दो पंक्तियों के बीच में कम से कम चौथाई इंच का अन्तर होना चाहिए। पहली कक्षा के लिए दुगुना अन्तर (Double Space) होना चाहिए। यह अन्तर शब्दों और अक्षरों के आकार के अनुपात से बढ़ता या घटता जाएगा, अर्थात् जितना बड़ा अक्षर होगा उसी अनुपात से उस अक्षर में छपे हुए शब्दों तथा पंक्तियों के बीच का अन्तर भी चौड़ा होता जाएगा। पृष्ठ के चारों ओर हाशिया छोड़ना चाहिए।

(iv) टेढ़े मुँह के अक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे 'रामायण' इस प्रकार आलंकारिक अक्षरों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए जैसे -रामायण।

§ 50. प्रकाशन तथा सम्पादन -

(i) सम्पादक स्वयं अध्यापक हो, जो स्कूल में कक्षाओं को पढ़ाते हो, प्रोफेसर अथवा अन्य व्यक्ति नहीं, जिनको इन कक्षाओं के पढ़ाने का अनुभव प्राप्त नहीं। पाठ्य पुस्तक के लेखक में निम्न विशेष गुण होने चाहिएँ :—

हिन्दी भाषा और साहित्य का विस्तृत अध्ययन, भाषा-शिक्षण के नवीनतम अनुसंधान का ज्ञान, भाषा शिक्षण का अनुभव, विद्यार्थियों की मातृभाषा (यदि हिन्दी से भिन्न हो) और सामाजिक वातावरण का ज्ञान और साहित्यिक प्रवृत्ति।

(ii) प्रकाशन—सरकार द्वारा नियुक्त पाठ्य-पुस्तक समिति (Text Book Committee) द्वारा अथवा शिक्षा-संस्थाओं द्वारा होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का चुनाव गुणों के आधार पर करना चाहिए, लेखक के नाम के आधार पर या रिश्वत के आधार पर नहीं। पाठ्य पुस्तकों के चुनाव में अध्यापकों का ही हाथ होना चाहिए। एक जिले में या यदि हो सके एक राज्य में एक ही पाठ्य पुस्तक निर्धारित होनी चाहिए, जिससे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश करने वाले बालकों को कठिनाई न हो। प्रायः सम्पादकों को इस बात की कठिनाई पेश आती है कि जिन पुस्तकों में से वे प्रकाशित सामग्री का संकलन करना चाहते हैं, उन पुस्तकों के प्रकाशक ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। प्रकाशकों को इस बात में उदार-चित्त बनना चाहिए। यदि प्रकाशक पुस्तक लिखवाने के बाद ट्रेनिंग कालिज के अध्यापकों को दिखायें और उनसे परामर्श ले लें, तो पुस्तक अधिक उपयोगी बन सकती है।

(iii) किसी भी पाठ्य पुस्तक की कुंजी, नोट या गाइड छापने की किसी को आज्ञा नहीं देनी चाहिए। नोट आदि वर्जित होने चाहिएं।

(iv) पुस्तक का मूल्य न्यून से न्यून होना चाहिए, जिस से विद्यार्थियों को लाभ हो। पाठ्य-पुस्तक का सम्पादन देश-सेवा की दृष्टि से करना चाहिए, व्यापार की दृष्टि से नहीं। संपादक को दो रुपये प्रति पृष्ठ कमाई करने पर संतुष्ट रहना

सरकारी शिक्षा विभाग को अहानि-अलाभ (no-loss no-gain) के आधार पर पुस्तक बेचनी चाहिए। कागज आदि के महगा होने पर भी १५० पृष्ठ वाली पुस्तक पच्चास साठ पैसे मे बेची जा सकती है।

§ 51 सहायक पुस्तक (Supplementary Readers)

कक्षा मे पढाई जाने वाली पाठ्य पुस्तको के अतिरिक्त द्रुत पाठ के लिए सहायक पुस्तकों (Rapid Readers, Supplementary Readers) की भी आवश्यकता है।

सहायक पुस्तक के विषय तथा भाषा-शैली मे निम्न बातो का ध्यान रखना चाहिए।

(i) कोई नया शब्द न आवे, केवल उस श्रेणी के पढे हुए शब्दो का अभ्यास हो जाए।

(ii) भाषा-शैली पाठ्य-पुस्तक की शैली से सरल हो, कठिन नही।

(iii) इन के विषय निम्न प्रकार के हो – वर्णन, कहानी, नाटक, जीवन चरित्र।

(iv) पुस्तक के अन्त मे अभ्यासात्मक प्रश्न होने चाहिए।

शेष विवरण अध्याय १३ (द्रुतपाठ) मे देखें।

अभ्यासात्मक प्रश्न

१. आजकल स्कूलों मे किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें प्रचलित हैं? उनका मूल्यांकन करते हुए, सुधार के सुझाव भी दीजिए।

२. यदि आपको सातवीं के लिए एक पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है, आप उसके लिए किस प्रकार की सामग्री एकत्रित करेंगे? ऐसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठो की प्रस्तावित सूची बनाइए।

३. हिन्दी साहित्य के लेखो और पुस्तककार के लेखों का क्या अनुपात होना चाहिए? हिन्दी नाटककार, उपन्यासकार तथा कवियो की ऐसी रचनाओ के नाम बताओ जो स्कूलों मे पढाई जा सकें।

४. हिन्दी साहित्य पढाना आप कब आरम्भ करेंगे? उसका आस्वादन कराने मे आप कैसे सहायता देंगे?

५. एक सफल हिन्दी पाठ्यपुस्तक मे कौन कौन से गुण होने चाहिएँ?

सहायक पुस्तकें

1. **UNESCO** — *Teaching of Modern Languages Ch. VII.*
2. **Michael west** — *Teaching to read foreign Language*
3. **Dr. H. Bongers** — *History and Principles of Vocabulary Control.*
4. **Ministry of Education** — *Report of the Secondary Education Commission. Ch VI*
5. **V. S. Mathur** — *Studies in the teaching of English in India.*
6. **Henry D. Rinseand** — *A Basic Vocabulary of Elementary School children.* [*The Macmillan Company, New York*]
7. **Central Bureau of Text book Research** — *Criteria and Score-card for Evaluating Language Text Books.*

हिन्दी शिक्षण और पुस्तकालय

§ 52. आवश्यकता और महत्ता —

पुस्तकालय हिन्दी शिक्षण का एक प्रमुख साधन है। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय का होना आवश्यक है। यह अध्यापकों और छात्रों दोनों के लिए अनिवार्य है। विशेष कर आधुनिक नवीन शिक्षण प्रणाली में अब कि एक अकेली पाठ्यपुस्तक पर आधारित रहना अधूरी शिक्षा समझा जाता है।

(1) अध्यापकों के लिए पुस्तकालय इस लिए आवश्यक है कि वे पढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर सकें और पाठ्य पुस्तकें प्रकरण की पुस्तकें और पाठ्यक्रम सम्बन्धी अन्य पुस्तकें पढ़ें जिससे उन की योग्यता में वृद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि हो, और नई शिक्षण विधियां जान सकें। हिन्दी की नई शिक्षण विधियों को (जैसे डाल्टन विधि, मांटेसरी विधि, स्वाध्याय विधि, प्रोजेक्ट विधि, समवाय विधि) कार्य रूप में लाने के लिए तथा अन्य पाठांतर क्रियाओं (जैसे बाल-सभा, नाटक, कवि सम्मेलन आदि) को सफलता पूर्वक निभाने के लिए पुस्तकालय अनिवार्य है।

(2) छात्रों के लिए पुस्तकालय इस लिए आवश्यक है, कि वे पाठ्यपुस्तक में पढ़े हुए पाठ से सम्बन्धित ज्ञान अन्य पुस्तकों से प्राप्त कर सकें, अपनी कुतूहल-वृत्ति को सन्तुष्ट कर सकें, और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें। इसके अतिरिक्त उन में स्वाध्याय की आदत डालने के लिए, विभिन्न विषयों को पढ़ाने में रुचि उत्पन्न करने के लिए, और उनको बौद्धिक मनोरञ्जन प्रदान करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है।

§ 53 पुस्तकालय की सामग्री—

विद्यालय के एक अच्छे पुस्तकालय में हिन्दी के विषयों में भिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री होनी चाहिए।

(1) प्रकरण की पुस्तकें (reference books) जैसे शब्दकोश, मुहावरा कोष, लोकोक्ति कोष, ब्रजभाषा कोष, पर्यायवाची शब्दकोष, विश्वकोष (encyclopaedia), ज्ञान सागर, एटलस आदि।

(2) स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित पाठ्यपुस्तकें।

(3) बाल-साहित्य, जिसमें छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त बाल कविताएं, कहानियां, संवाद, बाल नाटक आदि हों।

(४) किशोर साहित्य, जो मिडिल तथा हाई कक्षाओं के किशोरों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो।

(५) हिन्दी साहित्य के अमूल्य ग्रंथ जैसे रामचरित-मानस, सूर-सागर, मीरा की पदावली, शिवराज भूषण, भारतेन्दु ग्रंथावली, गुप्त साहित्य, प्रसाद साहित्य, प्रेमचन्द साहित्य, शरत् साहित्य, टैगोर साहित्य आदि (यह सूची केवल निर्देशात्मक है)।

(६) आलोचनात्मक पुस्तकें, जिनसे अध्यापक हिन्दी साहित्य के विषय में रचनाओं की समीक्षा और कवियों के विचार और शैलियों का ज्ञान प्राप्त कर सके।

(७) हिन्दी शिक्षण विधि के सम्बन्ध में तथा बाल-मनोविज्ञान के विषय में शैक्षणिक साहित्य।

(८) समाचार पत्र, तथा पत्रिकाएं।

(९) एल्बम तथा हस्त लिखित पुस्तकें।

(१०) मान चित्र (Charts) तथा चित्र (Maps)।

(११) संग्रहालय (Museum) जिस में प्राचीन और नवीन चित्रों तथा वस्तुओं की प्रदर्शिनी हो।

पुस्तकों का चुनाव – पुस्तकों का चुनाव सावधानी के साथ करना चाहिए। पुस्तकालय को प्रत्येक प्रकार की पुस्तकों से भरने में कोई लाभ नहीं। प्रायः अध्यापक सावधानी के कारण इन पुस्तकों का भी संग्रह करते हैं, जो या तो अश्लील हैं अथवा विद्यार्थियों के लिए हानिकारक हैं। पुस्तकों के चुनाव में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए।

(१) पुस्तकें छात्रों की मानसिक अवस्था के अनुकूल हों।

(२) पुस्तकें छात्रों के स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल हों जिनके पढ़ने में छात्र असीम रुचि दर्शाएं।

(३) पुस्तकों की भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे विद्यालयी कक्षा के छात्र उनको आसानी से पढ़ सकें।

(४) पुस्तकों की छपाई सुन्दर, जिल्द मज़बूत और कागज़ मोटा होना चाहिए, नहीं तो भद्दी छपाई के कारण अरुचिकर हो जाती है, और जिल्द के अभाव में जल्दी फट जाती हैं। पुस्तकों में रंगीन चित्र भी हों। प्रारम्भिक कक्षाओं से छात्र रंगीन पुस्तकों की ओर सहज आकर्षित हो जाते हैं।

(५) पुस्तकें महंगी न हों। प्रमुख प्रकाशकों से पुस्तक सूचियां मंगवानी चाहिएं और उनमें दिए हुए बाल साहित्य और किशोर साहित्य में से पुस्तकों का चुनाव करना चाहिए। यदि हो सके आर्डर देने के बदले, स्वयं प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता जाकर पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए।

पुस्तकालय की व्यवस्था—पुस्तकालय में पुस्तकों

(11) पुस्तकालय छुट्टियों मे खुला रहना चाहिए जिससे छात्र अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकें।

(12) पुस्तकों के ठीक प्रयोग पर बल देना चाहिए। पुस्तकों पर स्याही, निशान, रेखायें आदि नहीं होनी चाहिए। पुस्तकों पर लिखने की बुरी आदत भी मिटानी चाहिए।

अभ्यासात्मक प्रश्न

1. हिन्दी पुस्तकालय की क्या आवश्यकता है? इसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे? प्रारम्भिक तथा उच्च कक्षाओं के लिए प्रमुख हिन्दी पत्रिकाओं की सूची बनाइए। (§ 52, 53)

2. उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त पुस्तकों और उनके लेखकों की एक सूची तैयार कीजिए। ऐसी कक्षाओं के लिए आप कौन सी पत्रिकायें प्रस्तावित कर सकते हैं, और क्यों?

3. प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए बाल-साहित्य की एक संक्षिप्त सूची बनाइए, और उस सूची में प्रत्येक पुस्तक की विषय सामग्री का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

4. यदि आपको स्कूल के पुस्तकालय का कार्यभारी (Incharge) बना दिया जाये तो आप पुस्तकालय को कैसे सुसज्जित करेंगे?

5. हिन्दी की शिक्षा मे पुस्तकालय का क्या महत्व है? छात्रों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित करने के लिए आप कौन से उपाय काम में लायेंगे?

6. निम्न अवस्थाओं के बालकों के लिए उपलब्ध बाल-साहित्य के प्रत्येक पहलू की समीक्षा कीजिए। इसके सुझाव भी दीजिए।

(क) 3—5 वर्ष, (ख) 5 8 वर्ष, (ग) 8—11 वर्ष

सहायक पुस्तकें

1. **Government of India Ministry of Education** — *Report of the Secondary Education Commission Ch VII*
2. **Ranganathan S. R** — *School and College Libraries (Madras Library Association)*
3. **Ranganathan S R** — *Suggestion for the organisations of the Libraries in India*
4. **Scott, C. A.** — *School Libraries (Cambridge University Press)*

दृश्य-श्रव्य साधन

(Audio-Visual Aids)

§ 54 महत्ता और आवश्यकता

आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तक पर बल देने के बदले अधिक साधनों जुटाने पर बल दिया जाता है। भाषा-शिक्षण में जहां पर पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय बाल-सभा आदि का अवलम्बन करना आवश्यक है वहाँ कई दृश्य और श्रव्य साधनों भी प्रयोग उपयोगी है। आजकल दृश्य श्रव्य साधनों की महत्ता सर्वमान्य है। सूक्ष्म विचारों को समझाने के लिए आखों और कानों का प्रयोग सफलता का सूचक है वर्तमान युग में वैज्ञानिक आविष्कारों का अत्याधिक प्रयोग स्वाभाविक है। दृश्य-श्रव्य साधनों की महत्ता के सम्बन्ध में कई प्रयोग हो चुके हैं। प्रोफेसर जे० जे० वेबर ने सिद्ध किया है कि जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते है, उसकी 40% सकल्पनाए (concept) हम चाक्षुष-अनुभव (visual experience) के आधार पर प्राप्त करते हैं, 25% श्रवण-अनुभव (auditary experience) पर और 17% स्पर्श-अनुभव पर।[1] प्रोफेसर पी० जे० रलोन (P J. Rulon) ने चल चित्रों पर प्रयोग कर के दर्शाया है कि दृश्य और श्रव्य चल-चित्र सामान्य से 38% अधिक स्मरण मे सहायक है इसी सम्बन्ध में प्रोफेसर चार्टर (W. W Charter) का कहना है कि चल चित्र द्वारा 6 सप्ताह तक भी 90% याद रहता है। हमारा अपना अनुभव भी यही है कि हम समझने और याद रखने में मूर्त से अमूर्त की ओर जाते है। हमारे अनुभव-कोण का निचला भाग मूर्त या प्रत्यक्ष अनुभव है।[2] अगले पृष्ठ पर एडगर डेल का बनाया हुआ अनुभव कोण का चित्र दिया जाता है। संक्षेप मे दृश्य साधन छात्र और अध्यापक दोनों के लिये लाभदायक हैं—

---

1. J. J. Weber : *'Comparatine effectiveness of some visual aids ?'*
2. *Edgar dale—'Cone of experience' in his book Audio—Visual Methods in Teaching.*

का स्थान नहीं ले सकते, न अध्यापक का स्थान नहीं ले सकते। ये साधन पाठ्य शिक्षण के केवल पूरक हैं शिक्षण का स्थानापन्न (Substitute) नहीं।

(ii) एक ही बार अधिक दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके प्रयोग में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए और न ही इनका प्रयोग प्रत्येक पाठ के लिए आवश्यक हो सकता है।

(iii) प्रत्येक साधन का महत्व समझना चाहिए, और जितना जहाँ पर उपयुक्त प्रयोग हो सके वहीं पर प्रयोग करना चाहिए, अन्यत्र नहीं।

(iv) ये साधन छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए।

(v) साधनों के जुटाने और प्रयोग में मितव्ययता से काम लेना चाहिए।

(vi) साधनों के प्रयोग से पहले अध्यापक को पूरी तैयारी करके आना चाहिए। ऐसा न हो कि तैयारी के बिना, इनका प्रयोग अपूर्ण या अप्रभावकर रहे।

§ 56 वर्गीकरण

दृश्य श्रव्य साधन अनेक प्रकार के हैं। सुविधा के लिए इनको चार भागों में बाटा जा सकता है

(क) कक्षा उपकरण, अर्थात् जो प्रतिदिन कक्षा के भीतर काम में लाए जाते हैं जैसे श्यामपट, मानचित्र, चित्र, माडल, एल्बम, कार्टून आदि।

(ख) दृश्य-उपकरण, अर्थात् जो नेत्रों से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे प्रोजेक्टर, चित्र-विस्तारक यंत्र, मूक चित्र आदि।

(ग) श्रव्य उपकरण अर्थात् जो कानों से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीफोन, टेपरेकार्डर आदि।

(घ) दृश्य श्रव्य उपकरण अर्थात् जो नेत्र और कान दोनों से सम्बन्ध रखते हों, जैसे चलचित्र, टेलीवीज़न, नाटक आदि।

§ 57. प्रयोग

भाषा-शिक्षण में प्रत्येक का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें संक्षिप्त रूप में नीचे बताई जाती हैं —

(१) *श्याम पट — श्याम पट सबसे प्राचीन और सबसे सुलभ साधन है।* श्याम पट पर नक्शे, चित्र, ग्राफ, सुलेख आदि सुगमता से दर्शाए जा सकते हैं। गद्यपाठ पढ़ाते समय कठिन शब्द और उनका अर्थ, साधारण प्रश्न और गृहकार्य श्यामपट पर लिखा जा सकता है। व्याकरण पाठ पढ़ाते समय उदाहरण, पारिभाषिक शब्द, परिभाषाएं और अभ्यासात्मक प्रश्न लिखे जा सकते हैं। रचना में रूपरेखा, नये प्रयुक्त होने वाले शब्द और सारांश भी इस पर लिखा जा सकता है। कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अशुद्ध- विद्यार्थियों से लिखवाये जा सकते हैं। छोटी कक्षाओं के लिये सुलेख के नमूने

इसी पर लिखे जाते हैं व्याकरण तथा पाठ्यपुस्तक के किसी विषय के सम्बन्ध में तालिकाएं दी जा सकती हैं। इसका प्रयोग अध्यापक और छात्र दोनों को करना चाहिए। श्यामपट साफ सुन्दर और इतना बड़ा होना चाहिए कि सारी कक्षा को दृश्यमान हो। अध्यापक से श्याम पट पर सुन्दर लिखने के लिये अभ्यास करना चाहिए। श्यामपट के लिये सफेद और रंगीन चाक तथा झाड़न की आवश्यकता है।

2. सूचना पट (Bulletin Board) तथा फ्लैनल बोर्ड—इस पर सूचनाएं फोटो, पुस्तकों के जैकेट समाचार, हस्तलिखित लेख, विज्ञापन, आदेश आदि चिपकाए या लटकाए जा सकते हैं। जो चीजें इतनी छोटी या जिनकी लिखाई हो उनको श्यामपट पर दर्शाया नहीं जा सकता। ऐसी चीजों के लिए सूचना-पट काम आता है। एक बड़ा सूचना पट भित्ति पत्रिका (wall magazine) के लिए भी काम आ सकता है।

3. मानचित्र (Maps)—गद्यपाठ पढ़ते समय ऐतिहासिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक प्रसंग के स्पष्टीकरण के लिए मान चित्रों का प्रयोग करना चाहिए।

4. चित्र (Chart)—सूक्ष्म बातों तथा अदृश्य वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए तथा वास्तु अनुभूति प्रदान करने के लिए चित्र सर्व-सामान्य साधन है। प्रारम्भिक कक्षाओं को वर्णमाला के चित्र, बारहखड़ी, मुलेख और चित्ररचना के चित्र बड़े उपयोगी हैं। पाठ्यपुस्तक पढ़ाते समय पाठ-सम्बन्धी चित्र, महापुरुषों के चित्र, प्राकृतिक दृश्य, हिन्दी साहित्यकारों के चित्र, हिन्दी साहित्य सम्बन्धी चित्र, पाठ के अर्थबोध में अधिक सहायक हैं। व्याकरण पाठ में चित्र अनिवार्य है। रचना में भी चित्र-रचना का पाठ अधिक सरल बन जाता है। चित्र आकर्षक, रंगीन, स्पष्ट और रोचक होने चाहिएं। विद्यार्थी कई चित्र और एल्बम स्वयं बना सकते हैं।

5. माडल (Model)—माडल का भी वैसा ही प्रयोग होता है जैसा चित्रों का यह अधिक आकर्षक और सजीव होता है क्योंकि इसके तीन आयाम (Dimensions) होते हैं। यह गत्ते, प्लाईवुड मिट्टी या लकड़ी के हो सकते हैं। मांटेसरी और किंडर-गार्टेन की सामग्री (apparatus) माडल ही तो है। रचना कार्यों में माडलों से महान सहायता ली जा सकती है, जैसे ताजमहल पर रचना लिखाने से पहले ताजमहल का माडल उपस्थित करना। डाक घर का माडल संवाद का विषय बन सकता है। रावण-दाह का माडल दशहरा के सम्बन्ध में रचना-कार्य में सहायक है।

6. कार्टून—भाषा की गूढ़ बातों को समझाने में सहायक होते हैं। किसी हास्यप्रद घटना को कार्टून द्वारा चित्रित किया जा सकता है और हास्यप्रद या व्यंगात्मक रचना में कार्टून का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार विज्ञापन और इश्तहार भी प्रयुक्त हो सकते हैं।

7. चित्र दर्शक (प्रोजेक्टर Projector)—इसके प्रत्येक विषय को स्लाइड्स (slides) के द्वारा सम्यक्तापूर्वक समझाया जा सकता है। जिसमें समय बच्चों की

ी पर लिखे जाते हैं व्याकरण तथा पाठ्यपुस्तक के किसी विषय के सम्बन्ध में तालि-
ाए दी जा सकती हैं। इसका प्रयोग अध्यापक और छात्र दोनों को करना चाहिए।
यामपट साफ सुन्दर और इतना बड़ा होना चाहिये कि सारी कक्षा को दृश्यमान हो।
ध्यापक से श्याम पट पर सुन्दर लिखने के लिये अभ्यास करना चाहिये। श्यामपट
े लिये सफेद और रंगीन चाक तथा झाडन की आवश्यकता है।

2. सूचना पट (Bulletin Board) तथा फलेनल ग्राम—इस पर सूचनाए
ोटो, पुस्तकों के जैकेट समाचार, हस्तलिखित लेख, विज्ञापन, आदेश आदि चिपकाए
ा लटकाए जा सकते हैं। जो चीजें छपी छपाई या लिखी लिखाई हो उनको श्यामपट
पर दर्शाया नहीं जा सकता। ऐसी चीजों के लिए सूचना-पट काम आता है। एक बड़ा
सूचना पट भिति पत्रिका (wall magazine) के लिए भी काम आ सकता है।

3. मानचित्र (Maps)—गद्यपाठ पढ़ाते समय ऐतिहासिक, भौगोलिक और
वैज्ञानिक प्रसंग के स्पष्टीकरण के लिए मान चित्रों का प्रयोग करना चाहिए।

4. चित्र (Chart)—सूक्ष्म बातों तथा अदृश्य वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में लाने
के लिए तथा चाक्षुष अनुभूति प्रदान करने के लिए चित्र सर्व-सामान्य साधन हैं।
प्रारम्भिक कक्षाओं को वर्णमाला के चित्र, बारहखड़ी, सुलेख और चित्ररचना के चित्र
बड़े उपयोगी हैं। पाठ्यपुस्तक पढ़ाते समय पाठ-सम्बन्धी चित्र, महापुरुषों के चित्र,
प्राकृतिक दृश्य, हिन्दी साहित्यकारों के चित्र, हिन्दी साहित्य सम्बन्धी चित्र, पाठ के
अर्थबोध में अधिक सहायक हैं। व्याकरण पाठ में चित्र अनिवार्य हैं। रचना में भ
चित्र-रचना का पाठ अधिक सफल बन जाता है। चित्र आकर्षक, रंगीन, स्पष्ट औ
रोचक होने चाहिए। विद्यार्थी कई चित्र और एल्बम स्वय बना सकते हैं।

5. माडल (Model)—माडल का भी वैसा ही प्रयोग होता है जैसा चित्रों क
यह अधिक आकर्षक और सजीव होता है क्योंकि इसके तीन आयाम (Dimensions
होते हैं। यह गत्ते, प्लाईवुड मिट्टी या लकड़ी के हो सकते हैं। माटेसरी और किंडर
गार्टन की सामग्री (apparatus) माडल ही तो हैं। रचना कार्यों में माडलों से महा
सहायता ली जा सकती है, जैसे ताजमहल पर रचना लिखाने से पहले ताजमहल क
माडल उपस्थित करना। डाक घर का माडल संवाद का विषय बन सकता है। रावण
दाह का माडल दशहरा के सम्बन्ध में रचना-कार्य में सहायक है।

6. कार्टून—भाषा की गूढ़ बातों को समझने में सहायक होते हैं। कि
हास्यप्रद घटना को कार्टून द्वारा चित्रित किया जा सकता है और हास्यप्रद या व्यंगात्म
रचना में कार्टून का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार विज्ञापन और इश्तहार भ
प्रयुक्त हो सकते हैं।

7. चित्र दर्शक (प्रोजेक्टर Projector)—इसके प्रत्येक विषय को स्लाइड
(slides) के द्वारा सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। दिखाते समय थोड़ी र

वश्यक है। चित्र रचना के लिए यह अत्यन्त उपयोगी है। किसी भी विषय
में चित्र दिखाए जा सकते है और तत्पश्चात् मौखिक वर्णन हो सकता है
दृश्य को दिखाने के बाद मौखिक रीति से उसका वर्णन करवाना चाहिए।
प्रश्न पूछने चाहिएँ, और तत्पश्चात् लिखवाना चाहिए। वैसे तो चल-चित्र का
ही उपयोग है परन्तु जहाँ बिजली नही, वहाँ पर प्रोजेक्टर से ही काम लिया
ता है।

(८) चित्र विस्तारक यन्त्र (Epidiascope)—प्रोजेक्टर से यह बात भिन्न है कि
स्लाइड के बदले किसी भी पुस्तक का पृष्ट या चित्र रजत-पट पर दर्शाया जा सकता
इसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है।

(६) मूक चित्र (Silent pictures)—जिन चल-चित्रो मे आवाज़ नहीं
ती है, उनका प्रयोग प्राकृतिक दृश्यो, दूर-दूर के स्थानो, और ऐसी घटनाओ के प्रदर्शन
लिए किया जा सकता है, जिन मे ध्वनि आवश्यक नही। रचना कार्य मे यह
पयोगी है।

(१०) ग्रामोफोन (Gramophone) और टेप रिकार्डर —भाषा-शिक्षण मे इन
का प्रयोग निम्न बातो के लिए उपयोगी है—

(i) उच्चारण, बल, लय और स्वराघात सिखाने के लिए।
(ii) कविता पाठ कराने के लिए।
(iii) सवाद का अनुकरण कराने के लिए।
(iv) टेपरेकार्डर किए हुए भाषणो के अनुकरण मे भाषण शैली सिखाने के लिए।

ग्रामोफोन के द्वारा महापुरुषो के भाषण (जैसे गाँधी जी के भाषण) हिन्दी कवियों
के गीत (जैसे मीरा के पद सूर के भजन) और नाटकीय सवाद सुनाये जा सकते हैं।
ग्रामोफोन द्वारा चुने गये गीत शीघ्र कण्ठस्थ हो सकते हैं। ग्रामोफोन मे एक विशेषता
कि यह प्रारम्भिक कक्षा से लेकर उच्च कक्षा तक प्रयोग में लाया जा सकता है।

(११) रेडियो —रेडियो का आविष्कार साधारण शिक्षण के लिये विशेषत
भाषा-शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यदि प्रत्येक स्कूल मे रेडियो हो तो यह शिक्षा क
सस्ता साधन है रेडियो पर बोली गई भाषा टकसाली भाषा का प्रतिनिधित्व करत
है। इसके द्वारा छात्र हिन्दी के सर्व-प्रसिद्ध वक्ताओ के साथ भाषण रूप मे सम्पर्क प्राप्त
कर सकते है। सार्वभौम और सार्वदेशिक होने के कारण समस्त देश के छात्र एक साथ
और युगवत् लाभ प्राप्त कर सकते है। रेडियो प्रोग्राम मे समाचार, नाटक, भजन, गीत,
संगीत भाषण आदि अनेक आकर्षक ज्ञानवर्धक और मनोरजन कार्य-क्रम होता है।
परन्तु विद्यार्थियो के लिए सब से उपयोगी कार्यक्रम है स्कूल ब्राडकास्ट या बच्चों का
प्रोग्राम। आकाशवाणी दिल्ली, जालन्धर, लखनऊ, इलाहाबाद आदि से एक घटे का
कार्यक्रम प्रसारित होता है। इसमें दो प्रकार की बातें होती है। प्रथम ऐसा कार्यक्रम

जिसमें विद्यार्थी स्वयं भाग लेते हैं जैसे वाद-विवाद, संवाद, वार्ता कवि-सम्मेलन, बाल-नाटक, वार्ता आदि। द्वितीय वह कार्यक्रम जिसमें प्रौढ़ भाग लेते हैं और ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक आदि विषयों पर भाषण देते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित कहानियाँ, नाटक, वाद-विवाद, कवि-सम्मेलन और भाषण भाषा-शिक्षण में लाभ और मनोरंजन एक साथ प्रदान करते हैं।

इस आधुनिक साधन से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए निम्न सकेत अनुकरणीय हैं—

(i) समय-सारिणी (Time-table) में स्कूल ब्राडकास्ट के लिए निश्चित् समय अर्पण करना चाहिए।

(ii) रेडियो कार्यक्रम सुनने के लिए कक्षा को तैयार करना चाहिए। सुनने के बाद उनसे प्रश्न पूछने चाहिए और आवश्यकतानुसार कठिन स्थलों या नवीन बातों की पृथक रूप में व्याख्या भी करनी चाहिए।

(iii) रेडियो सुनने के लिए रेडियो श्रवण में अभ्यास की आवश्यकता है। इस में जल्दी सुनना और समझना पड़ता है। इसके लिए छात्रों को अभ्यस्त होना पड़ेगा, और वह अभ्यास भी भाषा की शिक्षा में सम्मिलित है।

(iv) मौखिक और लिखित रचना कार्य में इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।

(१२) चल चित्र (Films, Talkies) :— आजकल का युग सिनेमा का युग है। चल-चित्रों का जितना प्रयोग होता है, उतना किसी भी मनोरंजनात्मक विषय का नहीं होता। परन्तु खेद है कि गन्दे और दूषित चल चित्रों के द्वारा बालकों में चरित्र हीनता की वृद्धि हुई है। इससे बचने के लिए आजकल शिक्षा सम्बन्धी चल चित्रों की माँग बढ़ रही है। शिक्षा-सम्बन्धी चल चित्र ५ प्रकार के हो सकते हैं—

(i) कक्षा चल चित्र (Class room Pictures) —विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं द्वारा निर्मित छोटे चित्रों का प्रयोग कक्षा में किया जा सकता है।

(ii) वास्तविक जीवन के चल-चित्र (Documentaries)—सूचना और मंत्रालय दिल्ली द्वारा निर्मित ऐसे चित्र शिक्षा-प्रद हैं,

(iii) समाचार चल-चित्र (News-reels)।

(iv) व्यंग्य चल-चित्र (Comics)।

(v) नाटक।

शिक्षा प्रद चल चित्रों का उद्देश्य जहाँ चरित्र-निर्माण, ज्ञान-वृद्धि और भाव-परिष्कार के लिए होता है, वहाँ भाषा-शिक्षण में इन से अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जैसे—संभाषण सुनने और समझने में अभ्यास दृश्यों की सहायता से वर्णन, नाटकीय आलोचना का ज्ञान, शब्दावली की वृद्धि, शुद्ध टकसाली भाषा का ज्ञान और शुद्ध उच्चारण का ज्ञान।

है। प्रोजेक्टर, मूक-चित्र या ध्वनियुक्त चलचित्र किसी विषय-सामग्री के स्पष्टीकरण के लिए उपयुक्त है। चल-चित्र देखने के बाद या रेडियो सुनने के बाद चर्चा हो सकती है, और चर्चा के बाद लिखाई।

अभ्यासात्मक प्रश्न

1. दृश्य-श्रव्य साधनों की क्या महत्ता है, भाषा-शिक्षण में इनका प्रयोग कहाँ तक लाभकारी है? [§ 54]

2. हिन्दी रचना के पाठ के लिए आप किन-किन दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करेंगे और कैसे? [§ 58]

3. हाई कक्षाओं को व्याकरण पढ़ाने के लिए आप जिन चित्रों से सहायता ले सकते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। ऐसे चित्रों का प्रयोग आप कैसे करेंगे? [§ 58]

4. आजकल के सिनेमा के युग में हिन्दी सीखने में सिनेमा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? [§ 57]

5. उच्चारण की शिक्षा में कौन-कौन से दृश्य-श्रव्य उपकरण सहायक हो सकते हैं और कैसे? [§ 58]

6. हिन्दी शिक्षण में दृश्य-श्रव्य साधनों की महत्ता पर विचार कीजिए। स्कूलों में हिन्दी की शिक्षा का स्तर ऊँचा करने के लिए आप कौन से दृश्य श्रव्य साधन अपनाएंगे? [§ 56, 57]

सहायक पुस्तकें

1. Kenneth B. Hass and Harry Q. Parker — *Preparation and use of Audit visual Aids.*
2. UNESCO — *Teaching of Modern Languages ch VIII*
3. I. A. A. M. — *Teaching of Modern Languages. ch V.*
4. Edgar Dale — *Audio visual Methods in Teaching-*
5. Mckown & Roberts — *Audit visual Aids to Instruction (Mc. Graw Hill)*
6. Exton — *Audio visual Aids to Instruction (Mc. Graw Hill)*
7. Wittich & Schuller — *Audio visual Materials.*
8. Maxim Newmark — *20th Century ...*

(१३) टैलीविज़न (Television) :—इसमें श्रवण और नेत्रों दोनों का संयुक्त प्रयोग होता है। इसमें रेडियो के साथ एक रजतपट भी होता है जिसमें सुनाने वाला भी साक्षात् दृश्यमान होता है। विदेशों में टैलीविजन का प्रयोग भी आरम्भ हुआ है, परन्तु भारत में अभी इसके प्रसार व्यवस्था के लिए देर लगेगी। यद्यपि दिल्ली में इस का प्रयोग आरम्भ किया गया है। इसका महत्व वैसे ही है जैसे रेडियो या सिनेमा का। 'घर का सिनेमा' जैसे होने के कारण इसका प्रयोग रेडियो से शताधिक होगा।

§ 58 भाषा के विभिन्न अंगों को पढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण—

1 मौखिक कार्य—बोल-चाल के लिए प्रत्यक्ष अनुभव अधिक आवश्यक है। जिस वस्तु, स्थान या घटना का छात्र को प्रत्यक्ष अनुभव हो, उसके संबन्ध में वह स्वयं बोल सकता है। परन्तु कक्षा के भीतर प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कराया जा सकता। यहां पर तत्सम्बन्धी चित्रों की आवश्यकता पड़ेगी। अतः चित्र रखना के लिए विभिन्न प्रकार के चित्र उपस्थित करने पड़ेंगे। नाटक भी बोल-चाल में सहायक है। रेडियो ब्राडकास्ट सुनने के बाद छात्रों से वही दुहराया जा सकता है। टैलीफोन पर वार्तालाप करना भी एक नवीन अनुभव है।

2 उच्चारण—उच्चारण की अशुद्धियां समझाने के लिए ध्वनि यंत्रों का ज्ञान देना आवश्यक है। इसके लिए ध्वनियन्त्र का चार्ट, माडल, दर्पण आदि उपस्थित किए जा सकते हैं। ग्रामोफोन और टैलिकार्ड शुद्ध उच्चारण के अनुकरण के लिए साधन हैं। श्यामपट पर भी कठिन शब्दों का विश्लेषण समझाया जा सकता है और चिन्हों द्वारा स्वराघात भी समझाया जा सकता है।

3 लिपि लिपि सिखाने के लिए प्रारम्भिक अवस्था में चित्र, जैकेट, रंगीन अक्षर, लकड़ी के बने अक्षर, फ्लैशकार्ड, और अगली अवस्था में वर्णमाला के चार्ट, टैलीकार्ड की पुस्तकें आदि सहायक हैं।

4 अक्षर विन्यास श्यामपट पर कठिन शब्दों के अक्षर-विन्यास लिखे जा सकते हैं। बड़े-बड़े शब्दों का विश्लेषण कराया जा सकता है। अक्षर विन्यास के चित्र और चार्ट उपस्थित किए जा सकते हैं।

5 वाचन – प्रारम्भिक अवस्था में चित्र, फ्लैश कार्ड, मांटेसोरी उपकरण आदि वाचन में रुचि पैदा करने के लिए सहायक हैं। चौथी पांचवीं कक्षा में पाठ का सार श्यामपट पर लिखा जा सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ भी श्यामपट पर समझाए जा सकते हैं। इन अर्थों को समझाने के लिए कार्टून उपस्थित किए जा सकते हैं।

6. व्याकरण—अमूर्त कठिन नियमों को समझाने के लिए चार्ट आवश्यक हैं। नियमों की [illegible] श्यामपट पर बनाई जा सकती है।

7 रचना—रचना के लिए अनेक प्रकार का उपकरण सहायक है। श्यामपट पर [illegible] किया जा सकता है। कई [illegible] चित्र रचना के लिए काम आते

भाषा की शिक्षा में बोलचाल का महत्व—

"भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त" के प्रकरण में बोलचाल के महत्व की चर्चा की गई है। अत: इस विषय की आवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। स्मरण रहे कि भाषा सीखने के उपक्रम में बोलचाल का स्थान प्रथम है। हमारा भारतीय प्राचीन आदर्श भी यही है कि विद्या अधिकतम बोलचाल (श्रवण-भाषण) द्वारा ग्रहण की जाती थी। प्राचीनकाल के अध्यापक और शिष्य का सम्बन्ध जोड़ने वाला और विद्या प्राप्त कराने वाला साधन प्रवचन (बोल चाल) ही माना जाता था।

"अध्यापक: पूर्वरूप, अन्तेवासी उत्तररूप, विद्या सन्धि प्रवचन सन्धान।" उस काल में जब मुद्रणालय नहीं थे, पुस्तकें सुलभ नहीं थी, प्रवचन द्वारा ही हमारी पढ़ाई चलती थी। शिष्यों के कान शुद्ध हो जाते थे मस्तिष्क में ज्ञान समा जाता और मुख में सरस्वती निवास करती थी।

बोलचाल द्वारा भाषा का साक्षात् ज्ञान प्राप्त होता है और भाषा का यथार्थ रूप उपस्थित होता है। भाषा का यथार्थ रूप ध्वनियों में है लिपि में नहीं। सम्पर्क, अनुकरण और अभ्यास द्वारा, जो बोलचाल में ही सम्भव है, भाषा कम से कम समय में सीखी जाती है। बोलचाल की शिक्षा में पाठ्यपुस्तक का प्रयोग गौण रहता है। पाठ्यपुस्तक पर अधिक अवलम्बन से ही शिक्षा में त्रुटियां रहती हैं।

1. बोलचाल की शिक्षा के उद्देश्य—

(i) बोलचाल की शिक्षा का सर्व प्रथम उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी सरल, स्पष्ट और शुद्ध शब्दों में अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। यह भविष्य जीवन के लिए परमावश्यक तैयारी है।

(ii) विद्यार्थी प्रश्नों का ठीक, शुद्ध तथा पूर्ण वाक्य में उतना ही उत्तर दे, जितना आवश्यक और संगत हो।

(iii) विद्यार्थी अनुभव की हुई बातों तथा ग्रहण किए हुए विचारों को दूसरों के सामने प्रभावोत्पादक शैली में उपस्थित कर सकें।

(iv) विद्यार्थी विचारों का तर्कपूर्ण प्रतिपादन कर सकें, समर्थन या विरोध करने के लिए उपयुक्त शब्दावली तथा प्रभावोत्पादक शैली का प्रयोग कर सकें।

(v) विद्यार्थी प्रभाव पूर्ण शैली में दूसरों के साथ वार्तालाप कर सकें। जो व्यक्ति वार्तालाप नहीं कर सकते, वे सभा में, समाज में और मित्र-वर्ग में भी अयोग्य समझे जाते हैं। वार्तालाप में त्रुटियों के कारण व्यक्तियों पर ग्रामीणता, असभ्यता, अशिष्टता, अकुलीनता आदि दोषों का आरोपण हो जाता है।

(vi) बोलचाल की शिक्षा का एक उद्देश्य है, विद्यार्थियों में से सफल वक्ता (Orator) उत्पन्न करना। कक्षा में बार बार प्रश्नोत्तर, सम्भाषण, वाद-विवाद,

तीसरा खण्ड

बोलचाल की शिक्षा

§ ६१ दैनिक जीवन में बोलचाल का महत्व—

समस्त जीवन व्यापार बोल-चाल पर निर्भर है। घर पर और घर से बाहर, व्यापार में या व्यवसाय में बोलचाल द्वारा ही कार्य होता है। गूंगे या बहरे व्यक्तियों का जीवन इसी एक त्रुटि के कारण असफल हो जाता है कि वे बोलचाल में भाग नहीं ले सकते। जीवन के प्रत्येक व्यापार में बोलचाल सफलता की कुञ्जी है। बोलचाल असम्भव बातों को सम्भव बनाने में सहायक है शत्रु को मधुर वाणी से मित्र बनाना, वकीलों का प्रभावोत्पादक वाणी द्वारा घातकों को न्यायालय में बचाना, संसद के सदस्यों का जनता की मांग उपस्थित करना, मन्त्रियों को अपने पद की रक्षा करते हुए आलोचनाओं का उत्तर देना, नेताओं का जनता को अपना अनुयायी बनाना आदि सब बोलचाल पर निर्भर है। हिटलर, मसोलिनी, लेनिन जैसे नेताओं के पास सफलता का सब से महान् यन्त्र उनकी भाषण कला थी। हमारे नेहरू जी भी इस कला में प्रवीण थे। वे देश-विदेश में अपने भाषणों द्वारा सब को अपनी ओर खींच लेते रहे। जनता को अपने हाथ रखना यदि किसी और विधि से न हो सके, बोलचाल द्वारा हो सकता है। नेताओं की बात छोड़िये, साधारण व्यवसायी भी इस का पूरा लाभ उठाते हैं। नीलाम करने वाले, कमीशन एजेंट, रास्ते पर दवाई बेचने वाले बनावटी साधु, जादूगर, बनावटी ज्योतिषी और कितने ही दुकानदार अपना शब्दजाल बिछाकर आपको फंसा लेते हैं। तत्क्षण आपकी जेबें खाली हो जाती हैं, और घर पहुँच कर ही आप अपनी भूल समझ पाते हैं। अपनी मीठी वाणी, शिष्ट भाषा और वाक्चातुर्य से ऐसे व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को अपना मित्र बना सकते हैं।

सामाजिक सम्पर्क के लिए वक्ता की अनुभूति के साथ श्रोता की अनुभूति का तादात्म्य स्थापित करने वाला वाणी का प्रसाद व्यक्तित्व का प्रतिफलन कराने वाली प्रभावोत्पादक भाषा, और मोहित करने वाले मीठे-मीठे शब्द अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। इसी कारण प्रत्येक व्यवसायी सरस्वती का आह्वान करता है। आजकल अन्धे भी बोलचाल द्वारा ही सारी विद्या प्राप्त कर सकते हैं और निष्कण्टक रूप से जीवन चला सकते हैं।

उच्च भाषा नहीं। साहित्यिक भाषा का प्रयोग साहित्य में करना चाहिए, बोलचाल में नहीं।

(७) अवसरानुकूलता—भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के हाव-भाव, स्वरों का उतार-चढ़ाव, क्रोध, प्रार्थना, स्नेह, घृणा, दैन्य आदि भाव प्रकट करने पड़ते हैं। भाषा में इन भावों का होना आवश्यक है। जिस अवसर पर जिस प्रकार के हाव भाव आदि की आवश्यकता हो, वैसा ही प्रयोग करना चाहिए। शोक समाचार सुनने पर विलाप, कटु वचन सुनने पर क्रोध, प्रसन्नता का समाचार सुनने पर हर्ष आदि भाव अवसरानुकूल प्रकट होने चाहिएँ। बोलने समय मुख पर भी भावों का उतार-चढ़ाव तथा स्वर में भावानुकूल परिवर्तन आवश्यक है। कभी आंगिक और वाचिक अभिनय की आवश्यकता भी पड़ती है। तर्क उपस्थित करते समय जोरदार वाणी का प्रयोग करना पड़ता है। वकीलों की भाषा ओजस्विनी होनी चाहिए।

(८) गतिशीलता—भाषा में गति तथा प्रवाह का होना आवश्यक है। वार्तालाप करते समय बार बार रुकना, झिझकना, स्वर भंग होना, प्रवाह में विघ्न उत्पन्न करके श्रोता की रुचि, उत्सुकता तथा ध्यान को नष्ट कर देना भी भाषा को दूषित कर देता है।

(९) स्वराघात—प्रत्येक वाक्य में जो मुख्य शब्द हो, या वाक्यांश हो, उस पर जोर देना अथवा सारे भाषण में जो मुख्य बात हो, उस पर जोर देना, वार्तालाप की लक्ष्य-सिद्धि के लिए परमावश्यक है। स्वराघात के सम्बन्ध में उच्चारण के अध्याय में उदाहरण दिए गए हैं।

§ 63 बोल-चाल के आधार (Rudiments of Speech)

बोल-चाल के निम्न आधार हैं। बोल-चाल की शिक्षा में इन पर पूरा-पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है—

(१) भौतिक आधार (Physical aspect)

(२) ध्वनि-प्रकाशन (Voice-production)

(३) शब्द-उच्चारण (Enunciation)

(४) शब्दावली (Vocabulary)

इन सब का ब्योरा नीचे दिया जाता है -

(१) भौतिक आधार पीछे कहा गया है कि भाषा के दो आधार हैं— भौतिक आधार और मानसिक आधार। भौतिक आधार में कान, जबान, आँख, हाथ, श्वास-प्रक्रिया ध्वनियाँ आदि सम्मिलित हैं। बोल-चाल के लिए भी इन में से कई साधनों की आवश्यकता है। प्रधानतया बोल-चाल के लिए तीन प्रकार के भौतिक आधार आवश्यक हैं—

(i) श्वास-प्रक्रिया (Breathing),

नाटकादि में भाग लेने से विद्यार्थी भाषापटु बन जाते हैं और भविष्य में वे ही सफल वक्ता सिद्ध होते हैं।

§ 62 बोलचाल के गुण —

बोलचाल में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है —

(१) शुद्धता — जिस भाषा का हम प्रयोग करें वह अर्थ, व्याकरण और उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध उच्चारण बोल-चाल द्वारा सिखाया जा सकता है। प्रारम्भिक कक्षाओं में यदि उस पर ध्यान न दिया जाए तो बाद में अशुद्ध उच्चारण की आदत भुलाना कठिन हो जाता है। बोल-चाल के द्वारा कान शुद्ध उच्चारण सुनने में प्रशिक्षित हो जाते हैं। बोल-चाल के लिए टकसाली भाषा (Standard Language) का अवलम्बन करना चाहिए। उस में ग्राम्यीणता, अश्लिष्टता, श्रुतिकटुता आदि दोष नहीं होने चाहिएँ, और वह व्याकरण सम्मत और बोधगम्य होनी चाहिए।

(२) सशक्तता – बोलने वाला जिन भावों और विचारों को प्रकट करना चाहे, उसकी भाषा उनको व्यक्त करने में समर्थ हो। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधान जैसे गुणों के द्वारा भाषा अर्थ और भाव प्रकट करने में सफल होती है।

(३) प्रभावोत्पादकता – वक्ता अपनी भाषा से श्रोतागणों पर प्रभाव डाल सके, और अपने लक्ष्य में सिद्धि प्राप्त करे। सफल नेताओं की भाषा का सब से बड़ा गुण यही है। तुलसीदास जी पत्नी के 'अस्थि चरम-मय-देह मम ' प्रभावोत्पादक शब्द सुन कर ही भगवान् के भक्त बन गये।

(४) मधुरता मधुरवाणी से मोती झड़ते हैं, फूल बरसते हैं और श्रोता का मन प्रसन्न हो जाता है। कभी कटु से कटु बात भी मधुर शब्दों में बुरी नहीं लगती। बिहारी का यह दोहा याद होगा —

'नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इहि कालि।
अली कली ही सों बिंध्यो, आगे कौन हवालि॥'

इस दोहे ने राजा के मन में क्रान्ति मचा दी। नम्रता और प्रियता जिस वाणी में हो, वह जादू का असर कर सकती है। बिगड़ता हुआ कार्य भी मधुर वचनों से बन जाता है। कभी हृदय को चुभ जाए तो [illegible] सुहाता।

(५) शिष्टता- शिष्टता के बिना भाषा गवाँरू भाषा या असभ्य भाषा कहलाई जाती। सामाजिक शिष्टता का ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा में रखना चाहिए। कहीं अश्लीलता का, कटुता का अथवा अशिष्टता का प्रयोग भाषा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना ओछेपन और असभ्यता के चिह्न हैं।

(६) स्वाभाविकता बोल चाल में भाषा का [illegible] स्वाभाविक प्रयोग [illegible] करना चाहिए। मुहावरेदार, लोकोक्ति युक्त तथा बोलचाल की भाषा [illegible] और स्वाभाविक [illegible] है [illegible], [illegible]

स्पष्ट निकलें तो अभीष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।

(ii) इसी प्रकार सशक्त वाणी का प्रयोग आजकल की आवश्यकता है। हमारी वाणी में शक्ति होनी चाहिए जिससे हम दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकें। वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने से यह गुण विकसित हो जाता है।

(iii) रबड़ की लचक तो आप जानते ही हैं। परन्तु भाषा की लचक से क्या तात्पर्य है? बोलते समय कभी छोटे वाक्यों का कभी किसी ध्वनि को लम्बा करके उच्चारित करते हैं और किसी ध्वनि को छोटा करते। एक ही वाक्य में आवश्यक शब्द को लम्बा करके अधिक समय में बोलते हैं और अनावश्यक शब्द शीघ्र बोलते हैं। एक ही गति के साथ सभी शब्द नहीं बोले जाते। इससे भाव प्रकाशन में सहायता मिलती है। जिस ध्वनि को लम्बा किया जाता है वहा सुनने वाले के लिए विचारणीय होती है।

(iv) ध्वनियों को लम्बा या छोटा करने के अतिरिक्त स्वरों को ऊँचा या नीचा भी करना पड़ता है। जैसे संगीत में स्वरों के ऊँच-नीच से विभिन्न प्रकार का संगीत निकलता है, इसी प्रकार साधारण बोलचाल में भी एक ही वाक्य में कई शब्द ऊँचे स्वर से बोलने और कई शब्द नीचे स्वर से बोलने के प्रभाव में अन्तर पैदा होता है।

(v) वाणी की मधुरता की व्याख्या पीछे की गई है।

3 शब्दोच्चारण (Enunciation). —

ध्वनियों के उतार चढ़ाव के साथ शब्दों और अक्षरों के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इस में निम्न बातें आ जाती हैं : —

(i) अक्षरावस्थान या अक्षर ध्वनि (Articulation)
(ii) स्वरापात (Intonation)
(iii) बल (Stress)
(iv) शब्द वर्गीकरण (Phrasing)
(v) गति (Speed)
(vi) शब्द उच्चारण (Pronunciation)

इन सभी तत्वों का ब्योरा नीचे दिया जाता है।

(i) अक्षरावस्थान या अक्षर ध्वनि (Articulation) अथवा प्रत्येक अक्षर का ठीक उच्चारण स्थान के द्वारा प्रकाशन। छात्र कभी ष और प, ऋ और र, ड और ड़, न और ण जैसे वर्णों का भेद नहीं समझ पाते और अशुद्ध उच्चारण करते हैं। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण स्थान समझना चाहिए, जिससे उच्चारण-भ्रम दूर हो जावे।

(ii) इसी प्रकार स्वरापात (Intonation) समझने से ठीक स्वर या अक्षर पर बल दिया जाएगा। जिससे अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है। 'उच्चारण' प्रकरण में स्वरापात के उदाहरण दिये गए हैं।

(ii) आसन (Posture) और

(iii) अभिनय (Gesture)

(i) श्वास प्रक्रिया (Breathing) बोलचाल का प्रथम सोपान है। बोलने का सम्बन्ध हमारे शरीरांगों के साथ है। हमारे फेफड़ों से जो वायु निकलती है वही स्वर-तंत्रियों से गुजर कर ध्वनि पैदा करती है और मुख के विभिन्न स्थानों के संयोग से विभिन्न रूप धारण करती है। 'उच्चारण' के प्रकरण में इसकी पूरी व्याख्या की गई है। यहां पर इतना कहना आवश्यक है कि बोलचाल ध्वनियों पर निर्भर है और ध्वनियां हमारी श्वास प्रक्रिया पर। शरीर की कमजोरी और फेफड़ों की कमजोरी का प्रभाव जहाँ पर हमारी श्वास प्रक्रिया पर पड़ता है, वहां पर बोलचाल में कमजोरी आ जाती है।

(ii) आसन (Posture)—बोलचाल और श्वास प्रक्रिया ठीक ढंग से उठने, बैठने और खड़ा रहने पर भी निर्भर है। सिर झुका कर, गर्दन झुका कर या कमर झुकाकर बोलना शक्तिहीन होता है।

(iii) अभिनय (Gesture)—बोलने का सम्बन्ध अंग-संचालन के साथ भी है। बोलते समय किंचित अभिनय की भी आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न अवसरों पर बोलने के साथ-साथ सिर हिलाने, भुजा हिलाने, हाथ उठाने, भृकुटि तनाने, मुँह फैलाने, मुस्कराने आदि की आवश्यकता पड़ती है।

इस प्रकार श्वास प्रक्रिया (Breathing), आसन (Posture) और अभिनय (Gesture) बोलचाल के भौतिक आधार हैं।

2. ध्वनि प्रकाशन (Voice Production)—बोलते समय हमारे मुख अवयवों (मुख के अंगों) से ध्वनियां निकलती हैं। इसका स्पष्टीकरण 'उच्चारण' के प्रकरण में (अगले पाठ में) किया गया है। मुख के अवयवों से ध्वनियां कैसे निकलती हैं, यह 'ध्वनियंत्र तथा उच्चारण स्थान' के चित्र द्वारा समझाया गया है। ध्वनियों के अतिरिक्त ध्वनि-प्रकाशन में कई और बातें भी आ जाती हैं जिनसे ध्वनियों के समझाने में सहायता मिलती है। ध्वनियों में ऐसे निम्न गुणों की आवश्यकता होती है—

(i) सुविधा (Ease) (ii) सशक्तता (Power)

(iii) लचक (Flexibility), (iv) स्वर (Pitch)

(v) मधुरता (Pleasantness)

इन सभी गुणों का स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है।

(i) जिह्वा की सुविधा (facilities of tongue) एक ऐसा गुण है जो निरन्तर अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बार-बार बोलने से जिह्वा और मुखावयव प्रशिक्षित (trained) हो जाते हैं। दैनिक व्यवहार में इस गुण की बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो यदि जबान रुक जाए, बोलने में झिझक पैदा हो जाए, ध्वनियां

स्पष्ट निकलें तो अभीष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।

(ii) इसी प्रकार सशक्त वाणी का प्रयोग आजकल की आवश्यकता है। हमारी वाणी में शक्ति होनी चाहिए जिससे हम दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकें। वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने से यह गुण विकसित हो जाता है।

(iii) रबड़ की लचक तो आप जानते ही हैं। परन्तु भाषा की लचक से क्या तात्पर्य है? बोलते समय कभी छोटे वाक्यों का कभी किसी ध्वनि को लम्बा करके उच्चारित करते हैं और किसी ध्वनि को छोटा करते। एक ही वाक्य में आवश्यक शब्द को लम्बा करके अधिक समय में बोलते हैं और अनावश्यक शब्द शीघ्र बोलते हैं। एक ही गति के साथ सभी शब्द नहीं बोले जाते। इससे भाव प्रकाशन में सहायता मिलती है। *जिस ध्वनि को लम्बा किया जाता है वहां सुनने वाले के लिए विचारणीय होती है।*

(iv) ध्वनियों को लम्बा या छोटा करने के अतिरिक्त स्वरों को ऊँचा या नीचा भी करना पड़ता है। जैसे संगीत में स्वरों के ऊँच-नीच से विभिन्न प्रकार का संगीत निकलता है, इसी प्रकार साधारण बोलचाल में भी एक ही वाक्य में कई शब्द ऊँचे स्वर में बोलने और कई शब्द नीचे स्वर से बोलने के प्रभाव में अन्तर पैदा होता है।

(v) वाणी की मधुरता की व्याख्या पीछे की गई है।

3. शब्दोच्चारण (Enunciation) –

ध्वनियों के उतार चढ़ाव के साथ शब्दों और अक्षरों के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इस में निम्न बातें आ जाती हैं :—

(i) अक्षरावस्थान या अक्षर व्यक्ति (Articulation)
(ii) स्वराघात (Intonation)
(iii) बल (Stress)
(iv) शब्द वर्गीकरण (Phrasing)
(v) गति (Speed)
(vi) शब्द उच्चारण (Pronunciation)

इन सभी तत्त्वों का ब्योरा नीचे दिया जाता है।

(i) अक्षरावस्थान या अक्षर व्यक्ति (Articulation) अथवा प्रत्येक अक्षर का ठीक उच्चारण स्थान के द्वारा प्रकाशन। छात्र कभी श और ष, ऋ और र, ड और ड़, न और ण जैसे वर्णों का भेद नहीं समझ पाते और अशुद्ध उच्चारण करते हैं। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण स्थान समझाना चाहिए, जिससे उच्चारण-भ्रम दूर हो जाये।

(ii) इसी प्रकार स्वराघात (Intonation) समझने से ठीक स्वर या अक्षर पर बल दिया जाएगा। जिससे अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है। 'उच्चारण' प्रकरण में स्वराघात के उदाहरण दिये गए हैं।

(ii) आसन (Posture) और

(iii) अभिनय (Gesture)

(i) श्वास प्रक्रिया (Breathing) बोलचाल का प्रथम सोपान है। बोलने का सम्बन्ध हमारे शरीरांगों के साथ है। हमारे फेफड़ों से जो वायु निकलती है वही स्वर-तन्त्रियों से गुजर कर ध्वनि पैदा करती है, और मुख के विभिन्न स्थानों के संयोग से विभिन्न रूप धारण करती है। 'उच्चारण' के प्रकरण में इसकी पूरी व्याख्या की गई है। यहां पर इतना कहना आवश्यक है कि बोलचाल ध्वनियों पर निर्भर है और ध्वनियां हमारी श्वास-प्रक्रिया पर। शरीर की कमजोरी और फेफड़ों की कमजोरी का प्रभाव जहां पर हमारी श्वास प्रक्रिया पर पड़ता है, वहां पर बोलचाल में कमजोरी आ जाती है।

(ii) आसन (Posture)—बोलचाल और श्वास प्रक्रिया ठीक ढंग से उठने, बैठने और खड़ा रहने पर भी निर्भर है। सिर झुका कर, गर्दन झुका कर या कमर झुकाकर बोलना शक्तिहीन होता है।

(iii) अभिनय (Gesture)—बोलने का सम्बन्ध अंग-संचालन के साथ भी है। बोलते समय विचित्र अभिनय की भी आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न अवसरों पर बोलने के साथ-साथ सिर हिलाने, भुजा हिलाने, हाथ उठाने, भ्रकुटि तनाने, मुँह फैलाने, मुस्कराने आदि की आवश्यकता पड़ती है।

इस प्रकार श्वास प्रक्रिया (Breathing), आसन (Posture) और अभिनय (Gesture) बोलचाल के भौतिक आधार हैं।

2 ध्वनि प्रकाशन (Voice Production)—बोलते समय हमारे मुख अवयवों (मुख के अंगों) से ध्वनियां निकलती हैं। इसका स्पष्टीकरण 'उच्चारण' के प्रकरण में (अगले पाठ में) किया गया है। मुख के अवयवों से ध्वनियां कैसे निकलती हैं, यह 'ध्वनियन्त्र तथा उच्चारण स्थान' के चित्र द्वारा समझाया गया है। ध्वनियों के अतिरिक्त ध्वनि-प्रकाशक में कई और बातें भी आ जाती हैं जिनसे ध्वनियों के समझाने में सहायता मिलती है। ध्वनियों में ऐसे निम्न गुणों की आवश्यकता होती है—

(i) सुविधा (Ease) (ii) सशक्तता (Power)

(iii) लचक (Flexibility), (iv) स्वर (Pitch)

(v) मधुरता (Pleasantness)

इन सभी गुणों का स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है।

(i) जिह्वा की सुविधा (facilities of tongue) एक ऐसा गुण है जो निरन्तर अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बार-बार बोलने से जिह्वा और मुखावयव प्रशिक्षित (trained) हो जाते हैं। दैनिक व्यवहार में इस गुण की बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो यदि ज़बान रुक जाए, बोलने में झिझक पैदा हो जाए, ध्वनियां

प्रारम्भिक अवस्था में बोलचाल तीन प्रकार से होती है :—

(i) सुनना और विचार ग्रहण करना।

(ii) बार बार सुनने से ध्वनियों का रूप याद रखना।

(iii) अभ्यास द्वारा सुनी हुई ध्वनियों को शुद्ध रूप में व्यक्त करना।

मातृ भाषा के सम्बन्ध में उपर्युक्त तीनों कार्य घर पर ही सम्पादित होते हैं जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी है, उनके लिए हिन्दी की ध्वनियां कक्षा में नई नहीं सीख , अत: वे ध्वनियाँ सीखने के बदले वाचन तथा लिपि सीखनी आरम्भ कर देते है रन्तु फिर भी ग्रामीणता आदि दोषो के अपहरण के लिए अध्यापक को चाहिए ह पढ़ना-लिखना सिखाने से पहले साधारण विषयों, निरटतम पदार्थों तथा कहानि के वर्णन द्वारा विद्यार्थियो को शुद्ध उच्चारण, निर्बाध अभिव्यक्ति और प्रवाह यु वार्तालाप में अभ्यस्त कराए।

जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है, उनके सम्बन्ध में अध्यापक को इसी अवस मे अधिक ध्यान देना चाहिए। अध्यापक मातृ-भाषा से उन्हें हिन्दी की ओर ले सकता है। उसका कार्य-क्रम निम्न होगा . —

(i) निकट पदार्थों के सम्बन्ध में छोटे-छोटे वाक्य बनवाना, उन वाक्यों को शु करना, और प्रत्येक विद्यार्थी को ऐसे वाक्य बनवाने में सहायता तथा प्रोत्साहन देना।

(ii) सर्वनाम तथा क्रिया पदों का भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग करवाना।

(iii) विशेषण, क्रियाविशेषण तथा अव्यय पदों का शुद्ध प्रयोग करवाना।

(iv) संज्ञाओं का लिंग-भेद समझना और उसी के अनुसार विशेषण तथा क्रि पदों के निश्चित रूप में अभ्यास कराना। अहिन्दी भाषियों को हिन्दी में प्रयुक्त ह वाला जड़ पदार्थों का लिंग-भेद समझ नहीं आता है, 'दई खाई, दही खाया,' पुस पढ़ी, पुस्तक पढ़ा,' आदि लिंग भ्रम अहिन्दी-भाषियों में साधारण हैं।

(v) इसी प्रकार वचन के शुद्ध प्रयोग का अभ्यास भी आवश्यक है। जहाँ पंज में 'पीलियाँ सीड़ियाँ' 'चगियाँ गल्लाँ' कह कर 'पीली' और 'चगी' का बहुवचन बन जाता है, वहाँ हिन्दी मे 'पीली साड़ियां अच्छी बातें' कहना ही शुद्ध है।

(vi) गठन वाक्यों का प्रयोग (Structure)

प्रत्येक भाषा का अपना अपना स्वरूप होता है। जिस में विशेषकर तीन बातें आती हैं जिनके कारण एक भाषा और दूसरी भाषा के स्वरूप में भेद आ जाता है। तीन बातें हैं —

(क) विभक्तियों और प्रत्ययों का प्रयोग।

(ख) वाक्यों में शब्दों का क्रम।

(ग) अव्ययों का प्रयोग।

किसी भाषा की शब्दावली जानने पर भी उपरोक्त तीन बातों की जानकारी

(iii) प्रश्न सम्पूर्ण कक्षा पर वितरित होने चाहिए ।

(iv) प्रश्नों का एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए ।

(v) प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में धैर्य से काम लेना चाहिए । यदि एक बालक उत्तर न दे सके तो दूसरे को पूछना चाहिए । यदि कोई न बता सके तभी स्वयं बताना चाहिए । यदि कोई अशुद्ध उत्तर दे तो उसका संशोधन दूसरे विद्यार्थियों से कराना चाहिए ।

(vi) कभी कभी छात्रों से प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया जाए ।

(२) सम्भाषण—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त सरल विषयों पर सम्भाषण या वार्तालाप भी बोल-चाल में सहायक है । इसके सम्बन्ध में निम्न बातें विचारणीय हैं—

(i) सम्भाषण के विषय छात्रों के निकटतम वातावरण से चुनने चाहिए । बेसिक स्कूलों में बागबानी, कताई-बुनाई, स्वास्थ्य सफाई, नियोजित सेवा और अन्य सामाजिक कार्यों के अवसर पर वार्तालाप किया जा सकता है । स्कूल से बाहिर घर, बाजार, मण्डी आदि स्थानों के सम्बन्ध में भी सम्भाषण हो सकता है । जैसे 8 वर्ष के बालक से पूछा जाए 'अब तू घर से स्कूल आए तो तुम ने रास्ते में क्या कुछ देखा ।' इसी प्रकार सैर-सपाटे, मेले-त्योहार, खेल, स्वांग, नाटक, सिनेमा, धार्मिक उत्सव, सामाजिक उत्सव, राष्ट्रीय उत्सव और प्रदर्शनियाँ (Exhibitions) सम्भाषण का बहाना बन सकती हैं । तात्पर्य यह है कि जिन विषयों में छात्रों की स्वाभाविक अभिरुचि है और व्यक्तिगत अनुभव (Personal experience) है उन्हीं विषयों के सम्बन्ध में वार्तालाप करवाना चाहिए ।

(ii) छात्रों को वार्तालाप करने की पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिये । उनके बोलने में स्वाभाविकता आनी चाहिए । आरम्भ में यदि वे टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करें तो उनकी त्रुटियों का सुधार करना चाहिए । परन्तु सुधार इस ढंग से करना चाहिए कि छात्र निरुत्साहित न हो । इस के निमित्त उनके सम्भाषण में बीच में रोकना चाहिए । यदि आवश्यक समझा जाये तो बोलने का आदर्श भी उपस्थित किया जाए । छोटे-छोटे वाक्यों को शृङ्खला या लड़ी में प्रस्तुत किया जाए ।

(iii) सम्भाषण दो प्रकार का हो सकता है । प्रथम अध्यापक और छात्र के बीच में, दूसरे एक छात्र और दूसरे छात्र के बीच में ।

(३) सस्वर वाचन—बच्चे जिस समय पाठ्य पुस्तक में से किसी पाठ का सस्वर वाचन करें उस समय भी उन के बोलचाल पर ध्यान देना चाहिए । सस्वर वाचन से उनकी विधिवत् बोलने की आदतों का निर्माण हो जाता है ।

(४) वाक्य रचना—अध्यापकों को चाहिए कि वह बच्चों द्वारा पहले सरल वाक्यों की रचना कराए और तत्पश्चात् लम्बे लम्बे वाक्यों की रचना कराए । वाक्य रचना में वह भिन्न भिन्न पदार्थों और स्थानों को लेकर — — ।

जैसा मौखिक कार्य दो प्रकार का होता है।

(क) पदार्थ विषय (Ostensive) जिस में पदार्थों के विषय में बातों में रचना की जा सकती है।

(ख) व्यापार विषय (Based on actions) जिस में बातों की रचना क्रियाओं के विषय में की जाती है। गाय दूध देती है, इस वाक्य में प्रधान शब्द गाय और दूध जैसे पदार्थ हैं जिन का प्रयोग करना सिखाया जाता है। गाय रंभाती है इस वाक्य में रंभाने की क्रिया प्रधान है जिसका प्रयोग सिखाना अपेक्षित है।

(4) कहानी कहना — बालक रचना के उपरान्त बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाने का अभ्यास कराना चाहिए। बच्चों को कहानियाँ प्यारी हैं। यह एक सर्वमान्य तथ्य है। कहानी सुनाने वालों को सभी बच्चे लालायित होकर बड़ी उत्सुकता और एकाग्रता के साथ कहानी सुनने बैठते और अध्यापक को विद्यार्थियों से कहानियां कहलवानी चाहिए। इस विषय में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए —

(i) कहानी बच्चों की आयु, मानसिक स्तर और रुचि के अनुकूल हो। इसका विषय ऐसा होना चाहिए कि बालक आसानी से इसकी कल्पना कर सकें। इसमें कल्पना का अच्छा पुट होना चाहिए। छोटे बच्चे पशु पक्षियों की कहानियाँ अधिक पसन्द करते हैं।

(ii) कहानी या तो अध्यापक स्वयं सुनाएं अथवा विद्यार्थी सुनाएं। यदि उनको न आती हो तो अध्यापक के सुनाने के बाद वे सुनायें। शिक्षक कहानी को अपूर्ण छोड़ दें और छात्रों से पूरी करवाये। अथवा केवल रूपरेखा बतायें और उसका छात्रों से विस्तार करवायें।

(iii) कहानी की भाषा सरल, रोचक, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। कभी बीच में प्रश्न भी पूछने चाहिए।

(iv) कहानी न बड़ी होनी चाहिए, न छोटी। कहानी सुनाते समय 20-25 मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

(v) कहानी सुनाने के बाद, बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाने की आज्ञा देनी चाहिए, जो इसके अनुरूप हों। कभी विरोध की भी सहायता ली जानी चाहिए।

कहानियों के अतिरिक्त ये साधारण वार्ताओं तथा पदार्थों का वर्णन भी कर सकते हैं। धीरे-धीरे वे शुद्ध स्पष्ट वाणी में अपने विचारों को व्यक्त करने में अभ्यस्त हो सकते हैं। बोलचाल के द्वारा ही वे रचना कार्य में भाग ले सकते हैं, पाठ्य पुस्तक को समझ सकते हैं, शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं और भाषा का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

65. उत्तरावस्था में बोलचाल के साधन –

उत्तरावस्था में अध्यापक का यह लक्ष्य रहता है कि—

(i) विद्यार्थी बोलने में पूर्ण अभ्यस्त हो जाए।
(ii) उनका उच्चारण शुद्ध हो।
(iii) उनकी वाक्य रचना में अशुद्धियां न हों।
(iv) वे उचित हाव-भाव उतार-चढ़ाव के साथ अपने विचारों या भावों को स्पष्ट कर सकें।
(v) उनकी वाणी में वे सारे गुण आ जाएं जो इस प्रकरण में पीछे कहे गए हैं।

साधन – इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए अध्यापक निम्न साधनों का प्रयोग कर सकता है। बोलचाल के साधन दो प्रकार के हो सकते हैं—

(क) पाठ्य पुस्तक से सम्बन्धित और (ख) पाठ्य पुस्तक से मुक्त।

(क) पाठ्यपुस्तक से सम्बन्धित साधन —

(१) प्रश्नोत्तर तथा शब्द प्रयोग।

अध्यापक कक्षा में कठिन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करवा सकता है, तथा पढ़ाए हुए पाठ के सम्बन्ध में बोध परीक्षा के प्रश्न पूछ सकता है। गद्य पाठ में अधिकतम मौखिक कार्य ही होना चाहिए। पद्यपाठ में पद्यांशों की व्याख्या विद्यार्थियों से कराई जा सकती है।

(७) अनुच्छेद सार (Paragraph Summaries)।

पढ़ाए हुए पाठ के किसी गद्यांश अथवा सारे पाठ का सार पूछा जा सकता है 'कहानी का सार क्या है ?' कहानी में कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है ?—ऐसे प्रश्न मौखिक कार्य में सहायता देते हैं।

(८) किसी वार्ता की पुनर्रचना (Reproduction)।

किसी पढ़ी हुई कहानी या वार्त्ता की विद्यार्थियों द्वारा पुनर्रचना कराई जा सकती है। विद्यार्थी सारी वार्ता अपने शब्दों में यथार्थ रूप में सुना सकते हैं, अथवा प्रथम पुरुष में, वर्तमान काल आदि में भिन्न-भिन्न परिवर्तित रूप में भी सुना सकते हैं।

यथार्थ (Direct) और परिवर्तित (Modified) पुनर्रचना विद्यार्थियों की बोलचाल की प्रगति में परम सहायक है।

(६) रूप रेखा के अनुसार कथा वर्णन।

अध्यापक पाठ्यपुस्तक में दिए गए विवरणात्मक या वर्णनात्मक निबन्ध या वार्ता की रूप रेखा बना कर विद्यार्थियों से नई रचना करा सकते हैं।

(१०) पुस्तकीय विषय के सम्बन्ध में आत्मानुभव—

विद्यार्थी पुस्तक में पढ़ी हुई वार्ता या कहानी से सम्बन्धित अपने निजी अनुभव

कहानियो को सुना सकते हैं।

(ख) पाठ्यपुस्तक से मुक्त साधन—

(११) चित्र-वर्णन—अर्थात् चित्र को देख कर तत्सम्बन्धी सभी बातो को अपनी भाषा मे वर्णन करना। मिडिल कक्षाओ मे चित्र वर्णन (Picture Composition) रचना का प्रधान अग है।

(१२) मौखिक वर्णन (Oral Description)।

विद्यार्थी अपने अनुभवो, वार्ताओ, अर्थात् पढी हुई तथा सुनी हुई कहानियो का मौखिक वर्णन कर सकते हैं।

(१३) भाषण (Lecture)।

भाषण या व्याख्यान एक कला है, जिसमे निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता है। इसका सूत्रपात मिडिल कक्षाओ मे ही हो सकता है छात्रो को साप्ताहिक बैठक या बाल सभा मे किसी उपयोगी और रोचक विषय पर भाषण देने का अवसर देना चाहिए। राजनीतिक और धार्मिक विषयो के बदले ऐसे विषय चुनने चाहिएं जिनका छात्रो के जीवन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ताकि वे उस विषय पर स्वय सोच सकें और अपना भाषण तैयार कर सकें। नही तो छात्र किसी से भाषण लिखवा लेते हैं और फिर उसे रटते हैं। भाषण के बाद अन्य छात्रों को वक्ता से प्रश्न पूछने की आज्ञा देनी चाहिए। उदाहरण के लिए कोई छात्र निरक्षता (illiteracy) पर भाषण दे और यह समझाने की कोशिश करे कि निरक्षर व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन मे कितनी कठिनाइयो का सामना करना पडता है। भाषण तभी सफल होगा जब शुद्ध और ओजपूर्ण प्रभावोत्पादक भाषा का प्रयोग किया जाये, थोडे समय मे काफी विचार सामग्री प्रस्तुत की जाये, सुक्तियां तर्कपूर्ण और विश्वसनीय हों, उच्चारण बोलने का ढग और हाव-भाव उचित हो, और किसी प्रकार का विषयातर (diagression) न हो। सामान्य भाषण के साथ भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा सकता है और उत्साह उत्पन्न करने के लिए विजेता को पारितोषिक दिया जा सकता है। छात्र जब भाषण तैयार करे तो अध्यापक उसे सहायता दे, और पुस्तकालय मे आवश्यक प्रसगो का हवाला दे।

सभी विद्यार्थियो को किसी न किसी विषय पर भाषण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए प्रति मास एक निश्चित दिवस भाषणों के लिए रखना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को भाषण देने के अवसर प्राप्त होने चाहिए।

(१४) सवाद (Dialogue)।

भिन्न भिन्न विषयो पर कक्षा के भीतर या बाहिर सवाद करने की प्रथा बहुत पुरानी और लाभदायक है। दो विद्यार्थियों या विद्यार्थियों के दो दल किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में, अथवा किसी व्यापार के सम्बन्ध मे वार्तालाप कर सकते है।

(१५) वाद-विवाद (Debates) भी इसी प्रकार भाषण पढना तथा लिखने की

ग्यता में सहायक हैं। इस के अतिरिक्त वाद-विवाद में भाग लेने से छात्रों में प्रत्युत्पन्न
ति (Wit) और हास्य-व्यंग्य का विकास होता है। प्रति मास कक्षाओं के बीच या
विद्यालयों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता (Declamation Contest) का आयोजन
करना चाहिये।

वाद-विवाद के सम्बन्ध में निम्न बातें स्मरणीय हैं—

(i) वाद-विवाद कराने से पहले उचित विषय का चुनाव करना चाहिए। विषय ऐसा हो जो छात्रों के लिए रोचक हो और जिसका उन्हें पूरा ज्ञान हो। विषय के दोनों पहलू (पक्ष और विपक्ष) जोरदार होने चाहिएं कुछ विषय नीचे दिए जाते हैं—

'इस भवन के मत में स्कूलों में वर्दी (Uniform) आवश्यक है।' 'सैनिक शिक्षा स्कूलों में शिक्षा का एक आवश्यक अंग होना चाहिये।'

'ग्रामीण जीवन नागरिक जीवन की अपेक्षा सुन्दर है।'

'परीक्षा एक अभिशाप है।'

(ii) विषय के चुनाव के उपरान्त वाद-विवाद के दिनांक, समय, स्थान और विषय की घोषणा करनी चाहिए। बोलने वाले छात्रों के नाम प्राप्त करने चाहिए।

(iii) वाद-विवाद के समय दो तीन अध्यापकों को निर्णायक (Judges) नियुक्त करना चाहिए। पक्ष में बोलने वाले के बाद विपक्ष में बोलने वाले की बारी आनी चाहिए। प्रत्येक वक्ता को ४—५ मिनट का समय देना चाहिए। वक्ताओं प्रतियोगिता (Competition) रखनी चाहिए। सर्वोच्च वक्ता को पुरस्कार देना चाहिए।

(iv) वक्ताओं को बोलने से पहले सहायता भी देनी चाहिए, ताकि वे पूरी तैयारी करके आयें।

(v) आरम्भ में विभिन्न कक्षाओं की परस्पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए, बाद में कई स्कूलों के छात्रों की (अर्थात् अन्तर स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता)।

(vi) वाद-विवाद में हास्य व्यंग्यात्मक उत्तर देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, रोष का परिहार करना चाहिए। दूसरों की कटु आलोचना सहन करने के लिए छात्रों को विनम्र बनाना चाहिए। वाद विवाद में बार-बार भाग लेने वालों में प्रत्युत्पन्न हाज़र जवाबी (Wit) का विकास होता है।

(vii) कभी कभी बिना तैयारी के वाद-विवाद का अर्थात् आशु वाद (Extempore Dedate) का भी आयोजन करना चाहिए। छात्रों को तुरन्त ही सहसा विषय की घोषणा करनी चाहिए, आधे घण्टे का अवकाश तैयारी हेतु देना चाहिए और वाद विवाद आरम्भ करवाना चाहिए।

(ix) चर्चा (Panal Discussion) उच्च कक्षाओं के

कहानियों को सुना सकते हैं।

(ग) पाठ्यपुस्तक से मुख्य साधन [illegible] इन बातों को अर्थ

(११) चित्र-वर्णन अर्थात् चित्र का देख कर [illegible] Picture Composition

भाषा में वर्णन करना। लिखित रचनाओं में चित्र वर्णन (Picture Composition)

रचना का प्रधान अंग है।

(१२) मौखिक वर्णन (Oral Description)।

विद्यार्थी अपने अनुभवों [illegible] अर्थात् देखी हुई [illegible] सुनी हुई [illegible] का

मौखिक वर्णन कर सकते हैं।

(१३) भाषण (Lecture)।

भाषण या व्याख्यान एक कला है, जिसमें विशेष अभ्यास की आवश्यकता है। [illegible] साप्ताहिक बैठक या क्लब

द्वारा सुव्यवस्थित विभिन्न कक्षाओं में ही [illegible] छात्रों को भाषण देने का अवसर देना चाहिए।

सभा में किसी उपयोगी और [illegible] विषय पर भाषण देने चाहिए जिसका छात्रों के

राजनीतिक और धार्मिक विषयों के बदले [illegible] विषय चुनने चाहिए और अपना भाषण

जीवन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ताकि वे उस विषय पर स्वयं सोच सकें और फिर उसे रटते हैं

तैयार कर सकें। नहीं तो छात्र किसी से भाषण लिखवा लेते हैं और फिर उसे रटते हैं

भाषण के बाद अन्य छात्रों को वक्ता से प्रश्न पूछने की आज्ञा देनी चाहिए। उदाहरण

के लिए कोई छात्र निरक्षरता (illiteracy) पर भाषण दे और यह समझाने की

कोशिश करे कि निरक्षर व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन में किन्हीं कठिनाइयों का सामना

करना पड़ता है। भाषण तभी सफल होगा जब शुद्ध और ओजपूर्ण प्रभावोत्पादक भाषा

का प्रयोग किया जाये, थोड़े समय में काफी विचार सामग्री प्रस्तुत की जाये, युक्तियाँ

तर्कपूर्ण और विश्वसनीय हों, उच्चारण बोलने का ढंग और हाव भाव उचित हों, और

किसी प्रकार का विषयांतर (diagression) न हो। सामान्य भाषण के साथ भाषण

प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा सकता है और उत्साह उत्पन्न करने के लिए

विजेता को पारितोषिक दिया जा सकता है। छात्र जब भाषण तैयार करे तो अध्यापक

उसे सहायता दे, और पुस्तकालय में आवश्यक प्रसंगों का हवाला दे।

सभी विद्यार्थियों को किसी न किसी विषय पर भाषण देने के लिए प्रोत्साहित

करना चाहिए प्रति मास एक निश्चित दिवस भाषणों के लिए रखना चाहिए। प्रत्येक

विद्यार्थी को भाषण देने के अवसर प्राप्त होने चाहिए।

(१४) संवाद (Dialogue)।

भिन्न भिन्न विषयों पर कक्षा के भीतर या बाहिर संवाद करने की प्रथा बहुत

पुरानी और लाभदायक है। दो विद्यार्थियों या विद्यार्थियों के दो दल किसी विषय के

और विपक्ष में, अथवा किसी व्यापार के सम्बन्ध में कथोपकथन कर सकते हैं।

(१५) वाद-विवाद (Debates) भी इसी प्रकार भाषण पटुता तथा मिलने

(९) इस के अतिरिक्त पुतली नाटक (Puppet Play), छाया नाटक (Shadow Play), पेजेंट, (Pageant) और रेडियो नाटक भी खेले जा सकते हैं।

(१८) सामूहिक कविता पाठ (Recitation)—छोटे बच्चे कविता पाठ में अत्यन्त रस लेते हैं। उनके लिए गीत, खेल और मनोविनोद के साधन बनते हैं। वह इकट्ठे गाते हैं और गीत कण्ठस्थ कर लेते हैं। समस्त गीत को रटकर ताल और राग के साथ गाते हैं। ऐसे गीतों में कई लाभ हैं। छात्र मनोविनोद प्राप्त करते हैं। उनका उच्चारण शुद्ध हो जाता है। बोलने की झिझक दूर हो जाती है। संगीत और कविता के प्रति रुचि बढ़ती है। कविता पाठ के सम्बन्ध में निम्न बातें स्मरणीय हैं—

(i) विभिन्न प्रकार की कविताओं का चुनाव करना चाहिए। जैसे झण्डे का गीत, देश-भक्ति के गीत, राष्ट्र गीत, भक्ति के भजन, शिक्षाप्रद गीत प्रकृति सम्बन्धी कविताएँ आदि। कई गीतों में अभिनय की प्रधानता होती है उनको अभिनय-गीत (Action Songs) कहते हैं। ऐसे गीतों को बच्चे अभिनय के साथ पढ़ सकते हैं। अभिनय सामूहिक भी हो सकता है और वैयक्तिक भी। नीचे एक अभिनय गीत उदाहरण के लिए दिया जाता है।

एक—एक

एक-एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग बना दोगे।
एक-एक यदि पत्थर जोड़ो तो तुम महल बना दोगे।
एक-एक यदि पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान्।
एक-एक यदि अक्षर जोड़ो तो बन जाओगे विद्वान्।

इस गीत का अभिनय कराने के लिए एक छात्र एक बूटा हाथ में लेकर पेड़ लगाने का अभिनय करेगा और प्रथम पंक्ति गायेगा। इसके उपरान्त ईंट पत्थर जोड़ने के अभिनय के साथ दूसरी पंक्ति गायेगा। ऐसे वैयक्तिक गाने होंगे। सामूहिक गाने के लिए एक छात्र के उच्चारण के बाद सभी गायेंगे। अभिनय गीतों में अभियान गीतों (Marching Songs) का अपना महत्त्व है। छात्र 'बढ़े चलो, बहादुरो' गाकर वीर रस का प्रदर्शन करते हैं। कई अभियान गीत छात्रों में लोक प्रिय हो चुके हैं जैसे—

'आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया वालो, हिन्दुस्तान हमारा है।''
'चल-चल रे नव जवान,
रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान।'

पाठकों को याद होगा कि पिछले कई वर्षों में 'जागृति' फिल्म के गीत जैसे 'साबरमती के सन्त तूने कर दिया कमाल' और 'आओ बच्चो तुम्हें दिखाएँ झाँकी हिन्दोस्तान की' कितने लोक प्रिय हुए। तात्पर्य यह है कि छात्रों के सामने शिक्षाप्रद गीत रखने चाहिए और उनका सामूहिक गान करवाना चाहिए। नहीं तो वे गन्दे फिल्मी

(५) इस के अतिरिक्त पुतली नाटक (Puppet Play), छाया नाटक (Shadow Play), पेजेंट, (Pageant) और रेडियो नाटक भी खेले जा सकते हैं।

(१८) सामूहिक कविता पाठ (Recitation)—छोटे बच्चे कविता पाठ मे अत्यन्त रस लेते हैं। उनके लिए गीत, खेल और मनोविनोद के साधन बनते हैं। वह इकट्ठे गाते हैं और गीत कण्ठस्थ कर लेते हैं। समस्त गीत को रटकर ताल और राग के साथ गाते हैं। ऐसे गीतों से कई लाभ हैं। छात्र मनोविनोद प्राप्त करते हैं। उनका उच्चारण शुद्ध हो जाता है। बोलने की झिझक दूर हो जाती है। संगीत और कविता के प्रति रुचि बढ़ती है। कविता पाठ के सम्बन्ध मे निम्न बातें स्मरणीय हैं—

(i) विभिन्न प्रकार की कविताओं का चुनाव करना चाहिए। जैसे झण्डे का गीत, देश-भक्ति के गीत, राष्ट्र गीत, भक्ति के भजन, शिक्षाप्रद गीत प्रकृति सम्बन्धी कविताएँ आदि। कई गीतों मे अभिनय की प्रधानता होती है उनको अभिनय-गीत (Action Songs) कहते हैं। ऐसे गीतो को बच्चे अभिनय के साथ पढ़ सकते हैं। अभिनय सामूहिक भी हो सकता है और वैयक्तिक भी। नीचे एक अभिनय गीत उदाहरण के लिए दिया जाता है :

एक—एक

एक-एक यदि पेड़ लगाओ	तो तुम बाग बना दोगे।
एक-एक यदि पत्थर जोड़ो	तो तुम महल बना दोगे।
एक-एक यदि पैसा जोड़ो	तो बन जाओगे धनवान्।
एक-एक यदि अक्षर जोड़ो	तो बन जाओगे विद्वान्।

इस गीत का अभिनय कराने के लिए एक छात्र एक बूटा हाथ मे लेकर पेड़ लगा का अभिनय करेगा और प्रथम पंक्ति गायेगा। इसके उपरान्त ईंट पत्थर जोड़ने अभिनय के साथ दूसरी पंक्ति गायेगा। ऐसे वैयक्तिक गाने होंगे। सामूहिक गाने लिए एक छात्र के उच्चारण के बाद सभी गायेंगे। अभिनय गीतो मे अभियान गी (Marching Songs) का अपना महत्व है। छात्र 'बढ़े चलो, बहादुरो' गाकर वी रस का प्रदर्शन करते हैं। कई अभियान गीत छात्रो मे लोक प्रिय हो चुके हैं जैसे—

'आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया वालो, हिन्दुस्तान हमारा है।''
'चल-चल रे नव जवान,
रुकना तेरा काम नही, चलना तेरी शान।'

पाठकों को याद होगा कि पिछले कई वर्षों मे 'जागृति' फिल्म के गीत जै 'साबरमती के सन्त तूने कर दिया कमाल' और 'आओ बच्चो तुम्हे दिखाएँ झाँ हिन्दोस्तान की' कितने लोक प्रिय हुए। तात्पर्य यह है कि छात्रो के सामने शिक्षा गीत रखने चाहिएं और उनका सामूहिक गान करवाना चाहिए। नही तो

गीतों को गुनगुनाते रहेंगे। इसी प्रकार चीनी आक्रमण तथा पाकिस्तानी आक्रमण के संदर्भ में कई देशभक्ति तथा वीरता प्रधान गीतों का प्रचलन हुआ उनका प्रयोग भी वांछनीय है।

(ii) गीत गाते समय छात्र अधिक जोर से न पढ़ें, क्योंकि चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने से स्वर-तंत्रिका नष्ट हो जाती है, और आगे के लिए संगीत में गीत पाठ करना उनके लिए कठिन हो जाता है।

(iii) छात्र अधिक या अनावश्यक अंग-संचालन न करें। अभिनय की अधिकता से कविता पाठ उपहासप्रद बन जाता है।

(१९) बाल सभा। बाल-सभा में प्रत्येक प्रकार का कार्यक्रम हो सकता है, जैसे छात्र कहानी सुनायेंगे, चुटकले सुनायेंगे, कविता पाठ करेंगे, सम्भाषण करेंगे, गीत गायेंगे, छोटा सा स्वांग रचेंगे, नाटक के एक दृश्य का अभिनय करेंगे आदि। सप्ताह में एक दिन बाल-सभा के लिये आवश्यक घण्टी नियत करनी चाहिये। छोटी कक्षाओं में इसकी व्यवस्था के लिये अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। परन्तु उच्च कक्षाओं में छात्र स्वयं व्यवस्था कर सकते हैं।

(२०) टेलीफोन पर बातचीत—वर्तमान व्यवहारिक जीवन में टेलीफोन पर बातचीत करने की भी आवश्यकता है। प्रथम झिझक दूर होने पर दूर की ध्वनि सुनाने में कान के प्रशिक्षित होने पर छात्र इस में आनन्द प्राप्त करेंगे।

नीचे तालिका द्वारा अभिव्यक्ति के सभी साधनों का एक विहंगम चित्र दिया जाता है।

§ 66. बोल चाल की भौतिक त्रुटियाँ—

प्राय: कई छात्र बोल-चाल और वाचन मे यथोचित भाग नही ले सकते क्योंकि उनकी जिह्वा सुविधा के साथ काम नही करती। वे हड़बड़ाते हैं और इस त्रुटि के कारण वाचन मे भी पीछे रह जाते हैं। विद्वानो ने हकलेपन के कारणो की खोज की है। उनका यह मत है कि हकलापन कोई शारीरिक या आंगिक त्रुटि नहीं। इसके केवल मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। जो बच्चा हकला होता है उस मे बोलने के सम्बन्ध मे आत्मविश्वास नही होता। कही उसे बोलने के सम्बन्ध का अभ्यास नहीं होता क्योंकि माता पिता बोलने की ओर प्रोत्साहित नहीं करते। भय के कारण भी यह दोष उत्पन्न होता है। अत: बच्चो को दण्ड नही देना चाहिये।

हकलापन दूर करने के लिए प्रथम उपाय यह है कि उन के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, और उनको धीरे-धीरे ठीक बोलने की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके मन से भय का भूत हटाना चाहिये। हकलेपन पर उपहास कभी भी नहीं करना चाहिए। उस मे आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए। उसको कठिन ... का बार-बार अभ्यास करने का आदेश देना चाहिए। छोटी अवस्था मे यह दूर हो सकता है। अध्याय 14 मे वाचन की मन्दता के संदर्भ मे इस विषय ... की गई है।

गीतों को गुनगुनाते रहेंगे । इसी प्रकार चीनी आक्रमण तथा पाकिस्तानी आक्रमण के संदर्भ में कई देशभक्ति तथा वीरता प्रधान गीतों का प्रचलन हुआ उनका प्रयोग भी वांछनीय है ।

(ii) गीत गाते समय छात्र अधिक जोर से न पढ़ें, क्योंकि चिल्ला-चिल्ला कर पढ़ने से विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है, और आगे के लिए एकांत में मौन पाठ करना उनके लिए कठिन हो जाता है ।

(iii) छात्र अधिक या अनावश्यक अंग-संचालन न करें । अभिनय की अतिशयता से कविता पाठ उपहासप्रद बन जाता है ।

(१९) बाल सभा— बाल-सभा में प्रत्येक प्रकार का कार्यक्रम हो सकता है, जैसे छात्र कहानी सुनायेंगे, चुटकुले सुनायेंगे, कविता पाठ करेंगे, सम्भाषण करेंगे, गीत गायेंगे, छोटा सा स्वांग रचेंगे, नाटक के एक दृश्य का अभिनय करेंगे आदि । सप्ताह में एक दिन बाल-सभा के लिये आवश्यक घण्टी नियत करनी चाहिये । छोटी कक्षाओं में इसकी व्यवस्था के लिये अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता है । परन्तु उच्च कक्षाओं में छात्र स्वयं व्यवस्था कर सकते हैं ।

(२०) **टेलीफोन पर बातचीत**—वर्तमान व्यवहारिक जीवन में टेलीफोन पर बातचीत करने की भी आवश्यकता है । प्रथम झिझक दूर होने पर दूर की ध्वनि सुनने में कान के प्रशिक्षित होने पर छात्र इस में आनन्द प्राप्त करेंगे ।

नीचे तालिका द्वारा अभिव्यक्ति के सभी साधनों का एक विहंगम चित्र दिया जाता है ।

सहायक पुस्तकें

1. Harold E Palmer — *Oral English*
2. Gurry. — *Teaching English as a Foreign Language*
3. Clark A. M — *Spoken English*
4. Ball, W. J — *Conversational English,*
5. Michael West — *On Learning to Speak a Foreign Language*
6. M. M. Lewis — *Language in School Ch II*
7. Lamborn — *Expression in Speech and Writing*
8. Gilbert Highet — *Art of Teaching* पढ़ाने की कला (हिन्दी अनुवाद) (आत्मा राम एण्ड सन्ज, दिल्ली)
9. Unesco — *Teaching of Modern Language Ch Methodology of Language Teaching*
10. Gardiner — *Theory of Speech and Language*
11. देवनाथ उपाध्याय — भाषण सभापत्र (किताब महल, इलाहाबाद)
12. सीताराम चतुर्वेदी — भाषा की शिक्षा अध्याय । ४

उच्चारण की शिक्षा

§ 67 महत्त्व —

उच्चारण की शिक्षा, बोल चाल और वाचन की शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग है। पीछे शुद्ध बोल चाल और वाचन के अन्तर्गत शुद्ध उच्चारण का उल्लेख आ गया है। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान दे, संस्कृत में शुद्ध उच्चारण पर वैदिक काल से ही विचार हुआ है। वेदांगों में से एक वेदांग 'शिक्षा' भी था जिस में भाषा के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दी जाती थी। इस वेदांग में वर्णों का उच्चारण स्थान, आभ्यन्तर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, पद-पाठ और पदच्छेद की व्याख्या की गई है। कालान्तर में पाणिनि ने भी अपनी 'पाणिनीय शिक्षा' में इस विषय का विस्तार किया है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने भी 'याज्ञवल्क्य शिक्षा' में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। न्याय सूत्र में उच्चारण के द्वारा ही शब्द की सत्ता मानी गई है। उच्चारण की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है—'जब बोलने वाले के मन में बोलने की इच्छा पैदा होती है, तो आत्मा से हृदयस्थ वायु को प्रेरणा मिलती है जिस से कण्ठ तालु आदि स्थानों पर एक प्रकार का आघात होता है। (जैसे वीणा-तन्तुओं पर उंगली का आघात होने से, विविध ध्वनियों की उत्पत्ति होती है।[1] ऊपर की व्याख्या अत्यन्त वैज्ञानिक है और वर्तमान ध्वनि विज्ञान के सिद्धान्तों के अनुकूल है।

इस व्याख्या के अनुसार उच्चारण के विभिन्न सोपान (Stages) हैं। उन सभी सोपानों का नीचे स्पष्टीकरण किया जाता है —

(१) उच्चारण से पहले बोलने वाले के मन में विचार होते हैं, जिन विचारों को व्यक्त करने के लिए निश्चित शब्द होते हैं। अर्थात् शब्द से पहले अर्थ आवश्यक है। वास्तव में शब्द और अर्थ एक ही चीज के दो पहलू हैं।[2]

---

1. किमिदमुच्चारण नामेति ? विवक्षाजनितेन प्रयत्नेन कोष्ठयस्य वायो प्रेरितस्य कंठता ल्वाद्यभिघात, यथास्थान प्रतिघाताद्वर्णाभिव्यक्ति ."

—न्याय सूत्र वात्साय्न भाष्य २/२/१८

2. 'एकस्यैवात्मनो भेदो शब्दार्थौ पृथक् स्थितौ। —वाक्यपदीय २/३१

'वागर्थाविव सम्पृक्तौ' —रघुवंश १/१

(२) बोलने वाले के मन में विवक्षा' या बोलने की इच्छा पैदा होती है।

(३) बोलने के प्रयत्न हृदय स्थल में वायु में प्रकम्पन होता है। अर्थात् फेफड़े
निकलती हुई वायु गले में तरंगित होती है।

(४) बाहर निकलती हुई वायु जब तरंगित होती है तो उस में ध्वनि पैदा
है।

(५) यह ध्वनि मुख के विभिन्न अवयवों के साथ टकराकर विभिन्न रूप धारण
ी है, यह विभिन्न रूप ही उच्चारण की ध्वनियां हैं।

यदि यह ध्वनियां न हों तो शब्दों का कोई अस्तित्व ही न होगा और न ही भाषा
।[1] उच्चारण की शिक्षा निम्न कारणों से आवश्यक है—

(i) भाषा का अशुद्ध उच्चारण उस पर एक आघात है अशुद्ध उच्चारण से ही
ा बिगड़ती है और सुसंस्कृत रूप से विकृत रूप प्राप्त करती है।

(ii) भाषा का सम्पूर्ण ज्ञान, तब तक नहीं हो सकता, जब तक उच्चारण का
न हो। भाषा की ध्वनियों के ज्ञान के बिना न वह भाषा बोली जा सकती है और
क रीति से समझी जा सकती है।

(iii) हिन्दी सीखने वाले बच्चे प्रायः अशुद्ध बोलते हैं, और प्रारम्भ में न सुधारी
अशुद्धियां उन के मन पर जम जाती हैं, जो कि बाद में सुधारनी कठिन हो जाती हैं।

(iv) हिन्दी भाषा के क्षेत्र में हिन्दी खड़ी बोली सब की मातृ-भाषा नहीं है।
प्राय. बच्चे कक्षा में अपनी ग्रामीण बोली में ही बातचीत करते हैं। उनको हिन्दी
ग्रामीण बोली, या हिन्दी की किसी उपबोली (ब्रज, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, अवधी, मालवी,
ली आदि) का प्रभाव पड़ता है। इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए उच्चारण की
ष शिक्षा की आवश्यकता है अध्यापक भी इस ग्रामीणता से नहीं बचता, या
'तू पढ़ता क्यों नहीं है'? के बदले 'तू पढ़त काहे नाहि हअउ' कहता है। वह कभं
के बदले श्क कहता है, और 'आवे' 'जावे' 'सिरी' आदि रूप में अशुद्ध उच्चारर
ता है।

(५) जिन बच्चों की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है, वे बोलते समय प्रान्तीय भा
दुष्प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। यहां पर उच्चारण का संशोधन करने की आवश्यक
धिक है।

---

1. योऽयमुच्चरिते हि अर्थे लोके शब्द-संज्ञा प्रसिद्ध.

—शाबर भाष्य मीमांसा सूत्र १, ५,

2. मंत्रहीन, स्वरतो वर्णतो वा, मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति, यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्॥

— पाणिनीय शि

'अधूरा' को 'अधोरा', 'प्रताप' को 'परताप' 'श्री' को शिरी' या 'सिरी' कहते हैं। दीर्घ 'आ' का 'आ' ओष्ठ्य-वर्ण्य बनाना अंग्रेजी का प्रभाव है।

(viii) मनोवैज्ञानिक कारण—डाका, भय, झिझक, हीनता ग्रंथि (Inferiority Complex) आदि मनोवैज्ञानिक कारणों से भी छात्र बोलते समय घपलता है या अशुद्ध उच्चारण करता है।

§ 69. उच्चारण दोष के प्रकार—

नीचे उच्चारण-दोष के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया जाता है।

(i) स्वर भक्ति, जैसे राजेन्दर, गिरी, परताप, भगति आदि कहना।

(ii) स्वर-लोप, जैसे प्रमात्मा, छत्री, वातावर्ण, समाचार, कुटम्ब, आदि कहना।

(iii) स्वरागम, जैसे – अस्नान, इस्कूल, इस्त्री कहना।

(iv) इ, उ, का क्रमशः ई, उ, के साथ भ्रम, जैसे—लिपी, कवी, हिन्दु चाहिए, पतीत, इश्वर, परन्तू कहना।

(v) चन्द्र-बिन्दु और अनुस्वार का भ्रम, जैसे—गँगा, स्वतँत्रता, सांस, नदियां आदि कहना।

(vi) ऋ, र और अर् का भ्रम, जैसे—रिषि, मारग, प्रथक, आशरम कहना।

(vii) न और ण का भ्रम, जैसे— रनभूमि, गुन, प्रनाम, महाण, कहना।

(viii) श और ष का, श और स का, तथा व और ब का भ्रम, जैसे—प्रकाश, आदर्श, निश्काम, रच्छा, लछमन, अछर, छेत्र, व्योपार बचन, आदि कहना।

(ix) ड और ड़, तथा ढ और ढ़ का भ्रम, जैसे गुड, दौड़, गाडी, ढाई, पढ़ना, डालना आदि कहना।

(x) अल्प-प्राण और महाप्राण का भ्रम, जैसे—बोजन, बुडापा, छटा, दोभी, दौनी, घूमना, गुध, बूघोल, आदि कहना।

(xi) अनुनासिकता, जैसे सोचना को सोंचना, महाराज को महाँराज, सच्चा को सँच्चा, कहना।

(xii) अशुद्ध स्वराघात, जैसे—"मैं अन्दर आ सकता हूँ ?" इस वाक्य में अन्तिम दो शब्दों का स्वर उदात्त बनाने से प्रश्न और प्रार्थना का भाव निकलता है, परन्तु 'आ' पर बल डालने से आज्ञा और आग्रह का भाव निकलता है।

(xiii) शब्दांश-विपर्यय (Spoonerism) जैसे 'बाल की खाल उतारना' के बदले 'खाल की बाल उतारना' कहना। इसी प्रकार 'मोहनि मूरति, साँवरि सूरति' के बदले 'मोहनि सूरति, सावरी मूरति', 'लंका का राजा रावण' का राजा लावण' कहना भी अशुद्ध है।

(xiv) अधिक या न्यून गति—अर्थात् किसी वाक्य या वाक्य खण्ड को
जल्दी बोलना या बहुत धीरे-धीरे बोलना।

(xv) थथलाना या हड़बड़ाना—जैसे 'त त तुम्हारा नाम क क क क्या है?'
कहना। इस प्रकार का दो कारणों से होता है—

(क) शारीरिक कारण, अथवा जिह्वा का ठीक ढंग से संचालन न कर सक[ना]
जिह्वा के साथ सम्बन्धित स्नायुओं की दुर्बलता।

(ख) मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे अध्यापक के दुर्व्यवहार से जनित भय और
संकोच से जिह्वा का लड़खड़ाना, अथवा किसी मानसिक ग्रन्थि के कारण जिह्वा का
रुकना।

इसके अतिरिक्त और भी कितने प्रकार के उच्चारण-दोष पाए जाते हैं, जिन
का संकलन अध्यापक स्वयं कर सकता है। उपर्युक्त प्रकार केवल नमूने के तौर पर
दिए गए हैं।

§ 70 उच्चारण-दोष के सुधार के उपाए—

(i) नागरी ध्वनितत्त्व को समझना—

अध्यापक स्वयं नागरी ध्वनितत्त्व का पूरा ज्ञान प्राप्त करे, और तत्पश्चात् बच्चों
को मिडिल तथा हाई कक्षाओं में नागरी वर्णमाला के स्वर तथा व्यंजन आदि की
शिक्षा दे।

(ii) ध्वनि यन्त्रों का ज्ञान देना (Teaching Machanism of Speech)

अध्यापक बच्चों को सिखायें कि बोली की ध्वनियाँ कैसे बनती हैं? ध्वनि[यों का]
उच्चारण करने में जिह्वा तथा विभिन्न उच्चारण स्थानों का क्या हाथ है, उच्चारण
स्थान के गलत प्रयोग से उच्चारण कैसे अशुद्ध हो जाता है, अल्पप्राण और महाप्राण
ध्वनियों में क्या भेद है? स्वर और व्यंजनों में क्या भेद है, आभ्यन्तर और बाह्य
प्रयत्नों में क्या भेद है। आदि ध्वनिविचार (Phonetics) के इन सभी आवश्यक
तथ्यों को वह उदाहरण देकर समझाये। इससे प्रत्येक विद्यार्थी समझ जाएगा कि हिन्दी
के वर्ण कैसे बोले जाते हैं।

वह ध्वनियन्त्रों को समझाने के लिए निम्न दृश्य-श्रव्य साधनों की सहायता ले
सकता है—

(क) ध्वनि यन्त्रों का चित्र।

(ख) सिर और ग्रीवा का एक माडल, जिसके अंग विभिन्न हो सकते हों, ताकि
प्रत्येक उच्चारण स्थान दिखाया जाए।

(ग) शीशा, जिस में बालक स्वयं अपने मुख के भीतर के उच्चारण स्थान
उच्चारण करते हुए जिह्वा का संचालन देख सकें।

(घ) ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन (Gramophone and Linguaphone),

जिस में शुद्ध उच्चरित वाक्यों का रिकार्ड किया जा सकता है, बार-बार उसी को सुनाया जा सकता है। टेप रिकार्डर का भी यही प्रयोग हो सकता है।

इसके अतिरिक्त निम्न वैज्ञानिक यन्त्र भी बहुत उपयोगी हैं, परन्तु भारत जैसे निर्धन देश के स्कूलों में इनके सुलभ होने में सन्देह है।

(ङ) कायमोग्राफ (Kymograph), जिसका प्रयोग घोष-अघोष अल्पप्राण-महाप्राण, स्पर्श संघर्षी मात्रा आदि सिखाने में हो सकता है।

(च) एक्सरे (X-Ray) की सहायता, अस्पर्श व्यंजनों तथा स्वरों के उच्चारण में जीभ की दशा तथा उसके कार्य का प ा चलाने के लिए ली जाती है।

(छ) कृत्रिम तालु (False Palate), जीभ के ऊपर तालु में बैठाया जाता है, और तालव्य ध्वनियों का उच्चारण-स्थान स्पष्ट कराया जाता है।

(ज) लैरिंगोस्कोप (Laryngoscope) में स्वरतन्त्रियों का अध्ययन किया जा सकता है।

(झ) इस प्रकार कुछ नवीन यन्त्र हैं, जो विदेशों में प्रयुक्त किए जाते हैं। Breathing flask Stethograph, Pneumograph, Endoscope, Autophonoscope, ध्वनि-अध्ययन में सहायक हैं। विद्यार्थी न सही, अध्यापक यन्त्रों की सहायता से ध्वनियों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार विद्यार्थियों को पूरा मार्ग निर्देश कर सकता है। कम से कम वह ध्वनियों के चित्र तथा दर्पण का प्रयोग कर सकता है। ध्वनि यन्त्रों का चित्र आगे दिया जाता है।

(iii) हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना-

अध्यापक ध्वनि तत्वों का ज्ञान कराने के पश्चात् हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाए। यह वर्गीकरण चार प्रकार से होता है —

(क) बाह्य प्रयत्न के अनुसार सभी वर्ण श्वास और नाद में तथा अल्पप्राण और महाप्राण में बँट जाते हैं।

(ख) आभ्यन्तर प्रयत्न के अनुसार, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत तथा विवृत ध्वनियों का पृथक्करण हो जाता है।

(ग) उच्चारण की प्रकृति के अनुसार स्वर, ह्रस्व, दीर्घ आदि में, तथा अन्य वर्ण, स्पर्श, ऊष्म, अन्तस्थ, लुण्ठित, उत्क्षिप्त, पार्श्विक और अनुनासिक में विभक्त हो जाते हैं।

(घ) उच्चारण-स्थान के अनुसार वर्ण, कण्ठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य, ओष्ठ्य, दन्तोष्ठ्य, वर्त्स्य बन जाते हैं।[1]

---

1. 'वायुर्नाभिस्थित', मनसि विनीर्णः, कण्ठे विवर्तितः मूर्धानमाहत्य परावृत्तः वक्त्रे विचरन् विविधान् शब्दानभिव्यनक्ति।' —मीमांसाभाष्य

इस वर्गीकरण का ज्ञान अध्यापक के लिए परमावश्यक है। वि
स्थान, नाद, अल्पप्राण महाप्राण तथा विभिन्न उच्चारण स्थानों का
प्रारम्भिक कक्षाओं में इन को समझाना कठिन है परन्तु शिक्षक तथा
धीरे-धीरे इसका ज्ञान कराना चाहिए।

(iv) हिन्दी की विशेष ध्वनियों का, जिन में विद्यार्थी गलती
भेद सिखाना। जैसे श और ष, न और ण, व और ब, ड और ढ, ढ

(v) पुस्तक के शुद्ध पाठ पर जोर देना —

अध्यापक को चाहिए कि वह प्रत्येक गद्य-पाठ पढ़ाते समय प्रथ
सिखाने के लिए आदर्श पाठ दे, तत्पश्चात विद्यार्थियों से पढ़वाए और
की अशुद्धियों को विद्यार्थियों द्वारा या स्वयं दूर कराए।

(vi) आवृत्ति और पुनरावृत्ति के नियम का पालन (Drill Met

अध्यापक स्वयं शुद्ध उच्चारण करे और बालकों से बार-बार शुद्ध उ
जिस प्रकार को बालक अशुद्ध बोलते हैं, केवल उसी की आवृत्ति नहीं
की आवृत्ति कराई जाए। इस से भी श्रेष्ठ यह कि इस शब्द का अलग
के बदले सारे वाक्य की ड्रिल कराई जाए। पूरे शब्द की ओर अधिकतर
आवृत्ति कराना, मनोवैज्ञानिक प्रणाली है।

(vii) कक्षा में संवाद, भाषण तथा मौखिक कार्य को उत्सा
अधिकतम मौखिक कार्य से विद्यार्थियों के उच्चारण को संशोधन का अ
मिलता है।

अध्यापक प्रश्न करे, विद्यार्थी उत्तर दें, और जहाँ विद्यार्थी अशुद्ध
अध्यापक तुरन्त उसका संशोधन करे।

(viii) विश्लेषण-विधि का प्रयोग करना —

बड़े-बड़े शब्दों का (विशेष कर संस्कृत के तत्सम शब्दों) ध्वनियों
करके, प्रत्येक खण्ड का स्पष्ट उच्चारण करके पूरे शब्द का अभ्
जाए। जैसे —

प्रा + रम् + भिक् = प्रारम्भिक
र + च + यि + ता = रचयिता
उ + दा + ह + र + ण = उदाहरण
चा + हि + ए = चाहिए
सम् + मि + लि × त = सम्मिलित

(ix) बचाने के लिए निम्न उपाय काम में लाए जा सकते हैं?

(क) बच्चे के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना. उसे अधिक बोल

(ख) छात्र की इस न्यूनता को दूर करने के लिए धैर्य बन्धवाना, उत्साह बढ़ाना और आत्म विश्वास उत्पन्न कराना ।

(ग) इस दोष के आधार पर छात्र का अनादर न करना, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न करना जिसमें छात्र शेष विद्यार्थियों के सामने अपने आप को न्यून समझें ।

(घ) कठिन अक्षरों के बोलने का व्यायाम करवाना । कभी ऐसे अभ्यास के वाक्य देना जिन में कठिन अक्षर का अनुप्रास-बाहुल्य है । जैसे 'घटा घनघोर, अम्बर में भर निज रोर', 'कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन' 'बरस-बरस रसधार', 'झुगझन श्याम की पैंजनियाँ', 'धावा द्रुम-दण्ड पर, चीता मृग झुण्ड पर, भूषण वितुण्ड पर जैसे मृगराज है ।'

(ङ) जिस अक्षर को बोलने में कठिनाई हो, उस की बारह खड़ी कहलाई जाय जैसे—

र रा, रि री रु रू रे रै रो रौ रं र:

ल ला लि ली लु लू ले लै लो लौ लं ल:

श शा शि शी शु शू शे शै शो शौ शं श:

(x) अनुकरण विधि का प्रयोग करना —

अध्यापक कठिन शब्दों का उच्चारण करे और विद्यार्थी उसका अनुकरण कर । अनुकरण करते समय वे अध्यापक के मुखावयव, जीभ-सचालन और स्वरों के उतार चढ़ाव पर पूरा ध्यान दें ।

(xi) शुद्ध उच्चारण करने की ओर सतर्कता या सावधानी उत्पन्न करना । विद्यार्थी बोलते समय शुद्ध उच्चारण की ओर सतर्क रहें, दूसरे को यदि अशुद्ध उच्चारण करते सुनें तो झट उसे इस बात पर पकड़े । बोलते समय उच्चारण के सम्बन्ध में ज्योंही सन्देह पैदा हो जाए, त्योंही अध्यापक से पूछ लें ।

(xii) वैयक्तिक और सामूहिक विधि को अपनाना—

साधारणतया अध्यापक सभी विद्यार्थियों से शुद्ध उच्चारण की आवृत्ति कराए, परन्तु कभी किसी एक विद्यार्थी की वैयक्तिक त्रुटि को दूर करने के लिए उसी पर वैयक्तिक ध्यान भी दे । अंग-विकार के कारण किसी का उच्चारण अशुद्ध हो, कोई नाक से बोलता हो, कोई हकलाता हो, कोई अ' जोड़ता हो तो ऐसी दशा में वैयक्तिक संशोधन की आवश्यकता है ।

(xiii) स्वराघात या सुस्वरता (Intonation, Accent) सिखाने के लिए किसी वाक्य के विभिन्न शब्दों पर बल देकर अर्थ-भेद तथा भाव-भेद समझना ।

उदाहरणतः :—एक व्यक्ति हलवाई से कहता है—

लस्सी का एक गिलास मुझे दे ।

इस वाक्य में लस्सी, एक, गिलास तथा मुझे— इन चारों शब्दों पर जोर देने से चार भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हैं ।

(१) 'लस्सी' पर जोर देने से अर्थ निकलता है—

'मुझे चाय नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए, वरन् लस्सी चाहिए, अतः लस्सी गिलास दें।

(२) 'एक' पर जोर देने से वाक्य अर्थ निकलता है—

'मुझे केवल एक गिलास चाहिए, दो नहीं।

(3) गिलास पर बल देने से अर्थ निकलता है—

'मुझे लस्सी का एक पूरा गिलास चाहिए, प्याला नहीं।

(4) 'मुझे, पर जोर देने से अर्थ निकलता है—

'और किसी को लस्सी का गिलास देने के बदले मुझे दें।

स्वराघात् का अभ्यास लम्बे गद्यांश पढ़ाते समय, विशेषकर संवाद-या नाटक पढ़ाते समय कराया जा सकता है। नाटक में प्रत्येक पात्र भावानुकूल भाषा में बोलता है। विद्यार्थी नाटक खेलते समय, या नाटकीय पात्रों का अनुकरण करते समय उस भाषा का भावयुक्त तथा सुन्दर उच्चारण कर सकते हैं। अध्यापक स्वरों के उतार चढ़ाव में सहायता दे सकता है।

ध्वनि यन्त्र तथा उच्चारण स्थान का एक मानचित्र नीचे दिया जाता है। ध्वनियों के वर्गीकरण की तालिका भी विषय के स्पष्टीकरण मे सहायक होगी।

प्रत्येक उच्चारण-स्थान की व्याख्या भाषा-विज्ञान की किसी पुस्तक मे पढ़ें।

ध्वनियन्त्र तथा उच्चारण स्थान

(१) श्वास नालिका (Windpipe)
(२) कंठपिटक (Larynx)
(३) स्वरतन्त्री (Vocal Chords)
(४) अभिकाकल (Epiglottis
(५) काकल (कौवा) (Uvula)
(६) नासिका विवर (Nasal Ca
(७) कण्ठ (Guttur)
(८) कोमल तालू (Soft palat
(९) जीभ (Tongue)
(१०) मूर्धा (Hard palate)
(११) वर्त्स (Teeth ridge alveola)
(१२) ऊपर के दाँत (Upper te
(१३) नाक (Nose)
(१४) ऊपर के ओठ (Upper lip)
(१५) निचला ओठ (Lower lip)

अभ्यासात्मक प्रश्न

१. भाषा का सम्पूर्ण ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक उच्चारण का ज्ञान न हो। उच्चारण के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए महत्व पर अपने विचार प्रकट कीजिए।

[§ 67]

२. अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव अक्षर विन्यास और रचना पर क्या पड़ता है ? अशुद्ध उच्चारण सुधारने के विविध उपाय बताइए। [§ 67, 70]

३. विद्यार्थी उच्चारण की अशुद्धियाँ क्यों दर्शाते हैं ? अशुद्ध उच्चारण के बीस-पच्चीस उदाहरण उपस्थित कीजिए, और उनको सुधारने के उपाय भी बताइए।

[§ 68, 69]

४. निम्न दोषों को दूर करने के उपाय बताइए—

(i) परमात्मा को प्रमात्मा कहना।

(ii) राष्ट्रपति को राष्ट्रपती कहना।

(iii) बबलाना।

(iv) र के बदले ल कहना।

(v) लक्ष्मण के बदले लछमन कहना।

सहायक पुस्तकें

1.	भोला नाथ तिवारी	भाषा विज्ञान
2.	श्याम सुन्दर दास	,,
3.	मंगल देव शास्त्री	,,
4.	सीता राम चतुर्वेदी	भाषा शिक्षा
5.	**Henry Sweet**	*A handbook of Phonetics.*
6.	**Kenneth Pike**	*Phonetics*
7.	**Hulbert**	*Voice Training.*
8.	**David Jones**	*An outline of English Phonetics.*
9.	**Jon Eisenson and Mardel Ogilvie.**	*Speech correction in the Schools.*
10.	**R. M. S. Heffner**	*General Phonetics.*
11.	**Harely, A. H.**	*Colloquial Hindustani*

ध्वनियों का वर्गीकरण

स्थान	स्वर	व्यंजन: श्वास	व्यंजन: नाद	अन्तःस्थ	ऊष्म
कण्ठ्य	अ आ अः	क ख, ख़ क़	ग ग़, घ ङ		ह
तालव्य	इ ई	च छ	ज झ ञ	य	श
मूर्धन्य	ऋ	ट ठ	ड ड़, ढ ढ़, ण	र	ष
दन्त्य		त थ	द ध न न्ह	ल ल्ह	
ओष्ठ्य	उ ऊ	प फ	ब भ म म्ह		
कण्ठ-तालव्य	ए ऐ				
कण्ठोष्ठ्य	ओ औ				
अनुनासिक	अं		ङ ञ ण न म		
दन्तोष्ठ्य		फ़		व	
वर्त्स्य					स ज़

मोटे वर्ण महाप्राण हैं। वर्गों के प्रथम और तृतीय वर्ण अल्पप्राण हैं।

[illegible] अरबी-फारसी से [illegible] और [illegible] ध्वनियाँ हैं।

का बोध यहाँ भी नहीं होता। ध्वनियो का बोध होने पर ही लिपि का बोध हो सकता है। लिप्यक्षर पढ़ने समय प्रथम तत्सम्बन्धी ध्वनियों का भान होता है, जिनको हम पहले सुन चुके हैं। ध्वनियो को सुनने और उसका अर्थ ग्रहण करने की स्मृति यहाँ अवश्य काम आती है। इस प्रकार पढ़ना सुनना आश्रित है। वाचन की प्रक्रिया को हम निम्न मानचित्र द्वारा समझ सकते हैं।

वाचन

इस मान चित्र मे दो महत्त्वपूर्ण निर्णय प्राप्त होते हैं—

(१) लिपि पढ़ने मे पहले तत्सम्बन्धी ध्वनियो को सुनना आवश्यक है पढ़ते समय ध्वनियों की स्मृति आ जाती है और तब अर्थ ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार संभाषण वाचन की पूर्वावस्था है। वाचन लिखन से पहले मौखिक कार्य पर बल देना चाहिए, और वाचन सिखाने-सिखाते भी मौखिक कार्य अर्थात् ध्वनियो का उच्चारण करना, अनुकरण करना सिखाना चाहिए।

(२) वाचन की प्रक्रिया तब तक सम्पूर्ण नही, जब तक अर्थ ग्रहण न किया जाए। अर्थ समझने के बिना ही किसी शब्द को पढ़ना वाचन नही कहा जा सकता। किसी एक अक्षर को पढ़ना भी वाचन मे सम्मिलित नही, क्योंकि अकेला अक्षर निरर्थक है।

वाचन की परिभाषा निम्न प्रकार हो सकती है

पूर्वतन ध्वनियो के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दो को पढ़ कर अर्थ-ग्रहण करने की प्रक्रिया को वाचन कहते है। अर्थात् हम कई ध्वनियो को सुनते हैं। उन ध्वनियो से शब्द बनते हैं। शब्द लिखे भी जाते हैं। हम उनको लिखे हुए शब्दो को पढ़ते हैं, और अर्थ समझते हैं। यही प्रक्रिया वाचन है।

मानव जीवन का फल | क्या है ? । / चरित्र । जिस प्रकार | फल ही । /वृक्ष का परिचय दे सकता है /इसी प्रकार | चरित्र ही | /मानव का । प्रदर्शक । होता है ।

ऊपर के उदाहरणों में उदात्त चिन्ह वाले अक्षर या शब्दों पर बल डालना चाहिए । टेडी रेखा विराम की सूचक है ।

(४) सस्वरता (Intonation) अर्थात् भावों के अनुसार ध्वनियों का उतार चढ़ाव ।

(५) लय तथा प्रवाह और गति ।

(६) *प्रभावोत्पादकता, जिससे श्रोता प्रभावित हो जायें ।*

(७) कविता वाचन में छन्द की गति, यति, लय तथा भाव के अनुसार स्वर का आरोह-विरोह ।

§ 74. वाचन की अवस्थाएं—

वाचन की तीन अवस्थाएं हैं—

(क) सस्वर वाचन (loud reading)

(ख) मौन वाचन (silent reading)

(ग) अध्ययन (study)

तीनों की व्याख्या नीचे की जाती है ।

(१) सस्वर वाचन—यह वाचन की सर्वप्रथम अवस्था है जब शिष्य पुस्तक पढ़ता हुआ साथ-साथ बोलता भी है । वह लिपिबद्ध अक्षरों को देखता है, पहचानता है, शब्दों को समझता है और साथ ही उच्चारण भी करता है । स्वर सहित होने के कारण इसको सस्वर वाचन कहते हैं ।

(२) मौन वाचन—सस्वर वाचन में अभ्यास प्राप्त करने के उपरान्त मौन वाचन की बारी आ जाती है । माध्यमिक और उच्च कक्षाओं में मौन वाचन पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि आगे जीवन में वाचन का सारा कार्य (पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि से ज्ञानोपार्जन के लिए) मौन रूप से ही करना पड़ता है । जिन को मौन वाचन का अभ्यास न हो, वे मुख से उच्चरित किए बिना अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते । घर में, दफ्तर में, अथवा पुस्तकालय में सस्वर वाचन करने से दूसरों के काम में बाधा पहुंचती है, अतः अधिकतम मौन-पाठ ही करना पड़ता है ।

मौन वाचन के अन्तर्गत निम्न बातें आवश्यक हैं—

(i) पुस्तक या पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने में मन लगाना, तथा [illegible] करने का अभ्यास करना । [illegible]

(ii) बिना [illegible] अर्थ ग्रहण करने का

१ पेड़ पर एक — २ पक्षी बैठा था — ३ वह सुन्दर से — ४ गा रहा था

ऊपर के चित्र मे 1, 2, 3 और 4 दृष्टिकेन्द्र (fixation point) है। प्रत्येक के चारों ओर एक वृत्त (circle) है। वृत्त की रेखा दृष्टि परिधि है जहाँ तक एक समय हमारी दृष्टि जाती है। वृत्त जितना बडा होगा उतना हम एक समय अधिक पढ सकेंगे। 1 से 2 तक का फासला दो केन्द्रो के बीच का दृष्टि-विराम (eye-span) है। स्पष्ट है कि वृत्त जितना बडा होगा, दृष्टि विराम भी उसके व्यास के बराबर होगा। दृष्टि-क्षेत्र बढने पर दृष्टि-विराम बढ जाएगा और उसी के अनुपात मे दृष्टि-विरामो की संख्या कम हो जाएगी और वाचन की गति बढ जाएगी।

(i) नेत्रो की उचित मुद्रा यही है कि एक साथ अक्षर समूहो को देख कर पहचाना जाए, प्रत्येक अक्षर को पृथक् पृथक नही। हम भी यदि किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो उसके अंग-प्रत्यंग को अलग-अलग नही देखते। सामूहिक रूप से उसे देख पहचान लेते हैं। अत अक्षर ज्ञान शब्दो से कराना चाहिए, उस से नेत्रो को लम्बा दृष्टि-विराम रखने का अभ्यास पड जाता है और आगे पढने की गति तीव्र हो जाती है। अत पढने की गति बढाने के लिए नेत्रों की मुद्रा के सम्बन्ध मे दो महत्वपूर्ण बातें हैं—

(क) दृष्टि विराम को जितना हो सके लम्बा बनाना चाहिए।

(ख) प्रत्येक झटके पर कम से कम समय लगाना चाहिए।

नेत्रों की मुद्रा के अतिरिक्त मुख की उचित मुद्रा भी वाचन के लिए आवश्यक है। मुख की मुद्राओं का स्पष्टीकरण उच्चारण के प्रकरण मे किया गया है। यहाँ पर इतना कहना पर्याप्त होगा कि ध्वनियों के शुद्ध अनुकरण के लिए जिह्वा और उसके प्रत्येक उच्चारण स्थान का शुद्ध प्रयोग करना चाहिए।

(ख) वाचन शैली इस के अन्तर्गत निम्न बातें आ जाती हैं —

(१) शब्दोच्चारण (Pronunciation)

(२) अक्षर-ध्वनि (Articulation) अथवा शुद्ध-स्पष्ट रूप से उच्चारण स्थानों तथा जिह्वा की सहायता से ध्वनियों को प्रकट करना।

(३) बल (Emphasis) तथा विराम (pause) अथवा प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढना।

अध्यापक को चाहिए कि वह सस्वर वाचन मे उचित शब्दों पर बल देना सिखाए, उच्चारण करते समय उचित शब्द पर ज़ोर डालें, और यदि आवश्यक हो, तो श्यामपट पर लिख रीति से उस शब्द या अक्षर पर रेखाएं खींचे —

मानव जीवन का फल | क्या है ? | / चरित्र । जिस प्रकार | फल ही । का परिचय दे सकता है /इसी प्रकार | चरित्र ही | /मानव का द्योतक । होता है ।

ऊपर के उदाहरणों मे उदात्त चिन्ह वाले अक्षर या शब्दों पर बल डालना हुए । टेढ़ी रेखा विराम की सूचक है ।

(४) सस्वरता (Intonation) अर्थात् भावों के अनुसार ध्वनियों का उत्तार चढ़ाव ।

(५) लय तथा प्रवाह और गति ।

(६) प्रभावोत्पादकता, जिसमें श्रोता प्रभावित हो जायें ।

(७) कविता वाचन में छन्द की गति, यति, लय तथा भाव के अनुसार स्वर का आरोह-अवरोह ।

14. वाचन की अवस्थाएं—

वाचन की तीन अवस्थाएं हैं—

(क) सस्वर वाचन (loud reading)

(ख) मौन वाचन (silent reading)

(ग) अध्ययन (study)

तीनों की व्याख्या नीचे की जाती है ।

(१) सस्वर वाचन—यह वाचन की सर्वप्रथम अवस्था है जब शिष्य पुस्तक पढ़ता था साथ-साथ बोलता भी है । वह लिखित अक्षरों को देखता है, पहचानता है, शब्दों को समझता है और साथ ही उच्चारण भी करता है । स्वर सहित होने के कारण इसको सस्वर वाचन कहते हैं ।

(२) मौन वाचन—सस्वर वाचन में अभ्यास प्राप्त करने के उपरांत मौन वाचन की बारी आ जाती है । माध्यमिक और उच्च कक्षाओं में मौन वाचन पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि आगे जीवन में वाचन का सारा कार्य (पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि से ज्ञानोपार्जन के लिए) मौन रूप में ही करना पड़ता है । जिन को मौन वाचन का अभ्यास न हो, वे मुख से उच्चारित किए बिना अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते । घर में, दफ्तर में, अथवा पुस्तकालय में सस्वर वाचन करने से दूसरों के काम में बाधा पहुँचती है, अतः अधिकतम मौन पाठ ही करना पड़ता है ।

मौन वाचन के अन्तर्गत निम्न बातें आवश्यक हैं—

(i) पुस्तक या पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने में मन लगाना, तथा एकाग्रचित हो कर पढ़ने का अभ्यास करना ।

(ii) बिना उच्चारण किए अर्थ ग्रहण करने का अभ्यास करना ।

(iii) पढ़ते-पढ़ते विचारण-शक्ति का प्रयोग करना।

(iv) पढ़ने और समझने की गति में तीव्रता लाना और पाठ्य-विषय की विराम, गति, बल, लय तथा प्रवाह के साथ पढ़ना।

(v) मौन वाचन की गति सस्वर वाचन से दुगनी होनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा मालूम किया है कि एक व्यक्ति निश्चित अवधि में मौन वाचन में सस्वर वाचन से दुगने अक्षर पढ़ सकता है।[1] पहली और दूसरी श्रेणी में मौन वाचन और सस्वर वाचन की गति लगभग बराबर होती है, परन्तु तीसरी चौथी आदि श्रेणियों में मौन वाचन की गति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जिस गति के साथ हमारे मुख के अवयवों का सञ्चालन हो सके, उसी गति के साथ हम सस्वर वाचन कर सकते हैं। परन्तु मौन वाचन में हमारी सूक्ष्म बुद्धि जितनी तेजी के साथ अर्थ ग्रहण कर सकती है उतनी जल्दी हम मौन वाचन कर सकते हैं।

(३) अध्ययन—किसी विषय के गम्भीर पठन को अध्ययन कहते हैं। अध्ययन मौन पठन का उच्च स्तर है। वाचन और तत्पश्चात् मौन वाचन इसी के प्रारम्भिक सोपान हैं। अध्ययन ही ज्ञानोपार्जन का साधन है। अध्ययन करने वाले के लिए वाचन और मौन वाचन एक अभ्यस्त कला है, जिसमें उसने प्रवीणता प्राप्त कर रखी है। अधिक अभ्यास के कारण वह यांत्रिक विधि से (mechanically) पढ़ता' है और उसका ध्यान केवल अर्थ ग्रहण करने की ओर रहता है। वाचन की यही पराकाष्ठा है, यही परम गति है। अध्ययन में निम्न बातें आवश्यक हैं—

(i) यान्त्रिक विधि से मौन वाचन करना।

(ii) दृष्टि-विराम को अधिक लम्बा बना कर प्रवाह और गति के साथ पढ़ना।

(iii) पढ़ते-पढ़ते लिपिबद्ध विचारों को तुरन्त ग्रहण करना।

(iv) प्रधान विचार धारा का ज्ञान रख कर, विभिन्न भावों का सकलन करना, इन भावों अथवा विचारों का विश्लेषण तथा मीमांसा करते हुए निष्कर्ष पर पहुँचना। विश्लेषण, आलोचना और निष्कर्ष अध्ययन के सोपान हैं।

§ 75. वाचन शिक्षण के उद्देश्य—

भाषा की शिक्षा के लिए वाचन की शिक्षा नितान्त आवश्यक है। वाचन की शिक्षा से हम विद्यार्थियों को इस योग्य बनाते हैं कि वे—

(i) शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकें, तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ सकें।

---

1 देखिये Gurry. Teaching of Reading and Writing (U... publication), Ch. III.

(ii) पढ़ते-पढ़ते शीघ्रातिशीघ्र अर्थ-ग्रहण कर सकें।

(iii) शीघ्र पढ़ने में अभ्यस्त हो जाएँ।

(iv) पढ़ने में रुचि प्राप्त करते हुए उत्तरोत्तर ज्ञान प्राप्त कर सकें।

(v) ज्ञानोपार्जन के अतिरिक्त रोचक पुस्तकों द्वारा मनोरञ्जन प्राप्त कर सकें।

(vi) समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकालय आदि से पूरा-पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

(vii) पढ़ने में इतने अभ्यस्त हो जाएँ कि ज्ञानोपार्जन के अतिरिक्त स्वयं रचनात्मक कार्य कर सकें। औरों के उपन्यास पढ़ने के बाद उन के मन में भी स्वयं उपन्यास लिखने की इच्छा जागृत हो सकती है।

§ 76. वाचन पर प्रभाव डालने वाले तत्त्व—

नियमित रूप से वाचन की शिक्षा मिलने पर भी निम्न बातों का प्रभाव वाचन की योग्यता प्राप्त करने पर पड़ता है—

(१) शारीरिक अवस्था—वाचन से सम्बन्धित शरीर के किसी भी अवयव में कोई दोष होने के कारण वाचन में बाधा उपस्थित होती है, जैसे दुर्बल दृष्टि, कम सुनाई, ऊँचा सुनना, जीभ का थथलाना, पढ़ते-पढ़ते थक जाना, स्नायुओं की दुर्बलता।

कभी कभी छात्रों को शब्दों को पहचानने में कठिनाई रहती है। कभी वह कई अक्षर या शब्द छोड़ कर पढ़ता है जिस को शब्दान्धता (word blindness) कहते हैं, कभी वह रंग नहीं पहचान सकता जिस को वर्णान्धता (colour-blindness) कहते हैं।

(२) मानसिक विकास—बुद्धि उपलब्धि, मानसिक अवस्था और विचार-शक्ति। (देखिए अध्याय 5)।

(३) संवेग या मनोभाव—क्रोध, निराशा, लज्जा आदि मनोभाव वाचन की गति पर प्रभाव डालते हैं।

(४) वातावरण—पढ़ने लिखने के वातावरण से वाचन में सहायता मिलती है।

(५) अनुभव—जितना अधिक अनुभव हो, उतनी अधिक वाचन की योग्यता पैदा हो जाती है।

(६) शब्दावली—मौखिक रूप से जितनी अधिक शब्दावली का प्रयोग होता हो, वाचन उतना ही सरल होगा।

§ 77. वाचन-शिक्षण के साधन—

(क) प्रारम्भिक अवस्था में जब अक्षर-ज्ञान कराना हो तो वाचन-शिक्षण के निम्न साधन हैं—

(i) गत्ते के कार्ड जो अक्षरों के रूप में बनाये गये हों।

(ii) चित्र।

(iii) पढते-पढते विचारण-शक्ति का प्रयोग करन.

(iv) पढने और समझने की गति मे तीव्रता ला
गति, बल, लय तथा प्रवाह के साथ पढना ।

(v) मौन वाचन की गति सस्वर वाचन से
प्रयोग द्वारा मालूम किया है कि एक व्यक्ति निश्चि
वाचन मे दुगने अक्षर पढ सकता है । पहली और
सस्वर वाचन की गति लगभग बराबर होती है, पर
मौन वाचन की गति उत्तरोत्तर बढती जाती
अवयवो का सचालन हो सके, उसी गति के सा
परन्तु मौन वाचन मे हमारी सूक्ष्म बुद्धि जितनी
उतनी जल्दी हम मौन वाचन कर सकते हैं ।

(३) अध्ययन—किसी विषय के
मौन पठन का उच्च स्तर है । वाचन और
सोपान हैं । अध्ययन ही ज्ञानोपार्जन का
और मौन वाचन एक अभ्यस्त कला है,

(क) बोलना, सम्भाषण, मौखिक कार्य—पहले कहा गया है कि अक्षर-ज्ञान से पहले सम्भाषण द्वारा भाषा का प्रारम्भिक ज्ञान कराना चाहिए। पढ़ने से पहले मौखिक कार्य की बारी आती है। जिन विद्यार्थियों की मातृ-भाषा हिन्दी है, उनके लिए यह काम अधिक सुगम है, क्योंकि वे घर से ही बोलना सीख कर आते हैं। जिन की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है उनके लिए अध्यापक को प्रथम बोल चाल सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। अध्यापक निकटतम वस्तुओं को उठा कर या उनकी ओर संकेत करके प्रश्नों द्वारा विद्यार्थियों से उनका वर्णन करा सकता है। वह स्वयं बोले, विद्यार्थी उसका अनुकरण करें और बोलने में अभ्यास प्राप्त करें। उच्चारण शुद्ध करने का काम भी यहीं से आरम्भ होता है। विदेशों में इस अवस्था पर अधिक बल दिया जाता है। नर्सरी स्कूल, किंडर-गार्टन स्कूल, माटेसोरी स्कूल आदि में अक्षर-ज्ञान की तैयारी कराई जाती है।

(ख) चित्र आदि का प्रयोग—इस से पहले विद्यार्थी छपी हुई किताबों को हाथ में लें, उन को चित्रों द्वारा छपी हुई पुस्तकों को पढ़ाने के लिए तैयार कराया जा सकता है। बच्चे के सामने भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र रखने चाहिए। उन चित्रों के सम्बन्ध में उस से प्रश्न करने चाहिए। बच्चे से चित्र बनवाने चाहिए। इस से उस की एकाग्रता दृढ़ हो जाएगी। बेशक वह चित्र बनाने के लिए रंगीन पेन्सलों का, ब्रुश का, रंगीन चाक का, काली पेन्सिल का या सफेद चाक का प्रयोग करे। उन से एल्बम या स्क्रेप-बुक बनवाए जाएं।

(ग) उत्सुकता, रुचि तथा एकाग्रता उत्पन्न करना—पढ़ना सिखाने से पूर्व यह आवश्यक है कि बच्चे के मन में पुस्तक के प्रति उत्सुकता और रुचि उत्पन्न की जाए। चित्रादि का प्रयोग भी प्राय इसी लिए है। पहले ही दिन बच्चे के हाथ में पुस्तक देना और अक्षर पढ़ाना मनोविज्ञान के सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

§ 80 द्वितीय अवस्था : अक्षर ज्ञान—

तैयारी के पश्चात् इस अवस्था में अक्षर-ज्ञान और शब्द-बोध कराया जाता है, ध्वनि और लिपि का सम्बन्ध जोड़ा जाता है और इस प्रकार लिपि-ज्ञान कराया जाता है। अक्षर-बोध कराने के लिए विदेशों में सात-आठ विधियां प्रचलित हैं परन्तु नीचे उन विधियों की व्याख्या की जाएगी, जो हिन्दी में अपनायी जाती हैं।

अक्षर बोध कराने की विधियां—

साधारणतया अक्षर-बोध कराने की दो विधियां हैं, जिनमें [illegible] कई विधियां आ जाती हैं।

(क) सश्लेषणात्मक (Synthetic Method) [illegible] आती हैं।

(iii) अक्षरों के सचित्र [illegible] चार्ट।

(iv) अक्षर सचित्र ताश।

(v) अक्षरों की आकृति के 12 इंच कटे हुए या लिखे हुए कार्ड।

(vi) शब्द के टुकड़े जोड़ कर अक्षर बना सकने वाले टुकड़ों का [illegible] बक्स।

(vii) उभरे हुए अक्षरों के कार्ड।

(viii) खेल के मॉडल, जिन के द्वारा अक्षरों के मिलाने से शब्द बनते हों।

(ix) श्यामपट तथा चाक।

(ख) द्वितीय अवस्था में जब पुस्तक पढ़ना सिखाना हो —

(i) चार्ट।

(ii) पाठ्य-पुस्तक।

(ग) तृतीय अवस्था में जब अभ्यास द्वारा प्रवीणता प्राप्त करनी हो—

(i) पाठ्य-पुस्तक।

(ii) वार्ता-पुस्तक (Conversational Reader)।

(iii) नाटक।

(iv) पत्र पत्रिकाएं।

§ 78. वाचन सिखाने के क्रम—

यहाँ पर यह कहना आवश्यक होगा कि बालक किसी निश्चित क्रम से पढ़ना सीखता है। अध्यापक इस तथ्य पर ध्यान नहीं देते और अपनी इच्छानुसार पाठ्य क्रम निर्धारित कर देते हैं। वाचन-शिक्षण की चार अवस्थाएं हैं —

(१) प्रथमावस्था तैयारी (Pre-reading) जिस में पुस्तक पढ़ना सिखाया नहीं जाता, वरन् विद्यार्थी को केवल पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। इस अवस्था में छात्र के मन में पढ़ने की उत्सुकता तथा प्रवृत्ति (reading readness) बढ़ जाती है और वह पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है।

(२) द्वितीय अवस्था, जिस में अक्षर-ज्ञान तथा शब्द-बोध कराया जाता है।

(३) तृतीय अवस्था जिस में स्वतन्त्र पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है तथा सस्वर एवं मौन पाठ कराया जाता है।

(४) चतुर्थ अवस्था जिस में मनन और गहरा अध्ययन सिखाया जाता है। अध्यापक को प्रत्येक अवस्था में पृथक विधि से शिक्षा देनी है। अतः वाचन-शिक्षण विधि को चार अवस्थाओं में बाँट कर पृथक्-पृथक् रूप में समझाया जाएगा।

§ 79 प्रथम अवस्था (Pre-reading period) तैयारी—

विद्यार्थियों को वाचन सीखने के लिए तैयार करने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए :—

(क) बोलना, सम्भाषण, मौखिक कार्य—पहले कहा गया है कि अक्षर-ज्ञान से पहले सम्भाषण द्वारा भाषा का प्रारम्भिक ज्ञान कराना चाहिए। पढ़ने से पहले मौखिक कार्य की बारी आती है। जिन विद्यार्थियों की मातृ-भाषा हिन्दी है, उनके लिए यह काम अधिक सुगम है, क्योंकि वे घर में ही बोलना सीख कर आते हैं। जिन की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है उनके लिए अध्यापक को प्रथम बोल चाल सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। अध्यापक निकटतम वस्तुओं को उठा कर या उनकी ओर संकेत करके प्रश्नों द्वारा विद्यार्थियों से उनका वर्णन करा सकता है। वह स्वयं बोले, विद्यार्थी उसका अनुकरण करें और बोलने में अभ्यास प्राप्त करें। उच्चारण शुद्ध करने का काम भी यहीं से आरम्भ होना है। विदेशों में इस अवस्था पर अधिक बल दिया जाता है। नर्सरी स्कूल, किंडर-गार्टन स्कूल, मांटेसोरी स्कूल आदि में अक्षर-ज्ञान की तैयारी कराई जाती है।

(ख) चित्र आदि का प्रयोग—इस से पहले विद्यार्थी छपी हुई किताबों को हाथ में लें, उन को चित्रों द्वारा छपी हुई पुस्तकों को पढ़ाने के लिए तैयार कराया जा सकता है। बच्चे के सामने भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र रखने चाहिए। उन चित्रों के सम्बन्ध में उन से प्रश्न करने चाहिए। बच्चे से चित्र बनवाने चाहिए। इस से उन की एकाग्रता बढ़ जाएगी। केवल वह चित्र बनाने के लिए रंगीन पैन्सलों का बुश का, रंगीन चाक का, काली पेन्सिल का या सफेद चाक का प्रयोग करे। उन से एल्बम या स्क्रैप-बुक बनवाए जाएं।

(ग) उत्सुकता, रुचि तथा एकाग्रता उत्पन्न करना—पढ़ना सिखाने से पूर्व यह आवश्यक है कि बच्चे के मन में पुस्तक के प्रति उत्सुकता और रुचि उत्पन्न की जाए। चित्रादि का प्रयोग भी प्रायः इसी लिए है। पहले ही दिन बच्चे के हाथ में पुस्तक रखना और अक्षर पढ़ाना मनोविज्ञान के सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

§ 80 द्वितीय अवस्था अक्षर ज्ञान—

तैयारी के पश्चात् इस अवस्था में अक्षर-ज्ञान और शब्द-बोध कराया जाता है, ध्वनि और लिपि का सम्बन्ध जोड़ा जाता है और इस प्रकार लिपि-ज्ञान कराया जाता है। अक्षर-बोध कराने के लिए विदेशों में सात-आठ विधियां प्रचलित हैं परन्तु नीचे उन विधियों की व्याख्या की जाएगी, जो हिन्दी में अपनायी जाती हैं।

अक्षर बोध कराने की विधियां—

साधारणतया अक्षर-बोध कराने की दो विधियां हैं, जिनके अन्तर्गत और भी कई विधियां आ जाती हैं।

(क) संश्लेषणात्मक (Synthetic Method) जिस के अन्तर्गत निम्न विधियां आती हैं।

शब्दों का ज्ञान कराया जा सकता है, परन्तु आगे प्रत्येक अक्षर का ज्ञान कराना आवश्यक है। अतः यह विधि पहले न सही तो पीछे अपनानी पड़ती ही है।

(ii) प्रश्न उत्पन्न होता है कि आरम्भ मे बच्चा अक्षरों के साथ कोई रुचि नहीं रखता। उस के लिए यदि भिन्न भिन्न प्रकार से अक्षर सीखने मे रुचि पैदा की जाए तो इस विधि का दोष दूर हो सकता है। श्यामपट्ट पर अक्षर लिखने के बदले वर्णचित्र फ्लैश कार्ड (Flash card) अक्षर-रूप मे काटे हुए गत्ते के टुकड़े आदि प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जिनमे रुचि पैदा की जाए। अक्षरों के भिन्न खेल खेलाए जा सकते हैं।

जो भी हो, यह विधि सर्वथा त्याज्य नहीं है।

2. ध्वनि साम्य विधि—यह विधि अक्षर-विधि की सहायक मात्र है, नवीन नहीं।

विशेषताएं—(i) इस विधि से एक साथ उच्चारित होने वाले शब्द एक साथ सिखाए जाते हैं—जैसे : नर्म, गर्म, धर्म, मर्म, भक्ति, शक्ति, मुक्ति आदि।

(ii) इस विधि में यह ध्यान रखा जाता है कि बालक शीघ्र ही शुद्ध लिखने-बोलने मे सफल हो जाए।

(iii) हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम उच्चारण-स्थान के अनुसार व्यवस्थित है। यह विधि उसका पूरा पूरा लाभ उठाती है। अंग्रेजी में भी अक्षर बोध-विधि की अपेक्षा उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इस विधि से अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण दोष दूर हो जाता है। अतः आरम्भ मे ही bat, cat, rat, mat आदि सिखाए जाते हैं।

दोष—(i) इस विधि मे प्रधान कठिनाई यह है कि बच्चों की व्यावहारिक शब्दावली में उतने शब्द पर्याप्त मात्रा मे नहीं मिलते जिन से सभी ध्वनि योगों का अभ्यास हो जाए और परिणामत ऐसे शब्द लेने पड़ते हैं, जो व्यवहार मे नहीं लाए जाते और ऐसे शब्द गढ़ने पड़ते है जो व्यावहारिक नहीं होते, जैसे कष्ट, भ्रष्ट, नष्ट, अष्ट या आलू, चाकू, बाबू, डाकू, आलू, कालू, काजू, बाजू आदि।

(ii) इस विधि से हिन्दी की प्रथम पुस्तक की सारी शब्दावली तथा सारे वाक्य बनावटी होते हैं और उनमें कोई अर्थ-सम्बन्ध नहीं होता। एक वाक्य दूसरे वाक्य से भिन्न होता है। किसी एक वाक्य मे शब्दों का मेल ऐसा होता है जो अर्थ तो प्रकट करता है, मगर सारा बनावटी और विचित्र - जैसे, 'अब उठ। घर चल।' जल भर क्षम कर। हट मत कर। अब झट आ छत पर चढ़ और यह आम चख।' (मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत हिन्दी की प्रथम पुस्तक पृष्ठ १५)।

(iii) इस विधि मे शब्दों, वाक्य-खण्डों और वाक्यों के अर्थ पर उतना ध्यान नहीं

हमे तामिल लिपि सीखनी है और हमारे सामने तामिल लिपि मे लिखी हुई हिन्दी
भाषा मे एक कहानी का चार्ट है । कोई हम सभी पंक्तियां दुहरायें, हम रटने जायें, हमें
शब्दों और अक्षरों को सीखने मे बड़ी कठिनाई होगी, इस मे यही आसान है कि तामिल
लिपि का प्रत्येक अक्षर हमे समझाया जाय, और फिर उन अक्षरों का जोड़ सिखाया जाए।
रूसी लिपी सिखाने का भी यही तरीका प्रचलित है । 'रूसी स्वयं-शिक्षण' मे सश्लेषणात्मक
विधि अपनाई गई है, कहानी विधि नही । याद रहे कि सदोपयोग विधि कला के प्रत्येक
विषय मे अपनाई जाती है । कोई भी संगीत शिक्षक पूरे राग मे आरम्भ नही करता,
पहले सरगम सिखाता है, फिर स्वरों का संयोग और अन्ततोगत्वा पूरा राग । एक चित्र-
कार दूसरे को सिखाने के लिये आरम्भ मे ही जटिल चित्र नही रखता । वह आरम्भ
मे अकेली रेखाओं और रंगों का प्रयोग सिखाता है । लिपि सिखाने के लिये भी यही
स्पष्ट है कि एक-एक अक्षर सिखाया जाये, और अक्षरो के मेल से शब्द, शब्दो के मेल
से वाक्य और वाक्यों के मेल से कहानी । जब छात्र स्वयं कहानी न पढ़ सके तो उसके
सामने लिपिबद्ध कहानी रखने से क्या लाभ ? क्या वह एक पंक्ति को कभी पहचान
सकता है जिसका एक अक्षर भी उसे मालूम न हो ? ऐसी कल्पना भी नहीं की जा
सकती । शिक्षक कहानी विधि से सिखाने लगेगा और एक मास तक एक कहानी के दस
वाक्य दुहराता जाएगा । फिर भी बहुत थोड़े छात्र ही इन वाक्य को (अक्षर-ज्ञान के
बिना) पहचानने मे समर्थ होंगे । यदि वह पहचानेंगे भी, किसी चिह्न की सहायता से
रटा हुआ वाक्य सुनायेंगे (जैसे वाक्य के सामने घर का चित्र है । इसी समय मे छात्रों
के सामने यदि छोटे-छोटे चित्र रखे जायें, जो एक-एक छोटे शब्द का प्रतिनिधि हो, जैसे
आम, आलू अनार, तो इन शब्दो को चित्रों की सहायता से याद कराया जा सकता है ।
एक वर्ग के चित्रो और शब्दो मे से निश्चित अक्षर, जिनका प्रयोग उस वर्ग के सभी अक्षरो
मे है, निकाले जा सकते हैं । इस मे कोई कठिनाई नही । हिन्दी सिखाने के लिये
ध्वनिसाम्य विधि उपयुक्त, आवश्यक और वैज्ञानिक है । इस की केवल एक बड़ी त्रुटि
को दूर कराना अपेक्षित है । बच्चे प्रारम्भ मे ही निरर्थक वर्ण सीखने के लिए तैयार नही
होते । अत आरम्भ के कई पाठ्य सार्थक शब्दों और चित्रों के सम्बन्ध मे होने चाहिए।
'क —कबूतर' वाला पाठ इस आवश्यकता को पूरा नही करता । अत ऐसे समूचे शब्द
चुनने चाहिए जो छोटे हो और चित्र द्वारा समझाए जा सकते हों । दैनिक क्रियाओं के
साथ इन का सम्बन्ध हो तो अधिक अच्छा । शब्दों का विश्लेषण करवाना चाहिए । ऐसे
दस पन्द्रह शब्दों से कई आवश्यक वर्णों का ज्ञान हो जायेगा । इन वर्णों की सहायत
से अनेक सार्थक शब्द और वाक्य बनाये जा सकते हैं । यहाँ तक का सारा का
विश्लेषणात्मक विधि के अनुसार है । परन्तु इस से आगे जाने के लिए ध्वनि साम्य वि
अपनानी चाहिए । अब तक कई आवश्यक वर्णों का ज्ञान हो चुका है । अब सारी व
माला सिखाए । इस प्रकार आरम्भ मे थोड़ा सा विश्लेषण और तत्पश्चात् संश्लेषण

आवश्यकता है। इन दोनों के सयोग को सयुक्त विधि कह सकते हैं।

2. सयुक्त विधि (Edectic Method)--

(i) देखो और कहो विधि' से आरम्भ किया जाए, और इस के लिए फ्लैश कार्ड, चित्र, लकड़ी के बने हुए साईनबोर्ड आदि से काम लिया जाए। विश्लेषण द्वारा अक्षर सिखाए जाए।

(ii) शब्दों के वर्णों को पृथक् किया जाए और इस प्रकार वर्णों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। वर्णों को फिर मिला कर शब्द बनवाए जाए। प्रारम्भ मे सारी वर्णमाला को सिखाने की आवश्यकता नहीं। पहले चुने हुए वर्ण तथा मात्राए ली जाए उन वर्णों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द बनवाए जाए। इस प्रकार विश्लेषण से सश्लेषण की ओर आना चाहिए।

(iii) अब ध्वनि साम्य विधि का अनुसरण करना चाहिए। पहले सारी वर्णमाला सिखानी चाहिएँ। इस के लिए अक्षरों के समूह क्रम से उपस्थित करने चाहिए। अक्षर-समूहो से शब्द और वाक्य बनाने चाहिए। प्रत्येक मात्रा के प्रयोग के लिए एक एक पाठ पढ़ाना चाहिए। मात्राओं के जोड का ज्ञान शब्दो के द्वारा ही होगा।

(iv) फिर वर्णमाला के सभी अक्षर तथा मात्राए यथा-क्रम उपस्थित की जाए। उनकी पहचान के लिए विभिन्न खेलो का आयोजन किया जाए।

(v) मात्राओ के प्रयोग के बाद आवश्यक सयुक्त अक्षर लेने चाहिए। सयुक्त अक्षरो से बने शब्द वाक्यो मे प्रयुक्त होने चाहिए। इस विधि से नये-नये वाक्य सिखाये जाए, और कोशिश की जाए कि वाक्य किसी कहानी का रूप धारण करे।

तालिका 6

तृतीय अवस्था स्वतन्त्र पढ़ने का अभ्यास उत्पन्न कराना—

इस अवस्था में अध्यापक का उद्देश्य यह होता है कि बच्चा स्वतन्त्र रीति से पढ़ने और पढ़ने में उसे रुचि पैदा हो, तथा अभ्यास हो जाए। दूसरी, तीसरी, चौथी पाचवी कक्षा में यही काम किया जाता है। इस अवस्था में सस्वर पाठ और मौन, दोनों का अभ्यास कराया जाता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह बच्चों को योग्य बनाए कि उचित मुद्रा के साथ वाचन कर सकें।

(1) नेत्र संचालन उच्चारण स्थान का प्रयोग तथा बैठने या खड़े रहने की ... उचित हो। पुस्तक 130 दर्जे का कोण बनाती हुई नेत्रों से एक फुट की दूरी पर होनी चाहिए।

(... गति- ... रखते हों।

स्पष्ट करते हों।

... ति या ठहराव करके पढ़ते हों

(v) न अधिक ऊँचे स्वर में और न अधिक मन्द स्वर में पढ़ते हों।

(vi) धाराप्रवाह रूप में पढ़ सकते हों।

(vii) पढ़ते समय न बार-बार रुकते हों, न झिझकते हों, न घबराते या हड़बड़ाते हों।

स्वतन्त्र वाचन के अभ्यास का क्रम निम्न होता है—

(१) स्वच्छन्दता के साथ छोटे शब्दों का अर्थ सहित वाचन जैसे सड़कों के नाम, भवनों के नाम (नगरपालिका भवन, सगद भवन, अदालत, चिकित्सालय आदि), बसों या मोटरों के नाम, संस्थाओं के नाम इत्यादि।

(२) छोटे इश्तहार, विज्ञापन, निमन्त्रणपत्र, तार, घरेलू पत्र, व्यापारिक पत्र, पढ़ना।

(३) पत्रिकाएँ और समाचार पत्र पढ़ना।

(४) पढ़ कर मनन और चिन्तन करना, समस्याओं पर विचार करना।

(५) कहानी, कविता, नाटक उपन्यास पढ़ने में आनन्द प्राप्त करना।

(६) भाषा का तात्पर्य भली-भाँति समझना और आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि द्वारा शब्द और अर्थ का सम्बन्ध जानना। एक वाक्य के प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है। वाक्य पढ़ते हुए, वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है जब सारा वाक्य पढ़ा जाता है। तब तक आरम्भ में या मध्य में किंचित अर्थ ज्ञान हो जाता है।

(७) विचारों का संगठ करना।

(८) उपयुक्त गति के साथ पुस्तक का वाचन करना।

§ 82. चतुर्थ अवस्था निर्बाध अर्थसहित वाचन (Smooth Meaningful Reading)

इस अवस्था में विद्यार्थियों को सस्वर तथा मौन वाचन में ऐसा प्रशिक्षित किया जाता है कि वे निर्बाध रीति से, किसी कठिनाई या दोष के बिना पढ़ सकते हों और अर्थ ग्रहण कर सकते हों। यह अवस्था गम्भीर अध्ययन के लिए तैयारी है। अध्यापक निम्न इन बातों की ओर ध्यान देता है :—

(i) पढ़ते समय बच्चों की मुद्राएँ।

(ii) दृष्टि-विराम (eye span) बालक एक एक अक्षर करके तो नहीं पढ़ता, अथवा एक एक शब्द रुक-रुक कर तो नहीं पढ़ता।

(iii) उच्चारण।

(iv) शब्दों की पूरी पहचान सदृश, अक्षरों वाले भिन्न शब्दों को पढ़ने में भ्रम तो

अभ्यासात्मक प्रश्न

1. अक्षर-ज्ञान कराने के लिए कौन—कौनसी विधियां प्रचलित हैं । सभी विधि
विवेचना कीजिए । हिन्दी सिखाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है और क्यों
[§ 8

2. पहली श्रेणी को हिन्दी वाचन सिखाने के लिए निगमन-विधि की वि
ख्या कीजिए । [§ 8

3. स्वाध्याय की आदत डालने के लिए आप कौन-कौन से उपाय काम में लाए

4. वाचन की विभिन्न विधियों का मूल्यांकन कीजिए । [§ 8

5. आप वाचन के लिए किस विधि को प्रोत्साहन देंगे और क्यों ? [§ 8

6. कई बच्चे वाचन में पीछे रह जाते हैं । उन की इस कमी को पूरा करने
ए आप कौन से उपाय काम में लाएंगे ? [§ 8

7. वर्तमान हिन्दी प्राइमरों की समीक्षा कीजिए, उनके गुण दोषों का विव
े हुए एक अच्छे हिन्दी प्राइमर की आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए [§ 8

8. सूक्ष्मपाठ और स्थूल पाठ (या अतिरिक्त पाठ) से क्या तात्पर्य है ? छात्र
वाध्याय में रुचि पैदा के लिए आप कौन से उपाय काम में लायेंगे ?
[§ 81, 8

9. पहली श्रेणी से पढ़ाने लिखाने के लिए पहले तैयार करवाना चाहि
यारी की इस अवस्था में कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं और उसके
अध्यापक को कौन-कौन से पग उठाने चाहिएं ।

10. वर्तमान काल में वाचन सिखाने की प्रक्रिया सतोष जनक नहीं । अध्या
उसके लिए कहाँ तक उत्तरदाई है ?

: १५ :

देवनागरी लिपि

§ 84 लिपि का विकास—

भाषा की भान्ति लिपि के विकास के सम्बन्ध में भी पुरानी धारणाएं निराकृत हो चुकी हैं। जैसे भाषा की उत्पत्ति दैवीय नहीं, वैसे लिपि की भी नहीं। लिपि का उद्भव भी मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के फलस्वरूप हुआ।

(1) लिपि के उद्भव के कारण—लिपि का उद्भव तब हुआ जब प्राचीन मानव को स्मृति के सहायक के रूप में किसी प्रकार का चिह्न बनाना पड़ा। स्मृति का चिह्न आरम्भ में कोई वस्तु रही जैसे वर्ष गाठ के समय एक रस्सी में नयी गाठ लगाई जाती थी जिस से अवस्था के वर्ष गिने जा सकते थे। सख्याओं को गिनने के लिए रेखाए खीची जाती थी। अगूठी भी इसी प्रकार का चिह्न है। दुष्यंत द्वारा शकुन्तला को दी गई अगूठी भी स्मृति चिह्न ही थी। इस प्रकार स्मृति की पुष्टि के लिए किसी न किसी प्रकार का चिह्न बनाना पड़ा।

(2) लिपि के विकास की अवस्थाएं—लिपि के विकास की चार अवस्थाएँ हैं—(क) प्रतीक लिपि, (ख) चित्र-लिपि (pictogram), (ग) भाव लिपि (ideogram) और (घ) ध्वनि-लिपि (phonogram)। आरम्भ में ऐसे चिह्नों का आविष्कार किया गया जो किसी विचार के प्रतीक हों। रस्सी में गाठ लगाना, रग का निशान लगाना, धागा बाधना, मूँगे-मोती बाधना, लकड़ी के टुकड़ों पर निशाना लगाना आदि प्रतीक-लिपि के अन्तर्गत आते हैं। प्रतीकों के पश्चात् चित्रों का सूत्रपात हुआ।

मन्दिर, मस्जिद, पर्वत, भवन आदि पर आज भी प्रायः चित्र पाए जाते हैं जो विचारों के प्रतीक थे। पचाग में दिए गए ग्रन्थों का चित्र आप ने देखा होगा। मीन-मेख राशियों के और मगल-बुध आदि ग्रहों के चित्र-लिपि में आ जाते हैं। चित्र-लिपि से अगली अवस्था भाव-लिपि है। इस में एक भाव को सम्पूर्ण-चित्र के बदले कुछ रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया गया और ऐसे पर्वत का चित्र

§ 85. देवनागरी लिपि का उद्भव—

देवनागरी लिपि की उत्पत्ति भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुई है। देवनागरी लिपि के अतिरिक्त मध्य तथा आधुनिक काल की भारत की सभी लिपियों का उद्गम भी इसी प्राचीन राष्ट्रीय लिपि से हुआ है।

ब्राह्मी लिपि के सम्बन्ध में ओझा जैसे विद्वानों का मत है कि यह लिपि भारतवर्ष के आर्यों की खोज से उत्पन्न किया हुआ आविष्कार है[1] इस बात के उन्होंने बहुत से प्रमाण उपस्थित किए हैं कि वैदिक काल में भी लिखने का रिवाज था। पाणिनीय काल में लिखने की एक निश्चित शैली थी। 'लिपि' शब्द जो पाणिनी ने प्रयुक्त किया है इस बात का प्रमाण है। बुद्ध के समय में इस प्राचीन लिपि का रिवाज विस्तृत था। मौर्यवंश काल में अशोक के शिलालेख ब्राह्मी में पाये जाते हैं जिन का लिप्यान्तर (decipher) भी हो चुका है। योरोपीय विद्वान फ्लीट (Fleet) और बूलर (Buhler) ने उस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है। अशोक के कतिपय शिलालेख खरोष्ठी में भी है, क्योंकि भारत की पश्चिमी सीमा के आस पास फारस से आई हुई खरोष्ठी लिपि का भी उन दिनों प्रयोग होता था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक काल के बाद भी होता रहा, परन्तु इस में कुछ परिवर्तन हुआ। गुप्त काल में यह लिपि गुप्त लिपि कहलाई गई। बुद्धमत के प्रचार के साथ ब्राह्मी लिपि का प्रचार दक्षिण में भी हुआ। तीसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण में इसका एक परिवर्तित रूप बना। इसी दक्षिणी रूप से वर्तमान तामिल, तैलुगु, मलयालम और कन्नड लिपियों को जन्म मिला। उत्तरी भारत में ब्राह्मी लिपि का व्यवहार प्रत्येक प्रदेश में समान रूप से होता रहा। इस उत्तरी रूप का नाम वर्णों की कुटिल आकृति के कारण 'कुटिल लिपि' पड़ा। इस कुटिल लिपि से शारदा और नागरी लिपि का उद्भव हुआ। नागरी लिपि का प्रयोग 10वीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है। इसी नागरी लिपि का नाम 12वी शताब्दी में देवनागरी पड़ा, और साथ ही इसी नागरी लिपि से प्राचीन बंगला, गुजराती, कैथी, महाजनी आदि लिपियां निकलीं। प्राचीन बगला से ही वर्तमान बगला, मैथिली, उड़िया नेपाली और आसामी का उद्भव हुआ है। शारदा लिपि का प्रयोग कश्मीर और पंजाब में होता रहा। गुरु अगद ने 1537-42 ई० में इस शारदा लिपि में परिष्कार करके गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया जो आजकल भी पंजाबी भाषा के लिए प्रयुक्त होती है। देवनागरी लिपि आजकल मराठी, हिन्दी और संस्कृत के लिए प्रयुक्त होती है। गौण रूप से पंजाबी, बंगला, गुजराती आदि निकट के प्रदेशों की भाषाओं के लिए भी प्रयुक्त होती है।

---

1. गौरीशंकर हीराचंद ओझा : भारती प्राचीन लिपिमाला अपनी पुस्तक की भूमिका में पृष्ठ 6 पर लिखते हैं—"मनुष्य की [illegible] से बड़े महत्व के दो कार्य, भारतीय ब्राह्मी लिपि [illegible] ना है।"

85. देवनागरी लिपि का उद्‌भव—

देवनागरी लिपि की उत्पत्ति भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुई है। देवनागरी लिपि के अतिरिक्त मध्य तथा आधुनिक काल की भारत की सभी लिपियों का उद्‌गम भी इसी प्राचीन राष्ट्रीय लिपि से हुआ है।

ब्राह्मी लिपि के सम्बन्ध में ओझा जैसे विद्वानों का मत है कि यह लिपि भारतवर्ष के आर्यों की खोज से उत्पन्न किया हुआ आविष्कार है[1] इस बात के उन्होंने बहुत से प्रमाण उपस्थित किए हैं कि वैदिक काल में भी लिखने का रिवाज था। पाणिनीय काल में लिखने की एक निश्चित शैली थी। 'लिपि' शब्द जो पाणिनी ने प्रयुक्त किया है इस बात का प्रमाण है। बुद्ध के समय में इस प्राचीन लिपि का रिवाज विस्तृत था। मौर्यवंश काल में अशोक के शिलालेख ब्राह्मी में पाये जाते हैं जिन का लिप्यान्तर (decipher) भी हो चुका है। योरोपीय विद्वान फ्लीट (Fleet) और बूलर (Buhler) ने उस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है। अशोक के कतिपय शिलालेख खरोष्ठी में भी है, क्योंकि भारत की पश्चिमी सीमा के आस पास फारस से आई हुई खरोष्ठी लिपि का भी उन दिनों प्रयोग होता था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक काल के बाद भी होता रहा, परन्तु इस में कुछ परिवर्तन हुआ। गुप्त काल में यह लिपि गुप्त लिपि कहलाई गई। बुद्धमत के प्रचार के साथ ब्राह्मी लिपि का प्रचार दक्षिण में भी हुआ। तीसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण में इसका एक परिवर्तित रूप बना। इसी दक्षिणी रूप से वर्तमान तामिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों को जन्म मिला। उत्तरी भारत में ब्राह्मी लिपि का व्यवहार प्रत्येक प्रदेश में समान रूप से होता रहा। इस उत्तरी रूप का नाम वर्णों की कुटिल आकृति के कारण 'कुटिल लिपि' पड़ा। इस कुटिल लिपि से शारदा और नागरी लिपि का उद्‌भव हुआ। नागरी लिपि का प्रयोग 10वीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है। इसी नागरी लिपि का नाम 12वीं शताब्दी में देवनागरी पड़ा, और साथ ही इसी नागरी लिपि से प्राचीन बंगला, गुजराती, कैथी, महाजनी आदि लिपियां निकली। प्राचीन बंगला से ही वर्तमान बंगला, मैथिली, उड़िया नेपाली और आसामी का उद्‌भव हुआ है। शारदा लिपि का प्रयोग कश्मीर और पंजाब में होता रहा। गुरु अंगद ने 1537-42 ई० में इस शारदा लिपि में परिष्कार करके गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया जो आजकल भी पंजाबी भाषा के लिए प्रयुक्त होती है। देवनागरी लिपि आजकल मराठी, हिन्दी और संस्कृत के लिए प्रयुक्त होती है। गौण रूप से पंजाबी, बंगला, गुजराती आदि निकट के प्रदेशों की भाषाओं के लिए भी प्रयुक्त होती है।

---

1. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा : भारतीय प्राचीन लिपिमाला अपनी पुस्तक की भूमिका में पृष्ठ 6 पर लिखते हैं—"मनुष्य की बुद्धि के सब से बड़े महत्व के दो कार्य, भारतीय ब्राह्मी लिपि और वर्तमान शैली के अंकों की कल्पना हैं।"

तालिका 7.

§ 86 देवनागरी लिपि की विशेषताएं—

ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न देवनागरी लिपि आज भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए प्रयुक्त होती है। इस कारण से यह राष्ट्र लिपि के पद पर आरूढ़ हो चुकी है। जहां अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी भाषा का प्रयोग संविधान द्वारा स्वीकृत हो चुका है, वहां रोमन लिपि के स्थान पर हिन्दी भाषा के लिये देवनागरी लिपि का प्रयोग अंगीकृत हो चुका है। इस लिपि की अपनी भी कई विशेषताएं हैं। जिस कारण से संसार की प्रमुख लिपियों में इसको विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वे विशेषताएं निम्न हैं:—

देवनागरी लिपि का नाम 'देवनागरी' क्यों पड़ा' इसका अभी तक निश्चित उत्त
नहीं मिलता। कुछ विद्वान इसका संबन्ध नगर से जोड़ते है, क्योंकि यह नगरों में प्रयु
हुई होगी। श्याम शास्त्री उसको मन्दिरो में बनाए गये उपासना के चिन्हों से (जिन
'देवनगर' कहते थे) जोड़ते हैं। शायद यह लिपि नागर ब्राह्मणों में प्रचलित होने के
कारण नागरी कहलाई।

ब्राह्मी लिपि मे जो परिवर्तन होते रहे जिनके फल स्वरूप आज इतनी लिपियाँ ब
गई है, उनके भी कई निश्चित कारण हैं। पहला कारण है—सुन्दर बनाने का प्रयत्न
लिखने वाले इस के अक्षरो को सुन्दर बनाने गए जिससे इनका रूप बदलता गया
आरम्भ मे ब्राह्मी अक्षरो मे सिर की आड़ी लकीर नही थी। गुजराती में अब भी नहीं
परन्तु देवनागरी में या बगला मे यह बाद का परिवर्तन है। आरम्भ मे कई अक्षरों म
रेखायें पृथक थी। कालांतर मे कलम उठाए बिना अक्षर लिखने की प्रवृत्ति के का
रूप बदलते गए। अतिशीघ्रता के कारण भी कई रूप बदलते गए।

ब्राह्मी लिपि का विकास देवनागरी लिपि की वर्तमान अवस्था तक कैसे हु
तथ्य का स्पष्टीकरण करने के लिये ब्राह्मी लिपि के कई चुने हुए अक्षरों
लेकर वर्तमान काल तक बदलते रूप दिए जाते हैं।

प्राचीन ब्राह्मी के अक्षर	बदलते हुए रूप				य है
+	+	+	क	क	
f	f	f	का	का	
f	f	f	कि	कि	
≡	≡	≡	≡	३	
ᒐ	ᒐ	U	ч	प	

(iv) इस लिपि के पढ़ने और सीखने मे कहीं कहीं भ्रम की संभावना है।

(v) यह शीघ्र नही लिखी जाती।

(vi) इसमे कई अन्य दोष हैं। वे दोष ऊपर दिये गये हैं।

सुधार के सुझाव—

इन दोषों को दूर करने के लिये विद्वानों ने अनेक सुझाव रखे हैं। भारतीय शिक्षा-संघ ने वर्धा मे केवल एक स्वर अ के रूप को रखकर अन्य स्वरो के स्वतन्त्र रूपों को उड़ाने का आग्रह किया—जैसे अ, आ, अि, अी, अु, अू, अे, अै, ओ, औ, अं, अः। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा प्रकाशित हिन्दी साहित्य मे इसी परिष्कृत लिपि का प्रयोग होता है। बम्बई, उत्तर प्रदेश और केन्द्र के शासकों की ओर से अनेक समितियाँ नियुक्त हुई। नवम्बर 1953 मे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री प० गोविन्द वल्लभ पन्त ने लखनऊ मे अखिल भारतीय सम्मेलन बुलवाया, जिसमे अनेक प्रान्तों के मुख्य मन्त्रियो और विद्वानों ने भाग लिया। इस सम्मेलन मे लम्बे-चौड़े वाद-विवादो के बाद निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुये।

(i) अ और अ तथा झ और भ मे पूर्व रूप ही रखे गये।

(ii) ह्रस्व 'इ' की मात्रा बाईं ओर से हटा कर कुण्डी समेत दाईं ओर कर दी गई। कुण्डी से इसका भेद 'ी' की मात्रा के साथ साफ दिखाई देगा।

(iii) संयुक्त व्यजनो के सम्बन्ध मे पाई हीन वर्णों के नीचे हल्-चिन्ह लगाने का निश्चय किया गया है। इससे व्यजनो के सयुक्त रूप, मिश्रित रूप मे न रह कर अलग-अलग लिखे जाने के कारण प्रेस टाइप मे सुविधा होगी।

(iv) घ और ध तथा भ और म का भ्रम दूर करने के लिये ध और भ के साथ भी कुण्डी लगाये जाने का निश्चय किया गया है।

(v) १, ५, ८ और ९ इन अकों का रूप निश्चत हुआ। इस प्रकार के परिवर्तनो से आशा की गई है कि नागरी लिपि टाईप और प्रेस के लिए पहले से अधिक उपयुक्त, सरल और सुविधा-जनक होगी।

सुधार के विपक्ष में—कई विद्वान् सुधार के विपक्ष मे निम्न युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं —

(i) लिपि के सुधार से आज तक का सारा हिन्दी, संस्कृत, जैन और बौद्ध साहित्य, जो देवनागरी लिपि मे लिखा गया है, आने वाली पीढियो के लिए अपाठ्य बन जाएगा।

(ii) लिपि सुधार से वर्तमान टाइप राइटर और प्रेस बेकार हो जायेंगे, जिस से देश को बड़ी हानि होगी।

(iii) लिपि सुधार से ब्राह्मी लिपि से अवतरित देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएँ नष्ट हो जायेंगी।

(iv) देवनागरी लिपि के सुधार करने पर भारत की सभी लिपियों के सुधार की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देवनागरी लिपि की विशेषताएं जिन में परिवर्तन किया जाएगा, उन लिपियों में भी विद्यमान हैं।

(v) देवनागरी लिपि विश्व के सभी देशों—जापान, रूस, जर्मनी, इटली, फ्रांस हालैंड, इंगलैंड आदि में प्रयुक्त होती है। विदेशों में इस लिपि का सुधार दुस्तर होगा।

(vi) सुधार के बहुत से प्रस्तावों से लिपि के सीखने वालों या प्रयोग करने वालों को कोई लाभ नहीं।

(vii) कई वर्णों में भ्रम पैदा होता है—यह बात भी भ्रम ही है। भ और म के पढ़ने में उतना भ्रम नहीं होता, जितना अंग्रेजी के u और v में, b और h में अथवा k और R में।

(viii) इसके बदले कि देवनागरी लिपि में सुधार किया जाए, इस लिपि के लिए उपयुक्त यन्त्रों का ही निर्माण अपेक्षित है। यदि चीनी जापानी लिपि के लिए 300 अक्षरों का टाइपराइटर बनाया गया है तो क्या भारत के लिए ऐसा टाइपराइटर नहीं बनाया जा सकता जिसके 100 अक्षर हों और जो आगे की ओर गति रखने के अतिरिक्त पीछे, ऊपर और नीचे की ओर भी गति रखता हो? ऐसा असम्भव नहीं, केवल वैज्ञानिकों की इच्छा पर निर्भर है। हम कहाँ तक विदेशी लोगों पर अवलम्बित रहें और अपनी आवश्यकताओं पर विचार न करें। स्मरण रहे कि चीनी टाइपराइटर का मूल्य 800 रुपये हैं।

(ix) लिपि में अधिक सुधार करने से लिपि का नाश होगा और हमारे लिए और भी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

§ 89. शिक्षा-मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सुधार—

ऊपर के दिये हुए आक्षेपों के अनुसार नागरी लिपि में महत्त्वपूर्ण और अधिक सुधार करने से भविष्य में नई कठिन समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस लिए इस लिपि में छोटे-मोटे सुधार ही करने चाहिए ताकि मुद्रण और टाइप में सुविधा हो। इस दिशा में शिक्षा-मन्त्रालय ने हाल ही में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। 8 और 9 अगस्त 1959 में भारत सरकार के शिक्षा-मंत्रालय ने राज्य के शिक्षा मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जिस में देवनागरी लिपि में कतिपय संशोधन स्वीकृत हुए। सभी राज्य सरकारों में इस संशोधित लिपि का प्रारूप (draft) चालू किया गया। देश में एकरूपता लाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में इसके प्रयोग की अपेक्षा है। इस लिपि में जो संशोधन किया गया है उसका सार आगे दिया जाता है।

सहायक पुस्तकें

1. गौरीशंकर हीरा चन्द ओझा — भारतीय प्राचीन लिपि माला
2. श्याम सुन्दर दास — भाषा विज्ञान
3. बाबूराम सक्सेना — सामान्य भाषा-विज्ञान
4. धीरेन्द्र वर्मा — हिन्दी भाषा का इतिहास
5. द्वारिका प्रसाद — हिन्दी भाषा का वैज्ञानिक इ

[लिपि विषय के अध्ययन के लिए निम्न पुस्तकें पठनीय हैं]

6. Gelb, I. G. — *History of writing (Routledge Kegan P 1952)*
7. Edward clodd — *Story of the Alphabet*
8. William A Mason — *A History of the art of w*
9. Issac Taylor — *The Alphabet.*
10. ,, ,, — *The history of the Alpha*
11. William James Hoften — *The beginning of writing*
12. भारत सरकार — राज भाषा आयोग का प्रति [पृष्ठ १७
13. Frederick Bodmer — *The Loom of Langua* *The Story of Alphabet.*

: १६ :

लिपि की शिक्षा

भूमिका—

पहले कहा गया है विचार, ध्वनि तथा लिपि भाषा के आधार हैं। मानव के मन में विचार उत्पन्न होते हैं। उनकी अभिव्यक्ति वह ध्वनि रूप में बोल कर करता है। इसके अतिरिक्त वह ध्वनियों के प्रतीक लिप्यक्षरों के रूप में भी अपने विचारों को व्यक्त करता है। ध्वनियों को शुद्ध रूप में बोलने के लिए उच्चारण की शिक्षा दी जाती है और आजकल लिपि भावाभिव्यक्ति का प्रधान साधन बन गई। राष्ट्र-भाषा हिन्दी की लिपि देवनागरी लिपि की शिक्षा परमावश्यक है। आजकल इस लिपि में परिवर्तन करने की एक विचार तरंग उत्पन्न हुई है। परन्तु वर्तमान अवस्था में इस लिपि में परिवर्तन करना हानिकारक है। पिछले प्रकरण में इस बात की व्याख्या हुई है। निष्कर्ष यह है कि देवनागरी लिपि का जो वर्तमान स्वरूप है उसी की यथा-तथ्य शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सुधार के अतिरिक्त और सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं।

§ 90. लिपि की शिक्षा का महत्व—

(1) लिपि विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रधान साधन है, विशेषकर निम्न अवस्थाओं में :—

(i) वाचन करते हुए, या पाठ्यपुस्तक पढ़ते हुए नये शब्दों के अर्थ लिखने के लिए।

(ii) इतिहास आदि विषय पढ़ते हुए अध्यापक द्वारा वर्णित बातों को नोट करने के लिए।

(iii) पाठ-सम्बन्धी गृहकार्य और अभ्यास के लिए।

(2) विद्यालय से बाहर भी व्यवहार के लिए लिपि आवश्यक है जैसे—

(i) मित्रों और सम्बन्धियों के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए।

(ii) निमन्त्रण पत्र, विज्ञापन, आवेदन पत्र, तार आदि भेजने के लिए।

(iii) अपनी वस्तुओं, चित्रों आदि पर नाम लिखने के लिए।

(iv) घरेलू हिसाब लिखने के लिए।

(3) आत्माभिव्यक्ति के लिए भी लिपि की आवश्यकता पड़ती है जैसे—

(i) अपने विचार लिखने के लिए।

(ii) कहानी, निबन्ध आदि लिखने के लिए।

(4) विभिन्न व्यवसायो के लिए भी लिपि आवश्यक है, जैसे [illegible], [illegible], सम्पादक लेखक, संवाद-दाता इत्यादि।

§ 91 लिपि-शिक्षण की अवस्थाएँ—

प्राय अध्यापक प्रथम श्रेणी में प्रविष्ट विद्यार्थी को तख्ती पर [illegible] के लिए आज्ञा देते हैं। वर्णमाला के प्रथम अक्षर से वे लिपि की शिक्षा [illegible] हैं। परन्तु बच्चे की उगलियां तथा स्नायु लिखने में अभ्यस्त नहीं होते, [illegible] कापने लगते हैं। उनके मस्तिष्क और स्नायुओं के बीच यथार्थ [illegible] है। लिपि-शिक्षण की विभिन्न अवस्थाए हैं। उन अवस्थाओं के [illegible] योग्य बनाया जा सकता है कि वह सुन्दर, सुडौल और स्पष्ट लिपि [illegible] व्यक्त करे। इन अवस्थाओं के अनुसार लिखाने में अध्यापक को न [illegible] चाहिए और न अति-विलम्ब। लिपि-शिक्षण की निम्न अवस्थाएं हैं—

(क) प्रथम अवस्था—लिखने की तैयारी।

(ख) द्वितीय अवस्था—अक्षर रचना।

(ग) तृतीय अवस्था—शब्द रचना तथा वाक्य रचना।

(घ) चतुर्थ अवस्था—अभ्यास तथा आदर्श लिपि।

§ 92. (क) प्रथम अवस्था, लिखने की तैयारी—

इस अवस्था में बच्चो को लिखने के लिए केवल [illegible] रहना है कि बच्चे की निम्न शक्तियो का विकास हो [illegible]—

(i) बच्चे की निरीक्षण शक्ति बढ़ जाए, जिस से वह [illegible] बनावट की ओर ध्यान दे सके।

(ii) बच्चे की लिखने की ओर रुचि बढ़ जाए।

(iii) उगलियो में लिखने की दृढ़ता पैदा हो [illegible] अभ्यस्त हो जाएँ।

(iv) मस्तिष्क और स्नायुओं के बीच यथार्थ [illegible]।

(v) कुछ देर काम करते-करते हाथ थक न [illegible] अभ्यास हो जाए। उनकी क्रियात्मक शक्ति ([illegible]) बढ़ [illegible]।

साधन—(i) इस अवस्था में सर्व प्रथम [illegible] है। बच्चे को सुन्दर वस्तुए खेलने के लिये दी [illegible] चित्रावली जैसी पुस्तकें, रंग-बिरंगे चार्ट, [illegible]

: १६ :

लिपि की शिक्षा

भूमिका—

पहले कहा गया है विचार, ध्वनि तथा लिपि भाषा के आधार हैं। मानव के मन मे विचार उत्पन्न होते हैं। उनकी अभिव्यक्ति वह ध्वनि रूप में बोल कर करता है। इसके अतिरिक्त वह ध्वनियों के प्रतीक लिप्यक्षरो के रूप मे भी अपने विचारो को व्यक्त करता है। ध्वनियो को शुद्ध रूप मे बोलने के लिए उच्चारण की शिक्षा दी जाती है और आजकल लिपि भावाभिव्यक्ति का प्रधान साधन बन गई। राष्ट्र-भाषा हिन्दी की लिपि देवनागरी लिपि की शिक्षा परमावश्यक है। आजकल इस लिपि में परिवर्तन करने की एक विचार तरंग उत्पन्न हुई है। परन्तु वर्तमान अवस्था में इस लिपि मे परिवर्तन करना हानिकारक है। पिछले प्रकरण मे इस बात की व्याख्या हुई है। निष्कर्ष यह है कि देवनागरी लिपि का जो वर्तमान स्वरूप है उसी की यथा-तथ्य शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा मत्रालय द्वारा स्वीकृत सुधार के अतिरिक्त और सुधार करने की कोई आवश्यकता नही।

§ 90. लिपि की शिक्षा का महत्व—

(1) लिपि विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रधान साधन है, विशेषकर निम्न अवस्थाओं मे :—

(i) वाचन करते हुए, या पाठ्यपुस्तक पढ़ते हुए नये शब्दों के अर्थ लिखने के लिए।

(ii) इतिहास आदि विषय पढ़ते हुए अध्यापक द्वारा वर्णित बातो को नोट करने के लिए।

(iii) पाठ-सम्बन्ध गृहकार्य और अभ्यास के लिए।

(2) विद्यालय से बाहर भी व्यवहार के लिए लिपि आवश्यक है जैसे—

(i) मित्रों और सम्बन्धियों के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए।

(ii) निमंत्रण पत्र, विज्ञापन, आवेदन पत्र, तार आदि भेजने के लिए।

(iii) अपनी वस्तुओं, चित्रों आदि पर नाम लिखने के लिए।

(iv) घरेलू हिसाब लिखने के लिए।

§ 93. (ख) द्वितीय अवस्था : अक्षर रचना—

ध्येय—इस अवस्था में अध्यापक का ध्येय यह रहता है कि बच्चे देवनागरी लिपि के सभी अक्षरों को हाथ से लिखना सीखें। इसके उपरान्त बच्चे अक्षरों को मिला कर शब्द लिख सकें और संयुक्त अक्षरों को भी लिख सकें।

सामग्री या साधन—आजकल अक्षर रचना सिखाने के लिए कलम, स्याही और तख्ती का प्रयोग होता है। भारतवर्ष जैसे निर्धन देश में इतना ही सुलभ हो सकता है, परन्तु विदेशों में वर्ण रचना के कितने ही साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। एक सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली के लिए वे साधन अत्यन्त आवश्यक हैं। प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि हमारे निर्धन बच्चे, निर्धन विद्यालय और निर्धन अध्यापक इन साधनों को कहां से जुटाए? जुटाना कठिन है, परन्तु फिर भी इन साधनों की एक सूची अध्यापक की जानकारी के लिए नीचे दी जाती है ताकि जो जो वस्तुयें उसे सुलभ हो सकें, उनका वह प्रयोग करे।

(i) ऐसा श्यामपट जो कक्षा की दीवारों के साथ-साथ डेढ़ से तीन फुट की ऊँचाई तक चारों ओर लगा रहे। सफेद और रंगीन चाक से बच्चे इस पर अपनी इच्छानुसार टेढ़ी-सीधी लकीरें खींचते रहें।

(ii) रंगीन कागज और कैंची। बच्चे वर्णमाला के अक्षर कैंची से काटें।

(iii) गत्ता—बच्चे वर्णमाला के अक्षरों के रूप में काटे हुए गत्ते के टुकड़ों के अनुसार आप भी अक्षर काटें।

(iv) कागज कलर बक्स और ब्रुश (तूलिका) (Colour box and brush) बच्चे तूलिका से वर्णों की रूप-रचना कर सकते हैं।

(v) कागज और रंगीन पेन्सिल।

(vi) ग्राफपेपर, जिस पर रंगीन पेन्सिल से बराबर अनुपात के अक्षर बनाये जा सकते हैं।

(vii) तीन लकीरों वाला कागज और रंगीन पेन्सिल। अध्यापक अक्षरों का एक नमूना देता है और बच्चे उसका अनुकरण करते हैं।

(viii) छपे हुए अक्षरों वाली कापी। ऊपर अक्षर का नमूना दिया होता है और नीचे उसकी बारीक रूप रेखा दी हुई होती है। बच्चे उस रूपरेखा पर स्याही फेरते हैं।

(ix) भारत में सर्वप्राचीन, सर्वसुलभ और सर्वव्यापक सामग्री है—नरकटकी या सरकंडे की लेखनी, काली स्याही, तख्ती और चिकनी मिट्टी। अध्यापक लिपि सिखाने के लिए अधिकतर इसी सामग्री का सहारा ले सकता है। अतः आगे लिखना सिखाने की जो विधि बताई जाएगी, वह इसी सामग्री को आधार मान कर होगी।

विधि—तख्ती पर लिखने के लिए तीन विधियों को अपनाया जा सकता है।

(i) ऊपर कलम चलाने की विधि (Over-writing Method)—अध्यापक

मांटसोरी प्रणाली की सामग्री आदि बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं । वह इन वस्तुओं के साथ खेलने, देखने-भालने मे रम जाता है। खेल-खेल मे ही उसकी निरीक्षण शक्ति भी बढ जाती है और वस्तुओ को उठाने उल्टाने से उसकी स्नायु शक्ति भी बढ जाती है।

(ii) इसके उपरांत ड्राइंग की बारी आ जाती है। बालक के हाथ पैंसिल और कैंची देनी चाहिये। कैंची से वह अपनी इच्छानुसार तसवीरें काटता जाए, घरें बनाता जाए, तो गत्ते के तिकोण, आयताकार का वृत्त बनाता जाए, अथवा 'धर्मयुग' आदि सचित्र पत्रिकाओ से चित्र या मोटे अक्षर काटता जाए।

पैंसिल से वह अपनी इच्छानुसार टेढ़ी-सीधी लकीरें खींचता जाए। रंगीन पैंसिल से वह पुराने समाचार पत्रो पर (जो व्यय-साध्य नही हैं), अपनी चित्रकारी आरम्भ करे। इस से उनकी सृजनात्मक प्रवृत्ति (creative instinct) सतुष्ट होगी।

प्राय. तीन वर्ष के बच्चे चाक पैंसिल हाथ मे ले कर लिखना प्रारम्भ कर देते हैं । परन्तु उनके माता पिता उनको इस बात पर पीटते हैं कि उन्होने दीवार गन्दी की। इस का उपाय यह है कि उनको ऐसी सामग्री दी जाए, जिससे वे अपनी रचनात्मक मूल-प्रवृत्ति को सतुष्ट कर सकें। । लेखक के एक मित्र के 4 वर्ष के बच्चे ने 'धर्मयुग' के मोटे-मोटे अक्षर काट कर वर्णमाला के सभी अक्षर सीख लिए थे। इसी अवस्था में बच्चे छोटे-छोटे एल्बम बना सकते हैं, सुन्दर चित्रों का सग्रह कर सकते हैं तथा सुन्दर मोटे अक्षरों का सग्रह कर सकते हैं।

उपर्युक्त सारा कार्य बच्चे की तीन वर्ष की अवस्था से आरम्भ कराया जा सकता है। इससे इन्द्रियों की बोध-शक्ति और शारीरिक अगो के व्यापार का परस्पर सम्बन्ध जुड जाता है।

(iii) इसके उपरात चौकी या पट्टी पर राख, मिट्टी, रेत बिछा कर बराबर कर दिया जाता है। अध्यापक श्यामपट पर सरल अक्षर लिखता है, अथवा मोटे अक्षरों के कार्ड सामने रखता है और विद्यार्थी अपनी उगली से वैसे ही अक्षर बनाने का प्रयत्न करते हैं।

(iv) अध्यापक 'देखो और कहो विधि' से शब्द पढ़ना सिखाता है। उन्ही शब्दो के चार्ट या कार्ड बच्चों के सामने रखता है और साथ ही मोटे बीज देता है। बीजो की पक्तियां बना कर बच्चे शब्दों के से रूप बनाते हैं।

(v) एक अध्यापक ने 'बालोद्यान-मंजूषा' ऐसी बनाई है, जिस में चौकोर लकड़ी के टुकड़े ऐसे रहते हैं, जिन से बच्चे हिन्दी के अक्षर बना सकते हैं और पदार्थों की आकृति भी बना लेते हैं।

(vi) अब बच्चे कक्षा मे पढ़ाए गए अक्षरों को अपनी उगलियों से हवा में बना सकते हैं।

अत. अ आ लिखाने से पहले अध्यापक सीधी तथा तिर्छी लकीरो और तत्पश्चात् गोलाकार रेखाओं के सरल नमूने (Patterns) उपस्थित करता है ।[1] बच्चे सर्वप्रथम इन्हीं नमूनो की नकल करते हैं। इसके पश्चात् अध्यापक देवनागरी

(क) [1]सरल रेखाओ के नमूने ।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

तख्ती पर पेन्सिल से अक्षर लिखता है और बच्चे उस लिखे हुए अक्षर पर कलम चलाते हैं और स्याही फेरते हैं। धीरे-धीरे वे इस अवस्था पर पहुँच जाते है कि अध्यापक ऊपर की पक्ति मे अक्षर लिखता है और बच्चे नीचे की पक्तियों मे स्वय उसकी नक्ल उतारते है।

(ii) चित्र-विधि—वर्णमाला के कितने ही अक्षरो को सिखाने के लिए चित्रो की सहायता ली जा सकती है। कई अक्षरो पदार्थों के चित्रों से मिलते जुलते हैं। बच्चे इस से पहले ड्राइग के कार्य मे रुचिपूर्ण भाग लेते हैं। ड्राइग में उनको मेज, कुर्सी आदि पदार्थों के चित्र सिखाए जाते हैं। वे उन चित्रों को हाथ से बनाते हैं। उन्ही चित्रो की सहायता से वर्णमाला के अक्षर लिखवाए जाते हैं। म, त और न क्रमश मेज, कुर्सी और नल के चित्र हैं। कागज पर या तख्ती पर ऐसे चित्र बनाने से खिलवाड में ही कई अक्षर सीखे जा सकते हैं। ऐसे चित्रो के कई प्राइमर छप चुके हैं। वर्णमाला के दस पन्द्रह अक्षर इस प्रणाली से अवश्य सिखाए जा सकते हैं और बाद मे अन्य अक्षरो की अनुलिपि कराई जा सकती है।

(iii) संश्लेषण विधि (Synthetic Method)—इस विधि के अनुसार प्रारम्भ मे सरल से सरल रेखाए खींची जाती हैं और बाद में उन रेखाओं के सश्लेषण से देवनागरी के अक्षर बनाए जा सकते हैं। इस विधि का आधार-भूत सिद्धात सूत्र है, 'सरल से जटिल की ओर' (From Simple to Cemplex)। प्रारम्भ मे बच्चे सिचाव के साथ नही लिख सकते। उनकी उगलियो की हरकत निर्बाध (Free Motions) होनी चाहिए।

ही सीख जाते हैं। अब उन्हें देवनागरी लिपि सिखाई जाती है उस समय उन की पृष्ठ भूमि निम्न होती है :—

(i) उनके हाथ लिखने में किंचित अभ्यस्त होते हैं।

(ii) अपनी लिपि के अक्षर वे आसानी से लिख लेते हैं।

ऐसी अवस्था में पूर्वोक्त विधियों से देवनागरी लिपि सिखाने का कोई लाभ नहीं। वे प्रारम्भिक अवस्था से गुजर चुके हैं। इन बच्चों के लिए तुलनाविधि (Comparison Method) उपयुक्त है। तात्पर्य यह है कि देवनागरी लिपि के अक्षर बंगाली, गुजराती आदि लिपियों के अक्षरों से मिलते जुलते हैं। (इन सब लिपियों की जन्मदात्री एक प्राचीन ब्राह्मी लिपि है)। श्यामपट पर उनकी अपनी लिपि के प्रत्येक अक्षर के साथ सम्बन्धित देवनागरी के अक्षरों की सूची लिखी जा सकती है। बच्चे अपनी लिपि के अक्षरों से परिचित हैं। वे उन अक्षरों का सम्बन्ध तत्सम्बन्धी देवनागरी लिपि के अक्षरों से जोड़ते हैं। उनके साम्य और भेद दोनों को समझने के बाद वे उस लिपि का अनुकरण करते हैं। देवनागरी लिपि सीखने के लिये अपनी लिपि के अक्षरों से सम्बन्धित अक्षरों का जानना, तुलना करके साम्य और भेद पहचानना और अनुकरण करना पर्याप्त है।

§ 94. अक्षर रचना की सुन्दरता के साधन—

अक्षर रचना की सुन्दरता के लिये निम्न बातें आवश्यक हैं—

(i) बैठने का ढंग। (ii) लेखन सामग्री।

(iii) कलम पकड़ने का ढंग।

(iv) अक्षरों का लालित्य।

(i) बैठने का ढंग—विदेशों में कुर्सी, मेज का प्रयोग है, परन्तु अभी हमें भूमि पर बैठकर लिखने पर ही सन्तोष करना चाहिए। अब तक की व्यवस्था यह रही है कि बच्चों को भूमि पर बिठाया जाता है। वे तख्ती को घुटने पर रखते हैं। इस व्यवस्था में थोड़ा सा संशोधन हो सकता है कि चौकियों का प्रबन्ध किया जाये। चौकी मेज का काम दे। जब तक चौकियों का प्रबन्ध नहीं होता, तब तक निम्न रीति का अनुकरण करें।

बच्चे एक घुटना टेक कर दूसरा खड़ा करके, उस पर तख्ती रख कर लिखें। दाएं घुटने की अपेक्षा बायाँ घुटना टेकना अच्छा है क्योंकि दाएं घुटने पर तख्ती रखने से रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहती है। आँखें भी कम से कम एक फुट दूर रहती हैं। उकड़ूँ होकर बैठना हानिकारक है। एक और विधि यह है कि तख्ती दाएं घुटने पर टिकी हो और उसका ऊपर सिरा बाएँ घुटने के सहारे टिका हो। परन्तु इस विधि से शरीर एक तरफ झुक जाता है। चौकी का प्रयोग करना हो तो तख्ती उस पर

वर्णमाला की उन मात्राओ और व्यजनों को लेता है, जो अन्य अक्षर की अपेक्षा सरल हैं। सरलता की दृष्टि से वह वर्णमाला के अक्षरों को कई वर्गों मे बाँटता है। एक वर्ग के सिखाने के बाद दूसरे वर्ग को लेता है। गोलाकार अक्षरों की बारी सब से पीछे आती है। एक वर्ग मे मिलते-जुलते अक्षर रखे जाते हैं। उस वर्ग के अक्षरो से शब्द भी बनाये जाते हैं, और कभी वाक्य भी। सरल रेखाओ के नमूने देने के बाद वर्णमाला के अक्षर वर्गों की सूची दी जाती है सरल रेखाओ मे अभ्यास होने के पश्चात् अक्षरो के लिखने मे आसानी रहती है। हिन्दी वर्णमाला के सभी वर्ण इन्हीं सरल रेखाओ के योग से बनते हैं। किसी भी अक्षर को लीजिये, जैसे 'क' सिखाने से पहले चार प्रकार की रेखाओं के अभ्यास की आवश्यकता है— | ( ), जिन के समुचित योग से व, या क बनता है। इसी प्रकार — ( ), के योग से 'इ' बनता है। — | Sc से ह बनता है। अक्षरो के वर्ग इस प्रकार दिए गए हैं कि एक वर्ग के अक्षर समान हैं। (जैसे—ग और म, ग से म बनाने मे ग की दोनो खड़ी लकीरों के बीच नीचे एक चौड़ी लकीर खींचती है) इस तरह धीरे-धीरे और वर्गों की कठिनाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है।

(ख) अक्षरों के वर्ग—

(1) प फ ष
(2) ग म भ क्ष।
(3) त न ल, (4) र ए स ख ए ऐ।
(5) अ आ ओ औ अं अः
(6) व ब क स।
(7) घ ध द थ।
(8) च ज झ, (9) ट ठ ड ढ छ।
(10) उ ऊ।
(11) ड ट द ई इ।
(12) ऋ, ण, न, ज्ञ।

ऊपर के बारह वर्ग सिखाने के बाद सरल शब्द तथा वाक्य सिखाने चाहिएं। संयुक्त अक्षरों के सिखाने की बारी अन्त मे आती है।

इस प्रकार वर्गीकरण विधि से सरल रेखाओं से कठिन अक्षर सिखाए जा सकते हैं।

(11) तुलना विधि—भारत के जिन प्रदेशों मे बच्चों की मातृभाषा हिन्दी नहीं वरन् बंगाली, असमिया, सिन्धी, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि अन्य भाषाएँ, जिनकी अपनी अपनी लिपियाँ है, उन प्रदेशों मे प्रायः मातृभाषा की शिक्षा आरम्भ करके तीसरी या चौथी श्रेणी मे हिन्दी सिखाई जाती है। ऐसे बच्चे मातृभाषा की लिपि पढ़ने

ही सीख जाते हैं। जब उन्हें देवनागरी लिपि सिखाई जाती है उस समय उन की पृष्ठ भूमि निम्न होती है :—

(i) उनके हाथ लिखने में किंचित अभ्यस्त होते हैं।

(ii) अपनी लिपि के अक्षर वे आसानी से लिख लेते हैं।

ऐसी अवस्था मे पूर्वोक्त विधियों से देवनागरी लिपि सिखाने का कोई लाभ नहीं। वे प्रारम्भिक अवस्था से गुजर चुके हैं। इन बच्चों के लिए तुलनाविधि (Comparison Method) उपयुक्त है। तात्पर्य यह है कि देवनागरी लिपि के अक्षर बंगाली, गुजराती आदि लिपियों के अक्षरो से मिलते जुलते हैं। (इन सब लिपियों की जन्मदात्री एक प्राचीन ब्राह्मी लिपि है)। श्यामपट पर उनकी अपनी लिपि के प्रत्येक अक्षर के साथ सम्बन्धित देवनागरी के अक्षरों की सूची लिखी जा सकती है। बच्चे अपनी लिपि के अक्षरो से परिचित हैं। वे उन अक्षरों का सम्बन्ध तत्सम्बन्धी देवनागरी लिपि के अक्षरो से जोड़ते हैं। उनके साम्य और भेद दोनो को समझने के बाद वे उस लिपि का अनुकरण करते हैं। देवनागरी लिपि सीखने के लिये अपनी लिपि के अक्षरो से सम्बन्धित अक्षरो का जानना, तुलना करके साम्य और भेद पहचानना और अनुकरण करना पर्याप्त है।

§94. अक्षर रचना की सुन्दरता के साधन—

अक्षर रचना की सुन्दरता के लिये निम्न बातें आवश्यक हैं—

(i) बैठने का ढंग। (ii) लेखन सामग्री।

(iii) कलम पकड़ने का ढंग।

(iv) अक्षरों का लालित्य।

(i) बैठने का ढंग—विदेशो में कुर्सी, मेज का प्रयोग है, परन्तु अभी हमें भूमि पर बैठकर लिखने पर ही संतोष करना चाहिए। अब तक की व्यवस्था यह रही है कि बच्चों को भूमि पर बिठाया जाता है। वे तख्ती को घुटने पर रखते हैं। इस व्यवस्था में थोड़ा सा संशोधन हो सकता है कि चौकियों का प्रबन्ध किया जाये। चौकी मेज का काम दे। जब तक चौकियों का प्रबन्ध नहीं होता, तब तक निम्न रीति का अनुकरण करें।

बच्चे एक घुटना टेक कर दूसरा खड़ा करके, उस पर तख्ती रख कर लिखें। दाए घुटने की अपेक्षा बायां घुटना टेकना अच्छा है क्योंकि दाए घुटने पर तख्ती रखने से रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहती है। आंखें भी कम से कम एक फुट दूर रहती हैं। छाती झुका कर बैठना हानिकारक है। एक और विधि यह है कि तख्ती दाए घुटने पर टिकी हो और उसका ऊपर सिरा बायें घुटने के सहारे टिका हो। परन्तु इस विधि से शरीर एक तरफ झुक जाता है। चौकी का प्रयोग करना हो तो तख्ती उस पर

वर्णमाला की उन मात्राओं और व्यंजनों को लेता है, जो अन्य अक्षर की अपेक्षा सरल हैं। सरलता की दृष्टि से वह वर्णमाला के अक्षरों को कई वर्गों में बाँटता है। एक वर्ग के सिखाने के बाद दूसरे वर्ग को लेता है। गोलाकार अक्षरों की बारी सब से पीछे आती है। एक वर्ग में मिलते-जुलते अक्षर रखे जाते हैं। उस वर्ग के अक्षरों से शब्द भी बनाये जाते हैं, और कभी वाक्य भी। सरल रेखाओं के नमूने देने के बाद वर्णमाला के अक्षर वर्गों की सूची दी जाती है सरल रेखाओं में अभ्यास होने के पश्चात् अक्षरों के लिखने में आसानी रहती है। हिन्दी वर्णमाला के सभी वर्ण इन्हीं सरल रेखाओं के योग से बनते हैं। किसी भी अक्षर को लीजिये, जैसे 'क' सिखाने से पहले चार प्रकार की रेखाओं के अभ्यास की आवश्यकता है— | ( ), जिन के समुचित योग से व, या क बनता है। इसी प्रकार — ( ), के योग से 'इ' बनता है। — | Sc से ह बनता है। अक्षरों के वर्ग इस प्रकार दिए गए हैं कि एक वर्ग के अक्षर समान हैं। (जैसे—ग और म, ग से म बनाने में ग की दोनों खड़ी लकीरों के बीच नीचे एक चौड़ी लकीर खींचती है) इस तरह धीरे-धीरे और वर्गों की कठिनाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है।

(ख) अक्षरों के वर्ग—

(1) प फ य

(2) ग म भ भ्र।

(3) त न ल, (4) र ण ष श ए ऐ।

(5) अ आ ओ औ अं अः

(6) व ब क स।

(7) घ ध थ प।

(8) च ज ग, (9) ट ठ ड ढ छ।

(10) उ ऊ।

(11) ङ ड इ ई ह।

(12) ऋ, दा, न, ञ।

ऊपर के बारह वर्ग सिखाने के बाद सरल शब्द तथा वाक्य सिखाने चाहिएं। संयुक्त अक्षरों के सिखाने की बारी अन्त में आती है।

इस प्रकार सरलेगण विधि से सरल रेखाओं से कठिन अक्षर सिखाए जा सकते हैं।

(iv) तुलना विधि—भारत के जिन प्रदेशों में बच्चों की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं वरन् बंगाली, आसामी, बिहारी, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि अन्य भाषाएँ, जिनकी अपनी अपनी लिपियाँ हैं, उन प्रदेशों में प्रायः मातृभाषा की शिक्षा आरम्भ करके तीसरी या चौथी श्रेणी में हिन्दी सिखाई जाती है। ऐसे बच्चे मातृ-भाषा की लिपि पढ़ने

(ii) अनुलिपि (Caligraphy)
(iii) प्रतिलिपि (Transcription)
(iv) श्रुतिलिपि (Dictation)

(i) तख्ती पर लिखना—पहली श्रेणी के लिए यह प्रथम सोपान है। ऊपर तख्ती तथा कलम और स्याही के बारे मे कहा गया है। तख्ती पर पहले ही तीन समानांतर रेखाएँ खिची हुई होनी चाहिए, जिनकी कुल चौड़ाई 1½ इच हो। अध्यापक वर्णमाला के अक्षर लिखे, और छात्र उनका अनुकरण करें। अक्षर की शिरो रेखा प्रथम रेखा के साथ हो, और निचला सिरा तृतीय रेखा के साथ। मध्यम रेखा अक्षरों के सुन्दर बनाने के लिए है। ऊपर की मात्रा प्रथम रेखा के ठीक ऊपर, और नीचे की रेखा तृतीय रेखा के नीचे। देवनागरी लिपि मे मात्राएँ कभी व्यजन के बाद मे आती है, कभी ऊपर और कभी नीचे।

कलम से तिर्छा करके शिरोरेखा खींचनी चाहिए। शिरोरेखा और पाई के बीच खाली स्थान नही छोड़ना चाहिए। शब्द के ऊपर इस प्रकार लकीर खींची जाय कि ऊपर की लकीर इस की छत बन जाए।

(ii) अनुलिपि (Caligraphy)—अध्यापक बच्चों को ऐसी कापिया लिखने को देता है, जिन के प्रत्येक पृष्ठ की ऊपर की पंक्ति मे सुन्दर और मोटे अक्षर छपे हुए होते हैं। बच्चे उन अक्षरों को नकल करते हैं। और वैसा ही सुन्दर लिखने की कोशिश करते हैं। प्राय. इस विधि को सुलेख लिखन भी कहते हैं।

अध्यापक को अनुलिपि सिखाने मे बच्चों को निम्न प्रकार से सहायता देनी चाहिए—

(i) अध्यापक उन शब्दों या वाक्य को श्यामपट पर तीन पंक्तियो मे लिखे, जो शब्द अनुलिपि की कापी पर लिखने हों।

(ii) अध्यापक बच्चों को अपनी कापियों पर लिखने को कहे, उन की कलम, दवात, कापी और बैठने के ढग का निरीक्षण करे। साथ ही घूमे और बच्चों की अशुद्धिया ठीक करे।

(iii) अब अध्यापक फिर श्यामपट पर आए और श्यामपट पर बच्चों की अशुद्धियों को समझाए। तब बच्चे दूसरी पंक्ति लिखे और तत्पश्चात् तीसरी आदि।

(iii) प्रतिलिपि (Copying)—अनुलिपि की अवस्था को पार करके बच्चे किसी पुस्तक, समाचार पत्र या लेख के किसी पृष्ठ या अंश को देख कर, उसे अनुकरण द्वारा लिपिबद्ध कर सकते हैं। इस से उन की भाषा मे शुद्धता भी आती है और उनका शब्द-

सीधी रखी जाए, और वह एक फुट की दूरी पर हो । चौकी ढालुआ भी हो
है, समतल भी । ढालुआ चौकी पढ़ने लिखने दोनों के लिए सुविधा जनक है ।

(ii) लेखन सामग्री—तख्ती हलकी और परिमाण में 9"×12"
चाहिए । तख्ती खुरदुरी न हो । साधारण तख्तियों से रोगन वाली तख्तियां अ
क्योंकि उन पर मिट्टी से पोतने की आवश्यकता नहीं रहती, और साथ ही काली
के बदले मिट्टी की स्याही से भी लिखा जा सकता है । इस पुस्तक के लेखक ने
रोगन की हुई तख्ती पर नरकट की लेखनी और मिट्टी से लिखना सीखा है ।
की लेखनी 1/5 इंच मोटी बनवानी चाहिए । इसकी जीभ 60° पर कटी होनी च
दवात की स्याही अच्छी और उचित रूप से घुली हो । तख्ती भली प्रकार पोती
मिट्टी न तो अधिक हो और न कम ही लगाई जाए ।

(iii) कलम पकड़ने का ढंग—कलम पकड़ने के लिए अंगूठा तथा
अंगुली काम आती है । अंगूठे के साथ की तर्जनी केवल कलम के ऊपर आए, दबा
तरफ हो ।

(iv) सुलिपि—इसके सम्बन्ध में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ।

(1) अक्षर का प्रत्येक अंग सानुपात हो ।

(2) अक्षर बड़े-बड़े और सुस्पष्ट हो ।

(3) अक्षर सीधे खड़े लिखे जाएँ, टेढे मेढे न होने पाएं ।

(4) दो अक्षरों के बीच का अन्तर समान हो, दो शब्दों के बीच एक अक्षर
दो वाक्यों के बीच एक शब्द का और दो पंक्तियों के बीच एक पंक्ति
अन्तर हो ?

(5) वैसे तो देवनागरी के अक्षर स्वतः सिद्ध ही मनोरंजक हैं, परन्तु बच्चे
अक्षरों को अधिक सुडौल और सुन्दर बनाना चाहिए । घसीट लिपि सर्वथा त्याज्य
पुस्तक पर छपे हुए अक्षरों की पूरी नकल उतारनी चाहिए ।

§ 95 (ग) तृतीय अवस्था—वाक्य रचना ।

इस अवस्था में अध्यापक का ध्यान इस ओर रहता है कि बच्चे शब्द, वाक्य
तत्पश्चात यथाशि सुन्दर, सुडौल और स्पष्ट रूप में लिख सकें । प्राइमरी कक्षाओं
लिखाई का यही ध्येय रहता है । दूसरी तीसरी श्रेणी में तख्ती पर लिखने का
चलता ही रहता है, साथ ही कागज पर लिखना भी आरम्भ किया जाता है । ऐसे
की पूर्ति के लिए अध्यापक चार प्रकार के कार्य करवाता है—

(1) तख्ती पर लिखना ।

) वह फिर प्रस्तुत गद्यांश धीरे-धीरे एक बार पढ़े । पढ़ते हुए वह यति और
ा ध्यान रखे। यदि कई ऐसे शब्द हो, जो विद्यार्थियो के लिए नये हो उनको
पर भी लिखे ।

(v) तत्पश्चात् उस गद्यांश को स्पष्ट बोल कर लिखाए । अध्यापक की आवाज़
ऊंची हो । पढ़ने का ढंग ऐसा हो कि गद्यांश का सारा भाव समझ में आ जाए।

(vi) गद्यांश को लिखा चुकने पर, एक बार गद्यांश बोल दिया जाए कि बच्चे
ई शब्द अथवा अशुद्ध लिखे गए शब्दो को ठीक कर सकें ।

(vii) इसके उपरान्त संशोधन अथवा जाच होनी चाहिए । यदि बच्चो की संख्या
हो तो प्रत्येक बच्चे को पास बुला कर उसकी लिखाई की जाच की जाए और
ा अशुद्धिया उसके सामने शोधी जाए। यदि संख्या बडी हो, तो अध्यापक संशोधन
नम्न विधिया अपना सकता है :—

(क) विद्यार्थियो को कहे कि वे पुस्तक के साथ तुलना करें और अशुद्धियों का
धन करें।

(ख) विद्यार्थियों को कहे कि वे अपनी कापिया एक दूसरे को दें, और एक दूसरे
कापियों का संशोधन करें अध्यापक स्वय भी उन के काम की जाच करता रहे।

(ग) कापियां घर ले जाए और वहां उन का संशोधन करे । परन्तु यह विधि
सहायक नहीं । ऊपर की दो विधियां आत्मपरीक्षा और परस्पर परीक्षा मे
सहायक हैं।

(viii) बच्चों को उनकी अशुद्धिया दो चार बार ठीक तरह से लिखने के लिए आदेश
देना चाहिए।

96 लिपि संशोधन—

बच्चों की अनुलिपि, प्रतिलिपि तथा श्रुतलिपि को देख कर अध्यापक के सामने
ापि संशोधन का सब से महत्त्वपूर्ण कार्य है। संशोधन के बिना लिपि की शिक्षा अधूरी
। अध्यापक को चाहिए कि लिपि दोष के सभी कारणों की जानकारी प्राप्त करे औ
न को दूर करने के उपाय ढूंढ ले। नीचे लिपि दोष के कारण तथा दूर करने के उपा
ताए जाते हैं।

(क) लिपि दोष के कारण तथा प्रकार—

(1) देवनागरी लिपि के अधूरे ज्ञान के कारण वर्णों और मात्राओ की अशुद्धियां
जैसे—

भण्डार भी बढ़ता है। बच्चों के सामने पुस्तक पर छपे हुए अक्षरों का आदर्श रहता है। और उसका अनुकरण करने से वे भी सुन्दर छपी हुई सी अक्षर रचना करते हैं।

(iv) श्रुतलिपि या श्रुतलेख (Dictation)—इस की विधि यह है कि अध्यापक बोलता जाता है और बच्चे लिखते जाते हैं। और उस के अनन्तर अध्यापक उन की अशुद्धियों को ठीक करता है। सुनकर लिखे जाने के कारण इस का नाम 'श्रुतलिपि' पड़ा है। श्रुतलिपि एक प्राचीन प्रथा है, परन्तु आजकल बहुत से विद्यालयों में इसका बहिष्कार हुआ है। वास्तव में यह इतनी लाभदायक है कि इसका प्रयोग प्राइमरी कक्षाओं में अनिवार्य होना चाहिए।

श्रुतलिपि के लाभ—

(i) श्रुतलिपि से बच्चों की श्रवण प्रक्रिया में सावधानता आती है। बच्चे बड़ी सावधानी से सुनते हैं कि अध्यापक क्या कुछ बोलता है।

(ii) लिखने की गति बढ़ती है, क्योंकि बच्चे अध्यापक के मौखिक वाचन के साथ साथ ही उसी गति से लिखते हैं।

(iii) बच्चे वाक्यों का विभाजन सीखते हैं।

(iv) सुलेख के अतिरिक्त अक्षर-विन्यास (Spelling) की भी शिक्षा मिलती है।

(v) श्रुतलिपि द्वारा सुन्दरता, गति और स्पष्ट तीनों की एक साथ परीक्षा होती है।

(vi) सुनी हुई भाषा की बोध-परीक्षा भी साथ ही होती है। यदि बच्चे समझ न पाएँ, तो वे अशुद्ध लिखेंगे।

श्रुतलिपि का विषय—एक ऐसा गद्यांश जो समझने के लिए जो बच्चे ने पहले ही पढ़ा हुआ [illegible] न हो, दस पंक्ति [illegible]

श्रुतलिपि की [illegible]

(i) अध्यापक एक [illegible] सरल। बच्चों की [illegible]

(ii) [illegible] ठीक स्थान पर खड़ा [illegible]

(iii) वह [illegible] लिए पृथक् [illegible]

भण्डार भी बढ़ता है। बच्चे के सामने पुस्तक पर छपे हुए अक्षरों का आदर्श रहता है। और उनका अनुकरण करने से वे भी सुन्दर छपी हुई सी अक्षर रचना करते हैं।

(iv) श्रुतलिपि या श्रुतलेख (Dictation)—इस की विधि यह है कि अध्यापक बोलता जाता है और बच्चे लिखते जाते हैं। और उस के अनन्तर अध्यापक उन की अशुद्धियों को ठीक करता है। सुनकर लिखे जाने के कारण इस का नाम 'श्रुतलिपि' पड़ा है। श्रुतलिपि एक प्राचीन प्रथा है, परन्तु आजकल बहुत से विद्यालयों में इसका बहिष्कार हुआ है। वास्तव में यह इतनी लाभदायक है कि इसका प्रयोग प्राइमरी कक्षाओं में अनिवार्य होना चाहिए।

श्रुतलिपि के लाभ—

(i) *श्रुतलिपि से बच्चों की श्रवण शक्ति में सावधानता आती है।* बच्चे बड़ी सावधानी से सुनते हैं कि अध्यापक क्या कुछ बोलता है।

(ii) लिखने की गति बढ़ती है, क्योंकि बच्चे अध्यापक के मौखिक वाचन के *साथ साथ ही उसी गति से लिखते हैं।*

(iii) बच्चे वाक्यों का विभाजन सीखते हैं।

(iv) सुलेख के अतिरिक्त अक्षर-विन्यास (Spelling) की भी शिक्षा मिलती है।

(v) श्रुतलिपि द्वारा सुन्दरता, गति और स्पष्ट तीनों की एक *साथ परीक्षा होती है।*

(vi) सुनी हुई भाषा की बोध-परीक्षा भी साथ ही होती है। यदि बच्चे समझ न पाएँ, तो वे अशुद्ध लिखेंगे।

श्रुतलिपि का विषय—एक ऐसा गद्यांश जो समझने के लिए कठिन हो, अथवा जो बच्चे ने पहले ही पढ़ा हुआ हो। गद्यांश लम्बा न हो, दस *पंक्तियों से कम ही हो।*

श्रुतलिपि की विधि—

(i) अध्यापक एक अच्छे गद्यांश को चुने, जो न अधिक कठिन हो और न अधिक सरल। बच्चों की योग्यता के स्तर का हो।

(ii) अध्यापक बच्चों को अच्छी तरह से बिठाए। वह स्वयं कक्षा के सामने ठीक स्थान पर खड़ा रहे।

(iii) वह प्रत्येक विद्यार्थी की कापी, कलम, दवात का निरीक्षण करे। श्रुतलिपि के लिए पृथक् कापी होनी चाहिए।

(iv) वह फिर प्रस्तुत गद्यांश धीरे-धीरे एक बार पढ़े । पढ़ते हुए वह यति और विराम का ध्यान रखे । यदि कई ऐसे शब्द हों, जो विद्यार्थियों के लिए नये हों उनको श्यामपट पर भी लिखे ।

(v) तत्पश्चात् उस गद्यांश को स्पष्ट बोल कर लिखाए । अध्यापक की आवाज पर्याप्त ऊंची हो । पढ़ने का ढंग ऐसा हो कि गद्यांश का सारा भाव समझ में आ जाए ।

(vi) गद्यांश को लिखा चुकने पर, एक बार गद्यांश बोल दिया जाए कि बच्चे छूट गए शब्द अथवा अशुद्ध लिखे गए शब्दों को ठीक कर सकें ।

(vii) इसके उपरान्त संशोधन अथवा जांच होनी चाहिए । यदि बच्चों की संख्या थोड़ी हो तो प्रत्येक बच्चे को पास बुला कर उसकी लिखाई की जांच की जाए और उसकी अशुद्धियां उसके सामने शोधी जाएं । यदि संख्या बड़ी हो, तो अध्यापक संशोधन की निम्न विधियां अपना सकता है —

(क) विद्यार्थियों को कहे कि वे पुस्तक के साथ तुलना करें और अशुद्धियों का संशोधन करें ।

(ख) विद्यार्थियों को कहे कि वे अपनी कापियां एक दूसरे को दें, और एक दूसरे की कापियों का संशोधन करें अध्यापक स्वयं भी उन के काम की जांच करता रहे ।

(ग) कापियां घर ले जाए और वहां उन का संशोधन करे । परन्तु यह विधि लाभदायक नहीं । ऊपर की दो विधियां आत्मपरीक्षा और परस्पर परीक्षा में लाभदायक हैं ।

(viii) बच्चों को उनकी अशुद्धियां दो चार बार ठीक तरह से लिखने के लिए आदेश भी देना चाहिए ।

§ 96 लिपि संशोधन—

बच्चों की अनुलिपि, प्रतिलिपि तथा श्रुतलिपि को देख कर अध्यापक के सामने लिपि संशोधन का सब से महत्त्वपूर्ण कार्य है । संशोधन के बिना लिपि की शिक्षा अधूरी है । अध्यापक को चाहिए कि लिपि दोष के सभी कारणों की जानकारी प्राप्त करे और उन को दूर करने के उपाय ढूंढ ले । नीचे लिपि दोष के कारण तथा दूर करने के उपाय बताए जाते हैं ।

(क) लिपि दोष के कारण तथा प्रकार—

(1) देवनागरी लिपि के अधूरे ज्ञान के कारण वर्णों और मात्राओं की अशुद्धियां, जैसे—

(iii) अक्षर सानुपात हों।

(iv) कागज के चारों ओर स्थान छूटा हो।

(v) शब्दों और पंक्तियों के बीच उचित अन्तर हो।

(vi) अक्षर छपे हुए वर्णों के समान हों।

(vii) लिखावट में गति और प्रवाह हो।

(viii) अक्षर सीधे खड़े लिखे हों, टेढ़े-मेढ़े न होने पाएं। कई बच्चे इस प्रकार लिखते हैं कि वर्णों का झुकाव बाईं ओर रहता है, ऐसा ठीक नहीं।

§ 97. (घ) चतुर्थ अवस्था अभ्यास तथा आदर्श लिपि—

उच्च कक्षाओं में लिपि की शिक्षा की आवश्यकता नहीं, परन्तु फिर भी अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :—

(i) विद्यार्थी लिखने में अभ्यस्त हों। गुण (Quality) और परिणाम (Quantity) दोनों की दृष्टि से वे लिखने में प्रवीण हों, वे गति और प्रवाह के साथ लिख सकते हों।

(ii) विद्यार्थियों की लिखाई में अशुद्धियां न आवें। लिखाई दोष रहित, सुन्दर और आकर्षक हो।

(iii) विद्यार्थी कापी पर ही नहीं वरन् श्यामपट पर मोटे और सुडौल अक्षर लिख सकें। शीर्षक, विज्ञापन, चित्र आदि लिखने के लिए वे कलात्मक शैली में अक्षर रचना कर सकें।

§ 98 लिपि की शिक्षा के सम्बन्ध में शंकाएं—

लिपि की शिक्षा के सम्बन्ध में शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग द्वारा इन शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है। प्रत्येक विषय में उनकी सम्मति नीचे दी जाती है।

(1) लिपि की सामान्य शैली होनी चाहिए या व्यक्तिगत—प्रथम पांच श्रेणियों में सभी छात्रों को सामान्य शैली की शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद जब उनके हाथ लिखने में सुधर जाएँ, तो उनको अपनी शैली बनाने की अनुमति देनी चाहिए।

(2) रेखाएँ लम्बीय (vertical) हों या तिर्छी—हिन्दी वर्ण-माला में लम्बीय रेखाओं पर ही बल डालना चाहिए। 'म' को टेढ़ा लिखने से कोई लाभ नहीं। पुस्तक की जैसी लिपि लिखने में ही आकर्षण है।

(3) कलम से लिखना चाहिए या फाउंटेन पेन से—आरम्भिक 5 या 6 कक्षाओं में फाउन्टेन पेन से लिखने की आदत नहीं होनी चाहिए। सरकण्डे के कलम से आरम्भ करना और फिर होल्डर से लिखना ठीक है।

(4) बायें हाथ से लिखना चाहिए या बायें हाथ से—दायां हाथ से लि सुविधाजनक है। परन्तु जिन बालकों को बाएं हाथ से लिखने में सुविधा होती है, उ ऐसा करने से रोकना नहीं चाहिए।

§ 99. लिपि शिक्षण की व्यवस्था—

लिपि-शिक्षण की चारों अवस्थाओं का वर्णन हो चुका। अब इसकी व्यवस्था सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बातें दी जाती हैं।

(1) लिपि की शिक्षा घर और विद्यालय दोनों स्तरों पर होनी चाहिए। विद्या मे अध्यापक शिक्षा दे और घर के लिए अभ्यास के निमित्त काम दे। प्रथम और दूस श्रेणी के बच्चों को घर पर तख्ती लिखने के लिए कहना चाहिए।

(2) अक्षर-रचना का आरम्भ छटे वर्ष में होना चाहिए। इस से पहले बच्चों व उंगलियां अक्षर लिखने के लिए तैयार नहीं होतीं। छोटी अवस्था में लिखने पर ज़ो देने से बच्चों की उंगलियां तथा स्नायु दुर्बल हो जाते हैं, और परिणामत. भविष्य में उन का सुलेख बिगड़ता है। 11 वर्ष के बालक की अक्षर रचना स्पष्ट और सुन्द होनी चाहिए।

(3) स्कूल के कार्य-क्रम में प्रतिदिन कम से कम एक घण्टा सुलेख के लिए निश्चि करना चाहिए। 30 मिनट की दो घण्टियां क्रमशः अवकाश से पहले और अवकाश बाद इसके लिए रखनी चाहिए।

(4) लिखने से पहले पढ़ाने का कार्य-क्रम आरम्भ करना चाहिए।

(5) बच्चों की लिखाई की अच्छी प्रकार जाँच करनी चाहिए।

(6) प्रत्येक बच्चे की विभिन्न अवस्थाओं के सुलेख का ध्यान रखना चाहिए। इ प्रकार हर एक विद्यार्थी के विकास क्रम पर एक विहगम दृष्टि डालने से पता चलता है कि उसने लिखाई में कितनी प्रगति की है।

(7) प्रत्येक छात्र की लिखाई के दोषों की पूरी जांच करनी चाहिए। दोषों का निदान करके, उचित सहायता देनी चाहिए।

(8) निरन्तर अभ्यास को प्रोत्साहन देना चाहिए।

(9) विद्यालय के कार्य में ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न करनी चाहिएं, जिन में लिखने की आवश्यकता पड़े।

(10) सुलेख विकास माप (Handwriting Scale) के अनुसार जाँच करनी चाहिए।

सुन्दर लिपि के गुण :

(i) लिपि सुपाठ्य (Legible) होनी चाहिए घसीट लिपि किसी प्रकार भी बढ़ाई नहीं जाये।

(ii) अक्षर सानुपात होने चाहिए। यदि एक अक्षर छोटा हो और दूसरा बड़ा, तो विषम अनुपात के कारण लिपि भद्दी हो जाती है।

(iii) एक ही अक्षर के विभिन्न अंगो का भी अनुपात होना चाहिए। इसी लिए छोटे बच्चों को चार पंक्तियों वाली कापी पर लिखने का आदेश देना चाहिए।

(iv) अक्षरों का माप या परिमाण उपयुक्त होना चाहिए। श्यामपट पर बड़े अक्षर हों, परन्तु कापी पर छोटा साइज होना चाहिए।

(v) अक्षरों का झुकाव (Slant) उपयुक्त होना चाहिए। कई छात्र ऊपर से नीचे की ओर झुकाव न रखकर बहुत अधिक बाईं ओर या बहुत अधिक दाईं ओर का झुकाव रखते हैं वैसे यह ऊपर से नीचे लम्बीय (Vertical) झुकाव ठीक है परन्तु थोड़े से दाईं या बाईं झुकाव मे आपत्ति नहीं। झुकाव अधिक नहीं होना चाहिए। और जैसा भी झुकाव रखा जाए सभी अक्षरों का एक समान हो।

(vi) अक्षरों की दिशा भी उपयुक्त होनी चाहिए। किसी भी अक्षर के कई भाग होते हैं। जब अक्षर लिखना आरम्भ करते हैं, तो किसी सिरे से आरम्भ कर के किसी दिशा में कलम चलाते हैं। ई की ऊपर की रेफ की दो दिशाएं है—ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ज की भी दो दिशाएं हैं, बाईं से दाईं या दाईं से बाईं। ऐसी ही न की या च की। ऐसे ही निम्न अक्षरों की विभिन्न दिशाएं नोट करें:—ई, क, थ, व, न, प, स। दिशा ऐसी अपनानी चाहिए कि लिखने मे सुविधा हो।

(vii) अक्षरों का प्रत्येक अंग स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। प्र को यदि प जैसा लिखें, तो अशुद्धि होगी।

(viii) समान आकार वाले अक्षरों को इस ढंग से लिखना चाहिए कि पढ़ने में गलती न हो। अतः निम्न अक्षरों को स्पष्ट रूप से लिखें—

भ और म, घ और ध, ख और र व, फ और फ, य और भ, य और थ।

(ix) अक्षरों की समानता छपे वर्णों से होनी चाहिए। लिखाई में छपे वर्णों से बहुत दूर नहीं जाना चाहिए।

(x) अक्षरों के बीच अन्तर बराबर-बराबर और ठीक होना चाहिए।

(xi) इसी प्रकार शब्दों के बीच का अन्तर बराबर हो।

(xii) ऐसे ही पंक्तियों के बीच का अन्तर पूरा और बराबर

(xiii) दो अनुच्छेदों के बीच में भी कुछ स्थान रिक्त छोड़ना चाहिए।

(xiv) पंक्तियां सीधी हों, अर्थात इन के सीधेपन (alignment) पर ध्यान देना ए। कई छात्र बाईं ओर से पंक्ति आरम्भ करते हुए, दाईं ओर बहुत नीचे चले हैं।

(xv) लिखते समय अनुच्छेद या लिखित पंक्तियों के चारों ओर हाशिया ırgin) छोड़ना चाहिए।

xvı) शब्द-रचना या पंक्ति रचना में प्रवाह (flow) होना चाहिए। इस के त्त यदि ऊपर की शिरो रेखा छोड़ी भी जाए तो कोई भी आपत्ति नहीं।

(xvii) लिखने की गति (Speed) उपयुक्त होनी चाहिए। प्रायः एक मिनट में 30 लिखे जा सकते हैं। यदि इस से कम शब्द लिखे जाएं तो लिखने का अभ्यास ाना चाहिए और गति बढ़ानी चाहिए।

xvııı) अक्षरों का सुडौलपन, लालित्य और समान माप लिपि को सुन्दर और पक बनाता है।

ɪx) देवनागरी मात्राओं और अक्षरों के रूपों का शुद्ध प्रयोग करना चाहिए। के बदले अंक लिखना अशुद्ध है। इसी प्रकार स्वर्गीय के बदले स्वर्गीय। अक्षर-का प्रयोग आवश्यक होना चाहिए।

:x) प्रत्येक छात्र लिखने की अपनी स्वतन्त्र शैली का विकास करे। प्रारम्भिक :ओं में केवल अभ्यास ही होगा, परन्तु माध्यमिक कक्षाओं में स्वतन्त्र लिपि शैली विकास हो सकता है।

लिपि शिक्षण की वर्तमान अवस्था

प्रायः विद्यालयों में लिखाई पर जोर नहीं दिया जाता है जिसके फल स्वरूप ो की लिपि में मुख्य दोष पाए जाते हैं। लिपि सुन्दर और आकर्षक नहीं। बहुधा ें अस्पष्ट होती है। स्पष्ट लिपि की गति मन्द है। लिखाई में प्रवाह नहीं। असुन्दर : अस्पष्ट लिखाई के कारण भी कई छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं।

इस प्रकार की वर्तमान अवस्था के कई कारण हैं। (i) प्रथम, अध्यापकों का न और आलस्य ठीक लिखाई में बाधक है। शिक्षक परिश्रम नहीं करना चाहते।) दूसरी बात यह है कि अधिकतम विद्यालयों में लेखन सामग्री का अभाव है। कई लों में छात्रों के पास तख्ती भी नहीं होती। (iii) इसके अतिरिक्त छात्रों को उचित से बैठने, कलम पकड़ने और लिखने की मुद्रा के सम्बन्ध में कोई शिक्षा नहीं दी ती। कई विद्यालयों में लिखने के लिए उचित वातावरण नहीं। न तो समय-सारिणी

में लिखाई के लिए उचित समय निश्चित किया जाता है, न ही कक्षा मे सम किया जाता है, और न ही बैठने के लिए स्थान होता है। (v) शिक्षक लिपि सिखाने के उचित विधियों से अनभिज्ञ हैं।

वर्तमान अवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न उपाय लाने चाहिए।

(1) उचित लेखन सामग्री (जैसे चाक, रंग, रेत, कैंची, पेन्सिल, आदि) का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए।

(2) प्रारम्भ में तख्ती और कलम का प्रयोग करवाना चाहिए। प्राइमरी कक्षाओं में कलम और होल्डर का प्रयोग हो पेन का नहीं।

(3) लेखन मुद्रा पर ध्यान देना चाहिए।

(4) विद्यालय में लिखने के लिए ठीक वातावरण उपस्थित करना चाहिए। लिखने के लिए उचित आसन हो। स्याही का तथा तख्ती धोने का प्रबन्ध हो। समय सारिणी मे न्यूनतम घन्टियो की व्यवस्था हो।

(5) शिक्षक उचित शिक्षण विधियो का प्रयोग करें जैसे सश्लेषण विधि, कलम चलाने की विधि, चित्र विधि और खेल-विधि।

(6) सुलेख की विधियो का प्रयोग करवाना चाहिए।

(7) लिपि का समय पर सशोधन होना चाहिए।

(8) कालांतर में, या समय समय पर सुलेख का मूल्याकन करना चाहिए। सुलेख विकास माप (hardworking scale) का प्रयोग करना चाहिए।

अभ्यासात्मक प्रश्न

1. पहली श्रेणी को लिखाई सिखाने के लिए आप किस विधि का अनुसरण करेंगे? [§ 92, § 93]

2. लिपि की शिक्षा में श्रुतलिपि का महत्व है। श्रुतलिपि के एक पाठ का ब्योरा दीजिए। [§ 95]

3. बच्चों की लिखाई मे आप कौन कौन सी अशुद्धिया और दोष पाते हैं? उन को दूर करने के लिए आप कौन से उपाए काम मे लायेंगे? [§ 96]

4. लिखाई के सम्बन्ध मे आज कल क्या परिस्थितिया हैं? आप बच्चो की लिखाई के वर्त्तमान स्तर से संतुष्ट हैं? यदि नही तो सुधार के सुझाव दीजिए।

5. निम्न पर नोट लिखें :—

सश्लेषण विधि, श्रुतिलेख, सुलेख विकास माप, प्रतिलिपि, लिखाई के आवश्यक गुण।

6. जो बच्चे गुजराती, बंगला या गुरमुखी लिपि पढ़ने सीखते हैं उनको तीसरी श्रेणी में देवनागरी सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय ठीक है ?

(क) भिन्न लिपि का प्रयोग किया जाए

(ख) तुलना ,, ,, ,, ,, ,,

(ग) संश्लेषण ,, ,, ,, ,, ,,

7. लिपि की सुन्दरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय ठीक है ?

(क) रेखायें तिरछी खिंचवाई जाएं ।

(ख) तख्ती का प्रयोग प्रारम्भिक श्रेणियों में अनिवार्य किया जाए ।

(ग) निरंतर अभ्यास करवाया जाए ।

8. लिपि सिखाने के कार्यक्रम के सभी अंग नीचे किसी क्रम में लिखे गए हैं, उस क्रम को ठीक करो—

रेत पर अंगुली फेरना, रंगीन पैन्सिल से लिखना, श्रुतलिपि, लकड़ी के टुकड़ों के अक्षर बनाना, प्रतिलिपि, तख्ती पर अध्यापक द्वारा लिखे अक्षरों पर कलम चलाना, अनुलिपि, अक्षरों के वर्ग सीखना, शब्द रचना ।

सहायक पुस्तकें

1. **Grey, W. S.** — *Teaching of Reading and Writing.*
2. **Unesco** — *Teaching of the Handwriting.*
3. **Fleming, C. M** — *Research and the Basic curriculum.*
4. **Wittard F. Tidyman** — *Teaching and the Language Arts Ch. 1*
5. **Ballard** — *New Examinar.*
6. **Ryburn** — *Suggestions for the teaching Mother tongue p 195—198*
7. **Chatterjee, N C.** — *Handwriting Scale, for middle and High Classes, (Patna Training College)*

(1) मात्राओं की अशुद्धियां—

शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध
रुपये	रूपये	रूप	रुप
उंगली	अुंगली	एक	अक

(2) रेफ की अशुद्धियां—

खर्चा	खंचा	निर्दोष	निदोंष
स्वर्गीय	स्वंगीय	निर्माण	निमाण
विद्यार्थी	विर्द्यार्थी	वार्षिक	वांषिक

(3) संयुक्त र—

मित्र	मितर	मन्त्री	मन्तरी
प्रताप	परताप	प्रधान	परधान

(4) संयुक्त अक्षर

शक्ति	शकति	रक्षा	रख्या
शुद्ध	शुध	उद्योग	उदयोग
विद्या	विदया	विद्वान्	विदवान
आश्रय	आशरय	श्वास	शवास
तुम्हारा	तुमहारा	ज्ञान	ग्यान
आज्ञाकारी	आग्याकारी		

(5) अनुनासिक और अनुस्वार—

अंक अङ्क	अन्क	जगल जङ्गल	जन्गल
पाच पाञ्च	पान्च	झण्डा झडा	झन्डा
तुम्हारा	तुंहारा	कुंवारी	कुम्वारी
संसद	सँसद	अहिसा	अहिन्सा

(6) इ और ई, उ और ऊ, ए और ऐ का भ्रम—

चिकित्सा	चिकीत्सा	लिपि	लिपी
दिवाली	दीवाली	विद्यार्थी	विद्यार्थि
हिन्दी	हिन्दि	शान्ति	शान्ती
प्रकृति	प्रकृती	कवि	कवी
उन्नति	उन्नती	परिचय	परीच
नदियाँ	नदीयां	ईश्वर	इश्वर

(11) अल्प-प्राण और महाप्राण का भ्रम—

शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध
घबराना	गवराना	झोंपड़ी	जोपड़ी
घोषणा	गोषणा	भारत	बारत
ध्यान	द्यान	अध्यापक	अद्यापक
भाषा	बाशा	धर्म	दरम
बुढ़ापा	बुडापा	घमण्ड	गमण्ड

(12) उर्दू का प्रभाव—

ज्यों-ज्यों	जूं-जूं	झेलना	भेलना
दीया	दिया	प्रताप	परताप
पहुँचना	पोंचना	शूद्र	शूदर
भूख	भूक	क्योंकि	क्यू के
मूर्ति	मूरती	अघोरा	अघोरा
हिमालय	हिमालिया	ऋतु	रुत
नौकरी	नोकरी	भूँचाल	भोचाल

(13) सादृश्य (Analogy)—

सीधा-सादा	सीधा-साधा	स्रष्टा	सृष्टा
निर्लोभ	निर्लोभी	श्वसुर	सुसर
नीतिमान	नीतिवान	सृष्टि	सष्टि

(14) विदेशी शब्द—

इण्ट्रैंस	अट्रंस	हैडमास्टर	हिडमास
रिटाइर	रिटायर	ड्यूटी	ड्योटी
रजिस्ट्री	रजस्टरी	प्रेसीडेंट	प्रेजीडट
ऐक्टर	एक्टर	सार्टीफिकेट	सारटीफि

§ 102. अक्षर-विन्यास की अशुद्धियाँ करने के उपाय—

(1) उच्चारण को शुद्ध करना—अक्षर-विन्यास की अशुद्धियों का सब से बड़ा कारण है अशुद्ध उच्चारण । प्राय: विद्यार्थी शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं जानते और जैसे उन शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं, वैसे अशुद्ध लिखते भी हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, ह्रस्व और दीर्घ, न और दीर्घ ण, श और ष, र और ऋ, ड और ड़ आदि वर्णों का भ्रम अशुद्ध अक्षरों के लिए भी उत्तरदायी है अत: अध्यापक का प्रथम कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों की उच्चारण की अशुद्धियां दूर करने से कितनी अक्षर विन्यास की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं।

रखने पर जोर देना चाहिए इस नोट-बुक पर वे
बार-बार उन शब्दों पर ध्यान देने से अक्षर-विन्यास

(9) साधारण अशुद्धियों का वर्गीकरण—
प्रदर्शित सभी अशुद्धियों का संग्रह करके उनका वर्ग
अशुद्धियां कौन सी है ? लिपि की अशुद्धियां कौन सी
है ? श—ष की अशुद्धियां कौन सी है इत्यादि ।
की सभी अशुद्धियों को श्यामपट पर एक साथ
वर्गों की सभी अशुद्धियों से बच सकते हैं।

(10) अक्षरों के खेल—अध्यापक खेल द्वारा
की शिक्षा में भी लागू कर सकता है । यह
अन्त्याक्षरी आदि खेलों द्वारा शुद्ध विद्यार्थी को अक्षर

(11) प्रत्येक विद्यार्थी की कठिनाई पर वैय
अक्षर विन्यास की कठिनाइयाँ भिन्न-भिन्न प्रकार
वैयक्तिक ध्यान देना चाहिए । सर्वसाधारण कठिना
वैयक्तिक कठिनाइयों को भी समझाना चाहिए ।

(12) अक्षर-विन्यास के चित्रों का प्रयोग—अ
दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए । श्यामपट पर
चाहिए । ऐसे प्रयोगों के जिन में भ्रम होने की संभावना
जैसे न और ण का प्रयोग, श और ष का प्रयोग
प्रयोग का एक चित्र नीचे उपस्थित किया जाता है।

:१८:

गद्य पा

§ 103 पाठ्य पुस्तकों में गद्य का स्थान –

भाषा शिक्षण के लिए दो प्रकार की पाठ्य पुस्तकें आवश्यक
का गम्भीर अध्ययन के लिए और दूसरी द्रुतपाठ या शीघ्र अध्ययन
(Intensive Reading) और द्रुतपाठ (Extensive R
दूसरे के पूरक हैं।

द्रुतपाठ के लिए जो सहायक पुस्तकें (Rapid Read
lementary Readers) पढ़ाई जाती हैं उनका विवरण आगे
में होगा, यहाँ हमारा सम्बन्ध सूक्ष्म पाठ की पाठ्य पुस्तकों के
पुस्तकों में भी तीन प्रकार के पाठ होते हैं गद्य, पद्य और नाटक।
कहानी, निबन्ध, जीवनी, यात्रा वर्णन, पत्र, आलोचना आदि, विवि
निम्न तालिका से यह स्पष्ट होगा।

तालिका 6

प्रस्तुत प्रकरण में हम सूक्ष्म गद्य पाठ की शिक्षा पर विचार करें

अतः आदर्श पाठ से ही प्रस्तुत गद्यांश का प्रथम परिचय प्राप्त करते हैं और इस प्रकार स्वयं वाचन करने से झिझकते नहीं ।

(ख) आदर्श वाचन के उपरान्त विद्यार्थियों की उच्चारण आदि की अधिक अशुद्धियां करने की सम्भावना नहीं रहती ।

(ग) विद्यार्थी आदर्श वाचन का ही अनुकरण करते हुए उच्चारण, स्वर, लय, गति यति आदि सीख सकते हैं । जिस प्रवाह के साथ अध्यापक बोलता है, उसी उत्साह के साथ बोलने का प्रयास करेंगे ।

आदर्श पाठ देने से पहले अध्यापक को गद्यांश के वाचन की पूरी तैयारी करनी चाहिए, ताकि वह स्वयं कोई गलती न करे ।

(ii) विद्यार्थियों द्वारा सस्वर पाठ—आदर्श वाचन के उपरान्त अध्यापक को विद्यार्थियों से वाचन करवाना चाहिए । उसके लिए एक विद्यार्थी से ही वाचन करवाना काफी नहीं, चार पांच विद्यार्थियों से एक-एक करके अर्थात व्यक्तिगत रूप में (Individually) वाचन करवाना चाहिए । प्रत्येक विद्यार्थी जहाँ-जहां अशुद्ध बोले, वहां अन्य विद्यार्थियों से अथवा स्वयं उसे ठीक करवाना चाहिए । अध्यापक का ध्यान छात्रों के उच्चारण, स्वर, बल, लय, गति, प्रवाह आदि पर रहना चाहिए । वाचन में उच्चारण आदि विवरण पीछे वाचन के प्रकरण में दिया गया है ।

विद्यार्थियों का सस्वर पाठ दो प्रकार का हो सकता है—व्यक्तिगत और सामूहिक पहली या दूसरी श्रेणी के लिए विद्यार्थियों का सम्मिलित पाठ भी उच्चारण आदि को शुद्ध करने में सहायक रहता है । पद्य में तो सामूहिक पाठ कविता से रसास्वादन के लिए भी होता है ।

(iii) विद्यार्थियों द्वारा मौन पाठ—तीसरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक मौन पाठ की आवश्यकता इस लिए रहती है कि विद्यार्थी मन में पढ़ते हुए भी विचार ग्रहण कर सकें । परन्तु मौन पाठ कब कराया जाए, इस विषय पर भिन्न-भिन्न मत हैं । कई अध्यापक आदर्श पाठ से पहले मौन पाठ कराने के पक्ष में हैं । कई अध्यापक सस्वर पाठ के तुरन्त बाद मौन पाठ कराना चाहते हैं । दोनों में कुछ त्रुटियां रहती हैं ।

आदर्श पाठ से पहले मौन पाठ कराने में यह त्रुटि रहती है कि गद्यांश पाठकों के लिए नया होता है, और वे नये पाठ का मौन वाचन करने के लिए तैयार नहीं होते ।

सस्वर पाठ के तुरन्त बाद मौन वाचन कराने में यह त्रुटि है कि पाठक कठिन शब्दों तथा गुम्फित वाक्यों के अर्थों से परिचित नहीं, अतः वे पढ़ते हुए भी विचार ग्रहण नहीं कर सकते । वाचन में केवल पढ़ना ही नहीं विचार ग्रहण करना भी सम्मिलित है । जब तक गद्यांश की व्याख्या नहीं होती, तब तक मौन पाठ अधूरा रहेगा । वास्तव में व्याख्या के बाद ही मौन पाठ के लिए उपयुक्त अवसर है । उस

पाठ्य-विषय	उद्देश्य
1. कहानी—	1. कहानी का ज्ञान होना ।
	2. वर्णन शैली से परिचित होना ।
	3. कल्पना शक्ति को जागृति करना ।
	4. नैतिक कहानियों द्वारा चरित्र-निर्माण ।
2. जीवनी—	1 चरित्र-निर्माण, जीवन के आदर्शों का ज्ञान—
	2. महापुरुषों की जीवनी का ज्ञान होना ।
3. वर्णन तथा यात्रा—	1. प्रकृति प्रेम उत्पन्न करना ।
	2 वर्णन शैली का ज्ञान ।
	3 कल्पना शक्ति का विकास ।
4. वैज्ञानिक लेख—	1. विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना ।
	2. ज्ञान वृद्धि ।
	3. उत्सुकता बढाना ।
5 सामाजिक लेख—	1 समाज का ज्ञान देना ।
	2 अच्छा नागरिक बनाना ।
6 विचारात्मक—	1 बुद्धि का विकास ।
तथा अलोचनात्मक लेख—	2. अलोचनात्मक प्रवृत्ति ।
	3. विचारो को व्यक्त करने की शैली का ज्ञान

गद्य शिक्षा के अंग—

गद्य की शिक्षा के तीन अंग हैं :—

1 वाचन (Reading)
2. व्याख्या (Explanation)
3. विचार-विश्लेषण (Analysis of thoughts)

§ 105. वाचन—

किसी भी गद्यांश का पहले वाचन कराया जाता है । वाचन के नि सोपान हैं ।

(i) अध्यापक द्वारा आदर्श पाठ (Model Reading)

अध्यापक को शुद्ध उच्चारण के साथ गद्यांश का सस्वर वाचन करना चाहि और इस प्रकार विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा आदर्श उपस्थित करना चाहिए, जिस विद्यार्थी अनुकरण करें ।

आदर्श पाठ के निम्न लाभ हैं—

(क) आदर्श पाठ के बिना सारा गद्यांश विद्यार्थियों के लिए अपरिचित रहता है

अत: आदर्श पाठ से ही प्रस्तु। गद्यांश का प्रथम परिचय प्राप्त करते हैं और इस प्रकार स्वयं वाचन करने से झिझकते नहीं।

(ख) आदर्श वाचन के उपरान्त विद्यार्थियों की उच्चारण आदि की अधिक अशुद्धियां करने की सम्भावना नहीं रहती।

(ग) विद्यार्थी आदर्श वाचन का ही अनुकरण करते हुए उच्चारण, स्वर, लय, गति यति आदि सीख सकते हैं। जिस प्रवाह के साथ अध्यापक बोलता है, उसी उत्साह के साथ बोलने का प्रयास करेंगे।

आदर्श पाठ देने से पहले अध्यापक को गद्यांश के वाचन की पूरी तैयारी करनी चाहिए, ताकि वह स्वयं कोई गलती न करे।

(ii) **विद्यार्थियों द्वारा सस्वर पाठ**—आदर्श वाचन के उपरान्त अध्यापक को विद्यार्थियों से वाचन करवाना चाहिए। उसके लिए एक विद्यार्थी से ही वाचन करवाना काफी नहीं, चार पांच विद्यार्थियों से एक-एक करके अर्थात् व्यक्तिगत रूप में (Individually) वाचन करवाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी जहां-जहां अशुद्ध बोले, वहां अन्य विद्यार्थियों से अथवा स्वयं उसे ठीक करवाना चाहिए। अध्यापक का ध्यान छात्रों के उच्चारण, स्वर, बल, लय, गति, प्रवाह आदि पर रहना चाहिए। वाचन में उच्चारण आदि विवरण पीछे वाचन के प्रकरण में दिया गया है।

विद्यार्थियों का सस्वर पाठ दो प्रकार का हो सकता है—व्यक्तिगत और सामूहिक पहली या दूसरी श्रेणी के लिए विद्यार्थियों का सम्मिलित पाठ भी उच्चारण आदि को शुद्ध करने में सहायक रहता है। पद्य में तो सामूहिक पाठ कविता से रसास्वादन के लिए भी होता है।

(iii) **विद्यार्थियों द्वारा मौन पाठ**—तीसरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक मौन पाठ की आवश्यकता इस लिए रहती है कि विद्यार्थी मन में पढ़ते हुए भी विचार ग्रहण कर सकें। परन्तु मौन पाठ कब कराया जाए, इस विषय पर भिन्न-भिन्न मत हैं। कई अध्यापक आदर्श पाठ से पहले मौन पाठ कराने के पक्ष में हैं। कई अध्यापक सस्वर पाठ के तुरन्त बाद मौन पाठ कराना चाहते हैं। दोनों में कुछ त्रुटियां रहती हैं।

आदर्श पाठ से पहले मौन पाठ कराने में यह त्रुटि रहती है कि गद्यांश पाठकों के लिए नया होता है, और वे नये पाठ का मौन वाचन करने के लिए तैयार नहीं होते।

सस्वर पाठ के तुरन्त बाद मौन वाचन कराने में यह त्रुटि है कि पाठक कठिन शब्दों तथा गुम्फित वाक्यों के अर्थों से परिचित नहीं, अत. वे पढ़ते हुए भी विचार ग्रहण नहीं कर सकते। वाचन में केवल पढ़ना ही नहीं विचार ग्रहण करना भी सम्मिलित है। जब तक गद्यांश की व्यस्था नहीं होती, तब [illegible] पाठ अधूरा रहेगा। वास्तव में व्याख्या के बाद ही मौन पाठ के लिए [illegible] है। उस

पाठ्य-विषय	उद्देश्य
1. कहानी—	1. कहानी का ज्ञान होना ।
	2. वर्णन शैली से परिचित होना ।
	3 कल्पना शक्ति को जागृति करना ।
	4. नैतिक कहानियों द्वारा चरित्र-निर्माण ।
2 जीवनी—	1. चरित्र-निर्माण, जीवन के आदर्शों का ज्ञान—
	2. महापुरुषों की जीवनी का ज्ञान होना ।
3. वर्णन तथा यात्रा—	1. प्रकृति प्रेम उत्पन्न करना ।
	2. वर्णन शैली का ज्ञान ।
	3. कल्पना शक्ति का विकास ।
4. वैज्ञानिक लेख—	1. विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना ।
	2. ज्ञान वृद्धि ।
	3 उत्सुकता बढ़ाना ।
5 सामाजिक लेख—	1. समाज का ज्ञान देना ।
	2. अच्छा नागरिक बनाना ।
6. विचारात्मक—	1. बुद्धि का विकास ।
तथा अलोचनात्मक लेख—	2. अलोचनात्मक प्रवृत्ति ।
	3. विचारों को व्यक्त करने की शैली का ज्ञान ।

गद्य शिक्षा के अंग—

गद्य की शिक्षा के तीन अंग हैं :—

1 वाचन (Reading)

2. व्याख्या (Explanation)

3. विचार-विश्लेषण (Analysis of thoughts)

§ 105 वाचन—

किसी भी गद्यांश का पहले वाचन कराया जाता है । वाचन के निम्न सोपान हैं ।

(i) अध्यापक द्वारा आदर्श पाठ (Model Reading)

अध्यापक को शुद्ध उच्चारण के साथ गद्यांश का सस्वर वाचन करना चाहिए, और इस प्रकार विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा आदर्श उपस्थित करना चाहिए, जिसका विद्यार्थी अनुकरण करें ।

आदर्श पाठ के निम्न लाभ हैं—

(क) आदर्श पाठ के बिना सारा गद्यांश विद्यार्थियों के लिए अपरिचित रहता है ।

अनुपयोगी शब्द वे हैं, जो छात्रों की रचनाओं में काम नहीं आते, वरन् केवल वाचन के काम आते हैं। ऐसे शब्द या तो इतने उच्च स्तर के होते हैं, कि उच्च कक्षाओं में भी विद्यार्थी उनका शुद्ध प्रयोग न कर सकें, अथवा ऐसे संस्कृत तत्सम शब्द विद्यमान होते हैं, जिनके बदले हमारे पास अधिक प्रयुक्त होने वाले तद्भव शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों पर केवल इतना ध्यान दिया जाए विद्यार्थी अर्थ समझ लें और उसकी सहायता से गद्यांश का तात्पर्य जान लें। ऐसे शब्दों को वाचन शब्दावली (Reading Vocabulary) कहते हैं, क्योंकि यह केवल वाचन में काम आते हैं, रचना में नहीं ऐसे शब्दों के वाक्य प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं।

उपयोगी तथा अनुपयोगी दोनों प्रकार के शब्दों की व्याख्या करने की भिन्न-भिन्न विधियाँ हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जाता है।

(i) उद्बोधन विधि (Eliciting method)—इस विधि से, अध्यापक कठिन शब्दों का अर्थ स्वयं न बताते हुए विद्यार्थियों से ही भिन्न भिन्न साधनों से उद्बोधित (Elicit) करता है। विद्यार्थी प्रत्यक्ष, अनुमान या कल्पना से लाभ उठा कर शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए अध्यापक निम्न साधनों या उपायों से काम ले सकता है।

(अ) वस्तुओं, स्थानों, क्रियाओं तथा सामान्य व्यापारों को समझाने के लिए दृश्य साधन (प्रत्यक्ष वस्तु चित्र, रेखाकृति अथवा मानचित्र) उपस्थित करना जैसे—

पुस्तक का अर्थ समझाने के लिए पुस्तक उपस्थित करना (प्रत्यक्ष वस्तु)।

ऋषि का अर्थ समझाने के लिए किसी ऋषि का चित्र उपस्थित करना (चित्र)।

वर्ग का अर्थ समझाने के लिए वर्ग आकृति श्यामपट पर बनाना (रेखाकृति)।

संगम का अर्थ समझाने के लिए दो नदियों के मिलन का चित्र उपस्थित करना।

क्रोध का अर्थ समझाने के लिए क्रोध का अभिनय करना (अभिनय)।

भ्रू-भंग का अर्थ समझाने के लिए भौंहे तानना (अभिनय अथवा अंग संचालन)।

(आ) अमूर्त विचारों तथा व्यापारों को समझाने के लिए काल्पनिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक कहानियों अथवा घटनाओं द्वारा उदाहरण उपस्थित करना, जैसे—

सत्यवादी का अर्थ समझाने के लिए सत्यवादी हरिश्चन्द्र की कथा की ओर संकेत करना।

बलिदान का अर्थ समझाने के लिए किसी वीर पुरुष की कहानी ... बलिदान किया हो।

क्रूर का अर्थ समझाने के लिए किसी क्रूर व्यक्ति के कार्यों ... करना।

स्वार्थी का अर्थ समझाने के लिए किसी स्वार्थी बालक के ... का उदाहरण देना।

दुर्घटना का अर्थ समझाने के लिए दुर्घटना का उदाहरण देकर ... ओर संकेत करना।

(इ) विशेषणों, मुहावरों और क्रियाओं को समझाने के लिए उन्हें ... प्रयोग करना और विद्यार्थियों से उनके अर्थ पूछना, जैसे—

'निस्तब्ध' का अर्थ समझाने के लिए निम्न वाक्य प्रस्तुत ... रात है। हाथ को हाथ नहीं सूझता, सारा संसार चुप-चाप सोया ... रानी भी चुप-चाप सोई पड़ी है। ऐसी निस्तब्ध निशा में मैं सहसा ... पड़ा।'

'कलम तोड़ना' का अर्थ समझाने के लिए निम्न वाक्य ... 'रमेश ने एक सुन्दर कहानी लिखी है। वाह क्या कहना! उसने ... दी है।'

'कान भरना' का अर्थ समझाने के लिए निम्न वाक्य प्रस्तुत कर... राम के विरुद्ध दशरथ के कान भरे।'

उद्बोधन विधि प्रत्येक स्थान पर सफल नहीं हो सकती। कई शब्द ... जिनका अर्थ विद्यार्थियों से उद्बोधित नहीं किया जा सकता। जैसे निम्न ... सद्यःस्नात, किंकर्त्तव्यविमूढ़, संस्कृति, अध्याय, प्रशासन। ऐसे शब्दों का ... लिए अन्य विधियां अपनानी चाहिए। प्रायः अध्यापक ऐसे शब्द का अर्थ ... में काफी परिश्रम करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। स्मरण रहे ... विधि प्रारम्भिक कक्षाओं में ही लाभदायक है। उच्च कक्षाओं में पर्याय, ... बताने से शीघ्र काम चल जाता है और उद्बोधन विधि का द्राविड़ प्राणा... कोई आवश्यकता नहीं। अध्यापक स्वयं देख सकता है कि कौन शब्द ... उदाहरण या वाक्य प्रयोग द्वारा उद्बोधित किया जा सकता है। कोशि... ... अर्थ स्वयं बतलाने के बदले उद्बोधित किया जाए, क्योंकि ... हुआ अर्थ शीघ्र स्मरण हो जाता है।

... method)—यदि शब्द का अर्थ ... निम्न रीति में से किसी एक ...

(अ) कठिन शब्द का पर्यायवाची शब्द (Synonym) अथवा कोष में दिया हुआ अर्थ उपस्थित करना, जैसे—

नियति =भाग्य, दुन्दुभि =नगाड़ा,
जिज्ञासा =जानने की इच्छा, कौतूहल =आश्चर्य,
काष्ठ =लकड़ी, स्पर्श =छूना,
कुत्सा =निन्दा ।

(आ) कठिन शब्दों की परिभाषा देना, जैसे—

मरु-भूमि=वह भूमि-भाग जहाँ पानी न हो ।
पारस =एक पत्थर जिसके छूने से लोहा, पीतल आदि धातुएँ सोने में बदल जाती हैं । यह केवल कल्पना की वस्तु है यथार्थ नहीं ।

(इ) अर्थ का विस्तार देना, जैसे—

कलिंग का विजयी वीर=वह वीर जिसने कलिंग देश को जीता था, अर्थात् अशोक ।
आन्दोलन=बार-बार झूलना, परन्तु यहाँ तात्पर्य है जनता का सरकार के सामने अपनी कोई माग उपस्थित करना और इसके निमित्त सभाएं बुलाना, भाषण देना, प्रस्ताव पास करना, जलूस निकालना आदि ।
कोल्हू का बैल=वह बैल जो कोल्हू में काम करे, परन्तु जैसे कोल्हू का बैल दिन रात काम करता है, वैसे ही यह मुहावरा उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो दिन रात काम करे ।

(ई) मातृ-भाषा में (यदि शब्द हिन्दी से भिन्न हो), या अन्य भाषा में (जिस का छात्रों को ज्ञान हो) अनुवाद करना । जैसे—

चिकित्सालय=Hospital
परमाणु बम=Atom bomb

(iii) स्पष्टीकरण विधि (Elucidating method)—कभी शब्दों के अर्थ का निम्न विधियों से स्पष्टीकरण किया जा सकता है ।

(अ) व्युत्पत्ति बताना, जैसे—

बुद्धिमान=बुद्धि+मान=बुद्धि वाला,
श्रमजीवी=श्रम+जीवी=श्रम (मेहनत) के द्वारा जीने या गुजारा करने वाला (मजदूर),
शरणार्थी=शरण+अर्थी=शरण चाहने वाला ।
अनहोनी=अन+होनी=जो न हो सके ।

(आ) तुलना द्वारा कठिन शब्द का अन्य शब्द या चित्र

बलिदान का अर्थ समझाने के लिए किसी वीर पुरुष की कहानी बलिदान किया हो।

क्रूर का अर्थ समझाने के लिए किसी क्रूर व्यक्ति के कार्य करना।

स्वार्थी का अर्थ समझाने के लिए किसी स्वार्थी बालक के का उदाहरण देना।

दुर्घटना का अर्थ समझाने के लिए दुर्घटना का उदाहरण देन और संकेत करना।

(ह) विशेषणों, मुहावरों और क्रियाओं को समझाने के लिए उन्हें प्रयोग करना और विद्यार्थियों से उनके अर्थ पूछना, जैसे—

'निस्तब्ध' का अर्थ समझाने के लिए निम्न वाक्य प्रस्तुत रात है। हाथ को हाथ नहीं सूझता, सारा संसार चुप-चाप सोया रानी भी चुप-चाप सोई पड़ी है। ऐसी निस्तब्ध निशा में मैं सहमा पड़ा।'

'कलम तोड़ना' का अर्थ समझाने के लिए निम्न वाक्य 'रमेश ने एक सुन्दर कहानी लिखी है। वाह क्या कहना! उसने त दी है।'

'कान भरना' का अर्थ समझाने के लिए निम्न वाक्य प्रस्तुत कर राम के विरुद्ध दशरथ के कान भरे।'

उद्बोधन विधि प्रत्येक स्थान पर सफल नहीं हो सकती। कई शब्द जिनका अर्थ विद्यार्थियों से उद्बोधित नहीं किया जा सकता। जैसे निम्न सद्यःस्नात, किंकर्त्तव्यविमूढ़, संस्कृति, अध्याय, प्रशासन। ऐसे शब्दों का लिए अन्य विधियां अपनानी चाहिए। प्रायः अध्यापक ऐसे शब्द का अर्थ में काफी परिश्रम करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। स्मरण विधि प्रारम्भिक कक्षाओं में ही लाभदायक है। उच्च कक्षाओं में पर्या बताने से शीघ्र काम चल जाता है और उद्बोधन विधि का ड्राविं कोई आवश्यकता नहीं। अध्यापक स्वयं देख सकता है कि को उदाहरण या वाक्य प्रयोग द्वारा उद्बोधित किया जा सकता चाहिए कि अर्थ स्वयं बतलाने के बदले उद्बोधित किया उद्बोधित किया हुआ अर्थ शीघ्र स्मरण हो जाता है।

(ii) प्रवचन विधि (Telling method)—

तो अध्यापक को चाहिए कि निम्न रीति

"यदि हमारे मित्र को उदर-शूल रोग हो, तो उसे पीड़ा होगी और उस फलस्वरूप हमें दुःख होगा, घर वालों को कष्ट होगा। यदि वह चिकित्सा करने लिए कहीं दूर चला जाए, वहीं चोट लगने से पागल हो जाये, तो हमें व्यथा होगी उसकी मृत्यु हो जाने पर हमें शोक होगा उसकी मृत्यु के बाद जब हमें उसकी य आएगी तब वेदना होगी और उसके छोटे बच्चों को कष्ट और दुर्दशा में देख कर सत होगा।"[1]

वास्तव में देखा जाए तो दो पर्यायवाची शब्दों का अर्थ समान नहीं होता। उन अर्थ क्षेत्र (semantic range) एक दूसरे को स्पर्श करता है या आंशिक से ढक लेता है (covers), अथवा हर एक दूसरे में समा जाता है। इस स्पष्टीकरण निम्न चित्र में किया जा सकता है। कृपा, दया, करुणा और क्षमा को वृत्तों द्वारा चित्रित करें तो कृपा और दया के वृत्त बहुत अंश तक दूसरे को ढक लेंगे करुणा में दोनों समा जायेंगे। क्षमा का वृत्त करुणा के वृत्त को स्पर्श करेगा।

1—कृपा का वृत्त
2—दया का वृत्त
3—करुणा का वृत्त
4—क्षमा का वृत्त

(ड) एक वर्ग के भिन्न भिन्न शब्दों को अथवा अनेकार्थ शब्दों को वाक्यों प्रयुक्त करना और प्रत्येक वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत शब्द का अर्थ स करना, जैसे—

भार्या, दारा, गृहिणी, वधू, महिला, सहधर्मिणी का भिन्न-भिन्न वाक्यों प्रयोग करना।

प्रेम, स्नेह, भक्ति, श्रद्धा तथा प्रणय का भिन्न-भिन्न वाक्यों में प्रयोग करना अर्थ का स्पष्टीकरण करना।

अक्षर के अनेक अर्थ भिन्न-भिन्न वाक्यों द्वारा समझाना।

साधु शब्द के अनेक वाच्यार्थ, लाक्षणिक अर्थ तथा व्यंग्यार्थ भिन्न-भिन्न वाक्यों द्वारा समझाना।

---

[1] राम चन्द्र वर्मा—शब्द साधना पृष्ठ 139।

का भेद दिखाना, जैसे —

कायर = जो डरपोक हो, (वीर से तुलना कीजिए)।

दानी = जो दान देता हो, (कंजूस से तुलना कीजिए)।

वेदना = पीड़ा (संकट, शोक, विषाद तथा दुःख से तुलना कीजिए)।

अस्त्र = यन्त्र द्वारा संचालित शस्त्र, (शस्त्र का प्रयोग हाथों द्वारा होता है

अपयश = बदनामी, (कलंक, निन्दा तथा जन-अपवाद से तुलना कीजिए)।

विधि = रीति भाग्य, ईश्वर (तीनों अर्थों को वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए)।

अपेक्षा = इच्छा, (अपेक्षा से तुलना कीजिए)।

कृतघ्न = किए को न मानने वाला, (कृतज्ञ से तुलना कीजिए)।

अर्वाचीन = आजकल का, (प्राचीन से तुलना कीजिए)।

अपवाद = निन्दा, नियम भंग होना, विवाद, (प्रतिवाद तथा अनुवाद से तु कीजिए)।

पदच्युत = अपने स्थान से गिरा हुआ, (राजच्युत, धर्मच्युत, धर्मभ्रष्ट आदि श से तुलना कीजिए)।

सुरलोक = स्वर्ग-भूमि, (इहलोक, परलोक, गोलोक, पितृलोक, शब्दों से तुल कीजिए)।

पर्यायवाची शब्दों की अर्थ-ध्वनियाँ स्पष्ट करने के लिए रामचन्द्र वर्मा द्वा लिखित पुस्तक 'शब्द-साधना' में कतिपय उदाहरण नीचे दिये जाते हैं।

(1) कुशल — जो मानसिक, शारीरिक अथवा दोनों प्रकार की शक्तियों का पू उपयोग कर सके। वह व्यापार में कुशल है।'

दक्ष — जो शरीर, विशेषतः हाथ के काम में कुशल हो।

निष्णात — जो अपने कार्य के विषय का पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त कर पण्डित बने।

विशेषज्ञ — जो ज्ञान की किसी शाखा का सम्पूर्ण ज्ञान रखता हो।

(2) दया — किसी के कष्ट को कम करने की चेष्टा।

कृपा — दूसरे की सहायता करना। यहां कष्ट की बात नहीं। मित्र पर कृ करना।

सहानुभूति — दूसरे को उदास देखकर स्वयं उदास होना।

अनुग्रह — छोटे पर प्रसन्न होना।

क्षमा — अपराध दोष आदि के प्रसंग में।

करुणा — किसी भी सकटमय अवस्था को देखकर दुःखी होना।

(3) दुःख और इसके पर्यायवाची शब्दों को समझाने के लिए निम्न अनुच्छे

।

नु=शाक्यो की राजधानी, (गौतम बुद्ध का जन्म यही हुआ था)।

=उत्तरीध्रुव सागर के पास बर्फीले भू-भाग मे निवास करने वाली एक जाति।

=सूर्यवंश में दलीप राजा का पुत्र, एक राजा, जिसने गगा को पृथ्वी पर उतारा है।

ब्दो को तत्सम्बन्धी प्रसंगों द्वारा विस्तार से समझाना चाहिए।

ा की उपरोक्त विधियो मे से व्युत्पत्ति बताना सब से महत्त्वपूर्ण लम कठिन शब्द ऐसे होते हैं, जिनके अर्थों का स्पष्टीकरण व्युत्पत्ति ै। अत व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे विशेष ध्यान देने योग्य बाते नीचे दी

ों की व्युत्पत्ति—हिन्दी मे शब्दों का निर्माण तीन प्रकार से किया

ों के सयोग से, (2) प्रत्ययों के सयोग से तथा, (3) सधि और ।

मे बने शब्द—उपसर्ग तीन प्रकार के है (क) सस्कृत उपसर्ग :— प, आ, अव, उप, नि, निर्, परा, परि, प्रति, सम, सु, आदि।

उपसर्ग —जैसे अ, अन, कु, दु, बिन, भर आदि।

पसर्ग —जैसे, खुश, गैर, बद, बे, हम, हर आदि।

का अर्थ समझाना चाहिए और इनके योग से धातु या सज्ञा के अर्थ जाता है, उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए।

से बने शब्द :—शब्दो के अन्त मे आने वाले प्रत्यय भी दो प्रकार द्धित। अ, अन्, आ, नि, दा, अक, ता इ, न आदि संस्कृत के कृत

ा, ई, औनी, न, नी, रा, वट, हट, इया, आनी, आनु, इया, इत्त, दि हिन्दी कृत प्रत्यय है। इसी प्रकार ता, आयन, आ, त्व, इक, , स, इन यह सस्कृत तद्धित प्रत्यय हैं। आई, पा, पन, नी,का, टा, हिन्दी तद्धित के प्रत्यय हैं।

(3) सन्धि तथा समास द्वारा निर्मित शब्द :—जैसे रत्नाकर, गीतांजलि, महेन्द्र, पदच्युत, घुड़दौड़, अजमानर, कर-कमल, पंसेरी, दशानन आदि।

शब्द रचना को समझाने के उपरान्त कठिन शब्द के उपसर्ग, प्रत्यय धातु आदि पृथक् करने चाहिए और सन्धिच्छेद या विग्रह द्वारा संयुक्त शब्दों का विश्लेषण करना चाहिए। इस से शब्द रचना भी समझ में आती है और अर्थ का स्पष्टीकरण भी होता है।

शब्दों की व्याख्या के लिए सर्व प्रथम उद्बोधन विधि का अवलम्बन करना चाहिए, विशेषकर छोटी कक्षाओं में। इस के उपरांत प्रवचन विधि और यदि प्रवचन विधि से अर्थ स्पष्ट न हो, तो स्पष्टीकरण की उपरोक्त विधियाँ अपनानी चाहिएँ प्रत्येक कठिन शब्द के बारे में अध्यापक को निश्चित् होना चाहिए कि अर्थ बोध कराने के लिये कौन सी विधि अपनाई जाए। शब्द का अर्थ समझाने के बाद उसे आवश्यकतानुसार तथा अभ्यासार्थ वाक्यों में प्रयोग करवाना चाहिए। बहुधा दसवीं कक्षा के विद्यार्थी भी शब्दकोष का प्रयोग सिखाने के बाद विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ कोष में देखने की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी उनको आदेश देना चाहिए कि कल पढ़ाये जाने वाले अनुच्छेद के कठिन शब्द कोष में देख कर आयें।

(ख) मुहावरों आदि की व्याख्या—शब्दों की व्याख्या के बाद मुहावरों स्फु[illegible] सोक्तियों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों की व्याख्या की बारी आती है। इनकी व्याख्या के लिए निम्न विधियाँ अपनाई जा सकती है—

(i) वाक्य-प्रयोगविधि—किसी भी मुहावरे का अर्थ समझाने की सरल विधि है उसे वाक्यों में प्रयोग करना, जैसे—

आटे दाल का भाव मालूम होना—नौकरी छूटते ही रमेश को आटे-दाल [illegible] भाव मालूम हो गया (अर्थात् कठिनाई अनुभव हुई)।

बीड़ा उठाना—वह समाज सुधारक बन गया है, अब उसने सारी दुनिया [illegible] सुधारने का बीड़ा उठाया है।

(ii) आधारभूत कथा से स्पष्टीकरण करना—किसी मुहावरे का सम्बन्ध कि[illegible] प्रासंगिक घटना के साथ होता है। उसी के आधार पर वह बना भी होता है। उस प्र[illegible] को समझने से मुहावरे का आशय समझ में आता है, जैसे—

'घर का भेदी लंका ढाये' में विभीषण और रावण के परस्पर वैमनस्य की [illegible] समझाने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है।

'टेढ़ी खीर' को समझाने के लिये उस अंधे की कहानी बतानी चाहिए जिससे [illegible] गया—'खीर खाओगे ?' और उसने उत्तर दिया 'खीर कैसी होती है' ? उत्तर में (स[illegible] बताने पर उसने फिर पूछा—'सफ़ेद क्या होता है ?' उत्तर मिला, 'जैसे बगुले का [illegible]

बगुला कैसा होता है ? 'उसकी चोच टेढी होती है, जैसे यह उगली' । अन्धे ने उंगली के टटोला और कहा—यह तो टेढी खीर है । अंधे को समझाना कठिन काम होता है अत 'कठिन काम' के बदले 'टेढी खीर करते' हैं ।

(iii) लाक्षणिक अर्थ का स्पष्टीकरण करना जैसे—'मुट्ठी गरम होनी' मे गरम का जो लाक्षणिक अर्थ है, वह स्पष्ट करना चाहिए । इसी प्रकार 'काँटा दूर होना' मे काँटा 'चोला बदलना' मे 'चोला' 'नाक काटना' मे 'नाक', 'पगडी उछालना' मे 'पगडी' आदि वाच्य से भिन्न लाक्षणिक अर्थ रखते हैं । जिसके स्पष्टीकरण से वह मुहावरा समझ मे आ सकता है ।

लोकोक्तियो को समझाने के लिए भी ऊपर की विधियां काम मे लाई जा सकती हैं । *लोकोक्ति को रोचक बनाने के लिए उस का रूपांतर मातृ-भाषा मे* (यदि हिन्दी से भिन्न हो) अथवा अंग्रेजी भाषा मे भी (यदि छात्र समझ सकते हो), करना चाहिए । जैसे— जिसकी लाठी उसकी भैंस का अंग्रेजी मे अनुवाद 'Might is Right' है ।

सूक्तियों का भी पहले शब्दार्थ और फिर सारे का अर्थ समझाना चाहिए । इस के अतिरिक्त यह भी बताना चाहिए कि सूक्ति का रचने वाला कौन था (यदि कोई कवि हो), तब उसकी पृष्ट-भूमि क्या है कबीर की यह सूक्ति लीजिए—'माला फेरत जुग गया, फिरा ना मन का फेर' इसका शब्दार्थ कबीर का संक्षिप्त परिचय और ढोंगी साधुओ पर कबीर का कटाक्ष समझाना चाहिए ।

(ग) **वाक्यों की व्याख्या**—वाक्यो की व्याख्या मे निम्न बातें सम्मिलित हैं—

(i) मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण करके, प्रत्येक वाक्य खण्ड का अर्थ समझाना और तत्पश्चात् समस्त वाक्य का सम्पूर्ण अर्थ समझाना इसके लिए वाक्य-विच्छेद की विधि अत्यन्त लाभदायक है । लम्बे-लम्बे वाक्यो से कभी अन्वय ढूंढने की भी आवश्यकता पड़ती है । उद्देश्य और विधेय कभी अपने क्रम मे नहीं होते हैं ।

(ii) वाक्यों मे आए हुए ऐतिहासिक, पौराणिक, और राजनीतिक प्रसंगों की व्याख्या करना ।

(iii) अलंकारों का समझाना ।

(iv) कवि-समय या साहित्यिक रूढ़ियों की व्याख्या करना, जैसे—

मयूर केवल वर्षा ऋतु मे नृत्य करता है और तब श्याम मेघों को देख कर [illegible] [illegible] है । हंस दूध और पानी को पृथक् कर सकता है । चन्द्रमा के गुण पर [illegible] है, [illegible] कोई भर मारा है ।

[illegible] भिन्न भिन्न शैलियों को समझाना । कोई मुहावरे प्रधान [illegible] है, कोई समस्त और क्लिष्ट शैली है, कोई भावनात्मक [illegible] ।

107. विचार विश्लेषण—

वाचक और अर्थ निश्चय के बाद विचार-विश्लेषण होना चाहिये। वाचन और व्याख्या विचार ग्रहण के ही सोपान हैं। किसी भी पाठ के दो प्रधान उद्देश्य हैं। भाषा के ज्ञान में वृद्धि होना और विचार ग्रहण करना। प्रथम उद्देश्य वाचन और व्याख्या से पूर्ण हो जाता है। दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी अध्यापक को उतना परिश्रम करने की आवश्यकता रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार के पाठों में भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार होते हैं। कहानी के पाठ में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि इस में केवल कहानी याद रखनी है। जीवनी में भी ऐसा ही है। विवादात्मक निबन्धों के विचारों का सकलन करने के लिये भिन्न उपाय काम में लाये जा सकते हैं।

(अ) विचारों का क्रमबद्ध सकलन—

एक गद्यांश में जो विचार आते हों उनका अपने क्रम से सग्रह करना। और इस प्रकार समस्त पाठ के विचारों की शृ खला निर्मित करना।

(आ) दृष्टांत तथा उदाहरण द्वारा जटिल विचारों का स्पष्टीकरण करना। इस के निमित्त भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसगों तथा तत्सम्बन्धी वार्ताओं का भी उल्लेख किया जा सकता है।

(इ) लेख में आये हुए विचारों का छात्रों के आत्मानुभव में सम्बन्ध जोड़ना नये विचारों का पूर्व विचारों तथा निजी अनुभवों के साथ सम्बन्ध जोड़ना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

(ई) लेखक के विचारों के साथ साथ अपने विचारों का तादात्म्य सम्बन्ध जोड़ना। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे लेखक के विचारों को भली-भांति समझ सकें और विचारों के साथ तादात्म्य विचार सबध स्थापित कर सकें। जहा मत-भेद हो वहां वे अपने तथा लेखक के विचारों की परस्पर तुलना करें।

(उ) लेखक का सक्षिप्त परिचय देना। ऐसा करने से लेखक के विचारों की पृष्ठ-भूमि ज्ञात हो जाती है, इस प्रकार उस के विचारों को समझने में सहायता मिलती है।

(ऊ) विचार विश्लेषण का अन्तिम सोपान है बोध परीक्षा। अध्यापक लेख सम्बन्धी प्रश्न पूछ कर इस बात की जाँच कर सकता है कि छात्रों ने कितना कुछ समझ लिया है।

(ऋ) बोध परीक्षा के बाद आवृत्ति और गृहकार्य के सोपान होंगे।

(vi) निम्न पर्यायवाची शब्दों के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए, उनका परस्पर अतर समझाए :—

(1) उपयोग, प्रयोग, सेवन

(2) बुद्धिमान, विद्वान, चतुर

सहायक पुस्तकें

1 **Newmark, Maxim** — *20th Century Modern Language Teaching*

2. **Gray, William S** — (i) *On their own in Reading*
(ii) *Development of Meaning*
(iii) *Vocabularies in Reading*

3 **Michael West** — *Language in Education*

4 **Herrick & Jacobs** — *Language Arts*

5 **V S. Mathur.** — *Studies in the Teaching of English in India*

6. **Margaret G Mckim** — *Guiding Growth in Reading Ch XII*

7. **E. W. Menzel** — *The teaching of Reading*

8. **E. W. Dolch** — *The teaching of Primary Reading*

9 **A. I. Gates** — *The Improvement of Reading*

10 राम चन्द्र वर्म्मा — शब्द साधना (साहित्य रत्नमाला कार्यालय बनारस)

11. भोलानाथ तिवारी — मुहावरा कोष

12. ,, — शब्दों का जीवन

13. ,, — हिन्दी साहित्य की अन्तर्कथाए

14. ,, — बृहत पर्यायवाची कोष।

: १९ :

कविता का स्वरूप

§108 कविता क्या है—

कविता पढ़ाने से पहले 'कविता क्या है' पर विचार होना चाहिए। गद्य और पद्य मे पर्याप्त भेद है, और इसी भेद के कारण पद्य की शिक्षा गद्य की शिक्षा से भिन्न है। हाँ तो, पद्य या कविता गद्य से किस प्रकार भिन्न है? पद्य की ठीक ठीक परिभाषा देना कठिन समस्या ही नहीं, असम्भव भी है, क्योंकि सौंदर्य की तरह पद्य एक ऐसी वस्तु है जिसका केवल आस्वादन किया जा सकता है। इसी कारण बड़े-बड़े कवि तथा आलोचक कविता की परिभाषा देते हुए हार गए हैं। उदाहरण के लिए पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों की निम्न परिभाषाएं देखिए।

(i) पाश्चात्य दृष्टिकोण—

(1) कविता छन्दोमय रचना (Metrical Composition) है। ——जानसन।

(2) कविता 'सगीतमय विचार' (Musical thought) है। ——कार्लाइल।

(3) कविता 'कल्पना की अभिव्यक्ति' (Expression of imagination) है। ——शैले।

(4) 'कविता शान्ति के समय स्मरण की हुई उत्कट भावनाओं का सहजोद्रेक' है। ——वर्डस वर्थ।

(5) 'कविता उत्तोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम विधान है' ——कौलरिज।

(6) 'कविता मूल मे जीवन की आलोचना है' (Poetry is at bottom criticism of life) ——आर्नोल्ड।

(7) 'कविता कल्पना और मनोवेगो द्वारा जीवन की व्याख्या है।' ——हडसन।

(ii) भारतीय दृष्टिकोण—

'ऐसे शब्द और अर्थ को कविता कहते हैं जिस मे दोष न हो, गुण हो

कविता के उपरोक्त प्रयोजन की जानकारी अध्यापक के लिए अनिवार्य है क्योंकि प्रयोजन की जानकारी से ही वह कविता शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित कर सकता है। कविता के शिक्षण का उद्देश्य कविता का सरलार्थ (Paraphrase) समझाना नहीं। प्राय: अध्यापक कविता का सरलार्थ समझाने में ही अपनी इति-कर्तव्यता समझते हैं। सरलार्थ साधन है, और साध्य है कुछ और। गद्य की शिक्षा के उद्देश्य और पद्य की शिक्षा के उद्देश्य परस्पर भिन्न हैं। पद्य की शिक्षा में भाषा ज्ञान केवल साधन है अतः इस में शब्दार्थ, व्याकरण आदि पर उतना ही बल देना पड़ता है जितना कविता के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो।

कविता के प्रयोजन समझने के बाद कविता की शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करना कठिन नहीं। नीचे कविता की शिक्षा के सामान्य और विशेष उद्देश्य बताए जाते हैं।

§ 110. कविता की शिक्षा के उद्देश्य—

(क) सामान्य उद्देश्य—

(1) छात्रों को स्वर-प्रवाह तथा भावों के अनुसार कविता-पाठ करने के योग्य बनाना।

(2) काव्य-सौंदर्य से प्रभावित करके छात्रों को कविता के प्रति आकर्षित करना। कविता में छात्रों की रुचि बढ़ाना।

(3) छात्रों में कवि की अनुभूतियों तथा कल्पनाओं को समझने तथा ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न करना। उनकी ग्राहक शक्ति का पोषण करना।

(4) छात्रों की रागात्मक प्रवृत्तियों का संशोधन करना, उन की सात्विक भावनाओं का उद्बोधन करना, उनके उदात्त भावों का संवर्धन करना तथा उनके दूषित मनोभावों का परिष्कार करना।

(5) छात्रों की सौंदर्यानुभूति की वृद्धि करना, उनके हृदय में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।

(6) छात्रों की कल्पना शक्ति की वृद्धि करना।

(7) छात्रों के चरित्र पर कल्पना तथा आदर्श का प्रभाव डालना और इस प्रकार उनके चरित्र-निर्माण में सहायता देना।

(8) छात्रों को भिन्न भिन्न काव्यशैलियों से परिचित करना।

(9) छात्रों को काव्य सौंदर्य परखने के योग्य बनाना।

(10) छात्रों को काव्यानन्द का रसास्वादन करने के योग्य बनाना।

(ख) विशेष उद्देश्य—

(1) छात्रों को किसी कवि के विशेष भाव, विचार या शैली के चमत्कार का आनन्द प्राप्त कराना।

(i) इन की भाषा बाल गीतों की अपेक्षा अधिक अपरिचित शब्दों तथा कुछ कल्पनापूर्ण और गम्भीर भावों से युक्त होनी चाहिए।

(ii) ये साहित्यिक कविताएं न हों, वरन् केवल पद्यमय रचनाएं हों।

(iii) इन के विषय वीर, करुण, दया आदि भावों से सम्बन्धित कथाएँ हों। कई कविताएँ प्रकृति सम्बन्धी, कई देश-भक्ति सम्बन्धी और कई भक्ति सम्बन्धी हों। इनमे भक्ति-काल के कवियों की सरलतम कविताएँ सम्मिलित की जा सकती हैं।

(3) उच्च कक्षाओं के लिए कविताए—

(i) इनकी भाषा शैली उच्च हो।

(ii) इनके विषय गम्भीर हो। ये शुद्ध साहित्यिक कविताएँ हों।

(iii) उच्च कक्षाओं मे आधुनिक काल की खड़ी बोली कविताओं के अतिरिक्त भक्तिकाल तथा रीतिकाल की ब्रज तथा अवधी की कविताएं भी होनी चाहिए। जिससे विद्यार्थियों को हिन्दी कविता की विभिन्न धाराओं का भी ज्ञान हो।

(iv) कविताए लम्बी न हों। लम्बी कविताओं के बदले छोटी छोटी विविध विषयक कविताए और विविध लेखकों की कविताएं पढ़ानी चाहिए।

(v) कविताओं का भाग गद्यभाग का चौथाई हो। इससे अधिक रखने से अध्यापक पाठ्यक्रम को जल्दी-जल्दी समाप्त करने की धुन में रहता है और वह उन्हें सूक्ष्म रीति से नहीं पढ़ा सकता।

(vi) हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों की कविताओं के अतिरिक्त, भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रमुख कवियों की कविताओं का हिन्दी पद्यानुवाद भी होना चाहिए, ताकि भारतीय साहित्य की भी कुछ जानकारी हो जाए।

(vii) भारतीय कवियों के अतिरिक्त संसार के कई प्रमुख कवियों की कविताओं का हिन्दी पद्यानुवाद भी दिया जाना चाहिए. इस से छात्र के साहित्यिक दृष्टिकोण में विस्तार होगा। हां, ऐसी कविताओं की संख्या थोड़ी हो। इंग्लैंड और अमेरिका के हाई स्कूलों की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों मे टैगोर, उमर खय्याम, हेन, आदि कवियों की कविताएं सम्मिलित हैं।

अभ्यासात्मक प्रश्न

1. कविता क्या है ? विभिन्न ...

सहायक पुस्तकें

Hudson	*Introduction to the study of Literature.*
गुलाबराय :	(i) सिद्धांत और अध्ययन (ii) काव्य के रूप
3 श्यामसुन्दरदास	साहित्यालोचन
4 रामचन्द्र शुक्ल	चिन्तामणि (भाग 1, 2)
5 राम दहिन मिश्र	काव्य दर्पण
6. सूर्य कांत	साहित्य मीमांसा
7 रघुनाथ सफाया ·	1. कविता क्या है ? (सरस्वती संवाद, जनवरी 1956 विशेषांक मे प्रकाशित) 2. भाषा और साहित्य का विवेचन, अध्याय 3.
8. शिवनारायण श्रीवास्तव ·	कविता की शिक्षा
9. रमणीकांत सूर तथा वृज भूषण शर्मा	हिन्दी कविता पाठन

: २० :

कविता की शिक्षा के अंग

कविता पाठ के तीन प्रधान उपकरण हैं—
वाचन, व्याख्या और भाव-विश्लेषण।

§ 112. वाचन—

कविता शिक्षण का प्रथम सोपान है कविता का वाचन। गद्य की शिक्षा में भी वाचन का स्थान प्रथम है। परन्तु पद्य की शिक्षा मे वाचन का स्थान प्रथम होने के अतिरिक्त सब से महत्त्वपूर्ण है। पद्य पाठ की सफलता अधिकतर सुवाचन पर निर्भर है। पद्य पाठ मे वाचन की विशेष महत्ता निम्न प्रकार से है—

वाचन की महत्ता—

(i) पद्य और गद्य मे प्रधान अन्तर यह है कि पद्य भावमय है और गद्य विचारमय। इसका तात्पर्य यह नहीं कि पद्य सर्वथा विचारशून्य है और गद्य भाव-शून्य। वास्तव में दोनों में विचार और भाव पृथक् नहीं किए जा सकते। परन्तु पद्य मे गद्य की अपेक्षा भावों की ही प्रधानता है। भावमयी भाषा के रसास्वादन के लिए ऐसे वाचन की आवश्यकता है जो भावानुकूल हो। यदि वाचन भावानुकूल हो, तो उस के द्वारा ही कविता का बहुत कुछ आशय समझ में आ जाता है अत: सुवाचन कविता समझने के लिए भी अत्यन्त आवश्यक है।

(ii) पद्य और गद्य मे एक और अन्तर यह है कि पद्य छन्दोबद्ध भाषा है और गद्य में छन्द-विधान नहीं है। छन्दोबद्ध भाषा का वाचन साधारण वाचन से भिन्न होना चाहिए। अत: पद्य के वाचन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(iii) मूर्तिमान कविता का आनन्द श्रवण द्वारा ही हो सकता है। अत: सरल कण्ठ से कविता पढ़ने की आवश्यकता है। यद्यपि आजकल मुद्रण यन्त्र के प्रताप से कविता सुनने का अभ्यास छूट गया है, और कविता केवल पढ़ी ही जाती है। परन्तु वास्तव में कविता श्रवण की वस्तु है, पठन की नहीं। कविता का सगीत सुनने से सम्बन्ध रखता है, पढ़ने से नहीं। पढ़ते हुए भी आनन्द प्राप्त करने के लिए गुनगुनाना पड़ता है।

(iv) वाचन द्वारा छात्रों को कविता की वास्तविक अनुभूति गाने या सुस्वर पढ़ने से ही उनके हृदय मे आनन्द की हिलोरें उठती

वाचन का ढंग—उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को कविता
र के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। कक्षा में पढ़ाते समय उसे सर्व-प्रथम
ना आदर्श पाठ देना चाहिए। तत्पश्चात् विद्यार्थियों से सस्वर पाठ करवाना
हिए।

(1) अध्यापक का आदर्श पाठ।

आदर्श पाठ आदर्श ही होना चाहिए। ऐसा आदर्श कि कविता का मर्म श्रवण
ारा ही यथार्थ हो जाए।

आदर्श पाठ देते समय अध्यापक को अत्यन्त सुन्दरता के साथ पढ़ाना चाहिए।
उसकी वाचन विधि आकर्षक और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए, जिससे पाठकों की आँखें
आनन्द से चमक उठें। संक्षेप में अध्यापक को कवि का प्रतिनिधित्व करना है। कवि
की समस्त भाव-व्यंजना अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सामने प्रकट होनी चाहिए। आदर्श
पाठ देते समय अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए।

(क) कविता का पाठ भावानुकूल होना चाहिए। यदि कविता वीररस की हो, तो
अध्यापक ऐसी ओजपूर्ण विधि से वाचन करे कि छात्रों का हृदय उत्साह से भर जाए,
उनकी भुजाएं फड़कने लगें उनकी नसों में रक्त का संचार तीव्र हो जाए। यदि कविता
करुण रस की हो, तो उनका हृदय द्रवीभूत हो जाए और नेत्रों में आँसू उमड़ आएं।
इसी प्रकार जिस भाव की प्रधानता हो, उसी के अनुकूल अनुभवों का प्रदर्शन होना
चाहिए।

(ख) भावों को व्यक्त करने के लिए भावानुकूल अंगसंचालन करना चाहिए। इस
प्रकार पढ़ाने में कभी किंचित अभिनय की भी आवश्यकता रहती है। परन्तु अभिनय
स्वभाविक होना चाहिए, ऐसा बनावटी नहीं कि अध्यापक छात्रों के उपहास का पात्र
बन जाए। अधिक अंगसंचालन, कृत्रिम अभिनय और ऊँची आवाज से छात्रों का ध्यान
वास्तविक कविता से हट कर अध्यापक की ओर रहता है। जिसके फलस्वरूप कविता का
आनन्द नष्ट हो जाता है।

(ग) अध्यापक को छन्द लय, मात्रा, ताल, स्वर आदि पर भी पूरा ध्यान देना
चाहिए। कविता के शब्द-सौंदर्य को स्पष्ट करना उसी का काम है। अध्यापक ही
संगीत उत्पन्न कर सकता है। इस विषय में एक शंका उत्पन्न हो सकती
कर्ि पक को गा पढ़ाना चाहिए ? बहुत से शिक्षा-विचारक गा कर पढ़ाने
है के f गाने से छात्रों का ध्यान राग और संगीत की ओर रहत
के तथा ओर नहीं। कविता का आनन्द वे संगीत से प्राप्
इस विचार में कुछ सत्य है। लेखक का व्यक्तिग
कक्षाओं में राग की कोई आवश्यकता नह

प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि के सम्बन्ध में शेष सभी बातें अध्यापक के लिए उपयोगी हैं, जिनका उल्लेख गद्य पाठ के प्रकरण में हुआ।

§ 114. भाव विश्लेषण तथा समीक्षा—

कविता पाठ की प्रक्रिया का यह अन्तिम भाग अथवा चरमसीमा है। कविता का यही उद्देश्य यहीं पर सफल हो जाता है। यह वह अवस्था है, जब पाठक काव्य के मर्म स्थल पर पहुँच कर, सौंदर्य के तत्वों की खोज करके, भावसागर में डूबता हुआ, अलौकिक आनन्द को अनुभव करता है। यहीं पर अध्यापक निम्न पाँच प्रकार के सौंदर्य की अनुभूति कराए।

(१) ध्वनि सौंदर्य—प्रत्येक कविता अपनी ध्वनि या नाद के कारण मोहित करती है। वर्णों का लालित्य, अन्त्यानुप्रास, आन्तरिक लय, वर्णावृत्ति, यमक, गुरु लघु गण छन्द आदि कविता को गद्य की अपेक्षा मधुर और आकर्षक बनाते हैं। कविता पाठ करते समय ही, कविता की ध्वनि के द्वारा आनन्द आता है, इसी लिए एक अंग्रेज आलोचक का कहना है, "मेरे लिए यह कविता दो बार पढ़िए। पहली बार ध्वनि के लिए और दूसरी बार अर्थ के लिए।"

(२) विचार सौंदर्य—कवि के मन में कौन कौन से सुन्दर विचार उत्पन्न हुए हैं, उस की वैयक्तिक अनुभूति किस प्रकार की है, उसके विचार पाठक को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रत्येक कवि कविता द्वारा अपना संदेश पाठक के सम्मुख रखता है। इस संदेश को समझाने में अध्यापक सहायक है।

(३) कल्पना सौंदर्य—कवि कल्पना का पुजारी होता है। कल्पना के द्वारा वह असंभव को सभव, भूत को वर्तमान, अमूर्त को मूर्त और कुरूप को सुन्दर बनाने में सक्षम हो जाता है। प्रकृति वर्णन में और हर प्रकार की भावव्यंजना में वास्तुप-चित्रों, शब्द चित्रों, गध-चित्रों स्पर्श-चित्रों और क्रिया-चित्रों का निर्माण करता है और इस प्रकार प्रजापति बन कर एक नये काव्य जगत की सृष्टि करता है। अध्यापक इन चित्रों की व्याख्या करे ताकि पाठक तत्काल कवि-रचित कल्पना सागर में डूब कर अपनी सुध-बुध भूल जायें।

(४) शैली सौंदर्य—शब्द शक्ति, माधुर्य, ओज तथा प्रसाद गुण, अलंकार और छन्द शैली सौंदर्य के आधार हैं। प्रारम्भिक कक्षाओं से कविता में [illegible] कराना पर्याप्त है। उच्च कक्षाओं में उपर्युक्त सभी बातों पर [illegible]। गुण और छन्द का कविता के भावों के साथ सीधा सम्बन्ध होता है, अलंकारों से काव्य सौंदर्य की पुष्टि होती है। अध्यापक इन बातों के [illegible]

कक्षा में कविता पाठ के उपरान्त कवि के सम्बन्ध में कुछ परिचय देना अप्रासंगिक नहीं। वास्तव में कवि-परिचय का उपयुक्त समय यही है। कविता के आरम्भ में ही कवि परिचय इस लिए निष्फल है क्योंकि उस समय पाठक कवि के भावों और विचारों से परिचित नहीं, जोकि उसका वास्तविक परिचय होता है। कवि के भाव-विचार जान कर उसकी भिन्न-भिन्न शैलियों का मूल्यांकन करके कवि का परिचय दिया जा सकता है। उस परिचय में कवि की जीवनी उतनी आवश्यक नहीं, जितनी कि उसकी रचनाएँ, उस के विचार, उस की शैली, उसका काव्य कौशल उसकी हिन्दी साहित्य को देन तथा साहित्य में उसका स्थान।

संक्षेप में सौंदर्यानुभूति और काव्यसमीक्षा के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए :—

(क) कविता वाचन। यह उचित आरोह-अवरोह, लय, यति, विराम, स्वराघात और गीत शैली के साथ किया जा सकता है। छात्र यदि कविता गा सकें तो और भी अच्छा।

(ख) भाव-स्पष्टीकरण और व्याख्या।

(ग) सराहना (appreciation) इस में ध्वनि, विचार, कल्पना, भावशैली के सौंदर्यपक्ष को लिया जायगा। शैली सौंदर्य में छन्द, शब्द-चयन, उक्ति-वैचित्र्य, पद-योजना, अलंकार, गुण, रस आदि की ओर संकेत किया जायेगा। लाक्षणिक और प्रतीकात्मक प्रयोगों की विशेषता बताई जाएगी।

इस प्रकार कविता पाठ सम्पूर्ण तथा सफल हो सकता है।

कविता-शिक्षण प्रणालि

कविता शिक्षण की निम्न प्रणालियाँ हैं —

(१) गीत तथा नाट्य प्रणाली।

(२) शब्दार्थ-कथन-प्रणाली।

(३) प्रश्नोत्तर या खण्डान्वय प्रणाली।

(४) व्याख्या प्रणाली।

§ 115 गीत तथा नाटय प्रणाली—

छोटे बच्चों को बाल-गीत पढ़ाने का यह उद्देश्य होता है कि
से परिचित हो जावें, वे गीतों को सुस्वर गाने हुए और साथ अभिन
प्राप्त करें। गीत, खेल और मनोविनोद के साधन बनते हैं। ऐसे ब
की सर्वोत्तम प्रणाली गीत-नाट्य प्रणाली है। प्रस्तुत कविता को
गवाना चाहिए और राग के साथ ताली भी बजवानी चाहिए। हा
भी गीत गवाया जा सकता है। बच्चे समस्त गीत को रटते हैं और
हैं। इस रीति से उन में कविता के प्रति आकर्षण हो जाता है। कि
की प्रधानता होती है। ऐसे गीतो को बच्चे अभिनय के साथ पढ़
सामूहिक भी हो सकता है और वैयक्तिक भी। वैयक्तिक अभिन
की भिन्न-भिन्न पंक्तियो को बच्चो में बाँटा जाता है। एक बालक एक
के साथ पढ़ता है और उसके उपरान्त दूसरा बालक उसे उपयुक्त
बोलता है।

यह प्रणाली छोटी कक्षाओ के लिए नितांत उपयोगी है। का
करने का यही प्रथम साधन है। बच्चे कविता कण्ठस्थ भी कर
सचालन द्वारा भावानुकूल वाचन विधि भी जान जाते हैं और सारा प
पढ़ लेते हैं।

इस प्रणाली मे पढ़ाते हुए निम्न बातो मे सतर्क रहना चाहिए—

(1) बच्चे अधिक जोर जोर से न पढ़ें क्योंकि चिल्ला-चिल्ला कर
शक्ति मन्द पड़ जाती है, और आगे के लिए एकांत मे मौन पाठ कर
कठिन हो जाता है।

(i) बच्चे अधिक तथा अनावश्यक अंग संचालन न करें। अभिनय की अतिशयता से कविता पाठ उपहासप्रद बन जाता है।

नीचे दो बाल गीत उदाहरण के रूप में उपस्थित किए जाते हैं।

उदाहरण (१) एक एक (देखिए पृष्ठ २२१ अध्याय १२)

यह कविता अभिनय के साथ गवाई जायेगी। अभिनय सामूहिक भी हो सकता है और वैयक्तिक भी। वैयक्तिक अभिनय के लिये एक गीत की अलग-अलग कड़ियाँ या पंक्तियाँ छात्रों में बाँटी जायेंगी। एक छात्र एक पंक्ति अभिनय के साथ पढ़ेगा, एक, दो छोटे बूटे हाथ में लेकर उनको धरती पर गाड़ने का अभिनय करेगा और साथ-साथ पढ़ेगा—'एक-एक. .. ' सभी छात्र उसके पीछे गाएगे। यदि सामूहिक अभिनय कराना हो, तो सभी छात्र पंक्तियों में खड़े होकर हाथ में बूटे लगाने का अभिनय करते हुए प्रथम पंक्ति पढ़ेंगे या गायेंगे, इसके बाद एक दो ईंट-पत्थर हाथ में लेकर इंट लगाने का अभिनय करते हुए दूसरी कड़ी 'एक-एक यदि पत्थर ' गायेंगे। ऐसे ही चारो कड़ियाँ गायेंगे। एक और उदाहरण नीचे दिया जाता है।

(२) उठो बालको—

> सूरज निकला सूरज निकला,
> सुबह हुई और सूरज निकला।
> पत्त-पत्त पर हरियाली छाई,
> ओस सुनहरी चमके भाई।
> उठो बालको नींद तजो तुम,
> सुन्दर कपड़े पहन सजो तुम।
> मुर्गा बोला कुकडूँ —कूँ,
> उठा कबूतर घुटरूँ—घूँ।

इस बाल गीत में भी आठ पंक्तियाँ हैं प्रथम पंक्ति गाते समय छात्र एक हाथ उठाएगा और पूर्व दिशा की ओर हाथ बढ़ाकर इशारा करेगा। तीसरी पंक्ति 'पत्त-पत्त......' पढ़ते हुए दोनों हाथों से लहलहाती हुई घास का अभिनय करेगा पाँचवी पंक्ति पढ़ते हुए आँखें मलने का अभिनय करेगा, छठी पंक्ति पढ़ते हुए कपड़े पहनने का अभिनय करेगा, सातवीं और आठवीं पंक्ति में कुकड़ूँ कूँ और घुटरूँ घूँ जोर से पढ़ेगा मानो कि मुर्गा और कबूतर की आवाज सुना रहा है।

§ 116. शब्दार्थ कथन-प्रणाली—

इस प्रणाली में अध्यापक एक छात्र से पद पढ़वाता है और स्वयं उसका अर्थ बता देता है, या कभी-कभी छात्रों से ही अर्थ कहलवा लेता है कविता में शब्दार्थ और सरल भाषा में अनुवाद ही पर्याप्त समझा जाता है अध्यापक का

इसे एक पूरा पद्य संग्रह, जिस में पचास से भी अधिक संख्या में कविताएँ होती हैं, एक साल पढ़ाने के लिए नियत किया जाता है। अध्यापक इस संग्रह को निर्दिष्ट समय में समाप्त करने की धुन में रहता है। काव्य सौष्ठव और काव्य सौंदर्य समझाने के लिए उसे समय कहाँ ? गुण और परिमाण में से हम एक को अपना सकते हैं, दोनों को नहीं। अत: पन्द्रह-बीस कविताओं के संग्रह को ही सुचारु रीति से पढ़ाया जा सकता है।

कविताओं का संग्रह विराट् होने पर भी अध्यापक को शब्दार्थ-कथन-प्रणाली का अवलम्बन नहीं करना चाहिए। जितनी भी कविताएँ वह निर्दिष्ट समय में सुचारु रीति से पढ़ा सके, उतनी ही उसे पढ़ानी चाहिएँ। नहीं तो परिमाण की बाढ़ में गुण का बलिदान हो जाता है, और सारा काम निरर्थक हो जाता है।

§ 117. प्रश्नोत्तर या खण्डान्वय प्रणाली—

इस प्रणाली में अध्यापक विद्यार्थियों से उपयुक्त प्रश्न करता है, इस प्रकार कवि[illegible] का विश्लेषण करता है, और फिर खण्ड खण्ड को जोड़ कर सारा पद्य समझाता है। यह प्रणाली वास्तव में गद्य पढ़ाने की प्रणाली है। जैसे गद्य में गद्यांश को खण्ड [illegible] करके प्रत्येक विचार के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाता है और फिर उसको अगले वि[illegible] से जोड़ दिया जाता है, वैसे ही पद्य में भी हर एक भाव या विचार विद्यार्थियों से उद्बोधित कराया जाता है और जहाँ कोई बात उन्हें समझ में न आए, वह [illegible] समझाई जाती है। सारा पाठ प्रश्नोत्तर की एक लड़ी सी बन जाता है।

वास्तव में प्रणाली गद्य के लिए उपयुक्त है, पद्य के लिए नहीं। परन्तु कविता में काव्यात्मकता कम हो, जैसे ऐतिहासिक तथा वर्णनात्मक लम्बी-चौड़ी [illegible] या महाकाव्य का एक खण्ड, जिसकी भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण हो, और [illegible] शैली अलंकारपूर्ण और गूढ़ होने के बदले विशुद्ध वर्णनात्मक हो, उसको पढ़ाने के [illegible] इसका प्रयोग किया जा सकता है। अध्यापक भावपूर्ण शैली में पढ़ाता जाए और बीच में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता जाए और आगे बढ़ता जाए। प्रश्नों द्वारा ही [illegible] स्थलों की व्याख्या हो जाएगी। लम्बे-चौड़े पद्यखण्ड पढ़ाने के लिए यही प्रणाली फलदायक है।

§ 118. व्याख्या प्रणाली—

कविता पढ़ाने की यही सर्वोत्तम प्रणाली है। प्रारम्भिक कक्षाओं को छो[illegible] माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में इसी प्रणाली का अवलंबन करना चाहिए। [illegible] पाठ के उपकरण नामे प्रकरण में कविता पाठ की जो विधि बतलाई गई है, [illegible] अर्थात् वाचन के बाद विस्तृत व्याख्या और भाव-विश्लेषण, जिस से पाठकों को [illegible] के प्रत्येक भाव की, विषय की और काव्य सुन्दरता के [illegible] बाद रसानुभूति हो। व्याख्या प्रणाली में प्र.[illegible]

दोनो वर्जित।

(v) कविता बार-बार पढ़नी चाहिए। गद्य को दो बार पढ़ना काफी है, परन्तु पद्य को बार बार पढ़ने से उसका सम्पूर्ण सौंदर्य स्पष्ट हो जाता है।

(vi) यह आवश्यक नहीं कि सारी कविता एक ही घण्टी में समाप्त हो जाए। कविता का जितना अंश सूक्ष्म रीति से पढ़ाया जा सके, उतना ही पढ़ाना चाहिए; शेष अगले दिन के लिए छोड़ देना चाहिए।

(vii) कविता की भाव व्यंजना पर अधिक बल देना चाहिए।

(viii) कविता का सस्वर पाठ अपेक्षित है, इससे संगीतात्मकता स्पष्ट हो जाती है और अधिक आनन्द भी प्राप्त होता है। हां, माध्यमिक और उच्च कक्षाओं में रागयुक्त गाना निरर्थक है। सस्वर पाठ ही काफी है।

(ix) कविता समझाने में व्यग्रता से काम नहीं लेना चाहिए। यदि विद्यार्थियों को एक बार समझ में न आये तो दूसरी तीसरी बार समझाने का, या अगले दिन समझाने का प्रयास करना चाहिए।

(x) कविता का पाठ के लिए काव्यमय तथा काव्यनुकूल वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। जब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो, या शोर मच रहा हो, या विद्यार्थियों के पास पुस्तकें न हों, ऋतु प्रतिकूल हो, दिन की अन्तिम घण्टी हो, विद्यार्थी थके हुए हों, अथवा अध्यापक का सहानुभूति पूर्ण व्यवहार न हो, तब कविता नहीं पढ़ाई जा सकती।

(xi) कविता कण्ठस्थ करने में प्रोत्साहन देना चाहिए।

(xii) श्यामपट का प्रयोग केवल आवश्यकतानुसार करना चाहिए।

(xiii) प्रश्नों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए।

§ 123. कविता में अभिरुचि बढ़ाने के साधन—

कविता मनोरंजन और मनोभावों का परिष्कार एक साथ करती है। काव्य में रुचि रखने वाले, काव्य सेवन द्वारा अपनी रुचियों का परिष्कार और चरित्र का सुधार करते हैं। अतः कविता के प्रति आजीवन प्रेम बना रहना चाहिए। इस प्रेम को स्थायी रखने के लिए विद्यालय में एक ऐसा वातावरण उपस्थित करना चाहिए, जिसमें काव्य सम्बन्धी भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यकलाप होते रहते हों और विद्यार्थियों को कविता निरन्तर अभ्यास होता रहे। जिससे वे आगे चल कर भी या तो स्वयं कवि बनें, या वनें। ऐसा करने के लिए निम्न साधन अपनाए जा सकते हैं।

लिखने का अभ्यास—प्रारम्भ में तुक बन्दी करने और बाद में ता लिखने में छात्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए। भले ही ...मप्रद हों, परन्तु उनको कविताओं का संशोधन

करने से, उनको कक्षा मे कविता सुना देने में, तुक-बन्दी के गुर सिखाने और आदर्श कविताओं का अनुकरण करवाने से उनकी कवि प्रतिभा जागृत की जा सकती है। तीसरी श्रेणी को यदि पुस्तक पर कविता लिखने को कहा जाए, तो नीचे जैसी पंक्तियों पर सन्तोष करना चाहिए।

यह मेरी पुस्तक है जिसको पढ़ कर मैं सुख पाता।
नित्य सुबह उठ कर मैं इसका पाठ सदा दुहराता॥

ऐसी ही पंक्तियां लिखने वाले, ऐसी ही तुक बन्दी करने वाले कौन जाने कल राज कवि बन जायें। पंक्तियों का अन्त्यानुप्रास 'आता' 'आता' निराला जी की 'वह 'वह,आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता, पथ पर आ आता' वाली कविता के अन्त्यानुप्रास से कुछ कम है क्या ?

(ii) कविता का कठस्थ करना—बचपन की कण्ठस्थ की हुई सुन्दर कविताएं आजीवन काम आती हैं। अशिक्षित गंवार भी कबीर तुलसी के दोहे कण्ठस्थ करके, समय-समय पर उन्हें सुनाकर सब को अनुरंजित करते हैं। नीति के दोहे कहीं भी काम आ सकते हैं। प्रसिद्ध कवियों की प्रसिद्ध कविताएं एक प्रिय व्यापार (hobby) है। मन पर अंकित कविताएं आजीवन आनन्द वृद्धि का साधन होती हैं। अतः छात्रों को अपनी रुचिकर कविताएं कण्ठस्थ करने में प्रोत्साहित करना चाहिए।

(iii) अन्त्याक्षरी—कण्ठस्थ की हुई कविताओं का अन्त्याक्षरी के खेल द्वारा सुन्दर प्रयोग किया जा सकता है। इस खेल में कक्षा को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक वर्ग का कोई छात्र एक पद सुनाता है। दूसरे वर्ग के किसी छात्र को ऐसा पद सुनाना होता है, जिसका प्रथम अक्षर पहले पद का अन्तिम अक्षर हो। यदि किसी अक्षर पर वर्ग का कोई छात्र कविता नहीं कह पाता, तो समूह की हार समझी जाती है। इस खेल से मनोरंजन भी होता है और कविताओं को याद रखने का व्यायाम भी होता है।

(iv) सुभाषित प्रतियोगिता—इस में छात्र दूसरों के सुन्दर पद सुनाते हैं। जितने भी विद्यार्थी भाग लेते हैं, उनको दूसरों की सुन्दर पद कविताएं याद होनी चाहिएं। ताकि प्रतियोगिता के समय उन्हें सरस कण्ठ से सुनाकर साधुवाद प्राप्त कर सकें।

(iv) समस्यापूर्ति—इसका प्रयोग मध्यकालीन राजा-महाराजाओं के दरबार में होता था। राजा एक पंक्ति उपस्थित करता था और कवि उसके अनुकूल एक पूरी कविता रचते थे। महाविद्यालयों में कभी कभी ऐसी प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं परन्तु इसका युग अब बीतता सा जा रहा है।

(vi) कवि सम्मेलन—नगर के या आस [illegible] यों को निमंत्रित करके कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा [illegible] कवियों को भी [illegible] का अवसर [illegible]

८. नीचे दी हुई उक्तियों में से सत्य और असत्य उक्तियों को अलग-अलग कीजिए :—

(i) कविता पढ़ाने से पहले कवि का पूरा परिचय देना चाहिए।

(ii) कविता पढ़ाने मे मौन पाठ की कोई आवश्यकता नही।

(iii) कविता में आए हुए कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति तथा तत्सम्बन्धी व्याकरण समझना चाहिए।

(iv) कविता पढ़ाते हुए अधिक से अधिक प्रश्नोत्तर की आवश्यकता है।

(v) प्रत्येक कविता कण्ठस्थ करवानी चाहिए।

९. गद्य और पद्य का परस्पर अन्तर स्पष्ट कीजिए। हिन्दी पद्य की शिक्षा मे आप कौन सी विधि अपनायेंगे ? कविता पढ़ाने से पहले आप किन किन बातों को ध्यान मे रखेंगे ? [§ 112, 118, 122,]

सहायक पुस्तकें

1. Haddow A — *On the Teaching of Poetry.*
2. Jaggar, J H. — *Poetry in school*
3. Tomkinson — *The Problem of Sanskrit teaching*
4. Hupriker G — *Teaching of Appreciation Ch Y XVII*
5. Gurrey — *Teaching of Poetry*
6. सीताराम चतुर्वेदी — भाषा की शिक्षा
7. रमणीकान्त गुप्त एवं ब्रज-भूषण शर्मा — हिन्दी की शिक्षा
8. शिव नारायण श्रीवास्तव — कविता की शिक्षा

नाटक की शिक्षा

§ 124. नाटक किसे कहते हैं ?

काव्य के दो भेद हैं — श्रव्य (गद्य और पद्य) तथा दृश्य (नाटक)। नाटक को शास्त्रीय परिभाषा में रूपक कहते हैं। नट पर ऐतिहासिक व्यक्तियों का आरोप करने से रूपक बनता है — 'तद्रूपारोपात् रूपकम्'। अतः इस रूपक के लिए अभिनय तथा अनुकरण की आवश्यकता पड़ती है। अतः नाटक में भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है - 'अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्'। यह अनुकरण आंगिक (शरीर का), वाचिक (वाणी का), आहार्य (वेश भूषा का) और सात्विक (भावनाओं का), चार प्रकार का होता है। नाटक के लिए कथावस्तु (Plot), पात्र (Characters), उनका चरित्र-चित्रण (Characterisation), अभिनय (Acting) और उद्देश्य (Aim) आवश्यक हैं. उपन्यास (Novel) में भी कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण आवश्यक हैं, परन्तु इस का रंगशाला में अभिनय नहीं होता। नाटक की रचना रंगमंच पर अभिनय के लिए होती है। नाटक साक्षात् दृश्य होने के कारण अधिक मनोरंजन प्रदान करता है। नाटक के मूल में मानव की अनुकरण नामक स्वाभाविक प्रवृत्ति काम करती है। आत्मप्रदर्शन की इच्छा से अनुकरण, अनुकरण से अभिनय और अभिनय से नाटक की उत्पत्ति होती है। आधुनिक रूप में नाटक, में चित्रकला, संगीतकला, नृत्यकला, वास्तुकला, स्थापत्य आदि अनेक कलाओं और शास्त्रों का प्रयोग होता है।

§ 125. नाटक के उद्देश्य—

नाटक के उद्देश्य निम्न हैं :—

(i) मानव-मन में सुषुप्त आत्मप्रदर्शन की इच्छा की तृप्ति करना।

(ii) अनुकरण की प्रवृत्ति के लिए उदात्त-निकासमार्ग (Sublimated Channel) तथा अवसर उपस्थित करना।

(iii) मनोरंजन प्रदान करना तथा मनोभावों को तरंगित करना।

(iv) मनोभावों का परिष्कार करना।

(v) हितकर उपदेश देना।

(vi) जीवन का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कराना, मानव चरित्र का अध्ययन

कराना।

नाटक-शिक्षण के उद्देश्य—

विद्यालय में नाटक पढ़ाने तथा उसका अभिनय कराने के उद्देश्य उपर्युक्त नाटक के उद्देश्यों के ही अनुरूप हैं—

(i) विद्यार्थियों के मन में दबी हुई प्रभुत्वकामना (Self assertion) तथा आत्मप्रदर्शन की इच्छा के लिए अभिव्यक्ति तथा तृप्ति के अवसर प्रदान करना।

(ii) अनुकरण की मूल प्रवृत्ति का उदात्तीकरण करके उसको अभिव्यंजना के लिए सुअवसर उपस्थित करना।

(iii) विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करना।

(iv) विद्यार्थियों के मनोभावों का परिष्कार करना।

(v) नाटक में ध्वनित हितकर उपदेशों से विद्यार्थियों को शुद्ध आचरण सिखाना तथा चरित्र में सुधार करना।

(vi) उन्हें जीवन की विभिन्न परिस्थितियों तथा लौकिक आचार-व्यवहार से परिचित कराना।

(vii) रंगमंच पर अभिनय द्वारा भाषा का शुद्ध उच्चारण, प्रभावोत्पादक तथा भावानुकूल और अवसरानुकूल कथोपकथन, बोल-चाल और भाषा-प्रयोग सिखाना।

(viii) अभिनय सिखाना तथा सहायक रूप में संगीत, नृत्य, चित्रकला और रंगमंचीय कला का अभ्यास कराना।

(ix) विभिन्न पात्रों के वार्तालाप को याद कराने में छात्रों में सुन्दर और प्रभावोत्पादक भाषा के नमूने अंकित करना और उससे उनकी अभिव्यक्ति की योग्यता बढ़ाना।

§ 120. नाटक शिक्षण प्रणाली—

नाटक शिक्षण की निम्न प्रणालियाँ हैं—

(१) व्याख्या प्रणाली।

(२) आदर्श नाट्यपाठ प्रणाली।

(३) अभिनय प्रणाली, जिसके दो प्रकार हैं :—

(क) रंगमंच-अभिनय-प्रणाली। (ख) कक्षा-अभिनय प्रणाली।

(४) संयुक्त प्रणाली जिस में उपर्युक्त तीनों प्रणालियों का उपर्युक्त सामंजस्य होता है।

प्रत्येक का विवरण नीचे दिया जाता है :—

(१) व्याख्या की प्रणाली—इस प्रणाली में अध्यापक सारा नाटक स्वयं पढ़ता है और नाटक के लेखक, कथावस्तु, विभिन्न [illegible] कथोपकथन की

सहायक पुस्तकें तथा द्रुतपाठ

(Supplementary Readers and Rapid Reading)

§ 128. सहायक पुस्तकों का स्थान—

भाषा शिक्षण के लिए दो प्रकार की पाठ्य-पुस्तकें होनी चाहिए । एक सूक्ष्म अध्ययन (Intensive Study) के लिए और दूसरी स्थूल अध्ययन या अतिरिक्त पठन (Extensive Study) के लिए । सूक्ष्म अध्ययन के लिए ऐसी पाठ्य-पुस्तकें नियत की जाती हैं, जिनका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक पाठ का गम्भीर अध्ययन करना होता है । नए शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग पर पूरा ध्यान दिया जाता है । उन पर व्याकरण और रचना के प्रश्न भी पूछे जाते हैं । ऐसी पुस्तक, शब्दावली, मुहावरे, नए भाव विचार, उच्चारण, व्याकरण, रचना आदि के अध्ययन का केन्द्र (Centre of Study) बन जाती है । परन्तु ऐसी पाठ्य-पुस्तक के अतिरिक्त ऐसी सहायक पुस्तकों की भी आवश्यकता पड़ती है जो सरल और सुबोधगम्य हों, जिनमें नई कठिन शब्दावली न हो और जिनके पढ़ने से वाचन में अभ्यास हो जाए । ऐसी पुस्तकें शीघ्र पढ़ी जा सकती हैं और धीरे-धीरे पढ़ी जाने वाली पाठ्य-पुस्तक की सहायक बन जाती हैं । इस प्रकार स्थूल-अध्ययन और द्रुतपाठ (Rapid Reading) के लिए सहायक पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है ।

§ 129. द्रुतपाठ का महत्त्व तथा उद्देश्य—

(क) भाषा विषयक—

(i) सीखी हुई शब्दावली का अभ्यास करना—पाठ्यपुस्तक में सीखी हुए शब्दावली के अभ्यास के लिए द्रुत पाठ में अवसर मिल जाता है । पाठ्य-पुस्तक में तीन प्रकार के शब्द होते हैं, प्रथम सक्रिय शब्दावली (Working vocabulary) जिनके बार-बार प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, दूसरी परिचय शब्दावली (Recognition vocabulary) जिसका प्रयोग नहीं किया जाता, वरन् पाठ बोध के लिए अर्थ याद रखा जाता है और तीसरे अपरिचित शब्द । सहायक पुस्तक में परिचित शब्दावली का इतना अभ्यास हो जाता है कि यह भी सक्रिय शब्दावली की परिधि में आ जाती है और

अभ्यासात्मक प्रश्न

१. पाठ्य-पुस्तक में नाटक का क्या स्थान है? नाटक पढ़ाने के विभिन्न उ
तथा विषयों का विवरण दीजिए। [§ 12

२. भाषा की शिक्षा में अभिनय का क्या स्थान है? हिन्दी में उदाहरण दे
समझाइए।

३. उच्च कक्षाओं के लिए हिन्दी नाटककारों द्वारा लिखे हुए ऐसे एकांकी
नाटकों की सूची बनाइए जो विद्यालय में खेले जा सकें।

४. कहानी पढ़ाने की विधि में और नाटक पढ़ाने की विधि में क्या अन्तर है?
उच्च कक्षाओं को कथावस्तु, चरित्र-चित्रण और कथोपकथन की विशेषताएं किस प्रका
सिखाई जा सकती हैं।

सहायक पुस्तकें

1. **Tidy Man and Butter Fi d** — *Teaching the Language Art Ch 9.*
2. **Vivan De Sola Pinto** — *The Teaching of English i Schools. Ch. II 'Drama in the School.*
3. गुलाब राय — काव्य के रूप (नाटक प्रकरण)
4. सीताराम चतुर्वेदी — भाषा की शिक्षा

तथा सम्पादन कर सकते हैं। लम्बे उपन्यासों या नाटकों के बालोपयोगी लघु संकरण निकाले जा सकते हैं। यदि अध्यापक प्रकाशन की व्यवस्था न कर सकें, वे कक्षा में पाण्डुलिपि का भी प्रयोग कर सकते हैं।

§ 133. द्रुतपाठ की शिक्षण विधि—

द्रुतपाठ गद्य पाठ के निम्न बातों में भिन्न है—

(i) द्रुतपाठ का अध्ययन स्थूल है, सूक्ष्म नहीं।

(ii) द्रुतपाठ का उद्देश्य नई शब्दावली सीखना नहीं, वरन् पहले सीखी हुई शब्दावली का ही उपयोग करना होता है।

द्रुतपाठ में सस्वर पाठ की आवश्यकता नहीं, उच्चारण पर भी ध्यान नहीं दिया जाता और केवल अर्थबोध (Comprehension) पर ध्यान दिया जाता है।

(iv) द्रुतपाठ में व्याकरण, रचना आदि पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

(v) द्रुतपाठ में मौन वाचन पर अधिक बल दिया जाता है।

द्रुतपाठ और गद्य पाठ का परस्पर अन्तर समझाने के बाद द्रुतपाठ की शिक्षण प्रक्रिया नीचे दी जाती है।

(१) प्रत्येक विद्यार्थी के पास द्रुतपाठ की पुस्तक हो। अध्यापक पठनीय विषय के सम्बन्ध में थोड़ी सी जानकारी कराए। विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए वह एक छोटी सी प्रस्तावना उपस्थित करे, जिस से वह विषय की पृष्ठ भूमि बताए। आवश्यकतानुसार ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा पौराणिक पृष्ठ भूमि बनाने से पठनीय विषय के समझने में सुविधा होगी। स्मरण रहे कि कहानी या वर्णन के रूप में पुस्तक में जो कुछ आगे पढ़ना हो, वह कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बता देने से सम्पूर्ण उत्सुकता नष्ट हो जाएगी।

(२) पृष्ठ-भूमि बताने के बाद, अध्यापक पाठ का वाचन कराए। वाचन कराने की निम्न विधियां हैं—

(i) अध्यापक स्वयं सस्वर वाचन करे, और विद्यार्थी सुनें। यह विधि लाभदायक नहीं, क्योंकि विद्यार्थियों का ध्यान इस प्रकार से केन्द्रित नहीं रहता। परन्तु यदि विद्यार्थियों के पास पुस्तकें न हों, तो ऐसी विधि अपनाई जा सकती है और बीच-बीच में अवधान की जांच करने के लिए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

(ii) विद्यार्थी पाठ का सस्वर वाचन करें। चार पांच विद्यार्थी बारी बारी दो दो तीन-तीन गद्यांश पढ़ते जाएं और शेष विद्यार्थी सुनते जाएं। बाद में अध्यापक बोध-परीक्षा के प्रश्न पूछे। *यह विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए अपनाई जा सकती है, उच्च कक्षाओं के लिए नहीं।*

(iii) सब से उपयोगी विधि यह है कि विद्यार्थियों को मौनपाठ करने के लिए

आदेश दिया जाए। जितने पृष्ठ पढ़ने हों, उतना निर्धारित करके, अध्यापक उन को पढ़ने का आदेश दे कर यह देखे कि विद्यार्थी अवधान पूर्वक पढ़ते हैं कि नहीं। फुसफुसाहट आदि को भी रोकना चाहिए। किसी का ध्यान इधर-उधर न रहे। वाचन की गति का भी ध्यान रखना चाहिए। कोशिश यह करनी चाहिए कि छात्र शीघ्र-अतिशीघ्र सारा निर्धारित पाठ बोधपूर्वक समाप्त करें, क्योंकि यह द्रुत-पाठ है, सूक्ष्म-अध्ययन का पाठ नहीं। प्रवाहपूर्ण अर्थ सहित वाचन ही इसका लक्ष्य है।

पाठ इतना लम्बा होना चाहिए कि एक दिन में, अर्थात् वह एक बैठक में समाप्त हो सके। वही पुस्तक में से एक पूरा अध्याय, या एक पूरी कहानी, पूरा एकांकी अथवा नाटक का एक पूरा अंक समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार के लिए पाठ की पूरी एक स्वतन्त्र इकाई चुननी चाहिए, नहीं तो खण्ड-खण्ड करके भिन्न-भिन्न अवसरों पर पढ़ाने से उत्सुकता और रोचकता जाती रहती है, और द्रुतपाठ प्रवाह का आनन्द नहीं आता।

(३) वाचन के बाद अर्थ-बोध तथा विषय बोध जाँचने के लिए उपयुक्त प्रश्न पूछने चाहिएँ। कहानी हो तो, सारी कहानी विद्यार्थियों से सुनानी चाहिए। नाटक हो तो, उस की कहानी के अतिरिक्त नाटकीय पात्रों का चरित्र-चित्रण भी पूछा जा सकता है।

§ 134. द्रुतपाठ की जाँच—

द्रुतपाठ की जाँच निम्न रीतियों से हो सकती है—

(i) अध्यापक पाठ सम्बन्धी प्रश्न श्यामपट पर वाचन से पहले ही लिख रखे। विद्यार्थी इससे सतर्क रहेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर वाचन के उपरान्त देना है।

(ii) अध्यापक वाचन के बाद प्रश्न पूछे। छात्र अपनी अपनी पुस्तकें बंद करके प्रश्नों का उत्तर दें।

(iii) विद्यार्थी स्वयं एक दूसरे से प्रश्न पूछें। अध्यापक उन प्रश्नों के उत्तरों का आवश्यकतानुसार संशोधन कराए।

(iv) अध्यापक पाठ के सम्बन्ध में रूपरेखा श्यामपट पर लिखे। छात्र उस रूपरेखा की सहायता से सारी बातें सुनाएँ।

(v) सारे पाठ का सार या संक्षेप पूछा जाए।

(vi) सत्यासत्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहु विकल्प आदि नवीन वस्तुगत प्रश्न पूछे जाएं।

पाठ में यदि गद्यांश कठिन हों, तो अध्यापक को उनकी व्याख्या करने में, या कठिन स्थलों का सरल अर्थ बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसके ... पर स्वाध्याय करने के लिए भी सहायक पुस्तकें देनी चाहिएँ

व्याकरण ग्रन्थों की रचना की।

इस प्रकार भारतवर्ष में व्याकरण के अध्ययन और अध्यापन की एक अविच्छिन्न परम्परा ही रही है। पाणिनि की अष्टाध्यायी ने संस्कृत को नियमबद्ध बनाकर अपरिवर्तनशील बना दिया। आधुनिक काल के भाषा-वैज्ञानिकों ने पश्चिम तथा पूर्व की सब भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय व्याकरण ग्रन्थों से बड़ी सहायता ली। व्याकरण के अध्ययन की इस परम्परा को जारी रखने के लिए, अध्यापक व्याकरण पर विशेष ध्यान रखते हैं।

(ii) पश्चिम में व्याकरण शिक्षण —यूनानी सभ्यता में व्याकरण की शिक्षा, शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग था। यूरोपीय इतिहास में पुनरुत्थान काल (Renaissance period) में व्याकरण शिक्षा का भी पुनरुत्थान हुआ। लेकिन का व्याकरण प्रत्येक विद्यालय में पढ़ाया जाने लगा। इंगलैंड में भी विक्टोरिया काल में व्याकरण की शिक्षा पर अत्यन्त बल दिया जाता था। यह परम्परा १९वीं शताब्दी तक चली। इसी के प्रभाववश अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी स्कूलों में अथवा सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी व्याकरण और तत्पश्चात् सभी भाषाओं के व्याकरण की शिक्षा पर अधिक बल डाला गया। अंग्रेजी व्याकरण के नियम रटे जाते थे।

पश्चिम का यह अनुकरण २०वीं, शताब्दी में भारतवासियों ने भी अपनाया। अपनी परम्परा के अनुसार भी व्याकरण शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग था, अतः व्याकरण का आवश्यक तथा अनावश्यक भाग स्कूलों में दिया जाने लगा।

§ 137. व्याकरण की आवश्यकता

उपर्युक्त पृष्ठ-भूमि इस बात की व्याख्या करती है कि स्कूलों में व्याकरण की शिक्षा पर इतना बल क्यों दिया जाता है? इसका कारण है, पूर्वी और पश्चिमी परम्परा। परन्तु प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्याकरण शिक्षा की कितनी आवश्यकता है? इस सम्बन्ध में तीन मत या सिद्धान्त हैं :—

(१) व्याकरणातिरेक का सिद्धान्त।
(२) अव्याकृति सिद्धान्त।
(३) सहयोग सिद्धान्त।

(१) व्याकरणातिरेक के सिद्धान्त के अवलम्बी व्याकरण की शिक्षा को अत्यन्त आवश्यक मानते हुए ... करते हैं—

(i) व्याक ... (mental discipline) स्थिर किया जा सकता है।

(ii) ... (transfer, एक विषय से दूसरे विषय में ... शुद्धता, पूर्णता आदि मान-

सिक वृत्तियों और आदर्शों की शिक्षा मिलती है, जिसका प्रयोग जीवन के अन्य क
में किया जा सकता है।

(ii) बिना व्याकरण पढ़ाए भाषा की शिक्षा ही न देनी चाहिए।

इस मत की आलोचना—'प्रशिक्षण का स्थानांतरण का सिद्धान्त' आज-क
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निर्मूल है। व्याकरण जैसे शुष्क विषय के द्वारा तर्क
आदि गुण क्यों सिखाए जायें। किसी रोचक विषय द्वारा क्यों नहीं? यह
कि रबड़ चबाने से जबड़ों में दृढ़ता आ सकती है, परन्तु रबड़ के बदले रव
न चबाई जाए? यदि इस सिद्धान्त में कुछ सत्य भी हो, तो व्याकरण ही क्यों
जाता है? दर्शन तथा गणित द्वारा भी उपर्युक्त आदतों का निर्माण हो सक
किसी विद्वान् ने सच कहा है कि यदि रोम वाले व्याकरण में लगे रहते, वे जगत-
कैसे बनते?

(२) अव्याकृति सिद्धान्त के अवलम्बी—व्याकरण की शिक्षा को अना
मानते हुए निम्न तर्क उपस्थित करते हैं

(i) व्याकरण का जन्म भाषा के लिए हुआ। व्याकरण भाषा का
जो अभ्यास और व्यवहार द्वारा भाषा सीखता है उसके लिए व्याकरण की शि
आवश्यकता नहीं। प्रायः देखा गया है कि सम्पादक, वक्ता और साहि
व्याकरणाचार्य भी प्रायः इन्हीं लेखकों का अनुसरण करते हुए व्याकरण के
बनाते हैं।

(ii) व्याकरण का उद्देश्य भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाना यदि अभ्यास
ऐसा प्राप्त किया जाता है तो व्याकरण जैसी शुष्क विद्या का अध्ययन करके
का नाश क्यों किया जाए?

(३) सद्योग सिद्धान्त के अवलम्बी—व्याकरण की शिक्षा पर अत्यधि
न डालते हुए, भाषा की शिक्षा के साथ रखना आदि के सहयोग से, (सिद्धांतो
से नहीं) व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता मानते हैं। वास्तव में यही मत स
है। व्याकरण पर अधिक बल डालना अर्थात् व्याकरण व्याकरण के लिए, कम
के लिए जैसे पढ़ाना, जितना विषमगामी विचार है, उतना ही यह विचार
व्याकरण के पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। दोनों अतिवादों को छोड़ कर
का अवलम्बन करते हुए व्याकरण की शिक्षा उचित विधि से और निश्चित उद्दे
लेकर देनी चाहिए। इस बात की पुष्टि तथा स्पष्टीकरण निम्न तीन विचारों
सकता है—

(i) व्याकरण की परिभाषा, लक्षण तथा स्वरूप,

(ii) व्याकरण की न्यूनतायें,

(iii) ... शिक्षण में व्याकरण का ...

व्याकरण ग्रन्थो की रचना की ।

इस प्रकार भारतवर्ष मे व्याकरण के अध्ययन और अध्यापन की एक अविच्छिन्न परम्परा सी रही है । पाणिनि की अष्टाध्यायी ने संस्कृत को नियमबद्ध बना कर अविचल बना दिया । आधुनिक काल में भाषा-वैज्ञानिकों ने पश्चिम तथा पूर्व की सभी भाषाओ के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय व्याकरण ग्रन्थो से बड़ी सहायता ली। व्याकरण के अध्ययन की इस परम्परा को जारी रखने के लिए, अध्यापक व्याकरण पर विशेष ध्यान रखते हैं ।

(ii) **पश्चिम में व्याकरण शासन**—यूनानी सभ्यता मे व्याकरण की शिक्षा, ज्ञान का महत्त्वपूर्ण अग था । यूरोपीय इतिहास मे पुनरुत्थान काल (Renaissance Period) मे व्याकरण शिक्षा का भी पुनरुत्थान हुआ । लेटिन का व्याकरण प्रत्येक विद्यालय में पढाया जाने लगा । इंगलैंड में भी विक्टोरिया काल मे व्याकरण की शिक्षा पर अत्यन्त बल दिया जाता था । यह परम्परा १९वीं शताब्दी तक चली । इसी के प्रभाववश अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी स्कूलों मे अथवा सरकारी स्कूलों मे अंग्रेजी व्याकरण और तत्पश्चात् सभी भाषाओ के व्याकरण की शिक्षा पर अधिक बल डाला गया । अंग्रेजी व्याकरण के नियम रटे जाते थे ।

पश्चिम का यह अनुकरण २०वीं, शताब्दी मे भारतवासियों ने भी अपनाया। अपनी परम्परा के अनुसार भी व्याकरण शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अग था, अत व्याकरण का आवश्यक तथा अनावश्यक ज्ञान स्कूलो मे दिया जाने लगा ।

137 व्याकरण की आवश्यकता

उपर्युक्त पृष्ठ-भूमि इस बात की व्याख्या करती है कि स्कूलों मे व्याकरण की शिक्षा पर इतना बल क्यों दिया जाता है ? इसका कारण है, पूर्वी और पश्चिमी परम्परा । परन्तु प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्याकरण शिक्षा की कितनी आवश्यकता है? इस सम्बन्ध मे तीन मत या सिद्धान्त हैं :—

(१) व्याकरणातिरेक का सिद्धान्त ।
(२) अव्याकृति सिद्धान्त ।
(३) सहयोग सिद्धान्त ।

(१) व्याकरणातिरेक के सिद्धान्त के अवलम्बी व्याकरण की शिक्षा को अत्यन्त आवश्यक मानते हुए निम्न तर्क उपस्थित करते हैं—

(i) व्याकरण द्वारा मानसिक अनुशासन (mental discipline) स्थिर किया जा सकता है ।

(ii) प्रशिक्षण (Training) का स्थानांतरण (transfer, एक विषय से दूसरे विषय में हो सकता है । व्याकरण द्वारा तर्क-वितर्क, शुद्धता, पूर्णता आदि मान-

(ii) प्रत्येक भाषा का अपना ध्वनि विचार (phonol
(morphology), अर्थ विचार (semantics) और वाक्य वि
होता है। इन सभी का विश्लेषण करने पर कई विशिष्ट सिद्धांत प्रा
के पूर्ण ज्ञान के लिए इनका जानना, विशेषकर, अध्यापक के लिए, आव
सिद्धान्त को यदि एक बार समझाया जाए तथा अभ्यास कराया जाए
होती है।

उदाहरण—पंजाबी विद्यार्थी अपनी मातृ-भाषा में 'पीलियां
कन्यां', आदि कहते हुए स्त्रीवाचक विशेष्यों के विशेषणों को भी
और इस के प्रभाववश हिन्दी में भी 'पीलियां साड़ियां, कालियां कि
लगते हैं, जो हिन्दी में अशुद्ध है। एक बार इस नियम के समझाने
दूर हो सकती है।

(iii) मातृ-भाषा को छोड़ कर अन्य भाषाओं को सीखने के लि
सहायक है। तुलनात्मक विधि से मातृ-भाषा के शब्दों, कारकों, क्रिया
के साथ, हिन्दी के शब्दों, कारकों, क्रियापदों आदि का ज्ञान भी कर
ध्वनि, शब्द और वाक्य विन्यास में, मातृ-भाषा और अन्य भाषा
व्याकरण के नियमों द्वारा शुद्ध ज्ञान कराया जा सकता है। ऊपर का
उल्लेखनीय है।

(iv) भाषा की अशुद्धियां व्याकरण द्वारा ही सीखी जा सकती
विद्यार्थी भाषा के शुद्ध रूप के सम्बन्ध में तब तक निश्चिन्त और विश्व
जब तक उसे व्याकरण का ज्ञान न हो। व्याकरण ज्ञान के बिना
उच्छृंखलता, निरंकुशता और अव्यवस्था आ जाती है।

(v) व्याकरण अध्यापक के लिए अत्यन्त आवश्यक है। व्याक
अनुसार वह अपना पाठ तैयार करता है और उसमें वह छात्रों को अ
अन्य भाषा सीखने के लिए तो यह विधि अत्यन्त आवश्यक है।

(vi) व्याकरण की शिक्षा तभी दूषित है जब व्याकरण को
पढ़ाया जाए। व्याकरण भाषा ज्ञान का साधन है, न कि साध्य
कठिन नियमों की पढ़ाई व्यर्थ है, जिनका प्रयोग नहीं होता। व्याकर
में यही दोष है। अतएव व्याकरण की पढ़ाई भाषा के लिए है,
(mental discipline) के लिए नहीं। अतः सैद्धान्तिक व्याकरण
grammar) के बदले प्रयोगात्मक व्याकरण (applied gra
चाहिए। जैस्परसन का कथन है कि व्याकरण तब तक पढ़ना नहीं
भाषा का ज्ञान न हो।[1]

---

1. Nobody should study the Grammar
............Auto Jesperson.

व्याकरण की शिक्षण-प्रणालियाँ

व्याकरण पढ़ने की विभिन्न प्रणालियां प्रचलित हैं। प्रधान रूप से व्याकरण पढ़ाने की तीन प्रणालियां हैं—

(१) अभ्यावृति या भाषा समर्ग प्रणाली।

(२) व्याख्या प्रणाली।

(३) सिद्धान्त प्रणाली।

सिद्धान्त प्रणाली के भी दो रूप हैं—

(क) पाठ्यपुस्तक प्रणाली।

(ख) सूत्र प्रणाली।

व्याख्या प्रणाली की भी दो शाखाएं हैं—

(ग) प्रयोग प्रणाली अथवा विश्लेषण प्रणाली।

(घ) सहयोग प्रणाली अथवा प्रासंगिक प्रणाली।

ये विभिन्न प्रणालियाँ निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती हैं—

नीचे प्रत्येक प्रणाली की व्याख्या दी जाती है :—

§ 141. अभ्याकृति अथवा भाषा संसर्ग-प्रणाली—

(क) विशेषताएँ—इस प्रणाली के अनुसार सिद्धान्त तथा नियम पृथक् रूप से सिखाने के बिना ही रचना तथा अभ्यास द्वारा व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है।

व्याकरण का उद्देश्य है शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना। यदि इस उद्देश्य की पूर्ति नियम सिखाने के बिना ही भाषा का प्रयोग और निरन्तर अभ्यास द्वारा हो जाए, तो व्याकरण पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? इस घर पर मातृ भाषा किस प्रकार सीखते हैं? वहाँ भी व्याकरण की शिक्षा के बिना ही अभ्यास द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखा जाता है। इसी प्रकार कक्षा में भी संवाद, प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक तथा रचना द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखा जा सकता है। अशिक्षित प्रौढ़ भी शुद्ध भाषा बोलते देखे जाते हैं। संक्षेप में इस प्रणाली का सार है, व्याकरण के बिना ही भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाना और इस प्रकार व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करना।

(ख) दोष— इस प्रणाली में निम्न दोष हैं —

(i) व्याकरण में सहस्रों नियम केवल भाषा-संसर्ग द्वारा नहीं सीखे जा सकते। यदि सीखे भी जाएँ, तो समय अधिक व्यय होगा।

(ii) किसी भाषा को पूर्ण रूप से सीखने के लिए व्यवस्थित रूप से व्याकरण के सीखने की आवश्यकता पड़ती है। ऊपर 'भाषा शिक्षण में व्याकरण का स्थान'—इस प्रकरण में यह बात स्पष्ट हो गई है।

(iii) अध्यापक व्याकरण सिखाये बिना विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा के सम्बन्ध में निश्चिन्त नहीं हो सकता।

(ग) गुण तथा प्रयोग—अव्याकृति प्रणाली सर्वथा दोष-युक्त नहीं है। वास्तव में यह विशेष अवस्था में प्रयोज्य है। प्राइमरी कक्षाओं में व्याकरण पढ़ने की यही प्रणाली लाभदायक है। चौथी तक की श्रेणी के बच्चों की मानसिक अवस्था व्याकरण के सिद्धान्त, परिभाषा नियम आदि समझने के योग्य नहीं। इस अवस्था में रचना तथा अभ्यास द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग कराया जा सकता है। अध्यापक केवल यह देखे कि बच्चे जो कुछ बोलें या लिखें, वह ठीक हो। वह बच्चों को ऐसी पुस्तकें दें, जिन्हें वे समझ सकें और उनका अनुकरण कर सकें। यदि मौखिक रचना पर्याप्त मात्रा में हो जाये, तो बच्चे बिना रोक-टोक के शुद्ध बोलते जायेंगे।

§ 142. प्रयोग प्रणाली या विश्लेषण प्रणाली—

(क) लक्षण—इस प्रणाली के अनुसार व्याकरण के किसी नियम को समझाने के लिए विद्यार्थियों के सामने अनेक उदाहरण रखे जाते हैं और विद्यार्थियों से ही प्रश्नोत्तर, तर्क-वितर्क तथा कार्य गुण विवेचना द्वारा सिद्धान्त स्थिर कराये जाते हैं और तत्पश्चात् उस सिद्धान्त का प्रयोग करवाया जाता है।

उदाहरण १ :—द्वन्द्व समास सिखाने के लिए पहले माता-पिता सुख-दुख, राजा-रानी, दिन-रात, पशु-पक्षी आदि उदाहरण उपस्थित किये जाते हैं, तत्पश्चात् इन सभी शब्दों की साधारण विशेषता पर बल डाल कर द्वन्द्व समास का ज्ञान कराया जा सकता है।

उदाहरण २—विशेषणों के भेद सिखाने के लिए चार वर्गों के निम्न उदाहरण उपस्थित कराये जा सकते हैं—

(क) काला, पीला, लम्बा, पतला, अच्छा, नया, गीला, बंगाली, चीनी।

(ख) थोड़ा, बहुत, सारा, कुछ।

(ग) दस, पन्द्रह, पहला, चारों, आधा।

(घ) वैसा, कितना, जैसा, जितना।

इस के पश्चात् इन चारों वर्गों के सम्बन्ध में क्रमशः गुण, परिणाम, संख्या तथा निर्देश का बोध कराया जा सकता है, और अन्त में विशेषणों के चार भेद गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, तथा निर्देशवाचक स्वतार्थ कराये जा सकते हैं। विशेषणों के भेद समझाने के बाद नये उदाहरण दिए जा सकते है। 'मोटा' किस प्रकार का विशेषण है?—ऐसे प्रश्नों द्वारा बोध परीक्षा ली जा सकती है। इस प्रकार उदाहरणों से नियम की ओर, और नियम से फिर उदाहरण की ओर जाने को अर्थात् आगमन विधि (inductive method) और निगमन विधि (Deductive method) के संयोग को प्रयोग प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इस विधि में शब्दों अथवा वाक्यों का विश्लेषण कराया जाता है। और विश्लेषण के द्वारा ही नियम निकलवाए जाते हैं, इस लिए इस विधि को विश्लेषण विधि (Analytical method) भी कहते हैं। संक्षेप में प्रयोग प्रणाली के निम्न साधन हैं—

(क) आगमन विधि

१. उदाहरणों को प्रस्तुत करना।

२. उदाहरणों की मीमांसा।

३. नियम बनाना।

(ख) निगमन विधि

४. नियमों की पड़ताल

५. नियमों का प्रयोग

(ख) गुण—व्याकरण सिखाने के लिये यह विधि सब से उत्तम है। पांचवी श्रेणी से जब व्याकरण की शिक्षा आरम्भ कराई जाए, तो व्याकरण के नियम तथा परिभाषाओं को रटन्त प्रणाली से याद कराने के बदले रोचक और मनोवैज्ञानिक ढंग से सिखाने के लिये इसी प्रणाली का अनुकरण करना चाहिये। इस प्रणाली में व्याकरण की किसी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं, और न ही परिभाषाओं और नियमों के रटने की। यह प्रणाली 'साधारण से विशेष', 'मूर्त से 'अमूर्त' उदाहरण से नियम', ज्ञात से अज्ञात,' आदि सिद्धान्त-सूत्रों के बिल्कुल अनुसार है। इस विधि का प्रयोग मिडिल

आरम्भ होती है और नियम से उदाहरण की ओर जाती है। सूत्र प्रणाली पाठ्यपुस्तक प्रणाली से इतनी ही भिन्न है कि जहाँ पाठ्यपुस्तक प्रणाली में लम्बे चौड़े नियम याद कराए जाते हैं, वहाँ सूत्र प्रणाली में संक्षिप्त सूत्र याद कराये जाते हैं।

दोष—सूत्र-प्रणाली सर्वथा दोष-युक्त है। नीरस और शुष्क होने के अतिरिक्त यह बच्चों के मन पर अनावश्यक दबाव डालती है। इस में बिना समझे रटना पड़ता है, जो अवैज्ञानिक है। उदाहरणों के अभाव में यह सब निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि प्रयोग और अभ्यास के अभाव में व्याकरण सीखना असम्भव है। संस्कृत शिक्षा में भी इस प्रणाली का अब परिहार हो रहा है।

§ 146. व्याकरण की शिक्षा प्रणालियों का क्रम

उपर्युक्त प्रणालियों में से सूत्र-प्रणाली को छोड़ कर शेष सभी प्रणालियाँ प्रयुक्त हैं। प्रारम्भ में प्रासंगिक प्रणाली के द्वारा, मिडिल कक्षाओं में आगमन प्रणाली अर्थात् विश्लेषण प्रणाली और सहयोग प्रणाली द्वारा, तथा उच्च कक्षाओं में आगमन प्रणाली के अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक प्रणाली द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। सूत्रों की कोई आवश्यकता नहीं। उच्च कक्षाओं में आगमन और निगमन प्रणाली दोनों के प्रयोग की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ समासों के भेद पढ़ाने के लिए निम्न सोपान अपेक्षित हैं।

(i) सर्वप्रथम प्रत्येक भेद के उदाहरण समुपस्थित किये जायें।

(ii) एक वर्ग के उदाहरणों के समानरूप समास अलग कराये जायें।

(iii) समानरूप समासों से सिद्धान्त स्थिर कराया जाए और प्रत्येक भेद स्पष्ट कराया जाए।

(iv) अन्य उदाहरण उपस्थित करके बोध परीक्षा भी जाए। यहाँ तक तो आगमन प्रणाली काम आएगी।

(v) व्याकरण की पाठ्यपुस्तक में से अभ्यास के प्रश्न पूछे जायें, तथा इन उदाहरणों का पुनरावर्तन करने का आदेश दिया जाए। यहाँ निगमन प्रणाली या पाठ्यपुस्तक प्रणाली की आवश्यकता है।

(vi) [illegible] के प्रयोग तथा अभ्यास के लिए [illegible] [illegible] के साथ [illegible]। यहाँ पाठ्यपुस्तक और [illegible] होगा।

§ 147. व्याकरण पढ़ाने के [illegible]—

[illegible]

(i) [illegible]

(ii) व्याकरण पढ़ाने में रटंत प्रणाली का सर्वथा परिहार करना चाहिए। परिभाषाएँ, नियम अथवा सिद्धांत रटने के बदले समझाने चाहिएँ और प्रयोग तथा अभ्यास द्वारा स्थिर कराने चाहिएँ।

(iii) व्याकरण उतना ही पढ़ाना चाहिए, जितना बालकों के लिए बोझ न हो और जितना वे एक बैठक में सीख सकें, और शीघ्र व्यवहार में प्रयोग करते चल सकें।

(iv) हिन्दी की सर्वसाधारण भूलों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। सभी भूलों या अशुद्धियों का एक ही साथ सुधार नहीं करना चाहिए। सम्भव है कि बालक एक ही वाक्य में अक्षरों की चार अशुद्धियाँ, शब्द-क्रम की दो अशुद्धियाँ, क्रियापदों की दो अशुद्धियाँ, कारक चिह्न की एक अशुद्धि तथा विराम चिह्न की एक अशुद्धि दर्शाता है। सभी अशुद्धियों के बदले दो तीन अशुद्धियाँ ही ठीक करने के उपरांत, आगे अन्य वाक्यों में अन्य अशुद्धियाँ ठीक करनी चाहिएँ। छोटी कक्षाओं में अधिक संशोधन बोझल बन जाता है।

(v) व्याकरण की शिक्षा तभी दी जा सकती है, जब बालक भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के योग्य हो जाए। तीसरी श्रेणी में ही संज्ञा विशेषण आदि सिखाने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी बनना विद्यार्थियों को हानि पहुंचाता है।

(vi) अध्यापक को हिन्दी व्याकरण का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और बालकों को पाठ्यपुस्तकों से या अन्य विधि से व्याकरण के किसी एक सिद्धांत के लिए अनेक उदाहरण संकलित करने चाहिएँ।

(vii) व्याकरण के शुष्क सिद्धांतों को रोचक बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके निमित्त सभी दृश्य और श्रव्य साधनों का समुचित प्रयोग करना चाहिए चार्ट, तालिकाएँ, चित्र आदि का प्रयोग व्याकरण शिक्षा में अत्यन्त अपेक्षित है। प्रारम्भिक कक्षाओं में कहानी द्वारा भी रुचि उत्पन्न की जा सकती है।

उदाहरण—छठी कक्षा को लिंग-भेद समझाने के लिए एक ऐसी कहानी चार्ट द्वारा उपस्थित कीजिए, जिसमें लिंग की अशुद्धियाँ हों। लिंग की अशुद्धियों की ओर संकेत करके अशुद्धियों के कारण पूछे जा सकते हैं। 'कुत्ता रोटी खाती थी', 'मैं ने पुस्तक पढ़ा', 'बालक रोटी खाती थी' आदि वाक्यों में कौन सी अशुद्धियाँ हैं? क्रिया और कर्ता का सम्बन्ध समझाते हुए दोनों के लिंग का निर्णय कराया जा सकता है।

अन्त में यह कहना आवश्यक है कि व्याकरण की शिक्षा व्याकरण के लिए नहीं, (वरन् उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए) देनी चाहिए। अतः अध्यापक का ध्यान विद्यार्थियों की शुद्ध भाषा पर रहना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों की सभी अशुद्धियों का वर्गीकरण करे, जैसे लिंग की अशुद्धियाँ, वचन की अशुद्धियाँ, विशेषण की अशुद्धियाँ, सर्वनाम की अशुद्धियाँ, क्रियापद की अशुद्धियाँ, आदि। इसे छात्रों को प्रत्येक वर्ग की अशुद्धियों को समझाना चाहिए। ऐसी अशुद्धियों का संशोधन व्याकरण शिक्षा का परम उद्देश्य है। अक्षरों की अशुद्धियाँ अन्य स्थान पर आ जायेंगी।

अभ्यासात्मक प्रश्न

१. माध्यमिक या उच्चतर कक्षाओं में व्याकरण की शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए ? [§ 146]

२. व्याकरण को प्रासंगिक रीति से पढ़ाने से क्या तात्पर्य है ? उस विधि का प्रयोग कब और कैसे किया जा सकता है ? [§ 141]

३. हिन्दी व्याकरण की प्रारम्भिक शिक्षा में आगमन—निगमन विधि का स्थान निर्धारित कीजिए। उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। [§ 142]

४. सहयोग प्रणाली और प्रसंग प्रणाली की परस्पर तुलना कीजिए। दोनों में कौन सी विधि उपादेय है ? यदि दोनों उपादेय हों तो उनका प्रयोग किन किन अवस्थाओं में होना चाहिए ? [§ 142, 143]

५. हिन्दी व्याकरण को पाठ के साथ कैसे समवेत करेंगे ? [§ 143]

६. हिन्दी की कारक विभक्तियों का ज्ञान आप कैसे देंगे ? कारक विभक्तियाँ समझाने के लिए पाठ संकेत लिखें। [§ 142]

७. प्रारम्भिक मिडिल तथा हाई कक्षाओं के लिए व्याकरण की कौन कौन सी प्रणाली उपयुक्त है ? सोदाहरण समझाइए। [§ 146]

८. भाषा शिक्षण में विशेषकर हिन्दी की शिक्षा में व्याकरण का स्थान निर्धारित कीजिए। व्याकरण पढ़ाने की कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित हैं ? उन में आप किस विधि के पक्ष में हैं और क्यों ? [§ 140, 141—145, 146]

प्रयोगात्मक व्याकरण

§ 148. प्रयोगात्मक व्याकरण क्या है?

पीछे कहा गया है कि प्रयोगात्मक व्याकरण का उद्देश्य है लेखक को शुद्ध लिखने बोलने के लिए निर्देश देना। व्याकरण के पारिभाषिक शब्द और नियम उसी साध्य के लिए साधन हैं। कारक विभक्तियाँ सिखाने का उद्देश्य यह नहीं कि छात्र कर्त्ता, कर्म करण सम्प्रदान आदि को रट ले, यह भी नहीं कि छात्र गाय शब्द के आठों विभक्तियों में रूप रट लें। विभक्तियों का शुद्ध प्रयोग सिखाने के लिए ही इन पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। छात्र बहुधा विभक्ति की अशुद्धियाँ करते हैं। ऐसी अशुद्धियाँ कैसे दूर कराई जायें? अशुद्धि समझाने में अध्यापक का संपूर्ण प्रयत्न इसी ओर रहना चाहिए कि कारकों के नाम बताने के बाद कारक-विभक्ति का शुद्ध प्रयोग समझाया जाए, और साधारण भूलों का परिहार कराया जाए। छात्र विभक्तियों के अशुद्ध प्रयोग के अतिरिक्त अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं, जैसे—विशेषण और प्रत्ययों की अशुद्धियाँ, सन्धि समास की अशुद्धियाँ वचन की अशुद्धियाँ, लिंग की अशुद्धियाँ, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग, विशेषण का अशुद्ध प्रयोग, क्रिया और क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग, मुहावरों का अशुद्ध प्रयोग, विदेशी भाषाओं के प्रभाव के कारण अशुद्ध प्रयोग आदि। ऐसी अशुद्धियों के नमूने नीचे दिए जाते हैं।

§ 149. अशुद्धियों के प्रकार—

(१) विशेषण और प्रत्ययों की अशुद्धियाँ—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
सौंदर्यता	सौंदर्य	क्रोधित	क्रुद्ध
आधीन	अधीन	अचंभित	अचंभा
दुरावस्था	दुरवस्था	उद्देशित	उद्दिष्ट
कट्टरता	कट्टरपन	गौरवता	गौरव
महानता	महत्ता	ऐक्यता	एकता
साफल्यता	सफलता	निर्गुणी	निर्गुण
निर्दोषी	निर्दोष	निर्लोभी	निर्लोभ
पूज्यनीय	पूज्य		

(२) सन्धि की अशुद्धियाँ—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
देविन्द्र	देवेन्द्र	परमीश्वर	परमेश्वर
रविन्द्र	रवीन्द्र	महुत्सव	महोत्सव
मतेक्य	मतैक्य	अतिधिक	अत्यधिक
सरजन	सज्जन	जगतीश	जगदीश
जगतनाथ	जगन्नाथ	विवाह-विछेद	विवाह-विच्छेद
निश्कपट	निष्कपट	निश्काम	निष्काम

(३) वचन की अशुद्धियाँ—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
सख्यायें	सख्याएँ	आवश्यक्तायें	आवश्यकताएँ
सख्यावो	सख्याओ	आवश्यकतावो	आवश्यकताओ
रोटियेँ	रोटियाँ	सदियेँ	सदियाँ
दयालू	दयालुओ	माधुवो	माधुओं
वस्तूयें	वस्तुएँ	हिंदूओ	हिन्दुओ

(४) लिंग की अशुद्धियाँ—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
नाक बहता है	नाक बहती है	खाल उतारा	खाल उतारी
अच्छी पीतल	अच्छा पीतल	अच्छा चादी	अच्छी चान्दी
मीठा मक्खी	मीठी मक्खी	मैला मूँग	मैली मूँग
शराब पिया	शराब पी	घी खरीदी	घी खरीदा
ठण्डा वायु	ठण्डी वायु	पिसे हुए मिर्च	पिसी हुई मिर्च
नमक गिरी	नमक गिरा	दही जमी	दही जमा
लात मारा	लात मारी	ऊँचा छत	ऊँची छत
बड़ा तराजू	बड़ी तराजू	छोटी चाकू	छोटा चाकू
लम्बा सांस	लम्बी सांस	आप का पहिचान	आप की पहचान
मेरा आय	मेरी आय	मेरी वेतन	मेरा वेतन
भीख मागा	भीख मागी	अच्छा देश-प्रेम	अच्छी देश-प्रेम
पुस्तक पढ़ा	पुस्तक पढ़ी	विजय पाया	विजय पाई
मृत्यु हुआ	मृत्यु हुई	बड़ी चित्र	बड़ा चित्र
छोटी बिन्दु	छोटा बिन्दु	मेरा आत्मा	मेरी आत्मा
दीवार गिरा	दीवार गिरी	हमारा सरकार	हमारी सरकार
मशीन का नाम मिला	मशीन		

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
बारिश हुआ	बारिश हुई	ऊंचा दुकान	ऊँची दुकान
फीकी पकवान	फीका पकवान	तलाश किया	तलाश की
आप का इज्जत	आप की इज्जत	दुनियाँ बदला	दुनिया बदली
होश न रहा	होश न रही	अच्छे तरह	अच्छी तरह
मोटा अक्ल	मोटी अक्ल	मीठी हिसाब	मीठा हिसाब
कुरती धुलती है	कुरता धुलता है	कमीज धुलता है	कमीज़ धुलती है
रामायन का टीका	रामायण की टीका	माथे की टीका	माथे का टीका
मेरा देह	मेरी देह	पूरा मंदिर	पूरी मन्दिर
तुम्हारी नाक में दम	तुम्हारा नाक में दम	तुम्हारी झूठ	तुम्हारा झूठ
विद्वान स्त्री	विदुषी स्त्री	मौसिम आयी	मौसम आया
बस चला	बस चली	लम्बी बैंच	लम्बा बैंच
बड़ा बोतल	बड़ी बोतल	लालच बढ़ती है	लालच बढ़ता है
अदालत बैठा	अदालत बैठी	अपील भेजा	अपील भेजी
		आप की तार आई	आपकी तार आया

(५) विभक्ति की अशुद्धियाँ—

अशुद्ध	शुद्ध
माता ने हँसा ।	माता हँसी ।
मैं पूछा ।	मैंने पूछा ।
वह हंसा और कहा ।	वह हँसा और उसने कहा ।
मैं अध्यापक के पास गया और प्रश्न पूछा ।	मैं अध्यापक के पास गया और मैंने प्रश्न पूछा ।
उस युवती ने खिल खिलाया ।	वह युवती खिलखिलाई ।
वह मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ा ।	वह मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ा ।
पुस्तक को खरीदने के लिए पैसे नहीं ।	पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं ।
हम को बहुत सी बातों को सीखना है ।	हम को बहुत सी बातें सीखनी हैं ।
आप अवश्य सुने होंगे ।	आप ने अवश्य सुना होगा ।
वे हम से पूछे थे ।	उन्होंने हम से पूछा था ।
किरायादार को मकान छोड़ने को कहा गया ।	किरायेदार से मकान छोड़ने के लिए कहा गया ।
लक्ष्मण सीता जी छोड़ने गये थे ।	लक्ष्मण सीता जी को छोड़ने गये थे ।

अशुद्ध	शुद्ध
यह दो हजार रुपयों का नोट है।	यह दो हजार रुपये का नोट है।
दो मुहों वाला बच्चा पैदा हुआ।	दो मुँह वाला बच्चा पैदा हुआ।
लड़का बुलाओ।	लड़के को बुलाओ।
भाई ने बहिन बुलाई।	भाई ने बहिन को बुलाया।
वह निर्धनता पाप समझता है।	वह निर्धनता को पाप समझता है।
मैं दस तारीख आया।	मैं दस तारीख को आया।
पक्षियों ने हंस राजा चुना।	पक्षियों ने हंस को राजा चुना।
मैंने लड़के को पूछा।	मैंने लड़के से पूछा।
मैं रेल में सफर नहीं करता।	मैं रेल से सफर नहीं करता।
वह सब में छोटा है।	वह सब से छोटा है।
मैं ने यह कपड़ा पाँच रुपए का लिया।	मैंने यह कपड़ा पाँच रुपये में लिया।
गाड़ी दस बज कर पन्द्रह मिनट को आती है।	गाड़ी दस बज कर पन्द्रह मिनट पर आती है।
इस कार्य को करते हमें बहुत दिन हुए।	इस कार्य को करते हुए हमें बहुत दिन हुए।
बाद दोपहर किसी समय आयें।	आप दोपहर को किसी समय आयें।
हम को पढ़ना चाहिए।	हमें पढ़ना चाहिए।
उन के पास पत्र लिखा गया।	उन्हें पत्र लिखा गया।
लड़के ने पत्थर को फेंका।।	लड़के ने पत्थर फेंका।
मैं पुस्तक पढ़ने को बैठा।	मैं पुस्तक पढ़ने बैठा।
किसान कितने कष्टों को सहते हैं।	किसान कितने कष्ट सहते हैं।
अपने देश को मत छोड़ो।	अपना देश मत छोड़ो।
सद्विचारों को ग्रहण करो।	सद्विचार ग्रहण करो।
छापेखाने का ईजाद चीन में हुई।	छापेखाने की ईजाद चीन में हुई।
शीशा की खिड़की टूट गई।	शीशे की खिड़की टूट गई।
इस कारण से हम दुखी हैं।	इस कारण हम दुखी हैं।
नौकर के हाथ से दवाई भेज दो।	नौकर के हाथ दवाई भेज दो।
मुझे आप को कुछ कहना है।	मुझे आप से कुछ कहना है।
मेज पर फाइल इधर ले आना।	मेज पर की फाइल इधर ले आना।
पुस्तक के दूसरे पृष्ठ पर गलत सवाल हैं।	पुस्तक के दूसरे पृष्ठ में गलत सवाल
मुझे व्यापार में ही लाभ है।	मुझे व्यापार में ही लाभ है।
यह मकान तो देखने पर ठीक है पर रहने योग्य नहीं।	यह मकान तो देखने में ठीक है पर योग्य नहीं।
कुछ समझ नहीं आता।	कुछ समझ में नहीं आता।

अशुद्ध	शुद्ध
नेहरू जी का वेतन मेरे लिए थोड़ा है।	नेहरू जी तक का वेतन मेरे लिए थोड़ा है।
इन दो में से कलम उठा लो।	इन में से दो कलमें उठा लो।
मैं व्यापार में धन कमाता हूं।	मैं व्यापार से धन कमाता हूं।
नौकर के हाथ में कुछ नहीं आया।	नौकर के हाथ कुछ नहीं आया।
मैंने अपने नाम पर अंगूठी बनवाई।	मैं ने अपने नाम की अंगूठी बनवाई।
मैंने अपने नाम का मकान खरीदा।	मैं ने अपने नाम पर मकान खरीदा।
नौकर ने आप के नाम की मिठाई ली।	नौकर ने आप के नाम से मिठाई ली।
लाल किला में स्वतन्त्रता का दिवस मनाया गया।	लाल किले में स्वतन्त्रता-दिवस मनाया गया।
इसे कहने की आवश्यकता नहीं।	यह कहने की आवश्यकता नहीं।
वे समुद्र में सैर करने गए।	वे समुद्र की सैर करने गए।
उस आदमी, जो आप के पास आएगा को मेरी पुस्तक दें।	उस आदमी को, जो आप के पास आएगा मेरी पुस्तक दें।

शब्दों का अशुद्ध प्रयोग

(क) सर्वनाम

अशुद्ध	शुद्ध
उसने प्रार्थना की कि परमात्मा उसे सहायता दे।	उसने प्रार्थना की कि परमात्मा मुझे सहायता दे।
आप ने कहा कि आप बेकार हैं।	आपने कहा कि मैं बेकार हूं।
आप ने कहा कि अध्यापक उसे बहुत पीटता है और उसे स्कूल छोड़ने का विचार किया।	लड़के ने कहा कि अध्यापक मुझे बहुत पीटता है और मेरा स्कूल छोड़ने का विचार है।
वकील ने कहा कि अपराधि को दण्ड देने से पहले उस के एक प्रश्न का उत्तर दें।	वकील ने कहा कि अपराधी को दण्ड देने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें।
आजकल दिल्ली में एक ऐसी प्रदर्शिनी है, जिसे सब को देखना चाहिए।	आजकल दिल्ली में एक ऐसी प्रदर्शिनी है, जो सब को देखनी चाहिए।
बिमार की हालत ऐसी खराब है कि उसे कहा नहीं जाता।	बीमार की हालत ऐसी खराब है कि वह कही नहीं जा सकती।
तुम सदृश्य सत्यवादी कोई नहीं।	तुम्हारे सदृश्य सत्यवादी कोई नहीं।

(ग) क्रिया

अशुद्ध	शुद्ध
पांच बज गया ।	पांच बज गये ।
यह सड़क ताजमहल तक ले जाती है ।	यह सड़क ताजमहल तक जाती है ।
दवाई ले कर बीमार मर गया ।	दवाई पी कर बीमार मर गया ।
दस घण्टे चलकर उसकी थकावट बढ़ गई ।	दस घण्टे चलने से उसकी थकावट बढ़ गई ।
दस की गाड़ी से रह गया, जब मैं पहुंचा गाड़ी छूट गई ।	दस की गाड़ी से रह गया, जब मैं पहुंचा गाड़ी छूट चुकी थी ।
जब तुम बड़े होगे तो मेरी सेवा करोगे ।	जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरी सेवा करोगे ।
इस लाठी से तुम्हारा सिर तोड़ूंगा ।	इस लाठी से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा ।
आजादी लड़ कर मिलेगी ।	आजादी लड़ने से मिलेगी ।
मैंने वह स्थान देखा, जहाँ महात्मा गाँधी मरे हुए थे ।	मैंने वह स्थान देखा, जहाँ गाँधी जी मारे गये थे ।
वे पुराने दिन लौट आयें, जब भारतवर्ष में सब लोग सम्पन्न हों ।	वे पुराने दिन लौट आए, जब भारतवर्ष में सब सम्पन्न थे ।
सरकार का कर्तव्य है कि वह भूख और रोग दूर करे ।	सरकार का कर्तव्य है कि अन्न की कमी और रोग दूर करे ।
उन के साथ उचित न्याय किया गया ।	उन के साथ न्याय किया गया ।
हम सरकार द्वारा सहायता के भागी हैं ।	हम सरकार द्वारा सहायता के अधिकारी हैं ।
अपराधी दण्ड का अधिकारी है ।	अपराधी दण्ड का भागी है ।
अगली पीढ़ियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता ।	पिछली पीढ़ियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता । अथवा आने वाली पीढ़ियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता । (दोनों वाक्यों का अर्थ भिन्न है) ।

(घ) शब्द-क्रम

अशुद्ध	शुद्ध
प्रसाद जी के पिता पुराने तम्बाकू के व्यापारी थे ।	प्रसाद जी के पिता तम्बाकू के पुराने व्यापारी थे ।
हाकी के खिलाड़ी एकादश वहां बैठे थे ।	ग्यारह हाकी खिलाड़ी वहां बैठे थे ।
कुम्भ के मेले में यात्रियों की असंख्य जानें गईं ।	कुम्भ के मेले में असंख्य यात्रियों की जानें गईं ।
मक्खियां मधु कोष से निकालती हैं ।	मक्खियाँ कोष से मधु निकालती हैं ।
आपका पत्र मय लेख के प्राप्त हुआ ।	आपका पत्र लेख सहित प्राप्त हुआ ।

अशुद्ध	शुद्ध
प्राचीन भारत वर्ष का इतिहास।	भारत वर्ष का प्राचीन इतिहास।
आज की युद्ध की खबरें।	युद्ध की आज की खबरें।
मैं पिता के समान उनको पूजता हू।	मैं उन को पिता के समान
इस दवाई से मच्छर नाश हो जाते हैं।	इस दवाई से मच्छर नष्ट हं
मैंने अपनी पुस्तक गुरु जी को समर्पण कर दी।	मैंने अपनी पुस्तक गुरु जो क दी।
उसका असफल होना निश्चत है।	उसका असफल होना निश्चित है।
इस झील की सुन्दर शोभा का क्या कहना।	इस झील की शोभा का क्या

(ङ) क्रिया-विशेषण

अशुद्ध	शुद्ध
मैं दौडता दौडता थक गया।	मैं दौडते-दौडते थक गया।
मैं तो कब से यहाँ बैठा हू।	मैं तो कब का यहाँ बैठा हू।
गाडी मत चली गई।	गाडी चली तो नही गई।

(७) प्रांतीय और अग्रेजी प्रभाव के कारण अशुद्धियां।

(i) अग्रेजी का प्रभाव

अशुद्ध	शुद्ध
अब मैं आप से निवेदन करूगा कि आप सभापतित्व पद को स्वीकार करें।	अब मैं आप से निवेदन करता आप . . ।
प्रजा सरकार से अन्न के लिए माग करती है। (making damand)।	प्रजा सरकार से अन्न माग रही है
प्रजा का भी धैर्य के साथ काम करना चाहिए।	प्रजा को भी धैर्य से काम क चाहिए।
न केवल यही, प्रजा को इस काम मे स्वय भाग लेना चाहिए।	यही नही, प्रजा को ।
अन्न की समस्या शीघ्र ही हल हो जाएगी, ऐसी हमे आशा है।	हमे आशा है कि अन्न की समस्या ही हल हो जाएगी।
हमे सदेह है कि सरकार अन्न की कमी दूर कर सकेगी।	हमे सन्देह है कि सरकार अन्न की दूर कर सकेगी या नही।
नेहरू जी ने भाषण मे कहा कि वे काश्मीर की समस्या को अपने घर की समस्या समझते है।	नेहरू जी ने अपने भाषण मे कह मैं काश्मीर की समस्या को अपने की समस्या समझता हू।
दो एक सज्जनों द्वारा यह कहा गया।	दो एक सज्जनों ने यह कहा।

(ii) उर्दू का प्रभाव

अशुद्ध	शुद्ध
बिना आपकी सहायता के मैं सफल नहीं हो सकता।	आपकी सहायता के बिना मैं सफल नहीं हो सकता।
भगवान् की विचित्र माया है कि कहीं धूप है और कहीं छाया।	भगवान की विचित्र माया है—कहीं धूप और कहीं छाया।
इस के बदले कि आप नौकरी करें, आप व्यापार करें।	नौकरी करने के बदले आप व्यापार शुरू कर दें।
अब मैंने वहाँ जाना है।	अब मुझे वहाँ जाना है।
आप का स्वास्थ्य भगवान् से ठीक चाहता हूँ।	आप के स्वास्थ्य के लिए भगवान् से प्रार्थना करता हूँ।
वें इस के आप पैसे जेब से निकालें। आप चीज को अच्छी तरह से देख लें।	जेब से पैसे निकालने से पहले आप चीज को अच्छी तरह से देख लें।
अच्छा हो कि आप सो जायें।	आप सो जायें तो अच्छा है।

(iii) मराठी का प्रभाव

अशुद्ध	शुद्ध
उनके विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया।	उन पर मुकद्दमा चलाया गया।
कम वेतन को लेकर बंगाल के अध्यापकों ने हड़ताल किया।	कम वेतन के कारण बंगाल के अध्यापकों ने हड़ताल की।
मैंने दिल्ली में एक मकान किराए पर बाँध लिया।	मैंने दिल्ली में एक मकान किराए पर लिया।

(८) अक्षर विन्यास की अशुद्धियाँ—

ऐसी अशुद्धियों के नमूने पीछे दिए गए हैं।

(९) लिपि की अशुद्धियाँ—

पीछे 'लिपि-दोष के कारण और प्रकार' के कारण में उसका विवरण आया।

(१०) विराम चिन्हों की अशुद्धियाँ—

(११) मुहावरों की अशुद्धियाँ—

अशुद्ध	शुद्ध
ईद का चाद निकलना।	ईद का चाद होना।
किताबों का कीड़ा।	किताबी कीड़ा।
तुम्हारी खबर लाऊँगा।	तुम्हारी खबर लूँगा।
सागर में गागर भरना।	गागर में सागर भरना।
उस का सिर शर्म से उड़ गया।	उस का सिर शर्म से झुक गया।
यह तो उल्टी खीर है।	यह तो टेढ़ी खीर है।
प्राण पखेरू उड़ा दिए।	उस को मारा, और उसके प्राण पखेरू उड़ गये।

अशुद्ध	शुद्ध
उस ने नौ दो ग्यारह करके पैसे कमाए।	चोर मालिक को देखते ही नौ दो ग्यारह हो गया।
तू किस खेत की गाजर है।	तू किस खेत की मूली है?
यह बात सुन कर वह मुँह फैलाने लगा।	यह बात सुन कर वह मुंह बनाने लगा।
बच्चे को आँख लग गई।	बच्चे को नजर लग गई।
तुम इस विषय पर सो जाओ।	तुम इस विषय पर चुप रहो। (Sleep over)
क्रोधी बनकर दाँत दिखाने लगा।	कायर बनकर दाँत दिखाने लगा। (Show-teeth)

§ 150. प्रयोगात्मक व्याकरण के अंग—

अध्यापक को प्रयोगात्मक व्याकरण (Applied Grammar) में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए

(१) ध्वनि विचार (Phonetics)

(i) उच्चारण (Pronunciation) (ii) सुस्वरता (Intonation) (iii) स्वराघात (Accent)।

(२) शब्द विचार

(i) लिपि। (ii) अक्षर। (iii) वचन। (iv) लिंग। (v) कारक। (vi) विशेषणों की रचना तथा अवस्थाएँ। (vii) सर्वनामों का प्रयोग। (viii) क्रिया विशेषणों का प्रयोग। (ix) उपसर्गों का प्रयोग। (x) प्रत्ययों का प्रयोग। (xi) क्रिया के काल, वाच्य, लिंग, वचन, पुरुष।

(xii) सन्धि। (xiii) समास। (xiv) पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग। (xv) समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों का प्रयोग।

जैसे 'अस्त्र' 'शस्त्र'

(xvi) अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग। (जैसे 'कर') (xvii) समुच्चारित शब्दों का प्रयोग। (जैसे 'कुल' 'कूल')

(३) वाक्य विचार

(i) आकार अभिव्यक्ति और क्रम। (ii) विराम चिन्ह। (iii) मुहावरों का शुद्ध प्रयोग। (iv) [illegible] (v) सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों की रचना। (vi) [illegible] (vii) [illegible]

§ 151. प्रयोगात्मक व्याकरण की शिक्षण विधि—

प्रयोगात्मक व्याकरण की शिक्षण विधि सहयोग प्रणाली है। ऊपर अनुभाग 143 मे सहयोग प्रणाली की व्याख्या की गई है। पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय या रचना सिखाते समय जब भी कोई विशेष प्रयोग की बात आ जाए, गद्य और रचना के साथ उसका समवाय करना चाहिए। ध्वनिविचार मे उच्चारण प्रमुख है। उच्चारण की अशुद्धियाँ मौखिक रचना या बोलचाल के समय तथा गद्य का सस्वर वाचन करने के अवसर पर ठीक कराई जा सकती हैं। अक्षर विन्यास और लिपि की त्रुटियाँ श्रुतलेख और रचना के अवसर पर दूर की जा सकती है। शब्द-विचार में वचन, लिंग कारक, सर्वनाम विशेषण, काल, उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग सम्मिलित है। इस प्रकार की अशुद्धियाँ प्रायः मौखिक कार्य के अवसर पर दूर करनी चाहिए, और अनुकरण तथा अभ्यास द्वारा ठीक प्रयोग हृदयगम करना चाहिए। लिखित रचना का संशोधन करते समय भी अशुद्धियां निकालनी चाहिएँ, और वैयक्तिक अथवा सामूहिक विधि से इन का स्पष्टीकरण करना चाहिए। नई शब्दावली, मुहावरों और लोकोक्तियों का शुद्ध प्रयोग सूक्ष्म पाठ (intensive study) के अवसर पर सिखाना चाहिए। कभी-कभी अधिन्यास (assignment) के रूप में शब्द रचना (word building) और वाक्य प्रयोग के अभ्यास में भी देने चाहिए। प्रायः उच्च कक्षाओं के छात्र भी वाक्य संगठन की त्रुटियां दर्शाते हैं। वे सरल वाक्यों को जोड़कर गुम्फित वाक्य नहीं बना सकते। अथवा वाक्यों का शब्द क्रम तथा वाक्य खण्डों का परस्पर सम्बन्ध ठीक तरह से नहीं जानते। इसके निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता है। छात्रों को अपठित गद्य (unseen prose) के अनुच्छेदों का सार लिखने का आदेश देना चाहिए। यदि वे अपने वाक्यों को लेखक के वाक्यों के साथ तुलना करें, उनको अपनी भूलों का पता लग जाएगा। अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करना भी इस के लिए सहायक है।

अशुद्ध	शुद्ध
उस ने नौ दो ग्यारह करके पैसे कमाए।	चोर मालिक को देखते ही नौ दो ग्यारह हो गया।
तू किस खेत की गाजर है।	तू किस खेत की मूली है ?
यह बात सुन कर वह मुँह फँसाने लगा।	यह बात सुन कर वह मुंह बनाने लगा।
बच्चे की आँख लग गई।	बच्चे को नज़र लग गई।
तुम इस विषय पर सो जाओ।	तुम इस विषय पर चुप रहो। (Sleep over)
क्रोधी बनकर दाँत दिखाने लगा।	कायर बनकर दाँत दिखाने लगा। (Show-teetb)

§ 150. प्रयोगात्मक व्याकरण के अंग—

अध्यापक को प्रयोगात्मक व्याकरण (Applied Grammar) मे निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए

(१) ध्वनि विचार (Phonetics)

(i) उच्चारण (Pronunciation) (ii) सुस्वरता (Intonation) (iii) स्वराघात (Accent)।

(२) शब्द विचार

(i) लिपि। (ii) अक्षर। (iii) वचन। (iv) लिंग। (v) कारक। (vi) विशेषणों की रचना तथा अवस्थान। (vii) सर्वनामों का प्रयोग। (viii) क्रिया विशेषणों का प्रयोग। (ix) उपसर्गों का प्रयोग। (x) प्रत्ययों का प्रयोग। (xi) क्रिया के काल, वाच्य, लिंग, वचन, पुरुष।

(xii) सन्धि। (xiii) समास। (xiv) पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग। (xv) समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों का प्रयोग।

जैसे 'अस्त्र शस्त्र'

(xvi) अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग। (जैसे 'कर') (xvii) समुच्चारित शब्दों का प्रयोग। (जैसे [illegible])

(३) वाक्य विचार

(i) [illegible] अन्विति और क्रम। (ii) विराम चिह्न। (iii) मुहावरों का शुद्ध प्रयोग। (iv) [illegible] का प्रयोग। (v) सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों की रचना। (vi) [illegible]। (vii) [illegible]।

रचना का स्वरूप तथा उस के प्रकार

§ 152. रचना क्या है ?

परिभाषा—'रचना' अंग्रेजी शब्द 'Composition' का पर्याय है। भाषा के क्षेत्र में इन शब्दों का अर्थ है—शब्दों का वाक्यों में गठन तथा उनके द्वारा विचारों का स्पष्टीकरण। विचारों का क्रमबद्ध करना, उनको शब्दों द्वारा व्यक्त करना, संवारना तथा सजाना ही रचना है। साधारण शब्दों में भाषा द्वारा भाव-प्रकाशन 'रचना' कहलाता है।

रचना दो प्रकार की होती है—मौखिक तथा लिखित। बोलचाल में रचना का मौखिक रूप आता है। रचना का यह सर्वप्रथम तथा महत्त्वपूर्ण रूप है। भाव-प्रकाशन सर्वप्रथम बोल-चाल द्वारा ही होता है, लिपिबद्ध अक्षरों द्वारा बाद में होता है। मानव सभ्यता के आरम्भ में भी भाव प्रकाशन के लिए बोल-चाल का प्रयोग होता रहा है, लिपि का आविष्कार बाद में हुआ है। अत: मौखिक रचना लिखित रचना का आधार है। मौखिक रचना या बोल-चाल के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है।

प्रस्तुत प्रकरण में लिखित रचना की ही व्याख्या होगी।

§ 153. लिखित रचना के उद्देश्य—

बोल-चाल, पठन तथा लिपि के उपरांत लिखित रचना की बारी आती है। लिखित रचना सिखाने के बाद विचारों को लिपिबद्ध करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। आरम्भ में लिखित रचना में अनेक दोष पाये जायेंगे, परन्तु धीरे-धीरे अभ्यास तथा संशोधन द्वारा लिखित रचना में अभीष्ट योग्यता उत्पन्न कराई जा सकती है। लिखित रचना में योग्यता प्राप्त कराने के निम्न उद्देश्य हैं

(i) ऐसी लिपिबद्ध भाषा में भावप्रकाशन, जो शुद्ध, व्याकरण सम्मत, तथा प्रभावोत्पादक हो।

(ii) रचना की विभिन्न शैलियों से परिचित हो कर स्वतन्त्र शैली के सृजन की क्षमता प्राप्त करना।

(iii) व्यावहारिक जीवन में लेखनी द्वारा कार्यसिद्धि प्राप्त करना।

अभ्यासात्मक प्रश्न

१. हिन्दी भाषा की शिक्षा मे व्याकरण का स्थान निर्धारित कीजिए। सैद्धान्तिक (theoretical) और प्रयोगात्मक व्याकरण के परस्पर संघर्ष में किस की जीत अवश्यंभावी है, और क्यो ?

२ प्रयोगात्मक या व्यावहारिक (applied) व्याकरण किसे कहते हैं ? व्यावहारिक व्याकरण के विभिन्न अंगो की व्याख्या कीजिए। किस की शिक्षा दी जानी चाहिए ? [§ 147, 14

३ विद्यार्थी अपनी रचनाओ मे प्राय व्याकरण की अशुद्धियाँ दर्शाते हैं। इन अशुद्धियो को दूर करने के लिए कौन से उपाय काम मे लाए जा सकते है। [§ 148, 149]

४ व्याकरण की शिक्षा मे पाठ्य पुस्तक, मौखिक कार्य या बोलचाल तथा रचना का क्या हाथ है ? इन मे अधिकतम सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है ? [§ 151]

५ आठवी कक्षा के विद्यार्थियो की सामान्य अशुद्धियो का संग्रह कीजिए उन अशुद्धियो का वर्गीकरण करके, संशोधन की विधियाँ बताइए ? [§

सहायक पुस्तकें

1 I A A S — *The Teaching of Modern Languages.*
2 Rybusn W M. — *The Teaching of Mother tongue.*
3. Ballard — *Teaching of Mother-tongue*
4. Tidyman and Butter-field. — *Teaching the Language Arts Ch 15.*
5. Balwant Singh Anand — *Aims and Methods of Teaching English in India*
6. Belevelkar — *Systems of Sanskrit Grammar.*
7 Unesco — *Teaching of Modern Languages.*
8. Gurry — *Teaching of English as a Foreign Language.*
9. कामता प्रसाद गुरु — हिन्दी व्याकरण
रामचन्द्र वर्मा — अच्छी हिन्दी।
सीताराम चतुर्वेदी — भाषा की शिक्षा।
रघुनाथ सफाया — हिन्दी व्याकरण (पंजाब किताब घर जालन्धर)।

§ 156. सुन्दर रचना के गुण –

रचना करने के लिए विद्यार्थियों के सामने एक आदर्श होना चाहिए। उस की रचना में कौन से गुण होने चाहिएं, जिनके अस्तित्व से उसकी योग्यता की परख हो सकती है, अथवा रचना सिखाते समय अध्यापक रचना के गुणों की ओर ध्यान देता है। मौखिक रचना के लगभग सभी गुण लिखित रचना में भी होने चाहिएं। परन्तु निम्न गुणों की ओर विशेष ध्यान अपेक्षित है।

(i) रचना में भाव और अर्थ के अनुसार शब्दों का प्रयोग होना चाहिए।

(ii) सरल और सुबोध शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। आडम्बर और कठि मुहावरेदार होनी चाहिए।

(iii) भाषा सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध परिष्कृत, शुद्ध, व्याकरण-सम्मत त शब्दों का परिहार करना चाहिए।

(iv) रचना संक्षिप्त और सगत (Brief and to the point) होनी चाहिए। अतिविस्तार और अनावश्यक प्रसंग रचना को बिगाड़ते हैं।

(v) रचना में स्पष्टता प्रभावोत्पादकता तथा विषयानुकूलता होनी चाहिए।

(vi) समस्त रचना में भाव की एकता होनी चाहिए।

(vii) रचना अनुच्छेद आदि में विभक्त होनी चाहिए।

(viii) उच्च कक्षाओं की रचनाओं की विषयानुकूल निर्दिष्ट शैलियाँ भी होनी चाहिएं।

§ 157 उच्च कक्षाओं की रचना की विभिन्न शैलियाँ—

(i) सरल भाषा शैली इस शैली में कठिन शब्दों का प्रयोग न करके सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे शब्दों से छोटे-छोटे वाक्यों का निर्माण किया जाता है। छोटे छोटे वाक्यों से छोटे छोटे अनुच्छेद बनाए जाते हैं। इस में मुहावरे, अलंकार तथा पाण्डित्यप्रदर्शन बिल्कुल नहीं होता।

(ii) अलंकार प्रधान शैली इस में शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों का बहु-प्रयोग किया जाता है

(iii) क्लिष्ट भाषा शैली इस में लंबे-लंबे और उलझे हुए वाक्यों का प्रयोग होता है।

(iv) मुहावरेदार शैली।

(v) विनोदात्मक शैली इस में हास्य की प्रधानता होती है।

(vi) व्यंग्यात्मक शैली—इस में व्यंग्य द्वारा किसी वस्तु की खिल्ली उड़ाई जाती है।

भाषा जटिल होती है और विचारों का बाहुल्य

सम्बन्ध में वे रचना कर सकते हैं।

(ii) धीरे-धीरे छात्रों की भाषा, कल्पना शक्ति तथा विचार शक्ति के प्रयोग में सहायता देनी चाहिए।

(iii) अन्त में उन के विषयों की विविधता का विस्तार करना चाहिये, तथा कठिन विषयों का उनके सम्मुख समुपस्थित करना चाहिए।

यह स्पष्ट है कि प्रारम्भिक कक्षाओं में (अर्थात् प्राइमरी तथा जूनियर बेसिक कक्षाओं में) रचना के विषय सरल होने चाहिएँ, और उच्च श्रेणियों में (मिडिल, हाई तथा हायर सेकण्डरी कक्षाओं में) रचना के विषय अपेक्षाकृत कठिन होने चाहिएँ।

नीचे प्रारम्भिक और उच्च कक्षाओं के विषय पृथक् स्थानों में दिए जाते हैं :—

§ 160 (क) प्रारम्भिक कक्षाओं में रचना के विषय—

(i) सरल वाक्य बनाना।

(ii) साधारण प्रश्नों का उत्तर लिखना।

(iii) वार्तालाप द्वारा विभिन्न परिचित वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों आदि के सम्बन्ध में वाक्य रचना करना, तत्पश्चात् वाक्यों को लिखना।

(iv) श्यामपट पर लिखे हुए अपूर्ण वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना।

(v) पुस्तक में पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना।

(vi) घरेलू मुहावरों का प्रयोग करना।

(vii) निकटवर्ती वस्तुओं अथवा स्थानों जैसे—पाठशाला, गाँव, नगर, पशु-पक्षी खेल-कूद आदि का सरल वर्णन करना।

(viii) चित्र-वर्णन।

(ix) अनुभव के आधार पर वर्णन करना, जैसे—यात्रा वर्णन, दृश्य वर्णन, आदि।

(x) दिन-चर्या (डायरी) या रोजनामचा लिखना।

(xi) औद्योगिक कार्य का विवरण या रिपोर्ट लिखना, जैसे—'आज हमने खेती में क्या काम किया,' 'सूत कैसे काता', 'कपड़े को कैसे रंगा', आदि।

(xii) काल्पनिक वर्णन, जैसे—'यदि मैं घोड़ा होता', 'यदि मैं राजा होता', आदि।

(xiii) अपने सम्बन्धियों को साधारण पत्र लिखने।

(xiv) इतिहास भूगोल सम्बन्धी साधारण बातें लिखना।

(xv) बालोपयोगी पत्रिका पढ़ कर किसी कहानी या लेख का सारांश लिखना।

(xvi) पाठ्यपुस्तक के लेखों के सम्बन्ध में प्रश्नों का उत्तर देना।

(xvii) [illegible] में आए हुए कठिन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना।

§161. (क) माध्यमिक कक्षाओं तथा उच्च कक्षाओं में रचना के विषय

(१) पाठ्य पुस्तक पर आधारित अभ्यास—

(i) शब्द-प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग।

(ii) वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति।

(iii) प्रश्नोत्तर।

(iv) वर्णन की आवृत्ति।

(v) कथा वर्णन।

(vi) परिवर्तित कथा वर्णन, जैसे (उत्तम पुरुष में, वर्तमान काल)।

(vii) पाठ के आधार पर आत्मानुभव।

२. पाठ्य पुस्तक से मुक्त रचना—

(viii) इर्द-गिर्द के वातावरण का वर्णन।

(ix) चित्र-वर्णन।

(x) चुटकले।

(xi) कथा-वर्णन, घटना-वर्णन।

(xii) साधारण प्रक्रियाओं का वर्णन, जैसे—पगड़ी बाँधना, जूते की मुरम्मत करना, कुएँ से जल खींचना, कलम बनाना, खाना पकाना, सेवी सीनना, सूत कातना, घर की सफाई करना आदि।

(xiii) दैनिक आवश्यकताओं के लिए रचना, जैसे—तार, अभिनन्दन पत्र, प्रार्थना पत्र, सूचना, आदेश आदि।

(xiv) व्यावहारिक तथा सरकारी पत्र।

(xv) किसी साधारण विषय पर भाषण लिखना।

(xvi) संवाद लिखना।

(xvii) किसी कविता में पद्यांशों की व्याख्या करना। तुकबन्दी तथा कविता लिखना।

(xviii) अंग्रेजी या अन्य भाषा से (जिसका छात्र को ज्ञान हो) हिन्दी में अनुवाद करना।

(xix) पढ़े हुए लेख का संक्षेप करना (Summarisation) अथवा सार।

(xx) सरल एकांकी-नाटक लिखना।

(xxi) निबन्ध लिखना। निबन्ध तीन प्रकार के होते हैं —

(क) विवरणात्मक (Narrative) जैसे—रेलवे दुर्घटना, किसी महापुरुष की जीवनी, मेलरी की सैर आदि।

§ 161. (क) माध्यमिक कक्षाओं तथा उच्च कक्षाओं में रचना के विषय

(१) पाठ्य पुस्तक पर आधारित अभ्यास—

(i) शब्द-प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग।

(ii) वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति।

(iii) प्रश्नोत्तर।

(iv) वर्णन की आवृत्ति।

(v) कथा वर्णन।

(vi) परिवर्तित कथा वर्णन, जैसे (उत्तम पुरुष में, वर्तमान काल)।

(vii) पाठ के आधार पर आत्मानुभव।

२. पाठ्य पुस्तक से मुक्त रचना—

(viii) इर्द-गिर्द के वातावरण का वर्णन।

(ix) चित्र-वर्णन।

(x) चुटकले।

(xi) कथा-वर्णन, घटना-वर्णन।

(xii) साधारण प्रक्रियाओं का वर्णन, जैसे—पगड़ी बाँधना, जूते की मुरम्मत करना, कुएँ से जल खींचना, कलम बनाना, खाना पकाना, सेनी सीखना, सूत कातना, घर की सफाई करना आदि।

(xiii) दैनिक आवश्यकताओं के लिए रचना, जैसे—तार, अभिनन्दन पत्र, प्रार्थना पत्र, सूचना, आदर्श आदि।

(xiv) व्यावहारिक तथा सरकारी पत्र।

(xv) किसी साधारण विषय पर भाषण लिखना।

(xvi) संवाद लिखना।

(xvii) किसी कविता में पद्यांशों की व्याख्या करना। तुकबन्दी तथा कविता लिखना।

(xviii) अंग्रेजी या अन्य भाषा से (जिसका छात्र को ज्ञान हो) हिन्दी में अनुवाद करना।

(xix) पढ़े हुए लेख का संक्षेप करना (Summarisation) अथवा सार।

(xx) सरल एकांकी-नाटक लिखना।

(xxi) निबन्ध लिखना। निबन्ध तीन प्रकार के होते हैं —

(क) विवरणात्मक (Narrative) जैसे—रेलवे दुर्घटना, किसी महापुरुष की जीवनी, मसूरी की सैर आदि।

रचना शिक्षण प्रणालियाँ

§ 162 विभिन्न प्रणालियाँ—

रचना शिक्षण की विभिन्न प्रणालियाँ है, जिन का विवरण नीचे दिया जाता है। अध्यापक को केवल एक प्रणाली का अनुसरण नहीं करना चाहिए, वरन् जो प्रणाली जिस अवस्था मे अधिक काम आवे, तथा जो प्रणाली छात्रो की मानसिक अवस्था और योग्यता के अनुकूल हो, उसे उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रारम्भिक कक्षाओ में प्रश्नोत्तर द्वारा सरल वाक्यों की रचना करनी चाहिए। तत्पश्चात् बुद्धि तथा कल्पना का प्रयोग करना चाहिए। धीरे-धीरे लिखने की शैली, अनुच्छेदों की रचना तथा निबन्ध रचना पर ध्यान देना चाहिए, निम्न प्रणालियों में से प्रथम सात प्रणालियाँ प्राइमरी अथवा मिडिल कक्षाओं में काम आ सकती हैं। अन्त मे दो प्रणालियाँ (आदर्श प्रणाली) तथा मनगण प्रणाली) उच्च कक्षाओं में ही प्रयुक्त हो सकती हैं।

१ प्रश्नोत्तर प्रणाली—अध्यापक प्रश्न करता है और विद्यार्थी उत्तर देते हैं। अध्यापक उन वाक्यो का विद्यार्थियो द्वारा या स्वय संशोधन करता है। प्रश्नोत्तर-विधि से छात्रों की अभिव्यञ्जना शक्ति बढती है, कल्पना शक्ति जागरित होती है और वाक्यो की रचना शुद्ध हो जाती है। आरम्भ में अध्यापक के प्रश्न पास-पड़ोस के दृश्यो, पाठशाला की वस्तुओं, जीव-जन्तुओं, मित्रो के गुणों तथा साधारण कोटि की कहानियो तक ही सीमित रहेंगे। धीरे-धीरे प्रश्नों की सीमा विस्तृत हो जाएगी।

(२) चित्र-वर्णन प्रणाली (Picture Composition)—अध्यापक छात्रो के सामने एक चित्र उपस्थित करता है और चित्र के सम्बन्ध में प्रश्न करता है। चित्र किसी कहानी को प्रकट कर सकता है, अथवा किसी दृश्य का द्योतक हो सकता है। चित्र मे एक-एक अग के सम्बन्ध में प्रश्न करते-करते अध्यापक उन्ही से सारे चित्र का वर्णन करवाता है। वर्णन के पश्चात् सब छात्र स्वय लिखते हैं। चित्र से अधिक रोचक दृश्य-सामग्री है, जिस के द्वारा कल्पना को उत्तेजित किया जा सकता है और सारी वार्ता उद्‌बोधित की जा सकती है।

(३) उद्‌बोधन-प्रणाली (Eliciting Method)—बच्चों की कल्पना शक्ति को जाग्रत करने के लिए तथा उन से प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध से ज्ञातव्य बातें निकलवाने

१. प्रस्तावना या भूमिका। २. प्रसार या विवेचन।
रणाम।

(१) प्रस्तावना में लेखक ऐसी भूमिका प्रस्तुत करता है कि पाठ
रिचय प्राप्त हो जाता है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाए.
संक्षिप्त और सगत होनी चाहिए।

(२) प्रसार—यह निबन्ध का मूल भाग है। इस मे प्रस्तुत विषय
सम्बन्ध में सभी आवश्यक बातो का रुचिपूर्ण शैली में विवरण होना है। इस मे
विचारों का स्पष्टीकरण होना है। निबन्ध के इस भाग के लिखने में निम्न बा
ध्यान में रखना चाहिए—

(i) लिखने से पहले लेख की रूप रेखा निश्चित करनी चाहिए और
विस्तार देना चाहिए।

(ii) सभी विचार क्रम मे आने चाहिए। एक प्रधान विचार को पृथक
मिलना चाहिए।

(iii) विचारों का तांता टूटने न पाए। असगत बातो का परिह
चाहिए।

(iv) विचारों को सिद्ध करने के लिए प्राचीन लेखको के उदाहरण दे
विद्वानो की उक्तियों से अपने विचारों का समर्थन करना चाहिए।

(v) यदि प्रबन्ध किसी वैज्ञानिक, ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक वि
तो उस में आकारों, तिथियों और नियमों आदि सूक्ष्म तथा अनावश्यक बातों
नहीं करना चाहिए।

(३) उपसंहार—यह निबन्ध का अन्तिम भाग है। निबन्ध को अ
करने की अपेक्षा एक अनुच्छेद और लिखना चाहिए, जिसमें
—न परिणाम या सार हो। ऐसा न हो कि निबन्ध को पढ़ने के बा
ती रहे। यह भाग निबन्ध की पराकाष्ठा है अथवा यह निबन्ध का
हार में उपदेश या सीख देना निबन्ध की आत्मा के प्रतिकूल है
लेखों में हो सकते हैं, साधारण निबन्धो में नहीं। यदि किसी कथा
भी हो, उस उपदेश का केवल निर्देश करना चाहिए। उपसंहार
और संगत होना चाहिए।

§ 164. रचना की शिक्षा में ध्यान देने योग्य बातें—

(१) रचना सिखाने वाला अध्यापक स्वयं लेखक होना च
मे लिखने की प्रवृत्ति नहीं, लिखने का अभ्यास नहीं और रचना क
विषयो का ज्ञान नहीं, वह इस कार्य में सफल नहीं हो सकता।

[illegible] पुस्तकें नहीं हैं [illegible] ... [illegible]

(२) रचना शिक्षण में भी [illegible] से [illegible], [illegible] से [illegible] की ओर जाना चाहिए। [illegible] फिर [illegible], फिर [illegible] और फिर [illegible] ... [illegible] के अनुकूल होना चाहिए। [illegible] ... [illegible] 'हमारा देश' आदि विषयों पर [illegible] लिखने का आदेश देते हैं [illegible] ... [illegible] इस प्रकार [illegible] ... [illegible] कुछ नहीं लिख पाते। [illegible] के द्वारा, [illegible] [illegible] [illegible] हो सकती है।

(३) रचना का [illegible] सीखी हुई भाषा के अनुरूप होना चाहिए। प्रत्येक रचना में उतने ही शब्दों तथा [illegible] का प्रयोग होना चाहिए जो वे पहले ही सीख चुके हों। [illegible] ... [illegible] पर लिखना तथा [illegible] चाहिए, यदि रचना शिक्षण में उन की आवश्यकता पड़ती हो।

(४) अध्यापक का सब से बड़ा कर्तव्य है छात्रों में रचना के प्रति रुचि उत्पन्न करना। आजकल कोई छात्र लिखने में रुचि नहीं लेता, इसका कारण है दोषपूर्ण शिक्षणविधि। यदि अध्यापक ठीक ढंग से पढ़ाए, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल विषयों को चुने, मौखिक रचना द्वारा उन विषयों की रचना का पूर्ण अभ्यास कराए, और रचना में रुचि उत्पन्न करे, तो छात्रों की यह शिकायत दूर हो सकती है।

(५) छात्रों का स्वाध्याय बढ़ाना चाहिए। आजकल रचना का स्तर गिरा हुआ है। उस का यह कारण है कि छात्र विषयों के सम्बन्ध में स्वाध्याय नहीं करते। बालोपयोगी साहित्य के अभाव के कारण छात्रों के पास लिखने की सामग्री नहीं। वे या तो गाय, बैल आदि पशुओं पर, या दीवाली आदि मेले त्योहारों पर, या गांधी, नेहरू आदि इने-गिने प्रसिद्ध महापुरुषों पर निबन्ध लिखते हैं। वे इस सीमा से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। रचना के विषयों का विस्तार तभी हो सकता है, जब छात्रों का अध्ययन भी विस्तृत हो अथवा उनको विस्तृत बालोपयोगी साहित्य पढ़ने को दिया जाए, जहां से वह रचना की सामग्री जुटा सकें।

इस के निमित्त प्रत्येक विद्यालय में दैनिक-पत्र-पत्रिकाएं (जैसे बाल-सखा, बाल-भारती, चन्दा-मामा, हमारा बालक, शिशु, चुन्नु-मुन्नु, कहानी, खिलौने, सरिता, धर्म-युग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान आदि कहानियों की पुस्तकें, लेखमालाएं, देश-विदेश की वार्तायें, इतिहा[illegible] [illegible] सरल पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियां, एकांकी नाटक,

मे जटिल बन गया है।

(i) **मौखिक रचना का अभाव**—अध्यापक रचना लिखने से पहले म रचना की ओर ध्यान नही देते, जिसके फलस्वरूप छात्रो के वाक्य अपूर्ण हों विचार क्रमबद्ध नही होते और उसमे उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग भी नही और सारी रचना भद्दी और दोष-पूर्ण दिखाई देती है। रचना लिखने से मौखिक रचना द्वारा ऐसे सारे दोष दूर हो जायेंगे और लिखित रचना अ परिष्कृत होगी।

(ii) **व्याकरण का अज्ञान**—छात्रो को व्याकरण का पूरा ज्ञान नही और वे अशुद्ध भाषा लिखते है। जिस के फल स्वरूप अध्यापक को व्याकरए सभी अशुद्धिया ठीक करनी पड़ती हैं। रचना सिखाने से पहले छात्रो को स्तर के व्याकरण का ज्ञान देना चाहिए। व्याकरण का अज्ञान सारी रचना को बना देता है, और बेचारा अध्यापक प्रत्येक वाक्य मे व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धिया करने मे लगा रहता है।

(iii) **सामूहिक संशोधन का अभाव**—अध्यापक कापियाँ घर ले जाता है प्रत्येक कापी लाल स्याही से भर देता है और दूसरे दिन कापियाँ वापिस करता है प्र छात्र केवल अपनी कापी को देखता है और अपनी गलतियाँ मालूम करता है जो अशुि वह आज करता है, वही अशुद्धि दूसरी बार कोई और करता है, और अध्यापक अशुद्धि को ठीक करता है। इस प्रकार एक-एक अशुद्धि को अध्यापक बार ठीक करता है।

ऐसी अवस्था मे अध्यापक के लिए सशोधन का काम जटिल हो जाता है। अशुि की सख्या अधिक हो जाती है। इस जटिलता को दूर करने के लिए, तथा संशोधन क को सरल बनाने के लिए कई उपाय नीचे बताए जाते हैं—

§ 166. सशोधन कार्य को सरल बनाने के उपाय

(i) अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। कई अशुद्धियाँ प्रमाद, लापरवाही, त शीघ्रता के कारण हो जाती हैं। उन अशुद्धियो को कम करने के लिए छात्रो को लिख समय सावधान बनाना चाहिए।

(ii) शेष अशुद्धिया अज्ञान के कारण होती हैं। केवल ऐसी अशुद्धियो के सशो धन की आवश्यकता होती है।

(iii) छात्रो की रचना लिखाने के तुरन्त बाद ही उन की कापियों क सशोधन करना चाहिए। आज लिखी हुई रचना मे जो अशुद्धियाँ निकाली जाएँ, व स्मृति मे स्थाई रहती है। यदि ऐसी अशुद्धिया काफी देर बाद निकाली जाएँ, तो बा पुरानी हो जाती है और वे याद नही रहती।

(iii) सभी अशुद्धियों का संशोधन आवश्यक नहीं। किन्हीं अशुद्धियों को बाद के लिए छोड़ा जा सकता है। सम्भव है कि ऐसी अशुद्धियाँ ऊँचे स्तर की हों, जो ऊँची कक्षाओं में ठीक की जा सकती हैं।

(iv) संशोधन काम को सरल बनाने के लिए विशेष चिह्नों का प्रयोग करना चाहिए। कतिपय चिह्न नीचे दिए जाते हैं। अध्यापक अपनी इच्छानुसार नये चिह्न बना सकता है।

अ = अक्षर-विन्यास की अशुद्धि	+ = सन्धि द्वारा जोड़ दें
लि = लिपि की अशुद्धि	∧ = कोई शब्द छूटा है
स = संधि की अशुद्धि	‖ = शब्दों को पृथक करें.
व = वाक्य की अशुद्धि	
× = अनावश्यक शब्द	∠ = बीच में यह शब्द जोड़ दें
⌒ = शब्दों को मिला दें	// = नया अनुच्छेद आरम्भ करें
→ = शब्दों का क्रम बदल दें ←	? = अस्पष्ट है, अध्यापक से पूछें

(v) इन चिह्नों के अतिरिक्त विराम चिह्न स्वयं लगाने चाहिए।

(vi) सर्वसाधारण अशुद्धियों की एक सूची तैयार करनी चाहिए और कक्षा में सभी छात्रों को ऐसी अशुद्धियाँ समझानी चाहिए।

(vii) छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। किसी छात्र की विशेष कठिनाई को व्यक्तिगत विधि से दूर करना चाहिए।

(viii) संशोधन के बाद यह भी देखना चाहिए कि छात्र एक बार समझी हुई अशुद्धियों को दूसरी बार तो नहीं करते।

(ix) रचना के अभ्यास के लिए वर्क-बुक्स (work-books) का प्रयोग करना चाहिए। उन पर लिखने से छात्र सावधानी से काम करेंगे। ऐसे बुक-वर्क छपे हुए हैं जो तीसरी श्रेणी से लेकर आठवीं तक लागू किए जा सकते हैं, जैसे :—

(१) हिन्दी ज्ञानमाला, भाग, 1 (चौथी के लिए) से लेकर भाग 5 तक।
प्रकाशक पंजाब किताब घर, जालन्धर।

(२) हिन्दी लेखन, पहली पुस्तक (चौथी के लिए) से लेकर तीसरी पुस्तक तक।
प्रकाशक: हेमकुण्ट प्रेस, नई दिल्ली।

§ 169. लिखाई की मन्दता—

लिखाई की मन्दता में तीन बातें आ जाती हैं—

(१) सुलेख की मन्दता (Backwardness in Handwriting)।

(२) अक्षर-विन्यास की मन्दता।

(३) रचना की मन्दता।

(१) सुलेख की मन्दता—प्राय कई विद्यार्थियो की लिखाई मे अनेक दोष होते हैं। दोषो के कारण तथा प्रकार 'लिपि की शिक्षा' प्रकरण मे बताए गए हैं। ऐसे छात्रो को कभी देवनागरी लिपि का अधूरा ज्ञान होता है, अथवा वे असावधानी या शीघ्रता से लिखते हैं, अथवा घसीट लिखते हैं। इन दोषो को दूर करने के लिए उपाय भी बताये गये हैं। इन उपायो को काम मे लाने पर भी यदि कई विद्यार्थी प्रगति न करें तो निम्न बातो को ध्यान मे रखना चाहिए —

(i) ऐसे छात्रो की हाथ की चेष्टाशक्ति (Motor power) कम होगी। इसके बढ़ाने के लिए धीरे-धीरे अभ्यास की आवश्यकता है।

(ii) कोई छात्र दायें हाथ के बदले बायें हाथ से सुन्दर लिख सकता है। उसको बायें हाथ से लिखने की अनुमति देनी चाहिए।

(iii) प्रत्येक छात्र के सुलेख पर वैयक्तिक ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक की अपनी अपनी कठिनाइयां होती हैं। कोई स्पष्ट नहीं लिखता। कोई अक्षरो का सानुपात बनाकर नहीं लिखता। कोई शब्दो के बीच उचित अन्तर नहीं रखता, कोई ठीक स्याही का प्रयोग नहीं करता, आदि इनके वैयक्तिक दोष दूर करने चाहिएँ।

(iv) सुलेख की प्रगति के लिए अनुलिपि, प्रतिलिपि और श्रुतिलिपि का अभ्यास करना चाहिए।

(२) अक्षर विन्यास की मन्दता—अक्षर विन्यास के दोषो के प्रकार, कारण और उपाय पीछे बताए गये हैं। प्रत्येक छात्र की वैयक्तिक त्रुटियो का निदान करके उनका उपाय करना चाहिए। ऐसे छात्रो को बाल-साहित्य पढ़ने और उस मे शब्दो के अक्षरो का निरीक्षण करने का आदेश देना चाहिए। सावधानी और एकाग्रता से लिखने पर बल देना चाहिए। कठिन शब्दो के अक्षरो का विश्लेषण सिखाना चाहिए। उनको अक्षर-विन्यास की एक नोट बुक रखने का आदेश देना चाहिए जिस मे वे नये शब्द लिखते जायें।

हिन्दी अक्षर-विन्यास मे जो छात्र दुर्बल होते है वे प्राय उच्चारण मे भी दुर्बल होते हैं। अत. सर्व प्रथम उनका उच्चारण ठीक करना चाहिए।

(३) रचना की मन्दता—

रचना की मन्दता के निम्न कारण हैं —

(i) मौखिक अभिव्यक्ति (Oral Expression) का अभाव।
(ii) शब्दावली की न्यूनता।
(iii) निरीक्षण शक्ति की न्यूनता।
(iv) वाचन की न्यूनता
(v) साधारण बुद्धि की मन्दता और कल्पना का अभाव।
(vi) लेखन शैली का अज्ञान।

(vii) लिखने का न्यून अभ्यास।

रचना की मन्दता दूर करने के लिए प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए और भाव-भाषा दोष का उपाय करना चाहिए। छात्रों को पढ़ने के लिये पर्याप्त सामग्री दी जानी चाहिए जिससे उनकी शब्दावली बढ़ जाए, भाषा-प्रयोग ठीक जानें और वर्णन शैली का ज्ञान हो जाए। आरम्भ में उनको सरल चित्रों या कहानियों का वर्णन करने का आदेश देना चाहिये। धीरे-धीरे कठिन विषय उपस्थित करने चाहिएँ। मन्द छात्रों की कापियों का संशोधन अधिक ध्यान से करना चाहिये। उनकी सामान्य त्रुटियाँ सामने समझानी चाहियें। सब से बड़ी बात यह है कि उनकी रचना के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिये। छोटी-छोटी रचनाओं पर पारितोषिक देने चाहियें। धीरे-धीरे उन में आत्म-विश्वास उत्पन्न हो जाएगा।

§ 170. शब्दावली, व्याकरण, रचना आदि के अभ्यासों के नमूने—

(क) (जूनियर बेसिक या प्राइमरी कक्षाओं के लिए)

(१) पहला अक्षर बदल कर नये शब्द बनाओ—

(i) भाल— [डाल, बाल, मास, दाल .. ..]

(ii) हाट— ... ...

(iii) सकना— ... ...

(२) अन्तिम शब्द बदल कर नये शब्द बनाओ।

(i) जान —[जाल, जांच, जाड़ . . ..]

(ii) कान— . . ....

(३) नीचे जिस शब्द के अक्षर ठीक हैं, उसे अलग लिखो—

(i) पुरख, पुरश, पुरुष, पुरूश, पुरुप (पुरुष)

(ii) खेंचना, खींचना, खेंचना, खिचना ( )

(iii) पहुचा, पहूचा, पहोंचा, पोहुचा ( )

(४) नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले और शब्द लिखें—

(i) पवन—(वायु, हवा, अनिल, समीर)

(ii) सिन्धु—( )

(iii) पीड़ा—( )

(५) नीचे लिखे शब्दों के आगे उल्टे शब्द लिखें—

(i) पुण्य (पाप), (ii) आदर ( ), (iii) सुख ( )

(६) सोने के भूषण बनाने वाले को 'सुनार' कहते हैं, इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के आगे लिखें—

(i) लोहा ( ), (ii) मिट्टी के बर्तन ( )

नीचे पशु-पक्षियों की आवाज के आगे पशु या पक्षी का नाम लिखो—

(i) (शेर) दहाड़ता है ( ), (ii) ( ) रंभाती है,

(iii) ( ) टर्राता है, (iv) ( )
(v) ( ) हिनहिनाता है, (vi) ( )

(८) नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिख कर उन्हें वाक्यों में प्र
(i) सम्मान । आदर । बड़ों का सदा सम्मान करना
(ii) उन्नति ।
(iii) निपुण ।

(९) नीचे कविताओं की पंक्तियों को सीधे वाक्यों में बदलो
(i) गाँव में रहती थी एक बुढ़िया,
भारी था उसका परिवार ।
[एक बुढ़िया गाँव में रहती थी, उसका परिवार भ
(ii) सीता सी साध्वी जहाँ हुई थी नारी ।
वह भारत भूमि क्या यही हमारी प्यारी ।
[ ]

(१०) शुद्ध करके लिखो—
(i) ठण्डा वायु बहने लगा (ठण्डी वायु बहने लगी)
(ii) सब्जी में नमक डाली है (
(iii) वे हम से पूछे थे (
(iv) बाप क्या होते ? (
(v) मैं दौड़ता दौड़ता थक गया (

(११) नीचे लिखे वाक्यों में दिए हुए शब्दों की सहायता से र
(i) शेर——को भी मार डालता है।
(ii) पृथ्वी——के चारों ओर घूमती है।
(iii) राम ने——को तीर से मारा।
(iv) ——रात को चमकता है।
शब्द :—चन्द्रमा, मनुष्य, हाथी, हिरन, सूर्य, तारे, स

(१२) अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए—
(i) हमें बड़ों का.............
(ii) प्रतिदिन सवेरे उठ कर...........
(iii) बादलों को देखकर..............
(iv) गर्मियों में दिन.............रातें.........
(v) जिसकी लाठी..............

(१३) खाली स्थान भरो—
किसी गाँव......एक धोबी......था। ......गाँव......

आया। उसने——

एक दिन एक

मे पकड़ लिया।

की

—ने अपने दान्तो से

और इस प्रकार

(२३) नीचे दिए चित्रों की सहायता से कुर्ते की कहानी लिखो — रूप रेखा—कपास का पौधा, पौधे में फूल, डोडी का पक जाना, डोडी में रूई, कपास का वेलना, बिनौले निकालना, रुई धुनना, पूनिया बनाना, चर्खे पर कातना, ताना, तानना, कपड़ा बुनना, दर्जी द्वारा कपड़ा सीना और कुर्ता बनाना।

पत्र की यात्रा

(२४) ऊपर दिए हुए चित्रों की सहायता से पत्र की यात्रा का वर्णन करो।
(२५) सवेरे से लेकर शाम तक जो कुछ तुम ने आज किया उसका वर्णन करो।
(२६) लोमड़ी और सारस की कहानी लिखो।
(२७) परीक्षा में पास होने पर अपने पिता जी को एक पत्र लिखो।

एक दिन एक

थी

मुर्गी बनाए

(२) कहानी बहुत पुरानी है, परन्तु अब भी ताजा याद है। मेरे ही जीवन की एक मार्मिक घटना है...

(३) आप को मेरी दाढ़ी कितनी भी पसंद हो, उस पर आप अपना हाथ न फेरिए टैगोर की दाढ़ी के साथ तुलना न कीजिए।

(४) मूके भजन न होत गोपाला।

(५) महीने की पहली तारीख सचमुच मुसीबत है। अभी वेतन घर ले आये नही कि इधर श्रीमती जी की फरमाइशें आरम्भ होती हैं, और उधर दुकानदारो की उगराही।

(६) विश्राम के क्षणो मे मुझे अपने भावी जीवन के अनेक सपने देखने को मिलते हैं।

(७) मास्टर प्रेमनाथ मुझे बिल्कुल भी पसन्द नही। यदि उनके व्यवहार मे मैं तंग न आता, तो सेक्शन न बदलवा लेता

(८) मैं इस समय परीक्षा भवन मे हूं। इसके वातावरण का चित्रण करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं.

(९) ३००० वर्षो के उपरान्त श्रीराम चन्द्र जी स्वर्ग से उत्तर कर अपनी अयोध्या नगरी में आये, लेकिन अपनी भारत भूमि को विनाशग्रस्त ही पाया।

(१०) मैंने अब तक कितने ही व्यक्तियो को धोखा दिया। प्रत्येक घटना अनोखी है . . .

(११) मैं भगवान् हू। सारा संसार मैंने ही बनाया, सारी सृष्टि मेरी ही है ....

(१२) मैं पैसे का पुजारी हू। पैसे से ही संसार मे सब कुछ सम्भव है। पैसा हो जेब मे, फिर देखिए, संसार के सभी मजे सामने है .

(१३) मुझे वोट दीजिए, फिर देखिए मैं आप के लिए क्या कुछ नही करूगा। मजदूरो को दुगुना वेतन दिला दूगा। महिलाओं की आजादी के लिए लड़ूगा . .....

(१४) याद रखो, संसार मे कोई वस्तु सारवान नहीं। भगवान् के सिवा सब कुछ तुच्छ है केवल राम-नाम सत्य है। इस झूठे जग की माया छोड़ो और हरि-नाम जपो.... ...

(१५) अब देश मे क्रान्ति मचेगी, उथल-पुथल होगी, पूंजीपतियों का विनाश होगा। धन और धरती बट के रहेगी। समाज के ठेकेदारो का पतन होगा.........

(२८) फीस माफी के लिए मुख्य अध्यापक को पत्र लिखो।

(२९) डाकखाने से मनी-आर्डर फार्म ले आओ। मान लो कि तुम्हें अपने भाई को सौ रुपये भेजने हैं। उसके लिए फार्म भरो।

(३०) तुम ने एक व्यक्ति से 200 रुपए उधार माँगे। रसीद लिख दो।

(३१) इस मास जो कहानी की पुस्तक तुम ने पढ़ी, उसके बारे में अपने विचार लिखो। पहले कहानी लिखो, फिर लिखो कि तुम्हें यह पुस्तक कितनी पसन्द आई और क्यों।

(३२) तीन-चार चुटकले लिखो।

(३३) कोई कविता जो तुम्हें याद है, कापी पर लिखो।

(३४) पांच पहेलियाँ लिखो और उनका उत्तर भी बताओ।

(३५) अपनी डाक दूसरे नगर में मंगवाने के लिए छोड़े हुए नगर के पोस्ट मास्टर को प्रार्थना पत्र लिखो।

(३६) नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो—

दाल न गलना, दान्त खट्टे करना, नाक काटना, हाथ मलना, कोल्हू का बैल, जैसे का तैसा।

(३७) नीचे लिखी कहावतों का वाक्यों में प्रयोग करो :—

जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूध का जला छाछ फूँक फूँक कर पीता है। अन्धा क्या जाने बसन्त की बहार। जैसा करोगे वैसा भरोगे।

(३८) नीचे दी हुई रूप रेखा के अनुसार कहानी लिखो—

एक अन्धा और लंगड़ा—नगर में अकाल—सब भाग गए—दोनों भूखे मरने लगे—एक सुझाव—लंगड़े के कन्धे पर अन्धा चढ़ा—दूसरे नगर में पहुँच गए।

(३९) नीचे एक दो वाक्य दिये हुए हैं। विस्तार पूर्वक लिखो—

वर्षा सब ऋतुओं से अधिक सुहावनी होती है। बादल गर्जते हैं, बिजली कड़कती है, मेंह टप-टप बरसता है ..

[नोट—ऊपर ३९ नमूने जूनियर बेसिक कक्षाओं के लिये दिये गये हैं। ऐसे ही अभ्यासों का स्तर ऊँचा करके मिडिल अथवा सीनियर बेसिक कक्षाओं में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।]

(ख) उच्च कक्षाओं के लिए रचना के नवीन प्रकार के विषय—प्रायः उच्च कक्षाओं के छात्रों को किसी विषय पर निबन्ध लिखने का आदेश दिया जाता है। निबन्धों की परिपाटी अब पुरानी हो गई है। निबंधों के बदले दिए गए विचारों का विस्तार पूछा जा सकता है। नीचे १५ विषय दिए जाते हैं, जिनको पढ़कर छात्रों के मन में एक नई विचार धारा पैदा होगी। जिसके अनुसार वे लेख लिख सकते हैं—

(१) जन्म-भूमि से तभी प्यार हो सकता है जब जन्म-भूमि भी हमारा जीवन

सुखी बनाए . .

(२) कहानी बहुत पुरानी है, परन्तु अब भी ताजा याद है। मेरे ही जीवन की एक मार्मिक घटना है . .

(३) आप को मेरी दाढ़ी कितनी भी पसंद हो, उस पर आप अपना हाथ न फेरिए टैगोर की दाढ़ी के साथ तुलना न कीजिए।

(४) भूखे भजन न होत गोपाला।

(५) महीने की पहली तारीख सचमुच मुसीबत है। अभी वेतन घर ले आये नहीं कि इधर श्रीमती जी की फरमाइशें आरम्भ होती हैं, और उधर दुकानदारों की उगराही।

(६) विश्राम के क्षणों में मुझे अपने भावी जीवन के अनेक सपने देखने को मिलते हैं।

(७) मास्टर प्रेमनाथ मुझे बिल्कुल भी पसन्द नहीं। यदि उनके व्यवहार से मैं तंग न आता, तो सेक्शन न बदलवा लेता

(८) मैं इस समय परीक्षा भवन में हूं। इसके वातावरण का चित्रण करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं . . .

(९) ३००० वर्षों के उपरान्त श्रीराम चन्द्र जी स्वर्ग से उतर कर अपनी अयोध्या नगरी में आये, लेकिन अपनी भारत भूमि को विलक्षण ही पाया।

(१०) मैंने अब तक कितने ही व्यक्तियों को धोखा दिया। प्रत्येक घटना अनोखी है .

(११) मैं भगवान् हूं। सारा संसार मैंने ही बनाया, सारी सृष्टि मेरी ही है.....

(१२) मैं पैसे का पुजारी हूं। पैसे से ही संसार में सब कुछ सम्भव है। पैसा हो जेब में, फिर देखिए, संसार के सभी मज़े सामने हैं

(१३) मुझे वोट दीजिए, फिर देखिए मैं आप के लिए क्या कुछ नहीं करूंगा मज़दूरों को दुगुना वेतन दिला दूंगा। महिलाओं की आजादी के लिए लड़ूंगा.......

(१४) याद रखो, संसार में कोई वस्तु सारवान नहीं। भगवान् के सिवा सब कुछ तुच्छ है केवल राम-नाम सत्य है। इस झूठे जग की माया छोड़ो और हरि-नाम जपो.. . .

(१५) अब देश में क्रान्ति मचेगी, उथल-पुथल होगी, पूंजीपतियों का विनाश होगा। धन और धरती बंट के रहेगी। समाज के ठेकेदारों का पतन होगा.........

अभ्यासात्मक प्रश्न

१. प्रारम्भिक मिडिल तथा हाई कक्षाओं के लिए रचना के विभिन्न प्रकारों तथा विषयों का उल्लेख कीजिए। [§ 159, 160, 161]

२. प्रारम्भिक कक्षाओं को हिन्दी रचना सिखाने के लिए आप कौन सी विधियां अपनायेंगे ? मौखिक कार्य को लिखित रचना के साथ आप कैसे सम्बद्ध करेंगे ? [§ 164]

३. मौखिक कार्य और लिखित रचना में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? हिन्दी रचना को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आप कौन से उपाय काम में लायेंगे ? [§ 164]

४. रचना का संशोधन आप कैसे करेंगे ? नवम कक्षा की रचना के निम्न पाठ पढ़ाने के लिए पाठ संकेत बनाएँ : महात्मा गाँधी, काश्मीर, सिनेमा। [§ 168]

५. रचना सिखाने की विभिन्न प्रचलित प्रणालियों की व्याख्या कीजिए। उनमें से कौन सी प्रणाली किस अवस्था के लिए उपयोगी है ? [§ 162]

६. हिन्दी अध्यापक के नाते आप छात्रों में कल्पना और रचनात्मक शक्ति के विकास के लिए कौन से उपाय काम में लायेंगे ? सोदाहरण समझाएँ। [§ 170]

७. उन अभ्यासों के कतिपय नमूने दीजिए जिनके द्वारा आप विभिन्न कक्षाओं में रचना का अभ्यास करायेंगे। [§ 170]

८. लिखाई और रचना की मन्दता के क्या कारण हैं ? मन्दता को दूर करने के लिए आप कौन से उपाय काम में लायेंगे ? [§ 169]

सहायक पुस्तकें

1. Gurrey	*The Teaching of Written English (Longman Green and Co)*
2. Lamborn	*1. Teaching, of English as, Foreign language.*
	2 Expression in Speech and Writing.
3 Tideman	*Teaching the Language Arts.*
4 Unesco	*Teaching of Modern Languages.*
5 Lewis, M. M	*language in School, ch 3. 'The' everyday use of the written word*
6. सीताराम चतुर्वेदी	भाषा की शिक्षा
7.. लक्ष्मी के मोड	भाषा-शिक्षण की नवीन विधियाँ
8. यज्ञदत्त शर्मा	प्रबन्ध सागर (आत्मा राम एण्ड सन्स दिल्ली)
9. ,,	आदर्श पत्र लेखन (आत्मा राम एण्ड सन्स दिल्ली)
10. प्रबन्ध पराग	जियालाल हण्डू

(ख) निर्णयात्मक मत—

(i) प्रारम्भिक कक्षाओं में हिन्दी सीखने के लिए मातृ-भाषा अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है। तुलना विधि का पूरा लाभ उठाना चाहिए।

(ii) अनुवाद विधि भी सहायक है, परन्तु कई स्थानों पर अध्यापक अनुवाद पर अधिक बल देता है। प्रत्येक शब्द का अनुवाद, प्रत्येक वाक्य का अनुवाद, प्रत्येक कविता का अनुवाद आदि आवश्यक है।

अनुवाद का प्रयोग विवेक के साथ करना चाहिए।

(iii) निर्बाध विधि भी सहायक है, परन्तु मातृ-भाषा को हिन्दी के पाठ में निषिद्ध ठहराना निरर्थक है। अध्यापक विद्यार्थियों में हिन्दी में सोचने की आदत डाले, परन्तु जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ समझाने के लिए मातृ-भाषा का भी प्रयोग कराए।

(iv) मातृ-भाषा का प्रयोग हिन्दी के प्रत्येक अंग की शिक्षा में आवश्यक है। मातृ-भाषा केवल साधन है। जैसे अन्य साधनों को अपनाया जाता है वहाँ मातृ-भाषा को भी साधन के रूप में अपनाने में कोई आपत्ति नहीं।

§ 172. हिन्दी की शिक्षा में मातृ-भाषा का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग—

(१) बोल चाल में मातृ-भाषा का योग—हिन्दी में बोलने से पहले मातृ-भाषा में शुद्ध और स्पष्ट रीति से अपने विचारों को व्यक्त करने की आदत और योग्यता बढ़ानी चाहिए।

(i) हिन्दी सीखने से पहले छात्र अपनी मातृ-भाषा में बोलना सीख जाता है। तब तक वह तीन बातों को सीख चुका है जो बोल-चाल में आवश्यक हैं—(क) विचारों का संकलन (ख) विचारों की उचित व्यवस्था, जिससे व्यक्त करते समय दूसरों को भली प्रकार समझाया जा सके।

(ग) स्पष्ट और शुद्ध रीति से व्यक्त करना। नौ या दस वर्ष की अवस्था में जब छात्र हिन्दी बोलना सीखता है, तो उसकी बोल-चाल की प्रारम्भिक आदतें बन गई हैं उसे केवल नई भाषा के अनुसार बोल-चाल की आदतों का प्रयोग करना है।

(ii) जिस छात्र में इन आदतों की कमी हो, और जो अपनी मातृ-भाषा में अन्य छात्रों के स्तर पर नहीं बोल सकता, वह हिन्दी बोल-चाल में भी पीछे रहेगा। ऐसी अवस्था में हिन्दी के अध्यापक को छात्र की मातृ-भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। या तो वह मातृ-भाषा के अध्यापक द्वारा छात्र की उस कमी को पूरा करवाएगा, नहीं तो स्वयं उसे मातृ-भाषा में बोलने और तत्पश्चात् हिन्दी में बोलने के लिए प्रोत्साहन देगा।

(iii) प्रारम्भ में जब छात्र हिन्दी में बोलने का प्रयास करे, तो वह पहले अपने विचार को मातृ-भाषा में सोचे, और फिर उसी का अनुवाद हिन्दी में करे धीरे-धीरे मातृ-

भाषा को छोड़ कर हिन्दी में विशेष रूप से योग मिलेगा ।

(iv) मौलिक रचना के लिए जो भी विषय दिये जाय, उन का अभ्यास पहले मातृ-भाषा में ही होना चाहिए । पहले उस विषय पर पहले मातृ-भाषा में और फिर हिन्दी में । मातृ भाषा में उस विषय का अभ्यास आगे काम के लिए प्रवेश द्वार का काम करेगा ।

(१) उच्चारण में मातृ-भाषा का योग

(i) मातृ भाषा भारतीय परिवार की भाषा हो या द्राविड़ परिवार की भाषा हो, उसके उच्चारण में और हिन्दी के उच्चारण में अवश्य ही कुछ समता है और कुछ विषमता है । जहाँ पर समता है तुलना विधि से हिन्दी उच्चारण की शिक्षा सुगम बन जाती है । विषमता के स्थल पर भी मातृ-भाषा और हिन्दी के उच्चारण में परस्पर भेद समझाने की आवश्यकता है । मातृ भाषा से भिन्न अन्य भाषा की प्रत्येक ध्वनि का शुद्ध उच्चारण कोई सरल कार्य नहीं है । इसके लिए अनुकरण, बोध और निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता रहती है । अक्षर-ध्वनि (articulation) और स्वराघात की विशेषतायें भी तुलना विधि से सीखी जा सकती है ।

(ii) उच्चारण की शिक्षा में अध्यापक को हिन्दी ध्वनियों और हिन्दी उच्चारण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक समझना पड़ेगा । छोटी कक्षाओं को समझाने के लिए मातृ-भाषा के माध्यम द्वारा उच्चारण की उलझनें समझाई जा सकती हैं ।

(iii) शुद्ध हिन्दी के उच्चारण के लिए मातृ-भाषा की कई ध्वनियों का उच्चारण तत्काल भूलना पड़ता है । मातृ-भाषा की ध्वनियों के प्रभाव के कारण हिन्दी के उच्चारण में दोष आ जाते हैं ।

(२) वाचन की शिक्षा में मातृ-भाषा का योग—

(i) हिन्दी वाचन सिखाने से पहले छात्र की वाचन मुद्रा (posture) तथा वाचन शैली का पूरा अभ्यास मातृ-भाषा पाठ्य-पुस्तक पढ़ने से हो जाता है । वाचन-मुद्रा के अन्तर्गत दृष्टि विराम (eye-span) का विस्तार, नेत्रों की उचित मुद्रा, मुख की उचित मुद्रा तथा जिह्वा की उचित मुद्रा सम्मिलित है । वाचन शैली में शब्दोच्चारण अक्षर व्यक्ति, बल (emphasis), विराम (pause), सस्वरता (intonation), प्रवाह, गति प्रभावोत्पादकता आदि सम्मिलित है । निश्चय ही ये सभी बातें मातृ-भाषा के पाठ में सीखी जाती है । नौ दस वर्ष की अवस्था में जब छात्र हिन्दी पढ़ने लगता है, वह भाषा के वाचन में अभ्यस्त है । यह अभ्यास हिन्दी वाचन में सहायक है ।

(ii) मातृ-भाषा के वाचन के द्वारा पढ़ते-पढ़ते विचार ग्रहण करने की शक्ति, तथा एकाग्रता (concentration) बढ़ जाती है जो हिन्दी वाचन में काम आती है ।

(iii) मातृ-भाषा के मौन-पाठ में अभ्यास आवश्यक है इससे मन में पढ़ने की

आदत पड़ जाती है और हिन्दी के मौन पाठ में सहायता मिलती है।

(iv) हिन्दी वाचन में नए तथा कठिन शब्दों को समझने के लिए बहुधा मातृ-भाषा का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्येक कठिन शब्द का पर्यायवाची नहीं दिया जा सकता। कितने ही हिन्दी शब्दों का मातृभाषा में अर्थ बताने से काम चल जाता है।

(v) कठिन स्थलों की व्याख्या करने के लिए भी बहुधा मातृ-भाषा का प्रयोग करना पड़ता है।

(४) लिपि की शिक्षा में मातृ-भाषा का स्थान—

(i) हिन्दी सिखाने से पहले मातृ-भाषा में लिपि की शिक्षा देने से छात्रों के हाथ लिखने में अभ्यस्त हो जाते हैं और उन्हें मातृ-भाषा के सभी लिप्यक्षरों का ज्ञान हो जाता है। हाथों और उंगलियों का लिखने में अभ्यस्त होना हिन्दी लिपि सीखने के लिए प्रथम सोपान है।

(ii) मातृ-भाषा के लिप्यक्षरों से तुलना विधि द्वारा हिन्दी के लिप्यक्षर सिखाए जा सकते हैं।

(५) हिन्दी रचना की शिक्षा में मातृ भाषा का स्थान—

(i) किसी भी विषय पर रचना लिखने से पहले विचारों का सकलन और क्रमबद्ध विश्लेषण मातृ-भाषा में सम्पन्न हो सकता है और तत्पश्चात् उन्हीं विचारों को हिन्दी में व्यक्त किया जा सकता है।

(ii) छात्र जिस विषय पर हिन्दी रचना लिखेगा, उसी विषय पर पहले मातृ-भाषा में रचना होनी चाहिए। यदि मातृ-भाषा में उस विषय पर रचना लिखी जाए तो समझना चाहिए हिन्दी रचना के लिए आधा काम समाप्त हो गया।

(iii) रचना लिखने की विधि, और विषय के सम्बन्ध में जटिल बातें मातृ-भाषा में सिखाई जा सकती है।

(६) हिन्दी व्याकरण की शिक्षा में मातृ-भाषा का योग—

(i) भारतीय भाषाओं की प्रकृति में बहुत कुछ साम्य है अतः मातृ-भाषा के व्याकरण का ज्ञान हिन्दी व्याकरण सीखने में सहायक है।

(ii) मातृ-भाषा व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों को सिखाने के बाद हिन्दी व्याकरण के तत्सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द सिखाना अत्यन्त सरल कार्य बन जाता है। एक बार दोनों भाषाओं में उन शब्दों की सूची बनाना पर्याप्त है। साधारणतया ऐसी शब्दावली एक ही है, भिन्न नहीं, क्योंकि हिन्दी व्याकरण के ऐसे शब्द सस्कृत से ही लिए गए हैं, और उत्तरी भारत की भाषाओं के व्याकरण के पारिभाषिक शब्द भी अधिकतः सस्कृत से लिए गए हैं। परन्तु जहाँ शब्द भिन्न हैं, वहाँ हिन्दी रूपान्तर करना पर्याप्त है।

(iii) हिन्दी व्याकरण की जटिलताओं को मातृ-भाषा मे सिखाने मे कोई आपत्ति नहीं। इस से कार्य सुगम हो जाता है।

(iv) मातृ-भाषा के व्याकरण का ज्ञान हिन्दी व्याकरण समझने के लिए परम सहायक है। मातृ-भाषा के शब्दों की बनावट, वाक्यो की बनावट, शब्द क्रम आदि हिन्दी की भी इन बातो के समझने मे काम आती हैं। दोनों भाषाओं में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के सम्बन्ध में विशेषताएँ है, उन को एक साथ समझाने और परस्पर भेद बताने मे सुविधा आ जाती है।

(७) अनुवाद की शिक्षा में मातृ-भाषा का योग—

(i) हिन्दी के कठिन शब्दों, कठिन स्थलो का मातृ-भाषा मे अनुवाद करना चाहिए। उस से दोनों भाषाओं के शब्दों तथा वाक्यों की बनावट, शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग आदि समझ में आता है।

(ii) हिन्दी का मातृ-भाषा मे अनुवाद करने से छात्र को हिन्दी भाषा पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा और अध्यापक भी इस बात की जाँच कर सकता है कि छात्र कहाँ तक समझ सका है।

(iii) मातृ-भाषा से हिन्दी मे अनुवाद करना बहुत ही आवश्यक है। इससे जहाँ दोनों भाषाओं के मुहावरों तथा वाक्य रचना की विचित्रताओं का ज्ञान हो जाता है, वहाँ शुद्ध तथा मुहावरेदार हिन्दी लिखने मे तथा अपने विचारों को स्पष्ट रूप से हिन्दी मे प्रकट करने का अभ्यास हो जाता है। अनुवाद रचना का एक विशेष अंग है।

(८) द्रुत पाठ में मातृ-भाषा का प्रयोग—

(i) यदि छात्रों को मातृ-भाषा की सहायक पुस्तकों (Supplimentary readers) के द्रुतपाठ (rapid reading) में अभ्यास हो जाए, तो आगे चल कर हिन्दी की सहायक पुस्तकों के द्रुत-पाठ मे उन्हें आसानी होगी। भाषा शिक्षा एक कला है। जब भाषा में आ प्रवीण बन जाता है, उसे पढ़ने तथा अध्ययन करने का कौशल प्राप्त होता है जिस की सहायता से वह दूसरी भाषा का अध्ययन भी सुगमता से कर सकता है। जिन छात्रों ने मातृ भाषा की पुस्तकों को पढ़ने की आदत डाली, वे हिन्दी में भी रुचि लेंगे।

स्पष्ट यह है कि हिन्दी बोल चाल, वाचन, लिपि, रचना, व्याकरण, द्रुत पाठ आदि में मातृ—भाषा एक सहायक साधन है।

अभ्यासात्मक प्रश्न

(१) अनुवाद किसे कहते हैं ? मातृ-भाषा से हिन्दी मे और हिन्दी से मातृ-भाषा मे अनुवाद सिखाने की विधि बताइए। ऐसे अनुवाद का हिन्दी मे क्या स्थान है ? [§ 172]

२. जहां हिन्दी मातृ-भाषा नहीं, वहां हिन्दी सिखाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए कि नही ? यदि करना चाहिए तो किस प्रकार ? उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए ? [§ 171]

३. हिन्दी शिक्षण मे मातृ-भाषा व्यतिक्रम (interference) पैदा कर सकती है या सहायता-प्रदान कर सकती है ? पक्ष और विपक्ष की युक्तियाँ दे कर अपना निर्णयात्मक मत प्रस्तुत कीजिए ? [§ 171]

सहायक पुस्तकें

1. **Gurry, P.**	*Teaching of English as a Foreign Language ch 24*
2. **Anne Cochran :**	*Modern Methods of Teaching English as a foreign Language. (Educational Services, Washington)*
8. **Maxim New mark**	*20th, Century Modern Language teaching*
4 **Balwant Singh Anand**	*Aims and Methods of teaching English In India*
5. **Thimann I. C.**	*Teaching Languages (George G Harrap and Co. Ltd. London)*

नवीन शिक्षण-पद्धतियाँ और भाषा-शिक्षण

§ 173 भूमिका –

बीसवीं शताब्दी शिक्षा में क्रान्ति का युग है। शिक्षा सम्बन्धी पुरानी धारणाओं का आमूल परिवर्तन हो गया है। वैज्ञानिक, प्रयोगात्मक और मनोवैज्ञानिक खोजों के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और स्कूल प्रबन्ध में भारी उलट-पुलट हुई है। शिक्षा के कुछ नवीन प्रयोग हो चुके हैं जिन के आधार पर विशेष पद्धतियों जैसे मॉन्टेसोरी पद्धति, बालोद्यान पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, डाल्टन पद्धति, बेसिक पद्धति, आदि का सूत्रपात हुआ है। इन पद्धतियों में परस्पर पर्याप्त अन्तर है, परन्तु कई मौलिक सिद्धान्त इन सब में समान हैं जिन के आधार पर उनको नवीन 'शिक्षण पद्धतियाँ' कहा जाता है। ये सिद्धान्त पद्धति सर्वांगीण शिक्षा से सम्बन्ध रखते हैं, भाषा शिक्षा पर भी उनका प्रत्यक्ष प्रभाव है। नीचे इन नवीन सिद्धान्तों का उल्लेख किया जाता है। इसके उपरान्त उपर्युक्त नवीन शिक्षण-पद्धतियों की संक्षिप्त रेखा दी जाती है। भाषा-शिक्षण में उन पद्धतियों से क्या सहायता ली जा सकती है, इसी तथ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये सभी पद्धतियाँ अपने आप पूर्ण नहीं, अतः इन में से किसी एक के ही आधार पर भाषा की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। परन्तु प्रत्येक शिक्षण-पद्धति में कुछ विशेष गुण हैं, जो विद्यार्थी जीवन की विशेष अवस्था में अत्यन्त लाभकारी है, मौंटेसोरी पद्धति ३ वर्ष से ६ वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है। बालोद्यान पद्धति भी ५ वर्ष से १० वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा में सहायक है। डाल्टन और प्रोजेक्ट पद्धति माध्यमिक (मिडिल तथा हाई) कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। अतः इन अवस्थाओं में हम इन पद्धतियों से शैक्षणिक सिद्धान्त लेकर भाषा की शिक्षा में अपना सकते हैं। इन पद्धतियों में जो भी बातें हमारे वातावरण हमारी परिस्थितियों और हमारी आवश्यकताओं के साथ मेल नहीं खाती उन का हम अवश्य त्याग कर सकते हैं। संक्षेप में हमारी नीति यह होनी चाहिए कि प्रत्येक नवीन 'उपयोगी' सिद्धान्त या प्रयोग को अपनाएं, प्रत्येक नवीन पद्धति में से समन्वय कर लें, और रूढ़िवादी न बनें। किसी एक पद्धति का अंधानुकरण करना हानिकारक है।

§ 174. शिक्षा में नवीन सिद्धान्त—

(१) नवीन शिक्षा बाल-केन्द्रित (Paedo-centered) है। [illegible] की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं और मानसिक अवस्था का [illegible] चाहिए। अत: भाषा की शिक्षा में विद्यार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नता पर ध्यान देना चाहिए।

(२) नवीन शिक्षा में क्रियाशीलता (activity) पर ज़ोर दिया जाता है। क्रिया द्वारा सीखना एक आवश्यक मनोवैज्ञानिक सत्य है। अत: भाषा-शिक्षण में पुस्तकें रटाने के बदले बालसभा, नाटक, वाद-विवाद, प्रतियोगिताएँ, आदि क्रियात्मक साधनों का अवलम्बन करना चाहिए।

(३) नवीन शिक्षा का वास्तविक जीवन के साथ सम्बन्ध जोड़ा जाता है। अत: भाषा-शिक्षा में उन सभी कार्यों का बहिष्कार होना चाहिए, जिनका वास्तविक जीवन में कोई महत्त्व नहीं। वास्तविकता के सिद्धान्त के अनुसार ही भाषा शिक्षण के उद्देश्य निश्चित होने चाहिएँ। अत: सैद्धान्तिक व्याकरण, पुरानी परिपाटी के निबन्ध, अनुपयोगी विषयों से सम्बन्धित गद्यपाठ आदि कुछ महत्त्व नहीं रखते। इसके बदले वास्तविक घटनाओं और क्रियाओं के सम्बन्ध में मौखिक कार्य, उद्योग कार्य का वर्णन, वास्तविक आवश्यकता के लिए पत्र व्यवहार, प्रयोगात्मक व्याकरण, भाषा का व्यावहारिक ज्ञान आदि का ही अब महत्त्व है।

(४) नवीन शिक्षा में सामाजिक कार्यों पर बल दिया है। शिक्षा का अर्थ है जीवन के सामाजिक कार्यों में भाग लेना। विद्यालय एक लघु और सरल समाज है। छात्र, इसी लघु समाज में काम करते करते बृहद् समाज के जीवन में भाग लेने के योग्य बन जाते हैं। अत विभिन्न सामाजिक कार्यों और पाठान्तर क्रियाओं में भाग लेना अनिवार्य होना चाहिए। इन्हीं क्रियाओं द्वारा छात्र इतिहास, गणित, भाषा आदि सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कवि-सम्मेलन, बाल-सभा, उत्सव मनाना आदि ऐसे सामाजिक कार्य हैं, जिन के द्वारा बोल-चाल में अभ्यास हो सकता है, भाषण-पटुता आ सकती है, शब्दावली की वृद्धि हो सकती है, कविता में रुचि पैदा हो सकती है, शुद्ध लिखने पढ़ने की आदत बन सकती है और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग में प्रवीणता आ सकती है।

(५) पाठ्यक्रम की उपादेयता और स्वाभाविकता, नवीन शिक्षा का एक और सिद्धान्त है। पाठ्यक्रम में समाज के स्वरूप का प्रतिबिंब होना चाहिए। समाज के सभी कार्य-कलापों का पाठ्यक्रम में प्रतिबिम्ब होना चाहिए। इस लिए बनावटी, पुस्तकीय (bookish) अव्यावहारिक और अप्रयोगात्मक सामग्री की कोई उपादेयता नहीं। भाषा शिक्षण का नवीन पाठ्यक्रम उसी सिद्धान्त के [illegible]

(३) नवीन शिक्षा की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक आधार पर आश्रित है नवीन मनोवैज्ञानिक खोजों के अनुसार, बालक की बुद्धि, मानसिक विकास, अभिरुचि, अवधान (attention), परम्परा और परिस्थिति, मनोभाव, अनुकरण, खेल, संकल्प, आदत, स्मृति, कल्पना, तर्क आदि के सम्बन्ध में जिन तथ्यों का आविर्भाव हुआ है, उन के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। भाषा की शिक्षा में भी बालकों की मानसिक अवस्था का ध्यान रखना चाहिये, रुचि बढ़ाने के विविध साधन अपनाने चाहिये, उच्चारण और वाचन में अनुकरण का प्रयोग करना चाहिये, कविता और रचना में कल्पना शक्ति को जाग्रत करना चाहिये, शुद्ध बोलने और लिखने की आदतों का निर्माण करना चाहिये, आदि।

§ 175. मौंटेसोरी पद्धति (Montessori Method)—

इस पद्धति का आविष्कार इटली निवासी श्रीमती मेरिया मौंटेसोरी ने किया है। यह पद्धति पूर्व प्रारम्भिक (per primary) कक्षा के छात्रों, अर्थात् तीन वर्ष से छः वर्ष तक के छात्रों के लिए उपयुक्त है।

इस पद्धति की निम्न विशेषताएँ हैं :—

(1) इस पद्धति में शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बालक के विशेष व्यक्तित्व का विकास हो। इस बात के लिए उसके सम्मुख एक स्वतन्त्र वातावरण रखा जाए, जिस में वह खेल द्वारा स्वयं शिक्षा प्राप्त करे। आरम्भ में उनकी ज्ञानेन्द्रियों का तथा स्नायु शक्ति का पूर्ण विकास होना चाहिए।

(२) उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए सारे स्कूल प्रबन्ध बिल्कुल नए ढंग से होने चाहिएँ। स्कूल का वातावरण घर का वातावरण होना चाहिये, जिस को 'बच्चों का घर (Children House) कहा जाए। यह मेज, कुर्सी, चित्र आदि से खूब सजा हुआ होना चाहिये।

(३) ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा के लिए शिक्षोपकरण (Didactic apparatus) होता है जिस में विभिन्न आकारों के ठोस वस्तुओं के अनेक सैट सम्मिलित हैं। इन वस्तुओं से रूप रंग, ध्वनि, स्पर्श, समता, विषमता, नाप, तोल आदि का ज्ञान हो जाता है।

भाषा शिक्षा की प्रक्रिया—

मौंटेसोरी पद्धति में भाषा शिक्षण की प्रक्रिया निम्न है—

(i) सर्व प्रथम कर्णेन्द्रियों [illegible] अभ्यास कराया जाता है जिस में स्वरों की पूरी पहचान हो।

(ii) शब्दों का ज्ञान कराने [illegible] है जैसे पढ़ने वस्तु

का नाम लेना, फिर वस्तु का अथवा उसके चित्र को देख कर पहचानना और फिर तत्सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देना।

(iii) लिखना सिखाने में पहले लकड़ी के [illegible] पर रंगीन पेंसिल से रेखाएँ खिचवाई जाती हैं जिस से उंगलियों का अभ्यास हो और अन्त में अक्षरों को जोड़ कर शब्द बनाने का अभ्यास कराया जाता है।

(iv) वाचन की शिक्षा लिखने की शिक्षा पूरी होने के बाद दी जाती है। वाक्य से आरम्भ कर के अक्षर ज्ञान कराया जाता है।

मोंटेसोरी पद्धति की उपादेयता--वास्तव में मोंटेसरी पद्धति उस अवस्था के लिए उपयुक्त है जब विद्यार्थी को भाषा शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। ज्ञानेन्द्रियों पर ध्यान देना, तीन से छः वर्ष की अवस्था के लिये आवश्यक है। यदि ज्ञानेन्द्रिया पूरी विकसित न हों तो उच्चारण, वाचन और लेखन में दोष आ जाते हैं। मोंटेसोरी ने लिखने में हाथ की हरकतों और अवधान की ओर ध्यान दिया है, जो महत्त्वपूर्ण है। लिखने के बाद पढ़ना सिखाना मोंटेसोरी पद्धति की एक त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है। फिर भी वाचन के लिये फ्लेश कार्ड और भौतिक कार्य का अनुसरण करना ग्राह्य है। यह प्रणाली निश्चय ही व्ययसाध्य है, परन्तु इसके विशेष तत्त्वों सिद्धान्तों को हम भली भांति ग्रहण कर सकते हैं। *मोंटेसोरी यन्त्रों के अनुरूप सस्ते लकड़ी के यन्त्र बनाये जा सकते हैं।*

§ 176 बालोद्यान पद्धति [Kindergarton Method]

इस पद्धति के अविष्कारक प्रसिद्ध जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल थे। इस पद्धति की निम्न विशेषताएँ हैं—

(१) फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, बालक की आत्माभिव्यक्ति का विकास करना। स्कूल इस के लिए एक अच्छा वातावरण उपस्थित करता है अथवा स्कूल उसकी खेल कूद और विकास के लिये उद्यान है। शिक्षक इस उद्यान का माली है। उपयुक्त सिंचाई मिट्टी और देख भाल से शिशु रूपी बूटा विकसित होता है। बालक को अपनी शक्तियों के अनुसार विकास का अवसर मिलना चाहिए। इसी लिये स्कूल बालकों (Kinder) का उद्यान (gart(n) है।

(२) बालकों को स्वतन्त्र वातावरण प्रदान करना चाहिए, और उसमें समस्त शिक्षा खेल द्वारा दी जानी चाहिए। खेल में सामूहिक भावना के द्वारा सामाजिक चेतना पैदा होती है

(३) उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए फ्रोबेल ने विभिन्न आकार की 20 वस्तुएँ बनाईं, जिसको वह उपहार (gifts) कहते थे। ये सभी उपहार, सम-गोल और घन के रूपान्तर हैं। बच्चे इन्हीं से खेलते हैं। इनसे उसकी कर्मेन्द्रियां पुष्ट होती हैं, साथ ही संगीत का कार्यक्रम भी चलता है। उपहारों के अतिरिक्त कागज़ कैंची मिट्टी,

(२) इस विधि में समय सारिणी (time table) का बंधन नहीं होता, घंटे नहीं बजते, और छात्र स्वतन्त्रता के साथ अपना निर्दिष्ट कार्य (assignment) समाप्त करते हैं। ठेकेदारों की तरह छात्र निर्दिष्ट कार्य को निश्चित अवधि के भीतर समाप्त करने का ठेका लेते हैं, और अध्यापक के निर्देश के अनुसार स्वाध्याय करते हैं।

(३) अध्यापक छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखता है। प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता और गति के साथ प्रगति करने में सहायता देता है। उसको एक अधिन्यास या निर्दिष्ट कार्य देता है, ठेके के पत्र पर हस्ताक्षर करवाता है, उस कार्य के सम्बन्ध में प्रयोगशाला में रखी हुई सहायक सामग्री (पुस्तक, कोष, पुस्तक पत्रिका, चित्र, मानचित्र आदि) का हवाला देता है, और अन्त में उनके काम की जाँच करता है। मौखिक पाठ और सामूहिक कार्य के लिए वह कभी सम्मेलन (conference) बुलाता है वह प्रत्येक छात्र की उपलब्धि (achievement) के सम्बन्ध में ग्राफों के प्रयोग द्वारा रेकार्ड (record) रखता है।

(४) प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं और अध्यापक होते हैं। ये अध्यापक प्रत्येक मास के लिए निर्दिष्ट पाठ या अधिन्यास तैयार करने से पहले एक बैठक में परस्पर मंत्रणा करते हैं, पाठों की योजनाएं तथा इकाइयां बना लेते हैं, और विभिन्न विषयों के पाठों में समन्वय (co-ordinatior) रखते हैं।

भाषा शिक्षण—

(i) अध्यापक एक मास के लिए कार्य निश्चित करता है उनको सप्ताहों में बांटता है। एक सप्ताह के काम का ठेका छात्र को देता है। उसे एक अधिन्यास देता है जिस में निम्न बातों का उल्लेख होता है—

(१) पाठ का शीर्षक। उदाहरण : महात्मा बुद्ध। श्रेणी आठवीं।

(२) समस्या (Problem) जैसे महात्मा बुद्ध की जीवनी पढ़ना और तत्पश्चात अपने शब्दों में लिखना।

(३) लिखित कार्य। बुद्ध की जीवनी पर एक प्रस्ताव लिखना।

(४) याद करने का काम। अमुक पुस्तक में से बुद्ध की जीवनी का अध्ययन करना मुख्य घटनाओं की एक रूप-रेखा या ढांचा तैयार करना, कठिन शब्दों का अर्थ कोष में देखना और याद करना, बुद्ध के सम्बन्ध में अमुक पुस्तक में दी गई कविता कंठस्थ करना आदि।

(५) मौखिक कार्य। अमुक तिथि को अध्यापक के साथ मौखिक बातचीत, प्रश्नों का तैयार करना और उनका हल बनाना।

(६) सहायक पुस्तकें। अमुक सहायक पुस्तकों और पत्रिकाओं में बुद्ध का वृत्तान्त दिया हुआ है। अमुक चित्र बुद्ध के सम्बन्ध में हैं। चित्रमय भारत का अमुक

जहां बुद्ध के जीवन सम्बन्धी चित्र दिए हुए हैं। बुद्ध जयन्ती पर अमुक लेख पढ़ना। बु के सम्बन्ध में नेहरू जी का भाषण अमुक पत्रिका में पढ़ना, 'भारत वर्ष, संक्षिप्त इति' में पृष्ठ 50—60 पढ़ना। निम्न शब्दों का तात्पर्य समझना—अहिंसा, अष्टमार्ग त्रिपठक, भिक्षु, संघ, विहार, स्तूप, हीनयान, महायान, निर्वाण।

(७) प्रगति—लेखा अर्थात् प्रत्येक छात्र अपने किए हुए काम का ग्राफ तैयार करता है, जिसे वह अध्यापक को दिखाता रहता है यदि वह ऐसा काम करता है जो दो विषयों के साथ सम्बन्ध रखता है, तो उसे दूसरे विभाग में छूट मिलती है भाषा में महात्मा बुद्ध तैयार करने से इतिहास में इसी विषय को पुनः पढ़ने से छूट मिलेगी।

(८) भाषा शिक्षण में कोई एक पाठ्यपुस्तक नियत नहीं होती। प्रत्येक कक्ष अर्थात् प्रयोगशाला में अच्छी से अच्छी पुस्तकें पर्याप्त संख्या में होती हैं। अब छात्र स्वतन्त्रता के साथ उनका स्वाध्याय करते हैं। और शिक्षक से सहायता लेते हैं। गृह कार्य बिल्कुल नहीं दिया जाता।

डाल्टन पद्धति की उपादेयता—डाल्टन पद्धति अपने आप परिपूर्ण नहीं। वैयक्तिक काम तो काफी होता है, परन्तु सामूहिक काम न्यूनतम। मौलिक कार्य के लिए कोई अवसर नहीं। दस ग्यारह वर्ष से कम अवस्था के छात्र, जिन्हें स्वतन्त्र रूप से पढ़ने का अभ्यास नहीं होता, इस पद्धति से लाभ नहीं उठा सकते। जहां मौंटेसोरी और बालोद्यान पद्धति छोटे बच्चों अथवा प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, वहां डाल्टन पद्धति मिडल तथा हाई कक्षाओं के लिए सीमित रूप में उपयोगी है, डाल्टन पद्धति वर्तमान शिक्षण की पद्धति की सहायक बन सकती है। अध्यापक इस पद्धति के निम्न गुण अपना सकते हैं।

[i] व्याकरण और रचना कार्य के लिए अधिन्यास [assignment] देना, उनके सम्बन्ध में आवश्यक सहायकसामग्री का संकेत देना।

[ii] प्रत्येक छात्र की रचना-कार्य पर वैयक्तिक ध्यान देना, उसकी त्रुटियों और अशुद्धियों का संशोधन करना।

[iii] भाषा-शिक्षण के कमरे को प्रत्येक प्रकार की सहायक सामग्री से सजाना जिससे वह प्रयोग-शाला ही बन जाए। बाल साहित्य पर्याप्त होना चाहिए।

[iv] पाठ्यपुस्तक पर ही ध्यान केन्द्रित न किया जाए छात्रों को अधिक से अधिक सहायक पुस्तकें [Supplementary readers] देनी चाहिए। उनमें स्वाध्याय की आदत डालनी चाहिए। उन्हें स्वतन्त्र रूप में पढ़ने और काम करने का अभ्यास हो जाना चाहिए। कोष और व्याकरण की पुस्तकों का प्रयोग सिखाना चाहिए। पत्र-पत्रिकाओं को रुचि के साथ पढ़ने और उन के लिए अपने लेख भेजने की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए।

(v) प्रत्येक छात्र की हिन्दी की उपलब्धि का 'विकास रेखा' [illegible] हिए।

(vi) सप्ताह की समय-सारिणी में कुछ घंटे वैयक्तिक कार्य के लिए [illegible] हिए। छात्र उन में शिक्षक द्वारा नियत कार्य करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, [illegible] र अन्त मे अपना काम शिक्षक को दिखाएंगे।

178 प्रोजेक्ट पद्धति—(Project Method)

इस पद्धति के मूल आविष्कारक अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक तथा [illegible] ान डिवी हैं। इसको वर्तमान रूप देने वाले कोलम्बिया विश्वविद्यालय के [illegible] कलपैट्रिक हैं। इस पद्धति की निम्न विशेषताएं हैं—

[१] इस पद्धति का दार्शनिक आधार डिवी का प्रयोजनवाद [Pragmatism] है। जिसके अनुसार उपयोगी शिक्षा ही उपादेय है। डिवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक क्रिया है। सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। अतः स्कूल को भी एक लघु समाज बनाना चाहिए, जिस का [illegible] बाहरी समाज जैसा जटिल न हो वरन् नियोजित, सरल और सन्तुलित हो। इसी लघु समाज मे छात्र काम करेगा। यह वातावरण उसे निर्देशन नियन्त्रण और [illegible] करेगा। शिक्षक इस वातावरण का प्रबन्ध करेगा और शिक्षा-नाटक का सूत्रधार बन कर एक रंग मंच की रचना करेगा, जिस मे छात्र खेल-खेल मे ही परोक्ष रूप में [Incidentally] सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करेंगे।

[२] यह पद्धति मनोविज्ञान के निम्न सिद्धान्तों पर आधारित है—'करके सीखना', 'वैयक्तिक अनुभव द्वारा सीखना', 'रुचि के अनुसार सीखना', 'खेल और कार्य का संयोग', 'बुद्धि और हाथ का संयोग' और 'जिज्ञासा द्वारा सीखना'।

[३] प्रोजेक्ट पद्धति समस्या मूलक पद्धति है।[1] प्रत्येक व्यक्ति के [illegible] समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जिनके समाधान के लिए छात्र तत्पर रहते हैं। छात्र [illegible] का हल ढूंढने के लिए पूछ-ताछ करते हैं, समस्या की समीक्षा करते हैं, सामग्री का संकलन करते हैं और अन्त मे कार्य द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। वे समाधान [illegible] प्रक्रिया में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। सभी विषय इसी समस्या या योजना [illegible] आ जाते हैं। नीचे एक उदाहरण दिया जाता है—

[i] समस्या—अनाथाश्रम के बालकों को कुछ पार्सल भेजने हैं।

[ii] कार्य—उद्योग के घण्टे में पार्सलों को कागज में लपेटना, भाषा के घण्टे [illegible]

1. प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक [illegible] [illegible] को प्राप्त होता है'—स्टीवनसन।

साबुन बनाना, नाटक खेलना, डाक वितरण।

प्रोजेक्ट पद्धति की उपादेयता—भाषा के सभी अंग प्रोजेक्ट द्वारा सिखाये नहीं जा सकते। प्रोजेक्ट का प्रयोग विशेष अवसरों पर किया जा सकता है। चूंकि यह समस्या मूलक है और इसका काम वास्तविक परिस्थितियों में ही पूरा किया जाता है, अत यह अत्यन्त रोचक और सफल है। इस लिए डाल्टन पद्धति के समान इस पद्धति का प्रयोग भी सहायक के रूप में करना चाहिए, पूरक के रूप में नहीं। स्कूल के वार्षिक काम में अनेक प्रोजेक्ट आरम्भ करने चाहिए। बहुत सा रचना का काम इन प्रोजेक्टों के कार्य सम्पादन में प्रासंगिक रूप से समाप्त होगा। प्रोजेक्ट के द्वारा ही समस्त भाषा-शिक्षा संपन्न हो सके, ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। परन्तु जितना भी रचना कार्य, पत्र-व्यवहार, मौखिक कार्य और शब्दावली की वृद्धि प्रोजेक्ट द्वारा हो सके, उतना लाभदायक है। निश्चय ही प्रोजेक्ट द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान छात्र के मन में स्थायी है।

§ 179. खेल पद्धति (Play-way Method)—

खेल या प्ले-वे का सर्वप्रथम प्रयोग काल्डवेलकुक ने अंग्रेजी पढ़ाने की विधि में किया था परन्तु खेल का सिद्धान्त मनोविज्ञान सिद्ध है। इसका प्रयोग फ्रोबेल मोंटेसोरी, हेलेन पार्खर्स्ट डिवी आदि शिक्षा शास्त्रियों ने किया। आधुनिक सभी शिक्षा-प्रणालियों में खेल अनिवार्य रूप से स्थान पाता है। खेल और काम में विशेष अन्तर है। काम में वह आनन्द, रुचि और उत्साह नहीं होता जो खेल में होता है। इस लिए भाषा-शिक्षण में विभिन्न खेलों का समावेश करना चाहिए। खेल के मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक महत्त्व की पुनरावृत्ति यहाँ अपेक्षित नहीं। भाषा-शिक्षण में जिन खेलों को अपनाया जा सकता है उनकी संक्षिप्त सूची नीचे दी जाती है—

(क) मोंटेसोरी, फ्रोबेल, प्रोजेक्ट और डाल्टन पद्धतियों में समाविष्ट सभी खेल।

(ख) पाठान्तर क्रियाएँ—जैसे बालचर संस्था (Scouting) में भाग लेना, नाटक खेलना; प्रतियोगिताओं में भाग लेना, कृत्रिम संसद (Mock Parliament) कृत्रिम अभियोग और कृत्रिम भेंट (Mock Interview) जैसे कार्य रचना।

(ग) साहित्यिक क्रियाएँ—जैसे स्कूल पत्रिका निकालना, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण, कवि सम्मेलन आदि।

(घ) कक्षा के भीतर खेल—जैसे,

[i] अक्षर ज्ञान के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग।

[ii] अक्षरों के शुद्ध वाचन के लिए अंगूठी का खेल [Ring game]।

[iii] अक्षर रचना [Word building] के खेल जैसे कि शब्द के अन्तिम अक्षर से दूसरा शब्द बनाना जो उस अक्षर से होता हो, अक्षरों को जोड़ते रहना ताकि समाप्त हो जाए, अव्यवस्थित अक्षरों [Jumbled letters] से सार्थक शब्द

[iv] किसी अनुच्छेद में संज्ञाओं और सर्वनामों के वचन और लिंग बदलना,

लिखना, गणित के घण्टे मे वजन करना, टिकट का खर्च मालूम करना, भूगोल के मे अनाथालय के नगर का परिचय प्राप्त करना आदि ।

भाषा शिक्षण—प्रत्येक समस्या के सामधान मे जहाँ गणित, विज्ञान उद्योग अ विभिन्न विषयों का योग आवश्यक है, वहाँ भाषा की शिक्षा भी इसी समाधान के प्रासंगिक रूप मे प्राप्त होती है। समस्याओं के निम्न उदाहरण उपस्थित कि जाते हैं।

उदाहरण (१) समस्या—सहकारी बैंक (Co-operative Bank) की स्थापना ।

भाषा की शिक्षा—छात्रों को सहकारी बैंक खोलने के लिए पत्र व्यवहार की आवश्यकता पडेगी । भाषा का अध्यापक छात्रों को शुद्ध सरल और व्यावहारिक भाषा मे पत्र व्यावहार करना सिखाएगा । इस के अतिरिक्त छात्र 'सहकारिता', 'सहकारी बैंक' और 'समाजवाद' पर निबन्ध लिखेंगे । वे इन्ही निबन्धो के द्वारा भाषा का सही प्रयोग सीखेंगे । सहकारी बैंक के विषय मे एक वाद-विवाद भी होगा ।

उदाहरण (२) समस्या वार्षिक पारितोषक-वितरण उत्सव मनाना ।

भाषा की शिक्षा का कार्य—(i) नगर के प्रतिष्ठत व्यक्तियों के लिए निम पत्र लिखना ।

(ii) स्कूल की वार्षिक प्रगति का विवरण लिखना, जो इस अवसर पर जाएगा ।

(iii) उत्सव के लिए एक दो विनोदात्मक कार्य जैसे एकांकी नाटक, कविता तैयार करना ।

(iv) उत्सव की समाप्ति पर संक्षिप्त विवरण लिखना और को भेजना ।

उदाहरण (३) समस्या—स्कूल में 'अन्नपूर्ण अथवा 'जलपानगृह' बनाना ।

भाषा की शिक्षा का कार्य—(i) पाक-शिक्षा पर पुस्तकें पढ़ना, (ii) वस्तुओं की सूचियाँ बनाना, (iii) सामग्री एकत्रित करने के लिए पत्र-व्यवहार करना आदि ।

उदाहरण (४) समस्या—शिमला की यात्रा ।

भाषा की शिक्षा का कार्य—(i) शिमला के सम्बन्ध मे साहित्य पढ़ना, जिस से यात्रा की तैयारी मे सुविधा हो । (ii) शिमला मे देखे गये पेड़, पक्षी, पशु और प्राकृतिक पदार्थों के नामों की जानकारी करना । (iii) रेलवे और मोटरों के अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार करना और अपनी सीटें बुक करना । (iv) यात्रा के उपरान्त एक निबन्ध लिखना जिस मे यात्रा का पूर्ण विवरण हो ।

अन्य उदाहरण—धनदान कार्य, दुकान चलाना, स्कूल के सभी छात्रों के लिए

सहायक पुस्तकें

1. **Maria Montessori**	*The Montessory Method*
2. **Helen Parkhurst**	*Education of Da ton Plan*
3. **Stevenson**	*The Project Method*
4. **W. H. Kilpatrick**	*Foundations of Methods.*
5. **John Dewey**	*Ideals, Aims and Mothods in Education*
6. **T. Raymont**	*Modern Education its Aims in Methods*
7 **Jiwanayakam**	*Principls of Education (Hindi and English edition)*
8. **W. M Ryburn**	*Play Way Suggestion*
9. **H. Cald well**	*Play-Way.*
10. **N. L. Bossing**	*Progressing methods of Teaching of Secondary School*
11. **Yoaham and Simpson**	*Modern methods and teachiques of teaching*
12. आत्मानन्द मिश्र	शिक्षण कला (द्वितीय भाग)
13. रामखेलावन चौधरी	शिक्षण विधि की रूप रेखा।

के पाल बदलना, या विपरीतार्थक शब्द प्रयुक्त करना।

(v) रिक्त स्थानों की पूर्ति करना।

(vi) उपयुक्त शब्दों का युग्मी करण (Matching)।

(vii) निरर्थक शब्दों का परिहार।

(viii) कक्षा को दो भागों में बाटना और उन मे किसी भी काम में प्रतियोगिता (Competition) पैदा करना। कक्षा का जो भाग जीते वह ताली बजाएगा।

(ix) चित्रों का स्पष्टीकरण करना।

खेलों की सख्या अनन्त है। अध्यापक स्वय नई-नई खेलें उपस्थित कर सकता है। व्याकरण जैसा शुष्क विषय खेलों द्वारा सरल और रोचक बनाया जा सकता है।

समवाय-पद्धति (Correlation Method)—इसका विवरण अगले अध्याय में दिया जाएगा।

अभ्यासात्मक प्रश्न

१. भाषा-शिक्षा के लिए मोंटेसोरी और फ्रोबेल की पद्धतियों का कैसे प्रयोग किया जा सकता है? [§ 175, 176]

२. अधिन्यास (assignment) से क्या लाभ हैं। इसकी सहायता से स्कूल की ऊँची कक्षाओं मे भाषा कैसे पढ़ाई जाए। इसके सफलतापूर्वक काम करने के लिए आप क्या सकेत देंगे? [§ 177]

३. भारत के स्कूलों में डाल्टन प्रणाली किस रूप मे अपनाई जा सकती है? हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य की शिक्षा मे इसका क्या प्रयोग हो सकता है? [§ 177]

४. प्रोजेक्ट पद्धति की क्या विशेषताएं हैं? आठवीं कक्षा के लिए तीन चार प्रोजेक्टों का विवरण दीजिए, जो भाषा तथा अन्य विषय पढ़ने मे सहायक हों। भाषा के सम्बन्ध में इन के द्वारा कौन सी बातें सीखी जा सकती हैं? [§ 178]

५. व्याकरण सिखाने मे ऐसी खेलों का उल्लेख कीजिए जिनसे यह विशेष रोचक और सरल बन जाए? [§ 179]

६. अक्षर-ज्ञान, अक्षर-विन्यास, और रचना कार्य के लिए विभिन्न खेलों का उल्लेख कीजिए? [§ 179]

७. शिक्षा में क्रीड़ा विधि से क्या तात्पर्य है। हिन्दी की शिक्षा मे इस विधि को कैसे अपनायेंगे? किसी एक कक्षा के लिए उदाहरण दीजिए।

कर्म द्वारा ज्ञान (Learning by doing) की प्रक्रिया में कर्म और ज्ञान के अभिन्न सम्बन्ध का नाम समवाय है।*

§ 181. समवाय के उदाहरण—

समवाय प्रणाली के स्पष्टीकरण के लिए नीचे तीन उदाहरण दिए जाते हैं—

उदाहरण (१) समवाय का केन्द्र मूल उद्योग (कृषि)। क्रिया की इकाई—आलू बोना, कक्षा—४।

उद्देश्य—आलू बोना सिखाना, तथा तत्सम्बन्धी विभिन्न विषयों का ज्ञान देना।

उद्योग कार्य—खेत में मेड़ें बनवाना, आलुओं को मेड़ों पर लगवाना, पानी देने वाली नालियां बनाना और साथ ही प्रत्येक मेड़ पर लगाने वाले आलुओं की संख्या निकालना, बोए जाने वाले बीजों का वजन और मूल्य निकालना।

समवाय विषय—

हिन्दी (मातृ-भाषा) सम्भाषण (खेती के सम्बन्ध में), पाठ्य पुस्तक में 'आलू की खेती के सम्बन्ध में एक गद्य-पाठ पढ़ना, सम्बन्धित नवीन शब्दावली का ज्ञान, रचना कार्य (आलू बोने की प्रक्रिया का अपने शब्दों में वर्णन लिखना, किसी बीज के व्यापारी को आलुओं के बीज मंगवाने के लिए पत्र लिखना)।

गणित—खेत का क्षेत्रफल निकालना।

भूगोल—पहाड़ी आलू, मैदानी आलू और उनकी विशेषताएं जानना। हमारे राज्य में कहां-कहां बोए जाते हैं और क्यों?

विज्ञान—खराब अच्छे बीज की 'पहचान' बीज बोने का समय और ऋतु, बीज सुरक्षित रखने की विधि, आलुओं में पोषक पदार्थ।

उदाहरण (२) समवाय का केन्द्र—भौतिक वातावरण।

क्रिया की इकाई—नदी की सैर।

कक्षा १.

उद्देश्य—नदी की सैर कराते हुए, प्रकृति का निरीक्षण करना, तत्सम्बन्धी ज्ञान प्रदान करना।

प्रकृति-निरीक्षण—सभी छात्रों का नदी-तट पर जाना, नदी के पास वाले

*समवाय के बदले आजकल कितने ही शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे—*सम्बन्ध, सानुबन्ध, संयोग, अन्तर्योग, सहसम्बन्ध*। परन्तु इन सब के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। इन शब्दों का प्रयोग इसी अध्याय में समवाय (Correlation) से भिन्न अर्थों में किया गया है।

समवाय-प्रणाली

§ 180 समवाय की परिभाषा—

पिछले अध्याय में पश्चिमी देशों में किए गए कई प्रयोगों का वर्णन हुआ। उन प्रयोगों और नवीन पद्धतियों से हम बहुत कुछ अपना सकते हैं जो भाषा शिक्षण में उपयोगी हों। भारत में भी बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा के नाम से एक नया शैक्षणिक प्रयोग हुआ। बेसिक पद्धति के आविष्कार महात्मा गांधी हैं। देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक अवस्था को दृष्टि में रख कर उन्होंने एक ऐसी पद्धति का निर्माण किया जो शिक्षण-शास्त्र (Pedagogy) की दृष्टि से और देश की वर्तमान आवश्यकताओं की दृष्टि से उपयुक्त है। इस पद्धति का आधार भारतीय दर्शन है। इस का शैक्षणिक प्रक्रिया में मनोविज्ञान के सभी सिद्धान्तों, और नवीन शिक्षण विधियों के गुणों का समावेश है। यहाँ पर बुनियादी शिक्षण पद्धति के आधार भूत नियमों, सिद्धान्तों, और गुणों के वर्णन के लिए गुंजाइश नहीं। परन्तु समवाय प्रणाली, जो उस पद्धति की विशेषता है, भाषा शिक्षण के लिए एक नई प्रणाली होने के कारण विस्तृत वर्णन व्याख्या की अपेक्षा रखती है।

बुनियादी शिक्षण पद्धति में कार्य और ज्ञान का अटूट सम्बन्ध माना गया है। अत. सारा ज्ञान किसी क्रिया के द्वारा दिया जाता है। ज्ञान प्रदान करने की इस विधि को समवाय (Correlation) कहते हैं, ज्ञान प्रदान करने के लिए जिन क्रियाओं को साधन के रूप में लिया जाता है, उनका सम्बन्ध तीन चीजों के साथ है—(१) उद्योग (Craft), (२) भौतिक वातावरण (Physical environment) और (३) सामाजिक वातावरण (Social enviroenment) ये तीनों समवाय के केन्द्र हैं। सभी पाठ्य विषय किसी न किसी केन्द्र के साथ समवेत (Correlated) किए जाते हैं।

समवाय प्रणाली में ज्ञान और कर्म के अभिन्न सम्बन्ध पर जोर दिया जाता है। ज्ञान और कर्म को पृथक नहीं किया जा सकता, जैसे कपड़े और धागे को, या पात्र और मिट्टी को (जिस से वह निर्मित हो) *। ज्ञान और कर्म परस्पर अन्योन्याश्रित हैं।

* न्याय शास्त्र में इस प्रकार के सम्बन्ध को समवाय कहते हैं। यह तन्तुपट न्याय और मृत्तिका-घट न्याय कर्म और ज्ञान के सम्बन्ध में भी लागू हो सकता है।

§ 182. समवाय शैक्षणिक प्रक्रिया की पराकाष्ठा है—

समवाय प्रणाली परम्परागत प्रणाली से नितान्त भिन्न है। विभिन्न विषयों के शिक्षण में, विशेषकर भाषा-शिक्षण में इस प्रणाली को कहाँ अपनाया जाए, और पु प्रणाली का त्याग किया जाए—यह विषय गम्भीर और विचारणीय है। स्थानाभाव कारण यहां पर इस प्रणाली के क्रमिक विकास का केवल संक्षिप्त विवरण जाता है।

(१) हर्बार्ट का संप्रत्यय (Apperception of Thought) का सिद्धान्त हर्बार्ट ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि जब तक नए पाठ को पूर्व-ज्ञान के न जोड़ा जाए, तब तक नया पाठ पूर्ण-रूप से हृदयगम नहीं हो सकता, अत वि की शृंखलाएं दृढ़ बनाने के लिए पाठ्य विषय को पूर्व-ज्ञान के साथ जोड़ना चाहि सर्वनामों के भेद पढ़ाने से पूर्व पहले सीखे हुए 'सर्वनाम पाठ' के सम्बन्ध में कराने चाहिएं।

(२) हर्बार्ट का सहसंबंध (Correlation) का सिद्धान्त—पाठ्यक्रम में के असंख्य विषय हैं। सभी पृथक और स्वतन्त्र हैं। एक विषय का अध्यापक केवल अ विषय पढ़ाता है, और दूसरे विषय की ओर ध्यान नहीं देता, और न ही उस के कोई सबन्ध जोड़ता है। इस प्रकार सभी विषयों का पृथक्करण (Compartmen lisation) हो चुका है, यद्यपि ज्ञान समग्र है। एक ही विषय के विभिन्न अंगों को अलग-अलग पढ़ाया जाता है। मातृ-भाषा का इतिहास के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, मातृ-भाषा में भी व्याकरण का गद्य या रचना से कोई सम्बन्ध नहीं। इस दोष के नि करण के लिए हर्बार्ट ने दो प्रकार का सहसम्बन्ध दर्शाया—

(क) एक विषय का अन्य विषयों के साथ जैसे हिन्दी का भूगोल के साथ, भू का विज्ञान के साथ, इतिहास का भूगोल के साथ। समय सारिणी में पाठ्य क्रम के वि विषय-भाषा, गणित, इतिहास इत्यादि बायें से दाहिने एक खाने के बाद दूसरे खा आते हैं। अतः पाठ्य क्रम के विभिन्न विषयों के सह सबन्ध को क्षतिज सहस (Horizontal correlation) कह सकते हैं। यह सिद्धांत असत्य है। पीछे गया है, कि प्रत्येक विषय के अध्यापक को विद्यार्थियों की भाषा की ओर ध्यान चाहिए और साथ ही भाषा के अध्यापक को पाठ के भीतर आये हुए इतिहास, भू आदि विषयों से सम्बन्धित प्रकरणों की व्याख्या करनी चाहिए।

(ख) एक ही विषय के विभिन्न अंगों का सहसम्बन्ध, या लम्बीय सहस (Vertical correlation) जैसे भाषा-शिक्षण में व्याकरण की गद्य के साथ, की रचना के साथ, वाचन को उच्चारण के साथ, गद्य का पद्य के साथ सम्बन्ध जोड़ भाषा-शिक्षण में इस का हर समय प्रयोग करना पड़ता है।

इस प्रकार का सहसम्बन्ध, वास्तव समवाय से भिन्न है, क्योंकि इस में विषयों

वाले पशु-पक्षी, पेड़ पौधे और नदी के निर्मल-जल का निरीक्षण करना।

हिन्दी (मातृ भाषा)—वातावरण स्थित वस्तुओं के नाम बताना और उ प्रकार शब्दावली की वृद्धि कराना, नदी के आस-पास जो कुछ देखा उसके सम्बन्ध वार्तालाप, सरिता' शीर्षक कविता का पाठ, 'नदी की सैर, के सम्बन्ध में दस वाक अपनी कापी पर लिखाना।

भूगोल—नदी, स्रोत, तालाब, झील और समुद्र के परस्पर अन्तर की व्याख्या।

विज्ञान—नदी के आस-पास पेड़-पौधों, जानवरों, जलचरों आदि का ज्ञान करवाना।

गणित—नदी की गति कितने मील प्रति घण्टा है, इसके सम्बन्ध में फुट, गज, मील, मिनट, घण्टे के प्रश्न करवाना।

उदाहरण (३) समवाय का केन्द्र—सामाजिक वातावरण।

समवाय की इकाई—समाचार-पत्र वाचन।

कक्षा ६

उद्देश्य—बालकों को समाचार-पत्र पढ़ने का अभ्यास कराना, और वर्तमान दैनिक घटनाओं को समझने की ओर प्रेरित करना।

क्रिया—कक्षा में समाचार पत्र लाया जाना। किसी प्रमुख विद्यार्थी द्वारा समाचार-पत्र की मोटी खबरों का पढ़ना। समाचार हैं—केरल राज्य में साम्यवादी मन्त्रिमण्डल की पदच्युति और राष्ट्रपति का शासन स्थापित होना, काश्मीर के सीमा स्थित कुछ इलाके में चीन की सेनाएँ।

समाचारों के सम्बन्ध में प्रश्न किए जाएंगे, और दोनों घटनाओं के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा होगी।

भाषा—समाचारों के सम्बन्ध में प्रश्न-उत्तर, भारत में साम्यवाद पर वाद-विवाद, काश्मीर समस्या पर वाद-विवाद, समाचारों में आए हुए नए शब्दों की व्याख्या, कई विद्यार्थियों का समाचार पत्र का वाचन करना, समाचारों को सार में लिखना।

इतिहास—चीन और भारत के परस्पर राजनैतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध की चर्चा करना।

नागरिक शास्त्र—भारत में राजनैतिक दलों (कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ आदि) की समीक्षा।

भूगोल—भारत के मान-चित्र में केरल राज्य की स्थिति, उसकी जनसंख्या, उपज, उद्योग, व्यापार, जलवायु, वर्षा आदि का ज्ञान कराना। काश्मीर की भौगोलिक महत्ता।

र पशु-पक्षी, पेड़ पौधे और नदी के निरंतर-प्रवाह का निरीक्षण करना।

हिन्दी (मातृ भाषा) —वातावरण विषय पशुओं के नाम बताना और उन र शब्दावली की वृद्धि करना, नदी के आस-पास जो कुछ देखा उसके सम्बन्ध में र्तलाप, 'सरिता' शीर्षक कविता का पाठ, 'नदी की सैर' के सम्बन्ध में दस वाक्य नी कापी पर लिखाना।

भूगोल—नदी, स्रोत, तालाब, झील और समुद्र के परस्पर अन्तर की व्याख्या।

विज्ञान—नदी के आस-पास पेड़-पौधों, जानवरों, जलचरों आदि का ज्ञान ाना।

गणित—नदी की गति कितने मील प्रति घण्टा है, इसके सम्बन्ध मे फुट, गज, , मिनट, घण्टे के प्रश्न करवाना।

उदाहरण (२) समवाय का केन्द्र—सामाजिक वातावरण।

समवाय की इकाई—समाचार-पत्र वाचन।

कक्षा ६

उद्देश्य—बालकों को समाचार-पत्र पढ़ने का अभ्यास कराना, और वर्तमान क घटनाओं को समझने की ओर प्रेरित करना।

क्रिया—कक्षा मे समाचार पत्र लाया जाना। किसी प्रमुख विद्यार्थी द्वारा ार-पत्र की मोटी खबरों का पढ़ना। समाचार है—केरल राज्य मे साम्यवादी ण्डल की पदच्युति और राष्ट्रपति का शासन स्थापित होना, काश्मीर के सीमा कुछ इलाके में चीन की सेनाएँ।

समाचारों के सम्बन्ध मे प्रश्न किए जाएंगे, और दोनो घटनाओं में विभिन्न पहलुओं मीक्षा होगी।

भाषा—समाचारो के सम्बन्ध मे प्रश्न-उत्तर, भारत मे साम्यवाद पर वाद-विवाद, र समस्या पर वाद-विवाद, समाचारों में आए हुए नए शब्दों की व्याख्या, कई र्थियों का समाचार पत्र का वाचन करना, समाचारों को संक्षेप में लिखना।

इतिहास—चीन और भारत के परस्पर राजनैतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध की करना।

नागरिक शास्त्र—भारत मे राजनैतिक दलो (कांग्रेस, कम्यूनिस्ट-पार्टी, प्रजा-लिस्ट पार्टी, जनसघ आदि) की समीक्षा।

भूगोल—भारत के मान-चित्र मे केरल राज्य की स्थिति, उसकी जनसंख्या, उद्योग, व्यापार, जलवायु, वर्षा आदि का ज्ञान कराना। काश्मीर की भौगोलिक ।

विषय पढ़ाये जाए, उनका पृथक् अस्तित्व न रहे, वरन् एक दूसरे में विलीन हों। अबे तक के केन्द्रीकरण में विषयों का सयोजन (Coordination) ही होता था, (विलयन (Fusion) नहीं। पाठ्यक्रम के एकीकरण (Unification) के लिए सभी विषय एक दूसरे में विलीन हों।

सामूहिक जीवन की प्रक्रिया में विषयों का पृथक् करण नहीं, इसलिए ज्ञानोपार्जन भी जीवन क्रिया के समानान्तर हो। शिक्षण प्रक्रिया की इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए डिवी ने समस्यामूलक क्रियाओं को प्रश्रय दिया। ऐसी क्रियाओं में भाग लेने से सभी विषय आकस्मिक रूप में सीखे जा सकते हैं। ये सभी विषय अब पृथक नहीं हैं। इनका सामञ्जस्यीकरण हो गया है। सामञ्जस्यीकरण, केन्द्रीकरण का परिष्कृत रूप है, क्योंकि इस में विभिन्न विषयों का केन्द्र के साथ ही सम्बन्ध नहीं, वरन् परस्पर सबन्ध भी है, इस प्रकार ज्ञान-चक्र परिपूर्ण हो जाता है, जिसका केन्द्र बाल क्रिया है, और विभिन्न और अलग अलग विषय हैं। एक और भाग है, जिसका सम्बन्ध एक तरफ क्रिया के साथ है, और दूसरी तरफ अन्य विषयों के साथ।

डिवी की प्रोजेक्ट पद्धति में पाठ्य विषयों का एकीकरण हुआ। पाठ्यक्रम ज्ञानात्मक होने के बदले क्रियात्मक (Activity curriculum) या अनुभवात्मक (Experience Curriculum) बन गया।

(६) गान्धी जी का समवाय का सिद्धान्त—गांधी जी ने अपने निजी अनुभव के आधार पर, समस्त ज्ञान को बालक की क्रिया पर केन्द्रित करने का सिद्धात समुपस्थित किया। यहाँ पर विद्वानों को भ्रम हुआ कि गांधी जी ने डिवी से विचार चुराया है, क्योंकि डिवी के विचार और गांधी जी के विचार में साम्य था। परन्तु डिवी ने जहाँ पर समाप्त किया, वहाँ से गांधी जी ने आरम्भ किया। डिवी के प्रोजेक्ट पद्धति में अनेक दोष हैं। स्कूल में सामाजिक क्रियाएँ आरम्भ हो। परन्तु सामाजिक जीवन व्यक्ति के समग्र जीवन का एक अंगमात्र है। डिवी के स्कूल में समस्यामूलक क्रियाए होनी चाहिएँ। परन्तु ऐसी क्रियाओं की संख्या कितनी हो सकती है! ज्ञान का केन्द्र बनाने के लिए फ्रोबेल की क्रिडाए भी अपूर्ण हैं, अव्यवस्थित है, और डिवी की सामाजिक क्रियाए भी बुनियादी शिक्षा में ज्ञान का केन्द्र कर्म बना, अपने समग्र रूप में आंशिक रूप में नहीं। कर्म के तीन क्षेत्र नियत हुए—उद्योग, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। बालक के सभी काम इन तीन क्षेत्रों में बट जाते हैं। अशौतिक क्रियाओं में या सामाजिक क्रियाओं में खेल अन्तर्गत है। कर्म का क्षेत्र व्यापक बनाने से सभी त्रुटियां दूर हो गईं। कर्म बीच में, और ज्ञान के सभी विषय इसके इर्द-गिर्द अपनी सीमाओं को भिन्न-भिन्न किए हुए हैं। बुनियादी शिक्षा में कर्म और ज्ञान का अटूट सम्बन्ध है, अतः उसका सामंजस्यीकरण ही नहीं, उसका भी परिष्कृत रूप समवाय है। अतः समवाय शैक्षणिक प्रक्रिया की पराकाष्ठा है।

है विधिवत् प्रयोग नहीं होता। वास्तव में इस प्रणाली के सफल प्रयोग के लिए कई आवश्यकताएं हैं, उन की प्राप्ति इन स्कूलों में नहीं। वे आवश्यकताएँ निम्न हैं—

§ 185. समवाय की आवश्यकताएं—

(१) परिष्कृत पाठ्यक्रम—पाठ्यक्रम में बहुत सी बातें आवश्यक हैं जिन का हमारे जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, तो समवाय कैसे हो सके? बताइए सैद्धांतिक व्याकरण के जो नियम रटाए जाते हैं, उनका प्रयोग भावी जीवन में कहाँ होता है? इस लिए यदि उसका समवाय न हो सके तो कोई अचम्भा नहीं। अत पाठ्यक्रम का रेचन (Purging) होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी पाठांतर क्रियाएं इस में समाविष्ट होनी चाहिएँ।

(२) समय सारिणी का न्यून बन्धन—समय सारणी के बन्धन में फंस कर, बेचारा अध्यापक स्वतन्त्रता के साथ क्रियाओं के सम्बन्ध पाठ्य विषयों के साथ नहीं जोड़ सकता अभी वार्त्तालाप आरम्भ ही नहीं हुआ, कि घण्टी बज गई और दूसरा विषय आरम्भ हुआ, जिस से शिक्षा की समस्त स्वाभाविकता नष्ट हुई।

(३) विषय अध्यापक के बदले कक्षा-अध्यापक (Class-teacher)—जिस अध्यापक के संरक्षण में छात्र कोई कार्य कर रहे हों, वही अध्यापक उस कार्य का अन्य विषयों के साथ सम्बन्ध जोड़ सकता है, अन्यथा शिक्षा की एकरूपता कैसे आ सकती है? प्रत्येक अध्यापक अपनी घण्टी में अपना अपना राग अलापता रहेगा। पहली पाँच कक्षाओं के लिए एक एक अध्यापक के अधीन एक-एक कक्षा होनी चाहिए। वह अध्यापक वर्ष के समस्त कार्य की योजना बनायगा, वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, साप्ताहिक और फिर दैनिक। योजना का इकाई में न केवल उद्योग या सामाजिक कार्य होगा, वरन् उस के साथ सम्बन्धित सभी विषयों के पाठ। पाचवी कक्षा से ऊपर, छठी, सातवीं और आठवीं में, एक कक्षा अधिक से अधिक तीन अध्यापकों के संरक्षण में काम करें, तो अध्यापक एक समन्वित योजना का पालन करें।

(४) उपकरण (Equipment)—समवाय प्रणाली क्रियाओं पर अवलम्बित है, कक्षा में रटाने पर नहीं। उन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण चाहिए। उद्योग-सामग्री के अतिरिक्त भाषा-शिक्षण में जिन उपकरणों की आवश्यकता है, उनका उल्लेख उस पुस्तक के द्वितीय खण्ड में हो चुका है। एक पाठ्य पुस्तक के बदले एक पुस्तकालय चाहिए। बिहार के बेसिक स्कूलों में हिन्दी शिक्षण के लिए एक पाठ्य पुस्तक के बदले अनेक छोटी छोटी पुस्तकें काम में लाई जाती हैं। भाषा-शिक्षण को पाठ्य पुस्तक शिक्षण के साथ समीकरण (Identify) करना, नवीन शैक्षणिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

(५) प्रशिक्षित अध्यापक—अध्यापक समवाय प्रणाली में प्रशिक्षित होने उन्हें उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। उस प्रणाली के अनुसार वार्षिक कार्य की

क्रियाएँ और अवसर तथा उनका समवाय

क्रिया—	समवायी विषय
(क) औद्योगिक क्रिया- (१) कताई, बुनाई, ई, सिलाई, कढ़ाई। (२) कृषि म का चुनाव, भूमि नाप, खुदाई, चमन ना, मेड बनाना, रियाँ बनाना, बीज ा, गोडी करना, खाद ना सिंचाई, पौडे रखना, मक्की उगाना लगाना, फसल देना, फसल साफ ना। (३) लकड़ी का काम। (४) गत्ते का काम। (५) नामीर का काम ई ईंट बनाना, दीवार ाना, पायाना बनाना ोपड़ी बनाना।	(१) बोल चाल—औद्योगिक क्रिया के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर द्वारा सारा वृतान्त सुनवाना या वर्णन कराना। आज हमने खाद डाली। खाद कहाँ से लाई ? खाद से क्या लाभ है ? खाद कैसे बनती है ? इस प्रकार मौखिक कार्य से बोल-चाल का अभ्यास हो सकता है। (२) शब्दावली—औद्योगिक कार्य के सम्बन्ध मे नई शब्दावली का ज्ञान कराना। मौखिक कार्य मे नई शब्दावली का प्रयोग। (३) वाचन—प्रारम्भिक कक्षा मे उद्योग सम्बन्धी छोटे शब्दो (जैसे सूत, बीज, फूल, खेत, आटा, धागा आदि) को श्यामपट पर लिखना, विश्लेषण द्वारा अक्षर-ज्ञान कराना। अन्य कक्षाओं मे औद्योगिक कार्य सम्बन्धी पाठ पाठ्य पुस्तक मे से या सहायक पुस्तक में से पढाना। औद्योगिक कार्य करते हुए गीत या तत्सम्बन्धी कविता का सामूहिक वाचन। (४) रचना—प्रारम्भिक कक्षा मे औद्योगिक कार्य सम्बन्धी शब्द लिखवाना। मौखिक रचना के उपरान्त वर्णन या वृत्तान्त लिखना।
(ख) भौतिक वातावरण सम्बन्धी कार्य— (१) सफाई घर स्कूल ग्राम नगर की (२) प्रकृति निरीक्षण ु, पशी नदी, पर्वत ल, फसल, आकाश, ात के तारे, सूर्योदय सूर्यास्त।	(१) बोल-चाल—प्रत्येक कार्य, घटना, स्थान आदि के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर द्वारा मौखिक सम्भाषण। सम्भाषण द्वारा बोल-चाल मे अभ्यास। प्रकृति निरीक्षण के बाद सारा वृतान्त अपने शब्दो मे सुनाना शुद्ध बोल-चाल पर जोर देना। (२) शब्दावली—प्रकृति और भौतिक वातावरण सम्बन्ध मे नये शब्दों का ज्ञान कराना और उन का प्रयोग। (३) वाचन—भौतिक वातावरण सम्बन्धी गद्य पाठ या कविता-पाठ पढ़ाना। पाठ पाठ्यपुस्तक मे से लिया जाय,

बनाना, पाठ्यक्रम के विभिन्न पाठों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त अवसर निकालना, और क्रियात्मक रूप में इस प्रणाली का प्रयोग करना एक टेढ़ी खीर है। परिणाम यह निकलता है कि "धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का।" अध्यापक समवाय प्रणाली का पूरा ज्ञान नहीं रखता। जब वह पढ़ाने लगता है, तो अपना तीतर आधा बटेर बन कर, पढ़ाने में असफल हो जाता है। कभी वह बनावटी समवाय के पेच दिखाता है। जैसे—'यह बता है' 'यह गुड़ है।' 'इस का रंग कैसा है?' 'इसका रंग सफेद है।' 'सफेद व्याकरण में क्या है?' 'सफेद विशेषण है' 'इस लिए आज हम विशेषणों के भेद पढ़ेंगे।'

(६) परीक्षा या जाँच— समवाय प्रणाली के लिए वार्षिक परीक्षा द्वारा जाँच अनुपयुक्त है। इस बात की जाँच होनी चाहिए दैनिक अर्थात् प्रति दिन के कार्य में क्या भाग लिया और क्रमानुसार कितनी प्रगति की। प्रगति का लेखा क्रमिक होना चाहिए। इसकी व्याख्या परीक्षा शीर्षक अध्याय में होगी।

§ 186. समवाय के अवसर—

समवाय प्रणाली के अनुसार किसी भी विषय के शिक्षण के लिए वर्ष भर का योजना बनाई जाती है। वर्ष में जितनी भी क्रियाएं होनी चाहिएँ, उन की सूची बनाई जाती है। उस के उपरान्त वर्ष के काम को मासिक और फिर साप्ताहिक कार्यक्रम में बाँटा जाता है। एक सप्ताह के लिए जितनी भी क्रियाएं हों उन को समवाय की इकाइयाँ (Units) कहते हैं। प्रत्येक इकाई के साथ अन्य विषयों का समवाय किया जाता है, और पहले से ही निश्चित किया जाता है कि अमुक इकाई के द्वारा भाषा का इतिहास का, भूगोल का, गणित का, दैनिक विज्ञान का अथवा अन्य विषय का कौन सा पाठ पढ़ाया जाए। जो पाठ पढ़ाया जाए उस का सम्बन्ध इकाई के साथ स्वाभाविक होना चाहिए। इकाइयों का चुनाव स्कूल के वातावरण और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और रुचि के अनुसार किया जाना चाहिए। इस विधि से पाठ्यक्रम के विषयांगों (Topics) का तार्किक क्रम नहीं रहता परन्तु मनोवैज्ञानिक क्रम तो रहता है जो छात्रों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है। भले ही इतिहास की घटनाएं ऐतिहासिक काल-क्रम से न पढ़ाई जायें। उपयुक्त अवसर पर यदि ऐतिहासिक घटना का प्रसंग छेड़ा जाए, तो उस में कोई दोष नहीं, प्रत्युत अवसरानुकूल पाठ रोचक और ग्राह्य बन जाता है। विद्यालय में छात्र का प्रत्येक कर्म ऐसे अवसर प्रदान करता है जिन से भाषा सीखने में लाभ उठाया जा सकता है। नीचे उन सभी क्रियाओं की सूची दी जाती है, जो भाषा के विभिन्न अंगों की शिक्षा में सहायक हो सकती हैं। एक ही क्रिया विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए विभिन्न स्तरों की हो सकती है। आठ वर्ष के छात्रों का प्रकृति निरीक्षण बारह वर्ष के छात्रों के प्रकृति-निरीक्षण से स्तर में भिन्न होगा।

की जयन्तियां। (७) सर्वोदय सभा (८) स्कूल सभा (९) बाल-चर सभा (१०) नाटक खेलना (११) स्कूल पत्रिका निकालना। (१२) कवि-सम्मेलन (१३) वार्षिक क्रीडाएँ (१४) प्रतियोगिताएँ (१५) सहकारी बैंक या दुकान खोलना। (१६) समाचार पत्र पढ़ना।	
(घ) अन्य क्रियाएँ— (१) बच्चों का घर बनाना। (२) मुर्गी पालना (३) नकली बाजार बनाना। (४) डाकघर खोलना (५) दुकानदारी (६) छोटी पुस्तिका लिखना आदि।	अन्य क्रियाओं के सम्बन्ध में भी बोल-चाल और रचना कार्य कराया जा सकता है।

§ 187. समवाय के केन्द्र—

संक्षेप में भाषा शिक्षण में समवाय के निम्न केन्द्र हो सकते हैं :—

(१) औद्योगिक कार्य, कताई बुनाई, कृषि, लकड़ी का काम, रसोई का काम, सिलाई, रंगाई धुलाई आदि।

(२) भौतिक वातावरण।

(३) सामाजिक वातावरण।

(४) अन्य क्रियाएँ।

(५) गद्य-पाठ, जिसको केन्द्र मान कर, उच्चारण, वाचन, शब्दावली, साहित्य परिचय, व्याकरण, मौखिक तथा लिखित रचना की शिक्षा दी जा सकती है।

समवाय मुक्त पाठ—भाषा शिक्षण में निम्न पाठ समवाय के बिना पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं—

(१) प्रयोग प्रणाली द्वारा व्याकरण (मिडिल कक्षाओं में)।

(२) साहित्यिक रचनाओं की व्याख्या और समीक्षा।

(३) गद्य-पाठ के आधार पर रचना।

(४) ऐसे विषयों पर रचना, जिनका बालक के वातावरण के साथ सम्बन्ध नहीं।

(५) अनुवाद (यदि हिन्दी मातृ भाषा में न हो) और सार लिखना।

(३) प्राकृतिक घटनाएँ वर्षा बादल गर्मी बर्फ आँधी, बाढ़, ऋतुएँ, ज्वार, ग्रहण, भू चाल (4) महत्वपूर्ण स्थानों की सैर। (i) ऐतिहासिक स्थान (ii) भौगोलिक स्थान (iii) प्राकृतिक दृश्य	या किसी सहायक पुस्तक में से लिया जाए। (४) रचना—मौखिक कार्य के उपरान्त भाग कु लिखवाना। रचना का संशोधन। शुद्ध बोलने और पढ़ व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान हो सकता है। वैज्ञानिकों जीवनियां पढ़ाई जा सकती हैं।
(ग) सामाजिक वातावरण सम्बन्धी कार्य-- (1) अतिथि सत्कार सह-भोज भोजन परोसना। (२) मेले पर जाना (३) तीर्थ यात्रा (४) प्रथम चिकित्सा (५) त्योहार और उत्सव मनाना जैसे—दीपावली, विसाख, होली, बसंत, ईद, राम नवमी रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, 15 अगस्त 26, जनवरी आदि (६) जन्म दिन और जयन्ती मनाना जैसे—सूर जयन्ती, तुलसी जयन्ती, गांधी, कबीर, नानक, प्रेमचन्द आदि	(१) बोल-चाल—प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में संभ करना चाहिये। मेले पर जाने के बाद मेले का वर्णन। (२) शब्दावली—तत्सम्बन्धी नई शब्दावली का कराना। (३) वाचन—सामाजिक वातावरण सम्बन्धी पाठ या कविता पढ़ाना। महापुरुषों की जीवनियां। (४) रचना–त्योहार मनाने के बाद त्योहार वर्णन। जयन्ती मनाते समय भाषण देना और बाद में लिखना। स्कूल सभा का विवरण लिखना। कवि सम्मे के लिए कविताएं लिखना। प्रतियोगिताओं के लिए भा तैयार करना। दैनिक कार्य की डायरी लिखना। सामाजि कार्य के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार पत्र-व्यवहार करना मेले पर अतिथियों को निमन्त्रित करने के लिए निमन्त्रण लिखना। समाचार पत्र पढ़ कर, मोटी-मोटी खबरें लिखना वार्षिक उत्सव के दिन स्कूल का वार्षिक विवरण (Annu Report) लिखना। स्कूल पत्रिका के लिए लेख लिखना स्कूल सभा की बैठकों की कार्यवाही लिखना। होली आ त्योहारों के मनाने के बाद इन्हीं विषयों पर निबन्ध लिखे जा सकते हैं।

सहायक पुस्तकें

1. **Ministry of Education Govt of India.**	*Hand book for Teachers of Basic Schools*
2. "	*Report of the Assessment Committee of Basic Education*
3. "	*Syllabus for Basic Schools*
4. "	*Concept of Basic Education*
5 **V S Mathur**	*Future in Basic Education*
6 **T S Avinashaling han**	*understanding Basic Education*
7. **Dwarka Singh**	*Correlation in Basic Education*
8. **Solenki**	*Technique of Correlation*
9. द्वारका सिंह	समवाय (मगध राजधानी प्रकाशन, पटना)— ।
10. मिलाप चन्द दुबे	समवायी शिक्षण— ।
11. द्वारका सिंह	बुनियादी शिक्षा में विभिन्न— । विषयों की शिक्षा-विधि— ।
12. आत्मानन्द मिश्र	शिक्षण-कला— ।
13. रामकृष्ण पराशर	समग्र नई शिक्षा (पत्रिका)— ।
14 शिक्षा (पत्रिका) लखनऊ	बुनियादी शिक्षा अंक, जुलाई १९५९— ।
15. बुनियादी तालीम (पत्रिका), नई दिल्ली ।	
16. रघुनाथ सफाया	*'Possbtlities of' Correlation, published in 'Educational Review' Oct. 1960.*

(३) भविष्य सूचक प्रयोग (Predictive use) के लिए भी परीक्षाएँ अपेक्षित हैं, क्योंकि इनके द्वारा छात्रों की विभिन्न योग्यताओं और रुचियों की खोज की जा सकती है। माध्यमिक कक्षाओं के प्रवेश के लिए तथा शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देश (Educational and Vocational Guidance) के लिए सहायता मिलती है।

(४) प्रशासन-सम्बन्धी प्रयोग निम्न हैं--कक्षाओं का वर्गीकरण, विभिन्न शिक्षण-विधियों का मूल्यांकन, विवरण-लेख (Cumulative Records) का तैयार करना, आदि के लिए परीक्षाएँ अनिवार्य हैं। परीक्षाओं के द्वारा ही छात्र की प्रगति की सूचना अध्यापक, माता-पिता, शिक्षा-संचालक और प्रशासक को मिल सकती है।

(५) परीक्षाओं के कुछ प्रासंगिक गुण भी हैं। छात्रों को विचारों की व्यवस्था में सहायता मिलती है। उनमें अध्यवसाय की वृद्धि हो जाती है और धैर्य का विकास हो जाता है। अध्यापक को भी अपनी शिक्षण विधियों की त्रुटियों का ज्ञान हो जाता है।

§ 189. वर्तमान परीक्षाओं की न्यूनताएँ–

वर्तमान हिन्दी-परीक्षाओं में वे सभी न्यूनताएँ पाई जाती हैं जो सामान्य परीक्षाओं में पाई जाती हैं। अतः उनका ब्योरा नीचे दिया जाता है।

(१) न्यून प्रमाणिकता (Low Validity)—परीक्षा पत्र ऐसे बनाये जाते हैं, जिनमें पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है। तर्क और चिन्तन का कम अभ्यास कराया जाता है। रटन्त प्रणाली को प्रोत्साहन देने में भी वर्तमान परीक्षाएँ ही उत्तरदाई हैं। छात्र सम्भावित प्रश्न, अनुमानित प्रश्न और कुंजियाँ तथा गाईड पर ही निर्भर रहते हैं।

(२) न्यून विश्वसनीयता (Low Reliability)—प्रश्न-पत्र अवैज्ञानिक रीति से बनाये जाते हैं, जिस से उन में संयोग (Chance) की अत्यधिक सम्भावना रहती है। प्रश्नों की भाषा भी ऐसी ही होती है कि उत्तर में भी संयोग की सम्भावना रहती है। जाँचने में सब से अधिक संयोग की सम्भावना रहती है।

(३) पाठ्यक्रम पर कुप्रभाव—आजकल पाठ्यक्रम के विषयों का चुनाव परीक्षा की दृष्टि से ही किया जाता है। जिन बातों की लिखित परीक्षा नहीं हो सकती, उनका पाठ्यक्रम में स्थान नहीं। भाषा शिक्षण में बोल-चाल सब से आवश्यक है। पाठ्यक्रम में इसका अभाव परीक्षाओं के कारण ही है।

(४) शिक्षण-विधि पर कुप्रभाव—वर्तमान रटन्त प्रणाली परीक्षाओं की देन है। साधारण ज्ञान पर न्यूनतम बल दिया जाता है। चुने हुए प्रश्नों को ही याद कराया जाता है।

व्यवस्था

परीक्षा

§ 188 सामान्य परीक्षाएँ गुण-दोष

दूसरे अध्याय में भाषा-शिक्षण के उद्देश्यों की व्याख्या के प्रकरण त्रिकोण की तीन भुजाओं की ओर संकेत किया गया है—(१) उद्देश्य, (२) शिक्षानुभव और (३) जाँच । निम्न त स्पष्ट है —

छात्रों ने हिन्दी भाषा सीखने में कितनी प्रगति की है, इस बात की जाँच समय पर अवश्य होनी चाहिए। परन्तु जिस विधि से इसकी जाँच होनी चाहिए उ सम्बन्ध समस्त परीक्षा-प्रणाली से है, केवल भाषा परीक्षा में ही नहीं। भाषा परी मे सुधार करने के लिए समस्त परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। साम परीक्षाओं के जिन आवश्यक तत्वों का प्रभाव भाषा-शिक्षा पर पड़ता है, उनका ब्यो नीचे दिया जाता है। सामान्य परीक्षाओं के गुण और दोष दोनों है। त्रुटिपूर्ण होने प भी परीक्षाएँ आवश्यक हैं।

परीक्षाओं का सम्पादन-कार्य (Functions)—

(१) पाठन-प्रयोग के लिए परीक्षाएँ आवश्यक है, क्योंकि अध्यापक इस के द्वारा छात्रों को पढ़ने-लिखने की ओर प्रेरित कर सकता है और समय-समय पर अभिन्यास (assignments) दे सकता है।

(२) निदानात्मक प्रयोग (Diagnostic use) के लिए भी यह आवश्यक है, क्योंकि छात्र को किसी विषय में कठिनाई या कमजोरी का पता लगता है और योग्यता का माप लिया जा सकता है।

(३) भविष्य सूचक प्रयोग (Predictive use) के लिए भी परीक्षाएं अपेक्षित हैं, क्योंकि इनके द्वारा छात्रों की विभिन्न योग्यताओं और रुचियों की खोज की जा सकती है। माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तथा शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देश (Educational and Vocational Guidance) के लिए सहायता मिलती है।

(४) प्रशासन-सम्बन्धी प्रयोग निम्न हैं– कक्षाओं का वर्गीकरण, विभिन्न शिक्षण-विधियों का मूल्यांकन, विकास-लेखा (Cumulative Records) का तैयार करना, आदि के लिए परीक्षाएं अनिवार्य है। परीक्षाओं के द्वारा ही छात्र की प्रगति की सूचना अध्यापक, माता-पिता, शिक्षा-सचालक और प्रशासक को मिल सकती है।

(५) परीक्षाओं के कुछ प्रासंगिक गुण भी हैं। छात्रों की विचार की व्यवस्था मे सहायता मिलती है। उनके अध्यवसाय की वृद्धि हो जाती है और धैर्य का विकास हो जाता है। अध्यापक को भी अपनी शिक्षण विधियो की त्रुटियो का ज्ञान हो जाता है।

§ 189. वर्तमान परीक्षाओं की न्यूनताएं—

वर्तमान हिन्दी-परीक्षाओं मे वे सभी न्यूनताये पाई जाती हैं जो सामान्य परीक्षाओं मे पाई जाती है। अत उनका ब्योरा नीचे दिया जाता है।

(१) न्यून प्रमाणिकता (Low Validity)—परीक्षा-पत्र ऐसे बनाये जाते हैं, जिनमें पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है। तर्क और निर्णय का कम अभ्यास कराया जाता है। रटन्त प्रणाली को प्रोत्साहन देने मे भी वर्तमान परीक्षाएं ही उत्तरदाई है। छात्र सभावित प्रश्न अनुमानित प्रश्न और कुंजियों तथा गाईड पर ही निर्भर रहते हैं।

(२) न्यून विश्वसनीयता (Low Reliability) प्रश्न-पत्र अवैज्ञानिक रीति मे बनाये जाते हैं, जिस से उन मे सयोग (Chance) की अत्यधिक सभावना रहती है। प्रश्नों की भाषा भी ऐसी ही होती है कि उत्तर मे भी सयोग की सभावना रहती है। जांचने मे सब से अधिक सयोग की सभावना रहती है।

(३) पाठ्यक्रम पर कुप्रभाव आजकल पाठ्यक्रम के विषयों का चुनाव परीक्षा की दृष्टि से ही किया जाता है। जिन बातों की लिखित परीक्षा नहीं हो सकती, उनका पाठ्यक्रम मे स्थान नहीं। भाषा शिक्षण मे बोल-चाल सब से आवश्यक है। पाठ्यक्रम मे इसका अभाव परीक्षाओं के कारण ही है।

(४) शिक्षण-विधि पर कुप्रभाव—वर्तमान रटन्त प्रणाली परीक्षाओं की देन है। साधारण ज्ञान पर न्यूनतम बल दिया जाता है। चुने हुए प्रश्नों को ही याद कराया जाता है।

(१) छात्र पर दुष्प्रभाव — [illegible] मानसिक तनाव, [illegible], [illegible], पक्षपात के कारण [illegible] और [illegible] का परिणाम है। [illegible] करने की ओर [illegible] है। [illegible] और [illegible] और [illegible] परिस्थितियों के [illegible] है। [illegible] है।

(२) अध्यापन पर दुष्प्रभाव — शिक्षक की प्रवृत्ति केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्नों को लिखाने की ओर रहती है। यहाँ तक कि इस प्रकार से उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाता है।

§ 190 परीक्षाओं में वांछित सुधार—

सामान्य परीक्षाओं में एवं हिन्दी परीक्षाओं में निम्न प्रकार के सुधार की आवश्यकता है।

(१) परीक्षाओं के दो रूप—छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन दो प्रकार से होना चाहिए। कार्यालय और बाह्य अध्यापक प्रति सप्ताह या प्रति माह जाँच करना और और उत्तीर्ण होना मात्र भर के काम पर निर्भर होना चाहिए। वर्ष के अन्त में भी एक परीक्षा हो। अध्यापक द्वारा मास भर का आंतरिक परीक्षा का मूल्य वार्षिक बाह्य परीक्षा से अधिक होना चाहिए। अतः समय-समय पर आवश्यक देने चाहिए और प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए।

(२) परीक्षाओं के विभिन्न प्रकार—छात्र की प्रगति की जाँच चार प्रकार से होनी चाहिए।

(i) निबन्धात्मक परीक्षा (Essay-Type Tets) के द्वारा विचार-विश्लेषण, विचार संग्रह, विचार-व्यवस्था, भाव-प्रकाशन, ज्ञान-प्रयोग और लेखन-शैली की जाँच करनी चाहिए।

(ii) वस्तुगत परीक्षा (Objective Test) के द्वारा स्मृति, अर्जित-ज्ञान, बोध (Comprehension), और विचार संग्रह की जाँच करनी चाहिए।[1]

(iii) मौखिक परीक्षा (Oral test) मौखिक अभिव्यक्ति, उच्चारण, वाचन-योग्यता और बोल-चाल की जाँच के लिए अनिवार्य है।

(iv) गृह कार्य (Home Ta°k) तथा विद्यालय में किए गए दैनिक कार्य की जाँच से दिन प्रतिदिन प्रगति का ज्ञान होता जाता है।

उपर्युक्त मुख्य परीक्षाओं के अतिरिक्त कुछ प्रासंगिक तथा सहायक परिक्षाएं

---

[1]वस्तुगत परीक्षण का एक नमूना परिशिष्ट (ii) में दिया गया है।

जैसे बुद्धि परीक्षा (Intelligence Test) अभिरुचि-परीक्षा (Aptitude Test,) निदानात्मक-परीक्षा (Diagnostic Test), और प्रमाणिक उपलब्धि परीक्षा (Standardized Achievement Test) भी प्रगति जाँच में सहायक है।

२. निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार—

(क) रचना सम्बन्धी सुधार—

निबंधात्मक परीक्षा बनाते समय रटी हुई बातों के बदले ज्ञान के प्रयोग पर बल देना चाहिए। प्रश्नों की संख्या बढ़ानी चाहिए और प्रत्येक प्रश्न को छोटा बनाना चाहिए। प्रश्नों की भाषा स्पष्ट सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। भाषा के परीक्षा-पत्र में वैकल्पिक प्रश्नों की कोई आवश्यकता नहीं। प्रत्येक प्रश्न के अंक निश्चित करने चाहिएं, और प्रश्न के प्रत्येक भाग के अंक भी निर्धारित करने चाहिए।

(ख) मूल्यांकन सम्बन्धी सुधार—

मूल्यांकन करने से पहले प्रश्न-पत्र के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निश्चित करना चाहिए। उत्तर मंजिकाओं को उत्तम, मध्यम और अधम—इन तीन भागों में बाँटना चाहिए। एक उत्तर-संचिका को देख कर दूसरी लेने के बदले एक प्रश्न को लेना चाहिए और सभी उत्तरसंचिकाओं के उसी प्रश्न का अंक निर्धारण (Scoring) करना चाहिए। उसके बाद प्रश्न लेना चाहिए। अंक जोड़ते समय पीछे से अंक वापस भी गिनने चाहिएं ताकि जोड़ की गलती न रहे। जब उत्तर संचिका अधिक हो, तो मुख्य परीक्षक द्वारा स्तर का प्रमाणीकरण होना चाहिए। सब से उत्तम विधि यह है कि चार-पाँच अध्यापक एक साथ बैठें, एक अध्यापक उत्तरसंचिकाओं के एक प्रश्न (जैसे प्रस्ताव) की जाँच करे, दूसरा दूसरे प्रश्न (जैसे कविता का अर्थ) की जाँच करे, तीसरा तीसरे प्रश्न (जैसे व्याकरण) की जाँच करे, इत्यादि।

(४) वस्तुगत परीक्षा (Obejective Test) गद्य-पाठ, व्याकरण, शब्दावली, अक्षर विन्यास और बोध (Comprehension) के लिए वस्तुगत प्रश्न-पत्र बनाने चाहिएं। वस्तुगत प्रश्नपत्र में प्रत्याह्वान् (Recall) आदि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, जिनके नमूने आगे दिए जाते हैं।

§ 191. हिन्दी परीक्षा की व्यवस्था—

उपर्युक्त निर्देश सामान्य परीक्षाओं के सम्बन्ध में हैं, जिन का सम्बन्ध किसी एक विषय जैसे हिन्दी के साथ है। हिन्दी भाषा की उपलब्धि की परीक्षा की भी अपनी समस्याएं हैं। हिन्दी एक भाषा है, जो ज्ञान का विषय होने की अपेक्षा कौशल (Skill) का विषय है। इसके कौशल के जिन अंगों की जाँच वांछित है, उसका वर्णन नीचे किया जाता है।

(२) सक्रिय कौशल (Active Skill) की परीक्षा—बोलना और लिखना सक्रिय ल हैं। इनके अन्तर्गत निम्न बातें आ जाती हैं जिनके लिए मौखिक तथा निबन्धा- क परीक्षा की आवश्यकता है।

क्रिय कौशल के अंग	प्रश्नों के प्रकार	परीक्षा के प्रकार
i) उच्चारण	प्रश्नों के उत्तर में, या पाठ्य पुस्तक के वाचन में शुद्ध उच्चारण की जांच करना।	मौखिक परीक्षा
(ii) सक्रिय शब्दावली का ज्ञान	शब्दों का अर्थ पूछना और वाक्य प्रयोग करवाना, विपरीत बोधक पर्यायवाची आदि सम्बन्ध पूछना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाना।	मौखिक परीक्षा तथा वस्तुगत परीक्षा
(iii) भाषण-योग्यता, (शुद्धता, प्रवाह और गति के साथ)	मौखिक वर्णन करवाना वाद-विवाद, सभाषण, और नाटक खेलने में भाषण योग्यता की जांच करना।	मौखिक परीक्षा
(iv) सुलेख (Hand writing)	छोटी कक्षाओं में अनुलिपि और प्रतिलिपि करवाना, श्रुति लेख लिखवाना।	मौखिक परीक्षा
	उत्तर कक्षाओं में सुलेख की सुन्दरता, अक्षर-रूप, गति, सफाई, और पठनीयता (Legibility) की जांच करना।	निबन्धात्मक परीक्षा
(v) रचना	प्रश्नों का उत्तर पूछना, पाठ्य पुस्तक में पढ़े हुए पाठ के सम्बन्ध में सामान्य प्रश्न पूछना, कविता की व्याख्या करवाना, प्रस्ताव पत्र, आदि विविध रचनाएं लिखवाना।	निबन्धात्मक परीक्षा

(३) ज्ञान की परीक्षा—भाषा के सम्बन्ध में कई बातें समझनी और याद करनी पड़ती हैं, जिनका कौशल की अपेक्षा ज्ञान से सम्बन्ध है। शब्दावली और व्याकरण का

[illegible] है। [illegible] (Subject matter) [illegible] चाहिए। पाठ्यपुस्तक [illegible] होता है कि छात्र [illegible] वर्तनी, शब्द और [illegible] प्रश्न दिए हैं।

ज्ञान परीक्षा के अंग	प्रश्नों के प्रकार	परीक्षा के [illegible]
(i) व्याकरण	व्याकरण के पारिभाषिक शब्दावली के सहारे उदाहरण पूछना अक्षर-विन्यास की जाँच के प्रश्न पूछना, प्रयोगात्मक व्याकरण के प्रश्न पूछना।	वस्तुगत परी[illegible]
(ii) शब्दावली	शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ पूछना भाषा में प्रयुक्त होने वाले भौगोलिक ऐतिहासिक और पौराणिक अन्तर कथाओं के ज्ञान की जाँच करना।	वस्तुगत परीक्षा
(iii) पाठ्यपुस्तक की पाठ्य सामग्री।	पाठ्य पुस्तक के विभिन्न पाठों के सम्बन्ध में कहानी, वर्णन, जीवनी, आदि पूछना, कवि या लेखक का परिचय पूछना, किसी कहानी या लेख से जो शिक्षा मिलती है वह पूछना।	वस्तुगत (छोटे उत्तर के लिए) तथा निबन्धात्मक (लम्बे उत्तर के लिए) परीक्षाएं हैं।

(४) **सौंदर्यबोध की परीक्षा**—ज्ञान की परीक्षा के अतिरिक्त इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि छात्र कविता के मर्म को कहाँ तक पहचान सकते हैं, काव्यसौंदर्य से रसास्वादन कहाँ तक प्राप्त कर सकते हैं और कविता में कितनी रुचि रखते हैं

सौंदर्य बोध की परीक्षा के अंग	प्रश्नों के प्रकार	परीक्षा के प्रकार
(i) कविता-पाठ (Recitation)	उचित स्वर, लय और उच्चारण के साथ कविता का वाचन करना	मौखिक
(ii) अर्थ-बोध	कविता का सरलार्थ करना, व्याख्या करना, आलोचना (Critical appreciation) लिखना	निबन्धात्मक
(iii) शैली पक्ष	छन्द, अलंकार, ध्वनि और शैली की विशेषता पर प्रश्न	वस्तुगत तथा निबन्धात्मक

192. परीक्षा के विविध प्रकारों का भाषा में प्रयोग—

ऊपर कहा गया है कि भाषा ज्ञान की जाँच करने के लिए चार साधन हैं—(1) मौखिक परीक्षा, (2) निबन्धात्मक परीक्षा, (3) वस्तुगत परीक्षा और (4) दैनिक कार्य। ऊपर की तालिकाओं में चारों का प्रयोग दर्शाया गया है। नीचे उनका और स्पष्टीकरण किया जाता है।

(1) मौखिक परीक्षा—प्रारम्भिक कक्षाओं में जाँच का सब से उत्तम साधन मौखिक परीक्षा है। उच्चारण, वाचन, शब्दावली, भाषण-योग्यता और साधारण बोल चाल के लिए मौखिक परीक्षा अपेक्षित है। परन्तु खेद है इस का प्रयोग दिन प्रतिदिन घट रहा है। अध्यापक तीसरी श्रेणी के छात्रों को लिखित पत्र भी देने से नहीं चूकते, क्योंकि इस से उन के श्रम की बचत हो जाती है।

(2) निबन्धात्मक परीक्षा—माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं के लिए इसका प्रयोग उचित है। रचना के विभिन्न प्रकारों के लिए निबन्धात्मक प्रश्न पत्र चाहिएं। पाठ्य पुस्तक में पढ़े हुए पाठ के सम्बन्ध में कहानी, वर्णन आदि पूछा जाता है। कविता की व्याख्या के प्रश्न भी निबन्धात्मक होंगे।

(3) वस्तुगत परीक्षा (Objective Test)—इसका प्रयोग शब्दार्थ, अर्थ-बोध, व्याकरण, अक्षर-विन्यास और पाठ्यपुस्तक की पाठ्यसामग्री की जाँच के लिए आवश्यक है। यह एक नई प्रकार की परीक्षा है, जिसका अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। प्रश्नों का उत्तर एक मात्र संक्षिप्त होता है, जिसके परिणाम में अविश्वसनीयता या वैयक्तिकता (Subjectivity) नहीं रहती। उत्तर देने में न्यूनतम समय [illegible]

(३) निम्न शब्दों में से कौन सा रूप शुद्ध है ?

ब्राह्मण, ब्राह्मन, भ्राह्मण

(iv) युग्मीकरण जाँच (Matching Test)—दो शब्दों या वस्तुओं का पारस्परिक सम्बन्ध बताने के लिए, उनको दो स्तम्भों (Columns) में रखा जाता है। एक स्तम्भ में दिये हुए शब्दों को दूसरे स्तम्भ के शब्दों से जोड़ना होता है।

उदाहरण—

(१) बाईं ओर लिखे हुए शब्द व्याकरण से क्या हैं? उत्तर दाहिनी ओर दिया हुआ है। सही उत्तर का अक्षर कोष्ठक में भरें।

(क) महात्मा गांधी	जातिवाचक संज्ञा	( )
(ख) मुख्याध्यापक	व्यक्तिवाचक संज्ञा	( )
(ग) धैर्य	जातिवाचक संज्ञा	( )
(घ) बुद्धिमान	जातिवाचक संज्ञा	( )
(ङ) धीरे-धीरे	विशेषण	( )
(च) आप	क्रिया विशेषण	( )
(छ) दस्तकारी	भाववाचक संज्ञा	( )

(v) व्यवस्थीकरण जाँच (Rearrangement Test)—इसमें कई बातें या शब्द अव्यवस्थित रूप से दी जाती हैं। उनका सही क्रम बताना होता है।

उदाहरण—

(१) निम्न शब्दों को ऐसे क्रम से लिखें कि पूरा अर्थ निकले

मानता है सबका भगवान की बात कौन को।

(vi) मिश्रित सम्बन्ध (Mixed Relation)—

उदाहरण—

प्रत्येक पंक्ति में वह शब्द काट दीजिए जो उस समूह का नहीं है—

(क) कलम, किताब, स्याही, माता, स्कूल।

(ख) द्वन्द्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि।

(ग) धैर्य, पराक्रम, वीरता, पूजा, देश-भक्ति।

(घ) अनजाने, अनन्त, अनाथ, अनादि, अनजान।

(६) दैनिक कार्य—इसमें निम्न कार्य सम्मिलित हैं—

(क) अनुलिपि और प्रति लिपि।

(ख) श्रुत लेख।

(ग) नये शब्दों का अर्थ लिखना।

(घ) पाठ पढ़ाने के उपरान्त पाठ-सम्बन्धी कार्य . . . लिखना।

(घ) रचनायें द्वारा जांच समय समय पर होनी चाहि
प्रगति का अभिलेख बनाना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

१ वर्तमान शिक्षा प्रणाली का मातृ भाषा उपलब्धि (A
बोध पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

२ मातृ-भाषा की वर्तमान परीक्षा-प्रणाली की आलोचना
के सुझाव भी दीजिए।

३ भाषा के विभिन्न अंगों की जांच किस प्रकार होनी चाहि
प्रश्नपत्र सभी अंगों की जांच के लिए पर्याप्त है ?

४ वस्तुगत प्रश्नपत्र किसे कहते हैं ? इनका भाषा-परीक्षण
होना चाहिए। आठवीं कक्षा के लिए एक वस्तुगत प्रश्न तैयार कीजि

५ प्रारम्भिक कक्षाओं में परीक्षा अधिकतर मौखिक होनी च
मौखिक परीक्षा भाषा के किन किन अंगों के लिए अनिवार्य है ?

६. भाषा शिक्षण में प्रति-दिन के काम की जांच की क्या
कार्य में कौन कौन सी बातें आ जाती हैं। सम्पूर्ण वर्ष के लिए इ
तैयार कीजिए।

७ 'बालो की शिक्षा के बाद उनका परीक्षण अनिवार्य है'
वर्तमान परीक्षण प्रणाली दोषयुक्त है ? आलोचना कीजिए।

(घ) रचनाकार्य इसकी जाँच समय समय पर होनी चाहिए और सारे प्रगति का अभिलेख रखना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

१ वर्तमान शिक्षा प्रणाली का मातृ भाषा उपलब्धि (Achieveme
जाँच पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

२ मातृ-भाषा की वर्तमान परीक्षा-प्रणाली की आलोचना कीजिए और
के सुझाव भी दीजिए।

३ भाषा के विभिन्न अंगों की जाँच किस प्रकार होनी चाहिए ? क्या निब
प्रश्नपत्र सभी अंगों की जाँच के लिए पर्याप्त हैं ?

४ वस्तुगत प्रश्नपत्र किसे कहते हैं ? इसका भाषा-परीक्षण में कहाँ तक
होना चाहिए। आठवीं कक्षा के लिए एक वस्तुगत प्रश्न तैयार कीजिए।

५ प्रारम्भिक कक्षाओं में परीक्षा अधिकतर मौखिक होनी चाहिए या लि
मौखिक परीक्षा भाषा के किन किन अंगों के लिए अनिवार्य है ?

६. भाषा शिक्षण में प्रति-दिन के काम की जाँच की क्या महत्ता है ?
कार्य में कौन कौन सी बातें आ जाती हैं। सम्पूर्ण वर्ष के लिए इसकी एक
तैयार कीजिए।

७. 'बालों की शिक्षा के बाद उनका परीक्षण अनिवार्य है' इसके अनुसा
वर्तमान परीक्षण प्रणाली दोषयुक्त है ? आलोचना कीजिए।

ऊँचा रहेगा। हिन्दी प्रान्तों और अहिन्दी प्रान्तों में न्यून अन्तर पड़ेगा। अन्य प्रत्येक राज्य के शिक्षा-सचालक को शिक्षा-क्रम में हिन्दी को उचित स्थान देना चाहिये।

(३) **हिन्दी शिक्षण की तीसरी समस्या है, प्रत्येक राज्य के लिए आधारभूत शब्दावली का निर्माण**—पश्चिमी देशों में आधारभूत शब्दावली का काम पिछली शताब्दी में आरम्भ हुआ था। हमारा हिन्दी के लिये यह कार्य किसी संस्था द्वारा नही हो सका। हाल ही मे केन्द्रीय सरकार ने २००० शब्दों की तथा उस से भी संक्षिप्त ५०० शब्दो की शब्दावलियां प्रकाशित की हैं। इन शब्दावलियों के आधार पर प्रत्येक राज्य में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अपनी शब्दावलियां निर्मित होनी चाहिए। इन में स्थानीय शब्दो का समावेश होगा, तथा उन शब्दों को प्रथम स्थान दिया जाएगा, जिनका प्रयोग उस प्रदेश में अधिक है। केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसी शब्दावलियो का भी निर्माण हो रहा है जो हिन्दी तथा किसी एक भारतीय भाषा में सर्वमान्य हो, जैसे तामिल-हिन्दी शब्दावली और काश्मीरी-हिन्दी शब्दावली आदि। ऐसी शब्दावलियाँ भी प्रत्येक राज्य के आधारभूत शब्दावली बनाने में सहायक होंगी। हिन्दी के प्राईमर और रीडर ठीक ढग से बन सकेंगे। प्रथम २०० शब्दों के बाद दो दो हजार शब्दों की अलग अलग शब्दावलियां भी बनानी चाहिए। बच्चों के लिये अलग और युवकों के लिए अलग। आजकल जो पाठ्य-पुस्तकें प्रचलित हैं, उन मे आधारभूत शब्दावली का कोई स्थान नहीं रखा गया है और अनावश्यक कठिन, अप्रयुक्त और गूढ़ शब्दों का प्रयोग किया गया है। बच्चों के लिए जो बाल-साहित्य भी बनाया गया है, उस में भी दूषित शब्दावली का प्रयोग है। जिस से भाषा दुरूह और बनावटी बन जाती है। बाल-साहित्य के लेखकों ने अपनी विद्वत्ता कठिन शब्दावली द्वारा दर्शाई और संस्कृत का मोह भी नहीं छोड़ा है हिन्दी का अध्ययन करने वाले बालकों या प्रौढ़ों के लिए यदि कोई भाषा सहायक हो सकती है तो वह है प्रेमचन्द की सरल और व्यावहारिक भाषाशैली। ऐसे साहित्य की रचना के लिए हमें तद्भव से तत्सम् की ओर जाना चाहिए और घरेलू मुहावरों तथा व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

(४) **हिन्दी शिक्षण की चौथी समस्या है उपयुक्त पाठ्य-पुस्तक की रचना**—इनमे आजकल प्रत्येक राज्य में हिन्दी के प्राईमर रीडर प्रचलित हैं। पाठ्य-पुस्तकों की रचना वैज्ञानिक ढग से नहीं हुई है। इन मे निम्न प्रकार के दोष पाये जाते हैं :—

(क) पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं हैं। इन में वर्णित अरोचक विषयों का वर्णन है। पद्य-भाग में विविधता नहीं है। प्रारम्भ में ही साहित्यिक लेखों और कविताओंका समावेश है, जिस से अध्ययन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विषय की दृष्टि से और भी कई दोष पाये जाते हैं।

(ख) भाषा शैली की दृष्टि से बहुत सी पाठ्य-पुस्तकों में क्रमिक शब्दावली का प्रयोग नहीं, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है, व्यावहारिक शैली के बदले आलंकारिक

संस्कृत में प्रयुक्त होते रहे। यह सब इस बात का प्रमाण है कि देववाणी संस्कृत दूसरी भाषाओं से मेल के लिए अपने द्वार खुला रखती रही। हिन्दी का अन्य भाषाओं के साथ आदान-प्रदान अत्यधिक आवश्यक है। अब भी हिन्दी को प्रान्तीय भाषाओं से बहुत पारिभाषिक शब्द, मुहावरे वाक्य रीतियां लेनी होंगी। अन्य भाषाओं में प्रयुक्त हो रहे कई पारिभाषिक शब्द हिन्दी के पर्यायों से अच्छे लगते हैं, जैसे ग्रन्थमा (पुस्तकालय के बदले), अनेक वचन (बहुवचन के बदले), बोलपट (बोलते सिनेमा बदले), श्यामपट (कृष्णफलक के बदले), मण्डल (वृत्त Region के बदले), दिन-दर्शिका (दिन-दर्शिनी Calendor के बदले), प्रशाला (माध्यमिक विद्यालय के बदले) आदि कितने ही प्रयोग जो प्रान्तीय भाषाओं में शुद्ध हैं, हिन्दी में भी शुद्ध समझे जायेंगे। हिन्दी वालों को उस में सङ्कीर्णता नहीं करनी चाहिए। हिन्दी अब उनकी ही नहीं, जो उसका प्रयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं, उनकी भी है, जिनकी मातृभाषा अन्य भाषा है। निष्कर्ष यह है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का रूप मातृभाषा हिन्दी से व्यापक होगा और इस में अन्य भाषाओं के प्रयोग भी सम्मिलित होंगे।

(२) दूसरी समस्या यह है कि विद्यालयों में हिन्दी शिक्षा कब से या किस कक्षा से आरम्भ की जाए—इतर भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षा कहीं पांचवी से दी जा रही है और कहीं आठवी कक्षा से। बम्बई में पांचवी कक्षा से हिन्दी अनिवार्य है। बंगाल और आसाम में भी हिन्दी की शिक्षा पांचवी कक्षा से आरम्भ की जाती है, परन्तु अनिवार्य विषय के रूप में नहीं, वरन् ऐच्छिक विषय के रूप में। मद्रास, आंध्र और काश्मीर में छठी कक्षा से ऐच्छिक विषय के रूप में शुरू की जाती है। केरल में आठवी से हिन्दी अनिवार्य है। मैसूर में नौवी से हिन्दी ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। विश्व-विद्यालयों में हिन्दी सब जगह ऐच्छिक विषय है, लेकिन स्तर एक समान नहीं। उपर्युक्त स्थिति सन्तोषजनक नहीं। हिन्दी का प्रचार अभीष्ट हो, तो हिन्दी की शिक्षा प्रत्येक अहिन्दीभाषी राज्य में तीसरी कक्षा से आरम्भ की जानी चाहिए। रूस में रूसी भाषा इतर भाषा के रूप में तीसरी कक्षा से आरम्भ की जाती है। योरोपीय राज्य में भी इतर भाषा की शिक्षा (चाहे वह अंग्रेजी हो या जर्मनी या फ्रांसीसी हो या दोनों) तीसरी या चौथी कक्षा से दी जाती है। सभी भाषा वैज्ञानिक तथा शिक्षा-शास्त्री इस बात से सहमत हैं कि इतर-भाषा या इतर-भाषाओं की शिक्षा छोटी से छोटी अवस्था में दी जानी चाहिए। कैनेडा के नाड़ी-विशेषज्ञ विलडरपेन पील्ड ने आकाशवाणी देहली से प्रसारित अपने भाषण में अनेक प्रयोगों, युक्तियों और अनुभवों द्वारा यह प्रमाणित किया कि दस वर्ष की अवस्था से पहिले अनेक भाषाएं सीखने में जो नैसर्गिक सुविधा रहती है, वह बाद में नहीं रहती। तात्पर्य यह है कि देश का प्रत्येक बालक दस वर्ष की अवस्था से पहले हिन्दी जल्दी सीख सकता है। अत: प्रत्येक विद्यालय में तीसरी कक्षा से या उस से पहिले हिन्दी की शिक्षा का आयोजन करना पड़ेगा। तभी हिन्दी का स्तर

ऊँचा रहेगा। हिन्दी प्रान्तों और अहिन्दी प्रान्तों में न्यून अन्तर पड़ेगा। अन्य प्रत्येक राज्य के शिक्षा-सचालक को शिक्षा-क्रम में हिन्दी को उचित स्थान देना चाहिये।

(३) हिन्दी शिक्षण की तीसरी समस्या है, प्रत्येक राज्य के लिए आधारभूत शब्दावली का निर्माण—पश्चिमी देशों में आधारभूत शब्दावली का काम पिछली शताब्दी में आरम्भ हुआ था। हमारा हिन्दी के लिये यह कार्य किसी संस्था द्वारा नहीं हो सका। हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने २००० शब्दों की तथा उस से भी संक्षिप्त ५०० शब्दों की शब्दावलियां प्रकाशित की हैं। इन शब्दावलियों के आधार पर प्रत्येक राज्य में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अपनी शब्दावलियां निर्मित होनी चाहिए। इन में स्थानीय शब्दों का समावेश होगा, तथा उन शब्दों को प्रथम स्थान दिया जाएगा, जिनका प्रयोग उस प्रदेश में अधिक है। केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसी शब्दावलियों का भी निर्माण हो रहा है जो हिन्दी तथा किसी एक भारतीय भाषा में सर्वमान्य हों, जैसे तामिल-हिन्दी शब्दावली और काश्मीरी-हिन्दी शब्दावली आदि। ऐसी शब्दावलियाँ भी प्रत्येक राज्य के आधारभूत शब्दावली बनाने में सहायक होंगी। हिन्दी के प्राईमर और रीडर ठीक ढंग से बन सकेंगे। प्रथम २०० शब्दों के बाद दो दो हज़ार शब्दों की अलग अलग शब्दावलियां भी बनानी चाहिएं। बच्चों के लिये अलग और युवकों के लिए अलग। आजकल जो पाठ्य-पुस्तकें प्रचलित हैं, उन में आधारभूत शब्दावली का कोई ख्याल नहीं रखा गया है और अनावश्यक कठिन, अप्रयुक्त और गूढ़ शब्दों का प्रयोग किया गया है। बच्चों के लिए जो बाल-साहित्य भी बनाया गया है, उस में भी दूषित शब्दावली का प्रयोग है। जिस से भाषा दुरूह और बनावटी बन जाती है। बाल-साहित्य के लेखकों ने अपनी विद्वत्ता कठिन शब्दावली द्वारा दर्शाई और संस्कृत का मोह भी नहीं छोड़ा है हिन्दी का अध्ययन करने वाले बालकों या प्रौढ़ों के लिए यदि कोई भाषा सहायक हो सकती है तो वह है प्रेमचन्द की सरल और व्यावहारिक भाषाशैली। ऐसे साहित्य की रचना के लिए हमें तद्भव से तत्सम् की ओर जाना चाहिए और घरेलू मुहावरों तथा व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

(४) हिन्दी शिक्षण की चौथी समस्या है उपयुक्त पाठ्य-पुस्तक की रचना—इनमें आजकल प्रत्येक राज्य में हिन्दी के प्राईमर रीडर प्रचलित हैं। पाठ्य-पुस्तकों की रचना वैज्ञानिक ढंग से नहीं हुई है। इन में निम्न प्रकार के दोष पाये जाते हैं:—

(क) पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं हैं। इन में वर्णित अलौकिक विषयों का वर्णन है। पद्य-भाग में विविधता नहीं है। प्रारम्भ में ही साहित्यिक लेखों और कविताओं का समावेश है, जिस से अध्ययन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विषय की दृष्टि से और भी कई दोष पाये जाते हैं।

(ख) भाषा शैली की दृष्टि से बहुत सी पाठ्य-पुस्तकों में उचित प्रयोग नहीं, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है, व्यावहारिक

[illegible] में प्रयुक्त होते रहे। पर [illegible] इस बात का [illegible] है कि [illegible] [illegible] भाषाओं के [illegible] के लिए अपने द्वारा पूरा कर सकें। हिन्दी का अन्य भाषाओं से आदान प्रदान अत्यधिक आवश्यक है। अब भी हिन्दी को प्रादेशिक भाषाओं से [illegible] पारिभाषिक शब्द, मुहावरे [illegible] लेनी होंगी। अन्य भाषाओं के [illegible] [illegible] कई पारिभाषिक शब्द हिन्दी के पर्यायों से अच्छे लगते हैं, जैसे [illegible] ([illegible] के बदले), [illegible] ([illegible] के बदले), [illegible] ([illegible] के बदले), [illegible] ([illegible] के बदले), [illegible] ([illegible] Region के बदले), [illegible] ([illegible] Calendar के बदले), [illegible] ([illegible] के बदले) आदि। जितने ही प्रयोग भी प्रादेशिक भाषाओं में शुद्ध है, हिन्दी में भी शुद्ध समझे जाने। हिन्दी वाला को उस में सङ्कीर्णता नहीं बरतनी चाहिए। हिन्दी अब उनकी ही नहीं, जो इसका प्रयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं, उनकी भी है, जिनकी मातृभाषा अन्य भाषा है। निश्चय यह है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का रूप मातृभाषा हिन्दी से व्यापक होगा और इस में अन्य भाषाओं के प्रयोग भी सम्मिलित होंगे।

(२) दूसरी समस्या यह है कि विद्यालयों में हिन्दी शिक्षा कब से या किस कक्षा से आरम्भ की जाए—इतर भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षा कहीं पांचवीं से दी जाती है और कहीं आठवीं कक्षा से। बम्बई में पांचवीं कक्षा से हिन्दी अनिवार्य है। बंगाल और आसाम में भी हिन्दी की शिक्षा पांचवीं कक्षा से आरम्भ की जाती है, परन्तु अनिवार्य विषय के रूप में नहीं, वरन् ऐच्छिक विषय के रूप में। मद्रास, आंध्र और काश्मीर छठी कक्षा से ऐच्छिक विषय के रूप में शुरू की जाती है। केरल में आठवीं से हिन्दी अनिवार्य है। मैसूर में नौवीं से हिन्दी ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। विश्व-विद्यालयों में हिन्दी सब जगह ऐच्छिक विषय है, लेकिन स्तर एक समान नहीं। उपर्युक्त स्थिति सन्तोषजनक नहीं। हिन्दी का प्रचार अभीष्ट हो, तो हिन्दी की शिक्षा प्रत्येक अहिन्दीभाषी राज्य में तीसरी कक्षा से आरम्भ की जानी चाहिए। रूस में रूसी भाषा इतर भाषा के रूप में तीसरी कक्षा से आरम्भ की जाती है। योरोपीय राष्ट्रों में भी इतर भाषा की शिक्षा (चाहे वह अंग्रेजी हो या जर्मनी या फ्रांसीसी हो या स्पेनी) तीसरी या चौथी कक्षा से दी जाती है। सभी भाषा वैज्ञानिक तथा शिक्षा-शास्त्री इस बात से सहमत हैं कि इतर-भाषा या इतर-भाषाओं की शिक्षा छोटी से छोटी अवस्था में दी जानी चाहिए। कैनेडा के नाड़ी-विशेषज्ञ विलडरपेन फील्ड ने आकाशवाणी देहली से प्रसारित अपने भाषण में अनेक प्रयोगों, युक्तियों और अनुभवों द्वारा यह प्रमाणित किया कि दस वर्ष की अवस्था से पहिले अनेक भाषाएं सीखने में जो नैसर्गिक सुविधा रहती है, वह बाद में नहीं रहती। तात्पर्य यह है कि देश का प्रत्येक बालक दस वर्ष की अवस्था में पहले हिन्दी जल्दी सीख सकता है। अतः प्रत्येक विद्यालय में तीसरी कक्षा से या उस से पहिले हिन्दी की शिक्षा का आयोजन करना पड़ेगा। तभी हिन्दी का स्तर

है न नाद। इधर तामिल के कितने ही रूप हैं जो हिन्दी में नहीं हैं। इस विषय में प्रत्येक द्राविड़ राज्य में द्राविड़ भाषा में देवनागरी सिखाने के सम्बन्ध में गवेषणा होनी चाहिए।

इधर वर्धा तथा उत्तर-प्रदेश वालों ने देवनागरी लिपि में सुधार करना आरम्भ किया है और दोनों की परिवर्तित लिपियां प्रचलित हो रही हैं। देवनागरी लिपि में जो भी सुधार करना हो, वह देशव्यापी होना चाहिए नहीं तो अहिन्दी प्रान्तों में भ्रम पैदा होगा कि कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाए। अपनी अपनी डफली बजाने से काम नहीं चलेगा। केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में विचार विमर्श करके देवनागरी लिपि में कुछ सुधार स्वीकृत किए हैं। इस संशोधित लिपि का सारे देश में प्रसार चाहिए। यदि संशोधित लिपि का प्रमाणीकरण भी हो जाए, एक और भी समस्या उपस्थित है। हिन्दी वालों की भाषा घसीट लिपि में लिखे जाने के कारण पढ़ी नहीं जाती। हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी की घसीट लिपि का रिवाज और प्रचलन रहे या न रहे, परन्तु अहिंदी प्रांतों की घसीट लिपि हिन्दी प्रचार में बाधक है।

(6) अहिंदी प्रांतों में उच्चारण की समस्या—उच्चारण का अर्थ के साथ सम्बन्ध है। अशुद्ध उच्चारण अर्थबोध में कठिनाई उपस्थित करता है। थोड़े से उच्चारण-भेद के साथ अर्थ बदल जाता है। जैसे गुन—गुण, पाणी—पानी आदि। भाषा का वर्तमान उच्चारण ही ग्राह्य है, नहीं तो उच्चारण में स्वतन्त्रता बरतने से भाषा में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। हिन्दी क्षेत्र में हिन्दी का उच्चारण नैसर्गिक है। परन्तु अहिन्दी क्षेत्र में ध्वनि विषमता पाई जाती है। दक्षिण में हिन्दी का शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता। अन्य प्रान्तों में भी प्रांतीय प्रभाव है। हिन्दी क्षेत्र में बोलियों का प्रभाव दृश्यमात्र है। उच्चारण की समस्या को सुलझाने के लिये इसका निदान आवश्यक है।

(क) अशुद्ध उच्चारण के कारण और प्रकार—साधारणतया ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण का अज्ञान और बोलने की दोष-पूर्ण आदत अशुद्ध उच्चारण के लिये उत्तरदायी है। जहां अध्यापकों का उच्चारण दोषपूर्ण होता है, शिष्य भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं। अशुद्ध उच्चारण का विशेष कारण है प्रांतीय उच्चारण का प्रभाव। उर्दू के प्रभाववश महाप्राणनाद, संयुक्त व्यंजन और ष का प्रयोग बहुत कम है। इस लिए विशेष, दोसत, प्रासत, उच्चरित होते हैं। दक्षिण में 'चलता फिरता' (Chalatar Firata) उच्चारित होता है। मराठी प्रदेश में पहिले पहल में 'ए' ध्वनि मध्य परन्तु 'र' में बदल कर पैहले-पैहले उच्चारित होता है। बंगला में स्वरों को ओष्ठ्य बनाया जाता है। ध्वनि उच्चारण के कारण अर्थ-भेद की उतनी कठिनाई पेश नहीं आती है, जितनी स्वराघात के कारण। हिन्दी का अपना स्वराघात है, अक्षरशक्ति, बल, विराम, सस्वरता, लय तथा प्रवाह की अशुद्धियां अर्थबोध में कठिनाई उपस्थित करती

शैली से आरम्भ किया गया है, और आधारभूत शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है।

(ग) सम्पादन की दृष्टि से भी अनेक दोष पाए जाते हैं। पाठों का क्रम तथा परिमाण उपयुक्त नहीं। पुस्तकों के अन्त में बहुत थोड़े अभ्यास दिये गये हैं। कठिन पारिभाषिक और प्रासंगिक शब्दों की व्याख्या का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। कई पुस्तकों में चित्र भद्दे और अनाकर्षक हैं, कहीं कहीं टाईप भी भद्दा है, छपाई भी त्रुटिपूर्ण और कागज़ भी अनाकर्षक।

जहां तक प्रवेशिकाओं का सम्बन्ध है, कई राज्य-सरकारों ने अंग्रेज़ी के अन्धानुकरण के कारण देवनागरी लिपि के लिये उपयुक्त ध्वनि साम्य विधि (Phonetic Method) का तिरस्कार करके 'देखो और कहो' विधि तथा वाक्य विधि (Sentence Method) के अनुसार प्राइमर बनाकर निर्धारित किये है। अनुमान और प्रयोगों से प्रमाणित हो चुका है कि देवनागरी जैसी ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक लिपि की शिक्षा के लिये विश्लेषणात्मक विधियां उल्टिया, कृत्रिम और अर्थ-हीन हैं। तात्पर्य यह है कि हिन्दी की शिक्षा के लिए ध्वनिसाम्य विधि का ही प्रयोग प्रारम्भ में करके इसी में संशोधन तथा किंचित् परिवर्तन करना चाहिए, जिस से यह अधिक आकर्षक और रोचक बने। प्रत्येक राज्य में हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा तथा निर्धारण के लिए "राजकीय पाठ्य-पुस्तक समिति" की नियुक्ति होनी चाहिए जिस के सदस्य अनुभवी अध्यापक और प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापक हों। इस के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में एक पाठ्य-पुस्तक अनुसन्धान ब्यूरो (Text Book research Bureau) की स्थापना होनी चाहिए। मई 1962 में केन्द्रीय सरकार की ओर से शैक्षिणिक साहित्य समिति की स्थापना हुई। इसके अन्तर्गत हिन्दी शैक्षणिक साहित्य की रचना के लिए एक समिति बनी जिस ने जुलाई से अपना कार्य आरम्भ किया है।

(5) देवनागरी लिपि सिखाने की समस्या— उत्तरी भारत की लिपियां, जैसे गुरुमुखी, बंगाली, आसामी, गुजराती और मराठी हिन्दी से बहुत मिलती हैं। गुरुमुखी शारदा से निकली है और शेष लिपियां प्राचीन देवनागरी से। दसवीं शताब्दी की प्राचीन देवनागरी लिपि और शारदा दोनों गुप्तकालीन कुटिललिपि से निकली हैं। इस कारण इन सभी लिपियों में अनेक अक्षर समान हैं। अतः जिन की मातृभाषा बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी है, उनके लिए देवनागरी सिखाने के लिए तुलनात्मक विधि अपेक्षित है। गुजराती और देवनागरी में मूलतः कोई अन्तर नहीं। परन्तु दक्षिण भारत की तामिल, तेलगू, मलयालम और कन्नड़ लिपियों की देवनागरी के साथ कोई समता नहीं, यद्यपि सभी लिपियां ब्राह्मी से निकली हैं। अतः दक्षिण में देवनागरी सिखाने की मूल भूत समस्या है। द्राविड़ लिपियों के जितने ही वर्ण हिन्दी में नहीं और हिन्दी के जितने ही वर्ण द्राविड़ लिपियों में नहीं। जैसे तामिल में न महाप्राण अक्षर

प्रभावित नहीं। काश्मीरी और पंजाबी में हिन्दी जैसा लिंग
शब्दों का हिन्दी में जो लिंग है वह इन भाषाओं में नहीं।
'आख' और 'देह', हिन्दी में स्त्रीलिंग हैं, परन्तु मराठी में न
'काम केले' नपुंसकलिंग है। इस प्रकार अहिन्दी भाषी प्रान्तों में
प्रयोग की बड़ी जटिल समस्याएं हैं। विशेषणों, क्रिया विशेषणों अ
में अशुद्धियां हो जाती हैं।

पंजाबी में स्त्रीवाचक विशेष्यों के विशेषणों का लिंग परि
साड़ियां' 'चंगियां गल्लां' कहा जाता है और उसी के प्रभाववश
साड़ियां' और 'अच्छीयां बातें' जैसा अशुद्ध प्रयोग देखा जाता है।
रूप हिन्दी में पाये जाते हैं उतने और भाषाओं में नहीं। इसी प्रका
और अन्य शब्दों के प्रयोग में भी अशुद्धियां पाई जाती हैं।

(ग) वाक्य विचार—हिन्दी का शब्द क्रम अपने आप विलक्ष
षाओं के शब्दक्रम तथा वाक्य विन्यास के साथ कुछ विषमता भी
निक व्यवहार में आने वाले मुहावरों के प्रयोग में भी अशुद्धियां हो
ड़ी खीर' के बदले 'उल्टी खीर' कहना। हिन्दी में मिश्रित वाक्यों की
...टिल हो जाती है।

इस प्रकार हिन्दी व्याकरण की ऐसी जटिलता अहिन्दी प्रान्तों के
बन गई है और इस का समाधान अब तक नहीं हो सका। स्कूलों में
व्याकरण की शिक्षा दी जाती है वह सैद्धान्तिक व्याकरण है व्यावहारि
सर्वनाम आदि के भेद उपभेद गुर और परिभाषाएं हिन्दी के व्यावहारिक
सम्बन्ध में कोई निर्देशक सामग्री नहीं। 'कामता प्रसाद गुरु' का व्याकरण
पूर्ति नहीं करता। 'ग्रीव्ज' का हिन्दी व्याकरण अध्यापकों को कुछ सहा
करता है, किन्तु वह अंग्रेजी में है। आवश्यकता ऐसे व्याकरणों की है ज
बंगाली, मराठी आदि भाषाओं के माध्यम द्वारा इन भाषाओं का आधार
तुलनात्मक विधि द्वारा बनाए जाएं। ऐसे तुलनात्मक व्याकरण अध्यापकों
के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इन की रचना के लिए प्रत्येक राज्य में अनु
आवश्यकता है। इन व्याकरणों में निरन्तर अभ्यास और बोलचाल द्वारा भाषा
शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। हिन्दी व्याकरण के प्रत्येक अंग के सिद्धा
व्याख्या वैज्ञानिक विधि अर्थात् आगमन-निगमन से होनी चाहिए। हिन्दी पढ़ा
हिन्दी व्याकरण की जटिलताएं समझनी चाहिएं और मातृभाषा के साथ तुलना
चाहिए। मुहावरों का प्रयोग बोलचाल, सम्भाषण, संवाद, वाद-विवाद द्वारा
चाहिए। हिन्दी का वह आदर्श रूप जो अहिन्दी भाषी प्रान्तों के लिए अनुकरणी
मचन्द की कहानियों और उपन्यासों का रूप है। इस प्रकार का साहित्य प्रचुर

हैं। इस विषय के सम्बन्ध में कोई शीघ्र कार्य नहीं हुआ और न कोई निर्देशक सा ही उपलब्ध है, हिन्दी उच्चारण के सम्बन्ध में जो कुछ श्याम सुन्दरदास ने लिखा उ अतिरिक्त और कोई सामग्री नहीं।

(ख) समस्या का समाधान अत्यन्त कठिन है । अध्यापकों से निवेदन किया सकता है कि वे उच्चारण को शुद्ध करने का प्रयत्न करें । कक्षा मे सवाद और भा पर बल दिया जाए, वैयक्तिक और सामूहिक विधि से शिष्यो के उच्चारण की अशुद्धि ठीक करें और शुद्ध उच्चारण का निरन्तर अभ्यास करवाते रहे, परन्तु इतना पर्या नही। सब से बड़ी आवश्यकता है हिन्दी उच्चारण के सम्बन्ध मे भाषा वैज्ञानिक अनुसंधान की जो अहिंदी क्षेत्रो से अध्यापका के लिये पथ-प्रदर्शन करे। अहिंदी भाषी प्रातो मे हिंदी उच्चारण सिखाने के लिये परिचर्चा (Seminar) तथा प्रशिक्षण शिविर चलाए जाए, जिन मे अध्यापको को भाषा विज्ञान की प्रारम्भिक सिद्धान्तो और हिन्दी-ध्वनि तत्वो का शुद्ध ज्ञान दिया जाए। लिंग्वाफोन का प्रयोग पश्चिम में सामान्य है। विद्यालयो मे उच्चारण सिखाने का यह उत्तम साधन है । अच्छे अच्छे हिन्दी गीतों भजनो, भाषाओ और सवाद के रिकार्ड शिष्यो के कान प्रशिक्षित कर सकते हैं। आकाश वाणी का बालोपयोगी कार्यक्रम भी इस मे सहायक है।

(7) व्याकरण की समस्या—हिन्दी का अपना ध्वनि विचार (Phonology) शब्द विचार (Morphology) और वाक्य विचार (Syntax) हैं, जिस कारण हैं प्रान्तीय भाषाओ के साथ विषमता होने की अवस्था मे हिन्दी बोलते या लिखते समय *व्याकरण अथवा हिन्दी के विभिन्न प्रयोग हिन्दी वालो के लिए सरलता है* परन्तु अहिंदी भाषियो के लिए एक टेढ़ी खीर है।

(क) ध्वनि विचार—ध्वनि विचार का उल्लेख ऊपर उच्चारण के सम्बन्ध में हो चुका है। अनुकरण और अभ्यास द्वारा हिन्दी की उन ध्वनियो की शिक्षा दी जानी चाहिए, जो प्रान्तीय भाषाओ में नहीं ।

(ख) शब्द विचार—हिन्दी मे केवल दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जीवधारियों के सम्बन्ध में लिंग निर्णय सरल है, परन्तु निर्जीव पदार्थों, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक सज्ञाओ का लिंग निर्णय कठिन है। यहा पर अहिन्दी क्षेत्र में सभ्रम पैदा होता है। इस के सम्बन्ध मे निश्चित नियम नहीं। यदि नियम हैं तो उनके अपवाद अधिक हैं। यह समस्या इस कारण से और जटिल बन गई है कि हिन्दी सज्ञाओं के लिंग का प्रभाव विशेषण, सर्वनाम, सख्यावाचक तथा क्रिया पर भी होता है। अत यदि कोई बगाली कहे, 'मेरा सितार फट गया" तो अचम्भा नही। इसी प्रकार हिन्दी कारको का प्रयोग जटिलतम है। उदाहरण के लिए 'ने' और 'को' का प्रयोग सभ्रमात्मक है । द्राविड़ भाषाओं मे न लिंग की ऐसी कठिनाइयां हैं और न कारकों की। बगाल में भी अग्रेजी और सस्कृत की तरह क्रियापद स्वतन्त्र है, सज्ञा के लिंग से

प्रभावित नहीं। काश्मीरी और पंजाबी में हिन्दी जैसा लिंग भेद है। परन्तु बहुत से शब्दों का हिन्दी में जो लिंग है वह इन भाषाओं में नहीं। मराठी में तीन लिंग हैं। 'आस' और 'देह', हिन्दी में स्त्रीलिंग हैं, परन्तु मराठी में नपुंसकलिंग। 'वर्फ पड़े' 'काम केले' नपुंसकलिंग हैं। इस प्रकार अहिन्दी भाषी प्रान्तों में लिंग भेद तथा कारक प्रयोग की बड़ी जटिल समस्याएं हैं। विशेषणों, क्रिया विशेषणों और सर्वनामों के प्रयोग में अशुद्धियां हो जाती हैं।

पंजाबी में स्त्रीवाचक विशेष्यों के विशेषणों का लिंग परिवर्तन करके 'पीलिया' साड़ियां' 'चंगिया गल्ला' कहा जाता है और उसी के प्रभाववश हिन्दी में पीलिया साड़िया' और 'अच्छीया बातें' जैसा अशुद्ध प्रयोग देखा जाता है। क्रियाओं के जितने रूप हिन्दी में पाये जाते हैं उतने और भाषाओं में नहीं। इसी प्रकार उपसर्गों, प्रत्ययों और अन्य शब्दों के प्रयोग में भी अशुद्धियां पाई जाती हैं।

(ग) वाक्य विचार—हिन्दी का शब्द क्रम अपने आप विलक्षण है। प्रान्तीय भाषाओं के शब्दक्रम तथा वाक्य विन्यास के साथ कुछ विषमता भी पाई जाती है। दैनिक व्यवहार में आने वाले मुहावरों के प्रयोग में भी अशुद्धियां हो जाती हैं जैसे— टेढ़ी खीर' के बदले 'उल्टी खीर' कहना। हिन्दी में मिश्रित वाक्यों की रचना और भी कठिन हो जाती है।

इस प्रकार हिन्दी व्याकरण की ऐसी जटिलता अहिन्दी प्रान्तों के लिए पहेलियां बन गई हैं और इस का समाधान अब तक नहीं हो सका। स्कूलों में जिस हिन्दी व्याकरण की शिक्षा दी जाती है वह सैद्धान्तिक व्याकरण है व्यावहारिक नहीं। संज्ञा सर्वनाम आदि के भेद उपभेद गुर और परिभाषाएं हिन्दी के व्यावहारिक व्याकरण के सम्बन्ध में कोई निर्देशक सामग्री नहीं। 'कामता प्रसाद गुरु' का व्याकरण इस भाग की पूर्ति नहीं करता। 'ग्रीव्ज' का हिन्दी व्याकरण अध्यापकों को कुछ सहायता प्रदान करता है, किन्तु वह अंग्रेज़ी में है। आवश्यकता ऐसे व्याकरणों की है जो पंजाबी, बंगाली, मराठी आदि भाषाओं के माध्यम द्वारा इन भाषाओं का आधार मान कर तुलनात्मक विधि द्वारा बनाए जाएं। ऐसे तुलनात्मक व्याकरण अध्यापकों और शिष्यों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इन की रचना के लिए प्रत्येक राज्य में अनुसंधान की आवश्यकता है। इन व्याकरणों में निरन्तर अभ्यास और बोलचाल द्वारा भाषा प्रयोग की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। हिन्दी व्याकरण के प्रत्येक अंग के सिद्धान्तों की व्याख्या वैज्ञानिक विधि अर्थात् आगमन-निगमन से होनी चाहिए। हिन्दी पढ़ाते पढ़ाते हिन्दी व्याकरण की जटिलताएं समझनी चाहिएं और मातृभाषा के साथ तुलना करनी चाहिए। मुहावरों का प्रयोग बोलचाल, सम्भाषण, संवाद, वाद-विवाद द्वारा कराना चाहिए। हिन्दी का वह आदर्श रूप जो अहिन्दी भाषी प्रान्तों के लिए अनुकरणीय है प्रेमचन्द की कहानियों और उपन्यासों का रूप है। इस प्रकार का साहित्य प्रचुर मात्रा -

: ३४ :

हिन्दी-शिक्षण में प्रयोग तथा शोध

(Experimentation and Research in Teaching of Hindi)

§194. शोध कार्य की आवश्यकता—

(1) ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के निमित्त खोज और अनुसंधान की आवश्यकता है। अनुसंधान जिज्ञासा का फल है। जिज्ञासावृत्ति ही मानव सभ्यता और संस्कृति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए उत्तरदायी है। जिस जाति में जिज्ञासा-वृत्ति प्रबल हो उठी, उस जाति ने दर्शन और ज्ञान के क्षेत्र में खोज और आविष्कार करके अपने आप को गौरव के पद पर प्रतिष्ठित किया। प्राचीन भारत की सांस्कृतिक महत्ता का प्रथम कारण था हमारे पूर्वजों, ऋषियों, मुनियों, विचारकों, दार्शनिकों, कवियों, ज्योतिषियों शिल्पस्थापत्यों, समाजसुधारकों, नेताओं तथा विद्वानों के मस्तिष्क में नवीन बातों की खोज के प्रति संलग्नता। यही दर्शन के क्षेत्र में ब्रह्म-जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो कपिल, पतञ्जली, गौतम, कणाद, बादरायण, जैमिनी, शंकराचार्य, रामानुज, कुमारिल भट्ट जैसे दार्शनिक उत्पन्न हुए। इसी प्रकार चरक जैसे आयुर्वेदाचार्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहर और भास्कराचार्य जैसे ज्योतिषी तथा गणितज्ञ, पाणिनि और अमरसिंह जैसे भाषा वैज्ञानिक और चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ की सफलता भी जिज्ञासा वृत्ति प्रखर बुद्धि और सतत परिश्रम के कारण हुई। आधुनिक युग में पश्चिम की वैज्ञानिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति का मूल स्रोत भी यही जिज्ञासा है।

यह जिज्ञासा-वृत्ति हमारे पूर्वजों में थी, परन्तु खेद है कि आजकल हम भारतवासियों में उसका अभाव है। जब तक हमारी शिक्षित जनता इस दिशा में कार्य नहीं करेगी, हमारे राष्ट्र की प्रगति रुकी रहेगी। भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, इतिहास और प्राचीन संस्कृति में, शास्त्र में, आयुर्वेद में, दर्शन में, धर्म में, समाज-विज्ञान में, शिल्प में, टेक्नालोजी में (यन्त्रकला में) भौतिक विज्ञान में तथा राजनीति में शोध कार्य की आवश्यकता है।

उपरोक्त सभी विषयों के अतिरिक्त जिस विषय में शोध कार्य की अधिकतम और शीघ्रतम आवश्यकता है वह है शिक्षा। भारतीय समाज, संस्कृति, आर्थिक माँगों तथा

अन्य परिस्थितियो के अनुसार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनो प्रकार की सम्पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित व्यवस्था करना हमारी सर्वप्रथम माँग है। इसके अभाव मे भावी भारत सुदृढ, सम्पन्न, सशक्त और प्रगतिशील नही हो सकता है। उचित शिक्षा ही भारतीय प्रगति की आधारशिला है। उसी के द्वारा शेष सभी आवश्यकताओ की पूर्ति हो सकती है।

शिक्षा की इस महत्ता को पहचानते हुए, पिछले पन्द्रह वर्षों से जब से भारत स्वतन्त्र हुआ, केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा मे सुधार करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ मे लिया और विश्वविद्यालयी आयोग, तत्पश्चात् माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति करके, उनसे विश्वविद्यालयी शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा की प्रगति एवं सुधार के निमित्त सुझाव प्राप्त करके, केन्द्रीय परामर्शदाता समिति और विभिन्न राज्य सरकारों के सम्मुख उनको उपस्थित करके और स्वय भी इन सुझावो को कार्यान्वित करने के निमित्त केन्द्रीय वित्त से प्रथम पचवर्षीय योजना द्वितीय पचवर्षीय योजना और तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता देना आरम्भ किया।

शिक्षा की प्रगति का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारो के अतिरिक्त उन सभी अध्यापकों और कार्यकर्ताओ पर है जो शिक्षा के क्षेत्र मे काम कर रहे हैं। अध्यापकों और कार्यकर्ताओ का प्रथम कर्तव्य है कि वे शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसधान करे। आयोगो ने जो सुझाव रखे हैं, उन को कार्यन्वित करने से पहले प्रयोग तथा विस्तार पूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, बहुमुखी विद्यालयों (Multilatral Schools) की स्थापना से पहले उनकी विस्तृत रूप रेखा बनाने की, अध्यापकों की नियुक्ति का, विद्यार्थियो का बुद्धि परीक्षा और उपलब्धि परीक्षाओ द्वारा प्रवेश का और विद्यालय व्यवस्था का उचित प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। उस के लिए विद्वानो और शिक्षा विशारदों को काम मे जुटना पड़ेगा, जाँच-पत्र बनाने पड़ेंगे और सारा ब्योरा उपस्थित करना पड़ेगा। उसी प्रकार अन्य सुझावो के बारे मे भी अनुसधान की आवश्यकता है।

अनुसधान के अन्य विषयों मे एक प्रमुख विषय हिन्दी भाषा भी है। यो तो विद्यालयों मे पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों के पढ़ाने की आन्तरिक समस्याओं को हल करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है, परन्तु हिन्दी सभी भाषाओं मे प्रमुख होने के कारण और राष्ट्र-भाषा के प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने के कारण इस काम की अपेक्षा रखती है।

§ 195. हिन्दी मे शोध कार्य की आवश्यकता—

अत्यन्त खेद से कहना पड़ता है कि जहाँ हिन्दी के तथा कथित हिन्दी नारा बाज 'हिन्दी भाषा हमारी है', 'हिन्दी का प्रचार हो' आदि निनाद गुंजाते हैं,

पद में हिन्दी के लिए वाद विवाद करते हैं और सम्मेलनों में हिन्दी प्रचार के प्रस्ताव पास करते हैं, वहां वे हिन्दी के ठोस कार्य के प्रति कम ध्यान देते हैं। उदाहरणार्थ हिन्दी की शिक्षा हिन्दी-भाषी क्षेत्र में और अहिन्दी भाषी क्षेत्र में किस प्रकार दी जाए—इस विषय पर कोई प्रमाणिक मंत्रणा उपलब्ध नहीं। जहां अंग्रेजी भाषा में बुद्धि परीक्षाएँ (Intelligence Tests) उपलब्धि परीक्षाएँ (Achievement Tests) 30 वर्ष पहले बन चुके, वहां हिन्दी भाषा में ऐसे प्रश्न-पत्रों का नितांत अभाव है। अंग्रेजी भाषा-शिक्षण के प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया; अनुसंधान हुआ है, विभिन्न प्रयोग हुए है, सैकड़ो ग्रन्थ छप चुके हैं और पूरी मंत्रणा (Guidance) प्राप्त है, परन्तु भारत की राष्ट्र-भाषा हिन्दी उस दिशा में अभी घुटनों के बल ही चल रही है और निर्देशहीन अध्यापकों के नेतृत्व में लड़खड़ा कर गिर पड़ती है। पढ़ने वालों की आम शिकायत है कि हिन्दी कठिन है।

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हिन्दी शिक्षण के किस किस क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता है। नीचे कतिपय समस्याएँ दी जाती हैं जिन के समाधान की अविलम्ब मांग है।

§ 196 हिन्दी शिक्षण में अनुसंधान के क्षेत्र—

(1) हिन्दी की एक आधार मूल शब्दावली (Basic Vocabulary) का निर्माण करना।

(2) हिन्दी की सभी कक्षाओं के लिए मानसिक अवस्था के अनुसार उपलब्धि परीक्षा पत्र (Achievement Tests) तैयार करना।

(3) हिन्दी की अक्षर-विन्यास की अशुद्धियों की जांच करना।

(4) हिन्दी का लिंगानुशासन और अहिन्दी भाषी प्रदेशों में उसकी शिक्षण विधि।

(5) हिन्दी की व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियों की जांच।

(6) हिन्दी की व्याकरण शिक्षण प्रणालियों का जांच और तुलनात्मक प्रयोग।

(7) हिन्दी के अक्षर-ज्ञान की विभिन्न प्रणालियों पर तुलनात्मक प्रयोग।

(8) हिन्दी के लिपि शिक्षण का विभिन्न विधियों पर तुलनात्मक प्रयोग।

(9) हिन्दी की ध्वनियों का भारत की अन्य भाषाओं की ध्वनियों के साथ तुलना और हिन्दी उच्चारण की शिक्षा में प्रयोग।

(10) विभिन्न राज्यों में प्रचलित हिन्दी पाठ्यपुस्तकों की शिक्षा सिद्धान्तों की दृष्टि से वैज्ञानिक जांच।

(11) रुचि और मानसिक अवस्था के अनुरूप बाल-साहित्य की आवश्यकताएं।

(12) हिन्दी की परिभाषाओं में सुधार।

(13) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी-शिक्षण की समस्याओं की जांच।

अभ्यासात्मक प्रश्न

1. अनुसन्धान से क्या तात्पर्य है ? हिन्दी भाषा की शिक्षा में अनुसन्धान की कितनी आवश्यकता है ? [§ 195-196]

2. हिन्दी भाषा की शिक्षा में अनुसंधान के कौन कौन से क्षेत्र हैं ? कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए और उनकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। [§ 19

3 हिन्दी भाषा की शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान की कौन कौन सी विधि अपनाई जा सकती हैं ? प्रत्येक का सोदाहरण विवरण दीजिए। [§ 19

4 भाषा-शिक्षा सम्बन्धी ऐसी दस समस्याओं का उल्लेख कीजिए, जो आप सम्मुख उपस्थित हैं उन पर शोध-कार्य करने के लिए शोध की जिन विधियों को आ अपनायेंगे, उनका पृथक विवरण दीजिए।

सहायक पुस्तकें

1. **Good, Barr and Scates;** *Methodology of Educational Research*
2 **Oliver** *Research in Education*
3 **Whitney :** *The Elements of Research.*
4. **Fleming, C M** *Research and Basic Curriculum (University of London Press). Ch. 2, 4, 5, 6, 7*
5. रावत शिक्षा में आकड़े

: ३५ :

पाठ योजना

§ 198. सामान्य परिचय—

कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में योजना की आवश्यकता पड़ती है। मकान बनाना हो, तो योजना तैयार करनी पड़ती है। योजना के बिना अभीष्ट सफलता नहीं मिल सकती। हमारी सरकार भी देश के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक निर्माण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आदि बनाती है। अध्यापक को भी इसी प्रकार पाठ पढ़ाने से पहले योजना आदि बनानी पड़ती है। यदि शिक्षक पाठ-शिक्षण के लिए भली भाँति तैयार नहीं, तो विद्यार्थी की समझ में भी कुछ नहीं आता।

(क) पाठ योजना के लाभ—

(1) पाठ योजना से यह निश्चित हो जाता है कि कब कितना पढ़ाना है।

(2) पाठ-योजना बनाने से शिक्षक नियम और क्रम से कार्य करता है, और उसकी पाठन-विधि सुव्यवस्थित हो जाती है।

(3) योजना बनाते समय, विषय का चुनाव, दृश्य और श्रव्य साधनों का चुनाव तथा पाठ सम्बन्धी अन्य क्रियाओं का चुनाव तथा प्रबन्ध करना पड़ता है। जिससे पाठ सफल हो जाता है।

(4) पाठ-योजना से शिक्षक में आत्मविश्वास बढ़ता है। आने वाली कठिनाइयों को जान कर और उनका सामना करने के लिए तैयार होकर, वह आत्मविश्वास के साथ कक्षा में पढ़ाता है।

(ख) पाठ-योजना की आवश्यकताएं

1. अध्यापक की पढ़ाने में रुचि हो।
2. वह पढ़ाने में आनन्द प्राप्त करता हो।
3. उसे अपने विषय की पूरी जानकारी हो।
4. उसे शिक्षण-विधि का पूरा ज्ञान हो।
5. वह शिक्षा-मनोविज्ञान के सिद्धान्तों से अभिज्ञ हो।
6. उसे विद्यार्थियों की अवस्था, रुचि, पूर्व-ज्ञान और [illegible] का पूरा ज्ञान हो।

(7) उसे दृश्य और श्रव्य साधनों का तथा उनके प्रयोग का ज्ञान हो।

(ग) योजना के दो प्रकार—

(1) सत्र भर के काम की योजना बनाना—पाठ्यक्रम (Syllabus) को मासिक, साप्ताहिक और दैनिक इकाइयों में बाँटना, और भाषा के विभिन्न प्रकार के पाठ (जैसे गद्य, पद्य, नाटक, व्याकरण, रचना, सुलेख, श्रुतलेख आदि) के लिए समय-चक्र (Time Table) तैयार करना।

(2) एक दिन के प्रत्येक पाठ की योजना तैयार करना—प्रथम प्रकार की योजना सरल होने पर भी अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना पाठ्यक्रम अभीष्ट समय में समाप्त न होने की आशंका रहती है और बहुधा ऐसे हो भी जाता है। ऐसी योजना तैयार करने के लिए अध्यापक को पाठ्यक्रम का अध्ययन तथा पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और सम्पूर्ण कार्य को बाँट कर, मास, सप्ताह और दिन का कार्य निश्चित कर लेना चाहिए।

द्वितीय प्रकार की योजना तैयार करने के लिए अध्यापक को एक पाठ की सीमा निर्धारित करके, उसकी शिक्षण विधि पर विचार करना चाहिए। ऐसी पाठ-योजना भी दो प्रकार की होती है—

(i) विस्तृत पाठ योजना—ये योजना उन अध्यापकों के लिये है, जो ट्रेनिंग कालिजों के छात्राध्यापक हों। क्योंकि उनको ट्रेनिंग प्राप्त करनी होती है, अत: उनको विस्तृत पाठ योजना बनानी होती है जिससे वे सफल और परिपूर्ण योजना द्वारा पाठ-शिक्षण में सफल हो जाएं। एक बार वे इस कार्य में प्रवीण बन गए, तो उनको फिर विस्तृत पाठ योजना बनाने की आवश्यकता नहीं रहती।

(ii) संक्षिप्त पाठ योजना—साधारण अध्यापकों को, जो प्रशिक्षित हों और जो विस्तृत पाठ-योजना तथा अध्यापनकला में प्रवीण हों, विस्तृत पाठ-योजना की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वे संक्षेप में पाठ की सीमा (जहां तक एक दिन में पढ़ाया जाए, पाठ के दृश्य और श्रव्य साधन, पाठन विधि, व्याख्या की टिप्पणियां तथा आवश्यक प्रश्न निर्धारित करके तथा अपनी डायरी में उसे लिख कर पाठ पढ़ाना आरम्भ करेंगे।

नीचे विस्तृत पाठ-योजना की एक रूप रेखा बताई जाती है।

§ 199 पाठ-योजना की रूप रेखा—

पाठ योजना बनाने के निम्न सोपान होते हैं—

1. अध्यापक, कक्षा, विषय आदि का उल्लेख जैसे—

   दिनांक... .. .. 4 नवम्बर, 1966

   अध्यापक का नाम.........चन्द्रधर शर्मा

विद्यार्थियों के सामने उनकी रुचि तथा पूर्वार्जित ज्ञान के आधार पर उपस्थित करने का यत्न किया जाता है । शिक्षक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की सहायता से उन्हें ऐसे प्रश्न पूछता है, जिनके उत्तर से पाठ का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तथा प्रस्तुत पाठ से सम्बन्ध जुड़ जाता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक नये पाठ में रुचि उत्पन्न करता है और विद्यार्थियों का ध्यान भी उसकी ओर आकर्षित करता है । इस प्रकार इस अवस्था मे विद्यार्थियों को पाठ पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है । संक्षेप में प्रस्तावना के अनेक लाभ हैं—

(i) पीछे की घण्टियों मे विद्यार्थियों का मन अन्य विषयों तथा पाठों में लगा रहता है । उन विषयों मे या पाठों से उनका ध्यान हटाने के लिए प्रस्तावना की आवश्यकता है।

(ii) मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार भी नये विचार को पुरानी विचार-शृङ्खला के साथ जोड़ने के लिए प्रस्तावना रूपी कड़ी की आवश्यकता पड़ती है।

विचारानुबन्ध या पूर्वानुवर्ती ज्ञान (Appreception of thought) समझे बिना अध्यापक की शिक्षण-विधि सफल नहीं हो सकती । बुनियादी शिक्षा में समवाय का सिद्धांत (Principle of Correlation) इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य पर अवलम्बित है। अत. नये पाठ का विद्यार्थी के प्राकृतिक वातावरण के साथ, या उद्योग के साथ, या पूर्व-पठित पाठ के साथ, अथवा पूर्व परिचित अन्य विषयों के साथ सम्बन्ध जोड़ना युक्तिसगत है। परन्तु अध्यापक को सावधानी से उपयुक्त प्रकार से ही सम्बन्ध जोड़ना चाहिए। सम्बन्ध न तो बनावटी हो और न जटिल । ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने के स्थान पर अज्ञान से ज्ञान की ओर नहीं जाना चाहिए । एक ही विषय, जैसे उद्योग के साथ ही प्रत्येक नवीन पाठ का सम्बन्ध जोड़ना बनावटी बन जाता है । तकली के सम्बन्ध मे प्रश्न पूछते हुए, प्राचीन काल मे तथा महात्मा बुद्ध के समय में तकली के प्रयोग पर पहुँचना और फिर उद्देश्य कथन करना कि आज हम महात्मा बुद्ध का पाठ पढ़ेंगे, बनावटी सम्बन्ध जोड़ना नहीं, तो और क्या है ?

(iii) प्रस्तावना मे उद्देश्य कथन (कि आज हम अमुक पाठ पढ़ेंगे), पाठ के लिए आवश्यक है, नहीं तो आरम्भ मे ही उद्देश्य कथन करना, अस्वाभाविक, आकस्मिक, असामयिक और अनुचित होता है।

(iv) प्रस्तावना से नये पाठ मे रुचि पैदा हो जाती है। विद्यार्थियों के मन में नया पाठ पढ़ने के लिए उत्सुकता और जिज्ञासा पैदा हो जाती है।

प्रस्तावना निम्न प्रकार से की जा सकती है :—

(क) प्रश्नों द्वारा । (ख) चित्र द्वारा । (ग) मूर्तियों (Models) द्वारा। (घ) भ्रमण द्वारा।

प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बातें नीचे बताई जाती हैं—

200. योजना का उचित प्रयोग—

(1) उपर्युक्त योजना का उद्देश्य पाठ सफल बनाना है। यह केवल साधन है, न कि साध्य। अतः यदि पाठ सफल हो, तो योजना भी सफल है। असफल पाठ की योजना कितनी भी विस्तृत हो, असफल ही कहलाएगी। हमारी मोटर मूल्यावान होकर भी तभी उपयोगी कहलाएगी, जब वह हमें अभीष्ट स्थान पर पहुँचा सकेगी। पाठ-योजना को भी इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए।

(2) पाठ-योजना में रूढ़िवादी नहीं बनना चाहिए। उपर्युक्त सोपान सहायक-मात्र हैं। इन निर्देशों का पालन करना, या न करना, अध्यापक के अपने हाथ में है। यह केवल निर्देश (Suggestions) हैं, आदेश नहीं। अध्यापक उनमें अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर सकता है। बहुधा देखा गया है कि रूढ़ि के बन्धन में पड़कर अध्यापक को वक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे आवृत्ति भी करानी है और गृह-कार्य के लिए प्रश्न भी लिखाने हैं, इस विचार से वे पाठ जल्दी-जल्दी समाप्त करने लगते हैं। रुचि बढ़ाने के लिए अवश्य ही चित्र भी उपस्थित करने हैं—इस विचार से वे बेढंगे चित्र लाकर अस्वाभाविक रूप में, जबकि पाठ का उन चित्रों के साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता, दिखाने लगते हैं। इस प्रकार कभी शब्दार्थ या व्याख्या अधूरी रहती है, कभी अस्वाभाविकता आ जाती है, कभी विद्यार्थियों के मन में शंकाएं बनी रहती हैं और कभी अध्यापक भी स्वयं अनुभव करता है कि पाठ सफल नहीं रहा। अध्यापक को याद रखना चाहिए कि पाठ की सफलता ही उसका लक्ष्य है। यदि उसकी शिक्षण-विधि ठीक हो, यदि विद्यार्थी पाठ भली भाँति समझ सकें और यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि के साथ ध्यानमग्न रहें तो अध्यापक का काम सिद्ध हुआ। सफल अध्यापक तैयारी खूब करते हैं, परन्तु योजना के बन्धन में नहीं पड़ते।

(3) बहुत समय से ट्रेनिंग कालिजों में एक पुराने शिक्षा-विचारक हर्बार्ट (Harbart) के पांच सोपान (Five Steps) सिखाये जाते रहे हैं। ये पांच सोपान निम्न हैं—

(1) प्रस्तावना (Introduction or Preparation)
(2) विषय प्रवेश (Presentation)
(3) व्यवस्था और तुलना (Comparison or Association)
(4) नियमीकरण (Generalisation) (5) अभ्यास (Application)

उपर्युक्त सोपानों में तीसरा और चौथा सोपान भाषा-शिक्षण के सम्बन्ध में उपयोगी नहीं। नियमीकरण केवल व्याकरण में होता है, गद्य या पद्य में नहीं। तुलना गद्य पढ़ाने में कभी यह नियम काम आ सके, अन्यथा नहीं। अतः ये सोपान सर्वथा प्रचलित नहीं रह सके। इनका यथोचित रूप ही इस प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है,

और. ये. सोपान. भी, के

(iii) नियमीकरण (Generalisation)।

(iv) निगमन प्रणाली द्वारा सिद्धान्त का प्रयोग (Application)

(ङ) रचना पाठ के लिए—

रचना की किसी न किसी, विधि द्वारा रचना का विस्तार। यदि रूप-रेखा-वि अपनाई जाए तो रचना की रूप-रेखा तथा प्रष्टव्य प्रश्न भी लिखने चाहिएं।

प्रत्येक पाठ के पढ़ने की विधि विस्तार पूर्वक पहले लिखी जा चुकी है। उ के अनुसार यहां पर अपने पाठ्य-पाठ को विस्तार पूर्वक लिखना चाहिए।

पाठ योजना का यही मार्ग प्रमुख और महत्वपूर्ण है। इसी से पाठ की सफल या असफलता का ज्ञान हो जाता है। पीछे भाषा शिक्षण के सम्बन्ध में जितनी भ विधियां या प्रणालियां बताई गई हैं, उनका प्रयोग यहां किया जा सकता है।

शब्दार्थ, उदाहरण, रूप-रेखा, मान-चित्र, तालिका आदि लिखने के लिए श्याम पट का भी प्रयोग करना पड़ता है। पाठ-योजना में उसका भी उल्लेख करना चाहिए।

(8) आवृत्ति (Recapitulation)—मूल पाठ पढ़ाने के बाद उसे दुहराने की आवश्यकता भी पड़ती है। क्योंकि दुहराने के बिना पाठ अधूरा रह जाता है। दो तीन मिनटों में समस्त पाठ के सम्बन्ध में कुछ चुने चुने, आवश्यक प्रश्न पूछने चाहिएं। जिन से सारे पाठ की एक आवृत्ति (Revision) हो जाए और सभी विचार चल-चित्र की भांति विद्यार्थियों के सामने क्रमपूर्वक आ जाए।

(9) प्रयोग, 'अभ्यास या गृह कार्य (Application and Home-Task)—अर्जित ज्ञान को स्थाई रखने के लिए प्रयोग (Application) की आवश्यकता है। यदि सीखे हुए ज्ञान को प्रयोग का अवसर नहीं मिलता, तो वह लुप्त हो जाता है। इस सम्बन्ध में पाठ में दिए हुए अभ्यासात्मक प्रश्नों का उत्तर घर पर लिख कर लाने के लिए कहना चाहिए। गद्य का पाठ हो, तो शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, गद्यांश-सार, समीक्षा कथा वर्णन आदि के प्रश्न पूछने चाहिए। पद्य का पाठ हो तो किसी पद की व्याख्या लिख कर लाने के लिये कहनी चाहिए। नाटक पाठ में, किसी पात्र का चरित्र-चित्रण, अथवा कथा-सार लिखने का आदेश देना चाहिए। व्याकरण-पाठ में पढ़ाए हुए सिद्धान्त के प्रयोग के लिए कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। जिनका उत्तर वे घर पर लिख कर लाएं। कक्षा में मौखिक रचना समाप्त होने के बाद, उसी विषय को घर पर लिखित रूप में लाने के लिए कहना चाहिए। इसी प्रकार द्रुत पाठ के अन्त में पाठ के सम्बन्ध में कई प्रश्नों का उत्तर घर पर लिख कर लाने के लिए कहना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का घर पर लिख कर लाना ही पर्याप्त नहीं, लिखित कार्य का संशोधन जब तक न हो, तब तक प्रयोग या अभ्यास पूर्ण नहीं। संशोधन करने की विधि पहले बताई जा चुकी है,

संक्षेप में यह पाठ-योजना की रूप-रेखा है, जो अध्यापक का पथ-निर्देश कर सकती है। परन्तु कभी-कभी इस प्रकार की योजना का दुरुपयोग भी हुआ है। इसलिये योजना

प्रयोग के सम्बन्ध मे कुछ आवश्यक बातें नीचे बताई जाती है—

§ 200 योजना का उचित प्रयोग—

(1) उपर्युक्त योजना का उद्देश्य पाठ सफल बनाना है। यह केवल साधन है, न कि साध्य। अतः यदि पाठ सफल हो, तो योजना भी सफल है। असफल पाठ की योजना कितनी भी विस्तृत हो, असफल ही कहलाएगी। हमारी मोटर मूल्यवान होकर भी तभी उपयोगी कहलाएगी, जब वह हमें अभीष्ट स्थान पर पहुंचा सकेगी। पाठ-योजना को भी इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए।

(2) पाठ योजना मे रूढ़िवादी नही बनना चाहिए। उपर्युक्त सोपान सहायक-मात्र हैं। इन निर्देशों का पालन करना, या न करना, अध्यापक के अपने हाथ मे है। यह केवल निर्देश (Suggestions) हैं, आदेश नहीं। अध्यापक उनमे अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर सकता है। बहुधा देखा गया है कि रूढ़ि के बन्धन मे पड़कर अध्यापक को कक्षा मे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे आवृत्ति भी करानी है और गृह-कार्य के लिए प्रश्न भी लिखाने हैं, इस विचार से वे पाठ जल्दी-जल्दी समाप्त करने लगते हैं। रुचि बढ़ाने के लिए अवश्य ही चित्र भी उपस्थित करने हैं—इस विचार से वे बेढंगे चित्र लाकर अस्वाभाविक रूप से, जबकि पाठ का उन चित्रों के साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता, दिखाने लगते हैं। इस प्रकार कभी शब्दार्थ या व्याख्या अधूरी रहती है, कभी अस्वाभाविकता आ जाती है, कभी विद्यार्थियों के मन मे शकाएं बनी रहती हैं और कभी अध्यापक भी स्वयं अनुभव करता है कि पाठ सफल नहीं रहा। अध्यापक को याद रखना चाहिए कि पाठ की सफलता ही उसका लक्ष्य है। यदि उसकी शिक्षण-विधि ठीक हो, यदि विद्यार्थी पाठ भली भाँति समझ सकें और यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि के साथ ध्यानमग्न रहे तो अध्यापक का काम सिद्ध हुआ। सफल अध्यापक तैयारी खूब करते हैं परन्तु योजना के बन्धन मे नहीं पड़ते।

(3) बहुत समय से ट्रेनिंग कालिजो मे एक पुराने शिक्षा-विचारक हर्बर्ट (Harbart) के पाच सोपान (Five Steps) सिखाये जाते रहे हैं। ये पाच सोपान निम्न हैं—

(1) प्रस्तावना (Introduction or Preparation)
(2) विषय प्रवेश (Presentation)
(3) व्यवस्था और तुलना (Comparison or Association)
(4) नियमीकरण (Generalisation) (5) अभ्यास (Application)

उपर्युक्त सोपानो मे तीसरा और चौथा सोपान भाषा-शिक्षण के सम्बन्ध मे उपयोगी नहीं। नियमीकरण केवल व्याकरण में होता है, गद्य या पद्य मे नहीं। तुलना पद्य पढ़ाने में कभी यह नियम काम आ सके, अन्यथा नहीं। अतः ये सोपान सर्वथा प्रचलित नहीं रह सके। इनका संशोधित रूप ही इस प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, और ये सोपान भी, जैसे पहले कहा गया है, सहायक मात्र है, आदर्श नहीं।

प्रश्न :— 1 जब हम कल सैर को गए तो आपने कौन कौन से पक्षी देखे ?

(2) चिडिया किस प्रकार के जीव हैं ?

(3) वे अपना घर कहा बनाती हैं ?

भूमिका : — इस प्रकार उपरोक्त प्रश्नो द्वारा छात्रो के पूर्व ज्ञान की परीक्षा ली जायेगी । भूमिका को आकर्षक बनाकर नये पाठ का सम्बन्ध कल की सैर से प्राप्त किए हुए पूर्व ज्ञान से जोड़ा जायेगा ।

उद्देश्य कथन :— यहा पर अध्यापिका स्पष्ट शब्दों में बता देगी कि आज हम पृष्ठ 23 पर 'नन्हीं चिड़िया' नामक पाठ पढ़ेंगे ।

विषय उपस्थापन .— विद्यार्थियो के पूर्व ज्ञान के आधार पर अध्यापिका द्वारा विषय उपस्थित करने का प्रयत्न किया जाएगा । तथा छात्रो को 'नन्ही चिडियो' का चार्ट दिखाया जायेगा, और पुस्तकें निकालने को कहा जायेगा ।

वस्तु

"गद्यांश"

"ये नन्हीं चिडिया'

'यह तो सभी को विदित है कि चिडिया किस प्रकार के जीव हैं, कहा रहती हैं और किस प्रकार अपना पेट पालती हैं । परन्तु ऐसे मनुष्य विरले ही होंगे जिन्होने दो-चार प्रकार की चिडिया पाली हो, और उन्हें देखकर यह जानने का प्रयत्न किया हो कि यह किस प्रकार अडे देती हैं, छोटे बच्चो को खिलाती हैं और बड़े होने पर उन्हे चलना, फिरना और उडना सिखलाती हैं ।

ये सब बातें पालतू चिडियो मे स्वाभाविक दशा में नही पाई जाती । क्योंकि उनको खाने-पीने की सारी सामग्री पिजरे के भीतर ही दे दी जाती है । इससे उनको कुछ भी परिश्रम नही करना पडता । उनके कामो और स्वाभाविक रहन-सहन को हम तभी जान सकते हैं, जब हम यह देखें कि घोंसलों मे रहने वाली चिडिया, किस प्रकार घर बना कर अडे देती हैं, उनको सेती हैं, तथा अपना और अपने बच्चों का पेट पालती हैं ।'

आदर्श-वाचन :— जब सब विद्यार्थी पुस्तकें निकाल लेंगे तो सर्वप्रथम अध्यापिका आदर्श-वाचन करेगी । पढ़ते समय वह यति, विराम का ध्यान रख कर पढ़ेगी, तथा स्वर, तान, लय का पूर्ण ध्यान रखेगी । अध्यापिका शुद्ध भाषा मे पढ़ेगी, ताकि छात्रों को समझने मे कठिनाई हो । अध्यापिका का यत्न, आदर्शवाचन होगा ।

मौन-पाठ :— व्याख्या तथा व्याकरण के पश्चात् मौन-पाठ का अवसर दिया जायेगा, ताकि बच्चे पाठ को भली-प्रकार समझ सकें।

पुनरावृति :— "नन्ही चिड़ियों" के विषय में जो कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ा है, उसकी आवृत्ति के लिये तथा यह मालूम करने के लिये विद्यार्थियों को पाठ समझ आया है या नहीं, निम्न प्रश्न पूछे जायेंगे—

प्रश्न :— (1) चिड़ियाँ अपना घर कहाँ बनाती है ?

(2) चिड़िया अपने बच्चों को पालना किस प्रकार करती हैं ?

(3) पालतु चिड़ियों और जंगली चिड़ियों में क्या अन्तर है ?

(4) जंगली चिड़ियों को क्या परिश्रम करना पड़ता है ?

श्याम-पट कार्य— पाठ विस्तार में पाठ की व्याख्या करते समय तथा व्याकरण प्रयोग के समय आवश्यकता अनुसार भली भान्ति श्याम पट का प्रयोग किया जायेगा। कठिन शब्दों की व्याख्या भी श्याम पट पर की जायेगी।

गृह कार्य .— बच्चों को निम्न गृह-कार्य दिया जायेगा।

गृह कार्य .— रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।

(1) सभी को विदित है कि (चिड़िया) किस प्रकार के जीव हैं ?

(2) जंगली चिड़ियों को अधिक (परिश्रम करना पड़ता है।

निम्न शब्दों के अर्थ लिख कर वाक्य बनाओ—

शब्द

स्वाभाविक, निस्तब्धता, प्रकाश, धन्यवाद, स्वागत, असहाय, अद्भुत

(3) "मजा होता अगर होती मैं चिड़िया में" इस शीर्षक को सामने रख कर एक लेख लिखो जिस में चिड़िया के रूप में अपने जीवन का हाल लिखा हो।

पाठ संकेत २.

दिनांक — अवधि : 35 मिनट

विषय—हिन्दी — प्रकरण : श्रुतलेख

कक्षा—पांचवीं — विद्यार्थियों की आयु : 10 वर्ष

सामान्य उद्देश्य : बच्चों के सूक्ति भण्डार तथा [illegible] ज्ञान में वृद्धि करना।

कठिन शब्दों को समझाना।

विशेष उद्देश्य — बच्चो को श्रुतलेख लिखवाना तथा शब्दो को ठीक रूप से लिखवाना।

बच्चो को दत्तचित्त होकर बोली हुई भाषा को शुद्धता एवं स्वच्छता पूर्वक लिखने का अभ्यास कराना।

बच्चों को भाषा के क्लिष्ट शब्दो को शुद्धतापूर्वक लिखने के योग्य बनाना तथा उन मे सुलेख लिखने की इच्छा उत्पन्न करना।

सहायक सामग्री — कक्षा मे साधारणतया प्रयोग किए जाने वाला सामान (चाक, डस्टर, श्यामपट तथा पाठ्यपुस्तक)

पूर्व ज्ञान — बच्चे पाठ पुस्तको के कई पाठ पढ चुके हैं तथा बोली हुई सरल भाषा को सुगमता पूर्वक लिख सकते हैं।

प्रस्तावना — श्रुतलेख के लिए चुने गये अनुच्छेद को एक बार पढ़कर बच्चो को सुनाया जाएगा। बोले हुए गद्य खण्ड के क्लिष्ट शब्दों को श्यामपट पर लिख दिया जाएगा।

उद्देश्य कथन — बच्चो! आज हम श्रुतलिपि लिखेंगे इसलिए अपनी अभ्यास पुस्तकाए तथा लेखनी इत्यादि निकालो।

प्रस्तुतीकरण — बच्चो के पूर्ण ज्ञान के आधार पर विषय उपस्थित करने का प्रयत्न किया जाएगा और नीचे लिखी विधि के अनुसार अनु- लिखाया जाएगा।

शुद्ध तथा साफ आवाज मे पहले एक लाइन बोली ... और बच्चे लिखेंगे। एक एक लाइन को दो तीन बार बोला ... ताकि बच्चे अच्छी तरह समझ सकें। उचित विरामों ... उच्चारण तथा उदात्त अनुदात्त का विशेष तौर पर ... जाएगा।

सारा गद्यांश बच्चो के लिख लेने पर वही ... फिर बोला जाएगा ताकि बच्चों का यदि कोई शब्द ... वे उसे ठीक कर लें।

कक्षा मे भी बच्चो का सभी प्रकार निरी- ... ताकि बच्चे एक दूसरे की नकल न कर सकें।

बच्चों के बैठने और लिखने के आसन ... दिया जाएगा।

गद्यांश लिखने के बाद प्रत्येक ... पुस्तिका बदलवा कर उसे तीसरे बालक ...

कम्पित, स्पन्दित हो पल २, नर्तन
करती है जलधारा
बहती रहती है जलधारा ।

छात्रों द्वारा सुस्वर वाचन :—

कि कविता का अर्थ श्रवण द्वारा ही गतार्थ हो जाये ।

अध्यापक द्वारा आदर्श पाठ के उपरान्त बालकों द्वारा व्यक्तिगत सुस्वर वाचन कराया जायेगा ।

वाचन के समय ध्यान रखा जायेगा कि वाचन शुद्ध तथा भावानुकूल हो ।

इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि जब एक छात्र पढ़ रहा होगा तो अन्य सभी ध्यानपूर्वक सुनें और अशुद्धियां बतावें ।

श्रेणी अनुशासन का भी ध्यान रखा जायेगा ।

कठिन शब्दों के अर्थ तथा कविता की व्याख्या —

निम्नलिखित शब्दों के अर्थ प्रथम तो छात्रों से पूछे जायेंगे अगर वे न बता सकें तो अध्यापिका स्वयं बता देगी ।

जलधारा = जल + धारा,
प्रति = (1) लिये (2) हर, हमेशा
विटप = वृक्ष ।
जंगल = वन = जंगल
मंगल = खुशी ।
नित = रोज ।
आलिंगन = बाहुपाश ।
सुमन = फूल ।
क्रीड़ा = खेल ।
चंचल = सदैव हिलने वाला, जो स्थिर न रह सके ।
अविरल = बिना रुके ।
कम्पित = कांपता हुआ ।
स्पन्दित = कांपता हुआ ।

जिस प्रकार जलधारा के पथ में बाधायें आती हैं उसी प्रकार मानव के जीवन में भी बाधायें आती हैं परन्तु हमें उन विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि जलधारा की भांति ही हंसते खेलते आगे बढ़ना चाहिए।

आवृत्ति—प्रश्न पूछे जायेंगे—

1. जलधारा कल-कल बहती है।
2. जलधारा विटपों का आलिंगन किस प्रकार करती है?
3. जलधारा का जीवन पथ कैसा है?
4. कवि ने मानव को क्या शिक्षा दी है?

गृह-कार्य—निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करके लाइये।
वन, अविरल, क्रीड़ा, स्पन्दित।

पाठ योजना ४.

कक्षा—सातवीं | विद्यार्थियों की औसत आयु=13
विषय—हिन्दी (गद्य) | प्रकरण=गुरुदेव रवीन्द्र
समय 40 मि

सहायक सामग्री—श्यामपट, चाक, झाड़न, पाठ्यपुस्तक और महर्षि टैगोर का चित्र।

पाठ उद्देश्य—

सामान्य उद्देश्य—पाठ को आकर्षक तथा प्रभावोत्पादक बनाते हुए छात्रों को पाठ पढ़ने के लिये प्रेरित करना।

छात्राओं के शब्द भण्डार और सूक्ति भण्डार की वृद्धि करना।

छात्राओं की लिपि का ज्ञान प्रदान करना तथा भिन्न भिन्न शैलियों से परिचित कराना।

छात्राओं की बोध शक्ति का विकास करना ताकि छात्रायें विचार ग्रहण कर सकें।

बालिकाओं के व्यावहारिक ज्ञान वृद्धि कराना ताकि वह आनन्द ले सकें।

बालिकाओं की कल्पना शक्ति का विकास करना।

विशेष उद्देश्य :—

छात्राओं का उच्चारण सुधारना।

छात्राओं को 'गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर' के विषय में ज्ञान देना।

शब्दों की व्याख्या —

ब्द	
हत्ता	इस शब्द का पर्यायवाची शब्द अध्यापिका (महानता) बताएगी ।
चिरकाल	इस शब्द को अध्यापिका खण्ड-खण्ड करके समझाएगी। चिर+काल । 'चिर', का अर्थ होता है देर और 'काल' का अर्थ है समय, अर्थात् देर से ।
कुशाग्र बुद्धि	कुशाग्र+बुद्धि । कुशाग्र का अर्थ है प्रखर या तेज, बुद्धि का अर्थ है दिमाग । अत प्रखर बुद्धि वाला ।
वक्तृता	वक्तृता शब्द वक्ता से बना है । वक्ता का अर्थ है बोलने वाला और वक्तृता का अर्थ है वाणी ।
हृदय हारिणी	हृदय+हारिणी । हृदय का अर्थ मन और हारिणी का अर्थ है आकर्षित करना । अत: मन को प्रसन्न करने वाली या आकर्षित करने वाली ।
आराधक	"आराधक" शब्द आराधना से बना है। आराधना का अभिप्राय है पूजा करना इसलिए आराधक का अर्थ पुजारी होगा।
आख्यायिकाएं	आख्यायिकायें शब्द का अर्थ पर्यायवाची शब्द कहानियां आदि द्वारा बताया जाएगा । अत. किस्से कहानियाँ ।

व्याकरण तथा प्रयोग :—कठिन शब्दावली को सरल करने के लिए बालिकाओं को वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा उनके असमर्थ होने पर अध्यापिका द्वारा ठीक करने का प्रयास किया जाएगा और निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति व्याकरण का ज्ञान प्रदान करने के लिए कराई जाएगी ।

(1) रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी... .का परिचय दिया ।

(2) वह... .भी अच्छे थे ।

(3) उनकी वक्तृता बड़ी ही ...।

(4) गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ..थे ।

इस प्रकार बालिकाओं को प्रयोग का समय दिया जाएगा ।

मौन पाठ :— इस प्रकार व्याख्या और व्याकरण तथा प्रयोग के पश्चात् बालिकाओं का मौन पाठ करने के लिए कहा जाएगा ताकि जो कुछ बालिकाओं ने पढ़ा है उसके विषय में वह स्वाध्याय कर पायें तथा कुछ सोच विचार से काम लें ।

बोध परीक्षा :—'गुरु देव रवीन्द्र नाथ टैगोर' के विषय में जो कुछ बालिकाओं ने पढ़ा है उसकी आवृत्ति के लिये और यह मालूम करने के लिये कि बालिकाओं ने इस विषय में कितना ज्ञान प्राप्त किया है निम्नलिखित प्रश्न पूछे जायेंगे ।

समवाय का अवसर :—बच्चे ताजमहल देखने के लिए रेल द्वारा यात्रा करके वापिस आए हैं और वह रेलवे स्टेशन के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। बच्चों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जायेंगे :—

(1) बच्चो ! आने जाने के कौन से साधन हैं ?

(2) जब आप ताजमहल देखने गये तो आप ने किस साधन से यात्रा की ?

(3) जहाँ रेलगाड़ी ठहरती है उस स्थान को क्या कहते हैं ?

(4) स्टेशन पर गाड़ी आते समय कैसा दृश्य होता है।

उद्देश्य कथन :—इन प्रश्नों का उत्तर पाकर अध्यापिका उद्देश्य कथन करेगी कि आज हम 'रेलवे स्टेशन के दृश्य' पर लिखेंगे।

प्रस्तावना—शिक्षिका विधि को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर प्रश्नोत्तर प्रणाली का अनुकरण करेगी। साथ ही साथ श्यामपट का यथायोग्य प्रयोग भी करेगी।

प्रस्तुतीकरण—

वस्तु	विधि
	अध्यापिका चार्ट खोलेगी और बुकिंग आफिस की ओर संकेत करती हुई बच्चों से पूछेगी।
यह टिकट घर है।	(1) बच्चो ! यह क्या है ?
गाड़ी पर यात्रा करने के लिये हमें टिकट घर से टिकट खरीदनी पड़ती है, तभी यात्रा करने की आज्ञा मिलती है।	(2) गाड़ी पर यात्रा करने की आज्ञा कैसे मिलती है ?
बगैर टिकट के गाड़ी पर यात्रा करने से यात्री पुलिस द्वारा, टी टी. द्वारा पकड़ा जाता है।	(3) टिकट न खरीदने से क्या होता है ?
गाड़ी आने से पहले यात्री लोग विश्राम गृह में बैठते हैं।	(4) गाड़ी आने से पहले यात्री लोग कहाँ पर बैठते हैं ?
	चार्ट में रेलगाड़ी की ओर संकेत करते हुए अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछेगी—
यह रेल गाड़ी है।	(5) यह क्या है ?
यह लकड़ी और लोहे की बनी हुई है।	(6) यह किस चीज़ की बनी हुई है ?
रेल में बैठने के लिए सीटों का प्रबन्ध होता है।	(7) रेल में बैठने का क्या प्रबन्ध होता है ?

(1) रवीन्द्र नाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था ?

(2) टैगोर के पिता का क्या नाम था ? और टैगोर ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी ?

(3) गुरु देव ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय कैसे दिया ?

(4) टैगोर ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का सम्पादन किया हुआ है ?

(5) रवीन्द्र नाथ टैगोर देश भक्त थे यह युक्ति कहा तक सिद्ध है ? इस पर अपने विचार प्रकट करो ।

गृह कार्य :—गृह कार्य के लिए बालिकाओं को "गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर" के विषय में अपने शब्दों में एक लेख लिखने के लिए दिया जाएगा ।

(6) श्याम पट कार्य :—पाठ-विस्तार में पाठ की व्याख्या करते समय तथा व्याकरण और प्रयोग के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार भली भांति श्यामपट का प्रयोग किया जाएगा ।

पाठ योजना ५.

कक्षा .. .. छठी

औसत आयु... ... ... 11 वर्ष

विषय .. .. हिन्दी

उपविषय .. .. निबन्ध 'रेलवे स्टेशन का दृश्य'

सहायक सामग्री :—

एक सहायक कमरा या कक्षा भवन, श्यामपट, झाड़न, चाक, एक रेलवे स्टेशन का बड़ा चार्ट, संकेत करने के लिए एक बड़ा फुटा ।

सामान्य उद्देश्य :—

(1) भाव अभिव्यक्ति को प्रकट करना ।

(2) लेखन शक्ति को बढ़ाना ।

(3) शब्द भण्डार में वृद्धि करना ।

(4) बच्चों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना ।

(5) बच्चों के शुद्ध विचार प्रकट शक्ति को प्रोत्साहित करना ।

विशेष उद्देश्य —

(1) बच्चों को रेलवे स्टेशन से परिचित कराना । तथा उन्हें मौखिक रूप प्रकाशन का अवसर देना ।

(2) चार्ट पर चित्र वस्तुओं को दिखा कर उनकी तर्क बुद्धि का विकास करना ।

[illegible] :—[illegible] ।

समवाय का अवसर :—बच्चे ताजमहल देखने के लिए रेल द्वारा यात्रा करके वापिस आए हैं और वह रेलवे स्टेशन के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। बच्चों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जायेंगे :—

(1) बच्चो ! आने जाने के कौन से साधन हैं ?

(2) जब आप ताजमहल देखने गये तो आप ने किस साधन से यात्रा की ?

(3) जहाँ रेलगाड़ी ठहरती है उस स्थान को क्या कहते हैं ?

(4) स्टेशन पर गाड़ी आते समय कैसा दृश्य होता है।

उद्देश्य कथन :—इन प्रश्नों का उत्तर पाकर अध्यापिका उद्देश्य कथन करेगी 'कि आज हम रेलवे स्टेशन के दृश्य' पर लिखेंगे।

प्रस्तावना—शिक्षिका विधि को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर प्रश्नोत्तर प्रणाली का अनुसरण करेगी। साथ ही साथ श्यामपट का यथायोग्य प्रयोग भी करेगी।

प्रस्तुतीकरण—

वस्तु	विधि
	[अध्यापिका चार्ट खोलेगी और बुकिंग आफिस की ओर संकेत करती हुई बच्चों से पूछेगी।
यह टिकट घर है।	(1) बच्चो ! यह क्या है ?
गाड़ी पर यात्रा करने के लिये हमें टिकट घर से टिकट खरीदनी पड़ती है, तभी यात्रा करने की आज्ञा मिलती है।	(2) गाड़ी पर यात्रा करने की आज्ञा कैसे मिलती है ?
बगैर टिकट के गाड़ी पर यात्रा करने से यात्री पुलिस द्वारा, टी. टी. द्वारा पकड़ा जाता है।	(3) टिकट न खरीदने से क्या होता है ?
गाड़ी आने से पहले यात्री लोग विश्राम गृह में बैठते हैं।	(4) गाड़ी आने से पहले यात्री लोग कहां पर बैठते हैं ?
	[चार्ट में रेलगाड़ी की ओर संकेत करते हुए अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछेगी—]
यह रेल गाड़ी है।	(5) यह क्या है ?
यह लकड़ी और लोहे की बनी हुई है।	(6) यह किस चीज़ की बनी हुई है ?
रेल में बैठने के लिए सीटस का प्रबन्ध होता है।	(7) रेल में बैठने का क्या प्रबन्ध होता है ?

यह लकडी और लोहे की बनी होती है।

इनमें बिजली के पखे, बिजली, टट्टी व गुसलखाने का प्रबन्ध भी होता है ।

रेल मे तीन प्रकार के दर्जे होते हैं । (फस्ट, सेकिण्ड, थर्ड) ।

ये गद्दीदार होती हैं ।

यह कुली है ।

यह मुसाफरो का मामान गाडी पर रखता है व कइयो का सामान उतारता भी है ।

यह गार्ड है ।

इस के हाथ मे सावी भण्डी है ।

मावी भण्डी के दिखाने से गाडी चल रही है ?

गाडी आने पर रेलवे स्टेशन का दृश्य देखने योग्य होता है । कई यात्री गाडी से नीचे उतरते हैं । कई यात्री गाडी मे बैठते हैं । कुली लोग इधर सामान उठाने के लिए तथा पैसे कमाने के लिए भागते हैं । खावड़ी वाले अपनी चीज़ों को बेचने के लिए ऊँची ऊँची आवाजें लगाते हैं ।

स्टेशन पर बड़ी भाग-दौड होती है । पुल पर भी लोग आते जाते दिखाई देते हैं ।

(8) सीटें किस चीज की बनी हुई हैं ?

(9) रेल के डिब्बों में यात्रियों के आर के लिए और क्या क्या वस होती है ?

(10) रेल मे कितने प्रकार के दर्जे होते हैं

(11) पहले और दूसरे दर्जे की सीटें कै बनी होती है ?

[चार्ट मे कुली की तरफ सकेत करते क हुए :—

(12) यह खास कपडों वाला कौन है ?

[गार्ड की तरफ सकेत करते हुए —

(13) यह कौन है ?

(14) इसके हाथ मे क्या है ?

(15) मावी भण्डी से क्या अभिप्राय: है ?

(16) स्टेशन पर गाडी आने के समय कैसा दृश्य होता है ?

(17) गाड़ी चले जाने पर स्टेशन की दशा कैसी होती है ?

गाड़ी चले जाने से स्टेशन पर सन्नाटा सा छा जाता है। दुकानदार व छावड़ी वाले अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। वही स्टेशन जिस पर कि पाँच मिनट पहले मेला लगा हुआ था अब दो चार दुकानदारों के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।

पुनरावृत्ति—यह ज्ञान करने के लिए बच्चों को पढ़ाए गए पाठ की समझ आ गई या कि नहीं अध्यापिका निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी।

(1) रेल के ठहरने के स्थान को क्या कहते हैं ?

(2) हम यात्रा कैसे करते हैं ?

(3) स्टेशन पर आप क्या देखते हैं ?

(4) रेल चले जाने पर स्टेशन कैसे दिखाई देता है ?

(5) बगैर टिकट के यात्रा करने से क्या होता है ?

श्यामपट कार्य—बच्चों को निबन्ध की रूप रेखा श्यामपट पर लिखी जायेगी तथा बच्चों को कापी-पैन्सिल निकालने के लिए कहा जाएगा ताकि वह रूप रेखा लिख कर घर में पूरा करके आ सकें।

रेल ठहरने के स्थान को—यहां पर बुकिंग आफिस, विश्राम गृह, स्टाल इत्यादि—गाड़ी के आने पर रेलवे स्टेशन का दृश्य—कुलियों का इधर उधर भागना—गार्ड का हरी झण्डी दिखाना—गाड़ी का चल पड़ना—गाड़ी के चले जाने पर रेलवे स्टेशन का दृश्य...... ?

गृह कार्य—"रेलवे स्टेशन के दृश्य" का निबन्ध घर से लिख कर लाने को कहेगी ?

पाठ योजना ६.

हिन्दी कहावतें

कक्षा.. ...... सातवीं औसत आयु.........12 वर्ष, विषय.........हिन्दी

प्रकरण...............कहावतें (लोकोक्तियां), समय..................40 मिनट

सहायक सामग्री :— कक्षा का साधारण सामान-श्यामपट, चाक् आदि कहावतों के चार्ट—

उद्देश्य :— (1) विद्यार्थियों को कहावतों के शुद्ध प्रयोग करने में सहायता करना।

(2) कहावतो के सरल तथा छोटे वाक्य बनाने मे उनकी सहायता करना।

(3) उनकी शब्दावली मे वृद्धि करना।

पूर्व ज्ञान :— विद्यार्थी पहले से ही कुछ मुहावरों के अर्थ जानते हैं और उन का वाक्य मे प्रयोग कर सकते हैं।

पूर्व ज्ञान परीक्षा .— विद्यार्थियो से एक दो मुहावरों के तथा एक आध कहावत का अर्थ पूछ कर मुहावरे तथा कहावतो के अन्तर को स्पष्ट कर दिया जाएगा—

(1) ईंट से ईंट बजाना=नष्ट भ्रष्ट कर देना।

(2) जी चुराना=परिश्रम से भागना।

(3) मान न मान मैं तेरा महमान =हठात् किसी के गले पड़ना।

लोगो के अनुभवो का सार संक्षिप्त रूप मे अत्यन्त प्रसिद्ध हो जाए तो उसे लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। मुहावरा केवल एक वाक्यांश होता है जैसे—राम ने लंका की ईंट से ईंट बजाई एक मुहावरा है—लेकिन कहावत एक स्वतन्त्र वाक्य है जैसे—मान न मान मैं तेरा महमान—

उद्देश्य कथन :— आओ ? आज हम कुछ कहावतें करेंगे और देखेंगे कि आप उन मे से कुछ जानते हैं या नहीं।

पाठ विस्तार

विषय	शिक्षण-विधि
(1) हवाई किला बनाना :—	सर्वप्रथम शिक्षिका विद्यार्थियो को एक चार्ट दिखाएगी जिस में "हवाई

किला बनाना'' नामक कहावत के चित्र बने हुए होंगे—

विद्यार्थियों से यह पूछा जाएगा कि क्या वह इस प्रकार की कोई कहावत जानते हैं ? यदि बच्चे जवाब न दे सकें तो नीचे लिखे प्रश्न पूछ कर उन से कहावतें निकलवाई जायेंगी।

(1) पहले चित्र मे औरत ने क्या उठाया हुआ है।

(2) जब उस का मटका टूटा तो वह क्या सोच रही थी ?

(3) तो इसमे कौन सी कहावत प्रसिद्ध हुई ?

(4) इस कहावत का क्या अर्थ है ?

(5) इस कहावत को वाक्य में प्रयोग करो ?

औरत ने अपने सिर पर दूध का मटका बेचने के लिए उठाया हुआ है।

यह सोच रही थी कि वह कैसे अमीर बन जायेगी।

''हवाई किले बनाना''

दिन को स्वप्न देखना लेकिन उसे कार्य रूप मे परिणत न करना।

प्राय: लड़कियाँ अपने भविष्य के दिन को स्वप्न देखा करती हैं लेकिन कोई ऐसा काम नही करती जिस से वह प्राप्त कर सकें। वास्तव मे वह तो केवल हवाई किले बनाती रहती हैं।

(2) अभिमान का सिरा नीचा :— अब शिक्षिका विद्यार्थियों को दूसरा चार्ट दिखाएगी जिसमें कछुआ और खरगोश नामक कहानी के चित्र होंगे। शिक्षिका निम्न प्रश्नो द्वारा उस कहानी का सार बच्चो से निकलवाएगी।

(2) पहले चित्र मे आप क्या देखते हैं अर्थात् कछुआ और खरगोश क्या करने का निश्चय कर रहे हैं ?

(2) खरगोश जब कछुए से काफी आगे निकल गया तो उसने क्या किया ?

(3) कछुए ने क्या किया ?

खरगोश ने अपनी तेज गति का अभिमान करते हुए एक छोटे से कछुए से मुकाबला करने का फैसला किया।

अभिमान के कारण वह रास्ते में एक झाड़ी मे छिप कर सो गया था लेकिन कछुआ लगातार चलता ही रहा जिस से वह निश्चित स्थान पर खरगोश से पहले पहुँच गया।

अभिमानी का सिर नीचा

वाक्य । — अभिमान कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि अभिमानी का सिर सदा नीचा होता है।

(3) डूबते को तिनके का सहारा
संकट में पड़े हुए को थोड़ा सा सहारा मिलना —

वाक्य — दुर्भिक्ष पीड़ित बंगाल को यदि कुछ भी अन्न मिल गया होता, तो डूबते को तिनके का सहारा हो जाता।

(4) एक पंथ दो काज —
परिणाम एक, काम दो। —

वाक्य — राम ने बाघ को जिस समय देखा उसी समय उस ने अपने तरकश से बाण छोड़ दिया बाघ मर गया इस से एक तो निरीहों की ज़िन्दगी बच गई दूसरा, बाघ की खाल से चर्म आदि बनाए गए।

इस प्रकार एक पंथ दो काज की कहावत प्रसिद्ध हो गई।

(5) 'आधी छोड़ सारी को धावे
आधी रहे न सारी पावे।'
लालच बुरी बला है।
वाक्य — लालच कभी नहीं करना चाहिए।

(6) एकता में बल है —
मिलाप में बहुत शक्ति है। कोई भी बड़े से बड़ा काम अकेला मनुष्य नहीं कर सकता।

वाक्य — सदा एकता के सूत्र में बंधे होना चाहिए क्योंकि एकता में बहुत बल है जबकि फूट से घर के घर जल कर राख हो जाते हैं।

(4) को इस से कहावत बन गई।

(5) इस कहावत का वाक्य में प्रयोग करो।

शिक्षिका बच्चों को एक और चार्ट दिखायेगी जिस से यह कहावत अधिक स्पष्ट हो जाय।

इस प्रकार सभी शिक्षिका कहावतों के चार्ट दिखायेगी सभी उन्हें कहावत बता कर उसे स्पष्ट करने के लिए चार्ट दिखाएगी।

शिक्षिका कुत्ता और उसकी परछाई नामक कहानी सुना कर इस का सार पूछेगी।

शिक्षिका फिर एक चार्ट दिखा कर बच्चों से कहावत बनवाने की चेष्टा करेगी।

यदि बच्चे न बता सकें तो शिक्षिका कहानी सुना कर इस कहावत को स्पष्ट कर देगी।

(7) आवश्यकता आविष्कार जननी है।

अब शिक्षिका पट्टे कहावत बना कर इसका अर्थ निकलवाने का यत्न करेगी। यदि ऐसे बच्चों ने न बताया तो कहानी सुना दी जाए और अधिक स्पष्ट करने के लिये बच्चों को चार्ट भी दिखाया जाएगा।

शिक्षिका बारी बारी से सभी मुहावरे और कहावतें श्यामपट पर लिखती जाएगी और कुछ वाक्य स्वयं भी बनाएगी ताकि सभी कहावतें स्पष्ट हो जाएं।

पुनरावृत्ति :—

यह जानने के लिए कि बच्चे अच्छी प्रकार समझ गए हैं शिक्षिका कुछ चार्ट मेज़ पर रख कर एक एक बच्चे को वहाँ बुलाएगी। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा जिस पर कहावत लिखी होगी उसे रखने को कहेगी जिस चार्ट पर वह मुहावरा बनता होगा।

तत्पश्चात् बच्चों से वाक्य बनवाए जाएंगे तथा बच्चे अपनी अपनी अभ्यास-पुस्तिका पर लिखेंगे।

शिक्षिका कक्षा में जा कर बच्चों के काम को देखेगी तथा अशुद्धियां ठीक करेगी।

पाठ योजना ७.

हिन्दी रचना

कक्षा... छठी, विषय . . प्रस्ताव, प्रकरण. . पैसे की आत्मकथा।

सहायक सामग्री—

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नए पैसे की परिवर्तन तालिका, चाक्, झाड़न इत्यादि।

उद्देश्य—

सामान्य उद्देश्य—छात्राओं की रचनात्मक शक्ति को साहित्यिक निर्माण में लगाना तथा उनके भावों और विचारों का परिष्कार करना। व्यावहारिक शब्दों में अपने विचारों को स्वतन्त्रता पूर्वक प्रकट करने की क्षमता उत्पन्न करना। प्रस्तुत रचना में देश प्रचलित नए सिक्कों के विषय में बताना तथा उनकी ज्ञान वृद्धि करना।

विशेष उद्देश्य—कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए 1 अप्रैल 1957 से प्रारम्भ किए गए नए सिक्के की अब तक की बीती आत्मकथा बनाई जाएगी। व्यक्तिगत रूप से बालिकाएं अपने विचारानुसार उसी आत्मकथा को प्रकट करने की चेष्टा करेंगी।

३ केन्द्र :—सामाजिक वातावरण ।

समस्या की इकाई :—स्कूल बैंक में नये सिक्के चलाने का काम ।

समवाय — आज स्कूल बैंक में नये सिक्के चालू किये के बाद सभी विद्यार्थियों को मिले । जिन विद्यार्थि निकाले उनको पुराने सिक्कों के बदले नये सिक्के मि कक्षा में अध्यापिका ने पुराने सिक्कों और नये सि सम्बन्ध समझाया । पुराने सिक्कों को नये सिक्कों में भी सिखाया । भाषा की घण्टी में नये पैसे का ही का

उद्देश्य कथन—अध्यापिका के प्रश्न के उत्तर आने पर अध्यापि इस नए पैसे के भूतपूर्व इतिहास की कल्पना करने को कहेगी । आदर्श उनके सामने प्रस्ताव का एक आदर्श उपस्थित करेगी ।

पाठ विस्तार —उस नए पैसे की आत्म-कथा अपनी कल्पनानुसार आदर्श प्रणाली से निम्नलिखित प्रकार से बताएगी । छात्राए ध्यान से सुन: कल्पनानुसार वैसी ही हास्यात्मक कहानी रचने की चेष्टा करेंगी ।

वस्तु

आपने मेरा पहला रूप देखा होगा, जब कि मैं इतना बड़ा था तथा मेरा भार भी अच्छा था । उसके बाद मेरा उससे छोटा रूप हुआ और अब 1957 में मेरा रूप सभी से छोटा हो गया ।

नया पैसा

मेरा जन्म बम्बई में हुआ । बहुत कष्ट सहने के पश्चात् जब कि मैं सांचे से निकाला गया तो मुझे अपना सुन्दर रूप देख कर बहुत प्रसन्नता हुई ।

नए पैसे कैसे हुआ

सब से पहले मैं बन कर बैंक में अपने साथियों के साथ आया । मेरी प्रसन्नता असीम थी । लेकिन मेरी यह प्रसन्नता स्थायी न रह सकी । मुझे अपने भाइयों से बिछड़ना पड़ा तथा बैंक से निकल कर मैं लोगों के हाथ में आया । पहली अप्रैल को मुझे बैंक से निकाला जाना था । प्रातःकाल ही एक बाबू मेरा नया मुख देखने के लिए तथा मुझे घर ले जाने के लिए आ गया । बैंक के एक कर्मचारी ने उसे पुराने सिक्कों के बदले हर प्रकार के कुछ नए सिक्के दिए । उन में मैं भी था ।

लोगों में पहुँचा ?

बाबू ने घर पहुँचते ही नए पैसों की नुमायश लगा दी । घ के बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, हमारी नुमायश को देखने, टीका टिप्प करते हुए कटाक्ष करने लगे । कुछ दिनों तक उन्होंने हमे नए के नाते सम्भाल कर रखा । एक दिन बाबू मुझे हाक घर ले ग

(2) वीर रस से परिचित करा कर छात्रों में स्वदेश प्रेम उत्पन्न करना।

(3) स्वतन्त्रता प्रेम का आदर्श उपस्थित करके [illegible] के लिए बालकों में उत्तेजना उत्पन्न करना।

तैयारी—अध्यापक पाठ के उद्देश्यों को समझेगा और [illegible] एगा। प्रसन्नचित्त हो विश्वास के साथ अध्यापक कक्षा में जाएगा।

सामग्री—अध्यापक अपने साथ राणा प्रताप जी का चित्र [illegible] लिपिपत्र ले जाएगा। इसके अतिरिक्त कक्षा की [illegible] ी चाहिए ले जाएगा।

समवाय तथा प्रस्तावना—अध्यापक बालकों के पूर्व [illegible] मासिक वातावरण से समवाय जोड़ निम्न प्रकार के प्रश्न पूछेगा—

(1) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत पर कौन राज्य करते थे?

(2) क्या हम उनके राज्य से सन्तुष्ट थे?

(3) हमने उनके विरुद्ध क्या किया था?

(4) अंग्रेजों से पूर्व भारत पर कौन राज्य करते थे?

(5) क्या हमारे पूर्वज उनके राज्य से सन्तुष्ट थे?

(6) यदि नहीं तो क्या उन्होंने उनसे मुक्त होने का [illegible]

(7) वह कौन कौन से राजा थे जिन्होंने [illegible] स्वतन्त्रता के लिए लड़े? (अध्यापक श्यामपट पर [illegible] नाम लिखेगा। राणा प्रताप, राणा सांगा तथा [illegible] वीर वैरागी का नाम सम्भवतः बालक लेंगे।)

तत् पश्चात् अध्यापक राणा प्रताप जी का [illegible] प्रश्न करेगा।

आप ने जिन पुरुषों के नाम बताए हैं [illegible]

यह महा पुरुष किस काल में हुए थे अतः [illegible] संग्राम किया था?

तत् पश्चात् अध्यापक बालकों को [illegible] बारे में उन्हें भेंट की गई श्रद्धांजली के रूप में [illegible] का प्रभुत्व समस्त उत्तरी भारत पर था। उनके [illegible] स्वतन्त्र रखने के लिए अकबर के विरुद्ध कई [illegible]

अध्यापक बालकों को अपनी अपनी पुस्तकें [illegible] अध्यापक ध्यान पूर्वक देखेगा कि प्रत्येक बालक [illegible] पुस्तक न होगी अध्यापक अपने पास से [illegible]

(2) वीर रस से परिचित कराकर छात्रों में स्वदेश प्रेम उत्पन्न कराना।

(3) स्वतन्त्रता प्रेम का आदर्श उपस्थित करके अपनी तथा अपने देश की रक्षा के लिए बालकों में उत्तेजना उत्पन्न करना।

तैयारी—अध्यापक पाठ के उद्देश्यों को समझेगा और उनके अनुकूल पाठ्यसामग्री जुटाएगा। प्रसन्नचित् हो विश्वास के साथ अध्यापक कक्षा में जाएगा।

सामग्री—अध्यापक अपने साथ राणा प्रताप जी का चित्र तथा कविता की कई प्रतिलिपियां ले जाएगा। इसके अतिरिक्त कक्षा की अन्य सामग्री जो कि साधारणतः होनी चाहिए ले जाएगा।

समवाय तथा प्रस्तावना—अध्यापक बालकों के पूर्व ज्ञान की सहायता से उनके सामाजिक वातावरण से समवाय जोड़ निम्न प्रकार के प्रश्न पूछेगा :—

(1) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत पर कौन राज्य करते थे ? (अंग्रेज)

(2) क्या हम उनके राज्य से सन्तुष्ट थे ? (नहीं)

(3) हमने उनके विरुद्ध क्या किया था ?

(4) अंग्रेजों से पूर्व भारत पर कौन राज्य करते थे ? (मुसलमान)

(5) क्या हमारे पूर्वज उनके राज्य से सन्तुष्ट थे ? (नहीं)

(6) यदि नहीं तो क्या उन्होंने उनसे मुक्त होने का यत्न किया था ?

(7) वह कौन कौन से राजा थे जिनकी अध्यक्षता में हमारे पूर्वज भारत की [स्वत]न्त्रता के लिए लड़े ? (अध्यापक श्यामपट पर बच्चों द्वारा गिनाये गए महापुरुषों के [ना]म लिखेगा। राणा प्रताप, राणा सांगा तथा शिवाजी के साथ गुरु गोविन्द सिंह और [बन्दा बै]रागी का नाम सम्भवतः बालक लेंगे।)

तत् पश्चात् अध्यापक राणा प्रताप जी का चित्र लटकाएगा और चित्र के बारे में [प्र]श्न करेगा।

आप ने जिन पुरुषों के नाम बताए हैं उन में से यह किस महापुरुष का चित्र है ?

यह महा पुरुष किस काल में हुए थे अतः इन्होंने किस मुसलमान राजा के विरुद्ध [सं]ग्राम किया था ?

तत् पश्चात् अध्यापक बालकों को बताएगा कि आज हम इसी राणा प्रताप के बारे में उन्हें भेंट की गई श्रद्धांजली के रूप में एक कविता पढ़ेंगे यह राणा प्रताप जिस का प्रभुत्व समस्त उत्तरी भारत पर था। उसने अपनी मातृ भूमि की रक्षा के लिए, उसे स्वतन्त्र रखने के लिए अकबर के विरुद्ध कई बार युद्ध किया था।

अध्यापक बालकों को अपनी अपनी पुस्तकें 71 पृष्ठ पर खोलने के लिए कहेगा। अध्यापक ध्यान पूर्वक देखेगा कि प्रत्येक बालक के पास पुस्तक हो। जिस बालक के पास पुस्तक न होगी अध्यापक अपने पास से उस बालक को प्रति लिपि देगा ताकि प्रत्येक

जाना है अत राणा प्रताप की जननी कौन थी ? हम सब की जननी कौन है ? भारत। इसे हम भारत माता कहते हैं क्योंकि इसका हम जल पीकर, अन्न खा कर, इसकी वायु मे साँस लेकर बडे होते हैं। इसी प्रकार राणा प्रताप की माता उसका मेवाड देश था यदि वह चाहते तो अन्य राजपूत राजाओं की तरह अपनी माता को परतन्त्र बना कर अकबर से धन ले सकते थे ऊचे से ऊचा पद भी पा सकते थे परन्तु नहीं, उन्हे अपनी माता से प्यार था। उन्होंने अकबर द्वारा धन तथा पद के दिए गए लोभ को ठुकरा दिया और अपनी माता की स्वतन्त्रता की रक्षार्थ अपने सुख, अपने धन तथा अपने राज-पद को लुटा दिया। उन्होंने माता के प्रेम मे हर वस्तु का बलिदान किया। उस समय मेवाड़ सो रहा था। राजपूत भूल चुके थे कि वह स्वतन्त्र रहने के लिए हैं। अपनी प्राचीन परम्पराओं को भूल कर उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। परन्तु राणा प्रताप ने उन्हे नया रास्ता दिया। उन्हें बता दिया कि वह स्वतन्त्र रह सकते हैं अपनी परम्पराओ का पालन कठिनाई मे कर सकते हैं। उस समय अकबर से लड़ना आसान नहीं था। मेवाड के प्रत्येक युवक तथा वृद्ध को अपने देश की रक्षार्थ मर मिटने के लिए तैयार किया। आज उन राजपूतों को जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, कोई नहीं जानता। परन्तु राणा प्रताप का नाम, भारत का प्रत्येक बालक आदर तथा गौरव के साथ लेता है। इतिहास मे उनका नाम सुनहरी अक्षरों मे लिखा हुआ है। जितने भी देश रक्षा के लिए कष्ट सहे हैं उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। आज ही नहीं हजारों वर्ष तक भारत वासी गांधी, सुभाष, गुरु गोविन्दसिंह, भगत सिंह आदि का नाम लेते रहेंगे।

3 अध्यापक तीसरे पद्य का वाचन किसी विद्यार्थी से करवा कर सरलार्थ निकलवाएगा। बालकों की सहायता से भावार्थ उन्हे निम्न प्रकार से बताएगा। राणा प्रताप जी ने भारत का वीर कहा कर धन वैभव का त्याग किया और सह सहकर माता के गुण की लाली रख ली। माता के मुख पर लाली तब होती है ? जब वह प्रसन्न होती है। जब उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। राणा प्रताप वीर थे अकबर ने उन्हें अपने दरबार के ऊचे पद पेश किए, यदि वह चाहते तो अकबर के अधीन होकर वह सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते थे। परन्तु अपनी मातृ-भूमि को उन्होंने परतन्त्र नहीं किया। संसार के सुखों को छोड दिया। अकबर की अधीनता स्वीकार न करने का परिणाम यह हुआ कि उन्हें अकबर सम्राट् से लड़ना पड़ा, भाई भी अकबर से मिल चुका था। हार हो गई राज-पाट छिन गया। नर्म नर्म गद्दों पर सोने वाले बच्चे भूमि की गोद मे सोते रहे जंगलों की खाक छानते रहे। दाने-दाने को तरसते रहे। वह राणा और उसके बच्चे जो अब तक भी वायु मे [illegible] जंगलों मे घास के तिनकों की रोटी पका कर खाते हैं। एक बार बच्चे भूख से विकल रहे थे घास के तिनकों की आई रोटियां पकाई गयी थी रोटी बच्चे के हाथ मे दी गई परन्तु वह भी जंगली बिल्ली उठा कर ले गई। उस समय

इन प्रश्नों में से यदि किसी प्रश्न का उत्तर बच्चे न दे पाएं तो अध्यापिका स्वयं बता देगी।

(VI) उद्देश्य-कथन—

प्रस्तावना के पश्चात् अध्यापिका कहेगी कि आज हम सिप्पी को मोती बना देने वाली इसी एक बूंद कविता के साथ साथ मानव के व्यक्तित्व की तुलना करेंगे तथा अध्यापिका बालकों को 247 पृष्ठ पर पुस्तक खोलने का आदेश देगी।

(VII) मूल-पाठ—

एक बूंद (कविता)

ज्यों निकल कर बादलों की गोद से,
थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी ॥
सोचने फिर फिर यही जी में लगी,
आह ! क्यों घर छोड़ कर मैं यूं बढ़ी ।
देव ! मेरे भाग्य में है क्या बदा ;
मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में ॥
या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी,
चू पडूंगी या कमल के फूल में ॥
बह गई उस काल एक ऐसी हवा,
वह समुन्दर ओर आई अनमनी ॥
एक सुन्दर सीप का मुंह था खुला,
वह उसी में जा पड़ी मोती बनी ॥
लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते,
जब कि उन को छोड़ना पड़ता है ॥
किन्तु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें,
बूंद लौं कुछ और ही देता है कर ॥

(क) आदर्श वाचन—छात्रों को कविता का प्रथम परिचय देने के लिए अध्यापिका स्वयं कविता वाचन करेगी। आदर्श वाचन में निम्न बातों का अवश्य ध्यान रक्खा जायगा—

(1) कविता का वाचन भावानुकूल होगा ताकि छात्र कवि की अनुभूतियों को अपने ही उदगार समझ कर वास्तविकता की तह तक पहुंचने का प्रयास करें।

(2) छन्द, लय, ताल; सुर और उच्चारण का [illegible] रक्खा जाएगा।

(3) वाचन इस ढंग से किया जायगा कि [illegible] वाचन द्वारा [illegible] हो जाए।

ममतामयी जञ्जीर उसे जकड़ कर सम्भावनाओ मे उलझने के लिए मजबूर कर देती है, वह बेबस होकर कह उठता है कि हे विधाता ! मै अपना घर-बार त्याग कर क्यों जा रहा हूँ ? पता नहीं इस त्याग में मेरा पतन है या उत्थान। क्या पता मेरा अस्तित्व सदा के लिए ही मिट जाए।

इन सम्भावनाओ मे उलझा हुआ वह अपने पथ पर चलता जाता है। और कोई न कोई सहारा मिल जाने पर वह अपनी शकाओ के विपरीत एक महान् व्यक्ति बन जाता है।

(घ) सार—मानव को अपना घर त्याग करते समय अपने व्यक्तित्व मे निहित सम्भावनाओं में उलझकर घबराना नहीं चाहिए क्योंकि घर की चार दिवारी को त्यागकर ही वह बूंद के समान चमक-दमक उठेगा अर्थात् जिस प्रकार बूंद सीप मे पड कर मोती बन जाती उसी प्रकार कोई न कोई अवलम्ब मिल जाने पर एक तुच्छ व्यक्ति भी महान् बन जाता है। पर यह सब तभी तभी होगा जब घर से निकल कर बाहिर की दुनिया में पाव रक्खें।

(VIII) आवृत्ति—

व्याख्या के पश्चात् बच्चों के अर्जित ज्ञान को जानने तथा मस्तिष्क मे उन विचारो व भावो को स्थायी रूप देने के लिए अध्यापिका निम्न प्रयास करेगी।

बारी बारी पद्यांश की व्याख्या करवायी जाएगी। व्याख्या के अतिरिक्त निम्न प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएगे।

(1) मनुष्य को अपना घर त्यागते समय क्यो नहीं झिझकना चाहिए ?

(2) एक बून्द मोती किस प्रकार बन जाएगी ?

(IX) गृहकार्य—

अन्तिम चार पंक्तियों की व्याख्या (बून्द और मानव दोनों पक्षों मे) घर से कर के लाने का आदेश दिया जाएगा।

पाठ योजना १०.

कक्षा	नवम्
विषय	हिन्दी
उपविषय	'राखी' कविता

सहायक सामग्री—(1) एक चार्ट जिस में बहिन से भाई का राखी बंधवाना, अलियों वाले बाग का दृश्य और द्रोपदी चीर-हरण दिखाया गया है।

(2) एक 'राखी'।

(3) भारत का मानचित्र।

ममतामयी जञ्जीर उसे जकड़ कर सम्भावनाओं में उलझने के लिए मजबूर कर देती है, वह बेबस होकर कर उठता है कि हे विधाता ! मैं अपना घर-बार त्याग कर क्यों जा रहा हूं ? पता नहीं इस त्याग में मेरा पतन है या उत्थान। क्या पता मेरा अस्तित्व सदा के लिए ही मिट जाए।

इन सम्भावनाओं में उलझा हुआ वह अपने पथ पर चलता जाता है। और कोई न कोई सहारा मिल जाने पर वह अपनी शंकाओं के विपरीत एक महान् व्यक्ति बन जाता है।

(घ) सार—मानव को अपना घर त्याग करते समय अपने व्यक्तित्व में निहित सम्भावनाओं में उलझकर घबराना नहीं चाहिए क्योंकि घर की चार दिवारी को त्यागकर ही वह बूंद के समान चमक-दमक उठेगा अर्थात् जिस प्रकार बूंद सीप में पड़ कर मोती बन जाती उसी प्रकार कोई न कोई अवलम्ब मिल जाने पर एक तुच्छ व्यक्ति भी महान् बन जाता है। पर यह सब सभी तभी होगा जब घर से निकल कर बाहिर की दुनिया में पांव रक्खें।

(VIII) आवृत्ति—

व्याख्या के पश्चात् बच्चों के अर्जित ज्ञान को जानने तथा मस्तिष्क में उन विचारों व भावों को स्थायी रूप देने के लिए अध्यापिका निम्न प्रयास करेगी।

बारी बारी पद्यांश की व्याख्या करवायी जाएगी। व्याख्या के अतिरिक्त निम्न प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

(1) मनुष्य को अपना घर त्यागते समय क्यों नहीं झिझकना चाहिए ?

(2) एक बून्द मोती किस प्रकार बन जाएगी ?

(IX) गृहकार्य—

अन्तिम चार पंक्तियों की व्याख्या (बून्द और मानव दोनों पक्षों में) घर से कर के लाने का आदेश दिया जाएगा।

पाठ योजना १०.

कक्षा	नवम्
विषय	हिन्दी
उपविषय	'राखी' कविता

सहायक सामग्री—(1) एक चार्ट जिस में बहिन से भाई का राखी बंधवाना, जलियां वाले बाग का दृश्य और द्रौपदी चीर-हरण दिखाया गया है।

(2) एक 'राखी'।

(3) भारत का मानचित्र।

बोलो, सोच समझ कर बोलो, क्या राखी बधाओगे।
भीर पड़ेगी, क्या तुम रक्षा करने दौड़े जाओगे॥
यदि हाँ, तो यह लो मेरी इस राखी को स्वीकार करो।
आकर भैय्या, बहिन 'सुभद्रा' के कष्टो का भार हरो।

आदर्श वाचन—अध्यापिका स्वय आदर्श वाचन करेगी। वाचन इस प्रकार होगा कि छात्राए श्रवण द्वारा कविता के मर्म को समझ जाए। आवश्यकतानुसार भावानुकूल अंग सचालन भी किया जाएगा।

विद्यार्थियों द्वारा वाचन—आदर्श वाचन के पश्चात् छात्राओ की बारी आती है। दो तीन छात्राओ से पढ़ाया जाएगा। उच्चारण, बल, विराम इत्यादि की अशुद्धियो को ठीक किया जाएगा।

पाठ्य वस्तु	पाठ्य विधि	श्यामपट कार्य
	कव यित्री अपने भैय्या से क्या कहती है?	'राखी'
देखो ..राखी की लाज	व्याख्या—साखी-माखी कवयित्री अपने भैय्या को राखी भेजते हुए कहती है कि मैं तुम्हे राखी भेज रही हू। इस प्रण मे बधते हुए अपने कर्तव्य को पहचानो। एक सच्चे राजपूत की भांति देश की गौरव गरिमा को चाद लगा दो। केवल राखी बांधने के लिये वह उत्तेजित नही बल्कि भैय्या भी रण भूमि को तैयार है और राखी बन्धवाना चाहता है। बहिन बांध दे रक्षा बन्धन, मुझे समर को जाना है।	
	समवाय—मानचित्र मे राजस्थान दिखाया जाएगा।	गोलन्दाज-निशान पतितो-पापियो
	इतिहास—रानी कर्म-वती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूँ को राखी भेजी थी।	
द्वितीय सोपान	चित्र दिखा कर प्रश्न पूछे जाएँगे।	
हाथ कांपता....	(1) इस चित्र में आप क्या देखते हैं?	
....समझाऊं कैसे	(2) इस समय कवयित्र की यह दशा क्यो हो रही है। व्याख्या—व्याख्या और सरलार्थ विद्यार्थियों की सहायता से क्या किया जाएगा। कवयित्री किस दुर्घटना को याद कर रही है?	

बोलो, सोच समझ कर बोलो, क्या राखी बधवाओगे।
भीर पड़ेगी, क्या तुम रक्षा करने दौड़ जाओगे॥
यदि हाँ, तो यह लो मेरी इस राखी को स्वीकार करो।
आकर भैय्या, बहिन 'सुभद्रा' के कष्टों का भार हरो।

आदर्श वाचन—अध्यापिका स्वयं आदर्श वाचन करेगी। वाचन इस प्रकार होगा कि छात्राएं श्रवण द्वारा कविता के मर्म को समझ जाए। आवश्यकतानुसार भावानुकूल अंग संचालन भी किया जाएगा।

विद्यार्थियों द्वारा वाचन—आदर्श वाचन के पश्चात् छात्राओं की बारी आती है। दो तीन छात्राओं से पढ़ाया जाएगा। उच्चारण, बल, विराम इत्यादि की अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा।

पाठ्य वस्तु	पाठ्य विधि	श्यामपट कार्य
	कब यित्री अपने भैय्या से क्या कहती है?	'राखी'
देखो.. राखी की लाज	व्याख्या—साखी-साखी कवयित्री अपने भैय्या को राखी भेजते हुए कहती है कि मैं तुम्हें राखी भेज रही हूं। इस प्रश्न मे बचते हुए अपने कर्तव्य को पहचानो। एक सच्चे राजपूत की भाँति देश की गौरव गरिमा को चाद लगा दो।	
	केवल राखी बाँधने के लिये वह उत्तेजित नहीं बल्कि भैय्या भी रण भूमि को तैयार है और राखी बन्धवाना चाहता है।	
	बहिन बाँध दे रक्षा बन्धन, मुझे समर को जाना है।	
	समवाय—मानचित्र में राजस्थान दिखाया जाएगा।	गोलन्दाज-निशान पतितों-पापियों
	इतिहास—रानी कर्म-वती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूँ को राखी भेजी थी।	
द्वितीय सोपान	चित्र दिखा कर प्रश्न पूछे जाएँगे।	
हाथ कांपता.... ....समझाऊं कैसे	(1) इस चित्र में आप क्या देखते हैं? (2) इस समय कवयित्री की यह दशा क्यों हो रही है।	
	व्याख्या—व्याख्या और सरलार्थ विद्यार्थियों की सहायता से क्या किया जाएगा। कवयित्री किस दुर्घटना को याद कर रही है?	

मान रखने के लिए बल चाहिए ।

यदि भाई सब कष्ट सहन करने को तैयार

है (राखी भेंट करते हुए) तो भाई की सबल

कलाई पर राखी बाधती है ।

अपने भाई के प्रति आप का क्या कर्तव्य है ।

पुनरावृत्ति—व्याख्या के पश्चात् अध्यापिका भाव ग्रहण के लिए वाचन का अवसर देगी और यह प्रश्न पूछेगी ।

(1) सुभद्रा कुमारी चौहान ने देश के नवयुवको को क्या चुनौती दी है ?

(2) ब्रिटिश शासको द्वारा जलियाँ वाले बाग मे क्या क्या अत्याचार किए गए ?

(3) कवयित्री इस घटना को क्यो नही भूल सकती ?

गृह-कार्य—छात्राए घर से कविता याद कर लाएगी ?

पाठ योजना ११.

हिन्दी व्याकरण

कक्षा	नवमी	मध्यमान आयु	पन्द्रह वर्ष
विषय ..	व्याकरण	प्रकरण	स्वर सन्धि

सहायक सामग्री

(i) एक चार्ट जिसमे एक त्रिशूल और हाथ का चित्र होगा, त्रिशूल से स्वर सन्धि, विसर्ग सन्धि और व्यजन सन्धि का बोध होगा ।

(ii) दूसरा चार्ट सन्धि का होगा, उसकी सहायता से स्वर सन्धि के सन्धि भेद समझाए जाएगे।

(iii) श्याम पट, चाक, भाड़न आदि ।

उद्देश्य (सामान्य)—

(i) व्याकरण द्वारा बालको को शुद्ध तथा परिमार्जित भाषा व्यवहार मे लाने के योग्य बनाना ।

(ii) बच्चो को भाषा के वास्तविक तथा सैद्धातिक रूप को पहिचानने के योग्य बनाना ।

(iii) बच्चो को केवल व्यवहारिक व्याकरण पढ़ाना ।

(विशेष)—

(i) बच्चों की साधारण अशुद्धियों को दूर करना । सन्धि का पाठ बच्चो को इसी उद्देश्य से दिया जाएगा ।

जायेंगे। फिर उदाहरणों की मीमांसा की जाएगी तथा अन्त में नियम तथा सिद्धांत बताये जायेंगे।

उदाहरण :—

(1) उदाहरण—सन्धि के तीनों भेद पढ़ाने के लिए उपयुक्त शब्द जो भूमिका मे श्याम पर पट लिखे गए थे प्रयोग में लाये जायेंगे।

(i) विद्या+अर्थी=विद्यार्थी।

(ii) देव+ऋषि=देवर्षि।

(iii) भगत्+गीता=भगवद्गीता।

(iv) नमः+ते==नमस्ते।

(v) नि +फल=निष्फल।

(2) उदहरणों की मीमांसा—

(i) विद्यार्थी शब्द मे कौन कौन से वर्णों का संयोग हुआ है ?

(ii) क्या दोनों स्वर हैं ?

(iii) भगवद्गीता मे कौन कौन से वर्णों का संयोग हुआ ?

(iv) क्या दोनों स्वर या व्यजन हैं ?

(v) नमस्ते शब्द मे कौन कौन से वर्णों का संयोग हुआ है ? व्याकरण मे वे क्या हैं ?

मीमांसा—यहीं पर अध्यापक यह भी बता देगा कि कोई भी व्यञ्जन बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता।

सिद्धांत—देखिए विद्यार्थी शब्द मे दोनों स्वर वर्णों का परस्पर मेल हुआ है। अस्तु स्वर वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर सन्धि कहते हैं।

अध्यापक "भगवद्गीता" शब्द के सम्बन्ध मे कहेगा कि देखिए इस शब्द मे त् तथा ग व्यजनों मे परस्पर विकार उत्पन्न हुआ है। अस्तु जहां पर पहले शब्द का व्यञ्जन दूसरे शब्द के व्यजन अथवा किसी स्वर से मिलता है उसे व्यञ्जन सन्धि कहते हैं।

"नमस्ते" शब्द मे अध्यापक बालकों को दिखाएगा कि विसर्ग तथा त् वर्णों मे परस्पर विकार उत्पन्न हुआ है। अस्तु जहां विसर्ग किसी दूसरे वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करता है। वहा पर विसर्ग सन्धि होती है। यहीं भेद [illegible] त्रिशूल की सहायता से बनाए जायेंगे। त्रिशूल में प्राकृतिक [illegible] होते हैं। अत एव त्रिशूल की सहायता से तीनों भेद बालकों को [illegible] के लिए स्मरण रहेंगे।

(ख) निम्न विधि—ग्रामोद्योग, [illegible] आदि कई [illegible] तथा को उपस्थित किया जाएगा। उनका [illegible] श्यामपट पर की पड़ताल कराई जाएगी। इस के पश्चात् [illegible] भेद

बताये जायेंगे और तत्पश्चात् पाचो भेदो मे से पहले भेद दीर्घ सन्धि की विशद्
की जाएगी।

स्वर सन्धि के भेद :—

(क) आगमन विधि —

उदाहरण :—

1 पुरुष+अर्थी=पुरुषार्थी	2 महा+आत्मा=महात्मा
3 कवि+इन्द्र=कवीन्द्र	4. साधु+उपदेश=साधुपदेश
5 मातृ+ऋण=मातृण	6. महा+इन्द्र=महेन्द्र
7. सूर्य+उदय=सूर्योदय	8. देव+ऋषि=देवर्षि
9 एक+एक=एकैक	10 परम+ऐश्वर्य=परमैश्वर्य
11. वन+औषधि=वनौषधि	12. महा+ओदार्य=महौदार्य
13. यदि+अपि=यद्यपि	14 सु+अच्छ=स्वच्छ
15 मातृ+आज्ञा=मात्राज्ञा	16 ने+अन=नयन
17 भो+अन=भवन	18 गै+अक=गायक
18 भौ+अक=भावुक	

उदाहरण मीमासा – पहले पाच उदाहरणो मे एक ही जाति के वर्णों में मि
उत्पन्न हुआ है ' छ" उदाहरणो मे आ और इ मिल कर "ए " बन गए हैं। इसी प्र
सातवें आठवें उदाहरण मे क्रमश: अ और उ मिलकर ओ, अ और ऋ मिलकर अर
गए हैं। नवमे उदाहरण मे अ और ए मिलकर "ऐ" बन गए हैं। इसी प्रकार द
पट की सहायता से अन्य उदाहरणो की मीमासा की जाएगी।

नियम निर्धार्ण तथा सिद्धांत—

(i) ह्रस्व तथा दीर्घ अ इ, उ, ऋ के परे ह्रस्व तथा दीर्घ अ, इ, उ, ऋ
तो दोनो को मिलाकर स्वर्ण दीर्घ हो जाता है। ऐसी सन्धि को दीर्घ सन्धि कहते
यथा पहले पाँच उदाहरण।

(ii) अ या आ के परे इ या ई हो तो दोनो को मिलाकर ए, उ या ऊ हो
अ, और ऋ हो तो दोनो के स्थान पर अर हो जाता है। ऐसी सन्धि को गुण स
कहते है।

(iii) अ या आ के आगे ए या ऐ हो तो दोनो के स्थान पर ऐ, उ और ओ
औ हो तो औ हो जाता है। इसी प्रकार की सन्धि को वृद्धि सन्धि कहते है। अंठ नौ
ग्यारह तक के उदाहरणो से स्पष्ट है।

(iv) यदि इ, उ, ऋ के आगे किसी भिन्न जाति का स्वर आ जाए तो क्रमश
य व और र हो जाता है।

(i) विद्यालय, (ii) विद्यार्थी, (iii) जगदीश, (iv) नमस्ते, (v)
काल आदि।

(2) विषय प्रवेश के समय श्यामपट पर ये शब्द लिखे जाएँगे जिनकी सं
है। यह शब्द जरा क्रमिक ढग से लिखे जाएगे ।

उदाहरण	सन्धि	नियम

(1) पुरुष+अर्थ=पुरुषार्थ, अ+आ, अ या अ के आगे इसी जाति
हो तो यह दीर्घ हो जाते हैं।

(2) महा+आत्मा=महात्मा, आ+आ, ऊपर वाला नियम।

(3) साधू+उपदेश=साधुपदेश, ऊ+उ=ऊ, ऊपर वाला नियम।

(4) सूर्य+उदय=सूर्योदय, अ+उ=ओ, 'अ' और 'उ' मिलकर '
जाते हैं।

(5) देव+ऋषि=देवर्षि, अ+ऋ=अर् अ और ऋ मिलकर 'अ
जाते हैं।

(6) एक+एक=एकैक, अ+ए=ऐ, अ और ए मिलकर 'ऐ' हो जाते है

(7) परम+एश्वर्य=परमैश्वर्य, अ+ए=ऐ, उपरोक्त नियम।

(8) वन+औषधि=वनौषधि, अ+औ=औ, अ और औ मिलकर
जाता है।

(9) यदि+अपि=यद्यपि, इ+अ=य और अ मिलकर य बन जाता है।

(10) सु+अच्छ=स्वच्छ, उ+अ=व, अ+अ मिलकर व बन जाते है।

(11) मातृ+आज्ञा=मात्राज्ञ, ऋ+आ=रा, ऋ+अ मिलकर रा बनते हैं

(12) ने+अन=नयन, ए+अ=अय्, ए और अ मिलकर अय बनते हैं।

(13) भो+उन=भवन, ओ+अ=अव्, ओ और अ मिलकर 'अव' बनाते

(14) गै+अक=गायक, ऐ+अ=आय, ऐ और अ मिलकर आय बनते हैं

(15) भौ+अक=भावुक, औ+उ=आवु, औ और अ मिलकर आवु बनाते

(3) पाठ को रुचिकर बनाने के लिए श्यामपट पर कुछ शब्दो से ग्राफ
बनाए जाएगे। जैसे सूर्योदय शब्द का सन्धि करते समय श्यामपट पर ही सूर्योदय
चित्र बनाया जाएगा।

दीर्घ सन्धि का विस्तार—दीर्घ सन्धि जो कि स्वर सन्धि का पहला भाग है उ
सविस्तार पढ़ाया जाएगा।

उदाहरण—(1) कोष+अध्यक्ष=कोषाध्यक्ष। (2) वाचन+अलय=वाच
लय। (3) गरि+ईश=गरीश। (4) लघु+उर्मि=लघूर्मि। (5) मातृ+ऋण

उदाहरण मे तथा दूसरे उदाहरण मे 'अ' और ह

आपस मे मिले हैं।

तीसरे उदाहरण मे इ और ई वर्ण आपस मे मिलकर अपनी जाति का दीर्घ स्वर बनाते हैं।

चौथे उदाहरण मे उ और उ मिलकर अपनी जाति का दीर्घ स्वर बनाते हैं।

पाचवें उदाहरण मे ऋ और ऋ मिलकर अपनी जाति का दीर्घ स्वर बनाते हैं।

सिद्धान्त—वही सिद्धान्त है जो सन्धि के पाच भेद बनाते समय दीर्घ सन्धि का बताया गया था। अर्थात् सजातीय स्वर वर्ण आपस मे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यह वर्ण अ, इ, उ तथा ऋ है।

फिर निगमन विधि द्वारा सिद्धान्त से उदाहरण की ओर चला जाएगा। निम्न शब्द का सन्धिछेद करवाया जाएगा :—

(1) पुस्तकालय। (2) रजनीश। (3) बन्धूपदेश। (4) पितृण।

आवृत्ति—बोध परीक्षा के हेतु निम्न प्रश्न पूछे जाएगे ?

(1) सन्धि किसे कहते हैं ?

(2) सन्धि के कितने भेद होते हैं ?

(3) स्वर सन्धि किसे कहते हैं। परिभाषा के साथ उदाहरण भी दो ?

(4) स्वर सन्धि के कितने भेद है ?

(5) दीर्घ सन्धि किसे कहते हैं ?

(6) गुण सन्धि के कुछ उदाहरण उपस्थित करो।

अभ्यास (गृह कार्य)—गृह-कार्य मे बालक दो कार्य करके लाएगे एक तो स्वर सन्धि के भेदो की परिभाषा करके लाएगे। दूसरे निम्न शब्दो का सन्धिछेद तथा सन्धि कर लाएगे।

सन्धिच्छेद—(1) अभ्युदय, (2) प्रत्येक, (3) महोदधि, (4) सिन्धूर्मि, (5) वनमहोत्सव, (6) राकेश, (7) नदीश, (8) भानूदय, (9) अन्वेषण, (10) मात्राज्ञाय।

सन्धि करो—(1) पितृ+अनुमति, (2) वधू+आगमन, (3) नदी+अम्बु (4) अभि+उदय, (5) परम्+औषधि, (6) गगा+ऊर्मि, (7) परम+ईश्वर, (8) दातृ+ऋण।

(i) विद्यालय, (ii) विद्यार्थी, (iii) जगदीश, (iv) नमस्ते, (v) प्रातःकाल आदि।

(2) विषय प्रवेश के समय श्यामपट पर ये शब्द लिखे जाएँगे जिनकी सन्धि करनी है। यह शब्द जरा क्रमिक ढंग से लिखे जाएगे।

उदाहरण सन्धि नियम

(1) पुरुष+अर्थ=पुरुषार्थ, अ+आ, अ या अ के आगे इसी जाति का वर्ण हो तो यह दीर्घ हो जाते हैं।

(2) महा+आत्मा=महात्मा, आ+आ, ऊपर वाला नियम।

(3) साधु+उपदेश=साधुपदेश, ऊ+उ=ऊ, ऊपर वाला नियम।

(4) सूर्य+उदय=सूर्योदय, अ+उ=ओ, 'अ' और 'उ' मिलकर 'ओ' हो जाते हैं।

(5) देव+ऋषि=देवर्षि, अ+ऋ=अर् अ और ऋ मिलकर 'अर' हो जाते हैं।

(6) एक+एक=एकैक, अ+ए=ऐ, अ और ए मिलकर 'ऐ' हो जाते हैं।

(7) परम+ऐश्वर्य=परमैश्वर्य, अ+ए=ऐ, उपरोक्त नियम।

(8) वन+औषधि=वनौषधि, अ+औ=औ, अ और औ मिलकर औ हो जाता है।

(9) यदि+अपि=यद्यपि, इ+अ=य और अ मिलकर य बन जाता है।

(10) सु+अच्छ=स्वच्छ, उ+अ=व, अ+अ मिलकर व बन जाते हैं।

(11) मातृ+आज्ञा=मात्राज्ञा, ऋ+आ=रा, ऋ+अ मिलकर रा बनते हैं।

(12) ने+अन=नयन, ए+अ=अय्, ए और अ मिलकर अय बनते हैं।

(13) भो+उन=भवन, ओ+अ=अव्, ओ और अ मिलकर 'अव' बनाते हैं।

(14) गै+अक=गायक, ऐ+अ=आय, ऐ और अ मिलकर आय बनते हैं।

(15) भौ+अक=भावुक, औ+उ=आवु, औ और अ मिलकर आवु बनाते हैं।

(3) पाठ को रुचिकर बनाने के लिए श्यामपट पर कुछ शब्दों से ग्राफ भी बनाए जाएगे। जैसे सूर्योदय शब्द का सन्धि करते समय श्यामपट पर ही सूर्योदय का चित्र बनाया जाएगा।

दीर्घ सन्धि का विस्तार—दीर्घ सन्धि जो कि स्वर सन्धि का पहला भाग है उसको सविस्तार पढ़ाया जाएगा।

उदाहरण—(1) कोष+अध्यक्ष=कोषाध्यक्ष। (2) वाचन+आलय=वाचनालय। (3) गरि+ईश=गरीश। (4) लघु+ऊर्मि=लघूर्मि। (5) मातृ+ऋण=मातृण।

उदाहरण मीमांसा—पहले उदाहरण में तथा दूसरे उदाहरण में 'अ' और वर्ण

आपस मे मिले हैं।

तीसरे उदाहरण में इ और ई वर्ण आपस मे मिलकर अपनी जाति का दीर्घ स्वर बनाते हैं।

चौथे उदाहरण मे उ और उ मिलकर अपनी जाति का दीर्घ स्वर बनाते हैं।

पाचवें उदाहरण मे ऋ और ऋ मिलकर अपनी जाति का दीर्घ स्वर बनाते हैं।

सिद्धान्त—वही सिद्धान्त है जो सन्धि के पाच भेद बनाते समय दीर्घ सन्धि का बताया गया था। अर्थात् सजातीय स्वर वर्ण आपस मे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यह वर्ण अ, इ, उ तथा ऋ है।

फिर निगमन विधि द्वारा सिद्धान्त से उदाहरण की ओर चला जाएगा। निम्न शब्द का सन्धिछेद करवाया जाएगा :—

(1) पुस्तकालय। (2) रजनीश। (3) बन्धूदय। (4) पितृण।

आवृत्ति—बोध परीक्षा के हेतु निम्न प्रश्न पूछे जाएगे ?

(1) सन्धि किसे कहते हैं ?

(2) सन्धि के कितने भेद होते हैं ?

(3) स्वर सन्धि किसे कहते हैं। परिभाषा के साथ उदाहरण भी दो ?

(4) स्वर सन्धि के कितने भेद है ?

(5) दीर्घ सन्धि किसे कहते हैं ?

(6) गुण सन्धि के कुछ उदाहरण उपस्थित करो।

अभ्यास (गृह कार्य)—गृह-कार्य में बालक दो कार्य करके लाएगे एक तो स्वर सन्धि के भेदों की परिभाषा करके लाएगे। दूसरे निम्न शब्दों का सन्धिछेद तथा सन्धि कर लाएगें।

सन्धिच्छेद—(1) अभ्युदय, (2) प्रत्येक, (3) महोदधि, (4) सिन्धूर्मि, (5) वनमहोत्सव, (6) राकेश, (7) नदीश, (8) भानूदय, (9) अन्वेषण, (10) मायाशय।

सन्धि करो—(1) पितृ+अनुमति, (2) वधू+आगमन, (3) नदी+अम्बु (4) अभि+उदय, (5) परम+औषधि, (6) गंगा+ऊर्मि, (7) परम+ईश्वर, (8) दातृ+ऋण।

(3) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये। कोष्टक में कई शब्द दिये हुए हैं जिन से सहायता ली जा सकती है—

(क) बच्चों के सामने पुस्तक पर छपे हुये अक्षरों का आदर्श रहता है, जिसका वे अनुकरण करते हैं। इसको...... .. ..कहते है (धतुलिपि, अनुलिपि, प्रतिलिपि)

(ख) भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सर्व प्रथम. .... का नाम लिया जाता है (वाचन, उच्चारण, लिखाई, मौखिक कार्य, पाठ्य पुस्तक)

(4) बेमेल शब्द काटिये—

(क) भाषण, संवाद, नाटक, चित्र रचना, कविता पाठ।

(ख) कहानी, जीवनी, वर्णन, कविता, यात्रा।

(ग) मातृ भाषा, राष्ट्र भाषा, सांस्कृतिक भाषा, शिक्षा का माध्यम।

(5) निम्न वाक्यों में से जो सत्य हैं उनके आगे कोष्टक में 'स' लिखें और जो असत्य हैं उनके आगे 'अ'।

(1) अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव अक्षर विन्यास पर पड़ता है।

(2) हाई कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक में रंगीन चित्रों का होना आवश्यक है।

(3) कविता पाठ में पहले व्याख्या और फिर मौन पाठ होना चाहिये।

(4) प्राइमरी कक्षाओं मे व्याकरण की प्रयोग प्रणाली अपनानी चाहिये।

(5) द्रुत पाठ में व्याकरण की प्रयोग प्रणाली अपनानी चाहिये।

(6) प्राइमरी कक्षाओं में केवल मौखिक परीक्षा होनी चाहिये।

प्रश्न की कुंजी

(1) 7, 6, 5, 2, 3, 4, 1।

(2) (क) (3)+ ; (ख) (1)+ :

(3) (क) प्रति लिपि (ख) मौखिक कार्य

(4) (क) चित्र-रचना (ख) कविता

(5) (1) स, (2) अ, (3) अ

(4) स, (5) अ, (6) अ

परिशिष्ट 1

नवीन वस्तुगत प्रश्न '

विषय : हिन्दी की शि

(1) नीचे दो कालमों में ऐसे शब्द दिए हुए हैं कालम से प्रत्येक शब्द को जोड़ा दायें कालम में से न लिखने के बदले उसका अंक लिखें।

द्रुत पाठ	(. ..... .)	
ध्वनि	(...)	
लिपि	(.)	
बाल गीत	(. .)	
मौखिक रचना	( )	
उच्चारण	(. ..)	
आगमन विधि	(.)	

Epidiascope
r power
andard
:anguage
l
Reading
:-span
tion Point
Audio-visual Aids
ual
iguage units
nsme
ianism of Speech
oice Production
onetic Method
honology
ve cells
Deductive Method
neralisation
ervation
irect Method
iosis
t
Ostentive
iym
inar
pendix

पंक्ति-मुद्र—Lino-type
परिमाण—Quantity
पाठ—Lesson
पाठ-योजना—Lesson Planning
पाठ्-क्रम—Syllabus
अनुभावात्मक—Experience Curriculum
क्रियात्मक—Activity Curriculum
पाठांतर क्रियाएँ—Co-curricular Activities
पुनरुत्थान काल—Renaissance
पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण—Refresher Course
पुनर्रचना—Reproduction
पात्र—Character
पारिभाषिक शब्द—Technical term
पूरक—Complementary
प्रक्षेप—Project
प्रत्यय—Suffix
प्रभुत्व कामना—Self-assertion
प्रयोगात्मक व्याकरण—Applied Grammar
प्रतिलिपि—Copying
प्रस्तावना—Introduction
प्रशासन—Administration
प्रशिक्षण—Training
प्रवचन—Telling, conversation
प्रतियोगिता—Competition
प्रादेशिक भाषा—Regional Language
प्रासंगिक—Incidental
प्रयत्न लाघव—Economy of effort

परिशिष्ट २.

पारिभाषिक शब्दावली

अक्षर—Syllable
अक्षर बोध विधि—Alphabetic Method
अक्षर-विन्यास—*Spelling*
अक्षर-व्यक्ति—Articulation
अभिव्यक्ति—Expression
अर्थ-बोध—Comprehension
अर्थ विचार—Semantics
अनुकरण—*Imitation*
अनुदात्त—Low pitch
अनुभव-कोण—Cone of Experience
अनुलिपि—Caligraphy
अनुपात—Proportion
अनुसंधान—Research
अनुच्छेद—Paragraph
अमूर्त—Abstract
आगमन विधि—Inductive Method
आत्म भाषण—Soliloquy
आयोजित अनुभव—Contrived Experience
आधार-मूल-शब्दावली—Basic Vocabulary
अंक-निर्धारण—Scoring
आयोग—Commission
आशु लिपि—Stenography
उद्‌बोधन—*Eliciting*
उदात्त—High pitch
उपसर्ग—Prefix
उपकरण—Equipment
एकाधिकरण—Monopoey
एक-मुद्र—*Mono-type*
कथा-वस्तु—Plot
कवि-समय—*Poetic Convention*
कृत्रिम-संसद—Mock Parliament
केन्द्रीकरण—Concentration
क्रियाशीलन—*Activity*
कौशल—Skill
क्षैतिज सहसम्बन्ध—Hori zontal Correlation
गठन—Structure
गवेषणा—Investigation Research
गुण—*Quality*
सूत्र—Formulae
ग्रहण—*Reception*
चरित्र चित्रण—Characterination
चित्र लिपि—Pictogram

चित्र—Chart
चित्र-विस्तारक-यत्र—Epidiascope
चेष्टा-शक्ति—Motor power
छन्द—Metre
झुकाव—Slant
टकसाली भाषा—Standard Language
तर्क-पूर्ण=Logical
द्रुत-पाठ—Rapid Reading
दृष्टि-विराम—Eye-span
दृष्टि-केन्द्र—Fixation Point
दृश्य-श्रव्य साधन—Audio-visual Aids
द्विभाषी—Bilingual
ध्वनि—Sound
ध्वनि इकाई—Language units
ध्वनि-तत्व—Phonsme
ध्वनि-यंत्र—Mechanism of Speech
ध्वनि-प्रकाशन—Voice Production
ध्वनि-विधि—Phonetic Method
ध्वनि-विचार—Phonology
नाड़ी-कोष—Nerve cells
निगमन-विधि—Deductive Method
नियमकरण—'Generalisation
निरीक्षण—Observation
निर्बाध-विधि—Direct Method
निदान—Diagnosis
पदार्थ—Object
पदार्थ-विषयक—Ostcntive
पर्याय—Synonym
परिचर्चा—Seminar
परिशिष्ट—Appendix
पंक्ति-मुद्र—Lino-type
परिणाम—Quantity
पाठ—Lesson
पाठ-योजना—Lesson Planning
पाठ्-क्रम—Syllabus
अनुभावात्मक—Experience Curriculum
क्रियात्मक—Activity Curriculum
पाठांतर क्रियाएँ—Co-curricular Activities
पुनरुत्थान काल—Renaissance
पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण—Refresher Course
पुनरंचना—Reproduction
पात्र—Character
पारिभाषिक शब्द—Technical term
पूरक—Complementary
प्रक्षेप—Project
प्रत्यय—Suffix
प्रभुत्व कामना—Self-assertion
प्रयोगात्मक व्याकरण—Applied Grammar
प्रतिलिपि—Copying
प्रस्तावना—Introduction
प्रशासन—Administration
प्रशिक्षण—Training
प्रवचन—Telling, conversation
प्रतियोगिता—Competition
प्रादेशिक भाषा—Regional Language
प्रासंगिक—Incidental
प्रयत्न लाघव—Economy of effort

सहायक पुस्तक—Supplementary Reader
संयोजन—Coordination
सम्प्रत्यक्ष—Apperception
समाजस्यीकरण—Integration
साहचर्य—Association
सामान्य सिद्धांत—General Principles
सांख्यकी—Statistics
सामूहिक पाठ—Chorus Reading
सादृश्य—Analogy
सार्थक ध्वनियाँ—Phonemas
सीधापन—Alignment
स्थानान्तरण—Transfer
साक्षात्कार—Interview
स्पष्टीकरण—Elucidating
सिद्धांत सूत्र—Maxims of Teaching
सुलेख—Hand writing
सुलेख-विकास-माप—Handwriting Scale
सुव्यवस्थित—Orgainsed
सैद्धान्तिक व्याकरण—Formal Grammar, Theoretical Grammar
सौन्दर्यानुभूति—Aesthetic Experience

पुस्तक सूची

Bibliograpy

(क) अंग्रेजी पुस्तकें

1. Agard and Dankel — *An Investigation of Sound Language Teaching.*
2. Anand, Balwant Singh — *Aims and Methods of Teaching English in India.*
3. Anna Cochran — *Modern Methods of Teaching as a Foreign Language.*
4. At leins — *Teaching of Modern Foreign Language in School and Universisity.*
5. Ballard — *1. Language and Thought.* *2. The Teaching of Mother Tongue.*
6. Block, Benard and others — *Outline of Linguistic Analysis Linguistic Society of Amelica Baltimore.*
7. Bloom field, Leonard — *1. Language (New York, Henry) Holt & Co)* *2. Outline Guide for the Practical Study of Foreign Language (Linguistic Society of America)*
8. Breirel karl — *The Teaching of Modern Foreign Language and the Teaching of Teachers. (Cambrige, England)*
9. Brooks, F. D. — *The Applied Psychology of Reading*
10. Bodmer, Fredrichk — *The Loom of the Language (N. W. Norton & Co. New york)*
11. Bongers H. — *History and Principles of Vocabulary Control.*

12. Broom, Duncan, Smig and Stueber	*Effective Reading Instructions in the Elementary Schools.*
13. Brien, T. A. O	*Silent Reading*
14. Brown, T. I.	*Efficient Reading (D C. Heath & Co, Bosgton.*
15. Carroll, J. B.	*The Study of Language.*
16. Carter and Megnnes	*Learning to Read (Mc Graw Hill Series)*
17. Cole, Robert D	*Modern Fore'gn Language and their Teaching*
18. Cornelius, E. T.	*Language Teaching (New york)*
19. Coleman	*Teaching of Modern Foreign Language*
20. Caldwel Cook	*Play-way*
21. Cross. E. A. and Elizabeth Carney	*Teaching English in High Schools (Mc Millan*
2. Daniel Jones	*An Outline of English Phonetics*
3. De Boer, Kaulfers & Miller	*Teaching of Secondary English*
. Dolch, E. W.	*The Teaching of Primary Reading.*
Duff	
Edgar Dale	*How to Teach a Foreign Language.*
Edward Sapir,	*Audio-visual Aids In Teaching Language.*
Eisonson J	*Speech Correction in the School.*
Faucet	*Teaching of English in Far East.*
Findlay, J. J.	*Modern Language Teaching.*
French, F. G.	*The Teaching of English Abroad (Part I & II & III)*
Faye L. Bumpass	*Teaching English as a Foreign Language*
leming	*Research and Basic Curriculum.*
ries, Charlse C	*1 Teaching and Learning English as a Foreign Language.*
	2. The Structure of English (University of Michi
g and Gage	*Teaching Ch*
	History c

37. Gardner — *Theory of Speech and Language.*
38. Gates, I A, — *The Improvement of Reading.*
39. Gatenby, E V — *English as a Foreign Language.*
40. Gilbert, Highett — *Art of Teaching.*
41. Gouin, F — *The Art of Teaching and Studying Language (Longmen)*
42. Gray, William S. — *1. On their Own in Reading. 2. Development of Meaning 3. The Teaching of Reading and Writing. 4 Vacabularies in Reading.*
43. Gray, Louis Herbert — *Foundation of Language (Mcmillan New York)*
44. Gordon — *Teaching of English to Indians,*
45. Gurry — *1. Teaching of Poetry. 2 Teaching English as a Foreign Language 3. Teaching of Written English.*
46. Hadow A — *On the Teaching of Poetry.*
47. Hagbolt — *Language Learning (University of Chciago)*
48. Harly A H — *Colloqual Hindustani (Kegan Paul,*
49. Harris, A. J. — *How to Increase Reading Ability*
50. Harris, Z S — *Methods in Structural Linguistics*
51. Heffner R. M. S. — *General Phonetics.*
52. Henry Cecil Wyld — *Place of Mother-tongue in National Education.*
53. Henry Sweet — *A Handbook of Phonetics.*
54. Herrick and Jaccobs — *Language Arts.*
55. Hulbert — *Voice Training.*
56. Hemngs wald Henry M — *Spoken Hindustani (Henry Hoet & Co)*
57. Hudson — *Introduction to the Study of Literature*
58. Hase H. R — *The Psychology of Foreign Language Study (University of*

Caroline Press, Chapel Hill N
The Teaching of Modern Lan
ages.
1. The Teaching of Moder
Languages
2. Poetry in School
1. Language (Macmillan &
New York)
2. How to teach a Foreign L
age.
3. Mankind, Nation and Ind
dual from a Linguistic point
View (London, Allen & Unv
Backwardness in Reading.
Language & Modern Synth
(The New American Library)
The Spirit of Language an
Civilization.
Modern Language for Mo
Schools
Improving your Vocabulary
Spellings.
(Noble and Noble, New York
A Grammar of the Hindi
Language.
Theory and Practice of Lear
Teaching.
Expression in Speech and
Writing.
Language in School.
Studies in the Teaching
English in India.
1. The Story of Language.
2. World's Chief Language
A Guide for Teachers of Mo
Foreign Language.
(South West Press, Dallas,
Texas)

	Author	Title
74.	Morris I	*Teaching of English as a Second Language (Macmillan & Co)*
75.	Menzel, Emil W	*1. The Teaching of Reading.* *2. How to S'udy.* *3. The Use of New type-tests in India.*
76.	Mackenzie, A. F.	*Learning to Read.*
77.	Margaret, G. Mckim	*Guiding Growth in Reading.*
78.	Menon, T. K. N.	*Recent Trends in Education (Orient Longmans)*
79.	New mark, Maxim	*20th Century Modern Language Teaching.* *(Philosophical Library, New York)*
80.	Nida, Eugene A	*Learning a Foreign Language (N. Y.)*
81.	Ogden Charles	*1. The Basic Vocabulary* *2. Learning the English Language* *3. The System of Basic English*
82.	Ogden & Richards	*The Meaning of Meaning.*
83.	Ogilvie	*Speech in Elementary School (Mc Graw Hill series)*
84.	Oliver, Z. E	*Modern Language Teachers Handbook.* *(D. C. Heath Company)*
85	Palmer, Harold E.	*1. Oral Method of Teaching Language.* *2. Principles of Language Study* *3. Scientific Study of Teaching of Language (Harrap & Co)*
86.	Piaget	*Language and Thought of the Children.*
87.	Richards, I. A.	*1. Basic English and its Uses* *2. Practical Criticism*
88.	Ryburn, W. M.	*1. The Teaching of Mother Tongue.* *2. The Teaching of English*

89. Safaya, Raghunath — *The Teaching of Sanskrit (Punjab, Kitab Ghar)*
90. Schonell, J. J. — *Thd Psychology and Teaching of Reading.*
91. Simeon Potter — *Our Language.*
92. Smith, H. L — *Linguistic Science and the Teaching English*
93. Smith, A — *1. Aims and Methods in the Teaching of English.*
94. Smith, Stephenson — *1. How to Double your Vocabulary.* *2. The Command of words. (Jaico Publishing Co. Newyork)*
95. Stone, C. R. — *Silent and Oral Reading.*
96. Strang and Traxler — *Problems in the Improvement of Reading.*
97. Tarapore wala — *Elements of the Science of Language.*
98. Thimann, I. C. — *Teaching Language (George G. Harrap & Co)*
99. Thompson and Wyatt — *Teaching of English in India.*
100. Tidyman & Butterfield — *Teaching the Language Arts. (Mc Graw Hill Series)*
101. Tomkins on — *Teaching of Appreciation.*
102. Tarr Jhon C — *Good Handiwriting.*
103. Valentine — *Psychology of Early Childhood*
104. Vernon, Mallinson — *Teaching a Modern Language.*
105. Vivan De Sola Pinto — *Teaching of English in Schools.*
106. Wadia A. R — *Future of English in India*
107. Ward, Ida C — *Defects of Speech, the Nature and Cure (Dent, London)*
108. Watts A. F. — *Language and Mental Development.*
109. Weighman, J. C. — *On Language and Writing. (London, Sohan Press)*
110. West, Michael — *1. Bilingualism* *2. Learning in Education.* *3. Learning to Speak a Foreign Language.*

4. *Learning to Read a Foreig[n] Language.*

111. Whipple Carolyn — *English as a Foreign Languag[e]*
112. Whorf, B L. — *Language, Thought and Realit[y]*
113. Wilder Penfield — *Learning to Read a Second Language.*
114. Woolf & Woolf — *Remedial Reading.*
115. Yoaken — *Basal Reading Instructions. (Mc Graw Hill Series)*

(ख) हिन्दी पुस्तकें

116. अब्दुल गफार मुदहोली — पहली श्रेणी को हिन्दी पढ़ाने की जामिया विधि ।
117. आत्मानद मिश्र — शिक्षण कला ।
118. ओड, लक्ष्मी के० — भाषा शिक्षण की नवीन प्रणालियां
119. उमाशकर श्रीवास्तव — भाषा-शिक्षण विधि
120. वरुणपति त्रिपाठी — भाषा शिक्षण
121. कामता प्रसाद गुरु — हिन्दी व्याकरण
122. गुलाबराय — 1. काव्य के रूप 2. सिद्धांत और अध्ययन
123. गौरीशकर हीराचद ओझा — भारतीय प्राचीन लिपिमाला
124. देवनाथ उपाध्याय — भाषण-संभाषण (किताब महल, इलाहाबाद)
125. द्वारिका सिंह — बुनियादी शिक्षा में समवाय
126. धीरेन्द्र वर्मा — हिन्दी भाषा का इतिहास
127. भोलानाथ तिवारी — 1. भाषा विज्ञान 2. पर्यायवाची शब्द कोष 3 शब्दों का जीवन 4 हिन्दी साहित्य की अर्न्तकथाए 5. मुहावरा कोष
128. विलाप चद दुबे — समवायी शिक्षण
129. — भाषा-विज्ञान
130. — भाषा कैसे पढ़ायें
131. — 1. हिन्दी अक्षर विन्यास (पजाब किताब घर, जालन्धर)

4. *The Teaching of Reading & Writing.*

(घ) पत्रिकाएँ Journals

146. *Language, Quarterly.* — Baltimore, Linguistic Society of America. (Mt Royal & Guilford Awes)

147 *Modern Language Journal* — Monthly, Modern Language Teachers Association, Washtington.

148. *Modern Lagnuage* — 3 times a year, London.

149. *Review of Educational Research.* — Quarterly, American Educational Research Association Washington

150. शिक्षा — त्रमासिक, लखनऊ

151. जन-शिक्षण — मासिक, उदयपुर

152. साहित्य संदेश — मासिक, आगरा